

# नीतिवाक्यामृत में राजनीति

डॉ. एस. एल. शर्मा  
एम. ए., पी-एच. डॉ.



भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

## प्राचीकथन

व्याप्त एवं विभि के अध्ययन की भीति भारत में राजनीतिशास्त्र के अध्ययन की प्रस्तुता अठारहवीं शताब्दी तक अध्यृष्ण रुद्र है। प्रश्नहित होनी रही। आज्ञार्थ सौमदेवका का 'नीतिवाक्यामृत' भी इसी परम्परा में विरचित राजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। आचार्य सौमदेव का द्वितीय महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'यशस्तिलक चम्पू' है। इन दोनों ग्रन्थों में राजनीतिक आदर्शों एवं संस्थाओं का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया है। राजनीतिक दृष्टि से 'यशस्तिलक' का तृतीय आश्वास अवलोकनीय है। ये दोनों ग्रन्थ एक-दूसरे के पूरक हैं और ये सौमदेव के सूक्ष्म अध्ययन, महान् अनुभव, अद्वितीय विद्वत्ता तथा बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं।

प्रस्तुत पुस्तक लेखक के शोध-प्रबन्ध 'नीतिवाक्यामृत में राजनीतिक आदर्श एवं संस्थाएँ' का संशोधित रूप है। इस में नीतिवाक्यामृत में प्रतिपादित राजनीतिक आदर्श एवं संस्थाओं का कैज़ानिक और तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया गया है। राजशास्त्र का यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ अभी तक उपेक्षित ही था। इस ग्रन्थ के उद्धरण कुछ राजनीति-प्रधान ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं तथा पत्र-पत्रिकाओं में भी इस के कतिपय विषयों पर लेख प्रकाशित हुए हैं। किन्तु सोगोपांग रूप से इस सम्पूर्ण ग्रन्थ के आधार पर कोई ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ है। कैज़ानिक ढंग से इस ग्रन्थ के विवेचन का यह सर्वप्रथम प्रयास है। इस के विवेचन की मौलिकता को सुरक्षित रखने के लिए लेखक ने सौमदेव के मूल ग्रन्थों—'नीतिवाक्यामृत' एवं 'यशस्तिलक चम्पू' का ही आश्रय लिया है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के निदेशक एवं प्रेरक डॉ. रामकुमारजी दीक्षित—भूत-पूर्व डीन, फैक्लटी ऑफ आर्ट्स तथा अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ—का लेखक दूदय से आभारी है, जिन्होंने अत्यन्त स्नेहपूर्वक इस शोध-प्रबन्ध का निदेशन किया। शोध-प्रबन्ध को ग्रन्थ-रूप देते समय पूज्य विद्वन्मूर्धन्य डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्येजी ने बहुमूल्य-सुझाव दिये, जिन के सुझावों से मह रचना और भी उपयोगी हो गयी है। परिशिष्ट में 'नीतिवाक्यामृत' के सम्पूर्ण समुद्देशों का समावेश उन्हीं के परामर्ज पर किया गया है। दोनों विद्वानों के चरणों में लेखक अपने श्रद्धा-सुमन अपित करता है। भारतीय ज्ञानपीठ को परामर्शदात्री

समिति, उस के मन्त्री श्री लक्ष्मीचन्द्रजी जैन तथा हॉ. गोकुलचन्द्रजी जैन का लेखक आभारी है, जिन्होंने इस शोष-प्रबन्ध को प्रकाशनार्थ स्वीकार किया और अत्यन्त जागरुकतापूर्वक इस के प्रकाशन का कष्ट बहन किया।

अन्त में लेखक उन समस्त विद्वानों के प्रति श्रद्धा विकार अवधित होना आवश्यक समझता है, जिन के फलों से इस शोष-प्रबन्ध के प्रणयन में उसे सहायता प्राप्त हुई।

दिग्गम्भर जैन कॉलेज,  
चक्रीत (मेरठ)

—डा. एम. एल. शर्मा

## अनुक्रम

भारत में राजनीतिशास्त्र के अध्ययन की परम्परा	१-१२
प्राचीन राजनीतिशास्त्र प्रणेता और सोमदेवसूरि : ३, अर्थशास्त्र : ५, अर्थशास्त्र का रचनाकाल : ७, नीतिशार : ८, नीतिवाक्यामृत : १०।	
सोमदेवसूरि और उन का नीतिवाक्यामृत	१३-४०
वीडिग्राम्यनूत्र : १, राजनीतिशास्त्र : १५, नीतिवाक्यामृत : १६, महात्म : २४, प्रियंग प्राप्ति का अमोघ साधन राज्य : २५, दण्डनीति का महात्म : २८, राज्यांगों का विशद विवेचन : ३०, राजशास्त्र-सम्बन्धी धर्म वार्ताएँ का विवेचन : ३२, आचार-सम्बन्धी नियमों का विश्लेषण : ३२, वर्णशील व्यवस्था : ३२, कौटुम्बिक जीवन की झलक : ३४, नारी चरित्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण : ३४, वैश्याओं की प्रकृति तथा उन से साधारण रहने के निर्देश : ३४, स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों का उल्लेख : ३५, ऐतिहासिक एवं पौराणिक तथ्यों का समावेश : ३५, जीवनोपयोगी सूक्ष्मियों का सागर : ३६, सोमदेवसूरि की वद्वाक्ता : ३७।	
राज्य	४१-५२
राज्य को प्रकृति : ४१, राज्य के तत्त्व : ४३, राज्य की उत्पत्ति : ४४, राज्य के अंग : ४५, राज्य के कार्य : ४९, राज्य का उद्देश्य : ५०।	
राजा	५३-८६
राजा की उत्पत्ति—१. वैदिक सिद्धान्त : ५६, २. सामाजिक अनुबन्ध का सिद्धान्त : ५७, सामाजिक अनुबन्ध के सिद्धान्त का द्वितीय स्वरूप : ५८, ३. देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त : ६१, राजा की योग्यता : ६६, राजा की योग्यता के विषय में धन्य आचार्यों के विचार : ६७,	

सोमदेव के अनुसार राजा की पोथताओं अथवा गुणों का विवेचन : ६८, राजा के दोष : ७०, सोमदेव के अनुसार राजा के दोषों का विवेचन : ७१, राजा के कर्तव्य—१. प्रजा की रक्षा एवं पालन-पोषण : ७३, २. सामाजिक व्यवस्था की स्थापना : ७४, ३. आर्थिक कर्तव्य : ७५, ४. प्रशासकीय कर्तव्य : ७६, ५. न्याय-सम्बन्धी कर्तव्य : ७७, राज-रक्षा : ७८, राजा का उत्तराधिकारी : ८०, राजत्व के उच्च आदर्श : ८१।

## मन्त्रिपरिषद्

८७-१०९

राजशासन में मन्त्रिपरिषद् का महत्व : ८७, मन्त्रिपरिषद् की रक्षा : ८९, मन्त्रियों की नियुक्ति : ९०, मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की योग्यता—१. हिजाति का विधान : ९१, २. कुलीनता : ९१, ३. स्वदेश वासी : ९२, ४. चारित्रिकान् : ९२, ५. निष्ठ्यसंनता : ९३, ६. राजभक्ति : ९३, ७. नीतिलक्षण : ९३, ८. युद्धसिद्धा विधारण : ९३, ९. निष्कर्षितता : ९४, मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या : ९४, मन्त्र का प्रधान प्रधीजन : ९६, मन्त्र के अंग—१. कार्य प्रारम्भ करने के उपाय : ९७, २. पुष्ट और द्रव्य सम्पत्ति : ९७, ३. देश और काल : ९७, ४. विनिपात-प्रतिकार : ९७, ५. कार्यतिद्वि : ९७, मन्त्रणा के अयोग्य शक्ति : ९७, मन्त्र के लिए उपयुक्त स्थान : ९९, गुप्त मन्त्रणा प्रकाशित हो जाने के कारण : १०१, मन्त्रिपरिषद् के कार्य : १०२, राजा और मन्त्रिपरिषद् : १०४, अमात्यों के दोष—१. अत्यन्त क्रोधी : १०६, २. बलिष्ठ पश्च वाला : १०६, ३. अपवित्र : १०६, ४. व्यसनी : १०६, ५. अकुलीन : १०६, ६. हठी : १०६, ७. विदेशी : १०६, ८. कृपण, १०६, अधिकारी बनाने योग्य व्यक्ति : १०७, कुटुम्बी और सहपाठी को अधिकारी बनाने का निषेध : १०७, अमात्यों के अन्य दोष : १०८, राज्याधिकारियों के धनवान् होने का निषेध : १०९, राज्याधिकारियों की स्थायी नियुक्ति का निषेध : १०९।

## दुर्ग

११०-११६

राजधानी : १११, दुर्ग का महत्व : ११२, दुर्ग के भेद : ११२—ज्ञाइक, पर्वतदुर्ग, घनदुर्ग, वनदुर्ग : ११३, दुर्ग के गुण : ११४, शतदुर्ग पर अधिकार करने के उपाय : ११४—१. अभिगमन : ११४, २. उपजाप, ३. चिरनिष्ठ्य, ४. अवस्कन्द, ५. तीक्ष्णपुष्पप्रयोग : ११५।

कोष की परिभाषा : ११७, कोष का महत्व : ११७, उत्तम कोष : ११८, कोषविहीन राजा : ११९, रिक्त राजकोष की पूर्ति के उपाय : १२०, आय-व्यय : १२०, राजन्कर के सिद्धान्त : १२१, राजन्कर साधन था न कि साध्य : १२३, राजन्कर राजा का वेतन था : १२३, आय के स्रोत : १२४, कुपक वर्ग के प्रति उदारता : १२४, अन्य प्रकार के कर : १२५, आयात और नियाति कर : १२५, शुल्क स्थानों की सुरक्षा : १२५, राज्य की आय के अन्य साधन : १२६, उत्कौच लेने वाले राज्याधिकारियों से धन प्राप्त करने के उपाय—  
 १. नित्य परीक्षण : १२६, २. कर्मचिपर्यय : १२६, ३. प्रलिपनदान : १२७, राजस्व विभाष के अधिकारी : १२७, आय-व्यय लेखा : १२८, व्यापारी वर्ग पर राजकीय नियन्त्रण : १२८।

## सेना अथवा बल

१२८-१२९

हाथियों के गुण : १३२, अणिक्षित हाथी : १३२, हाथियों के कार्य : १३२, अश्वों की जातियाँ : १३४, रथसेना : १३५, सेनाव्यक्त : १३६, औत्साहिक सैन्य के प्रति राजा का कर्तव्य : १३७, सेना के राजा के विशद होने के कारण : १३७, सेवकों का वेतन तथा उन के कर्तव्य : १३८, कुपण राजा की हानि : १३८।

## राष्ट्र

१३९-१४१

भारतीय साहित्य में जनपद शब्द का प्रयोग : १४४, जनपद के गुण : १४८, देश के दोष : १४९, देश की जनसंख्या के विषय में विचार : १५०, जनपद का संगठन : १५०, ग्राम संगठन : १५०।

## अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

१५२-१७२

दूत की परिभाषा : १५३, दूत के गुण : १५४, दूतों के भेद : १५४, दूत के कार्य : १५४, चर : १५५, चरों की नियुक्ति : १५५, चरों के भेद : १५६, सामन्त शासकों के साथ सम्बन्ध : १५६, युद्धकाल में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध : १५७, घण्डल सिद्धान्त : १५८—  
 १. उदासीन : १५८, २. मध्यस्थ : १५८, ३. विजिगीषु : १५८, ४. घावु : १५९, ५. मित्र : १५९—१. नित्य मित्र : १५९, २. सहज मित्र : १५९, ३. कुत्रिम मित्र : १५९, ६. पाण्डिग्राह : १६०, ७. आक्रम : १६०, ८. आसार : १६०, ९. अन्तर्धि : १६०, सौन

शक्तियों का सिद्धान्त : १६१, चार उपाय : १६१, सामनीति : १६२—१. गुण संकीर्णन, २. सम्बन्धोपास्थान, ३. परोपकार वर्णन, ४. आयति प्रदर्शन, ५. आत्मोपसन्धान : १६२, वामनीति : १६२, भेदनीति : १६३, दण्डनीति : १६३, पादगुण्य मन्त्र : १६३—१. सन्धि : १६४, २. विश्रह : १६५, ३. धारा : १६५, ४. आसन : १६५, ५. संधय १६६, ६. दैधीभाग १६६, युद्ध : १६७, युद्ध के सम्बन्ध में विजिगीषु के लिए कृच्छ निर्देश : १६७, सैन्य संगठन : १६८, युद्ध के भेद : १६९, घर्मयुद्ध : १६९, युद्ध के लिए प्रस्थान १७०, व्यूह और उस का महत्त्व : १७०, युद्ध के नियम : १७१, विजय के उपरान्त विजिगीषु का कर्तव्य : १७१, युद्ध में मारे गये सैनिकों की सल्तनि के प्रति राजा का कर्तव्य : १७२।

### न्याय-ध्यावस्था

१७३—१८२

न्यायालय : १७३, सम्यों की योग्यता एवं नियुक्ति : १७५, अपराध की परीक्षा किये बिना दण्ड देने का निषेच : १७५, कार्य-विधि : १७६, बाद के चरण : १७६, प्रतिक्रिया : १७७, प्रमाण : १७७, शपथ : १७७, विभिन्न बण्ठों से भिन्न-भिन्न प्रकार की शपथ का विवाहन : १७८, क्रिया : १७८, निर्णय : १७९, दण्ड विधान : १७९, दण्ड का प्रयोजन : १८०, भय कथवा आतंक स्थापित करने का सिद्धान्त : १८०, निरोधक सिद्धान्त : १८०, सुषारवादी सिद्धान्त : १८०, उचित दण्ड पर बल : १८१, पुनर्विचार तथा पुनरावेदन : १८२।

### निष्कर्ष

१८३—१९०

### नीतिवाक्यामृत का मूल सूत्रपाठ

१९१—२४८

## भारत में राजनीतिशास्त्र के अध्ययन की परम्परा

पाश्चात्य विद्वानों की यह घारणा, कि राजवास्त्र का विकास ग्रीस अथवा धूनान में हुआ, नितान्त भ्रमपूर्ण है। ऐटो और अरस्तू से बहुत पूर्व भारत में राजनीति शास्त्र का विधिवत् अध्ययन प्रारम्भ हो गया था। भारतीय परम्परा तो राजनीतिशास्त्र की सत्ता सुष्ठि के प्रारम्भ से ही मानती है। महाभारत के शान्तिपर्व के ५९८ अध्याय में लिखा है कि समाज को अवश्यकों को ठीक रखने के लिए प्रजापति ने एक लाख अध्याय वाले नीतिशास्त्र की रचना की। इसमें धर्म, अर्थ, काम त्रिवर्ग तथा चातुर्वर्ग मोक्ष और उसके त्रिवर्ग सत्त्व, रज और तम का विवेचन किया था। इसके साथ ही उन्होंने दण्डज त्रिवर्ग—स्थान, काल आदि एवं दृष्टि दण्डज—दिन, रेत, कल, उपाय, कार्य और सहाय के अतिरिक्त आन्वीक्षिकी, वयो, वार्ता और दण्डनीति इन चारों राजविद्याओं और उनसे सम्बन्धित विषयोंका वर्णन किया था।<sup>१</sup> बाल्यावनके कामसूत्रमें भी यही बात कही गयी है कि प्रजापति ब्रह्मा ने त्रिवर्गविधान—धर्म, अर्थ और काम-विषयक महाशास्त्र की रचना की, जिस में एक लाख अध्याय थे।<sup>२</sup> यह व्रन्ध अत्यन्त विशाल था। अतः उस को सरल और सुव्योग्य बनाने के उद्देश्य से विशालाक्ष ने दस हजार अध्यायों में उस को संक्षिप्त किया। विशालाक्ष महादेवजी का ही दूसरा नाम है, क्योंकि वे विशालदर्शी थे। विशालाक्ष के पश्चात् उस नीतिशास्त्र की रचना इन्द्र ने पाँच हजार अध्यायों में की, इस के उपरान्त बृहस्पति ने उस को संक्षिप्त कर के तीन हजार अध्यायों में लिखा।<sup>३</sup> नीतिप्रकाशिका में भी प्राचीन राजशास्त्र प्रणेताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। उस में लिखा है कि ब्रह्मा, महेश्वर, स्कन्द, रघु, प्राचेतसमनु, बृहस्पति, शुक्र, भारहाज, वेदध्यास, गौरशिरा आदि राज-

१. महान् शान्तिः १६, ३६, ३१।

तथैऽच्यायसहस्राणा हत्याक्रमे स्वसुखिजम् ।

यत्त्र धर्मस्तथैवार्थः कामद्वयैवामिवर्जितः ।

त्रिवर्गं हस्ति विलेयातो गण एव स्वयमनुवा ।

चहृष्टीं मोरु इत्येवं पृथगर्थः पृथग्गुणः ।

मीत्यस्तगस्तिं त्रिवर्गाऽऽन्यः प्रेक्षः सात्त्वं रजस्तामः ।

स्मानं शुद्धिः क्षयस्त्वैव त्रिवर्गश्चैव दण्डजः ।

२. वारस्यावन कामसूत्र, ३० ।

प्रजापतिर्हि प्रजाः सुष्टुता तासा स्थितिनिवन्धनं त्रिवर्गस्त्वं साधनमध्यायानां शतमहस्रे षाढ़े प्रोवाच ।

३. महान् शान्तिः १६, ८१, ८६ ।

शास्त्र प्रयोग माने जाते हैं। झ़हा ने एक लाख अध्यायों में राजशास्त्र की रचना की थी, जिस को उपर्युक्त आचार्यों ने क्रमशः संक्षिप्त किया। गौरशिरा ने इस नीतिशास्त्र की रचना पाँच सौ अध्यायों में की तथा अपास ने उस को सीम सौ अध्यायों में संक्षिप्त कर दिया।<sup>१</sup>

इस प्रकार मनुष्यों के कल्याणार्थ विभिन्न देवताओं ने दण्डनीति पर ग्रन्थ रचना की। महाभारत के वर्णन से राजशास्त्र अवधा दण्डनीति की प्राचीनता प्रकट होती है। भारत में इस शास्त्र का उद्भव कब हुआ, इस की ऐतिहासिक तिथि बताना अत्यन्त कठिन है। परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि इस शास्त्र का अध्ययन भारत में बहुत प्राचीन काल से हो रहा था। महाभारत के शान्तिपर्व में राजशास्त्र के प्राचीन आचार्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। इन आचार्यों ने राजनीतिशास्त्र पर विशाल ग्रन्थों की रचना की थी। इन आचार्यों के नाम इस प्रकार है—विशालाक्ष, वृहस्पति, मनुप्राचेतस, भारद्वाज, गौरशिरा आदि।<sup>२</sup> कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में उपर्युक्त अधिकांश आचार्यों का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में विभिन्न स्थलों पर इन आचार्यों के मत उद्धृत किये गये हैं। उस में वर्णित आचार्यों के नाम इस प्रकार है—भारद्वाज, विशालाक्ष, पाराशार, पिशुन, कौणपदन्त, बृहदव्याधि, बाहुदन्तीपुत्र।<sup>३</sup> कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति के पाँच प्रसिद्ध सम्प्रदायों का भी उल्लेख मिलता है, जिन के मत कौटिल्य ने उद्घृत किये हैं। इन सम्प्रदायों के नाम है—मानवा, बाहुस्पत्या, औजानसाः, प. छद्राः और जाग्नीयाः।<sup>४</sup> कौटिल्य ने उपर्युक्त साताएँ के प्रति अपना आभार प्रदेशित किया है तथा उन की रचनाओं को अपने ग्रन्थ का आधार बनाया है। इस से बिढ़ होता कि कौटिल्य से पूर्व ही भारत में राजशास्त्र का विविवत् अध्ययन प्रारम्भ हो चुका था तथा इस विषय पर अनेक प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना उपर्युक्त आचार्यों द्वारा की जा चुकी थी। पाँच-पाँच सम्प्रदायों की गुरु-शिष्य परम्परा एवं उन के हारा राजशास्त्र पर अनेक ग्रन्थों की रचना करने में पर्याप्त समय लगा होगा। इन समस्त बातों को दृष्टि में रखते हुए डॉ. भण्डारकर ने यह मत प्रकट किया है कि भारतमें इस शास्त्र का विविवत् अध्ययन ईसा से सातवीं शताब्दी पूर्व से कम नहीं हो सकता।<sup>५</sup> यह सम्भव है कि इस शास्त्र का प्रारम्भ और भी पहले हो चुका हो। भारतीय परम्परा हारा भी इस शास्त्र की प्राचीनता की पूछ होती है।

नीतिवाक्यामृत में भी उस के अन्नात टोकाकार ने बहुत से प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध राजशास्त्र के आचार्यों के मर्तों का उल्लेख सोमदेव के मर्तों के समर्थन में प्रस्तुत किया है। इस में नारद, अत्रि, लंगिरा, कृष्णपुत्र, कार्णिक, राजपुत्र, कौशिक, गर्ग,

१. नीतिशक्तिशिक्षा—१, २१-२३।

२. महाभारतान्तित०, ए०. १-२।

३. कौ० अ० ०, १, ८।

४. नहीं, १, १।

५. Prof. D. R. Bhandarkar—Some Aspects of Ancient Hindu Polity, PP. 2-3.

गौतम, जैमिनी, देवल, याज्ञवल्क्य, भागुरि, लशिष्ठ, हारीत, बादरायण, विदुर, चारायण, रैम्य, वल्लभद्रेव, शीतक, कामन्दक, राजगुरु वर्ग आदि आचार्यों के नामों का उल्लेख मिलता है। इन समस्त आचार्यों के इलोक दीकाकार ने नीतिवाक्यामूर्त में उद्धृत किये हैं। इस में जिन प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं उन की संख्या पचास से कम नहीं है। इस में उद्धृत अधिकांश इलोक ऐसे हैं जो वर्तमान काल में उपलब्ध मनु, नारद, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों एवं शुक्रनीतिसार में नहीं मिलते। ऐसा प्रतीत होता है कि भास्त्र और औद्योगि सम्प्रदायों के अन्य भी बहुत से ग्रन्थ प्राचीन काल में उपलब्ध होंगे, जो अब काल के कराल गर्त में विलीन हो गये हैं।

बृहत् पराशार तथा अभिना, गृहण, यत्स्य, विष्णु, मार्कण्डेय आदि पुराणों में भी राजनीतिशास्त्र से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध होती है। मध्यकाल में भी राजनीति साहित्य की धारा अनवरत रूप से प्रवाहित होती रही। मध्यकाल के प्रमुख राजनीति प्रधान ग्रन्थों में लक्ष्मीधर का राजनीतिकल्पतरु, देवलभट्ट का राजनीतिकाण्ड, च०डेश्वर का राजनीतिरत्नाकर, नीलकण्ठका नीतिभयुख, भोज का युक्तिकल्पतरु, मिश्रमिश्र का राजनीतिप्रकाश, घन्दशेष्वर का राजनीतिरत्नाकर तथा अनन्तदेव का राजषर्म उल्लेखनीय है। इन ग्रन्थों को प्राचीन नीति साहित्य का संग्रहन्नाम्न्य ही कहा जा सकता है। इन को हम भौलिक रूपना नहीं कह सकते। इन विद्वानों ने उसी प्राचीन परम्परा का अनुकरण किया है।

## प्राचीन राजशास्त्र प्रणेता और सोमदेव सूरि

भारत में राजनीतिशास्त्र के अध्ययन की परम्परा बहुत प्राचीन रही है। यह देश राजनीति के क्षेत्र में पादचार्य देशों से बहुत आगे था। आचार्य कौटिल्य तथा सोमदेव से बहुत पूर्व यहीं अनेक महान् राजनीतिज्ञ हो चुके थे, जिन के मर्तों का उल्लेख महाभारत, कौटिलीय अर्थशास्त्र, कामन्दक के नीतिसार एवं नीतिवाक्यामूर्त की संस्कृत दीका में प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र में अनेक रूपों पर विशालाक्ष, इन्द्र ( बहुदन्त ), वृहस्पति, शुक्र, मनु, भारद्वाज आदि प्राचीन राजशास्त्र प्रणेताओं के भत उद्धृत हैं। कौटिल्य के उपर्युक्त विद्वानों के मर्तों का उल्लेख करने के उपरान्त अपना मत व्यक्त किया है। दुर्भाग्य से आज यह समस्त राजनीति प्रधान साहित्य उपलब्ध नहीं है, किन्तु उस के उपर्योगी अंश महाभारत, कौटिलीय अर्थशास्त्र, कामन्दक के नीतिसार तथा सोमदेव के नीतिवाक्यामूर्त में प्राप्त होते हैं, जिन से यह सिद्ध होता है कि भारत में इस शास्त्र को रचना महाभारत से पूर्व ही हो चुकी थी। वर्तमान उपलब्ध राजनीतिक साहित्य में मनुस्मृति, शुक्रनीतिसार, अर्थशास्त्र, कामन्दक का नीतिसार एवं सोमदेव का नीतिवाक्यामूर्त ही प्रमुख ग्रन्थ हैं। यह बात भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान उपलब्ध मनुस्मृति, शुक्रनीतिसार, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि ग्रन्थ बहुत बाद की रचनाएँ हैं, जैसा कि उन में प्राप्त सामग्री से सिद्ध होता है। जिस प्रकार मनुस्मृति का संकलन भूमु

ने किया, उसी प्रकार उशनस् सम्प्रदाय के किसी अन्य विद्वान् ने वर्तमान शुक्रनीतिसार का संकलन कर उस में अनेक ऐतिहासिक सम्मिलित कर के उस को नवीन स्वरूप प्रदान किया। यही बात याज्ञवल्क्य स्मृति के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। यही कारण है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उद्धृत मनु, शुक्र तथा याज्ञवल्क्य के बहुत से इलोक इन वर्तमान प्रन्थों में नहीं मिलते। कौटिल्य ने उपर्युक्त विद्वानों के जिन इलोकों को उद्धृत किया है वे उन मूल प्रन्थों में ही हींसे और कौटिल्य के सम्बन्ध में सम्भवतः यह समस्त राजनीतिक साहित्य किसी न किसी रूप में अवश्य ही उपलब्ध होगा। यही बात नीतिवाक्यामृत की टीका में भी मिलती है। टीकाकार ने आचार्य सोमदेव के मतों को पुष्टि के लिए मनु, शुक्र, याज्ञवल्क्य आदि के जो अनेक इलोक उद्धृत किये हैं वे भी वर्तमान काल में उपलब्ध मनुस्मृति, शुक्रनीतिसार तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में प्राप्त नहीं होते। अतः यह स्पष्ट है कि कौटिल्य एवं नीतिवाक्यामृत के टीकाकार द्वारा उद्धृत मनु, शुक्र, याज्ञवल्क्य आदि के इलोक इन विद्वानों के मूल प्रन्थों के ही होंगे। इस सम्बन्ध में डॉ० श्यामशास्त्री का भत उल्लेखनीय है जो कि उन्होंने कौटिलीय अर्थशास्त्र की भूमिका में व्यक्त किया है। वे लिखते हैं—“इस से ज्ञात होता है कि चाणक्य के समय का याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र वर्तमान याज्ञवल्क्य स्मृति से पृथक् ही था। इसी प्रकार कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्वानन्दान पर बाहरीकरण और ओशनस आदि से जो अपने भिन्न विचार व्यक्त किये हैं वे भत वर्तमान काल में उपलब्ध हन धर्मशास्त्रों में दृष्टगोचर नहीं होते। अतः यह भली-भाँति सिद्ध होता है कि कौटिल्य ने जिन शास्त्रों का उल्लेख किया है वे अन्य ही प्रन्थ थे। डॉ० श्यामशास्त्री महोदय के उपर्युक्त विषारों से हम पूर्णतया सहमत हैं।

वर्तमान उपलब्ध विशुद्ध राजनीति प्रधान प्रन्थों में राजनीतिज्ञों को आकर्षण्यकृति कर देने वाला कौटिल्य का अवशास्त्र, राजशास्त्र की विशद व्याख्या करने वाला सोमदेव का नीतिवाक्यामृत तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर विरचित एवं उस के सूत्रों की स्पष्ट व्याख्या करने वाला कामन्दक का नीतिसार ही है। यद्यपि स्मृतियों तथा महाभारतमें भी राजनीति की पर्याप्त चर्चा की गयी है, किन्तु इन प्रन्थों में राजनीति का वर्णन गोण रूप से ही हुआ है। स्मृतियों धर्मप्रधान ग्रन्थ हैं और उनमें धर्म, आचार एवं सामाजिक नियमों का वर्णन प्रधान रूप से हुआ है। अतः स्मृतियों एवं महाभारत का हम शुद्ध राजनीति प्रधान प्रन्थों की भेणी में नहीं रख सकते। केवल कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही समस्त प्राचीन नीति साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सात्र गत्वा है। अतः नीतिवाक्यामृत की तुलना में हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा कामन्दक के नीतिसार को ही सम्मिलित करते हैं।

१. डॉ० श्यामशास्त्री, कौटिल्य अर्थशास्त्र की भूमिका।

अतह चाणक्यकालिक धर्मशास्त्रप्रथमशुनातभायाज्ञवल्क्यपर्मशास्त्रादन्यदेशासोरिति। एवं ऐसे पुनर्मन्त्र-वाहिस्पत्यीशनस्त्रा भिन्नभिन्नाभास्त्र तत्र कौटिल्येन परामृष्टः। न तेऽमुनोपलभ्यमानेषु दक्षज्ञमशास्त्रेषु दृष्ट्यन्त इति कौटिल्यपरमशास्त्रिति तानि शास्त्राण्यन्यत्रान्येवेति वाऽसुवचस्।

## अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र के रचयिता आचार्यों कौटिल्य महान् राजनीतिज्ञ थे। कौटिल्य से पूर्व अनेक प्राचीन आचार्यों ने अर्थशास्त्रों को रचना की थी। उन सभस्त्र अर्थशास्त्रोंमें कौटिलीय अर्थशास्त्र का अद्वितीय स्थान है। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि प्राचीन आचार्यों ने जिन अर्थशास्त्रों की रचना की थी उन सब का सार लेकर कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र की रचना की है।<sup>१</sup> इस कथन का यह अर्थ कहापि नहीं है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल संकलन मात्र है और उस में कोई मौलिकता नहीं है। बास्तव में कौटिल्य का अर्थशास्त्र अनेक दृष्टियों से एक मौलिक ग्रन्थ है। परन्तु इस विषय पर रचना करने वाले वे प्रथम आचार्य नहीं थे। अपने ग्रन्थ में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के विचारों को अनेक स्थलों पर आलोचना की है और उन से भिन्न विचार व्यक्त किये हैं। कई स्थानों पर उन्होंने परम्परागत विचारधारा को छोड़ कर जये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। इस के अतिरिक्त व्यापकता तथा विशालता में इस विषय पर लिखित कोई अन्य ग्रन्थ इस की तुलना में नहीं ठहर सकता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना के पश्चात् किसी भी आचार्य ने इस विषय पर ग्रन्थ लिखने का साहस नहीं लिया और सभी ने उस के प्रसारण के लिये स्वीकार दिया है। शुक्रनीति तथा नीतिवाक्यामूल के अतिरिक्त जो भी ग्रन्थ अर्थशास्त्र के पश्चात् लिखे गये वे या तो अर्थशास्त्र के मुख्य-मुख्य उद्दरणों का संकलन मात्र हैं अथवा उस के प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं। अतः लगभग एक सदृश वर्ष तक कौटिलीय अर्थशास्त्र की प्रधानद्वा बनी रही और अज भी बनी हुई है। यह उस की उत्कृष्टता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय राज्य तथा उस के अन्तर्गत निवास करने वाली जनता का कल्याण है। राज्य की वृद्धि और संरक्षण तथा उस में निवास करने वालों की सुरक्षा तथा कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, इन्हीं उपायों का वर्णन अर्थशास्त्र में प्रभुख रूप से किया गया है। अर्थशब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में एक विशिष्ट अर्थ में किया गया है। कौटिल्य के बनुसार मनुष्यों से युक्त भूमि का ही नाम अर्थ है। इस भूमि को प्राप्त करने और रक्षा करने के उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है।<sup>२</sup> अतः कौटिल्य ने अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया है जिस अर्थ में प्राचीन आचार्यों ने दृष्टिनीति शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार दृष्टिनीति और अर्थशास्त्र में कोई भेद नहीं है। दोनों ही शास्त्र राज्य तथा उस को शासन

१. कौ० अर्थ० ११।

पृथिव्या लभे पालने च यावन्यर्थशास्त्राणि पूर्वचार्यैः प्रस्थानितानि प्रथशास्तानि संदर्भेक्षिदमर्थ-शास्त्रं कृतव्।

२. कौ० अर्थ० ११. २।

मनुष्याणि दृष्टिर्थैः। भूमिरित्यर्थैः। तस्याः पृथिव्या साम्पालनोपायः शास्त्रमर्थ-शास्त्रमिति।

व्यवस्था से सम्बन्ध रखते हैं। कौटिल्य ने एक स्थान पर लिखा है कि दण्डनीति अथवा अर्थशास्त्र अप्राप्य वस्तुओं को प्राप्त करने, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करने तथा रक्षित वस्तु की दृढ़ि करने और वृद्धिगत वस्तु को सत्पात्रों में व्यय करने में समर्थ है। इसी विद्या के ऊपर संसार की उचिति निर्भर है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र अथवा दण्डनीति उन उपायों का वर्णन करने वाला शास्त्र है जिन से समाज तथा विश्व का कल्याण हो सके।

अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य शासन-कार्य में राजा का पथ-प्रदर्शन करना तथा शासन की मूल समस्याओं का समाधान करना होता है। युद्ध एवं शान्ति काल में शासन यन्त्र का क्या स्वरूप होना चाहिए, इस विषय का जैसा सौमीपांग वर्णन अर्थशास्त्र में उल्लिख होता है जैसा अन्यत्र नहीं है। राजशास्त्र के पोषक होते हुए भी आचार्य कौटिल्य राजा की स्वच्छन्दता का समर्थन नहीं करते। वे राजा की भन्ति-परिपद का निर्माण करने तथा उस के परामर्श से कार्य करने का आदेश देते हैं।<sup>१</sup> उन्होंने जनता के पक्ष का सर्वश्र समर्थन किया है। उन की स्पष्ट व्याख्या है कि प्रजा के सुखी रहने पर ही राजा सुखी रहता है और प्रजा का हित होने पर ही राजा का हित हो सकता है। जो राजा को प्रिय हो, वह राजा का हित नहीं है, अपितु प्रजा को जो प्रिय हो वही राजा का हित होता है।<sup>२</sup> इस प्रकार कौटिल्य ने लोकहितकारी राज्य की पुष्टि की है। उन के अनुसार यह लोक कल्याण राजा के बिना सम्भव नहीं है। अतः राजा का होना अनिवार्य है। एक राजा कैसा होना चाहिए, उस में कौन-कौन से गुण अपेक्षित हैं, उस को किस प्रकार जितेन्द्रिय होकर शासन करना चाहिए इन सब बातों का विशद वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है। ग्राम के संगठन से लेकर स्थानीय, प्रान्तीय एवं केन्द्रीय शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में किया गया है। राजा को किन राज्यों से मिलता, किन से उदासीनता तथा किन से शत्रुता करनी चाहिए, इसका भी उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। राज्य विस्तार तथा उस के संरक्षण के लिए युद्ध का होना भी सम्बन्ध है। अतः इस विषय पर भी विस्तारपूर्वक प्रकाश ढाला गया है। युद्ध का किया जाये, किस प्रकार किया जाये, सेवा और उस का संगठन, उस के प्रयोग के लिए सामग्री का निर्माण, किभिन्न प्रकार के दुगों का निर्माण, व्यूह रचना तथा युद्ध एवं कूटनीति सम्बन्धी नियमों का वर्णन विस्तारपूर्वक इस ग्रन्थ में किया गया है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में अत्यन्त उच्चकोटि की शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इस में राजनीति से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः सभी बातों पर प्रकाश ढाला गया है। समस्त विषय में अभी तक कोई एक ग्रन्थ ऐसा उपलब्ध नहीं हुआ है जिस में राज-

१. वही १, ४।

२. कौन अर्थ १, ७; १, १५।

३. वही १, १६।

प्रजाहुमि सुखं राज्ञः प्रजानाऽन द्वितीये हितम्।

नामप्रियं हितं राज्ञः प्रजानाऽनु प्रियं हितम्॥

शासन सम्बन्धी समस्त विषयों का इतना विशेष एवं सारगमित विवेचन हुआ हो। कौटिल्य जैसा महान् राजनीतिक एवं कूटनीतिज्ञ अभी तक संसारमें उत्पन्न ही नहीं हुआ।

कौटिल्य राजनीतिक ज्ञाता ही नहीं राजनीति के एक प्रमुख सम्प्रदाय के संस्थापक भी थे। वे इस बात से भली-भांति परिचित थे कि लोक कल्याण के लिए केवल उसम शासन व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं दरन् उस के लिए आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक है। सुगठित सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था स्थायी एवं सुदृढ़ राज्य की आधार शिला है। अतः अहीं कौटिल्य ने आर्थिक नीति सम्बन्धी विषय का प्रतिपादन किया है वहीं उन्होंने उन नियमों का भी उल्लेख किया है जिन से एक आदर्श तथा सुव्यवस्थित समाज की स्थापना सम्भव हो सकती है। समाज के दुर्योग, असंतोष तथा उस की शिथिलता सम्पूर्ण राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए कौटिल्य ने उन नियमों का भी प्रतिपादन किया है जिन से एक विश्रद्ध एवं सुन्दर समाज की स्थापना हो सके और उस में निवास करने वाले व्यक्तियों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति हो सके। उसम राजनीतिक संगठन तथा सामाजिक संगठन दोनों ही लोक कल्याण के लिए बहुमूल्य साधन हैं।

## अर्थशास्त्र का रचना काल

कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तिथि के सम्बन्ध में विवारणों में मतभेद है। मारतीय परम्परा के अनुसार मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के मन्त्री विष्णुगुप्त ने इस की रचना की थी। अर्थशास्त्र में उन के लिए कौटिल्य नाम भी प्रयुक्त हुआ है।<sup>१</sup> अध्य लोतों से यह भी जात होता है कि उन को चाणक्य भी कहते थे (१३, १४)। अर्थशास्त्र के अन्तःसाङ्केतिक तथा वहिःसाङ्केतिक दोनों से ही यह सिद्ध होता है कि इस के रचयिता मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के गुरु एवं प्रधान मन्त्री कौटिल्य ही थे और यह ग्रन्थ मौर्यकाल में ही रचा गया। चन्द्रगुप्त मौर्य का शासनकाल ३२१ अर्थवा ३२३ ई० पूर्व प्रारम्भ होता है। अतः अर्थशास्त्र का रचनाकाल भी इसी तिथि के समीप मानना न्यायसंगत होगा। अर्थशास्त्र के १५वें अधिकारण में लिखा है कि जिस ने शास्त्र, शस्त्र और जन्द राजाओं से भूमि का उद्धार किया, उसी विष्णुगुप्त ने यह अर्थशास्त्र बनाया है।<sup>२</sup> अन्य प्राचीन ग्रन्थों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि कौटिल्य नम्दवंश का अन्त करने वाला तथा चन्द्रगुप्त मौर्य को भगवान् के सिंहासन पर आसीन कराने वाला व्यक्ति था और उसी ने अर्थशास्त्र की

१. कौ० अर्थ० ३, १।

२. नैशाहत्राण्यनुकाय प्रयोगसुपलम्य थ।

कौटिल्येत नरेन्द्रार्थं शासनस्य विधि कलः ।

३. कौ० अर्थ० ३५, १।

४. कामन्दक नीतिलाल १, ६।

५. कौ० अर्थ० ३५, १।

रचना की थी। इन मध्यों में अर्थशास्त्र के उद्दरण भी मिलते हैं। अर्थशास्त्र का रचना काल ई० पू० ३०० निर्णीत हुआ है।

डॉ० जौली, विन्टरनिट्स् तथा कीथ अर्थशास्त्र को मीर्य सम्राट् बिष्णुपुस के प्रधानमन्त्री कौटिल्य की कृति नहीं मानते।<sup>१</sup> डॉ० जायसवाल ने डॉ० जौली तथा उन सभी विद्वानों के लक्ष्मी का अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण उत्तर दिया है और यह सिद्ध किया है कि इस प्रन्थ की रचना ३०० ई० पू० में हुई थी और कौटिल्य अथवा विष्णुपुस मीर्य सम्राट् बिष्णुपुस के मन्त्री थे।<sup>२</sup> डॉ० श्यामशास्त्री, गणपतिशास्त्री, डॉ० आर० मण्डारकर आदि विद्वानों ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि अर्थशास्त्र मीर्यकालीन रचना है। श्री पी० वी० काणे ने भी अर्थशास्त्र का रचना काल ई० पू० ३०० ही माना है।<sup>३</sup> उन्होंने यह भी लिखा है कि अभी तक कोई ऐसा प्रमाण उपस्थित नहीं हुआ है जिस के आधार पर अर्थशास्त्र की तिथि इस के पश्चात् निर्धारित की जाय। अतः किसी नवीन तर्क अथवा पर्याप्त प्रमाण की अनुपस्थिति में उक्त विद्वानों के मतानुसार अर्थशास्त्र का रचना काल ३०० ई० पू० मानना सर्वेषा उचित है।

## नीतिसार

कौटिल्य के पश्चात् कामदक ने अपने प्रन्थ नीतिसार की रचना की। कामदक का नीतिसार शुद्ध राजनीति प्रधान ग्रन्थ है। यद्यपि इस प्रन्थ की रचना कौटिल्यीय अर्थशास्त्र के आधार पर ही की गयी है, किन्तु फिर भी राजनीति के क्षेत्र में इस का अपूर्व महत्व है। अर्थशास्त्र के आधार पर इस की रचना होने के कारण ही कुछ विद्वान् इसे अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप भी कहते हैं।<sup>४</sup> इस प्रन्थ का रचना काल छठी शताब्दी माना जाता है। अर्थशास्त्र को समझने में नीतिसार से बहुत सुहायता प्रिय है। इस प्रन्थ में बहुत से पारिभाषिक शब्दों, जिन का प्रयोग कौटिलीय अर्थशास्त्र में हुआ है, को सरल एवं सारगमित व्याख्या की गयी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रायः गद्य है, को सरल एवं सारगमित व्याख्या की गयी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्रृष्ण स्वीकार किया है और इलोकबद्ध है। कामदक ने अपने मुख विष्णुपुस का क्रृष्ण स्वीकार किया है और इलोकबद्ध है। वे लिखते हैं कि जिस ने दान न लेने वाले उत्तम कई इलोकों में उन की प्रशंसा की है। वे लिखते हैं कि जिस ने एक वेद के समान चारों वेदों का अध्ययन किया के समान त्रेजस्वी था और जिस ने एक वेद के समान चारों वेदों का अध्ययन किया

१. विष्णु पुराण ४, २४, २६-२८।

२. डॉ० जौली-इन्ट्रोडक्शन दु अर्थशास्त्र।

कीथ—हिस्ट्री ऑफ संस्कृत जिन्स-रेचर, पृष्ठ ४५।

३. डॉ० के० पी० जायसवाल—हिन्दू नीतिशी, परिशिष्ट 'शो'।

४. पी० वी० काणे—हिस्ट्री ऑफ अर्थशास्त्र, वान्पूम ६, पृ० १०४।

५. डॉ० श्यामशास्त्री—अर्थशास्त्र की घृमिका।

प्रत्येक योधरमहाराजसमकालीन—तदनि कामदकक्षमित्र कौटिलीय अर्थशास्त्रावेज संहित्य संग्रहीत मिति।

था। वज्र के समान प्रज्ञलित रेजवाले जिस के अभिषार वज्र से श्रीमान् सुन्दर पर्व वाला मन्दर्भस रूपी पर्वत समूल नष्ट हो गया। जो कार्तिकेय के समान पराक्रमशील था और जिस ने अकेले ही अपनी मन्त्रशक्ति के द्वारा नृपचन्द्र चन्द्रगुप्त के लिए पूर्णों का आहरण किया। जिस ने अर्थशास्त्ररूपी महोदधि से नीतिशास्त्ररूपी अमृत का उदार विनाप, उस प्रमुखत्वम् पिण्डगुप्त के लिए उपलक्ष्य है।<sup>१</sup>

इस प्रकार कामन्दक ने विण्डगुप्त के प्रति अपना आभार प्रदर्शित किया है। कामन्दक का धर्मयन विशाल था। उन्होंने अपने ग्रन्थ में विशालाक्ष, पुलोमा, यम आदि राजशास्त्र प्रणेताओं के भत्तों का उल्लेख किया है। उन के ग्रन्थ में राजनीति का विशद विवेचन हुआ है। कामन्दक राज्य के समांग सिदान्त में विश्वास रखते हैं। उन के अनुसार स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल तथा सुहृद् राज्य के अंग हैं। ये अंग एक दूसरे के सहायक हैं।<sup>२</sup> उन्होंने राज्यांगों में राष्ट्र को बहुत महत्व प्रदान किया है। इस विषय में वे लिखते हैं कि राज्य के सम्पूर्ण अंगों का उद्घव राष्ट्र से ही हुआ है, अतः राजा सभी प्रथलों से राष्ट्र का उत्थान करे।<sup>३</sup> जिस प्रकार यज्ञ में वृषभियों द्वारा को गधी हिसा हिसा नहीं मानी जाती, उसी प्रकार राजा द्वारा दुष्टों का नियन्त्रण करने से उने पाप नहीं लगता, अपितु भद्रान् धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म की सुरक्षा के लिए राजा अर्थ की बुद्धि करे। इस कार्य में प्रजा के जो व्यक्ति बाधक हों उन्हें दण्डित करे। वेद और शास्त्रों के विदान् जिस कार्य की प्रशंसा करें वह धर्म है और वे जिस की निन्दा करें वह अधर्म है। धर्म और अधर्म का ज्ञान प्राप्त करता हुआ राजा सज्जनों के प्रति स्नेह प्रदर्शित करे, उन की वरका करे तथा शत्रुओं का वध कर डाले।<sup>४</sup> राज्य की प्रकृतियों के विषय में भी कामन्दक ने प्रकाश ढाला है। उन का कथन है कि राजशास्त्र के ज्ञाताओं ने अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश और दण्ड को विजिर्माषु की प्रकृति बतलाया है।<sup>५</sup> उन्होंने राजा को न्यायपूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया है। उन का कथन है कि यदि राजा न्याय के पथ का अनुसरण करता है तो उस को एवं उस की प्रजा को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है और यदि वह इस के विपरीत बाचरण करता है तो इन का विनाश होता है।<sup>६</sup>

१. कामन्दक नीतिसार १, २-६।

२. कामन्दक नीतिसार ४, १—

स्वाम्यमाल्यच राष्ट्रं च दुर्गं कोशो दलं सुदृढः।  
परस्परोपश्चरी च सप्ताङ्गं राज्यसुच्यते।

३. वही ६, २।

४. वही ६, ६-८।

५. कामन्दक-नीतिसार ५, ४—

अमात्यराष्ट्रदुर्गानि केशो दण्डश्च पश्चमः।  
एताः प्रकृतलक्षतज्जीविजिगोषोरुदाहताः। ५ ॥

६. वही ६, १६।

कामन्दक ने अनुरागीय सम्बन्धों के विषय में भी विस्तार पूर्वक प्रकाश दाला है। उन्होंने हृत एवं चरों का भी वर्णन किया है। उन के अनुसार हृत तीन प्रकार के होते हैं, नियुषार्थ, परिमितार्थ अथवा मितार्थ और शासनहारक<sup>१</sup> चरों के विषयमें वे लिखते हैं कि धार (चर) राजाओं के नेत्र के समान होते हैं। राजा को उन्होंने के द्वारा देखना चाहिए। जो उन की अीखों से नहीं देखता वह समतल भूमि पर भी ठोकर खाता है क्योंकि चारों के बिना वह अन्धा है। जिस प्रकार कौटिल्य सूत्रों के अनुसार कार्य करता रहता है उसी प्रकार राजा को भी चारों के परामर्श से ही राजकार्य करना चाहिए।<sup>२</sup> कामन्दक ने मण्डल सिद्धान्त की व्याख्या बड़े विस्तार के साथ की है और उन्होंने भी कौटिल्य की भाँति १२ राज्यों का मण्डल माना है।<sup>३</sup> कामन्दक तीन शक्तियों के सिद्धान्त में भी विश्वास रखते हैं। उन्होंने भी उत्साहशक्ति, प्रभुशक्ति एवं मन्त्रशक्ति का उल्लेख किया है। कामन्दक ने कौटिल्य की भाँति ही अनेक प्रकार की सत्त्वियों का उल्लेख नीतिसार के ९६ सर्ग में किया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नीतिसार भी राजनीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। मीलिक रचना न होते हुए भी वह अपने ढंग का अपूर्व एवं प्रामाणिक भाग है।  
**नीतिवाक्याभूत**

कामन्दक के पश्चात् आचार्य सोमदेव ने ही शुद्ध राजनीति प्रधान ग्रन्थ का सूचन किया। सोमदेव का नीतिवाक्याभूत अर्थशास्त्र की कोटि का ही ग्रन्थ है, जिस में राजकाल के समस्त अंगों पर पूर्ण प्रकाश दाला गया है। यद्यपि यह ग्रन्थ कलेक्टर में कौटिल्य अर्थशास्त्र की अपेक्षा लघु है, किन्तु रचनाशैली में यह उस की अपेक्षा सुन्दर है। इस के अध्ययन में मधुर काव्य के समान आकृद्ध प्राप्त होता है। सोमदेव को सुन्दर वर्णनशैली के कारण ही उन के ग्रन्थ में राजनीति की दृष्टिकोण सही आने पायी है। गम्भीर एवं विस्तृत वर्णन को सोमदेव ने सरल एवं बोध्य शब्दों में ही व्यक्त कर दिया है।

आचार्य सोमदेव एक व्याक्तिगतिक राजनीतिका दे। उन्होंने युद्ध एवं शान्तिकाल में राजा के सम्मुख उपस्थित होने वाली समस्याओं और उन के समाधान का विवाद विवेचन किया है। उन्होंने समाजकाल एवं राजशास्त्र दोनों का ही विवेचन नीति-वाक्याभूत में किया है। उन्होंने ऐसे सिद्धान्त निर्णायित किये हैं जिन से समाज एवं

१. कामन्दक नीतिसार १३, ३।

२. नहीं—१३, ३६, तथा ३४।

चारचक्षुनरेन्द्रस्तु रांपलेत तैत्ति भूयसा।

अनेनारुपतद् मार्णवि पदाधन्धः समेऽपि हि।

चरेण प्रचरेत्वाज्ञः सूत्रेण्ठिविग्रहऽध्वरे।

दूते संधानमात्रात्तो चरै चर्चा प्रतिहिता॥

३. कामन्दक नीतिसार ८, २०४८।

४. वही—१५, ३२।

राज्य वोनों की ही उत्तरि एवं विकास सम्भव हो सके। नीतिवाक्यामृत में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर भी विशद विवेचन हुआ है। धार्मगुण्यतात्त्व का विवरण अर्थशास्त्र के समान ही किया गया है। सोमदेव के यशस्तिलक चम्पू महाकाव्य के तृतीय बालास में भी राजनीति का विशद वर्णन प्राप्त होता है। नीतिवाक्यामृत तथा यशस्तिलक के अध्ययन से सोमदेव की महान् राजनीतिशता प्रकट होती है।

डॉ० इयामशास्त्री नीतिवाक्यामृत को नीतिसार के समान ही कौटिलीय अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप मानते हैं।<sup>१</sup> उन के इस कथन का आधार नीतिवाक्यामृत के सूत्र, वाक्यविन्यास एवं रचनाशैली है। अब; वे इस ग्रन्थ को एक मौलिक रचना स्वीकार नहीं करते। डॉ० इयामशास्त्री के इस कथन से हम सहमत नहीं हैं। कामन्दक के नीतिसार को भीति नीतिवाक्यामृत को भी कौटिलीय अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप मानना सोमदेव के महान् आचार्यत्व एवं उन को बहुमुखी प्रतिभा की उपेक्षा करता ही होगा। यद्यपि दोनों ही ग्रन्थों में कुछ स्थलों पर समानता दृष्टिगोचर होती है, किन्तु इस आधार पर नीतिवाक्यामृत को अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप नहीं माना जा सकता। कौटिल्य ने जिस प्रकार प्राचीन आचार्यों द्वारा विरचित अर्थशास्त्रों का संग्रह कर के अपने अर्थशास्त्र की रचना की थी उसी प्रकार सोमदेव ने भी लगभग उन्हीं ग्रन्थों के आधार पर नीतिवाक्यामृत की रचना की और उन ग्रन्थों के साथ ही अर्थशास्त्र को भी नीतिवाक्यामृत की रचना का आधार बनाया। जब वोनों ग्रन्थों की रचना पूर्वाचार्यों के ग्रन्थों के आधार पर की गयी है तो उन में कुछ साम्य दृष्टिगोचर होने पर कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस आधार पर य२५०० ग्रन्थ के दूर्घटनी दृष्टि का संक्षेप रूप नहीं माना जा सकता।

**पूर्वाचार्य का प्रभाव सभी लेखकों पर पड़ता है।** जो विचार पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित कर दिये जाते हैं उन को स्वीकार करना उन आचार्यों के गौरव को बढ़ाना है। इसी सिद्धान्त के आधार पर कौटिल्य एवं सोमदेव ने पूर्ववर्ती साहित्य के सार को ग्रहण किया है और उस के साथ ही अपने मौलिक विचारों एवं नवोन अनुभवों का समावेश भी किया है। जिस प्रकार आचार्य कौटिल्य ने 'इत्याचार्य' कहकर 'इति-कौटिल्या' के द्वारा अपना स्वतन्त्र मत व्यक्त किया है उसी प्रकार आचार्य सोमदेव ने भी अपने मौलिक विचार प्रकट किये हैं। नीतिवाक्यामृत में लेखक की स्वतन्त्र प्रतिभा एवं मौलिकता के दर्शन सर्वत्र होते हैं। सोमदेव ने अपने समय में उपलब्ध प्राचीन नीति साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया था और उन्होंने उस का प्रयोग अपने ग्रन्थ की रचना में किया। जिस प्रकार पूर्वाचार्यों का परिष्कृत स्वरूप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकट

१. डॉ० इयामशास्त्री, कौटिलीय अर्थशास्त्र की भूमिका—

यद्यपि यशोधरमहाराजनमकानेन सोमदेवसूरिणा नीतिवाक्यामृतं नाम नीतिशास्त्रं विरचितं तदर्थं कामन्दककौटिलीयमिति कौटिलीयार्थशास्त्रादेव संक्षिप्तं अंग्रहीतमिति हृष्टन्धनदवाक्यमहालोपलीक्षायां द्विसंशार्यं छायते।

हुआ है उसी प्रकार नीतिवाक्यामूर्ति में भी अपने पूर्ववर्ती समस्त आचार्यों का परिभासित स्वप्र प्रतिलिपित होता है। कौटिलीय अर्थशास्त्र की भौति नीतिवाक्यामूर्ति भी एक शीलिक चर्चा है।

उपर्युक्त समीक्षा के आधार पर प्राचीन राजशास्त्र प्रणेताओं में सर्वप्रथम स्थान आचार्य कौटिल्य को तथा द्वितीय स्थान आचार्य सोमदेव सूरि को प्रदान किया जा सकता है। सोमदेव से पूर्ववर्ती होने पर भी नीतिवाक्यामूर्ति की रचना के क्षेत्र में आचार्य कामदक का स्थान तृतीय सिद्ध होता है।

---

१. कौ० अर्थ. १.१—

पृथिव्याला भे पर्लने च गावन्यर्थं शार्त्याणि पृथिव्यार्थः प्रस्तावितानि प्रायश्चरणानि लंकार्थेऽग्निदमर्थशास्त्रं कृतम्।

## सोमदेवगूरि और उन का नीतिवाक्यामृत

राजशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ नीतिवाक्यामृत के रचयिता श्रीभरत्सोमदेवगूरि दिग्गंबर सम्प्रदाय में प्रसिद्ध देवसंघ के आचार्य थे। आचार्य प्रब्रह्म के प्रमुख ग्रन्थ यशस्तिलक तथा नीतिवाक्यामृत के अध्ययन से उन को गुरु-परम्परा एवं समय के विषय में यशस्तिलकचम्भू, लेमुलवाड दानपत्र तथा राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के ताम्रपत्र से पर्याप्त ज्ञानकारी मिलती है। यशस्तिलक की प्रशस्ति के अनुसार सोमदेव के गुरु का नाम नेमिदेव तथा नेमिदेव के गुरु का नाम यशोदेव था। सोमदेव के गुरु नेमिदेव महान् द्वार्शनिक थे और उन्होंने शास्त्रार्थ में तिरानवे महावादियों को प्रशंसित किया था।<sup>१</sup> नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति के अनुसार सोमदेव श्रीमहेन्द्रदेव भट्टारक के कनिष्ठ माता थे और उन्हें अनेक गोरवसूचक उपाधियां प्राप्त थीं, जिन में स्याद्वादकालसिंह, ताकिकचक्कवर्ती, वादीन्द्रवंचानल, वाक्कल्लोलपयोनिषि आदि प्रमुख हैं।<sup>२</sup> सोमदेव के भारता महेन्द्रदेव भट्टारक भी उद्घृट विद्वान् थे, जैसा कि उन की उपाधि वादीन्द्रकालानल से प्रकट होता है।<sup>३</sup>

लेमुलवाडदानपत्र<sup>४</sup> से भी सोमदेवके सबन्ध में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। इस दानपत्र में आचार्यप्रब्रह्म के विषय में यह वर्णन मिलता है—श्री गोडसंघ में यशोदेव नामक आचार्य हुए जो मुनिमान्य थे और जिन्हें इग्रतप के प्रभाव से जैन धारान के देवताओं का साक्षात्कार था। इन महान् बुद्धि के धारक महानुभाव के शिष्य नेमिदेव हुए जो स्याद्वादसमुद्र के पारदर्शी थे और परबादियों के दर्पणस्त्री वृक्षों के उच्छ्वेतन के लिए कुठार के समान थे। जिस प्रकार खान में से अनेक रत्न निकलते हैं उसी प्रकार

१. यशूः या० ३., द० ४१—

श्रीमातस्ति स देवसंघतिलके वैतो यशः गूर्हकः

शिष्यस्त्रलय नभूव सद्गुणनिधिः श्रीनेमिदेवात्मः।

तस्याद्वच्चर्यतपः रित्यतोस्त्रिवत्तेज्जुर्महावादिर्वा

शिष्योऽगुरुद्विष्ट रीमदेव इति यत्त्वस्थैर काव्यकमः॥

नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति में प्रशंसित महावादियों की गोरुणा प्रत्येक है—पञ्चपञ्चाशत्महावादिविग्रहोपार्जितकीर्तिसन्दाकिनीपविचित्रभिसुवनस्य, परमत्रपञ्चरणलग्नोऽन्ततः श्रीम-नेमिदेवभगवतः।

२. नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति, पृष्ठ २०है।

३. वहो—वादीन्द्रकालानल श्रीमहेन्द्रदेव भट्टारकानुजेन—।

४. यह दानपत्र हैदरशाही दिल्ली परम्परा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है और भारत इतिहास संशोधक एवं विद्वान् श्रीमद्भास्कर द्वारा लिखा गया है।

उन तपोलकमीपति के बहुत से शिष्य हुए। उन में सैकड़ों से छोटे श्रीसोमदेव पण्डित हुए जो रघु, शास्त्र और यश के स्थान थे। ये मगवान् सोमदेव समस्त विद्वाओं के दर्पण, यशोवरचरित के रचयिता, स्पदादोपनिषत् के कर्ता तथा अन्य सुभाषितों के भी रचयिता हैं। समस्त भृत्यामन्तों के महत्कों की पृष्ठसालाहों से जिन के चरण सुगन्धित हैं, जिन का यशकमल सम्पूर्ण विद्वज्ञों के कानों का आभूषण है और सभी राजाओं के मस्तक जिन के चरणकम्बलों से सुधोभित होते हैं।<sup>१</sup>

उपर्युक्त दानपत्र के वर्णन से स्पष्ट है कि सोमदेव के गुरु नेमिदेव थे, जो महान् दाचीनिक थे, उन के अनेक शिष्यों में से सोमदेव भी एक थे, जो महान् पण्डित और निविश शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन की अपूर्व प्रतिभा से समादृ तथा सामन्त सभी प्रभावित हो जाते उन के चरणों में जग्ना पञ्चक शुक्र होते थे।

लैमुलवाङ्दानपत्र में सोमदेव के दादामुख यशोदेव को गोड़संघ का आचार्य बतलाया गया है, किन्तु यशस्तिलक की प्रशस्ति के अनुसार वे देवसंघतिलक या देवसंघ के आचार्य थे। इस प्रकार लैमुलवाङ्दानपत्र एवं यशस्तिलक की प्रशस्ति के वर्णनों में कुछ भेद दृष्टिगोचर होता है। इस सन्देह का नियारण करते हुए श्री नाथूराम प्रेसी लिखते हैं कि गोड़संघ अभी तक बिलकुल ही अशुतपूर्व है। जिस प्रकार आदिपुराण के कर्ता जिनसेन का सेनसंघ या सेनान्वय पंचस्तूपान्वय भी कहलाता था, शायद उसी तरह सोमदेव का देवसंघ भी गोड़संघ कहलाता हो। सम्भवतः यह नाम देश के कारण पड़ा हो। जैसे द्रविड़ देश का द्रविड़संघ, पुन्नाट देश का पुन्नाटसंघ, मथुरा का माथुरसंघ उसी प्रकार गोड़ देश का यह गोड़संघ होगा। गोड़ बंगाल का पुराना नाम है। उस गोड़ से तो शायद इस संघ का कोई सम्बन्ध न हो, परन्तु दक्षिण में हो गोल, गोल या गोड़ देश रहा है, जिस का उल्लेख श्रवणबोल गोल के अनेक लेखों ( १२४, १३०, १३८, ४९१ ) में मिलता है। गोलाचार्य नाम के एक आचार्य भी हुए हैं जो वीरभद्र के शिष्य थे और पहले गोल देश के राजा थे। र-ल-न्द में भेद सही होता हैलिए गोल और गोड़ को एक मानने में कोई कापति नहीं है।<sup>२</sup>

सोमदेव की शिष्य-परम्परा के सम्बन्ध में भी कुछ जात नहीं है। यशस्तिलक के टीकाकार श्रुतसागर सूरि ने वादिराज और वादीभ सिंह को सोमदेव का शिष्य बतलाया है।<sup>३</sup> किन्तु टीकाकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सोमदेव ने किस घन्य में वादिराज और वादीभसिंह को अपना शिष्य बताया है। उपर्युक्त बिद्वानों को सोमदेव का शिष्य मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यशस्तिलक एवं नीतिवाक्यामृत

१. लैमुलवाङ्दानपत्र, इलोक १५-१८।

२. पृ० नाथूराम प्रेसी—जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ८८-८९।

३. यशस्तिलक को टीका, आ० ८, पृ० २६५—

स वादिराजोऽपि श्रीसोमदेवाचार्यस्य शिष्यः। वादीभसिंहोऽपि भद्रीयशिष्यः, भ्रोवादिराजोऽपि भद्रीय-शिष्यः, इत्युत्तराच्च।

में कहीं भी इस प्रकार का वर्णन उपलब्ध नहीं होता। इस के अतिरिक्त यशस्तिलक का रचना काल शकसंवत् ८८१ है और बादिराज के ग्रन्थ पार्श्वनाथ चरित का रचना काल शकसंवत् ९४७ है।<sup>१</sup> इस प्रकार दोनों ग्रन्थों के रचना काल में ६६ वर्ष का अन्तर है। ऐसी स्थिति में उन का गुद्धशिल्प का सम्बन्ध किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं माना जा सकता। बादिराज ने पार्श्वनाथचरित में अपने गुद का नाम मतिसागर लिखा है। मतिसागर द्रविड़संघ के आचार्य थे। बादीभस्ति ने भी अपने ग्रन्थ गद्यचिन्तामणि में अपने गुद का नाम पुष्टिषेण लिखा है और पुष्टिषेण को अकालंकदेव का गुरुभाई माना जाता है।<sup>२</sup> अतः उन का समय सोमदेव से बहुत पूर्व बैठता है। इस प्रकार बादिराज एवं बादीभस्ति को सोमदेव का लिख्य स्वीकार नहीं किया जा सकता।

### नीतिवाक्यामृत का रचनाकाल

नीतिवाक्यामृत की गद्यप्रशस्ति से इस बात का कोई आभास नहीं मिलता कि इस ग्रन्थ की रचना कब और कहाँ हुई। किन्तु यशस्तिलक की पद्यप्रशस्ति में इस महाकाव्य की रचना के स्थान एवं समय का स्पष्ट वर्णन मिलता है, जो कि नीतिवाक्यामृत के रचनाकाल एवं स्थान का ज्ञान करने में भवोपयोगी है। यशस्तिलक की प्रशस्ति का आचार्य इस प्रकार है—‘शकसंवत् ८८१ ( वि० संवत् १०१६ ) में पाण्ड्य, सिहल, चोल तथा चेर आदि देशों के राजाओं पर विजय प्राप्त करने वाले भारताचार्यज्ञ श्रोकुण्डराजदेव जो गोदावरी में भास्तुर्ग संभाल रहे थे तब उन के चरण-कमलोपजीवी सामन्त ब्रह्मिग, जो कि चालुक्य नरेश अदिकेश्वरी के प्रथम पुत्र थे, गंगाधारा में राज्य कर रहे थे, तब यह यशस्तिलक चतुर्प्रमहाकाव्य सिद्धार्थ नामक संवत्सर में चैत्रमास की मदनशयोदशी के दिन समूर्ण हुआ।<sup>३</sup> सोमदेव के इस कथन की पुष्टि करहृद ताम्रपत्र से भी होती है, जिसे महान् राष्ट्रकूट सम्भाट् कृष्ण तृतीय ने ९ मार्च, सन् ९५९ ई० को प्रसारित किया था।<sup>४</sup> यह आशा-पत्र यशस्तिलक की समाप्ति से कुछ समाह पूर्व प्रसारित किया गया था। इस ताम्र-पत्र में एक शैव सन्यासी को ग्राम-दान का उल्लेख है। उस समय राष्ट्रकूट सम्भाट् कृष्ण तृतीय का निवास मेलपाटी में ही था और वहीं पर उन्होंने ताम्र-पत्र में उल्लिखित ग्रामदान की आशा प्रसारित की थी।

१. वि० नाभुराम घेमो—नीतिवाक्यामृत की भूमिका, पृ० ६।

२. वही।

३. यहां०, जा० ८, ग्रा० २, पृ० ४१८।

“शकसंवकालातीत्प्रस्तरशतेष्वप्त्वश्वेषाश्रीत्यधिकेषु गतेषु अङ्गतः ( ८८१ ) तिद्वार्थसंवल्सरा तर्गतन्त्रैत्र-प्रसामसदमन्त्रयैदर्थर्थी पाण्ड्य-सिहल-चोल-नेरमप्रभृतीन्महीणतीन्प्रहात्य भेषणाटीप्रदर्थमानराज्यप्रभावै दीकृष्णाचाजदेवे सति तत्पादप्रभोपजीविनः समधिगतरक्षमहाशब्दमहासामन्तराधिपतेष्वचालुलजन्मनः शामन्तचुडानगे श्रीमदरिकेस्त्रिणः, प्रथमपुत्रस्य श्रीमद्रघ्यगणनाभर्य लक्ष्मीप्रवर्गमानयसुधाराया शङ्काधाराया विनिर्मितिपिंदि काव्यमिति।”

४. Epigraphia Indica, Vol. IV, Parts VI & VII, P. 278.

यशस्तिलक में सोमदेव ने भी चैत्रशुद्धी श्रवणी शकसंवत् ८८१ को कृष्णराज तृतीय का निषास मेलपाटी में ही अवक्ष किया था। इस से यह सिद्ध होता है कि मेलपाटी में राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्ण तृतीय का कुछ समय तक सैनिक शिविर अवश्य रहा था।

कृष्ण तृतीय के मेलपाटी शिविर का वर्णन पुष्पदन्त के महापुराण में भी मिलता है। इस प्रत्यक्ष को रथना ९५९ ई० में प्रारम्भ हुई तथा ९६५ ई० में यह प्रत्यक्ष समाप्त हुआ<sup>१</sup>। पुष्पदन्त के मेलपाटी वर्णन एवं कृष्ण तृतीय के दक्षिणी राज्यों की विजयों के उल्लेख से भी सोमदेव के कथन की पूष्टि होती है।

लैमुलवाङ्दानपत्र में भी कृष्ण तृतीय का उल्लेख महान् सम्राट् के रूप में किया गया है और चालुक्य राजाओं को उन का महासामन्त बतलाया गया है।<sup>२</sup> ऐतिहासिक विवरण से भी उपर्युक्त दानपत्र के वर्णन की पूष्टि होती है। दक्षिण के इतिहास के अंदरलोकन से ज्ञात होता है कि कृष्णराजदेव राष्ट्रकूट वंश के सम्राट् थे और यह अमोघवर्ष तृतीय के पुत्र थे। कृष्णराज तृतीय का विहसनारोहण काल ९३९ ई० माना गया है। इन की राजधानी मान्यखेट थी। कृष्णराज तृतीय की राजधानी एवं राज्यकाल की पूष्टि हिस्ट्री ऑफ कनारी लिटरेचर के लेखक के इस वर्णन से भी होती है—पोष्ट कवि को उभयभाषाकविचक्रबर्ती को उपाधि से विभूषित करने वाले राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्णराजदेव ने मान्यखेट में ९३९ ई० से ९६८ ई० तक राज्य किया।<sup>३</sup> स्व० पं० नाथूराम प्रेमी ने लिखा था कि मान्यखेट का ही प्राचीन नाम मेलपाटी होगा, जिसे सोमदेव ने कृष्णराजदेव की राजधानी बतलाया है।<sup>४</sup> अब जो तथ्य सामने आये हैं उन से निश्चित हो चुका है कि ये दोनों स्थान भिन्न-भिन्न हैं, एक ही स्थान के दो नाम नहीं हैं। मान्यखेट राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्णराजदेव की राजधानी यो तथा मेलपाटी वह स्थान है जहाँ पर कृष्णराजदेव ने अपने सैनिक अभियान के समय अपनी विजयी सेनाओं के साथ कुछ समय के लिए अपना सैनिक शिविर स्थापित किया था। करहूद ताम्रपत्र में उल्लिखित शैव संन्धासी की दिये गये प्राभदान की आज्ञा का प्रसारण मेलपाटी में ही किया गया था। मेलपाटी ( मेलपाड़ी ) उत्तरी अरकाट ज़िले में स्थित है<sup>५</sup> जब कि मान्यखेट भूतपूर्व निषाम रियासत में वर्तमान मालखेड का ही प्राचीन नाम है।

बतः यह कथन उपर्युक्त नहीं कि मान्यखेट का ही प्राचीन नाम मेलपाटी होगा।

‘सोमदेव राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्णराजदेव के समकालीन थे। उन्होंने धर्मस्तिलक को

१. K. K. Handique—Yasostiluka and Indian Culture, Ch. I, P. 3.

२. लैमुलवाङ्दानपत्र—

स्वस्तस्यकालवर्षदेवनधीयुगिवीक्वलभमहाराजः शिराजपरमेश्वरपत्रमभट्टारकशीमद्मोघवर्षदेवपादानुध्यात्-  
स्वर्णमानविजयशीकृष्णराजविवरपादपत्रोनजीविनाम्।

३. एवनाथूराम प्रेमी, नौरित्राय्यामृत की ट्रूमिका, पृष्ठ ४६।

४. मही।

५. Epigraphia Indica, Vol. IV, Parts VI and VII, P. 281.

६. हौ० रमाशंकर चिनाठी, ‘प्राचीन भारत का इतिहास,’ पृष्ठ ३५५।

रचना राष्ट्रकूट सम्राट् की राजधानी मान्यलेट में नहीं की, अपितु उन के अधीनस्थ महा सामन्त बहिंग की राजधानी गंगाधारा में की थी। चालुक्यवंश के राजा अरिकेसरी की वंशावली का उल्लेख करने भाषा के प्रसिद्ध कवि पम्प ने अपने प्रथ्य भारत ( विक्रमार्जुन विजय ) में किया है। पम्प अरिकेसरी का समकालीन था और उसे चालुक्यमरेश का संरक्षण प्राप्त था।<sup>१</sup> पम्प की रचनाओं से प्रभावित होकर अरिकेसरी ने धर्मपुर नामक नाम उस को दानस्वरूप दिया था। एम्प ने अरिकेसरी की वंशावली का उल्लेख इस प्रकार किया है—युद्धमल्ल, अरिकेसरी, नारसिंह, युद्धमल्ल, बहिंग, युद्धमल्ल, नारसिंह, अरिकेसरी।

उक्त प्रथ्य लक्ष्मीवत् ८६३ ( विक्रम संवत् ९९८ ) में समाप्त हुआ, अर्थात् यह यशस्तिलक से कोई १८ वर्ष पूर्व रक्ता जा सका था। इस की रचना के समय अरिकेसरी राज्य करता था, तब उस के १८ वर्ष पश्चात् यशस्तिलक की रचना के समय उस का पुत्र राज्य करता होगा, यह सर्वथा ठीक जंघता है, ऐसा श्री ताष्ठुराम श्रेमी का विचार है।<sup>२</sup>

हृदरावाद स्थित परभणी नामक स्थान से प्राप्त लाल्पत्र में भी राष्ट्रकूट सम्राटों के अधीनस्थ चालुक्य वंशीय सामन्त राजाओं की वंशावली का उल्लेख मिलता है। यह ताष्ठपत्र<sup>३</sup> ९६६ ह० का है। इस में दी हुई चालुक्य वंशावली पम्प के भारत में वर्णित वंशावली से बहुत कुछ मिलती है जो इस प्रकार है—

युद्धमल्ल प्रथम—अरिकेसरी प्रथम—नरसिंह प्रथम (+ भद्रदेव)—युद्धमल्ल—द्वितीय—बहिंग प्रथम (जिस ने भीम को पराहत किया तथा बन्दी बनाया)—युद्धमल्ल तृतीय—नरसिंह द्वितीय—अरिकेसरी द्वितीय (जिस का विवाह लोकाभिका नाम की राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी से हुआ था) भद्रदेव अरिकेसरी तृतीय—बहिंग और अरिकेसरी चतुर्थ।<sup>४</sup>

परभणी दान-पत्र से प्रकट होता है कि अरिकेसरिन द्वितीय के पश्चात् उस का पुत्र भद्रदेव ( बहिंग द्वितीय ) सिंहासनारूढ़ हुआ। इस में यह भी उल्लेख मिलता है कि अरिकेसरी तृतीय के पिता का नाम बहिंग था। यशस्तिलक चम्पु की पद्य-प्रशस्ति में सोमदेव ने स्वर्य लिखा है कि उन्होंने अपने चम्पु महाकाश्य की रचना अरिकेसरिन द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र बद्यगराज ( बहिंग ) की राजधानी गंगाधारा में की।

१. K. A. Nilakanta Sastri—A History of South India, P. 333.

२. प० ताष्ठुराम श्रेमी, नीतिवाच्यामृत की धूमिका, प० २०।

३. यह ताष्ठपत्र लैमुखाइशीनपत्र के नाम से प्रकाशित हुआ है।

४. श्री केश केश हन्डीकी नाम भित्तार है कि भद्रदेव अहंग का ही संरहन्त रहगत है। उन का यह कथन मध्यर्थ ही है।

५. लैमुखाइशीनपत्र २-१५—

अस्त्वातिथ्यभिनोदशीचालुक्य...पूर्वलभस्य यः ॥...श्रमसंबत्सर नैद्यालपो (१०)८८४१(स्त्री) ॥ १५०-गाम्यत्वरसिद्धिसर्वगम्यसोदकधारन्दतः ॥

परभणी दान-पत्र की चालुक्य वंशावली में बहिंग नामक सामन्त का उल्लेख मिलता है। अरिकेसरी द्वितीय के वैमुलवाड (लैमुलवाड) स्तम्भ लेख में बहेग नामक अधिका का नामोल्लेख किया गया है।

आधुनिक स्रोतों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि चालुक्यवंश के सामन्त हैदरावाड के करीमनगर जिले के क्षेत्र में शासन करते थे। ये राष्ट्रकूटों के अधीनस्थ सामन्त थे और इन्होंने राज्याश्रम में आचार्य सोमदेव ने यशस्तिलक चम्पू तथा नीतिवाक्यामृत की रचना की थी।<sup>१</sup>

करीमनगर जिले से प्राप्त पाइर्वताय की प्रतिमा के मूर्ति लेख से विदित होता है कि बहिंग ने अपने गुरु सोमदेव के लिए एक जैनमन्दिर का निर्माण कराया था। इस बात की पुष्टि परभणी दानपत्र से भी होती है, जिसे बहिंग के पुत्र अरिकेसरी तृतीय ने ९६६ ई० में प्रसारित किया था। इस दान-पत्र में लिखा है कि अरिकेसरी तृतीय ने वनिकटपुल (लैमुलवाड) नामक ग्राम शुभधाम जिनालय की मरम्मत एवं व्यय के लिए सोमदेव की दान में दिया था। इस मन्दिर का निर्माण उस के पिता बहिंग ने वैमुलवाड (लैमुलवाड) में कराया था।<sup>२</sup>

चालुक्य वंशावली का उल्लेख पर्य के भारत तथा लैमुलवाड दानपत्र दोनों में ही उपलब्ध होता है, किन्तु पर्य के भारत में चालुक्य वंशावलों का पूर्ण विवरण नहीं मिलता। उस के अरिकेसरी द्वितीय तक के राजाओं का ही उल्लेख है। लैमुलवाड दानपत्र में चालुक्य वंशावली का पूर्ण वर्णन उपलब्ध होता है। इस वर्णन के आधार पर बहिंग द्वितीय अरिकेसरी द्वितीय का पुत्र निश्चित होता है। पर्य के भारत में अरिकेसरी द्वितीय के पुत्र का नाम नहीं मिलता।

लैमुलवाड दानपत्र के वर्णन से स्पष्ट है कि इस के उत्कीर्ण होने के समय अर्थात् एक संवत् ८८८ (९६६ ई०) में सोमदेव शुभधाम जिनालय के अध्यक्ष थे और उन को अरिकेसरी तृतीय का राज्याश्रम प्राप्त था। अरिकेसरी तृतीय बहिंग द्वितीय का पुत्र था, जिस की राजधानी गंगाधारा में सोमदेव ने यशस्तिलक की रचना समाप्त की। इस प्रकार लैमुलवाड दानपत्र यशस्तिलक की रचना के सात वर्ष पश्चात् उत्कीर्ण हुआ था। इस से पूर्व आचार्य सोमदेव को अरिकेसरी द्वितीय का राज्याश्रम भी प्राप्त हो चुका था। इस बात की पुष्टि श्री तीलकण्ठ शास्त्री के इस कथन से होती है—“महान् जैन लेखक सोमदेव (९५० ई०) को राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्ण तृतीय के करद लैमुलवाड के चालुक्य राजा अरिकेसरी द्वितीय का राज्याश्रम प्राप्त था और वहीं कञ्चड़ भाषा का प्रसिद्ध कवि-पर्य भी रहता था।”<sup>३</sup>

इस प्रकार सोमदेव अरिकेसरी द्वितीय बहिंग द्वितीय तथा अरिकेसरी तृतीय

१. Venkattamannayya—The Chalukyas of L(V)emulvada.

२. Rao op. Cit., P. 216; Venkatramanayya op. Cit., P. 45,

३. K. A. Nilkantha Sastri—A History of South India, P. 333.

इन तीनों ही चालुक्य नरेशों के राज्याध्य में रहे और उन का सम्बन्ध इन चालुक्य राजाओं से बनिष्ठ रहा। सोमदेव ने अपने महाकाव्य यशस्तिलक चापू की रचना अरिकेसरी द्वितीय के पुत्र बहिंग द्वितीय के राज्याध्य में की और उस के पश्चात् उन्हें अरिकेसरी तृतीय का संरक्षण प्राप्त हुआ, जैसा कि लैभुलवाड दानपत्र से स्पष्ट है। यह बात भी निश्चित है कि नीतिवाक्यामृत यशस्तिलक के बाद की रचना है जैसा कि उस की ( नीतिवाक्यामृत को ) प्रशस्ति से स्पष्ट है। अतः ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि नीतिवाक्यामृत की रचना भी चालुक्यों के ही संरक्षण में हुई। इस ग्रन्थ की रचना या तो बहिंग द्वितीय के ही राज्यकाल में हुई अथवा उस के पुत्र अरिकेसरी तृतीय के राज्य काल में हुई।

“नीतिवाक्यामृत की टीका में ग्रन्थ-रचना के उद्देश्य एवं सम्बन्ध के विषय में कुछ उल्लेख मिलता है। टीकाकार के कथन का आशय इस प्रकार है—“कान्यकुबज के राजा महेन्द्रदेव ने पूर्वाचार्यकृत अर्थशास्त्र की दुर्बोधता से खिन्न होकर ग्रन्थकर्ता को इस सुझोय, सुन्दर एवं लघु नीतिवाक्यामृत की रचना के लिए प्रेरित किया।”

श्रीयुत गोविन्दराय जैन ने भी यह मत प्रकट किया है कि सोमदेव ने कन्नौज के राजा महेन्द्रपालदेव के आपहु पर ही नीतिवाक्यामृत की रचना की। नीतिवाक्यामृत में अपने आश्रयदाता के नामोल्लेख न करने का कारण बतलाते हुए आप लिखते हैं कि “सोमदेव अपने ग्रन्थ में अपने आश्रयदाता एवं ग्रन्थ-रचना की प्रेरणा देनेवाले महाराज महेन्द्रपालदेव का नामोल्लेख कर के उन के पुत्र एवं प्रजा को दुखी नहीं करना चाहते थे। इसी हेतु सोमदेव ने अपने आश्रयदाता का उल्लेख नीतिवाक्यामृत में नहीं किया।” विद्वान् लेखक का यह भी विचार है कि “यशस्तिलक का परिमार्जन तथा आगे के पाँच आश्वासों की रचना भी कन्नौज नरेश के राज्याध्य में ही हुई। अन्त में श्रीगोविन्दराय जी लिखते हैं कि नीतिवाक्यामृत की रचना महेन्द्रपालदेव के लिए की गयी, किन्तु उन का स्वर्गवास हो जाने के कारण उस की समाप्ति महोपाल के राज्यकाल में हुई। इस प्रकार यशस्तिलक के अन्तिम पाँच आश्वास तथा नीतिवाक्यामृत उत्तरभारत में हो लिखे गये। यह समय महेन्द्रपाल प्रथम और उन के पुत्र महोपाल के शासन का था। सम्भवतः इस समय आचार्य को आयु ५० वर्ष के लगभग हो।”<sup>१</sup>

नीतिवाक्यामृत के टीकाकार तथा श्री गोविन्दराय जैन के मत से हम सह-मत नहीं हैं। यशस्तिलक का रचना काल वि० सं० १०१६ ( १५९६० ) निर्णीत है और नीतिवाक्यामृत की रचना उस के पश्चात् हुई है। ऐसी दशा में नीतिवाक्यामृत का रचना काल महेन्द्रपालदेव से, जिन का समय अधिकांश इतिहासकारों ने

१. नीतिवाक्यामृत की टीका, पृ० ३।

अथ त्रायदिव्यसभुपालमौलिकालिद्विचरणमुग्नेन राजवृशावस्थापिपराकनपालितकस्य कर्णकुरुज्ञेन महाराजश्रेमन्महेन्द्रदेवेन पूर्वाचार्यकृतार्थशास्त्रदुरवधोधश्रव्यागौरवलिङ्गमनसेन सुभेषतलितसम्पुनीतिपाक्यामृतरचनास्त्र प्रवतितः।

२. श्रीगोविन्दराय जैन—जैनसिद्धान्त भास्कर, भाग १४, किरण ३, पृ० १४-२६।

वि० सं० १६४ माता है<sup>१</sup>, कम से कम ५२ वर्ष पश्चात् का है। अतः सोमदेव को महेन्द्रपाल का समकालीन मानना तथा उन के आग्रह पर नीतिवाक्यामृत की रचना का होना मुक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। यदि महेन्द्रपाल के आग्रह पर नीतिवाक्यामृत की रचना की गयी होती तो उस में कहीं-न-कहीं उन का उल्लेख लेखक अवश्य करता जैसा कि यशस्तिलक की प्रशस्ति में किया है। टीकाकार ने नीतिवाक्यामृत के कर्ता का नाम भुनिचन्द्र तथा उन के गुरु का नाम सोमदेव लिखा है। ठीक इसी प्रकार उन्होंने किसी जनकृति के आधार पर नीतिवाक्यामृत के उल्लेख लेखक सोमदेव का समकालीन तथा उन के आग्रह पर नीतिवाक्यामृत की रचना की बात लिख दी है।

डॉ० वे० राघवन् नीतिवाक्यामृत को यशस्तिलक के बाद की रचना स्वीकार नहीं करते। इस के अतिरिक्त वे नीतिवाक्यामृत के टीकाकार के कथन की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि टीकाकार ने जिन काण्ड्यकुञ्जनदेश महेन्द्रदेव के लिए सोमदेव को नीतिवाक्यामृत की रचना के आग्रह का उल्लेख किया है वे उस नाम के महेन्द्रपाल द्वितीय होंगे, जिन का उल्लेख डॉ० त्रिपाठी ने अपने ग्रन्थ हिन्दू और कन्नौज में किया है। बालकवि रूप में राजेश्वर को महेन्द्रपाल प्रथम ( ८८५-९१० ई० ) का संरक्षण प्राप्त था। अन्त में डॉ० राघवन् ने लिखा है कि सोमदेव गौड़ देश के गौड़संघ के आचार्य थे और सम्भवतः उन का सम्मान बोध गया के एक राष्ट्रकूट वरेश ने किया था। राष्ट्रकूट करद चालुक्य अरिकेसरी और उस के उत्तराधिकारियों के समय में वे लैमुलवाड़ की ओर विहार करते थे और कन्नौज को जाते हुए वे चेदि और राष्ट्रकूट वरबारों में वहाँ वे अवश्य लैमुलवाड़ में रहते हुए ही जब कभी उन्हें समय मिलता था वे उपर्युक्त राजदरबारों में भ्रमण कर आते थे। ऐसी अवस्था में यह अन्होनी नहीं कहो जा सकती कि उन्होंने कन्नौज के नरेश महेन्द्रपाल के आग्रह पर नीतिवाक्यामृत की रचना की हो।<sup>२</sup>

प्र० जी० वी० देवस्थली का कथन है कि “दिग्मंडर जैन सोमदेव का आविर्भाव दसवीं शताब्दी के मध्य में हुआ। और उन्होंने राष्ट्रकूट सम्भाद कृष्ण तुतीय के राज्यकाल में यशस्तिलक चम्पु की रचना शकसंवत् ८८१ ( ९५९ ई० ) में की। यशस्तिलक की प्रशस्ति के आधार पर सोमदेव को देवसंघ का आचार्य कहा जाता है, किन्तु लैमुलवाड़ के दानपत्र में उन के दादागुरु को गौड़संघ का आचार्य बताया गया है। इस के

१. The History and Culture of Indian People, Vol. IV, P. 33;

H. C. Ray—Dynamic History of Northern India, Vol. I, P. 572.

गियदोनी के शिलालेख में महेन्द्रपालदेव के राज्यकाल की तिथियाँ ६०३-४ ई० तथा ६०७-८ ई० निर्दिष्ट हैं। डॉ० आर० पस० त्रिपाठी लघा डॉ० शी० एन० पुरो महेन्द्रपाल की मृत्यु की तिथि ६१० ई० मानते हैं। इस उकार वे नहेन्द्रपाल का राज्यकाल ६१० ई० तक निरिखत करते हैं;

Dr. R. S. Tripathi—History of Kannauj, P. 255;

Dr. B. N. Puri—The History of the Gurjara-Pratiharas.

२. डॉ० वे० राघवन्, जैनसिद्धान्त भास्कर, भाग १०, किरण २, पृ० १०३-१०४।

अतिरिक्त यशस्तिलक चम्पू में सोमदेव यशोधर महाराज को दो बार घमविलोक कहने कर सम्बोधित करते हैं। यह उपाधि राष्ट्रकूटों की बोधगया को शाखा लुंगराजाओं की थी। इस से स्पष्ट है कि सोमदेव प्रारम्भ में गोड़देशीय गोड़संघ के शिष्य थे और सम्भवतः उन को लोधगया के राष्ट्रकूटों का राज्याश्रय प्राप्त था। वहाँ से वे लैमुलवाड़ में आये और वहाँ उन को राष्ट्रकूटों के अधीनस्थ सामन्त अरिकेसरी तथा उस के उत्तराधिकारी का राज्याश्रय प्राप्त हुआ। राष्ट्रकूटों का चेदि तथा कन्नोज के गुर्जर प्रतिहारों से धनिष्ठ सम्बन्ध था। अतः यह कोई अनहोनी नहीं कि सोमदेव कन्नोज के महाराज महेन्द्रपाल छिंसीय के सम्पर्क में आये और उन के आग्रह पर उन्होंने नीतिवाक्यामृत की रचना की, जैसा कि नीतिवाक्यामृत के अन्नात टीकाकार ने व्यक्त किया है।<sup>१</sup>

हम डॉ० वै० राघवन् तथा प्रौ० जी० वी० देवस्थलो के उपर्युक्त विचारों से सहमत नहीं हैं। डॉ० राघवन् नीतिवाक्यामृत को यशस्तिलक के बाद की रचना नहीं मानते जो कि युक्तिसंगत नहीं। नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति में सोमदेव की यशोधरचरित आदि का रचयिता बताया गया है। अतः नीतिवाक्यामृत को यशस्तिलक के बाद की रचना स्वीकार करने में कोई आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। श्री के० के० हण्डीकी भी नीतिवाक्यामृत को यशस्तिलक के बाद की हो रचना मानते हैं और वे सोमदेव को कृष्ण तृतीय तथा बहिष्य का समकालीन स्वीकार करते हैं।<sup>२</sup>

डॉ० राघवन् नीतिवाक्यामृत के टीकाकार के इस कथन को सत्य मानते हैं कि “सोमदेव ने कन्यकुञ्ज के महाराज महेन्द्रदेव के आग्रह पर नीतिवाक्यामृत की रचना की।” उन का कथन है कि वे महेन्द्रपाल छिंतोय होंगे। हम डॉ० राघवन् के इस कथन से भी सहमत नहीं, क्योंकि महेन्द्रपाल छिंतोय का समय ९४६ ई० माना गया है<sup>३</sup> और यशस्तिलक की रचना ९५९ ई० मानी जाती है। नीतिवाक्यामृत उस के बाद की रचना है। अतः महेन्द्रपाल छिंतोय, जिन के राज्यकाल की तिथि ९४६ ई० है, के आग्रह पर नीतिवाक्यामृत की रचना की बात नितान्त असंगत प्रतीत होती है।

डॉ० श्यामशास्त्री का विचार है कि नीतिवाक्यामृत के रचयिता सोमदेव यशोधर महाराज के समकालीन थे।<sup>४</sup> शास्त्रीजी का यह कथन आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, क्योंकि यशोधर जैनियों के पौराणिक महापुरुष हैं। सोमदेव से कई शताब्दी पूर्व यशोधरचरित के विषय में पुष्पदन्त तथा बड्डराय आदि कवि रचना कर चुके थे। पुष्पदन्त का समय लाकसंवत् ९०६ माना जाता है।<sup>५</sup> अतः सोमदेव को यशोधर महाराज का समकालीन कभी नहीं माना जा सकता।

१. The History and Culture of the Indian People, Vol. IV, P. 18.

२. K. K. Mandiraju -- Yashasthila and Indian Culture, Ch. I, P. 1.

३. The History and Culture of the Indian People, Vol. IV, P. 31.

४. डॉ० श्यामशास्त्री -- नीतिवाक्य अर्पणास्त्र जी भूमिका--

यज्ञ वशोधरमहाराजसमाजोद संनेहकम्मिति नीतिवाक्यामृत नाम नीतिवाक्य शिरचिन्त...।

५. प० नाथुराम प्रेमी, नीतिवाक्यामृत को भूमिका, पृ० ६, टिप्पणी।

श्री के० के० हण्डीकी सोमदेव का आध्यदाता किसी भी राजा को महीं मानते। उन का वायन है कि "सोमदेव जैन आचार्य थे, इसी कारण उन्होंने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में आदर के साथ अपने गुरु को बन्दना की है। धर्मचार्य होने के साथ ही वे एक महान् राजनीतिज्ञ भी थे इसी कारण उन्होंने अपने ग्रन्थ में धर्म, अर्थ, काम के प्रशान्त करने वाले राज्य को नमस्कार किया है। आगे हण्डीकी महोदय लिखते हैं कि, यह बात भी निश्चित रूप से कही जा सकती है कि सोमदेव दरबारी जीवन से भली-भौति परिचित थे तथा उन्होंने राष्ट्रकूटों के राजाद् में कुछ उत्तर अध्य वार्तादि लिया होगा। यशस्तिलक के तृतीय आश्वास में राजदरबार का जैसा चमत्कारपूर्ण वर्णन हुआ है उस के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह वर्णन गंगाधारा जैसी छोटी राजधानी के सम्बन्ध में कवापि नहीं हो सकता। यह वर्णन तो एक ऐसे राजदरबार का धोवक है जो सार्वभीम हो, जिसे युद्ध और सन्धि का सर्वाधिकार हो तथा जिस के अधिकार में समस्त देश की सेना हो।"<sup>१</sup>

श्री के० के० हण्डीकी के इस विचार से तो हम सहमत हैं कि यशस्तिलक के तृतीय आश्वास में जो वर्णन हुआ है वह किसी महान् दरबार का द्वातक है। यह सम्भव है कि सोमदेव राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्ण तृतीय के राजदरबार में कुछ समय तक रहे हों। कृष्ण तृतीय विद्वानों का आध्यदाता था और उस ने कफ़ड़ भापा के प्रासाद कवि पौज को उभयभाषाकविचक्कवर्ती की उपाधि से विभूषित किया था। सोमदेव महान् विद्वान् थे और वे कृष्ण तृतीय के समकालीन भी थे। इस में कोई आइचर्य की बात नहीं कि राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्ण तृतीय ने सोमदेव को अपने दरबार में आमन्त्रित किया हो। वही रहकर उन्होंने दरबारी जीवन का अध्ययन कर के चालुक्य वंश के राजा वर्तिकेश्वरो द्वितीय के पुत्र, सामन्त बद्धिग की राजधानी गंगाधारा में यशस्तिलक के तृतीय आश्वास में दरबारी जीवन के अनुभवों को वर्णक किया। ऐसा मानने में कोई अतीचित्य नहीं। श्री हण्डीकी महोदय के इस विचार से हम सहमत नहीं कि सोमदेव का आध्यदाता कोई नहीं था। यशस्तिलक की पद्यप्रशस्ति एवं लैमुलवाड दानपत्र से यह स्पष्ट है कि सोमदेव का सम्बन्ध चालुक्य नरेशों से बहुत घनिष्ठ था और उन्होंने का राज्याध्य उन्हें ग्रास था। अतः यह बात किस प्रकार स्वीकार की जा सकती है कि सोमदेव को किसी भी राजा का राज्याध्य ग्रास नहीं था।

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण के आधार पर हम यह बात निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि मीतिवाक्यामृत को रचना कर्त्ता के राजा महेन्द्रपाल प्रथम महीपाल वर्थवा महेन्द्रपाल द्वितीय किसी भी राजा के आग्रह वर्थवा राज्याध्य में नहीं हुई। उपर्युक्त राजाओं के राज्यकाल की ज्ञात तिथियों ( महेन्द्रपाल प्रथम वि० सं० १६४, महीपाल १७४ ई० तथा महेन्द्रपाल द्वितीय १००३ ) से सोमदेव के यशस्तिलक की रचना की

१. K.K. Handique—Yasastilaka and Indian Culture, Ch. I, pp. 5-6.

तिथि (वि० सं० १०६४) का मेल नहीं खाता। इस के अतिरिक्त राजशेखर महेन्द्रपाल प्रथम के समकालीन थे और उन को कल्पीज नरेश का राज्याश्रम प्राप्त था। राजशेखर ने वार्षीय उद्यायों में द्वारा की गई महेन्द्रपाल का द्वारा व्यापक द्वारा है।<sup>१</sup> यशस्तिलक ( ११९ ई० ), तिलकमंजरी ( १००० ई० ) और व्यक्तिविवेक ( ११५० ) आदि ग्रन्थों में राजशेखर का उल्लेख मिलता है।<sup>२</sup> इस प्रकार राजशेखर का समय दसवीं शताब्दी का प्रथम चरण निश्चित होता है। यशस्तिलक में सोमदेव ने एक स्थान पर महाकवियों के नामों का उल्लेख किया है। उन में अन्तिम नाम राजशेखर का है।<sup>३</sup> इस से स्पष्ट है कि सोमदेव के समय में राजशेखर का नाम प्रसिद्ध था। इस प्रकार राजशेखर का धार्विभवि सोमदेव से अर्द्ध शताब्दी पूर्व अवधि हुआ होगा। राजशेखर महेन्द्रपाल के उपाध्याय और उन के समकालीन माने जाते हैं।<sup>४</sup>

अतः सोमदेव का सम्बन्ध कान्यकुब्ज नरेश महेन्द्रपाल से जोड़ना युक्तिसंगत नहीं। यह बात भी नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति से निश्चित है कि यह ग्रन्थ यशस्तिलक के बाद रचा गया। यशस्तिलक का रचनाकाल वि० सं० १०६४ है। अतः नीतिवाक्यामृत की तिथि उस के पश्चात् ही होनी चाहिए। महेन्द्रपाल के शासनकाल और नीतिवाक्यामृत के रचनाकाल में कम से कम ५५ वर्ष का अन्तर दृष्टिगोचर होता है। इस कारण नीतिवाक्यामृत की रचना को महेन्द्रपाल के आग्रह पर बताना नितान्त असंगत है। इस के अतिरिक्त देवरसंघ दक्षिणभारत में है और कल्पीज उत्तर भारत में। इस प्रकार यह भी आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि सोमदेव ने दक्षिण भारत के चालुक्य नरेशों एवं महान् राष्ट्रकूट सज्जाद् कुण्ड तृतीय का राज्याश्रम प्राप्त न कर उत्तर भारत में आकर कल्पीज के महाराज महेन्द्रपाल को संरक्षण प्राप्त की। यह बात नीतिवाक्यामृत के टीकाकार ने किसी जनश्रुति के आधार पर ही लिखी है और उस का अनुकरण अन्य विद्वानों ने भी किया है। किन्तु वास्तव में इस ग्रन्थ का आग्रहकर्ता चालुक्यवंशी अरिकेसरी तृतीय का पुत्र सामन्त बहिंग अथवा बहिंग का पुत्र अरिकेसरी चतुर्थ ही होगा। श्री नीलकण्ठ शास्त्री के वर्णन तथा लेमुलवाढ दानपत्र से सोमदेव का चालुक्यों के सम्पर्क में आना प्रमाणित होता है। जब सोमदेव ने अपने चम्पूमहाकाव्य यशस्तिलक की रचना चालुक्य नरेश बहिंग की संरक्षण में को तो उन के द्वितीय ग्रन्थ की रचना को चालुक्यों के आग्रह पर स्वीकार करना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। लेमुलवाढ दानपत्र के उल्कीण किये जाने के समय सोमदेव की जायु सम्भवतः शत वर्ष की ही और वे शुभधाम जिनालय में अपना विरक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा मानने में कोई आपसि नहीं होनी चाहिए। हमारे विचार से नीतिवाक्यामृत यशस्तिलक

१. Dr. R. S. Tripathi—History of Kannauj, P. 261.

२. स्वर्गीय प० चन्द्रशेखर पाण्डिय, संस्कृत-साहित्य की रूपरेखा, प० ४०४-२०६।

३. यशस्त्र, अ० ८, प० ११४-

तथा उर्व-भारवि, भवश्रुति-भर्तु इति—राजशेखर-दिनहात्मिका श्रौत-।

४. Dr. R. S. Tripathi—History of Kannauj, P. 253.

के अवन्तर को गयी रचना है, जैसा कि अन्य सिद्धान्तों ने भी स्वेच्छार किया है। इस प्रकार नीतिवाक्यामृत का रचनाकल विक्रम की भारतीय शिवायदी का तृतीय चरण सिद्ध होता है। निश्चित रूप से इस प्रन्थ का प्रणयन चालुक्यों के राज्याभ्यास में ही हुआ।

## नीतिवाक्यामृत का महसूस

(नीतिवाक्यामृत संस्कृत वाद्यमय का अमूल्य राजनीति प्रधान ग्रन्थ है। यह भारतीय साहित्य का भूषण है। यद्यपि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अपेक्षा इस का कलेवर न्यून है, तथापि रचना-सौन्दर्य में यह उस से उत्कृष्ट है। यथा नाम तथा गुण बाली कहावत इस ग्रन्थ पर पूर्णरूपेण चरितार्थ होती है। मह ग्रन्थ वास्तव में नीति का क्षीरसागर है, जिस में लगभग सभी पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धान्तों का सुखभूर सूत्रों में समावेश है। यह ग्रन्थ गद्य में विरचित है और इस के लेखक ने इस की रचना के लिए सब पढ़ाई की अपनाया है।) >

(सीमदेव का संस्कृत भाषा पर जैसा अधिकार था जैसा ही रचना शैली पर भी था। बड़ी से बड़ी बात को सूत्र रूप में कहने की कला में सोमदेव बहुत बक्ष थे, और इसी कारण उन्होंने नीतिवाक्यामृत के अध्यार्थों का नाम समुद्देश रखा है। समुद्देश ग्रन्थ में चत्तीस समुद्देश एवं पन्द्रह सौ पञ्चास सूत्र हैं। प्रत्येक समुद्देश में उस के माम के अनुकूल ही विषय का प्रतिपादन किया गया है।) >

(नीतिवाक्यामृत की शैली बहुत ही सुवोश, संयत, सुगठित एवं हृदयस्पर्शी है। राजनीति जैसे शुष्क विषय का भी इस ग्रन्थ में काव्य जैसी भाषा में वर्णित किया गया है। इस का प्रत्येक सूत्र हृदयग्राही है।) नीतिवाक्यामृत के अज्ञात टीकाकार ने इस के सूत्रों की शुद्ध एवं स्पष्ट व्याख्या की है। प्रत्येक सूत्र में गम्भीर विचार भरे हुए हैं जो हमारे सामने किसी भी विचार का एक पूर्ण चित्र उपस्थित करते हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रधान विषय है राजनीति। राज्य एवं शासन व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः सभी आवश्यक बातों का इस ग्रन्थ में विवेचन किया गया है। राज्य के समाज-स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल एवं मित्र के लक्षणों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। साथ ही राजधर्म की बड़े विस्तार के साथ व्याख्या की गयी है। इस राजनीति प्रधान ग्रन्थ में मानव के जीवन-स्तर को समूलत बनाने वाली धर्म-नीति, धर्मनीति एवं समाजनीति का भी विशद विवेचन मिलता है। यह ग्रन्थ मानव जीवन का विज्ञान और दर्शन है। यह वास्तव में प्राचीन नीति साहित्य का सारभूत अमृत है। मनुष्यमात्र को अपनी-अपनी मर्यादा में स्थिर रखने वाले राज्यप्रणाली एवं उसे पललवित, संवधित एवं सुरक्षित रखने वाले राजनीतिक तत्त्वों का इस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है।

आचार्य सोमदेव ने नीति के दोनों ओरों—राज्य एवं समाज से सम्बन्ध रखने वाली विविध समस्याओं पर पूर्ण प्रकाश डाला है। राज्य और समाज एक दूसरे के

अन्योन्याधित है। अतः दोनों की ही समस्याओं का समाधान आवश्यक है, जो कि इस प्रथा में उपलब्ध होता है। यदि सोमदेव अपने ग्रन्थ में राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर ही प्रकाश डालते तो उन का वर्णन एकांगी होता। अतः उन्होंने नीति के दोनों ही अंगों की व्याख्या की है।

समाज की उन्नति में राज्य की उन्नति है और एक शक्तिशाली एवं नीतिसम्मत राज्य में ही व्यक्ति विवर्ग के फल का निर्बाध रूप से उपभोग कर सकता है एवं अपनी सर्वांगीण उन्नति करने में समर्थ हो सकता है। इसी बात को दृष्टि में रख कर सोमदेव ने उत्तर के साथ लाप्तिक ग्रन्थों द्वारा नीतिवाक्यामृत में दिवसानुष्ठान, सदाचार, व्यवहार, विवाह एवं प्रकीर्ण आदि समुद्देशों की रचना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गयी है।

नीतिवाक्यामृत के टीकाकार ने नीति की दो प्रकार से व्याख्या की है जो इस प्रकार है—(१) चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों में वर्तमान जनता जिस के द्वारा अपने-अपने राजनीतिक राजारों में प्रवृत्त की जाती है, उसे नीति कहते हैं। (२) विजयलक्ष्मी के इच्छुक राजा को जो धर्म, धर्म, और काम आदि पुरुषार्थी से संयोग करावे उसे नीति कहते हैं।<sup>१</sup> इस ग्रन्थ को टीकाकार के मतानुसार नीतिवाक्यामृत नामकरण का यह कारण दिया गया है कि<sup>२</sup> इस ग्रन्थ के अमृत तुल्य वाक्यसमूह विजयलक्ष्मी के इच्छुक राजा की अनेक राजनीतिक विषयों, संघि, विवाह, धारा, आसन आदि में उत्तम हुई सन्देह रूप महामूर्च्छा का विनाश करने वाले हैं, इसलिए इस का नाम नीतिवाक्यामृत रखा गया है।<sup>३</sup>

लेखक ने नीति के इन दोनों ही अर्थों को दृष्टि में रखकर इस ग्रन्थ को रचना की है। अपने वर्णविषय पर पूर्णप्रकाश डालने वाला ग्रन्थ ही अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीति तथा समाज के प्रमुख अंगों का जो विशेष वर्णन नीतिवाक्यामृत में हुआ है उस का सारांश निम्नलिखित है—

### विवर्ग प्राप्ति का अमोघ साधन राज्य

भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार मनुष्यमात्र की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस व्याकुर्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। महार्षि व्यास का कथन है कि धर्म से अर्थ और काम की प्राप्ति होती है।<sup>४</sup> यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो यह

१. नीतिवाक्यामृत की टीका, पृ० ३—

एवं विजिमोक्षिकरण हेयोजन नीतिः, नीयते व्यवस्थाप्यते स्वेतु रेतु एवाचारेतु चतुर्वर्णादिम-  
नधाणो लोको भस्यते वा सा नीतिः...-

२. नहीं—

नीतिर्किळानि वचनरचनाविषेषास्तान्येवामृतमिवामृतं अतेऽप्रविवरनत्रतामन्तसुन्दरसुखसंदोहदाय-  
करतः, राजा यानेकार्थसमुत्प्रसंमेहमहाषृच्छिपित्तिरिवात्, नीतिप्रयामृतमहं त्रुते—।)

३. महाभारत—

धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः कि त सेष्यते।

स्पष्ट है कि निष्काम धर्म से मोक्ष को भी प्राप्ति होती है। इसलिए यदि धर्म को ही चातुर्वर्ग का मूल कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। वैशेषिक दर्शन के रचयिता महवि कणाद का कथन है कि जिस से अभ्युदय एवं लौकिक उन्नति और विश्वेयस तथा पारलौकिक मोक्ष की प्राप्ति हो वह धर्म है।<sup>१</sup>

प्राचीनकाल में धर्म का प्रयोग चातुर्वर्ग के लिए होता था और उस का विभाजन दो भागों में कर दिया गया था—<sup>२</sup> लौकिक उत्तर दूसरा, दार्ढीत्वकृत। प्रथम भाग के अन्तर्गत धर्म, अर्थ और काम का सम्बोध था और द्वितीय में मोक्ष का। लौकिक धर्म का ही दूसरा नाम पुरुषार्थ और पारलौकिक अथवा मोक्ष का नाम परमपुरुषार्थ था। इस कारण धर्म, अर्थ और काम की मानव पुरुषार्थों के नाम से ही पुकारा जाता था। सोमदेवसूरि ने भी अपने ग्रन्थ नीतिवाक्यामृत में मानव पुरुषार्थों का वर्णन किया है। वे राजनीति को त्रिपथगामिनी कहते हैं, क्योंकि इस के हारा धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसी कारण उन्होंने सर्वप्रथम धर्म, अर्थ और काम रूप फलों के प्रदान करने वाले राज्य को नमस्कार किया है।<sup>३</sup> सोमदेव एक महान् राजनीतिज्ञ थे, बातः उन्होंने अपने ग्रन्थ में किसी राजा आदि का यशोगान न कर के राज्य को नमस्कार किया है। शुक्राचार्य ने भी राज्य को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति का साधन बतलाया है। उन्होंने अपनी दण्डनीति के प्रारम्भ में ही उस राज्यरूपी वृक्ष को नमस्कार किया है जिस को शास्त्रार्थे पाद्यगुण ( संवि, विग्रह, यान, आसन, संक्षय और द्वैषीभाव ) हैं और जिस के पुण्य ( साम, दाता, भेद और दण्ड ) हैं तथा फल त्रिवर्ग ( धर्म, अर्थ, और काम ) हैं।<sup>४</sup>

सोमदेव ने धर्म, अर्थ और काम तीनों ही पुरुषार्थों के सेवन का उपदेश दिया है। उन का यह भी आदेश है कि त्रिवर्ग का समरूप से ही सेवन करना चाहिए ( ३, ३ )। अर्थ की धर्म के समकक्ष स्थान प्रदान कर के आचार्य ने प्राचीन परम्परा में एक महान् सुधार किया है। काम को भी धर्म के समकक्ष मानकर उन्होंने व्यावहारिक राजनीतिज्ञता का परिचय दिया है। जैन संन्यासी होते हुए भी उन्होंने अर्थ के महत्त्व का भलो-भाँति अनुमति किया है। यह बात उन की दूरदृशिता की परिचायक है। नीतिवाक्यामृत में धर्म, अर्थ और काम की विशेष व्याख्या की गयी है। धर्म की परिभाषा करते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि जिस से इस लोक में अभ्युदय और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो वह धर्म है। इस के विपरीत फल बाला अर्थम् है

१. कणाद दर्शन—

यतोऽन्युदयतिःश्रेष्ठसरिद्द्विः स धर्मः।

२. नीतिवाक्यामृत, पृ० ७।

अथ धर्मर्थकामकलात्य राज्याय नमः।

३. शुक्र, नीतिवाक्यामृत, पृ० ७।

नमोस्तु राज्यवृद्धाय पाद्यगुणाय प्रदानिने।

सामाविचारपुर्णाय त्रिवर्गफलदायिने।

(१,१-२)। धर्म को प्राप्ति के साधनों पर भी ग्रन्थकार ने प्रकाश डाला है। अपने समाज दूसरे में भी कुशल वृत्ति का विनाश करना, शक्ति के बनुसार त्याग व तप करना धर्म की प्राप्ति के साधन है (१, ३)। सम्पूर्ण प्राणियों में सम आचरण करना सर्वधेष्ठ आचरण है। जो व्यक्ति प्राणियों से द्वाह करता है उस को काँड़े भी शुभनेत्रया कल्याण कारक नहीं हो सकती। जो व्यक्ति हिंसारहित मन बाले है उन का ब्रतरहित भी चित्त स्वर्ग प्राप्ति के लिए समर्थ है (१, ४-५)। दून और तप के महत्व पर भी इन्हमें प्रकाश डाला गया है। आचार्य की दृष्टि में प्राणिमात्र की सेवा करना तथा सब से द्रेष करना ही महान् धर्म है। जो व्यक्ति प्राणियों से द्वाह करते हैं वे चाहे जितने ही शुभ कर्म करें, किन्तु उन का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। उन की समस्त शुभ क्रियाएँ भी अग्नि में डाले गये घृत के समान व्यर्थ हो होंगी। जैन आचार्य होने के कारण उन्होंने अपने मतानुयायियों के अनुरूप ही अहिंसा को परम धर्म बताया है और ऐसे के पालन करने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार के ब्रत को आवश्यकता नहीं बतायी है। अहिंसा को स्वर्ग-प्राप्ति का साधन बताया है।

धर्म के उपरान्त अर्थ पुरुषार्थ की व्याख्या करते हुए आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि विस से सब प्रयोजनों की सिद्धि हो वह अर्थ है (२, १)। जो मनुष्य सदैव अर्थशास्त्र के सिद्धान्त के बनुसार अर्थनिवन्ध (व्यापारिक साधनों से अविद्यमान धन का संचय, संचित की रक्षा और रक्षित की वृद्धि करना) से धन का उपभोग करता है वह उस का पात्र धनाद्य हो जाता है (२, २)। नैतिक व्यक्ति को अप्राप्त धन की प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा और रक्षित की वृद्धि करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति ही मविष्य में सुखी रहता है। धन के सदुपयोग पर नीतिकार ने बहुत बल दिया है। वे लिखते हैं कि जो लोभी पुरुष अपने धन से तीर्थों (सत्ताओं) का आदर नहीं करता, उन को बान नहीं देता उस का धन शहद की मन्त्रियों के छत्ते के समान अन्य व्यक्ति ही नष्ट कर देते हैं (२, ४)। मनुष्य को अपने सुखों का बलिदान कर के धन संग्रह नहीं करना चाहिए। यह बात नीति के विरुद्ध है। अनेक कष्ट सहन कर धनोपार्जन करना दूसरों का बोझ ढोने के समान है (३, ५)। धन की वास्तविक सार्थकता तभी है जब उस से मन और इन्द्रियों को पूर्ण तूसि हो (३, ६)।

मानव जीवन के तृतीय पुरुषार्थ काम की भी व्याख्या ग्रन्थकार ने की है। जिस से समस्त इन्द्रियों में बाधारहित प्रीति उत्पन्न होती है उसे काम कहते हैं (३, १)। नैतिक व्यक्ति को धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का समरूप से सेवन करना चाहिए। यदि इन तीनों पुरुषार्थों में से एक का भी अति सेवन किया गया तो इस से स्वयं को पीड़ा होगी तथा वह दूसरों के लिए भी कष्टदायक होगा (३, ४)। आचार्य ने दूनिया नियन्त्रण पर विशेष बल दिया है, क्योंकि अजितेन्द्रिय को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती (३, ७)। मानव को इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नीतिशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए (३, ९)। नैतिक सोमदेवसूरि और उन का नीतिवाक्यामृत

व्यक्ति को विषय की भयानक बन में दौड़ने वाले इन्द्रिय रूपी गजों को, जो कि मन को विकृति करने वाले हैं, सम्प्रक्लान रूपी अंकुश से वश में करना चाहिए। मुख्य रूप से मनाश्रित इन्द्रियों विषयों में प्रवृत्त हुआ करती है। इस कारण मन पर विजय प्राप्त करना ही जितेन्द्रियता है। जो व्यक्ति विषयों में आसक्त है वह महा विषति के गति में पहला है। आचार्य राजा को भी काम से सचित करने के लिए आदेश देते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति (राजा) काम से पराजित हो जाता है वह राज्य के अंगों (स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, मित्र और सेना आदि) से शक्तिशाली शत्रुओं पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकता है (३, ११)। अतः विजयलक्ष्मी के इच्छुक राजा को कभी काम के वशीभूत नहीं होना चाहिए।

काम से होने वाली हानियों की ओर भी आचार्य सोमदेव ने संकेत किया है। वे लिखते हैं कि कामों पुरुष का सम्बन्ध पर लाने के लिए लालक में कोई औषधि नहीं है (३, १२)। हितयों में अत्यन्त आसक्ति करने वाले पुरुष का सब, धर्म और जरीर नहीं हो जाता है (३, १३)। धर्मचार्यों का कथन है कि विवेकी पुरुष को सर्व प्रथम धर्म पुरुषार्थ का पालन करना चाहिए। उसे विषयों की लालसा, भय, लोभ और जोवरक्षा के लोम से कदापि धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। परन्तु सोमदेवसूरि के अनुसार आर्थिक संकट में फैसा हुआ व्यक्ति पहले अर्थ, जीविको-प्रयोगी व्यापार आदि करे, तत्प्रथात् उसे धर्म और काम पुरुषार्थों का अनुष्ठान करना चाहिए, वयोंकि लोक की धर्म रक्षा, प्राण-यात्रा और लीकिक सुख आदि सब धन से ही सम्भव होते हैं। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों में पूर्व का पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है (३, १५)। आचार्य के अनुसार सब पुरुषार्थों में अर्थ ही प्रमुख है और अन्य दो पुरुषार्थ—धर्म और काम इस के अभाव में कदापि प्राप्त नहीं हो सकते। नीति-शास्त्र के लगभग सभी आचार्यों ने मानव पुरुषार्थों में अर्थ को ही प्रधानता दी है जो कि सर्वधा उचित है। संसार के समस्त प्रयोजनों की सिद्धि अर्थ से ही सम्भव है (२, १)। इस के अभाव में कोई भी पुरुषार्थ पूर्ण नहीं हो सकता। अतः मानव पुरुषार्थों में अर्थ का ही प्रमुख स्थान है।

### दण्डनीति का महत्व

मनुष्य मात्र का परम कल्याण त्रिवर्ग के विविवर सुपालन करने में ही है। त्रिवर्ग से तात्पर्य धर्म, अर्थ और काम से है। त्रिवर्ग की साधना तभी हो सकती है जबकि प्रजा का पालन करने वाला राजा हो और वह दण्डनीति का ज्ञाता हो। दण्ड के द्वारा ही राजा अपने धर्म (राजधर्म) का पालन करता है। इसी हेतु राजा के साथ ही सुषिकर्ता ने दण्ड की भी सुषिकर्ता<sup>३</sup>। अपराधी को उस के अपराध के अनुकूल दण्ड देना दण्ड-

३. मनु० ७, १४

तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममाल्यजयम् ।  
वत्तेऽप्यमर्थं दण्डमसृजतार्वमीवरः ।

नीति है ( ९,२ ) । दण्डनीति का सभी आचार्यों ने बहुत महसूब बतलाया है । मनु का कथन है कि दण्ड ही प्राप्तक है और दण्ड ही प्रजा है । जब सब सोते हैं तब दण्ड ही जागता है ।<sup>१</sup> दण्ड का उचित प्रयोग ही समाज में व्यवस्था रख सकता है और मात्स्यन्याय का अन्त कर सकता है । दण्ड का उचित प्रयोग वही कर सकता है जिस ने दण्डनीति का अध्ययन किया हो । यदि अपराधियों का उन के अपराध के अनुकूल दण्ड नहीं दिया जायेगा तो प्रजा में मात्स्यन्याय उत्पन्न हो जायेगा । दण्डनीति का प्रयोजन राष्ट्र को प्रजा कण्ठकों से सुरक्षित रखना, प्रजा को धर्म, धर्म और काम पुरुषार्थों का बाधारहित पालन करना, उसे कर्तव्यों में प्रवृत्त करना तथा अकर्तव्य से निवृत्त करना, शिशुल सैनिक संगठन द्वारा प्रशासनिक की प्राप्ति, भ्राता की रक्षा, रक्षित की बृद्धि करना है । दण्ड की अपूर्व शक्ति का वर्णन करते हुए आचार्य कौटिल्य लिखते हैं कि जब राजा पक्षपातरहित दोष के अनुकूल अपने पुत्र और शाशु को दण्ड देता है तब वह दण्ड इस लोक और परलोक दोनों की ही रक्षा करता है ।<sup>२</sup> आन्वीक्षिकी, श्रयो और वार्ता की प्रगति और सुरक्षा का साधक दण्ड ही है । भलो-भाति सोच-विचार कर जब दण्ड दिया जाता है तब वह प्रजा को धार्मिक बनाता है और उसे अर्थ तथा काम पुरुषार्थों की प्राप्ति में लगाता है । परन्तु जब अविवेकपूर्ण ढंग से दण्ड का प्रयोग किया जाता है तो उस से संन्यासियों में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है फिर गृहस्थियों का तो कहना ही क्या ।<sup>३</sup> किन्तु फिर भी दण्ड का प्रयोग परम आवश्यक है । यदि इस का प्रयोग नहीं किया जाता तो बलवान् निर्बंधों को नष्ट कर देते हैं ।

अन्यायपूर्ण ढंग से दिये गये दण्ड से होने वाली हानि को और संकेत करते हुए आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि जो राजा अज्ञानतापूर्वक और क्रोध के वशीभूत होकर दण्डनीति शास्त्र की भयविका का उल्लंघन कर के अनुचित ढंग से दण्ड देता है, उस से सुमस्त प्रजा के लोग द्वेष करने लगते हैं ( ९, ६ ) । न्यायो राजा की अपराध के अनुरूप न्याययुक्त दण्ड देकर प्रजा को ओवृद्धि करना चाहिए ।

उपर्युक्त विवरण का आशय यही है कि समाज में शान्ति एवं व्यवस्था रखने के लिए दण्ड की परम आवश्यकता है । इस के अभाव में मात्स्यन्याय उत्पन्न हो जाता है । राजा को दण्डनीति का ज्ञाता होना चाहिए तथा इस का प्रयोग न्यायपूर्वक करना चाहिए । ऐसा करने से ही प्रजा को धर्म, धर्म और काम पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है । आन्वीक्षिकी, श्रयो और वार्ता की उन्नति और कुशलता का साधक दण्ड ही है ।

१. मनु० ५, १८

दण्डः सांस्कृत प्रजा: सर्वा दण्ड इगाभिरसुति ।

दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्ड धर्म विदुर्दृधाः ।

२. कौ० अर्थ० १, ४ ।

३. मनु० —

मुख्यातपणीते हि दण्डः प्रजा भर्तुर्भिर्कामैर्योजयति । दुश्शणीतकामकोधाभ्यामज्ञानादानप्रस्थपरिवाजस्तनपि क्रीयति किमत्र युनर्गृहस्थाद ।

महाभारत में लिखा है कि जब दण्डनीति निर्जीव हो जाती है तब बेदङ्गयों द्वारा जाते हैं और वृद्धिप्राप्त अन्य धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन राजधर्म अथवा दण्डनीति का जब त्याग कर दिया जाता है तब सम्पूर्ण धर्म और आश्रम मिट जाते हैं। राजधर्म में ही समस्त त्याग देखे जाते हैं और सब लोक राजधर्म में ही मिली हुई हैं, सब विद्याएँ राजधर्म में ही कही गयी हैं और सब लोक राजधर्म से ही केवलोंभूत हैं।<sup>१</sup> इस प्रकार दण्डनीति अथवा राजधर्म की बड़ी महिमा है। इस के महत्व के कारण ही शूक्राचार्य ने दण्डनीति को ही एकमात्र विद्या बतलाया है तथा अन्य विद्याओं को इसी के अन्तर्गत रखा है।<sup>२</sup>

### राज्यांगोंका विशद विवेचन

प्रस्तुत पन्थ में राज्य के सम्बंध सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल, विश आदि का विशद विवेचन हुआ है। राजधर्म की इन विस्तार के साथ व्याख्या की गयी है। राजा के गुण-दोष, कर्तव्य, राजरक्षा आदि विषयों पर पूर्ण प्रकाश ढाला गया है। राज्य का लक्षण बताते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि राजा का पृथ्वी की रक्षा के योग्य कर्म राज्य है ( ५, ४ )। वर्ण-ज्ञाहण क्षमिय, वैद्य, शूद्र और आधम—इन्द्रुचर्य, गृहस्थ, बानप्रस्थ, और यति से युक्त तथा धन्य, सुवर्ण, पशु और तीव्र, लोहा आदि वासुओं को प्रश्नुर मात्रा में देने वाली पृथ्वी को राज्य कहते हैं ( ५, ५ )। परन्तु जिस में ये बातें न पायी जायें वह राज्य नहीं है। राज्य के साथ ही राजा की भी परिभाषा इस पन्थ में को गयी है—“जो अनुकूल चलने वालों ( राजकीय आज्ञा मानने वालों ) की इन्हें के समान रक्षा करता है तथा प्रतिकूल चलने वालों ( आज्ञा भंग करने वालों ) को यम के समान दण्ड देता है उसे राजा कहते हैं ( ५, १ )।” राज्य का मूल क्रम और विक्रम है ( ५, २७ )। इस के रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। इस विषय की चर्चा करते हुए आचार्य लिखते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य, आहे वह वैश यरम्परा से प्राप्त हुआ हो अथवा अपने पूर्वार्थ से, को सुरक्षित, वृद्धिगत और स्थायी बनाने के लिए क्रम-सदाचार लहसी से अलंकृत होकर अपने कोश और शक्ति का संचय करे, अन्यथा दुराचारी और संन्यहीन होने से राज्य नष्ट हो जाता है ( ५, ३० )।

१. महाभारत १०, ६३, २७-२८।

सर्वे धर्मां राजधर्मप्रधानाः, सर्वे दण्डः पालयमाना भवन्ति ।

सर्वस्त्वाणी राजधर्मेषु राजस्त्वानं धर्मं वाहुरूपं पुराणम् ॥

मञ्जोत् त्रयी दण्डनीतौ हतायां सर्वे धर्मः प्रक्षयेषु र्षिद्वादः ।

सर्वे धर्मगच्छाशमाणां हताः स्युः क्षात्रै व्यक्ते राजधर्मं पुराणे ।

सर्वे त्यागां राजधर्मेषु इष्टाः सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु चोक्ताः ।

सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ताः सर्वे होका राजधर्मं प्रविष्टाः ॥

२. कौ० अ० ३० ८, २

दण्डनीतिरेका विवेत्तरीशनसाः ।

इस प्रन्थ में राज्य की उत्पत्ति के विषय में दैर्घ्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। सोमदेव लिखते हैं कि राजा बह्या, चिष्णु और महेश की मूर्ति है। अतः इस से अन्य कोई प्रत्यक्ष देवता नहीं है ( २९, १६ )। राजा की योग्यताओं के विषय में भी प्रन्थ में उल्लेख मिलता है। इस विषय में उन का मत है कि जिस पुरुष में राजनीतिज्ञ विद्वान् पुरुषों के द्वारा नीति, आचार, सम्पत्ति और शूरता आदि प्रजापालन में उपयोगी सद्गुण स्थिर हो गये हैं वह पुरुष राजा बनने योग्य है ( ५, ४२ )। इसी प्रसंग में आगे कहा गया है कि जब राजा दव्य-प्रकृति राज्यण्ड के योग्य राजनीतिक ज्ञान और आचार, सम्पत्ति आदि सद्गुणों को त्याग कर अद्व्यप्रकृति-मूर्खता, अनाचार और कायरता आदि द्विषों को प्राप्त हो जाता है तब वह पाण्डु द्वारा की तरह राजपद के योग्य नहीं रहता ( ५, ४३ )।

सन्धि, विश्व, यान, आसन, आथर्व और द्विधीभाष, प्रभुति राजनीति शास्त्र के उक्त छह गुणों का भी विवेचन इस प्रन्थ में हुआ है ( २९, ४३-५० )। सोमदेव लिखते हैं कि इन गुणों से विभूषित राजा ही अपने पद पर स्वायी रह सकता है। साम, दान, दण्ड, भेद आदि नीतियों का उल्लेख भी प्रन्थ में हुआ है ( २९, ७० )। राजा को किस अवसर पर किस नीति का प्रयोग करना चाहिए इस का भी विवरण नीतिवाच्यामृत में उपलब्ध होता है।

अपराधियों को दण्ड देना और सज्जन पुरुषों की रक्षा करना राजा का धर्म बताया गया है ( ५, २ )। सिर मुड़ाना और जटाओं का धारण करना मुत्तियों का धर्म है, राजा का नहीं ( ५, ३ )। राष्ट्र कण्टकों को नष्ट करना तथा न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करना राजा का परम धर्म है। जब राजा इस रोति से अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो समस्त दिक्षाएँ प्रजा को अभिलिखित फल प्रदान करने वाली होती है ( १७, ४५ )।

राजकर्तव्यों के साथ ही राजरक्षा पर भी पर्याप्त प्रकाश ढाला गया है ( राजरक्षा समू० )। राजा को कौन-कौन सी बातों से सचेत रहना चाहिए इस विषय में भी प्रन्थ में पर्याप्त विवेचन हुआ है। आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि राजा को अपरीक्षित मार्ग पर कदापि गमन नहीं करना चाहिए। राजा को मन्त्रो, वैद्य तथा उपोतिष्ठी के द्वितीया भी अन्यथा प्रस्थान नहीं करना चाहिए। राजा अथवा विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपनी भोजन सामग्री को भक्षण करने से पूर्व उसे अन्न में डालकर परोक्षा कर ले। इसी प्रकार वस्त्रादि की भी परोक्षा अपने आस पुरुषों से कराते रहना चाहिए। उपहार में प्राप्त हुई किसी भी वस्तु को राजा स्वयं न स्पर्श करे। अपने विश्वास पत्रों से उन वस्तुओं को परोक्षा कराने के उपरान्त ही उन का स्पर्श करे। राजा को अपने भवन में किसी भी ऐसी वस्तु को प्रविष्ट होने को आज्ञा नहीं देनी चाहिए जो उस के विश्वास पात्रों द्वारा परोक्षित और निर्दोष सिद्ध न कर दी गयी हो।

इस प्रकार राज्य तथा राजा के लक्षण, राजा के गुण-दोष एवं राज्य रक्षा आदि विषयों पर प्रन्थकार ने पर्याप्त प्रकाश ढाला है जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत महस्वपूर्ण है।

## राजशास्त्र-सम्बन्धी अन्य वातों का विवेचन

राज्य के सप्तांग सिद्धान्त के अतिरिक्त राज्य शास्त्र से सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों की भी वर्चा प्रस्तुत ग्रन्थ में की गयी है। ग्यायव्यवस्था, बृहविष्णान, सैन्यसंचालन, करप्रणाली, वरव्यवस्था, एवं परराष्ट्रनीति आदि समस्त विषयों पर सोमदेव ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। दण्डविष्णान की उपर्योगिता का वर्णन करते हुए आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि जिस प्रकार अग्नि के प्रयोग से टेढ़े बौसों को सीधा कर लिया जाता है, उसी प्रकार दुर्जन पुरुष भी दण्ड से सीधा हो जाता है ( २८, २५ )। दण्ड सभी के लिए अपराधानुसार होना चाहिए। राजा को अपने पुत्र को भी उचित दण्ड देना चाहिए। विवाद के विषयों में विभिन्न वर्णों से व्यवय लेने की प्रणाली, लेख की प्रमाणिकता आदि वालों पर भी प्रकाश डाला गया है। इस विषय में आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि लेख व वचन में से लेख की हो किंशेष प्रतिष्ठा है और उसी की अधिक प्रामाणिकता होती है ( २६, ४२ )। वचनों की जाहे वे बृहस्पति द्वारा ही क्यों न कहे गये हों, प्रतिष्ठा नहीं होती ( २७, ६२ )।

## आचार-सम्बन्धी नियमों का विवरण

“आचारः प्रथमो धर्मः” के आधार पर नीतिवाक्यामूल में आचार धर्म को प्रमुखता दी गयी है। सदाचारों का पालन करने वाला व्यक्ति संसार में यशस्वी होता है। जो सदाचार का पालन नहीं करता वह लोक में अविद्या दर्ज जाता है। सोमदेव का कथन है कि लोकनिन्दा का पात्र बृहस्पति के समान उच्च व्यक्ति भी पराजित हो जाता है ( २६, १ )। अतः सदाचार का पालन राजा एवं साधारण पुरुषों के लिए परमाकृष्णक है इस की आवश्यकता का अनुभव करते हुए आचार्य ने अपने अन्य नीतिवाक्यामूल में सदाचार समुद्देश की रचना की है।

## वर्णार्थिम व्यवस्था

यह भी एक आश्वर्य की बात है कि आचार्य सोमदेव ने जैनधर्म के अनुयायी होते हुए भी कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित वैदिक वर्णार्थिमव्यवस्था को स्वीकार किया है। उन्होंने नीतिवाक्यामूल में वर्ण और आश्रमों का उल्लेख किया है ( ५, ६-७ )। आचार्य ने प्रत्येक वर्ण के कायों पर भी प्रकाश डाला है ( ७, ७-१० )। सोमदेव वर्णव्यवस्था के पोषक तो है, किन्तु इस क्षेत्र में उन के विचार बहुत उदार हैं। वे प्रगतिशील विचारों के आचार्य थे। अतः उन्होंने वर्णव्यवस्था के उपयोगी स्वरूप को ही स्वीकार किया है। ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में उन का दृष्टिकोण बहुत विशाल था। उन्होंने इस पक्ष की पुष्टि की है कि ज्ञान प्राप्ति का सभी को समान विविकार है। इस धोन्न में वर्णव्यवस्था का प्रतिक्रिया उन्हें अमान्य था। उन का मत है कि ज्ञान एक महान् तीर्थ के समान है, जिस में अवगाहन कर अवसर से अधम प्राणी भी महान् बन सकता है। ज्ञानार्जन में सम्प्रदाय,

धर्म अथवा जाति का विचार धातक है, क्योंकि इन के फेर में पड़कर अनुष्ठय ज्ञान का फल प्राप्त नहीं कर सकता।<sup>१</sup>

आचार्य का स्पष्ट विचार था कि समाज में सभी बणों को यथायोग्य स्थान दिया जाये। इस के साथ ही आचार्य सोमदेव महान् राष्ट्रवादी भी थे। इसी कारण उन्होंने राजा को यह आदेश दिया कि जहाँ तक सम्भव हो वह उच्च पदों पर अपने देश के व्यक्तियों की ही नियुक्ति करे (१०,६)। इस का कारण यही है कि स्वदेशवासी ही राष्ट्रभक्त हो सकता है और विदेशी अधिकारी समय आने पर खोखा भी दे सकता है। सोमदेव आचार की पवित्रता पर बहुत बल देते हैं और उच्च दंश में जन्म लेने मात्र को थेष्टता अथवा पवित्रता का मापदण्ड नहीं मानते। उन का कथन है कि जिस का आचार शुद्ध है, जिस के घर के पात्र निर्भल हैं और जो शरीर की शुद्धि रखने वाला है वह शूद्र भी देव, हिंज और तपस्त्रियों को सेवा का अधिकारी है (७,१२)। इस के साथ ही उन्होंने यह भी एक नया दिया है कि उद्दाचर के नियमों का अल्प करना अपने का समान धर्म है (७,१३)। आगे वे कहते हैं कि सूर्य के दर्शन के समान धर्म सदाचरण है परन्तु विशेष अनुष्ठान में विशेष नियम हैं (७,१४)। अपने आगम में बताया हुआ अनुष्ठान अपना धर्म है (७,१५)। इस का तात्पर्य यही है कि साधारण धर्म के नियम, जैसे धृति, धमा, दया, अस्तेय, शोच, इन्द्रियनियह आदि सभी बणों के लिए समान हैं, किन्तु विशिष्ट धर्म के लिए विशिष्ट नियम हैं। उन्हें वे ही वरण कर सकते हैं जो उस के अधिकारी हैं। प्रत्येक वर्ण की अपने-अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आचार्य कौटिल्य का भी यही मत है। वे लिखते हैं कि प्रत्येक वर्ण को स्वधर्म का पालन करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर दूसरे के धर्म के अनुरूप कार्य करने लगें तो इस से वर्णसंकरता उत्पन्न होकर विश्व में अव्यवस्था फैल जायेगी।<sup>२</sup> इस के लिए वे राजा को भी आदेश देते हैं कि राजा देश में कभी वर्णसंकरता का प्रचार न होने दे। वर्णश्रियमधर्म की अव्यवस्था के अनुसार यदि संसार कार्य करेगा तो वह कभी खिल नहीं होगा, अपितु सर्वदा प्रसन्न रहेगा।<sup>३</sup> आचार्य सोमदेव निर्भकि लेखक थे, इसी कारण उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रत्येक वर्ण के स्वभाव एवं दोषों पर भी पूर्ण प्रकाश डाला है।

१. अश०, अ० ६, २०।

२. कौ० अ० १, ३।

स्वधर्म स्वधानो हि देव चेह च नन्दति ।

३. वही ।

त्वांस्वधर्मभूत्वान्न राजा न व्यभिचारयेत् ।

स्वधर्म स्वधानो हि देव चेह च नन्दति ।

वर्णश्रियमधर्मयदः कृतवल्लभमस्थितिः ।

ऋणा हि रक्षितो लोकः प्रक्षीदति न सीदति ॥

## कौटुम्बिक जीवन की स्थिति

समृद्धि तथा अर्थशास्त्र दोनों में ही कुटुम्ब का समाज की इकाई बताया गया है। व्यक्ति ही समस्त कायों का कर्ता है और गृहस्थ जीवन पर ही समाज का सम्पूर्ण ढंगा आधारित है। अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र दोनों ही वैवाहिक सम्बन्धों को थेष्ट मानते हैं। मानव जीवन के समस्त संस्कारों में पाणिग्रहण संस्कार को बहुत महत्व दिया गया है। आचार्य कौटिल्य का कथन है कि संसार के सारे व्यवहारों का आरम्भ विवाह के बन्तर्गत होता है<sup>१</sup>। आचार्य सोमदेव ने विवाह योग्य कन्या की आयु १२ वर्ष तथा वर की आयु १६ वर्ष बतलायी है ( ३१,१ )। अन्य शास्त्रकारों का भी इस सम्बन्ध में यही विचार है। आचार्य सोमदेव विवाह की परिमाणा इस प्रकार करते हैं— युक्तिपूर्वक वरणविवाह से अच्छि, द्विज, देवताओं की साक्षी के साथ पाणिग्रहण करना विवाह है ( ३१,३ )। आचार्य ने आठ प्रकार के आहुप, आर्ष, प्राजापत्य, दैव, आसुर, गान्धर्व, राक्षस तथा पैशाच-विवाहों का उल्लेख किया है ( ३१,४-१२ )। प्रथम चार प्रकार के विवाह धर्मसम्मत तथा अन्तिम चार प्रकार के विवाह धर्मविशद भाने जाते थे ( ३१,१३ )। आचार्य ने कन्या के शुण-दोषों पर भी प्रकाश डाला है ( ३१,१७ )।

## नारी चरित्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

नारी चरित्र बड़ा गूढ़ है। उसे समझने में बुद्धिमान् पुरुषों की मति भी विचलित हो जाती है। नारी चरित्र के गूढ़ रहस्यों पर लेखक ने अपूर्व प्रकाश डाला है। इस प्रसंग में आचार्य के प्रमुख युवा इस प्रकार हैं—

१. स्त्रियों में विद्वास मरणान्तक होता है ( ६,४७ )।
२. स्त्री के वृश्च में पड़ा हुआ पुरुष नदी के वैग में पड़े हुए यूक के समान चिरकाल तक प्रसन्न नहीं रहता ( २४,४१ )
३. कलंत्र को चनूष्य के लिए बिना बेड़ियों के भी बन्धन कहा गया है ( २७,१ )।
४. जो स्त्री अंगों का आर्क्यण करती है तथा घन के कारण प्रणय करती है वह कुतिसत भार्या है ( २७,७ )।
५. वह सुखी है जिस के एक स्त्री है ( २७,३९ )।<sup>२</sup>

## वेश्याओं की प्रकृति तथा उन से सावधान रहने के निर्देश

प्रत्येक लेखक की रचना पर देश और काल की परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। शृण्यकार के समय में इस देश में मणिकारों का भी समाज में एक

१. कौ० अर्थ०, ३, २।

२. वही, ३७।

विशिष्ट स्थान या। वेश्या सेवन के द्वीपों से तथा उत के प्रति व्यवहार सम्बन्धित चूस पर लेखक ने अच्छा प्रकाश ढाला है। इस सम्बन्ध में नीतिवाक्यामृत के निम्नलिखित वाक्य उद्धृत किये जा सकते हैं—

१. वेश्या का स्त्री के रूप में रहना, मौड़ का सेवक होना, शुक्र प्रहृण करना तथा नियोगी मित्र ये चार वस्तुएँ अस्तिर हैं ( २८, ३९ )।

२. वेश्याएँ धन का अनुभव करती हैं व्यक्ति का नहीं ( २४, ४७ )।

३. वेश्याओं की आयक्ति प्राप्ति धन को नष्ट करने वाली होती है ( २४, ४६ )।

४. धनहीन कामदेव में भी वेश्याएँ प्रीति नहीं मानतीं ( २४, ४८ )।

५. वह पशुओं का भी पशु है जो अपने धन से वेश्याओं की धनवती बनाता है ( २४, ५० )।

६. चित्त विश्रान्ति पर्यन्त वेश्यागमन उचित है सर्वदा नहीं ( २४, ५२ )।

७. सुरक्षित वेश्या भी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ती ( २४, ५२ )।

### स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का उल्लेख

नीतिवाक्यामृत में स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का भी वर्णन किया गया है। इस प्रसंग के कुछ उपयोगी सूत्रों का आवश्यक निम्नलिखित है—

१. नित्य दृन्तव्यावन न करने वाले को मुखशुद्धि नहीं है ( २५, ७ )।

२. वेग, व्यायाम, शयन, स्नान, भोजन और स्वच्छन्दवृत्ति ( विहार ) को काल से अतिक्रमित न करे ( २५, १० )।

३. घम, स्वेद, आलस्य का द्वार होना स्नान का फल है ( २५, २५ )।

४. भूखा और प्यासा व्यक्ति कभी तैलमर्दन न करे ( २५, २७ )।

५. धूप से सन्तप्त पुरुष को जल में स्नान करना दृष्टि की मन्दता और शिरोव्यथा को उत्पन्न करना है ( २५, २८ )।

६. भूख का समय ही भोजन का समय है ( २५, २९ )।

७. भूख के समय के अतिक्रम से अप्ने में अरुचि और देह की क्षीणता हो जाती है ( २५, २६ )।

८. मिठाहारी ही बद्रुत खाता है ( २५, ३८ )।

९. निरन्तर सेवन की हुई दो ही वस्तुएँ सुखदाई होती है—रारस सुन्दर आलाप और ताम्रूल ( २५, ६० )।

१०. अत्यन्त खेद करने से पुरुष अकाल में ही बृह्म हो जाता है ( २५, ६३ )।

### ऐतिहासिक एवं पौराणिक तथ्यों का समावेश

ऐतिहासिक दृष्टान्तों एवं पौराणिक आल्यानों का भी ग्रन्थ में यथ-तथ उल्लेख हुआ है। जैसे यवनदेश ( यूनान ) में मणिकुण्डला राजा ने अपने पुत्र के राज्य के लिए सोमदेवसूरि और उन का नीतिवाक्यामृत

विष दूषित शराब के कुरके से अजगजा को, सूरसेम ( मयूर ) में वसन्तमति से विष के आलेप से रंगी हुए अधरों से सुरतविलास नामक राजा को, दशार्ण में वृकोदरी ने विषलिप्त करवनी से मदनार्णव राजा को, मराठा देश में महिराखी ने तीखे दर्पण से मन्मह विशोद को, पाण्डप देश में चण्डरसा राजा ने केशविन्यास में छिपी हुई कृपाण से मुण्डोर नामक राजा को मार डाला ( २५, ३५-३६ ) । यस्तिलक में बहुत से पौराणिक आख्यानों का वर्णन मिलता है । इन प्रसंगों से सोमदेव के विस्तृत एवं व्यापक ज्ञान को भीको मिलती है । नीतिवाक्यामूलमें ग्राचीन राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है । किन्तु उन की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है ।

## जीवनोपयोगी सूक्ष्मियों का सागर

जिस प्रकार अमृत का एक-एक बिन्दु भास्त्र को जीवित रखने में समर्थ है उसी प्रकार नीतिवाक्यामूल का भी प्रत्येक सबं जीवन के लिए महोपयोगी है । यह एव्य नीतिप्रद सूक्ष्मियों का आगार है । ग्रन्थ के कुछ अतीव उपयोगी सूत्र यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

१. अजितेन्द्रिय को किसी भी रूप में सिद्ध करने होती ( ३, ४ ) ।
२. उस अमृत को त्याग दो जहाँ विष का संसर्ग हो ( ५, ४२ ) ।
३. जिस पाप के करने पर महान् घर्ग को प्राप्ति हो वह पाप भी पाप नहीं है ( ६, ४३ ) ।

४. प्रिय बोलने वाला मयूर के समान शत्रु रूप सपों को नष्ट कर देता है ( १०, १३९ ) ।

५. असत्यवादी के समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं ( १७, ६ ) ।

६. शणिक चित्त वाला कुछ भी सिद्ध नहीं करता ( १०, १४२ ) ।

७. पुरुष, पुरुष का दास नहीं अपितु घन का दास है ( १७, ५४ ) ।

इस प्रकार के अनेक नीतिप्रद वाक्य इस ग्रन्थ में व्याप्त हैं, जो मानव जीवन को सफल एवं समुच्छ्रुत बनाने के लिए बहुत उपयोगी तथा अमृतनुल्य हैं । )

(उपर्युक्त विवरण से नीतिवाक्यामूल का महत्व स्पष्ट हो जाता है । इस ग्रन्थ के महत्व की शब्दों में वर्णन करता कठिन है । इस की जितनी भी प्रशंसा को जाये वह थोड़ी है । ग्रन्थ के अबलोकन से फाठंक को राजसीति शास्त्र से सम्बन्धित प्रत्येक बात का पूर्ण एवं सारभित ज्ञान प्राप्त हो जाता है । मानव समाज को मर्यादित रखने वाले राज्यशासन एवं उसे पल्लवित, संवित एवं सुरक्षित रखनेवाले राजनीतिक तत्त्वों का प्रस्तुत ग्रन्थ में मतोवैज्ञानिक रूप से विव्लेषण हुआ है । मानव जीवन को समुच्छ्रुत बनाने वाले एवं उस का वथ प्रदर्शन करने वाले समस्त विषयों की वर्ती इस महत्वपूर्ण

१. वर्जन आ० ४, पृ० १३८-१३९ ।

ग्रन्थ में की गयी है। विजिमीषु जिजासु के लिए इस में विस्तृत ज्ञान का भण्डार है। इस के अध्ययन से कोई भी राजनीति का जिजासु पूर्ण प्रकाश प्राप्त कर सकता है। यह ग्रन्थ वास्तव में राजनीति के संचित ज्ञान की अपूर्व निधि है। कोई भी राजा इस निधि को प्राप्त कर के अपने को कृतकृत्य कर सकता है। राजनीति के लेख में वस्तुतः नीति-वास्तवामूल का महत्वपूर्ण स्थान है।

### सोमदेवसूरि की बहुज्ञता

सोमदेवसूरि की विद्वता में किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता। वास्तव में वे उद्भट विद्वान् थे और उन का ज्ञान बहुमुखी था। वे विविध विषयों के ज्ञाता थे। आचार्य सोमदेव बहुज्ञ धर्मशास्त्री, महाकवि, दार्शनिक, तर्कशास्त्री एवं अपूर्व राजनीतिज्ञ देव; यशस्विराज्यम् चम्पु एवं चौर्विवरण्यम्। वे उन्नीकन से उन के विशाल अध्ययन एवं विविध वास्त्रों के ज्ञाता होने के प्रमाण मिलते हैं। उन की अलौकिक प्रतिभा याठकों को चमत्कृत कर देती है। सोमदेवसूरि कृत साहित्य के अध्ययन से इन का धर्मचार्य होना निश्चित होता है। जैन धर्म में स्वामी समन्तभद्र का 'रत्नकरण्ड' आवकों का एक श्रेष्ठ बाचार शास्त्र है। उस के पदचार्त सोमदेवसूरि ने हो स्वाधीनता, मार्मिकता और उत्तमता के साथ यशस्तिलक के अन्तिम दो आवकों में आवकों के आचार का निरूपण किया है। ऐसा विस्तृत विवेचन अभी तक किसी भी अन्य जैन आचार्य ने नहीं किया है। इस सम्बन्ध में यशस्तिलक का उपासकाध्यक्षम अवलोकनीय है। उस से बिदित होता है कि धर्मशास्त्रों में भी शीलिकता और प्रतिभा के लिए विस्तृत लेख है। सोमदेव को 'बकलंकदेव', 'हंस सिद्धान्त देव', और पूज्यपाद जैनेन्द्र ध्याकरण के रचयिता देवतन्दी के समान ही प्रतिष्ठित माना गया है।

धर्मचार्य होने के कारण उन में उदारता का महान् गुण भी दृष्टिगोचर होता है। वे धार्मिक, लौकिक, दार्शनिक सभी प्रकार के साहित्य के अध्ययन के लिए सब को समाम अधिकारी मानते हैं। उन के विचार में गंगा आदि तीर्थों के मार्ग पर जिस प्रकार ग्राहण से लेकर चाण्डाल तक सभी जल सकते हैं। उसी प्रकार शास्त्रों के अध्ययन में भी सब का समान अधिकार है।<sup>१</sup> जैनेतर विद्वानों का भी वे आदर करते हैं। यह सत्य है कि उन की एवतः जैन सिद्धान्तों में अचल आस्था है और इसी कारण उन्होंने यशस्तिलक में अन्य सिद्धान्तों का खण्डन और जैन सिद्धान्तों का मण्डन किया है। किर भी

१. नीतिवाच, प्रशस्ति, ४४ ४०६।

राक्तलुम्बयतके नाकलद्वाराऽसि वादी,

न भषसि सप्तदीलीं हरसिराद्वान्देवः।

न च वचनविलासे पूड्यगारोऽसि तच्च,

वदसि क्वचिभिरभीं सोमदेवेन सार्थेऽ।५।

२. यशो १, १०

लोको गृहिः कलाशन्दो उद्घाराः स्यायाग्रामः।

स्वर्वरावरणाः सहिभस्तीर्थगार्ग श्य शृगः।

वं शनमार्ग को संकीर्ण नहीं बताते। उन को तो स्पष्ट घोषणा है कि जिस का वचन मुक्तिसंग्रह है उसी को स्वीकार करना चाहिए।

सोमदेव का महाकवित्व उन के सभ्य यशस्तिलक चम्पू में प्रकट हुआ है। चम्पू काव्य गद्य-पद्यमय होता है। गद्यकाव्य कवियों की कसोटी है। गद्य रचना में लालित्य और माधुर्य लाने के लिए महान् कौशल अपेक्षित है। चमत्कृत गद्य लिखना कुशल एवं महान् विद्वानों का ही कार्य है। चम्पू महाकाव्य की रचना वही सिद्ध करि कर सकते हैं जिन का गद्य तथा पद्य रचना में समान अधिकार है। यशस्तिलक चम्पू महाकाव्य सोमदेवसूरि के महाकवि होने का प्रत्यय प्राप्तय है। यह महाकाव्य संस्कृत भाष्य की अद्यमुत रचना है। कवित्व के साथ उस में ज्ञान की भी अपूर्व मण्डार है। जहाँ इस काव्य में उनके वैचित्र्य से पूर्ण सुमाधितों का आगार है वहाँ बाण और दण्डी रचित दशकुमारतचरित की कोटि का गद्य भी है। इस सभ्य की प्रशंसा में यशस्त्र आचार्य सोमदेव ने कुछ लोक भी लिखे हैं जिन में उन्होंने अपने काव्य की विशेषता एवं अपूर्वता पर प्रकाश ढाला है। उन्होंने अपने चम्पू महाकाव्य की तीन विशेषताएँ बतायी है—  
(१) सौलिकता, (२) अनुपमेयता एवं (३) दृश्यमण्डन। आगे वे लिखते हैं कि लोक-व्यवहार एवं कवित्व में दक्षता प्राप्त करने के लिए सज्जनों को सोमदेव कवि को सूक्तियों का अस्थास करना चाहिए।<sup>१</sup> इन उन्नियों से सोमदेव की कवित्व शक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है तथा उन के महाकाव्य यशस्तिलक के महत्व का भी पता चलता है। यशस्तिलक शब्दलघूपी रत्नों का विज्ञानकोष है। और इस काव्य के पढ़ने के उपरान्त फिर कोई संस्कृत साहित्य का शब्द शेष नहीं रह जाता। इस के अतिरिक्त इस महाकाव्य में व्यवहार कुशलता का भी महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। महाकवि सोमदेव के उत्तम कविता से प्रभावित होकर विद्वजन इन को 'बावकललोल-पयोनिषि' 'कविराज-कुंजर' और 'गद्य-पद्य विद्याषरचक्रवर्ती' आदि नामों से सम्बोधित करते हैं।

सोमदेवसूरि तर्कणास्त्र के भी पारंगत विद्वान् थे। उन के महाकाव्य यशस्तिलक चम्पू में उन का अपने प्रसंग में एक वाक्य इस प्रकार है—“जो मुझ से स्फर्धा करता है उस के गर्वलघूपी पर्वत को विष्वंसु करने के लिए वज्र के समान मेरे वचन कालस्वरूप हो जाते हैं<sup>२</sup>। आघार्य की यह प्रीढ़ीकि उन के पाण्डित्य के अनुरूप

१. यदा०, १, १४।

असहायमनादर्श रत्नं रत्नाकरदिव।

मत्तः काव्यमिदं जस्तं सती हृदयमण्डनम्।

२. वही, ३, ६३।

लोकवित्त्वे कवित्वे वा यदि चातुर्थचक्रवतः।

सोमदेवकवेः सूक्तोः सम्भवस्य न्तु साधनः।

३. वही, प्रशस्ति

यः स्पर्धेत तथापि दर्पद्रुताप्रैक्षिप्ताङ्गाङ्गाह—  
स्तल्याखर्वि तथापि पर्वतपविर्मद्रुताकृतान्तार्थस्ते।

हो है। इस के अतिरिक्त उन के प्रभुर तर्कशास्त्र के पाण्डित्य को प्रकट करने वाले अन्य एलोक भी हैं। आत्माभिमान को प्रकट करने वाला एक एलोक है जिस में वे स्वयं की दपालिध गजों के लिए सिंह के समान नाम करने ललकारने वाला और वादिगजों के दलित करने वाला मानते हैं। सोमदेवसूरि के शास्त्रार्थ करते समय बागीश्वर या दाचस्पति बृहस्पति भी नहीं ठहर सकते।<sup>१</sup>

सोमदेव के बल एक शुष्क ताकिक ही नहीं थे, अपिनु साहित्य मर्मश, बहुद्य हृदयाङ्गादक रसविद्येषज्ज भी थे। तर्क का विषय शुष्क व काव्य का विषय सरस होता है, फिर भी काव्य के रचयिता होने पर भी इन के जीवन का बहुत कुछ समय तर्कशास्त्र के स्वाध्याय और मनन में ही व्यतीत हुआ। तर्कशास्त्र के उद्भट वैद्युत के कारण ही उन्हें स्थानादाचलसिंह, बादोभपंचनन और ताकिकधक्कवती आदि विदेषपूर्ण से अलंकृत किया गया है। सोमदेव व्याकरण, काव्य, धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र के भी पारंगत विद्वान् थे। इस प्रकार हम सोमदेवसूरि को महाकवि, धर्माचार्य, ताकिक तथा राजनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं।

*(नीतिवाक्यामृत के तिर्माता सोमदेवसूरि का अध्ययन बहुत विशाल था। वे राहित्य, न्याय, व्याकरण, काव्यशास्त्र, दर्शनशास्त्र आदि सभी विद्यों के प्रधाण पण्डित थे। जैन साहित्य के पूर्ण परिचय के साथ वे जैनेतर साहित्य से भी पूर्णतया परिचित थे। ग्राचीन काल के सभी महाकवियों में उन्होंने जैनधर्म के सिद्धान्तों की ज्ञलक देखी और उन महाकवियों के काव्यों में नग्नक्षणक और दिग्म्बर राघुओं का उल्लेख पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इन सभी कवियों के साहित्य में पूर्णतया परिचित थे। इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में उन का विस्मयजनक, विस्तृत एवं विश्वाल अध्ययन था। व्याकरण के विषय में भी उन्होंने पाणिनि व्याकरण के अतिरिक्त ऐन्द्रव्याकरण, चान्द्रव्याकरण, जैनेन्द्रव्याकरण और आपिश्वलव्याकरण का भी अध्ययन किया था।)*

वे नीतिशास्त्र प्रणेताओं में बृहस्पति, शुक्राचार्य, विशालक्ष, परीक्षित, पराशर, भीम, पीष्म और भारद्वाज आदि का कई स्थानों पर स्मरण करते हैं।<sup>२</sup> कौटिलीय अर्थशास्त्र से तो वे पूर्णतया परिचित थे ही ( ३,१; १०,४; १३,१४ )। गजविद्या, अश्वविद्या, रत्नपरोक्षा, कामशास्त्र आदि विद्याओं तथा उन के आचार्यों का भी उन्होंने

१. मङ्ग०, छश्चित

दयनिधिमोद्युमिलन्धुरसिंहनादे,  
नाविद्रिपोद्युननगुर्मरबानिवादे।

शोसोमदेवसूरिनेवचनारस्तो,

वार्णीश्वरोऽपि शुरतोऽस्ति ग वाहकाले।

२. खश, आ० १, पृ० ६७।

३. वही, आ० २, पृ० २३।

कहीं स्थानों पर उल्लेख किया है।<sup>१</sup> दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने सैद्धान्त वैदोषिक, तोकिकवैशेषिक, पाशुपत, कुलाचार्य, सांश्य, ब्रह्मलक्षणसन, जैमिनीय, बाह्यस्पत्य, वेदान्त-बादि, कणाद, तथागत, कापिल, ब्रह्मद्वितयादि आदि दर्शनिक सिद्धान्तों का अध्ययन किया था। इन के अतिरिक्त सोमदेव के साहित्य में मत्संग, भृगु, भर्ग, भरत, गौतम, गर्ग, विग्रह, पुलहु, पुलोम, पुलस्ति, पराशर, भरीचि, विरोचन, धूमध्वज, नीलपट, शहिल आदि प्रसिद्ध एवं अप्रसिद्ध आचार्यों के नामों का उल्लेख मिलता है।<sup>२</sup> उन के ऐतिहासिक दृष्टान्त बड़े संखीय हैं और इस के साथ ही पौराणिक आख्यानों का भी यत्न-तत्त्व उल्लेख मिलता है।<sup>३</sup>

इन सब कानूनों वर दिक्षार दरते के उत्तरान्त हैं। इन नियमों पर गहुँकरे हैं कि आचार्य सोमदेव का ज्ञान विशाल स्वाध्याय के आधार पर अत्यन्त विस्तृत था। राजनीति के क्षेत्र में भी उन का अपूर्व स्थान है। वे केवल लक्ष्य सत्य के रचयिता ही नहीं थे, अपितु उन्होंने अपनी राजनीति का एक प्रयोगात्मक ग्रन्थ भी लिखा है। नीतिवाक्यामूल यदि नीति का लक्ष्य ग्रन्थ है तो यसस्तिलक उन की राजनीति के प्रयोग का ध्यावहारिक ग्रन्थ है। यशोधर महाराज के चरित्र-चित्रण में राजनीति का प्रयोगात्मक विस्तृत विवेचन सोमदेवसूरि को राजनीति के आचार्यत्व की प्रतिष्ठा प्राप्त करने में पूर्ण समर्थ है इस विषय में यसस्तिलक का तृतीय आश्वास अवलोकनीय है।

१. यश०, आ० ४, पृ० २३६-३७।

२. वही, आ० ५, पृ० २३८-३७।

३. वही, आ० ५, पृ० २४८-२५८ एवं २६६।

## राज्य

### राज्य की प्रकृति

कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा कामन्दक के नीतिसार में राज्य को परिभाषा उपलब्ध नहीं होती। इन में राज्य के अंगों अथवा प्रकृतियों का वर्णन तो है, किन्तु राज्य की परिभाषा नहीं है। आचार्य सोमदेवसूरि ने राज्यांगों के वर्णन के साथ ही राज्य की परिभाषा भी दी है। एक स्थान पर वह लिखते हैं कि राजा का पृथ्वी की रक्षा के योग्य कर्म राज्य है (५, ४)। इसी प्रकार आगे उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण, शत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रमी ( ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास अथवा यति ) से युक्त तथा वान्य, सुवर्ण, पशु, तंबिं, लोहा आदि धातुओं को प्रचुर मात्रा में प्रदान करने वाली पृथ्वी को राज्य कहते हैं ( ५, ५ ) ।

आचार्य सोमदेव ने उपर्युक्त परिभाषाओं में सूदम रूप से राज्य के विशाल स्वरूप का समावेश किया है। इन के विश्लेषण से उस स्वरूप का परिचय होता ।

प्रथम परिभाषा में मूल्य रूप से राज्य के तीन तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं— ( १ ) राजा, ( २ ) पृथ्वी तथा ( ३ ) पृथ्वी की रक्षा के योग्य कर्म। उपर्युक्त तत्त्व के अनुसार राज्य का मूल तत्त्व पृथ्वी है। परन्तु यह पृथ्वी ऐसी होनी चाहिए जो उपजाक हो, धनधान्य से पूर्ण हो और जिस में ब्राह्मण, शत्रिय, वैश्य, शूद्र और यति आदि निवास करते हों। छठसर तथा मनुष्य विहीन पृथ्वी को राज्य नहीं कहा जा सकता। द्वितीय परिभाषा में राज्य के दो प्रमुख तत्त्व विद्यमान हैं। एक पृथ्वी अथवा भूमार और दूसरा उस पर निवास करने वाली जनता ।

इस परिभाषा के सामने आते ही यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पृथ्वी की रक्षा के योग्य कौन से कर्म हैं और उन्हें कौन कर सकता है। यह निविषाद है कि पृथ्वी की रक्षा सैन्य और कोष की शक्ति पर ही निर्भर है। अतः पृथ्वी की रक्षा के हेतु शूर-वीर एवं देशभक्त सैनिकों का संगठन करता राजा का परम कर्तव्य है। सेना को वेतन आदि से सन्तुष्ट रखने और उसे अस्त्र-शस्त्रादि से सुरक्षित करने के लिए कोष की आवश्यकता होती है। सेना ही नहीं, अपितु समग्र शासन-भूत्र का संचालन पूर्णतया कोष पर ही निर्भर है। इस कारण देश की रक्षा और समृद्धि के लिए कोष की आवश्यकता होती है। अतः राजा का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उसम कृषि-वार्ता तथा अन्य उचित उपायों द्वारा समृद्धिशाली कोष का निर्माण करे। आचार्य सोमदेव

ने कोश की परिभाषा इन वाक्यों में कही है—“जो रोपा, खेला, हुए, जवाहरात् तथा अन्य बहुमूल्य रत्नों से परिपूर्ण हो और राज्य पर आने वाले किसी भी संकट का दोषकाल तक सामना करने में समर्थ हो वह कोश है (२१, १) ।” आगे आचार्य लिखते हैं कि कोश, दण्ड और बल (सेना) राजा की शक्ति है (२१, ३८) । बतः पृथ्वी की रक्षार्थ इन की उचित व्यवस्था करना भी राजा का परम कर्तव्य है । राजा अकेला हन कायों का सम्पादन नहीं कर सकता । इसलिए वह अपनी सहायतार्थ अमात्यों एवं अन्य राजकर्मचारियों की नियुक्ति करता है । सुधोरण अन्तियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करना भी राजा का एक कर्तव्य है । राज्य की सुरक्षा के लिए उस के चारों ओर सुदृढ़ दुग्धों का निर्माण करना भी राजा का कर्तव्य है । इन कायों के अतिरिक्त राजा द्वारा वाहगुण्य के यथोचित प्रयोग से भी राज्य की रक्षा होती है । वाहगुण्य (सुन्धि, विश्रह, धान, आसन, संश्रय और हैवीभाव) द्वारा वह शत्रुराज्यों का हनन तथा अन्य राज्यों से संतीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता है, जिस से राज्य की सुरक्षा सुदृढ़ होती है । वह सम्पूर्ण कार्य ऐसे राजा द्वारा ही सम्पन्न हो सकते हैं जो स्वतन्त्र हो और अपने राज्य में संप्रभु हो तथा जिस की आज्ञा का पालन उस राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति पूर्णरूपेण करते हों । ऐसा राजा ही स्वतन्त्र राज्यों से मैत्री स्थापित करने में सक्त हो सकता है ।

राज्य की द्वितीय परिभाषा में आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि वर्णशिम, धान्य, सुवर्ण, पशु, तांबा, लोहा आदि शातुओं से युक्त पृथ्वी को राज्य कहते हैं (५, ५) । आचार्य द्वारा दी गयी राज्य की यह परिभाषा भी बड़ी सारणभित है । इस में राज्य के मूल तत्त्व जनता (जनसंख्या) पर विशेष बल दिया गया है । राज्य के लिए जनसंख्या का होना जितान्त आवश्यक है । पशु शाधवा पश्चियों के समूह से किसी राज्य की स्थापना नहीं हो सकती । उस के लिए मनुष्यों के सुसंगठित समुदाय का होना आवश्यक है । राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस क्षिय में विद्वानों में भत्तभेद है । किन्तु वह बात विश्वित है कि राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी और उस में जितने अधिक प्राकृतिक साधन होंगे वह राज्य उतना ही शक्तिशाली होगा ।

आचार्य सोमदेवसूरि ने राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए इस और कोई संकेत नहीं किया है । किन्तु उन्होंने राज्य के लिए जनता का होना परम आवश्यक बतलाया है । उन्होंने उस जनसमुदाय को वर्णशिम से युक्त होने की आवश्यकता पर बल दिया है । इस प्रकार सोमदेव ने कर्तव्यनिष्ठ समाज की ओर संकेत किया है ।

इस के अतिरिक्त उन्होंने राज्य के लिए प्राकृतिक साधनों का उपलब्ध होना भी आवश्यक बतलाया है । इन साधनों के अभाव में कोई भी राज्य स्थायी नहीं हो सकता । स्थायित्व का होना राज्य का प्रमुख लक्षण है, किन्तु धान्य-सुवर्ण एवं अन्य

यातुओं के अभाव में लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। इस के साथ ही राज्य का संचालन भी असम्भव ही होगा। कोश ही राज्य का प्राण है और उस के अभाव में कोई भी राज्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। प्राकृतिक साधनों तथा जनता पर लमाये गये कर से ही कोश संचित होता है।

इस प्रकार आचार्य सोमदेव द्वारा प्रस्तुत राज्य की द्वितीय परिभाषा भी बड़ी वैज्ञानिक एवं उपयोगी है।

इस प्रकार आचार्य सोमदेवसूरि द्वारा वर्णित राज्य की परिभाषाओं में उन सब तत्त्वों का समावेश है जो प्राचीन परम्परा द्वारा सर्वमान्य हैं। भूमि, जनसंख्या, राजा, मनुष्यों द्वारा वसी हुई पृथ्वी ( जनपद ) तथा उसकी रक्षा के लिए किये जाने वाले कार्य—अमात्य, कोश, बल ( सेना ), दुर्ग तथा मिश्र आदि की व्यवस्था।

## राज्य के तत्त्व

आधुनिक राज्यशास्त्रवेदाओं ने राज्य के बार मूल तत्त्व बतलाये हैं। गेटेल के अनुसार जनसंख्या, भूभाग, सरकार अथवा शासन और सार्वभौमिकता राज्य के प्रमुख तत्त्व हैं।<sup>१</sup> राज्य का निर्माण तभी हो सकता है जब ये सभी तत्त्व विद्यमान हों। इन में से किसी एक तत्त्व के अभाव में राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। गार्नर की परिभाषा में भी उपर्युक्त चार तत्त्व परिलक्षित होते हैं।<sup>२</sup> किन्तु प्राचीन राज्यशास्त्र प्रणेताओं ने एकमत से राज्य को सात प्रकृतियाँ अथवा बंग माने हैं। इन्हीं तत्त्वों से मिल कर राज्यका स्वरूप निर्मित होता है। ये तत्त्व स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोश, दण्ड और सुहृद हैं। आचार्य सोमदेव द्वारा प्रस्तुत राज्य की परिभाषा में इन समस्त तत्त्वों का पूर्ण समावेश है। आधुनिक विचारकों द्वारा प्रतिवादित राज्य के बारों तत्त्वों का भारतीय विचारकों द्वारा वर्णित राज्य के बंगों में पूर्ण समावेश हो जाता है। बास्तव में भारतीय राज्यशास्त्रियों द्वारा दी गयी राज्य की परिभाषा अधिक स्पष्ट एवं पूर्ण है। आधुनिक विद्वानों द्वारा वर्णित तत्त्वों में से जनसंख्या तथा भूभाग का समावेश जनपद शब्द में हो जाता है। जनपद शब्द न केवल भूभाग को प्रकट करता है बरन् उस पर निवास करने वाली जनसंख्या को भी ( १९,५ )। अतः एक निरिष्ट भूभाग पर वसी हुई जनसंख्या को भी जनपद कहते हैं। स्वामी अथवा राजा के अन्तर्गत सार्वभौमिकता का समावेश है, ज्योंकि जिस भूभाग का वह स्वामी है वह उस में सार्वभीम है। बाह्य अथवा आन्तरिक नियन्त्रण से वह परे हैं। गेटेल को परिभाषा के

<sup>१</sup>. R. G. Gettell—Political Science, P. 20.

A state, therefore, may be defined as a community of persons, permanently occupying a definite territory, legally independent of external control, and possessing an organized Government which creates and administers law over all persons and groups within its jurisdiction.

<sup>२</sup>. J. W. Garner—Introduction to Political Science, P. 41.

अनुसार शासन अधिकार सरकार राज्य का चौथा अंग है, जिस का समावेश स्थानी एवं अमात्य में हो जाता है। सरकार से ऐसे संगठन का बोध होता है जिस में कुछ लोग शासन करते हैं और अन्य उन की आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह विचार भारतीय परिभाषा में सुल्पष्ट है। राजा और अमात्य सरकार का निर्माण करते हैं और जनपद उन की आज्ञा का पालन करता है। राज्य की परिभाषा में शासन घट्ट के बल शासक और शासित में भेद ही नहीं बतलाता अपितु उन साधनों की ओर भी संकेत करता है जिन के द्वारा लासह शाखों पर शमना प्राप्तित्व रखता है। शासन द्वारा शासक और शासित में भेद ही नहीं बतलाता अपितु उन उपायों का भी उत्तेज करना आवश्यक है, जिन के द्वारा राज्य अपनो इच्छा को कार्यान्वित करता है। वे उपाय हैं—कोश, दुर्ग, और बल। यदि किसी कारण से जनदा राजा की आज्ञा का उल्लंघन करती है तो वह उन साधनों द्वारा अपनो आज्ञा को पूर्ण करा सकता है। अतः दुर्ग, शमना और कोश राजा की इच्छा को कार्यान्वित करने के साधन हैं और वे राज्य के आवश्यक अंग हैं। भारतीय परिभाषा के अनुसार राज्य का अन्तिम अंग मित्र अधिकार सुहृद है। भारतीय मनोविदों ने मित्र को राज्य का आवश्यक अंग इसलिए माना है कि उपर्युक्त मित्रों की सहायता पर ही राज्य का अस्तित्व निर्भर है। प्राचीन काल में प्रत्येक राज्य की सुरक्षा शक्तिसंतुलन से ही सम्भव थी। शक्तिसंतुलन से तात्पर्य यह है कि राज्य इस प्रकार अपने मैत्रोंपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करे कि शक्तिशाली राज्य को उस पर आक्रमण करने का साहस ही न हो। अतः राज्य की सुरक्षा के हित में मित्र की अत्यन्त आवश्यकता थी। इसलिए आवायों ने उस को भी राज्य का एक आवश्यक अंग माना है।

भारतीय विचारकों और विशेषकर सोमदेवसूरि द्वारा राज्य की जी परिभाषा दी गयी है, उस से राज्य का स्वरूप भली-भांति प्रकट हो जाता है। गेटेल तथा अन्य आधुनिक विद्वानों ने राज्य की जो परिभाषाएँ दी हैं वे अपूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने राज्य के जो चार तत्त्व बतलाये हैं, उन में जनसंस्था और भूभाग तो राज्य के तत्त्व कहे जा सकते हैं किन्तु सार्वभौमिकता और शासन को उस के तत्त्वों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। क्योंकि वे राज्य की विशेषताएँ हैं न कि तत्त्व। वे राज्य की परिभाषा के लिए भले ही उपर्युक्त हों, परन्तु वे उस के स्वभाव एवं गठन को यथोचित रूप से प्रकट नहीं करते। आवार्य सोमदेव द्वारा दी गयी राज्य की परिभाषा सुस्पष्ट एवं पूर्ण है।

### राज्य की उत्पत्ति

राजनीतिशास्त्र के पाश्चात्य विद्वानों ने राज्य को उत्पत्ति के चार प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख किया है ( १ ) देवी सिद्धान्त, ( २ ) शक्ति सिद्धान्त, ( ३ ) सामाजिक अनुबन्ध का सिद्धान्त तथा ( ४ ) ऐतिहासिक अधिकार विकासबादी सिद्धान्त।

नीतिवाक्यामूल में राजनीति

इन में से प्रथम तीन सिद्धान्तों को आमक और मिष्या माना जाता है तथा चौथा सिद्धान्त राज्य को उत्पत्ति का कास्तविक सिद्धान्त कहा जाता है। भारतीय किचारकों ने राज्य को उत्पत्ति के विषय में विवेचन नहीं किया है, अपितु वे राजा की उत्पत्ति के विषय में ही वर्णन करते हैं। इस का कारण यह है कि राज्य की उत्पत्ति तभी होती है जब शासक और शासित दो वर्ग बन जाते हैं। अतः प्राचीन भारतीय राजशास्त्र प्रणेताओं ने राजा की उत्पत्ति के विषय में वर्णन किया है।

प्राचीन काल में न कोई राजा था और न राज्य।<sup>१</sup> प्राकृतिक युग की घासिक स्थिति कालान्तर में अराजक दशा में परिणत हो गयी जिस का अस्त करने के लिए राजा की सृष्टि हुई।<sup>२</sup> तीनों ग्रन्थों में शास्त्रान्वयन ग्रन्थ के लिए सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। प्रथम देवी सिद्धान्त, जिस के अनुसार राजा की सृष्टि ईश्वर द्वारा बतायी जाती है। महाभारत तथा अन्य स्मृति ग्रन्थों में यह सिद्धान्त पाया जाता है। द्वितीय, सामाजिक अनुबन्ध का विद्वान्त है विद का वर्णन बौद्ध ग्रन्थों<sup>३</sup> तथा अर्थशास्त्र<sup>४</sup> में मिलता है। जिस के अनुसार राजा की उत्पत्ति प्रजा के पारस्परिक समसैते के परिणाम स्वरूप बतलायी जाती है। तृतीय सिद्धान्त वैदिक सिद्धान्त है जो यह मानता है कि राजा की उत्पत्ति युद्ध में नेता को आवश्यकता के परिणाम स्वरूप हुई।<sup>५</sup> इन सिद्धान्तों का वर्णन अगले अध्याय में किया जायेगा।

### राज्य के अंग

समस्त प्राचीन राजशास्त्र प्रणेताओं ने यह स्वीकार किया है कि राज्य सात अंगों (अंगों) से मिलकर बना है। इसी कारण प्राचीन राजनीति प्रबान्न ग्रन्थों में उसे सप्तांगराज्य के नाम से सम्बोधित किया गया है। यद्यपि नीतिवाक्यामूल में राज्य के इन सातों ही अंगों का विशद विवेचन हुआ है किन्तु उस में सप्तांग शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। राज्य के सात अंग—स्वामी, अमात्य, जनपद (राष्ट्र), दुर्ग (पुर), कोश, दण्ड (बल) तथा मित्र (सुहृद) हैं। समस्त अर्थशास्त्रों एवं अर्थशास्त्रों में राज्य के इन्हीं सात अंगों का वर्णन मिलता है। महाभारत के शान्तिपर्व में राज्य के सप्तांग स्वरूप को इस प्रकार व्यक्त किया गया है—आत्मा, अमात्य, कोश, दण्ड, मित्र, जनपद तथा पुर सप्तांग राज्य के अंग हैं।<sup>६</sup> इस में राजा को राज्य की आत्मा माना गया है और इसी कारण राजा के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। मनुस्मृति में भी सप्तांग राज्य का वर्णन मिलता है। उस के अनुसार स्वामी, अमात्य, पुर राष्ट्र,

१. महारो शास्त्रित० ५६, १५।

२. नहीं, २८, ६०-६१०।

३. दीपनिकाय, भा० ३, पृ० ८४-८५।

४. कौ० अर्थ० १, १३।

५. ऐ० आ० १, १४।

६. महारो शास्त्रित० ५६, ६३-६५।

कोश, दण्ड तथा बल राज्य के सात अंग हैं।<sup>१</sup> आचार्म कौटिल्य तथा विष्णुधर्मसूत्र में राज्य के अंगों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य के अनुसार स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड और मित्र राज्य की प्रकृतियाँ हैं।<sup>२</sup> विष्णुधर्मसूत्र में जनपद के स्थान पर राष्ट्र शब्द आया है।<sup>३</sup> याज्ञवल्क्य में भी कौटिल्य के समान ही सात अंग बताये गये हैं।<sup>४</sup> वारद समृद्धि में कहा गया है कि राज्य के सात अंग होते हैं, किन्तु इन का पृथक्-पृथक् उल्लेख नहीं मिलता।<sup>५</sup> शुक्रनीतिसार में राज्यों का विशद विवेचन है। राज्य की समांग राज्य के नाम से सम्बोधित करते हुए आचार्म शुक्र लिखते हैं कि स्वामी अमात्य, दण्ड, कोश दुर्ग, राष्ट्र और बल राज्य के सात अंग हैं।<sup>६</sup> वे राज्य के उपर्युक्त सात अंगों की तुलना मानव शरीर के अवयवों से करते हैं। राजा राज्य रूपी शरीर का मस्तक है और मन्त्री नेत्र, मित्र कान, कोश मुख, बल मन, दुर्ग हाथ, पैर राष्ट्र है।<sup>७</sup> राष्ट्र की उपमा पैरों से इसलिए दी गयी है कि वह राज्य का भूलाषार है। उसी के सहारे राज्य रूपी शरीर स्थिर रहता है। बल को मन के समान बतलाया गया है। शरीर में इन्द्रियों का स्वामी मन है और वही उन्हें किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त करता है। राज्य में यदि बल अथवा सेना न हो तो वह पूर्णतया अरक्षित रहता है और कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में कहु अपने अंगों तक से अपनी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। इसी कारण बल की उपमा मन से दी गयी है। कोश की तुलना मुख से की है। जिस प्रकार मुख हारा किया गया थोड़ा शरीर के समस्त अंगों को शक्ति प्रदान कर उन्हें पुष्ट बनाता है उसी प्रकार राजकोश में धन संचित होने से सभी अंगों की पुष्टि होती है। मन्त्री की उपमा नेत्रों से इसलिए दी गयी है कि राज्य का प्रायः समस्त व्यवहार मन्त्रियों के परामर्श से ही चलता है। मनुष्य पर आक्रमण होने पर सब से पहले उस का हाथ ही प्रहार की दोकने के लिए आगे बढ़ता है। उसी प्रकार राज्य पर जब आक्रमण होता है तो प्रथम प्रहार दुर्ग को ही सहन करना पड़ता है। इसी कारण दुर्ग की तुलना हाथों से की गयी है। कामन्दक भी राज्य के सात अंग मानते हैं। उन के अनुसार स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल और सुहृद राज्य के सात अंग हैं।<sup>८</sup>

१. मनु० ६, २६४।

स्वाम्यमात्यौ पूर्व राष्ट्र' कोशदण्डौ सुहृत्यथा।

सुप्र प्रकृतयो हृषेताः सप्ताङ्गं राज्यभूत्यते।

२. कौ० अर्थ० ६, १।

स्वाम्यमात्यदुर्गकोशदण्डभित्राणि प्रकृतमः।

३. विष्णु धर्मसूत्र ३, २३।

स्वाम्यमात्यदुर्गकोशदण्डप्रमित्राणि प्रकृतयः।

४. याज्ञ० १, १५३।

५. नारद० प्रकीर्णक ५।

६. शुक्र० १, ६६।

७. वही १, ६८-६९।

८. कामन्दक १, १६।

आचार्य सोमदेव ने भी इस परम्परागत राज्य के सप्तांग चिह्नान्त का नीति-वाक्याभूत में पूर्ण समर्थन किया है। प्रत्येक अंग के गुण-दोषों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। विभिन्न समुद्देशों में आचार्य ने इन राज्यांगों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं।

इस प्रकार समस्त प्राचीन राजवास्त्र प्रणेताओं ने राज्य के सात अंगों का उल्लेख किया है। नाम अथवा वर्णन क्रम में भले ही कहाँ अन्तर हो, किन्तु इस बात को सभी आचार्य स्वीकार करते हैं कि राज्य सात अंगों से निर्भित हुआ है। राज्यांगों के क्रम के विषय में मनु ने लिखा है कि राज्यांगों का क्रम उन के महत्व के अनुसार रखा गया है। इस का अभिप्राय यही है कि जिस अंग का सब से अधिक महत्व है उसे प्रथम स्थान पर प्रस्तुत किया गया है, उस से कभी भवत्व के अंग को द्वितीय स्थान पर और हाथी प्रकार अन्य अंगों का कम है।<sup>१</sup> हसी प्रकार कौटिल्य ने भी राज्यांगों के क्रम एवं महत्व के सम्बन्ध में आचार्यों के उल्लेख करते हुए लिखा है कि आचार्यों का मत है कि स्वामी ( राजा ), अमार्य, अनपद, सुर्ग, कोश, सेना और मित्र इन पर विपत्ति आने पर अप्रिम की अपेक्षा पूर्व की विपत्ति का बाना अस्थान कष्टदायक है।<sup>२</sup> अर्थात् राजा और अमार्य इन दोनों पर आपत्ति आने पर राजा की आपत्ति अधिक मध्यावह है, हसी प्रकार अन्य प्रकृतियों के सम्बन्ध में भी है।<sup>३</sup> आचार्य सोमदेव ने भी कहा है कि राजा की रक्षा होने से समस्त राष्ट्र सुरक्षित रहता है।<sup>४</sup> आचार्य कौटिल्य तो यही तक कहते हैं कि राजा ही राज्य है।<sup>५</sup> राजनीतिप्रकाशिका एवं मत्स्यपुराण में भी राज्य के सप्तांगों में राजा को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है।<sup>६</sup>

राज्यांगों के महत्व के विषय में मनु के विचार उल्लेखनीय हैं। उन के अनुसार विषय में कुछ अंगों ( स्वामी, अमार्यादि ) का महत्व अवश्य है, किन्तु साधारण स्थिति में सभी अंग राज्य रूपी शरीर के लिए आवश्यक हैं और अपने-अपने स्थान पर सभी का महत्व है। एक अंग के अभाव की पूर्ति दूसरा नहीं कर सकता।<sup>७</sup> राज्य का अस्तित्व तभी स्थायी हो सकता है जब उस के समस्त अंग परस्पर मिलकर और समविचार से कार्य करें। कामान्दक का भी इस विषय में यही विचार है।<sup>८</sup> मनु

१. मनु० ६, २६६।

सप्तान्त्र प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम् ।  
पूर्वं पूर्वं गुरुतरं जानीयाद्यसर्वं महत् ॥

२. कौ० अर्थ० ८, १।

३. यही।

रायाम्यमात्वं जनपददुर्गं क्रोशदण्डमित्रव्यसनानां पूर्वं पूर्वं गर्तीय इत्यचार्यः ।

४. नीतिवा० २४, १।

५. कौ० अर्थ० ८, २।

६. राजनीति प्रकाशिका, पृ० १२६।

७. मनु० ६, २६७।

८. कामान्दक ४, १।

के अनुसार राज्य के सातों अंग एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और वे राज्य को एक सजीव इकाई बनाते हैं। रामेन्द्रने उच्चावधी के विषय पर विश्वास देकर यह बताया है कि जिस प्रकार त्रिदण्ड के सीनों दण्डों का महत्व एक समान होता है उसी प्रकार राज्य के सातों अंगों में कोई किसी से बड़ा नहीं है। उन में प्रत्येक का अपने स्थान पर महत्व है।<sup>१</sup> जिस प्रकार शरीर के अंग अपना महत्व रखते हैं उसी प्रकार राज्य के सातों अंग अपने-अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। यदि एक अंग भी विकारशस्त हो जाता है तो हमपूर्ण राज्य रुपी शरीर का स्वास्थ्य असन्तोषजनक हो जाता है। अतः राज्य को हृदय, शाक्षिशाली एवं श्रेष्ठ स्थिति में रखने के लिए उस के सभी अंगों का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। यह ही सकता है कि किसी अंग के विकृत होने से समस्त राज्य रुपी शरीर पर उतना प्रभाव न पहुँचे, परन्तु उस की कार्य-क्षमता अवश्य प्रभावित होगी। राज्य रुपी प्राणी के सुधार का से संचालन के लिए यह आवश्यक है कि उस के सभी अंग स्वस्थ हों। इन अंगों से कोई भी प्राणी भली-भौति अपने काथों का सम्पादन नहीं कर सकता। राज्य को भी ठीक ऐसी ही स्थिति है। उस के प्रत्येक अंग के कार्य पृथक् अवश्य है, किन्तु ये सभी राज्य रुपी प्राणी के सुख-समृद्धि के लिए कार्य करते हैं। कामदक ने ठीक ही लिखा है कि राज्य के ये अंग एक दूसरे के पूरक हैं। यदि राज्य रुपी शरीर का कोई भी अंग विकृत हो जाये तो राज्य का संचालन असम्भव हो जाता है।<sup>२</sup> अतः राज्य रुपी शरीर के भली-भौति संचालन के लिए विकृत अंग का सुधार कीजातीशीघ्र करता चाहिए। राज्यांगों की श्रेष्ठता पर ही राज्य की समृद्धि निर्भर है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राचीन राजशास्त्र वेत्ताओं ने राज्य के सात अंग बताये हैं और उन की तुलना मानव शरीर के अंगों से की है। अतः ये विचारक राज्य के साधारण स्वरूप के सिद्धान्त में विविध रखते थे। पारस्चात्य देशों में उन्नीसवाँ वेत्तावदी में राज्य के साधारण स्वरूप के जिस सिद्धान्त का विकास हुआ उस के दर्जन भारत में महाभारत काल में ही होते हैं। प्राचीन भारत के लगभग सभी राजशास्त्र वेत्ताओं ने राज्य का सप्तांग स्वरूप स्थिर किया है। अंग शब्द तथा आचार्य शुक्र के राज्यांगों के रूपक से राज्य के साधारण स्वरूप के सिद्धान्त की पुष्टि पूर्णरूप से हो जाती है। श्री० भण्डारकर,<sup>३</sup> डॉ० के० पी० जायसवाल,<sup>४</sup> प्रो० श्री० के० सरकार<sup>५</sup> आदि विद्वानों का विचार है कि प्राचीन राजनीतिज्ञों द्वारा राज्य का सात अंगों में विश्लेषण यह प्रकट करता है कि राज्य के साधारण स्वरूप का विचार अथवा राज्य का साधारण

१. मन० १, २६६।

२. कामदक ४, ३।

३. Bhandaarkar—Some Aspects of Ancient Indian Polity, PP. 66, 68.

४. K. P. Jayaswal—Hindu Polity, Part II, P. 9.

५. B. K. Sarkar—Positive Back ground of Hindu Sociology, Part II, PP. 34-39.

सिद्धान्त भारतीय राजनीतिज्ञों को दिखित था। सप्तांग राज्य का सिद्धान्त छलशली तथा अन्य पाइचात्य विद्वानों द्वारा दी गयी राज्य की परिभाषा की सन्तोषजनक पूर्ति करता है : इन सब कार्यों से यही सिद्ध होता है, कि भारतीय राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क में राज्य के साक्षर स्वरूप के सिद्धान्त का विचार बहुत प्राचीम काल में ही विद्यमान था। और वे राज्य की सबीब प्राणी के अनुरूप ही भावते थे।

## राज्य के कार्य

आचार्य सोमदेवसूरि ने राज्य के कार्यों का भी विवेचन नीतिवाक्यामृत में किया है। आधुनिक विद्वान् राज्य के कार्यों का विभाजन दो भागों में करते हैं—

१. आवश्यक कार्य तथा २. ऐच्छिक कार्य। आवश्यक कार्यों के अन्तर्गत वे कार्य आते हैं जिन का करना प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक होता है। यदि राज्य उन कार्यों की पूर्ति नहीं करता तो उस का अस्तित्व शो नह हो सकता है। अन्य राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना, प्रजा की बाह्य आक्रमणों तथा आन्तरिक राष्ट्र-कष्टकों से रक्षा करना एवं देश में पूर्ण शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखना राज्य के आवश्यक कार्य हैं। इन कार्यों के करने के लिए उसे सुसंगठित सेना की स्थापना, पुलिस की व्यवस्था, राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा न्यायालयों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इन समस्त कार्यों की पूर्ति के लिए राजा प्रजा से कर गहण करता है।

बैकलिंपक अथवा ऐच्छिक कार्यों में वे कार्य सम्मिलित हैं जिन का करना राज्य को हजार पर निर्भर है। इन कार्यों के अन्तर्गत शिक्षा की व्यवस्था, जनता के स्वास्थ्य की रक्षा, कृषि एवं व्यापार की उन्नति करना, यातायात के साधनों को विकसित करना तथा आर्थिक सुरक्षा आदि हैं।

आचार्य सोमदेवसूरि ने राज्य के दोनों प्रकार के कार्यों का उल्लेख नीतिवाक्यामृत में किया है। उन के अनुसार शिष्ट पुण्ड्रों की रक्षा तथा दुष्टों का नियन्त्रण राज्य का प्रमुख कर्तव्य है ( ५, २ )। बाह्य आक्रमणों से प्रजा को रक्षा करना भी राज्य का कार्य है। आचार्य लिखते हैं कि जो राजा शत्रुओं में पराक्रम नहीं करता वह निन्द्य है ( ६, ३९ )। न्याय की उचित व्यवस्था करना तथा अपराध के अनुकूल अपाराधियों को दण्ड देना भी राज्य का कार्य है। आचार्य सोमदेव के अनुसार दण्ड के अभाव में मात्स्यन्याय का सृजन हो जाता है ( ९, ७ )। उन का कथन है कि दुष्टों को दण्ड देने से महान् घर्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि दण्ड के भय से प्रजा अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करती है ( ५, ५९ )। एक स्थान पर आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि राजा का पृष्ठी की रक्षा के योग्य कर्म राज्य है ( ५, ४ )। इस का अभिगम्य यही है कि राज्य सुरक्षा तथा शान्ति को स्थापना के लिए उचित प्रबन्ध करे, अपत्ति वह सुयोग्य राजकर्मचारियों की नियुक्ति, सुसंगठित सेना की स्थापना एवं कोष की व्यवस्था करे। इन्हीं साधनों से राजा पृष्ठी का पालन कर सकता है।

इन आवश्यक कार्यों के साथ ही सोमदेवसूरि ऐच्छिक कार्यों को भी अधिक महसूस देते हैं, क्योंकि उन के अभाव में प्रजा का सर्वतोमुखी विकास असम्भव है। राज्य की भीति लोककल्याण पर आधारित होनी चाहिए। इस बात में आचार्य की आस्था है। इसी कारण वे राज्य को ऐसे कार्य करने का आदेश देते हैं जो प्रजा के कल्याण में सहायक हों। बार्ता—कृष्ण, व्यापार आदि की उन्नति करना वे राज्य का कर्तव्य बतलाते हैं ( ८, २ )। आचार्य की दृष्टि में राज्य का कार्य केवल अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति करना हो नहीं है, अपितु उस धरा व्यवस्था का विवाद भी है। आचार्य प्रथम समुद्रेष्व में सर्वप्रथम धर्म, धर्म और काम पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले राज्य को नमस्कार करते हैं। इस का अभिप्राय यही है कि प्रजा की धर्म, धर्म और काम पुरुषार्थों की प्राप्ति कराना राज्य का ही कार्य है।

इस समस्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राज्य का कार्य केवल रक्षात्मक ही नहीं है, अपितु उन सभी कार्यों का सम्पादन करना है जिस से प्रजा का सब प्रकार से कल्याण हो। आधुनिक विद्वानों ने लोक कल्याणकारी राज्यों का जो वर्णन किया है उस का दिग्दर्शन हम को सोमदेवसूरि द्वारा प्रतिपादित राज्य-व्यवस्था में पूर्ण रूप से होता है। आचार्य सोमदेवसूरि ने जिस प्रकार के राज्य का वर्णन किया है वह लोक कल्याणकारी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखा जा सकता है।

### राज्य का उद्देश्य

आचार्य सोमदेवसूरि अपने राज्य को प्रारम्भ करने से पूर्व ऐसे राज्य को नमस्कार करते हैं, जो प्रजा को धर्म, धर्म और काम इन तीन पुरुषार्थों को प्रदान करने में समर्थ है। इस से स्पष्ट है कि अन्य आचार्यों की भीति सोमदेव भी इस बात का समर्थन करते हैं कि राज्य का उद्देश्य प्रजा को धर्म, धर्म और काम की प्राप्ति कराके मोक्ष के लिए तैयार करना है। भारतीय दर्शन की भीति राजधर्म का भी अन्तिम ल्येय मोक्ष प्राप्ति हो था। परन्तु मोक्ष की प्राप्ति तो व्यक्तिगत साधना तथा तपस्या पर निर्भर करती है और इस की प्राप्ति कोई विरला ही व्यक्ति कर सकता है। प्राचीन राजनीतिज्ञों ने राज्य का यह कर्तव्य निर्धारित किया था कि वह ऐसे वातावरण को उत्पन्न करे जिस से समस्त प्राणी सुख और शान्ति से रह सकें, अपने निर्धारित व्यवसाय को करने में समर्थ हो सकें, विना किसी के हस्तक्षेप किये अपने अम ह्वारा प्राप्त फल को भोग सकें और अपनी सम्पत्ति का उपभोग कर सकें तथा द्वधर्म का पालन कर सकें। यह प्रयोजन प्रजा को धर्म, धर्म और काम की प्राप्ति से ही सम्भव था। अतः समस्त प्राचीन विचारकों ने राज्य का उद्देश्य प्रजा को चारों पुरुषार्थों—धर्म, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति बताया है। बाह्यस्पत्य सूत्र में लिखा है कि राजधर्म का उद्देश्य धर्म, धर्म और काम की प्राप्ति है।<sup>१</sup>

१. बाह्यस्पत्य सूत्र—२, ५३-५४।

नीति: कर्तव्यधर्मार्थकामावाप्ति। तर्मेणार्थकामौ परीक्ष्यमौ।

कामन्दक संसारं राज्य का विवेचन करने के उपरान्त लिखते हैं कि राज्य का स्थायित्व कोश तथा बल पर अधारित है और अब राज्य का संचालन बुद्धिमान् मनुष्यों के परामर्श से किया जाता है तो उस का फल तीन पुरुषार्थी—धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होता है।<sup>१</sup> इसलिए राज्य का तात्कालिक उद्देश्य प्रजा को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कराना ही है।

आचार्य सोमदेवसूरि ने अपने ग्रन्थ में इन पुरुषार्थों की व्याख्या भी की है। उन के अनुसार धर्म वह है जिस से इस लोक में अभ्युदय और परलोक में भोक्ष की प्राप्ति हो ( १,१ )। अर्थ समुद्देश में आचार्य ने अर्थ की व्याख्या की है। जिस से मनुष्यों के सभी प्रयोगन, लौकिक तथा पारलौकिक, की सिद्धि होती है वह अर्थ है ( २,१ )। अतः राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा वातावरण उत्पन्न करे जिस से व्यक्ति व्यापार, हुषि तथा अन्य उद्घोग-घन्थों में संलग्न होकर धनार्जन कर सके। धन से ही प्रजा को लौकिक सुख की प्राप्ति होती है और पारलौकिक सुख का भी वह अत्यन्त महस्त्वपूर्ण साधन है। धर्म और काम पुरुषार्थ का मूल कारण अर्थ है। अशति बिना अर्थ के धर्म और काम पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः उत्तम साधनों द्वारा धनार्जन मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा को धनार्जन करने की पूर्ण सुविधा प्रदान करे। आचार्य सोमदेव का मत है कि सम्पत्ति शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार व्यापार आदि साधनों से मनुष्यों को अविद्यमान धन का संचय करना, संचित धन को रक्षा करना और रक्षित धन की बुद्धि करने में प्रयत्न-शील रहना चाहिए ( ३,३ )।

अर्थ व्यवहा धन भौतिक सुख प्राप्ति में महस्त्वपूर्ण साधन होने के कारण प्रथम स्थान रखता है। इस बात की पुष्टि में टीकाकार ने हारीत का मत उद्धृत किया है। जिस के पास कार्य की उत्तम सिद्धि करने वाला धन विद्यमान है उसे इस लोक में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। उसे सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मनुष्य को साम, दाम, दण्ड और भेद आदि उपायों से धन अर्जन करना चाहिए।<sup>२</sup> आचार्य कौटिल्य ने भी धर्म, अर्थ, काम आदि पुरुषार्थों में अर्थ को ही प्रधानता दी है और इसे सब का मूल बताया है।<sup>३</sup> आचार्य सोमदेव यह निर्देश देते हैं कि प्राप्त धन को दान, धर्म, परोपकार आदि श्रेष्ठ कार्यों में व्यय करते रहना चाहिए, जिस से लौकिक सुख के साथ-साथ पारलौकिक सुख की भी प्राप्ति हो सके ( ३, २ )।

तृतीय पुरुषार्थ काम की प्राप्ति कराना भी राज्य का उद्देश्य है। राज्य को

१. कामन्दक ४, ७५ ।

२. हारीत, नीर्तितात् पृ० ४८ ।

असाध्यं तार्स्त लोकेऽत्र यत्त्वार्थ साध्यं परम् ।

सामादिभिरुपायैरच तत्सादर्थमुपार्जयेत् ॥

३. कौ० अर्थ १, ७ ।

शान्ति और अवस्था स्थापित कर के ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिस से व्यक्ति निर्बाध रूप से अपनी इच्छानुसार जीवन-यापन कर सकें और अपने सुख एवं सुविधा के लिए ललित कलाओं की सुष्ठि कर के अपने जीवन को सौन्दर्यमय बना सकें। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य न केवल समाज की नैतिक एवं भौतिक उन्नति करना है, अपिनु उस के जीवन को सौन्दर्यत्मक तथा सुरचिपूर्ण बनाता भी है। इस दृष्टि से नृत्यकला, वाद्य, चित्रकला, शिल्पकला आदि के विकास को प्रोत्साहित कर के उन काम को परिभाषा देते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि जिस से समस्त इन्द्रियों में काम को परिभाषा देते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि जिस से समस्त इन्द्रियों में बाधा रहित प्रीति उत्पन्न हो वह काम है (३, ९)। इस में सन्देह नहीं कि उक्त ललित कलाएँ मनुष्य के सुख का साधन हैं और उस के माध्यम से निःसन्देह समस्त इन्द्रियों का काम एवं प्रोत्साहित उत्पन्न होता है। परन्तु आचार्य सोमदेव का मत है कि मनुष्य को संथमी और इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखने वाला होना चाहिए। अन्यथा वह एक ही पुरुषार्थ की प्राप्ति में रव हो जायेगा, विशेषकर काम पुरुषार्थ ऐसा है जिस की ओर मनुष्य का आकर्षण स्वामादिक हृद से अधिक होता है; यदि उन्देहि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नीतिशास्त्र का अध्ययन आवश्यक बतलाया है (३, ९)। ठोकाकार ने सोमदेव के इस कथन की पुष्टि में आचार्य वर्ग का मत प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार लगाम के खींचने आदि की क्रिया से धोड़े वश में कर लिये जाते हैं, उसी प्रकार नीतिशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य की चंचल इन्द्रियों वश में हो जाती है।<sup>१</sup> सोमदेव का कथन है कि जिस की इन्द्रियों वश में नहीं है उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती (३, ७)। राजा के लिए भी उन का विदेश है कि जो व्यक्ति (राजा) काम के वशीभूत है, वह राज्यांगों (स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल और मित्र) आदि से युक्त शक्तिशाली शत्रुओं पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकता है (३, १०)। इस सम्बन्ध में नीतिकार भागुरि का मत उल्लेखनीय है, काम के वशीभूत राजाओं के अंग (स्वामो और अमात्यादि) निर्बल या विरोध करने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें और उन की दुर्बल सेनाओं को बलिष्ठ अंगों वाले राजा मार डालते हैं। विजय-लक्ष्मी के इच्छुक पुरुष को कदापि काम के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आचार्य सोमदेव का कथन है कि नैतिक व्यक्ति को चाहिए कि वह धर्म, अर्थ और काम इन पुरुषार्थों का सम रूप से सेवन करे। एक का भी अति सेवन करने से व्यक्ति पतत के गर्त में चला जायेगा (३, ३-४)।

●

१. वर्ग-नीतिवाच, पृ० ३६।

नीतिशास्त्राण्यभीति गरुदस्य दुष्टानि स्वान्यपि।

वशानि शनैर्दान्ति शशान्तार्हया यथा।

२. भागुरि-नीतिवाच, पृ० ३६।

## राजा

समाज में शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए, उत्तोड़न की इतिहासी के लिए, वर्णसंकरता को रोकने के लिए तथा लोकमर्यादा की रक्षा के लिए राजा की परम आवश्यकता है। सभी राजशासन वेस्ताओं ने राजा की आवश्यकता एवं महत्व को स्वीकार किया है और इसी कारण देवांशों से उस को सुषिक्षा विधान विविचित किया है। राजा शब्द के अर्थ से उस की आवश्यकता प्रतिविम्बित होती है। राजा शब्द का अर्थ प्रजा का रंजन करने वाला, वस्ते की सूति तथा दीमिमान् है और वही उस का सर्व प्रधान लक्षण एवं कर्तव्य है। महाभारत में युविष्ठिर द्वारा राजा शब्द की व्याख्या करने का आग्रह किये जाने पर भीष्म उन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि समस्त प्रजा को प्रसन्न करने के कारण उस राजा कहते हैं।<sup>१</sup>

महाकवि कालिदास ने रघुवंश में रघु का वर्णन करते हुए लिखा है कि यिस प्रकार सभी का आवाहन कर चन्द्रमा ने अपना नाम सार्थक किया और सब को लगाकर सूर्य ने अपना नाम सार्थक किया, उसी प्रकार रघु ने भी प्रजा का रंजन कर के अपना राजा नाम सार्थक कर दिया।<sup>२</sup> अतः प्रजा का रंजन करने के कारण ही उसे राजा कहा जाता है।

राजा के कारण हो प्रप्रा समाज में शान्तिपूर्वक निर्वाधरूप से निवास करती है तथा धर्म, अर्थ एवं काम रूप विवर्ग के फल की प्राप्ति करती है। आचार्य सोमदेव ने भी राजा के महत्व को उस के महान् कर्तव्यों के वर्णन द्वारा व्यक्त किया है। वह अपने ग्रन्थ के आरम्भ में ही धर्म, अर्थ, काम रूप विवर्ग फल के दावा, राज्य को नमस्कार करते हैं ( पृ० ७ )। इस का अभिप्राय यही है कि समस्त मुखों की प्राप्ति राज्य के द्वारा ही प्रजा को होती है। सोमदेव ने दुष्टों का निश्चय करना तथा सज्जन पुरुषों का पालन करना राजा का परम धर्म बतलाया है ( ५, २ )।

राजा की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन महाभारत के शान्तिपर्व में प्राप्त हाता है। कौशल नरेश वसुमना द्वारा प्रश्न किये जाने पर कि राज्य में रहने वाले प्राणियों की बुद्धि कैसे होती है, उन का लूपास कैसे होता है, किस देवता की पूजा करने वाले घन्तियों को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है? आचार्य बृहस्पति कौशल नरेश के

१. महाभारत ३६, १२५।

२. रघुवंश ४, १३।

प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि लोक में जो धर्म देखा जाता है, वस का मूल कारण राजा ही है। राजा के भय से ही प्रजा एक-दूसरे का भक्षण नहीं करती। राजा ही मथिदा का उल्लंघन करने वाले तथा अनुचित भोगों में आसक्त रहने वाले सम्पूर्ण जगत् के लोगों को चमनिकूल शासन द्वारा प्रसन्न रखता है और स्वयं भी प्रसन्नतापूर्वक रह कर अपने तेज से प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य और चन्द्रमा का उदय न होने पर समस्त प्रश्नी ओर अन्धकार में डूब जाते हैं और एक-दूसरे को देख नहीं पाते हैं, जैसे अल्प जल वाले सरोवर में मत्स्यगण तथा रक्षक रहित उपवन में पक्षियों के हृष्ण परस्पर एक-दूसरे पर निरन्तर आवात करते हुए स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हैं, वे कभी तो अपने प्रह्लाद से दूसरों को कुछलते और मन्थन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कभी दूसरों की ओट खाकर व्याकुल हो उठते हैं। इस प्रकार आपस में लड़ते हुए वे थोड़े ही दिनों में नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं, इस में सन्देह नहीं है। इसी प्रकार राजा के अभाव में ये सारी प्रजाएँ आपस में लड़-सगड़कर बात की बात में नष्ट हो जायेंगी और बिना चरवाहे के पशुओं की भाँति दुख के ओर अन्धकार में डूब जायेंगी।

यदि राजा प्रजा को रक्षा न करे तो शक्तिशाली पुरुष दुर्बल मनुष्यों की हितों तथा पुत्रियों का अपहरण कर लें और अपने घर की रक्षा में प्रयत्नशील मनुष्यों का अन्त कर दें। यदि राजा रक्षा न करे तो इस जगत् में स्त्री, पुत्र, घर अथवा परिवार कोई भी ऐसा संग्रह सम्भव नहीं हो सकता जिस के लिए कोई कह सके कि यह मेरा है, सब और सब की सम्पूर्ण सम्पत्ति का लोप हो जाये। यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो पापाचारी लूटेरे सहसा आक्रमण कर के बाहन, बहव, आभूषण और विविध प्रकार के रत्न लूट ले जायें। यदि राजा रक्षा न करे तो वस्त्रिया पुरुषों पर बारम्बार नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों को मार पड़े और विवश होकर लोगों को अधर्म का मार्ग प्रहृण करना पड़े। यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो दुराचारी मनुष्य भास्ता, पिता, बृहू, आचार्य, अतिथि और गुरु को क्लेश पहुँचावें अथवा मार डालें। यदि राजा रक्षा न करे तो घनवानों को प्रतिदिन बध या बन्धन का क्लेश उठाना पड़े और किसी भी वस्तु को वे अपना न कह सकें। यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो अकाल में ही लोगों की मृत्यु होने लगे, यह समस्त जगत् झाकुओं के अधीन हो जाये, और पाप के कारण घोर नरक में गिर जाये। यदि राजा पालन न करे तो व्यभिचार से किसी को धूणा न हो, कृषि नष्ट हो जाये, धर्म हूँव जाये, व्यापार चौपट हो जाये और तीमों बेदों का कहीं पता न चले।

यदि राजा जगत् की रक्षा न करे तो विश्वल पर्याप्त दक्षिणाधीं से युक्त यज्ञों का अनुष्ठान बन्द हो जाये, चिवाह म हों और सामाजिक कार्य रुक जायें। यदि राजा पशुओं का पालन न करे तो दूष-दही से भरे हुए कभी मये न जायें और गौशालाएँ नष्ट हो जायें। यदि राजा रक्षा न करे तो सारा जगत् भयभीत, उद्विग्नचित्स हाहाकार-परायण तथा अचेत हो सण्घभर में नष्ट हो जाये। यदि राजा पालन न करे तो उन में

यदि पृथ्वीक निरागों ने युनू अवधि महा निर्भय रूप से न हो सकें। यदि राजा पालन न करे तो विद्या पढ़कर स्नातक हुए ब्रह्मचर्यवत् का पालन करने वाले और तपस्वी तथा ब्राह्मण लोग चारों देवों का अध्ययन छोड़ दें। यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो मनुष्य हताहत होकर मर्म का सम्पर्क छोड़ दें और चोर घर का माल लेकर अपने शरीर और इन्द्रियों पर छोट आये बिना ही सकुशल लौट जायें। यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो घोर और लुटेरे हस्तगत दस्तु को भी छीन लें, सारो मर्यादाएँ भंग हो जायें और सब लोग भय से पीड़ित हो जायें और भागते फिरें। यदि राजा पालन न करे तो सर्वत्र अन्याय एवं अत्याचार कैल जाये, वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न होने लगें और समस्त देश में दुर्भिक्ष फैल जाये।

राजा से रक्षित हुए प्राणी सब और से निर्भय हो जाते हैं और अपनी हच्छानुसार घर के द्वार खोलकर सोते हैं। यदि धर्मात्मा राजा भली-भाँति पृथ्वी की रक्षा न करे तो कोई भी मनुष्य अपशब्द अथवा हाथ से पीटे जाने का अपमान कैसे सहन करे। यदि पृथ्वी का पालन करने वाला राजा अपने राज्य की रक्षा करता है तो समस्त आभूषणों से विभूषित हुई सुन्दरी स्त्रियाँ किसी पुरुष को साथ लिये बिना ही निर्भय होकर मार्ग से आती जाती हैं। जब राजा रक्षा करता है तो सब लोग धर्म का ही पालन करते हैं, कोई किसी की हिंसा नहीं करता और सभी एक-दूसरे पर अनुग्रह करते हैं। जब राजा रक्षा करता है तब तीनों वर्णों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) के लोग बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं और मनोयोग पूर्वक विद्याव्ययन में रत रहते हैं। खेती आदि समुचित जीविका की व्यवस्था ही इस जगत् के जीवन का मूल है तथा पृष्ठि आदि के हेतुभूत व्ययों विद्या से ही सर्वदा जगत् का पालन होता है। जब राजा प्रजा की रक्षा करता है तभी सब कुछ लोक प्रकार से चलता है। जब राजा विशाल सैनिक शक्ति के सहयोग से मारी भार बहन कर के प्रजा को रक्षा का मार अपने छपर लेता है तब यह सम्पूर्ण जगत् प्रसंग हो जाता है। जिस के न रहने पर सब और से समस्त प्राणियों का अभाव होने लगता है और जिस के रहने पर सर्वदा सब का अस्तित्व बना रहता है, उस राजा का पूजन कौन नहीं करेगा? जो उस राजा के प्रिय हित-साधन में संलग्न रहकर उस के सर्व लोक भर्यकर शासन भार को बहन करता है वह इस लोक और परलोक में विजय पाता है।<sup>१</sup>

बसुमना और बृहस्पति के उपर्युक्त संवाद से राजा की आवश्यकता एवं उस का महत्व भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है। राजा के अभाव में कौन-कौन सी हानियाँ होती हैं तथा उस के होने से प्रजा को क्या-क्या लाभ होता है इन समस्त बातों पर प्रकाश डालने वाला यह संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है।

राजा की आवश्यकता के विषय में अन्य शर्यों में भी उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में हस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है—“देवताओं ने राजाओं द्वारा १. महाऽशान्तिं इप. ८-३८।

अपनी निरस्तर प्रत्यक्ष के लालों पर विचार किया, तो वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उन की पराजय इसलिए होती है कि उन का कोई राजा नहीं है। अब; उन्होंने सर्व-सम्मति से राजा का विदाचिन किया ॥१॥ इस से प्रकट होता है कि युद्ध की आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप राज्यसत्ता का प्राकुभव हुआ। मनु और शुक्र ने भी राजा व्यक्ताओं के विषय में लिखा है। यह बर्णन इस प्रकार है, “जब विश्व में कोई राजा नहीं था और उस के अभाव में समस्त जनता भय से त्रसित होकर नष्ट-भ्रष्ट राजा नहीं था और उस के अभाव में समस्त जनता भय से त्रसित होकर नष्ट-भ्रष्ट होने लगी, तो इत्या ने संसार की रक्षा के लिए राजा का सूजन किया ॥२॥” कौटिल्य ने भी इसी प्रकार लिखा है कि “जब दण्डवर के अभाव में मात्स्यन्याय की उत्पत्ति हो गयी और बलवान् दुर्बलों को नष्ट करने लगे तो प्रजा ने वैदेश राजा को राजा घोषिया । कामन्दक ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं ॥३॥ इस प्रकार समस्त राजशासन प्रणेताओं ने राजा का होना परम आवश्यक घोषिया है तथा उस के न होने से विश्व की महान् काति होने की घात कही है ।

आचार्य सोमदेव भी राजा के महत्व का अनुभव करते हैं और राजा को ही समस्त प्रकृति वर्ग की उक्ति का आधार मानते हैं। राजा के कारण ही प्रकृतिवर्ग समस्त प्रकृति वर्ग की उक्ति का आधार मानते हैं। राजा के कारण ही प्रकृतिवर्ग समस्त प्रयोजन सिद्ध होते हैं। स्वामी के अभाव में उन को अभिलिखित कल की प्राप्ति नहीं हो सकती ( १७, ३ )। स्वामी रहित प्रकृतिवर्ग समृद्ध भी तर नहीं सकते प्राप्ति नहीं हो सकती ( १७, ४ )। आचार्य सोमदेव ने एक सुन्दर उदाहरण द्वारा राजा के अभाव में होने-पुण्य-फलादि की प्राप्ति के लिए किया गया प्रथम सफल नहीं हो सकता ( १७, ५ )। दोक उसी प्रकार राजा के नष्ट हो जाने पर प्रकृति वर्ग द्वारा अपने अधिकार प्राप्ति के लिए किये गये प्रथम सफल होते हैं।

राजा की उत्पत्ति

राजा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस सम्बन्ध में भारतीय विचारकों ने कई मिट्टालियों का प्रतिपादन किया है, जो निम्नलिखित है।

**१. वैदिक सिद्धान्त—**राजा की उत्पत्ति का सब से प्राचीन और सब प्रथम सिद्धान्त वैदिक सिद्धान्त है। इस के अनुसार राजा की उत्पत्ति युद्ध में नेता की आवश्यकता के परिणामस्वरूप हुई। इस सिद्धान्त का वर्णन ऐतरेय शाहृण में मिलता है। देवताओं और अमुरों के मध्य होने वाले युद्धों में जब निरन्तर देवताओं ( आर्यों ) की पराजय होती रही तो देवों ने अपनी पराजय के कारणों पर विचार किया। विचार

१. द० ला० १, १५ ।

३, मनु० ७, ३; व्याक० १, ७१

३. की० अर्थ० ₹. १३ ।

୪୮ କାନ୍ତିକ ୩, ପଦ୍ମି

४८५

\* नीतिवाक्य। मृत में राजनीति

करने के उपरान्त वे इस विधिकर्त्ता पर पहुँचे कि असुर इसलिए विजयो हो रहे हैं कि उन के पास नेतृत्व करने के लिए एक राजा है । अतः उन्होंने भी सर्व-सम्मति से राजा को नियुक्त करने का निवाचय किया । इस प्रकार ऐतरेय बाह्यण के वर्णन से स्पष्ट है कि देवों के पास पहले कोई राजा नहीं था । उन के शशु आदायों के पास राजा था जो युद्ध में उन का नेतृत्व करता था । अतः आदी ने भी अपने में से एक व्यक्ति को राजा निर्वाचित करने का संकल्प किया जो युद्ध में उन का नेतृत्व कर सके । इस से यह भी परिलक्षित होता है कि आदी ने अपने प्रथम राजा का निवाचित किया था ।

**२. सामाजिक अनुबन्ध का सिद्धान्त—राजा की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धान्त सामाजिक अनुबन्ध का सिद्धान्त है ।** इस सिद्धान्त के अनुसार समाज की सहमति अथवा अनुबन्ध से राजा का उत्पत्ति हुई । यह सिद्धान्त हमें महाभारत वौद्ध-ग्रन्थों तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है ।

दीघनिकाय में विश्व की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है । इसलिए उस में राजा की उत्पत्ति का भी वर्णन मिलता है । उस में कहा गया है कि "पूर्वकाल में स्वर्ण-युग था । उस में दिव्य और प्रकाशवान् शरीर वाले मनुष्य धर्म से आनन्द पूर्वक रहते थे । वे पूर्णतया विशुद्ध एवं निर्दोष थे । परन्तु यह आदर्श दशा बहुत समय तक न रह सकी । क्रमशः उस अवस्था का अवधिपतन हुआ । इस के परिणाम स्वरूप अव्यवस्था तथा अराजकता का प्रसार हुआ । इस अराजकता से मुक्ति पाने के लिए लोग एकत्रित हुए और उन्होंने एक ऐसे योग्य वार्मिक व्यवित्र को निर्वाचित किया जो समाज में व्याप्त अशान्ति और अव्यवस्था को दूर कर सके तथा दुष्ट व्यक्तियों को दण्ड दे सके । इस दिव्य पुरुष का नाम महाजनसम्मत था । यही सब का स्वामी, सत्रिय तथा धर्मानुसार प्रजा का रेजन करने वाला राजा कहलाया । इस की सेवाओं के उपलक्ष्म में मनुष्यों ने उसे अपने घन का एक अंश देना स्वीकार किया । इस प्रकार समाज के व्यक्तियों द्वारा किये गये अनुबन्ध के परिणाम स्वरूप राजा की उत्पत्ति हुई । घन के अंश के बदले में जनता द्वारा निर्वाचित राजा ने उस को रक्षा करने तथा अव्यवस्था को दूर करने का उत्तरदायित्व घृन किया<sup>१</sup> ।"

महाभारत में सामाजिक अनुबन्ध के सिद्धान्त का उल्लेख शास्त्रिपर्व के ६७वें अध्याय में प्राप्त होता है । उस में लिखा है कि "राजा की उत्पत्ति से पहले समाज में मात्स्यन्याय था । जिस प्रकार जल में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों का भक्षण कर जाती हैं उसी प्रकार समाज में बलवान् निर्वलों को नष्ट कर देते हैं । लोग एक-दूसरे के प्राणों के ग्राहक थे । जिस की लाठी उस की भैय वाला सिद्धान्त प्रचलित था । उस समय मनुष्य का जीवन नारकीय, अल्प तथा यातनामम था । इस असमय अवस्था से छुटकारा पाने के लिए वे अहम्मा के पास थे और उन से प्रार्थना की कि वह किसी व्यक्ति

१. दीघनिकाय-भाग ३, पृ० ८५-८६ ।

को उन का राजा नियुक्त करें। वयोंकि राजा के अभाव में वे विनाश को आस हो रहे हैं। उन्होंने कहा हम लोग उस को पूजा करेंगे और वह पालन करेगा। मनुष्यों की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने मनु को उन के समक्ष प्रस्तुत किया, परन्तु मनु इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि राजा बनने पर बहुत से धार्म कर्म करने पड़ते हैं राजा को लोगों को दण्ड देना पड़ता है। यासन करना बड़ा कठिन कार्य है, विशेषकर उस राज्य में जहाँ मनुष्य मिथ्याचार तथा छल-कपट में संलग्न हो। परन्तु इस पर मनुष्यों ने मनु से कहा कि धार्म मयभीत न हों, जो धार्म करेगा वह उसी का धार्म होगा। हम लोग पशु और स्वर्ण का पचासवाँ भाग तथा धार्म का दसवाँ भाग राजकोश की बृद्धि के लिए देंगे। आप से सुरक्षित होकर प्रजा जिस धर्म का आचरण करेगी उस धर्म का अनुधीय धार्म को भिलेगा। इस प्रकार हो राजन्। उत्तरान् जर्दि से राजिल-शाली होकर हमारी धार्म उसी प्रकार रक्षा करें जिस प्रकार इन्द्र देवताओं की रक्षा करते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना किये जाने पर मनु ने राजपद स्वीकार कर लिया।"

इस सिद्धान्त में राज्य की स्थापना से पूर्व प्राकृतिक अवस्था का सिद्धान्त हौस्त्र द्वारा दण्ठित प्राकृतिक दशा से मिलता है। मात्स्यन्याय से तंग आकर लोग ब्रह्मा के पास जाते हैं तथा शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित करने की प्रार्थना उन से करते हैं। परन्तु ब्रह्मा के कहने से मनु राजपद स्वीकार करने से मना बर देते हैं। प्रजा वर्ग के लोग उन से बातलाप कर के उन के सन्देह को दूर करते हैं और उन के द्वारा संरक्षण एवं सुखवस्था स्थापित करने के उपलक्ष्य में उन को स्वर्ण का पचासवाँ भाग तथा धार्म का दसवाँ भाग देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। जब मनुष्यों और मनु के मध्य इस प्रकार का अनुबन्ध हो जाता है तो वह राजपद स्वीकार करते हैं। राजा मनु का आदिभवि इस सामाजिक अनुबन्ध के परिणाम स्फरण होता है।

सामाजिक अनुबन्ध के सिद्धान्त का द्वितीय स्वरूप—महाभारत के शान्तिपर्व में राज्यसंस्था के प्रादुर्भाव पर बड़े विस्तार के साथ विचार किया गया है। युधिष्ठिर भीष्म से प्रश्न करते हैं कि लोक में जो यह राजा शब्द प्रचलित है, इस की उत्पत्ति कैसे हुई? जिसे हम राजा कहते हैं वह सभी गुणों में दूसरों के समान ही है। उस के हाथ, भुजा और ग्रीवा भी औरों के समान ही है। बुद्धि और दृढ़िया भी दूसरे लोगों के ही समान है, उस के मन में भी दूसरे मनुष्यों के समान ही सुख-दुःख का अनुभव होता है। ब्रह्मला होने पर भी वह शूरवीर एवं सत्युष्वों से परिपूर्ण इस समझ पूछी का कैसे पालन करता है और कैसे सम्पूर्ण जगत् की प्रसन्नता चाहता है। यह निदिवत रूप से देखा जाता है कि एकमात्र राजा की प्रसन्नता से ही सम्पूर्ण जगत् प्रसन्न होता है और उस एक के ही व्याकुल होने पर सब लोग व्याकुल हो जाते हैं।

भरतश्वेष्ठ इस का नया कारण है, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ पितामह यह सारा रहस्य मुझे यथावत् रूप से बताइए। प्रजानाथ, यह सारा जगत् जो एक ही व्यक्ति को देवता के समान मानकर उस के सामने नहमस्तक हो जाता है, इस का कोई स्वल्प कारण नहीं हो सकता। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए भीष्म कहते हैं कि पृथ्वीसिंह आदि सत्यमुग में जिस प्रकार राजा और राज्य की उत्पत्ति हुई वह सारा ब्रह्मान्त त्रुम एकाग्र होकर सुनो।<sup>१</sup>

“पहले न कोई राजा था न राज्य, न दण्ड था और न दण्ड देने वाला, समस्त प्रजा वर्म के द्वारा ही एक दूसरे की रक्षा करती थी।<sup>२</sup> सब मनुष्य वर्म के द्वारा परस्पर पालित और पोषित होते थे। कुछ समय के उपरान्त सब लोग पारस्परिक संरक्षण के कार्य में महान् कष्ट का अनुभव करने लगे, फिर उन सब पर मोह द्या गया। जब सारे मनुष्य मोह के बशीभूत हो गये तब कर्तव्याकर्तव्य के ज्ञान से शून्य होने के कारण उम के वर्म का विनाश हो गया। कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाने पर मोह के बशीभूत हुए सब मनुष्य लोभ के अधीन हो गये। फिर जो बस्तु उन्हें प्राप्त नहीं थी, उसे प्राप्त करने का वे प्रयत्न करने लगे। इतने में ही उन्हें काम नामक अन्य बोध ने घेर लिया। काम के अशीन हुए उन मनुष्यों पर राग नामक शब्द ने आक्रमण किया। राग के बशीभूत होकर वे कर्तव्याकर्तव्य की बात भी भूल गये। उन्होंने अगम्यागमन, वाच्य-अवाच्य, भक्ष्य-अभक्ष्य तथा दोष-अदोष कुछ भी नहीं छोड़ा।

इस प्रकार मनुष्यलोक में वर्म का विनाश हो जाने पर देवों के स्वाध्याय का भी लोप हो गया। वैदिकज्ञान का लोप होने से यज्ञ आदि कर्मों का भी विनाश हो गया। इस प्रकार जब वेद और वर्म का विनाश होने लगा तब देवताओं के मन में भय उत्पन्न हुआ। वे भयभीत होकर ब्रह्माजी की शरण में गये। लोकपितामह भगवान् ब्रह्मा को प्रसन्न कर के दुख के बेग से पीड़ित हुए सम्पूर्ण देवता उन से हाय जोड़कर बोले। भगवन्! मनुष्यलोक में लोभ, मोह आदि दूषित भावों ने सुनातन वैदिकज्ञान को बिलुप कर डाला है, इस कारण हमें बड़ा भय हो रहा है। ईश्वर तोनों लोकों के स्वामी परमेश्वर वैदिक ज्ञान का लोप होने से यज्ञ-वर्म नष्ट हो गया है। इस से हम सब देवता मनुष्यों के समान हो गये हैं। मनुष्य यज्ञ आदि में भी की आहुति बेकर हमारे लिए ऊपर की ओर वर्षा करते थे और हम उन के लिए भीचे की ओर जल-वर्षा करते थे, परन्तु अब उन के यज्ञकर्म का लोप हो जाने से हमारा जीवन सन्देह में पड़ गया है। पितामह अब जिस उपाय से हमारा कल्याण हो सके, वह सोचिए। आपके प्रभाव से हमें जो देव स्वभाव प्राप्त हुआ था वह नष्ट हो रहा है। देवताओं को इस

१. महामहान्तिः ५८, ५-१३।

२. वृही, ११, १४।

न वै रात्मा न राजासीन्न च दृढ़ो न दाण्डिङ्गः।

धर्मणैव प्रज्ञासर्वा रक्षितं सम परस्परम्।

प्रकार की प्रार्थना को सुनकर अह्मा ने उसे से कहा—“सुर थैषगण, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे कल्याण का उपाय सोचूँगा। तदनन्तर अह्माजी ने अपनी बुद्धि से एक लाज्जा अध्यायों के एक ऐसे नीतिशास्त्र की रचना की जिस में धर्म, अर्थ और काम का विस्तारपूर्वक वर्णन है।” जिस में इन बगी का वर्णन हुआ है, वह प्रकरण त्रिवर्ग नाम से विख्यात है।

तदनन्तर देवताओं ने भगवान् विष्णु के पास जाकर कहा—भगवन्! मनुष्यों में जो एक पुरुष सर्वथेषु पद प्राप्त करने का अधिकारी हो, उस का नाम बताइए। तब प्रभावशाली भगवान् नारायण ने भली-भांति विचार कर के एक मानसपुत्र की रूढिकी, जो विरजा के नाम से विख्यात हुआ। महाभाग विरजा ने पृथ्वी पर राजा होने की अनिच्छा प्रकट की। उन्होंने संभ्यास लेने का निश्चय किया। विरजा के कीर्तिमान् नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह भी पौत्रों विषयों से ऊपर ढाँकर मोक्ष मार्ग का ही अवलम्बन करने लगा। कीर्तिमान् के फर्दम नामक पुत्र हुआ। वह भी तपस्पा में रत हो गया। प्रजापति कर्दम के पुत्र का नाम अनंग था, जो कालक्रम से प्रजा का संरक्षण करने में समर्थ तथा दण्डनीतिशिद्या में निपुण था। अनंग के अतिवल नामक पुत्र हुआ। वह भी नीतिशास्त्र का ज्ञाता था। उस ने विशाल राज्य प्राप्त किया। राज्य प्राप्त कर के वह इन्द्रियों का धार बन गया। मूल्य की एक मानसिक कल्या थी, जिस का नाम आ सुनीया, जो अपने रूप और गुण के लिए तीनों लोकों में विख्यात थी। उसी ने वेन को जन्म दिया।

वेन राम-द्वेष के वशीभूत हो प्रजाओं पर अत्याचार करने लगा। तब वेदवाची ऋषियों ने मन्त्रपूत कुशों द्वारा उसे मार डाला। फिर वे ही कृषि मन्त्रोच्चारणपूर्वक वेन की दाहिनी जंघा का मन्थन करने लगे। उस से इस पृथ्वी पर एक नाटे काद का भनुष्य उत्पन्न हुआ, जिस की आकृति बेड़ौल थी। इस के पश्चात् फिर महर्षियों ने वेन की दाहिनी भुजा का मन्थन किया। उस से देवराज इन्द्र के समान पुष्प उत्पन्न हुआ। वह कथञ्च घारण किये, कमर में तलवार बांधे और बाण लिये प्रसुट हुआ। उसे वेदों और वेदान्तों का पूर्ण ज्ञान था। उसे धनुर्वेद का भी पूर्ण ज्ञान था। नरशेष्ठ वेनकुमार को समस्त दण्डनीति का स्वतः ही ज्ञान हो गया। उस ने हाथ जोड़कर उन महर्षियों से कहा कि धर्म और अर्थ का दर्शन कराने वाली अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि मुझे स्वतः ही ग्राप हो गयो है। मुझे इस बुद्धि के द्वारा आप लोगों की कौन-सी सेवा करती चाहिए, यह मुझे यथार्थ रूप से बताइए। तब वही देवताओं और उन महर्षियों ने उसे कहा—वेननन्दन जिस कार्य में नियमपूर्वक धर्म की सिद्धि होती हो, उसे निर्भय होकर करो। प्रिय और अप्रिय का विचार लोड़कर काम, क्रोध, लोभ और मान को दूर हटाकर समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखो। लोक में जो कोई भी मनुष्य

२. महा० शान्ति० २२, १५-३६।

धर्म से विचलित हो, उसे सनातन धर्म पर दृष्टि रखते हुए अपने बाहुबल से परास्त कर के दण्ड दो। साथ ही यह प्रतिशो कर कि मैं मन, धाणी और क्रिया द्वारा भूतुलवर्ती अहा ( वेद ) का निरन्तर पालन करूँगा। वेद और दण्डनीति से सम्बन्ध रखने वाला जो मित्य धर्म बताया गया है, उस का मैं किरणक होकर पालन करूँगा और कभी स्वच्छन्द नहीं होऊँगा। परमतप प्रभो, साथ ही यह प्रतिशो करो कि ब्राह्मण मेरे लिए अदण्डनीय होंगे तका मैं सम्पूर्ण अनशु की वर्णनकरता और धर्मसंकरसा से बचाऊँगा। तब वेनकुमार ने उन देवताओं तथा उन अग्रवर्ती लृषियों से कहा—जरुरेष्ट महात्माओं, महाभाग ब्राह्मण मेरे लिए सर्वदा बद्दनीय होंगे। उन से ऐसा कहने पर उन वेदवादी महर्षियों ने उन से इस प्रकार कहा—एवमस्तु। फिर शूक्राचार्य उन के पुरोहित बनाये गये, जो वैदिक ज्ञान के अण्डार हैं। भगवान् विष्णु, देवताओं सहित इन्द्र, ऋषिसमूह, प्रजापतिगण तथा ब्राह्मणों ने पृथु का ( वेनकुमार का ) राजा के पद पर अभिषेक किया।

इस प्रकार महाभारत में सामाजिक अनुबन्ध के सिद्धान्त का बड़े विस्तार के साथ वर्णन हुआ है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में महाभारत तथा दीत्यनिकाय के समान ही सामाजिक अनुबन्ध के सिद्धान्त का वर्णन मिलता है। कौटिल्य ने भी प्रारम्भ में राजा की नियुक्ति का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में यह वर्णन इस प्रकार मिलता है—“जब प्रजा मात्रस्यन्याय से पीड़ित हुई तो उस ने मनु को अपना राजा बनाया। राजा की सेवाओं के उपलक्ष्य में सुवर्ण आदि का वसवाँ भाग और घन-धार्य का छठा भाग कर के रूप में देने का वचन दिया। इस के उपलक्ष्य में मनु ने प्रजा के कल्याण, रक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया।”<sup>१</sup> महाभारत आदि में अहा द्वारा राजा की नियुक्ति का वर्णन है, किन्तु कौटिल्य के अर्थ-स्त्र में राजा की नियुक्ति अहा अथवा विष्णु के द्वारा नहीं बतायी गयी है, अपितु उस में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि प्रजा ने स्वयं ही अपने राजा का निर्वाचन किया।<sup>२</sup>

३. दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार राजा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा बतलायी गयी है। यह सिद्धान्त हम को महाभारत, धर्मशास्त्र एवं पुराणों में मिलता है। महाभारत में दैवी सिद्धान्त का वर्णन इस प्रकार मिलता है—“देव और नरदेव ( राजा ) दोनों समान ही हैं।”<sup>३</sup> अन्यत्र ऐसा उल्लेख मिलता है कि “राजा

१. महाभारतस्त्र॑ १६, ५७-११६।

२. कौटि॒ अर्थ॑ १, १३

मात्रस्यन्यायार्थमित्यता: प्रजा मनु वैवस्वतं राजनं चक्रिरे। भान्यशृङ्गाऽप० यद्यद्वामाणं हिरण्यं चात्म  
भान्यशेषं पलंपयोमासुः।

३. वृद्धी, १, १३

४. महाभारतस्त्र॑ १६, १४४

को देवताओं द्वारा स्थापित हुआ मानकर कोई भी उस की आशा का उल्लंघन नहीं करता। यह समस्त विश्व उस एक ही व्यक्ति (राजा) के बश में स्थित रहता है, उस के अपर मह जगत् अपना शासन नहीं चला सकता।”<sup>१</sup> उस में यह भी कहा गया है कि राजा पृथु की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान् विष्णु ने स्वर्घ उन के अन्तर में प्रवेश किया था। समस्त नरेशों में से राजा पृथु को ही यह सारा जगत् देवता के समान मस्तक झुकाता था।<sup>२</sup> इस प्रकार महाभारत में राजा और देवता में कोई अन्तर नहीं माना गया है। जिस प्रकार संसार के मनुष्य देवताओं को प्रणाम करते हैं, उन की उपासना करते हैं, उसी प्रकार राजा की भी देवता का साकात् स्वरूप मानकर उस की पूजा करते हैं तथा उस के सम्मुख अपना मस्तक झुकाते हैं।

युधिष्ठिर भीष्म से प्रश्न करते हैं कि मानवों के स्वामी राजा को आद्युण लोग देवता के समान क्यों मानते हैं?<sup>३</sup> इस प्रश्न के समाप्तान के लिए आचार्य भीष्म राजा नमुनना तथा बृहस्पति के ग्रन्थ द्वारा संबोध की प्रस्तुत इच्छा है। उस संबोध में ऐसा वर्णन आता है कि “यह भी एक मनुष्य है ऐसा समझकर कभी भी पृथ्वी का पालन करने वाले राजा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा मनुष्य रूप में एक महान् देवता है। राजा ही सर्वदा समयानुसार पौर्ण रूप धारण करता है। वह कभी अग्नि, कभी सूर्य, कभी मृत्यु, कभी कुबेर और कभी यम का स्वरूप धारण कर लेता है। जब पापी मनुष्य राजा के साथ मिथ्या उद्धवाहार कर के उसे ठगते हैं, तब वह अग्नि रूप हो जाता है और अपने उपतेज से सभीप आशे हुए उन पापियों को जलाकर भस्म कर देता है। जब राजा गुप्तचरों द्वारा समस्त प्रजाओं का निरोक्षण करता है और उन सब की रक्षा करता हुआ चलता है, तब वह सूर्य रूप होता है। जब कृष्ण होकर अषुद्ध आचरण करने वाले सैकड़ों मनुष्यों का उन के पुत्र, पीत्र और मन्त्रियों सहित सहार कर द्यालता है, तब वह मृत्यु रूप होता है। जब वह कठोर दण्ड के द्वारा समस्त अधार्मिक पुरुषों पर नियन्त्रण कर के उन्हें सन्मार्ग पर लाता है और धार्मिक पुरुषों पर अनुभग करता है उस समय वह यमराज माना जाता है। जब राजा उपकारी पुरुषों को धन रूपी जल की धाराओं से तृप्त करता है और अपकार करने वाले दुष्टों के विविध प्रकार के रत्नों को छीन लेता है। किसी राज्य हितेषी को धन देता है तो किसी राज्य विद्रोही के धन का अपहरण करता है, तो उस समय वह पृथ्वी-पालक नरेश इड संसार में कुबेर समझा जाता है।”<sup>४</sup>

१. महाभारत ४६, १३५।

२. वही, ४६, १३८।

३. वही, ४६, २८।

सबक्षोऽगुरुं चैभ राजानं योऽवमन्यते।

न सस्य दर्त्त न हृतं न आद्धं फलते कथचित्।

४. वही, ४८, ४०-५३।

धर्मशास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि विभिन्न देवताओं के अंशों से राजा की रक्षा होता है। मनुसमृति में लिखा है कि “इश्वर ने समस्त संसार की रक्षा के लिए इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, कन्द्र और कुबेर के सारभूत अंशों से राजा का सृजन किया।”<sup>१</sup> मनुसमृति में इस प्रकार का उपदेश है कि “यदि राजा आलक भी हो तो भी उस का अपमान नहीं करता चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य रूप में एक महान् देवता है।”<sup>२</sup>

इसी प्रकार आचार्य शुक्र भी राजा को दैवी उत्पत्ति में विश्वास रखते थे।<sup>३</sup> पुराणों में भी हम को इस सिद्धान्त का स्पष्ट वर्णन मिलता है। मत्स्यपुराण में लिखा है कि संसार के प्राणियों की रक्षा के लिए ब्रह्मा ने विविध देवताओं के अंशों से राजा की सृष्टि की।<sup>४</sup> विष्णुपुराण में राजा को देवता के मुख से इति प्रकार के धृष्ट अस्फुटित हुए हैं—“ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, वरुण, वाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्र तथा इन के अतिरिक्त और भी जितने देवता वाप देते हैं और अनुकम्पा करते हैं वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है।”<sup>५</sup>

इस सिद्धान्त का दूसरा स्वरूप यह है कि राजा की तुलना विभिन्न देवताओं से इस कारण की जाती है कि उस के कार्य तथा गुण देवताओं के ही समान हैं। योंनों ही स्वरूप बहुधा एक ग्रन्थ में उपलब्ध हो जाते हैं और कभी-कभी वे पृथक् भी पाये जाते हैं। मनु राजा को देवताओं के अंश से उत्पन्न हुआ बतलाते हैं और उस को उन्हीं देवताओं के समान कार्य करने का आदेश भी देते हैं, जिन के अंशों से उस की उत्पत्ति हुई है। इस का अभिप्राय यह है कि राजा के आवरण में देवत्व परिलक्षित होना चाहिए। मनु के अनुसार जब राजा में देवत्व है तो उसे अपने देवत्व के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।<sup>६</sup> इस प्रकार मनु ने राजा को देवत्व प्रदान कर के उस के उत्तरदायित्वों तथा उस के कर्तव्यों को एक निश्चित मार्ग प्रदान कर दिया है।

१. मनु० ३, ४८-५।

इन्द्रानिलनमार्क्षिणीमवनेश्च वरुणस्य च ।  
चक्षुश्चिरोश्योर्चैष मात्रा मिद्द्वल्ल हाश्वतीः ।  
यस्मादेवर्णं शुरेन्द्राणां मात्राभ्योऽनिमित्तं तृष्णः ।  
तस्मादभिभवत्येष सर्वशुलानि तेऽसा ।

२. नहीं, ७-८

जातोऽपि नावमत्तत्यो मनुष्य इति शुभिः ।  
महतो देवता होय नरलेण तिष्ठति ॥

३. शुक्र० १, ७१-७२।

४. भास्य० २२६, १।

५. विष्णु० १, १३, २६।

६. मनु० ४, ३०३-३०४।

हम्बस्पतिर्थ वर्णोर्च्च यमरण वरुणस्य च ।  
चन्द्रस्त्राणेऽप्यित्यवाश्च हेऽग्नेश्वरं नृपश्चरेत् ।  
वायिकोरचतुर्दो मासान्यथेन्द्रोऽभिप्रवर्षति ।  
तथाभिकर्त्तव्यं राष्ट्रं कामैरित्यवत्त अरच ॥

नारदसूति में बताया गया है कि राजा अग्नि, इन्द्र, सोम, यम और कुवेर इन पाँच देवताओं के कार्यों का सम्पादन करता है। यह वर्णन इस प्रकार है—“राजा के अकारण अथवा किसी कारण से क्रोधित होने पर क्रोध से दूसरे को ताप्तिकरणे अर्थात् उत्पीड़ित करने के कारण वह अग्नि के समान होता है। अपनी शक्ति के ऊपर निर्भर होता हुआ जब वह शस्त्र धारण कर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से आक्रमण करता है तो वह इन्द्र का स्वरूप धारण करता है। जब राजा तेज से लोगों को उत्पीड़ित करने वाले स्वरूप को हटाकर सौम्यभाव से जनता के सम्मुख उपस्थित होता है तब वह सोम का स्वरूप प्राप्त करता है। अपने व्याय के आसन पर बैठकर व्याय करते समय वह यम का स्वरूप धारण करता है। जब वह सम्मानित व्यक्तियों अथवा अभावशस्त्र व्यक्तियों को उपहार प्रदान करता है तो वह कुवेर का रूप धारण करता है।”<sup>१</sup> इस का अभिप्राय यही है कि जब राजा जिस देवता के समान आचरण करता है तब वह उसी देवता के स्वरूप को प्राप्त करता है। जब राजा के कामों में विभिन्न लोकपालों के गुणों का सामंजस्य दृष्टिगोचर होने लगता है तब उसे इन लोकपालों का अंशभूत कहा जाता है और इस प्रकार राजा सब से बड़ा लोकपाल कहा जाता है ( १७, ५२ )। इसी प्रकार पुराणों में भी विविध स्थलों पर राजा की तुलना विभिन्न देवताओं से की गयी है। मार्कण्डेयपुराण में नारदसूति की भाँति ही पाँचों देवताओं से राजा की तुलना की गयी है।<sup>२</sup> अग्निपुराण में भी राजा को सूर्य, चन्द्र, वायु, यम, वरुण, अग्नि, कुवेर, पूर्वी तथा विष्णु आदि देवताओं का स्वरूप माना है, क्योंकि वह उन के समान ही आचरण करता है।<sup>३</sup> शुक्लनीति में भी इस प्रकार के विवार उपलब्ध होते हैं।<sup>४</sup> भागवतपुराण के बनुसार विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, वायु, वरुण आदि देवता राजा के घरीर में निवास करते हैं और राजा सभी देवताओं के अंशों से परिपूर्ण होता है।<sup>५</sup> वायुपुराण में चक्रवर्ती राजा को विष्णु का

अष्टौ भाग्यधादित्यस्त्वयै हरिदि रश्मिभिः ।  
तथा हरित्कर्त्ता राष्ट्राद्वित्यमर्कवत्तं हि ततः ॥  
प्रजित्यर्थं भूतानि गथा चर्त्ततं भारुतः ।  
तथा चारैः प्रवेष्टव्यं क्लेषेतद्वि मास्तय ।  
भृषु अथः प्रियद्रुष्यो ग्रावते काले निधन्तति ।  
तथा राजा निधन्तत्वाः प्रजास्तद्वि यग्यतम् ।  
वरुणेन यथा पाशंकृष्टं एवाभिहस्यते ।  
तथा शाश्वतिगृहीनाह बत्सेहद्वि वारुणम् ।  
परिपूर्णं यथा चन्द्रं हस्त्रा दृष्यन्ति मानवाः ।  
तथाप्रकृतयो यस्मद् स चान्तर्वतिको त्रुणः ।

१. नारदसूति—जैनी ह्वारा अत्रुदित पृ० ११३-१४, श्लोक २६-२८।

२. मार्कण्डेय०. २७, ११-१२।

३. अग्निप०. २२६, १७-१९।

४. शुक्र०. १, ७३-७६।

५. भागवत०. ८, १४, ८६-८७।

वंश माना गया है।<sup>१</sup> रामायण में भी इसी प्रकार राजा को देवता बतलाया गया है और अनेक देवताओं से उस की तुलना की गयी है।<sup>२</sup>

राजा के देवी स्वरूप के वर्णन में दो सिद्धान्त प्रतिलिपि होते हैं। प्रथम तो यह कि राजा पृथ्वी पर मनुष्य रूप में यहान् देवता है और द्वितीय यह कि राजा का देवत्व उस के कार्यों में निहित है। विविध देवताओं के समान कार्य करने पर ही उस की उन देवताओं का स्वरूप प्रदान किया गया है। जब राजा जिस देवता के समान आचरण करता है तब वह उस की प्रतिमृति होता है। मनु उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों की मानते हैं, किन्तु नारद द्वितीय सिद्धान्त को ही स्वीकार करते हैं अर्थात् वे राजा को देवताओं के समान कार्य करने के कारण ही उसे देवता मानते हैं।

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि राजा के देवीस्वरूप का सिद्धान्त अति प्राचीन है और यह सिद्धान्त गुप्त काल तक प्रचलित रहा। सभी प्राचीन राज्यशासन वेत्ताओं एवं आचार्यों ने राजा को देवांशों से निश्चित बताया है तथा उस को उन्हीं देवों के समान आचरण करने का आदेश दिया है जिन के अंशों से उस का सूचन हुआ है। राजा को देवताओं के स्वरूप में तभी तक देखा जाता है जब तक वह उन के समान आचरण करता था। आचार्य सौमदेवसूरि भी इस परम्परागत विचार धारों में आस्था रखते थे। अतः उन्होंने इस विषय की विशद व्याख्या न कर के अपने विचार संक्षेप में ही व्यक्त किये हैं। उन का कथन है कि राजा ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्ति है अतः इस से दूसरा कोई प्रत्यक्ष देवता नहीं है (२९, १६)। उन्होंने राजा को उक्त देवताओं से इस प्रकार तुलना की है—जिस ने प्रथम बाश्रम (ब्रह्मचर्य) को स्वीकार किया है, जिस की बुद्धि परम ब्रह्म हैश्वर या (ब्रह्मवर्यव्रत) आसक्त है, गुणकुल को जपासना करने वाला एवं समस्त राज विद्वाओं (आन्वीक्षिकी, त्रयो, वार्ता और वण्डनीति) का वेता विद्वान् तथा युवराजपद से बलंकृत ऐसा ऋत्रिय का पुत्र राजा ब्रह्मा के समान माना गया है। लक्ष्मी की दीक्षा से अभिप्रियत अपने शिष्ट पालन व दुष्ट निग्लादि सद्गुणों के कारण प्रजा में अपने प्रति अनुराग उत्तम करने वाले राजा को नीतिकारों ने दिणा के समान बतलाया है। जिस की बड़ी ही प्रताप रूपी तृतीय नेत्र की अविन परम ऐश्वर्य को प्राप्त होने वाले राष्ट्रकृतक शशुरूप दामों के संहार में प्रयत्नशील है, ऐसा विजिगीषु राजा महेश के समान बतलाया गया है ( २९, १७-१९ )। इस प्रकार राजा के लीनों देवों के समान आचरण करने को बात नीतिवाच्यमृत में उपलब्ध होती है। इस ग्रन्थ में भी देवताओं के समान आचरण करने के कारण ही राजा को देवी स्वरूप प्रदान किया गया है।

१. वायु०, ५७, ५२।

२. रामायण, ३, १, १८-१९।

## राजा की योग्यता

प्राचीन राजविद्यालय प्रणेताओं ने राजा के लिए कुछ विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक बतलाया है। उसका वह अस्तित्व हो सकता है जिस में शास्त्रों द्वारा निर्धारित योग्यताएँ होती थीं। राजा में साधारण व्यक्ति की अपेक्षा महान् गुण होने आवश्यक है, क्योंकि वह जनता का स्वामी होता है। आचार्य सोमदेवसूरि ने राजा की पीयताओं का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। आचार्य द्वारा राजा के लिए प्रथम कोटि में निर्धारित योग्यताओं को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम कोटि में राजा की राजनीतिक योग्यताएँ आती हैं, जो उस के राजा होने के लिए परम आवश्यक हैं। उन्हीं के होने से राज्य की स्थिरता एवं समृद्धि सम्भव है। द्वितीय कोटि में उस की सामान्य योग्यताएँ आती हैं, जोकि उस में तथा साधारण व्यक्ति दोनों में ही होनी चाहिए। ये योग्यताएँ राजा की सामाजिक स्थिति से सम्बन्ध रखने वाली हैं। इसलिए इन की सामान्य योग्यताओं की श्रेणी में रखा गया है। आचार्य सोमदेव ने ये योग्यताएँ राजा तथा साधारण व्यक्तियों, दोनों के लिए आवश्यक बतलायी हैं। राजा की इन योग्यताओं के कारण ही उस के राज्य में देश की सामाजिक उन्नति सम्भव हो सकती है। जिस राजा में इन गुणों का अभाव होता उस राज्य की सामाजिक स्थिति सकंती है। उन गुणों का अभाव होता उस का कर्षणार है। उनका नहीं हो सकती। राजा भी समाज का ही अंग है और वही उस का कर्षणार है। समाज की उन्नति उसी के व्यक्तित्व पर निर्भर है। इसी उद्देश्य से आचार्य सोमदेव ने राजा की उन्नति में सहायक उन योग्यताओं का भी उल्लेख किया है जिन का सम्बन्ध समाज से है और जिन गुणों पर देश की सामाजिक उन्नति निर्भर है।

राजा की योग्यताओं का उल्लेख तीतिवाक्यामृत में एक स्थान पर ही नहीं हूआ है अपितु स्थान-स्थान पर हन योग्यताओं अथवा गुणों का उल्लेख मिलता है। राजा की इन योग्यताओं का वर्णन संक्षेप में इस प्रकार किया जा सकता है—“राजा को जितेन्द्रिय, महान् पराक्रमी, नीतिवास्त्र का जाता, आत्मोक्षिकी, त्रयी, वातीं और दण्डनीति आदि राजविद्याओं में पारंगत, वयो (तीव्रों देवों) का जाता, नास्तिकदर्शन का जामने वाला, उत्साही, घरमिमा, स्वाभिमानी, शारीरिकमनोज्ञ आकृति से युक्त, विनम्र, न्यायी, प्रजापालक, साम, दाम, दण्ड और भेद आदि नीतियों में प्रवीण तथा बाह्यगुण्य (सन्धि, विप्रह, यान, आसन, संध्य, एवं देवीभाव) के प्रयोग में वक्त होना चाहिए।”

राजा की सामान्य योग्यताओं का वर्णन भी इनेक स्थलों पर हुआ है। उन सब का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है—“राजा को जितेन्द्रिय, काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मान, मद इस अरिष्ठद्वयों का विजेता, सदाचारी, विनयी, निरभिमानी, अक्रोध, कुलीन, क्षमाशील, गुणग्राही, दानी, गुरुजनों का सम्मान करने वाला होना चाहिए।”

राजा की उपर्युक्त योग्यताओं अथवा गुणों के साथ ही नीतिवाक्यामृत में राजा

नीतिवाक्यामृत में राजनीति

के दोषों पर भी प्रकाश आला गया है। उन दोषों के कारण होने वाली हानियों का और भी संकेत किया गया है। राजा के अवगुणों में कामुकता, क्रोध, दुराचारिता, दुष्टता, सैन्यहीनता, अभिमान, शासनज्ञानशून्यता, मूर्खता, अनाचार, कायरता, दुराघटता, व्यस्त, स्वेच्छाचारिता, लोभ, आलस्य, अविश्वास, सेवकों को आश्रय न देना आदि सम्मिलित हैं।

### राजा की योग्यताओं के विषय में अन्य आचार्यों के विचार

राजा की योग्यताओं के विषय में स्मृतिकारों तथा अर्थशास्त्र के रचयिताओं एवं नीतिशास्त्र के प्रणेताओं ने पूर्ण प्रकाश आला है। याज्ञवल्य ने राजा को राजनीति प्रधान एवं सामान्य योग्यताओं पर पर्याप्तप्रकाश आला है। उन्होंने राजषर्म के प्रकरण का प्रारम्भ ही राजा की योग्यताओं के वर्णन से किया है। प्रथम कोटि में आने वाली योग्यताओं के विषय में वे इस प्रकार लिखते हैं—“राजा को अतिवत्सम्मी, पण्डित, धूरबोर, रहस्यों का ज्ञाता ( बैठों का ज्ञाता ), राज्य की शिथिलता को गुप्त रखने वाला, राजनीति में निपुण, वेदत्रयी का ज्ञाता एवं वाती और दण्डनीति में कुशल होना चाहिए। इस के साथ ही उसे बाध्यगुण मन्त्र का भी ज्ञाता होना चाहिए।”<sup>१</sup>

द्वितीय कोटि में आने वाली योग्यताओं के सम्बन्ध में याज्ञवल्य लिखते हैं कि “वह ( राजा ) आन्वीक्षिकी ( आत्मविद्या, तर्कशास्त्र ) में निपुण, विनीत, स्मृतिमान्, सत्यवादी, वृद्धजनों का सम्मान करने वाला, अश्लील और कठोर वाणी से रहित, धार्मिक, व्यावहारिक वस्तुओं जैसे कृषि कर्म, कौश वृद्धि आदि कार्यों का ज्ञाता एवं जितेन्द्रिय होना चाहिए।”<sup>२</sup>

नारद ने राजा की योग्यताओं के विषय में केवल इतना ही लिखा है कि “राजा अपने दिनय और सदाचार से ही प्रजा पर प्रभुत्व प्राप्त करता है।”<sup>३</sup> अग्निपुराण में भगवान् राम के मुख से राजा के लक्षणों का वर्णन कराया गया है जो इस प्रकार है—“राजकुल में उत्पन्न, शील, अवस्था, सत्य ( धैर्य ), दक्षिण्य, अिग्रकारिता, वहभक्तित्व, अविसंवादिता ( सत्यप्रतिज्ञता ), कृतज्ञता, देवसम्पन्नता ( भाग्यशीलता ), अक्षुद्र पारिवारिकता, दीर्घविशिष्टा, पवित्रता, स्थूल लक्षण ( बानशीलता ), धार्मिकता, वृद्धसेवा, सत्य और उत्साह आदि गुणों से सम्पन्न ही व्यक्ति राजा बनने योग्य है।”<sup>४</sup>

आचार्य शुक्र का कहना है कि पूर्व जन्म के तप के कारण ही व्यक्ति राजा होता है। पूर्व जन्म में वह जैसी तपस्या कर चुका होता है उसी के अनुरूप वह सात्त्विक, राजसी या तामसी होता है। जो राजा सात्त्विक तप किया होता है वह

१. याज० १, ३१०-११।

२. वही, १, ५०८-११।

३. नारदसूत्र अ० १०, (१८) श्लोक २५, जोंको हारा अनूदित।

४. अग्नि० २२६, २-५।

वर्मनिष्ठ, प्रजापालक, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, शत्रु-विजेता, बानी, क्षमाशील, शूरवीर, निर्लोकी तथा शिष्यद तौर व्यसनों से विरक्त होता है और वह सात्त्विक राजा अस्त समय में मोक्ष को प्राप्त करता है।<sup>१</sup>

आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 'पण्डित योनि' नामक छठे अधिकरण में अत्यन्त विस्तार के साथ इस विषय पर विचार किया है। उन का कथन है कि 'राजा के १६ आभिगामिक, ८ प्रजा के, ४ उत्साह के तथा ३० आत्मसम्पत् के गुण हैं, जिन में' महाकुलीन, भास्यशाली, मेषादी, धैर्यशाली, दूरददी, धार्मिक, सत्यवादी, सत्यप्रतिश, कृतज्ञ, महादानी, महान् उत्साहो, शिप्रकारी, दृढ़ निश्चय, समीपवर्ती राजाओं को जीतने में समर्थ, उदार परिवार वाला और शास्त्र भयदिक्षाओं को चाहने वाला—ये राजा के १६ आभिगामिक गुण हैं।'<sup>२</sup>

शुश्रूषा, अवण, महण, धारण, विज्ञान, ऊहापोह, तत्त्व तथा अभिनिवेदा—शुश्रूषा, अवण, महण, धारण, विज्ञान, ऊहापोह, तत्त्व तथा अभिनिवेदा—ये ८ प्रजा के गुण हैं। शौर्य, अमर्त, शोषणता तथा दक्षता—ये ४ उत्साह के गुण हैं। इसी प्रकार आत्मसम्पत् के विषय में कौटिल्य कहते हैं कि बास्ती ( अर्थपूर्ण भाषण करने में समर्थ ), प्रगल्भ ( सभा में बोलते समय कम्परहित ), स्मृति, मति तथा बल से युक्त, उत्तम चित्त, संयमी, हाथी, घोड़े आदि के चलाने में निपुण, शब्द की विपस्ति में आक्रमण करने वाला, किसी के ढारा उपकार या अपकार किये जाने पर उस का प्रतिकार करने वाला, लज्जाजील, दुर्भिक्ष और सुभिक्ष आदि में अन्नादि का ठोक-ठीक विनियोग करने वाला, संधि के प्रयोग को समझने वाला, प्रकाशमुद्ध में चतुर, मुपात्र को दान देने वाला, प्रजा को कष्ट न पहुँचाकर ही गुप्त रूप से कोष की वृद्धि करने वाला, शत्रु के अन्दर भूग्रया चूत आदि व्यसनों को देखकर उस पर तीक्ष्ण रस आदि प्रयोग करने में समर्थ, अपने मन्त्र को गुप्त रखने वाला, काम, क्रोध, मोह, लोभ, चपलता, उपताप और पैदात्य से सदा अलग रहने वाला, प्रिय बोलने वाला, हँसमुख तथा उदार भाषण करने वाला और वृद्धों के उपदेश तथा आचार का मानने वाला राजा होना चाहिए। ये ही राजा की आत्मसम्पत् हैं। महाभारत में भी राजा के ये लक्षण कुछ संक्षेप में और कुछ विस्तार के साथ कहे गये हैं।<sup>३</sup>

### सोमदेव के अनुसार राजा की योग्यताओं अथवा गुणों का विवेचन

राजा के लिए पराक्रम, सदाचार तथा राजनीतिक ज्ञान तीनों ही बातें राज्य को स्थायी बनाने के लिए परम आवश्यक हैं ( ५, ४१ )। यदि इन में से एक का भी विभाव होगा तो राज्य नष्ट हो जायेगा। आचार्य सोमदेव ने यह भी बताया कि राजनीतिक ज्ञान तथा पराक्रम का ध्यारण करने वाला कौन राजा ही सकता है। इस

१. शुक्र०, १, २०, २६-३१।

२. कौ० अर्थ०, ६, १।

३. वही, ६, १।

४. महाभास्त्रिण०, ६६, १६, ५७, १३-१४।

सम्बन्ध में सोमदेव लिखते हैं कि वहीं राजा राजनीति और पराक्रम का समान ही सकता है जो स्वयं राजनीतिक ज्ञानवान् हो अथवा जो अमात्य आदि के द्वारा निर्दिष्ट राजनीति के सिद्धान्तों का पालन करने वाला है (५, ३०)। राजा के लिए बुद्धिमान् एवं नीतिशास्त्र का भी ज्ञान होना परम आवश्यक है क्योंकि बुद्धिमान् एवं नीतिशास्त्र ज्ञाना पुरुष ही शासन कार्य को सुचारू रूप से चला सकता है (५, ३१)। शासन एक कला है और उसे वही व्यक्ति संचालित कर सकते हैं, जिन्होंने इस कला की शिक्षा प्राप्त की है। इस कला का ज्ञान राजा को नीतिशास्त्रों के अध्ययन से ही होता है। आचार्य सोमदेव बुद्धिमान् राजा का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि "जिस ने नीतिशास्त्र के अध्ययन से राजनीतिक ज्ञान और वज्रता प्राप्त की है, उसे बुद्धिमान् कहते हैं। शास्त्रज्ञान के लाभ का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पदार्थ या प्रयोजन नेत्रों से प्रतीत नहीं होता उरा को प्रकाश में लाने के लिए शास्त्र पुरुषों का तूलीय नेत्र है (५, ३४)। शास्त्रज्ञान से हीन पुरुष अन्धे के समान संसार में भटकता फिरता है। शास्त्रज्ञान से शून्य मूर्ख अवित्त को धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं ही सकता। जिस व्यक्ति को इन बातों का ही ज्ञान नहीं वह राजपद के सर्वथा अयोग्य है। इसी उद्देश्य से आचार्य ने राजा के लिए शास्त्रज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया है (५, ३५)।

शास्त्रज्ञान के साथ ही साथ राजाओं को आन्वीक्षिकी, प्रयोगी, वात्ता एवं दण्ड-नीति आदि राजविद्याओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है। ये विद्याएँ राज्य की धोवृद्धि के लिए आवश्यक हैं। इन चारों विद्याओं के ज्ञान से होने वाले लाभ का वर्णन करते हुए आचार्य ने बड़े विस्तार के साथ इनकी व्याख्या की है। आन्वीक्षिकी विद्या के विषय में सोमदेव लिखते हैं कि जो राजा अध्यात्म विद्या (आन्वीक्षिकी विद्या) का विद्वान् होता है वह सहज (कषाय और अन्धाय से होने वाले राजसिक और तामसिक दुःख) तथा शारीरिक दुःख (ज्वर आदि से होने वाली पीड़ा), मानसिक एवं आभन्तुक दुःखों (भविष्य में होने वाले अतिवृष्टि, अनावृष्टि और शाश्रुकृत अपकार आदि) के कारणों से पीड़ित नहीं होता है (६, २)। जो राजा नास्तिक दर्शन को भली-भीति जानता है वह अवश्य ही राष्ट्रकंटकों (प्रजा को पीड़ित करने वाले जार—चोर आदि दुष्टों) को जड़मूल से नष्ट कर देता है (६, ३)। अपराधियों को क्षमादान देना साधु पुरुषों का भूषण है न कि राजाओं का। राजाओं का भूषण तो अपराधियों को उन के अपराधानुसार दण्ड देना है (६, ३७)।

राजा के लिए पराक्रमी होना भी परम आवश्यक है, क्योंकि विनाय पराक्रम के प्रभाव राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करती, शत्रु भयभीत नहीं होते और उस के राज्य पर आक्रमण कर के उस को अपने अधीन बना लेते हैं। अतः विजिगोषु राजा को अपनी राज्यवृद्धि के लिए पराक्रमो—संन्य एवं कोष—शक्ति से पूर्णतया सम्पन्न होना चाहिए। इस विषय में आचार्यश्री का कथन है कि "जिस प्रकार अग्निरहित के बल राजा

अस्म को साधारण व्यक्ति भी पैरों से उकरा देते हैं उसी प्रकार पराक्रमविद्वीन राजा के विशुद्ध साधारण व्यक्ति भी बिंदोह कर देते हैं ( ६,३८ ) ।

विशुद्ध साधारण व्यक्ति भा विद्रोह कर दत दृ ( ५,८८ ) । अमी विद्या के ज्ञाता राजा के राज्य में चातुर्वर्ण के लोग अपने-अपने धर्म का पालन स्वतन्त्रतापूर्खक नियंत्रित रूप दे करते हैं । इसे राजा और प्रजा दोनों को ही धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है ( ७,२ ) । बार्ता के विषय में आचार्य लिखते हैं कि जिस राजा के राज्य में वार्ता—कृषि, पशुपालन और व्यापार आदि से प्रजा के जीविकोपयोग साधनों को उन्नति होती है, वहाँ पर उसे समस्त विभूतियाँ प्राप्त होती है ( ८,२ ) । दण्डनीति में कुण्डल राजा से होने वाले लाभ की व्याख्या करते हुए आचार्य सोमवेद लिखते हैं कि राजा को यमराज के समान कठोर होकर अपराक्रियों को विहित करते रहना चाहिए । ऐसा करने से प्रजार्थग अपनी-अपनी मर्यादाओं का उत्तराधन नहीं करते अर्थात् अपने-अपने वर्णश्रिय धर्म पर आरुद्ध होकर दुर्जुस्त्यों में प्रवृत्ति नहीं करते । अतः उसे धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों को उत्तराधन करने वाली विभूतियाँ प्राप्त होती हैं ( ५,६० ) । राजा को निरन्तर इन राज्यिकाओं का अभ्यास करते रहना चाहिए । जो राजा इन का अध्ययन नहीं करता और न विद्वानों की संगति ही करता है वह अवश्य ही उन्मार्गियाँ होकर निरंकुश हास्यी के समान वाश को प्राप्त होता है ( ५,६५ ) ।

राजा के न्यायी होने का विधान नीतिवाक्याभूत में किया गया है। आचार्य लिखते हैं कि यदि राजा न्यायपूर्वक प्रजा-पालन करता है तब सभी दिवाएँ प्रजा को अभिलेखित फल देने वाली होती हैं ( १७, ४५ )। न्यायी राजा के प्रभाव से व्यथादोष ब्लडवृष्टि होती है और प्रजा के सभी उपद्रव शारीर होते हैं तथा समस्त लोकपाल राजा का अनुकरण करते हैं ( १७, ४६ )। राजा के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद आदि नीतियों का ज्ञाता होना भी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सोमदेव लिखते हैं कि जो पुरुष शत्रुओं द्वारा की जानेवाली वैर-विरोध की परम्परा को साम, दाम, दण्ड व भेद आदि नीतिक उपायों से नष्ट नहीं करता उस को वंश वृद्धि नहीं हो सकती ( ३६, १६ )।

रात्रा के व्रोष

सोमदेवसूरि ने अपने प्रन्थ नीतिवाक्याभूत में राजा के दोषों पर भी प्रकाश क्षाला है। अन्य राजनीतिज्ञों ने भी राजा के दोषों की ओर संकेत किया है। इस विषय में महाभारत के सभापर्व में नारदजी कहते हैं कि “वासिस्तकृता, मिथ्याभाषण, क्रोध, प्रसाद (बकरीय का आचरण और कर्तव्य का त्याग), दोषसुन्तरा, ज्ञानियों का संसर्ग न करना, बालश्य, इन्द्रिय परायणादा, अकेले ही राज्य की समस्याओं पर विचार करना, अनभिज्ञ लोगों के साथ मन्त्रणा करना, मन्त्रणा में निदिष्ट कार्यों का आरम्भ न करना, मन्त्रणा को गुप्त न रखना, मांगलिक कार्यों का प्रयोग न करना और एक साथ ही बहुत से धन्वन्त्रों का विशेष करना ये राजाओं के दोष हैं। अतः राजा को

परीक्षापूर्वक इन चौदह दोषों से बचना चाहिए ।<sup>१</sup>

रामायण में भी राजा के उपरोक्त दोषों का वर्णन मिलता है ।<sup>२</sup> रामायण एवं प्रह्लादारत दोनों ही महाकाव्य इस बात पर बल देते हैं कि राजा को उपर्युक्त दोषों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए ।

### सोमदेव के अनुसार राजा के दोषों का विवेचन

क्रोध को सभी शास्त्रकारों ने मनुष्य का महान् शत्रु बतलाया है । आचारों का कथन है कि क्रोध ब्रत, तप, नियम और उपवास आदि से उत्पन्न ही प्रचुर पुण्यराशि को नष्ट कर देता है । इसलिए जो महापुरुष इस के वशीभूत नहीं होता उस का पुण्य बढ़ता रहता है । किन्तु राजा के लिए ऐसा नहीं है । उस के लिए न्याययुक्त क्रोध करने का विवान है । यदि राजा सर्वथा क्रोध का त्याग कर देगा तो राज्य में अराजकता फैल जायेगी, क्योंकि सौम्य प्रकृति के राजा से दुष्ट प्रकृति के लोग भयभीत नहीं होंगे और वे भात्स्थन्याय का सूजन करेंगे । इस से राज्य में अराजकता फैल जायेगी । दण्ड के भय से ही प्रेत राजा की आज्ञाओं का अनुसर नहीं है । क्रोध या परिपात्र दण्ड है । जब लोग यह समझने लगेंगे कि हमारा राजा तो सत्त है वह किसी पर भी क्रोध नहीं करता तो वे अपने को अदण्ड्य समझकर मनमानी करने लगेंगे । अतः राजा के लिए क्रोध के सर्वथा त्याग का विवान नहीं है । यह विवान तो गृहस्थ लोगों के लिए अवधा बासप्रस्थी तथा संन्यासियों के लिए ही है, किन्तु इतना अवश्य है कि राजा को अपनी शक्ति के अनुकूल ही क्रोध करना चाहिए । यदि वह इस के विपरीत क्रोध करेगा तो लक्ष्य नष्ट हो जायेगा । इस सम्बन्ध में आचार्य लिखते हैं कि “को अवित अपनी और शत्रु की शक्ति को न जानकर क्रोध करता है वह क्रोध उस के विनाश का कारण होता है (४, ३)।” अभिमान भी राजा का हुर्गण है (५, २९) । जो राजा अभिमान के कारण अपने अमात्य, गुरुजन एवं बन्धुओं की उपेक्षा करता है वह रावण की तरह नष्ट हो जाता है । अतः नैतिक पुरुष को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए । शास्त्रज्ञान से रहित राजा भी राजपद के अयोग्य है, क्योंकि इस के अभाव में वह शासन कार्यों को ठीक प्रकार से सम्झन नहीं कर सकता । इस की हानि का उल्लेख करते हुए सोमदेव ने लिखा है कि जो राजा राजनीतिशास्त्र के ज्ञान से शून्य है और केवल शूरकीरता ही दिखाता है उस का सिंह की भाँति चिरकाल तक कल्याण नहीं होता (५, ३३) । दुष्टता भी राजा का महान् अवगुण है । दुष्ट राजा का लक्षण बताते हुए आचार्य ने लिखा है कि जो योग्य और अयोग्य पदार्थों के सम्बन्ध में जागरूक है अर्थात् जो योग्य अवक्षियों का अपमान और अयोग्य अवक्षियों को दान और सम्मान आदि से ब्रसन्न करता है तथा विपरीत बुद्धि से युक्त है अर्थात् विषट् पुरुषों के चान्दाचार

१. नहीं सभाय ५, १०७-१०८ ।

२. रामायण — २, १००, ६२-६३ ।

की अवहेलना कर के पापकर्मों में प्रवृत्ति करता है उसे दुष्ट कहते हैं (५, ४१)। दुष्ट राजा से प्रजा का विनाश ही होता है। उसे छोड़कर बुसरा कोई उपद्रव नहीं हो सकता (५, ४०)। इस के साथ ही मूर्खता, अनाचार और कायरता भी राजा के भीषण दोषों के अन्तर्गत आते हैं। इस सम्बन्ध में आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि “जो पुरुष उक्त दोषों से युक्त है वह पापल हाथों की भौति राजपद के सर्वथा अयोग्य है अथवा जिस प्रकार पापल हाथों जनसाधारण के लिए भयंकर होता है उसी प्रकार जब मनुष्य में राजसीतिक ज्ञान, आचार सम्पत्ति, शृंखला आदि गुण नष्ट होकर उन के स्थान पर मूर्खता, अनाचार और कायरता आदि दोष घर कर लेते हैं तब वह पापल हाथों की तरह भयंकर हो जाने से राजपद के योग्य नहीं रहता (५, ४२)। मूर्ख राजा की भी समस्त राजशास्त्र वेताओं ने निन्दा की है। आचार्य सोमदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि राज्य में राजा का न होना थेष है किन्तु उस में मूर्ख राजा का किसी भी प्रकार से होना ठोक नहीं है (५, ३८)। मूर्खता के साथ ही दुरायह भी राजा का दूषण है। मूर्ख और दुरायही राजा से राष्ट्र को हानि होती है, क्योंकि वह हितेषी पुरुषों की परम हितकारक बात की भी अवहेलना करता है जिस से राष्ट्र की श्रीवृद्धि नहीं हो पाती (५, ७५)। व्यसनी राजा से भी राष्ट्र का अहित होता है। इस सम्बन्ध में आचार्य का कथन है कि जो राजा १८ प्रकार के व्यसनों में से किसी एक व्यसन में भी प्रस्त है वह चतुरंगसेना ( हाथी, घोड़े, रथ, पदाति ) से युक्त हुआ भी नष्ट हो जाता है। स्वेच्छाचारिता भी राजा का महान् अवगुण है। जो राजा किसी को बात न शान्तकर मनमाने देंग से शासन करता है वह चिरकाल तक सुखो तथा सुरक्षित नहीं रहता। आचार्य इस सम्बन्ध में लिखते हैं कि स्वेच्छाचारी आत्मीयजनों अथवा शत्रुओं द्वारा नष्ट कर दिया जाता है (१०, ५८)। विजयलक्ष्मी के इच्छुक पुरुष को कदापि काम के बर्णीभूत नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान, हर्ष ये राजाओं के ६ अन्तर्गत शत्रु हैं। जो राजा नितेन्द्रिय और तीतिमार्ग का अनुसरण करने वाला है ( सदाचारी है ) उस को लक्ष्मी प्रकाशवान् और कीर्ति आकाश को स्पर्श करने वाली होती है। सदाचार वृश परम्परा या पुरुषार्थ से ब्रात ही राजलक्ष्मी के चिरस्थायी बनाने में कारण है। नीति चिरछ, असत् प्रवृत्ति, दुराचार से राज्य नष्ट होता है। अतः जो राजा अपने राज्य को चिरस्थायी बनाने का इच्छुक है उसे सदाचारी होना चाहिए (५, २८)। चिरभिमानता तथा अभिमान से होने वाले परिणाम की व्याख्या करते हुए सोमदेव लिखते हैं कि निरभिमानता से ही पराक्रम की शोभा छढ़ती है ( ५, २९ )। जो राजा अभिमान के कारण अपने अमात्य, गुरुजन और बन्धुओं की उपेक्षा करता है वह रावण की तरह नष्ट हो जाता है।<sup>१</sup>

इस प्रकार सोमदेवसूरि ने राजा के गुण-दोषों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। राजा के नियरुक्त गुणों के कारण राष्ट्र तथा राजा को क्या लाभ होते हैं और

<sup>१</sup>. शुरु-नीतिवान्, पृ० ६१।

उस के दीर्घी के कारण यथा हांन होती है, इप विषय पर बहुत सुन्दर छंग से प्रकाश डाला गया है जो कि नीतिशास्त्र के अव्येताओं एवं शासक वर्ग के लिए परम उपयोगी है। यदि शासक इन गुणों को अपने चरित्र में आत्मसात् करेंगे और दोषों का परिहार करेंगे तो इस से राष्ट्र का परम कल्याण होगा। साधारण व्यक्तियों के लिए भी इन गुणों का प्रहण करना तथा दोषों का निवारण बहुत आवश्यक है। वे भी इस उपदेशात्मक वर्णन से जीवन को सफल बना सकते हैं।

यद्यपि प्राचीन आचार्यों ने राजा में देवत्व का आरोप कर के उस को देवताओं के अंश से निमित बताया है, किन्तु फिर भी उस के लिए उपर्युक्त योग्यताओं का भी विषयन है। राजा इन्हीं गुणों अथवा योग्यताओं के द्वारा विभिन्न देवों के समान कार्य करने में समर्थ हो सकता है। राजा के देवत्व का इन योग्यताओं से बहुत अनिष्ट सुस्वर्ण प्रतीत होता है और ये एक-दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। न्यायी राजा का अनुकरण समस्त लोकपाल करते हैं। इसी कारण आचार्यों ने राजा को मध्यम लोकपाल—होने पर भी उत्तम लोकपाल—स्वर्गलोक का रक्षक कहा है (१७, ४७)। इस प्रकार का वर्णन नीतिकान्यामृत में प्राप्त होता है। इस से स्पष्ट है कि राजा अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही देवत्व प्राप्त करता था।

### राजा के कर्तव्य

राजा का जन्म समाज में अराजकता को दूर करने के लिए हुआ था। राजा अपने राजत्व के कारण ही समाज में शान्ति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी था। वेदों में राजा को राष्ट्रों का सौन्दर्य और राष्ट्र की दोषा बताया गया है। राजा के महत्व और उस के विशिष्ट कर्तव्यों के कारण ही उस के लिए इतना उच्च पद प्रदान किया गया था। अराजकता को नष्ट करने, प्रजापालन, देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए ही राजा को आवश्यकता प्रतीत हुई। यही राजा के कर्तव्य हैं। राजा धर्म के लिए होता है न कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए।<sup>१</sup> महाभारत के शान्ति-पद्म में इन्द्र मानवाता से कहते हैं कि राजा धर्म का रक्षक होता है। जो राजा धर्मपूर्वक राज्य करता है वह देवता साना जाता है और जो राजा धर्माचारी होता है वह नरकगामी होता है। जिस में धर्म रहता है उसी को राजा कहते हैं<sup>२</sup>।

आचार्य सोमदेवसूरि ने नीतिकान्यामृत के विभिन्न समुद्देशों में राजा के कर्तव्यों को और संकेत किया है जिन का वर्णन हम निम्नलिखित उपशोधकों द्वारा कर सकते हैं—

१. प्रजा की रक्षा एवं पालन-पोषण—बाह्य शत्रुओं एवं आन्तरिक राष्ट्रकण्ठकों से प्रजा की रक्षा करना राजा का सर्व प्रमुख कर्तव्य है। शत्रुओं से प्रजा की

१- महाभास्त्र १०, ३।

२- महाभास्त्र १०, ३३-३४।

३- महाभास्त्र १०, ४५।

रक्षा के सम्बन्ध में सोमदेव लिखते हैं कि जो पुरुष ( राजा ) शत्रुओं पर पराक्रम नहीं दिखाता वह जीवित ही मृतक के समान है । आचार्य अन्यदि लिखते हैं कि जिस राजा का गुणगान शत्रुओं की सभा में विशेष रूप से नहीं किया जाता उस की उल्लंघन व विजय कदापि नहीं हो सकती ( २६, ३६ ) । राजा को प्रजा-कार्यों, प्रजा-पालन व दुष्ट नियमह आदि का सब्द ही निरीक्षण करता चाहिए । इन कार्यों को राजकर्मचारियों के ऊपर कभी नहीं छोड़ना चाहिए ( १७, ३२ ) । प्रजा की रक्षा न करने वाले राजा को आचार्य सोमदेव ने निष्कृतीय बताया है ( ७, २१ ) । प्रजा की रक्षा करता ही राजा का सब से महान् धर्म है, अन्य द्रव्यों की वर्तीती उस के लिए गौण है । प्रजा-पीड़क दुष्टों पर भी क्षमा धारण करने का विषान साष्टु-पुरुषों के लिए ही है, राजा के लिए नहीं । राजा का धर्म तो दुष्टों का दमन करना ही है । जो राजा पापियों का नियमह करता है उस से उसे उत्कृष्ट धर्म को प्राप्ति होती है । उन का बद्ध करने अथवा उन्हें दण्डित करने से राजा को पाप नहीं लगता । राजा के द्वारा सुरक्षित प्रजा अपने अभिलिपित पुरुषाधों को प्राप्त करती है । इस के विपरीत अन्याधों का नियमह न होने से उस राज्य की प्रजा सदैव दुःखी रहेगी और उस का उत्तरदायित्व राजा पर ही होगा । इसी कारण आचार्य लिखते हैं कि जो राजा दुष्टों का नियमह नहीं करता उस का राज्य उसे नरक ले जाता है ( ६, ४४ ) । उसे सर्वदा प्रजा की रक्षा का चिन्तन करना चाहिए । इस विषय में सोमदेव लिखते हैं कि राजा को ध्यानावस्थित होकर इस मन्त्र का ज्ञाप करना चाहिए—“मैं इस पुष्ट्री रूपी गाय की रक्षा करता हूँ जिस के चार समुद्र ही यन है, धर्म ( शिष्ट पालन, दुष्ट नियमह ) ही जिस का बछड़ा है, उत्साह रूप पूँछ वाले वर्णश्रित ही जिस के ब्लूर हैं । जो काम और अर्थ रूप यनों वाली है । वप व प्रताप हो जिस के सींग हैं एवं जो व्याय रूप मुख से मुक्त है । इस प्रकार की मेरी पुष्ट्री रूपी गाय का जो अपराध करेगा, उसे मैं मन से भी सहम नहीं करूँगा ( २५, ९६ ) । सभी प्रकार के अन्याधों से प्रजा की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है । प्रजा-पीड़ा एवं अन्याय की वृद्धि से राज्य व कोष नष्ट हो जाता है ( १९, १७ ) ।

केवल प्रजा की रक्षा करना ही राजा का कर्तव्य नहीं, अरितु रक्षा के साथ ही साथ प्रजा का सर्वांगीण विकास करना भी उस का कर्तव्य है । राजा को प्रजा का पालन अपने कृदुम्ब के समान ही करता चाहिए । उसे पूज्यजनों का सम्मान भी करना चाहिए ।

**२. सामाजिक व्यवस्था की स्थापना—समाज की समुचित व्यवस्था करना भी राजा का कर्तव्य है ।** जिस समाज के व्यक्ति अपने-अपने धर्म का पालन नहीं करते वह समाज नष्ट हो जाता है । अतः राजा को वर्णश्रित धर्म की व्यवस्था करनी चाहिए । सोमदेवसूरि गणपि जैन आचार्य ये किन्तु किर भी उन्होंने कौटिल्य हारा प्रक्षिपादित वैदिक वर्णश्रित व्यवस्था को ही अपनाया है । वे लिखते हैं कि राजा को यमराज के समान कठोर होकर अपराधियों को दण्ड देते रहना चाहिए । इस से

प्रबन्ध के लोग अपनी-अपनी व्यविधाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। इस से राजा का धर्म, वर्ष और काम इन तीन पुक्खाशों को प्राप्ति होती है (५, ६०)।

३. आर्थिक कर्तव्य—आर्थिक दृष्टि से प्रजा को सम्पद बनाना भी राजा का कर्तव्य है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए वर्ष की परम वाक्यशक्ति है। क्योंकि सब प्रयोजनों की सिद्धि वर्ष से ही होती है। राजा को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिस से प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध हो सकें। इस के लिए सोमदेव ने राजा को वार्ता की उप्रति करने का आदेश दिया है। और इस की समृद्धि में ही समस्त समृद्धियाँ निहित बतलायी हैं (८, २)। लोक में कृषि आदि की समुचित व्यवस्था करने वाला राजा प्रजा को सुखी बनाता है तथा स्वर्ण भी अभिलिखित मुखों को प्राप्त करता है। आचार्य सोमदेव प्रजा को स्वावलम्बी बनाने पर अधिक बल देते हैं। वे कृषि कर्म, पशु-पालन, एवं कृषि के साधनों की उन्नति को समस्त सुखों की आधार-शिला मानते हैं। उन का कथन है कि वह गृहस्थ निष्ठ्यं पूर्वक सुखी है जो कृषिकर्म, गोपालन में प्रवृत्त है तथा शाक आदि उत्पन्न करता है और जिस का स्वर्ण का कुञ्जी है। (८, ३)।

प्रजा की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए राजा को प्रजा पर अधिक कर नहीं लगाने चाहिए और न उस से अन्याय पूर्वक घन ही लेना चाहिए (१६, २३)। यदि राजा अनुचित रीति से प्रजा से धन लेता है तो ऐसा करने से उस का राज्य नष्ट हो जाता है। व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के लिए उसे समुचित नियमों की व्यवस्था करनी चाहिए और आगारियों की सुरक्षा का भी प्रबन्ध करना चाहिए। सोमदेव का कथन है कि जिस देश में तुला और मान की उचित व्यवस्था नहीं होती और आगारियों के माल पर अधिक कर लगाया जाता है वहाँ पर व्यापारी अपना माल बेचने नहीं आते (८, ११ तथा १३)। इसी प्रकार के अन्य व्यापार सम्बन्धी नियमों की ओर भी सोमदेव ने संकेत किया है। एक स्थान पर वे लिखते हैं कि यदि राजा प्रयोजनार्थियों का प्रयोजन सिद्ध न कर सके तो उसे उन की भेंट स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अपितु उसे बापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि प्रत्युपकार न किये जाने वाले की भेंट स्वीकार करने से लोक में निन्दा और हँसी के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं होता (१७, ५३)।

४. प्रशासकीय कर्तव्य—देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से बलाने के लिए राजा को सुयोग्य राजकर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए, अकेला राजा शासन के भार को संभालने में सर्वथा असमर्थ है। इसलिए उसे राजनीतिशास्त्र के ज्ञाता एवं व्यवहार कुशल मन्त्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए तथा उन के सत्परामर्थ को मानना चाहिए। मूर्ख और दुराधारों राजा से राष्ट्र की छानि होती है; क्योंकि आस (हितैषी) पुरुषों की परम हितकारक बात की भी अवहेलना करता है जिस के कारण राष्ट्र की श्रीवृद्धि में बाधा पड़ती है। राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना के

लिए राजा को गुसंगठित सेना को भी स्थापना करनी चाहिए तथा विशिष्ट सैनिक गुणों से सम्पन्न व्यक्ति को सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए। आचार्य सोमदेव भग्नियों, सेनापति एवं अन्य उच्च राजकर्मचारियों के गुणों के साथ ही उन के स्वदेश-भग्नियों, सेनापति एवं अन्य उच्च राजकर्मचारियों के गुणों के साथ ही उन के स्वदेश-भग्नियों होने पर विशेष बल देते हैं। उन का कथन है कि मन्त्री आदि राजकर्मचारी वासी होने पर विशेष बल देते हैं। उन का कथन है कि मन्त्री आदि राजकर्मचारी वासी होने चाहिए, क्योंकि समस्त पक्षपात्रों में स्वदेश का पक्षपात्र श्रेष्ठतम् स्वदेशवासी ही होने चाहिए, क्योंकि समस्त पक्षपात्रों में स्वदेश का पक्षपात्र श्रेष्ठतम् होता है (१०, ६)। राजा के उपाध्याय भी विशिष्ट गुणों से युक्त होने चाहिए (५, ६५)। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को ठीक प्रकार से बनाये रखने के लिए राजा (५, ६५)। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को ठीक प्रकार से बनाये रखने के लिए राजा चर एवं दूतों से ही अन्तर्राष्ट्रीय धन्त्र में राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित होती है। तथा चर एवं दूतों से ही अन्तर्राष्ट्रीय धन्त्र में राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित होती है। तथा राज्य बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहता है। इस प्रकार विशिष्ट राजकर्मचारियों को नियुक्ति कर के राजा अपने प्रशासन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करे, और अपने महान् कर्तव्य का पालन करे।

सैन्य-व्यवस्था भी प्रशासन का ही अंग है क्योंकि बल से राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित होती है। आचार्य सोमदेव ने राज्य का मूल क्रम और विक्रम एवं व्यवस्था स्थापित होती है। आचार्य सोमदेव ने राज्य का मूल क्रम और विक्रम को बताया है (५, २७)। विक्रम अर्थात् शक्ति के अभाव में क्रमागत राज्य भी नष्ट हो जाता है। अतः राजा को अपनी सैनिक घन्ति सुदृढ़ बनानी चाहिए। सोमदेव ने अनुरंगिणी सेना का संगठन करने तथा उस के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की ओर संबोध किया है। सैन्य-शक्ति को प्रसंशा करते हुए सोमदेव लिखते हैं कि जिस प्रकार संबोध किया है। सैन्य-शक्ति को प्रसंशा करते हुए सोमदेव लिखते हैं कि जिस प्रकार राजा भी बड़े हुए मृणतन्तुओं से दिग्गज भी बशीभूत कर लिया जाता है उसी प्रकार राजा भी सैन्य-शक्ति से शक्तिशाली शत्रु को भी परास्त कर देता है (३०, ३८)। हीन सैनिक शक्ति वाले राजा के सम्बन्ध में वे इस प्रकार लिखते हैं कि जिस प्रकार जंगल से शक्ति वाले राजा को संगठित हो जाता है उसी प्रकार सैन्य एवं निहला हुआ सिंह भीदङ्क के समान शक्तिहीन हो जाता है (३, ३६)। अतः राजा का यह कर्तव्य है कि वह सर्वदा अपनी सैन्य-शक्ति को सुदृढ़ बनाये रखे। सोमदेव ने यह लिखा है कि राजा को सैनिक घनिस की वृद्धि प्रजा में अपराधों का अन्वेषण करने के लिखा है कि राजा को सैनिक घनिस की वृद्धि प्रजा में अपराधों का अन्वेषण करने के लिखा है कि राजा आज्ञा भंग करने वाले पुत्र पर भी क्षमा न करे (१७, २३)। अन्यथा आचार्य लिखते हैं कि जिस की आज्ञा प्रजाजनों द्वारा उल्लंघन की जाती है, उस में और चित्र के राजा में दया अन्तर है।

इस का अभिप्राय यह कथा पि नहीं है कि राजा बल का प्रयोग करे हो नहीं। राजा का उल्लंघन करने वालों के लिए दण्ड का सर्वत्र विवान है। सोमदेव लिखते हैं कि राजा आज्ञा भंग करने वाले पुत्र पर भी क्षमा न करे (१७, २३)। अन्यथा आचार्य लिखते हैं कि जिस की आज्ञा प्रजाजनों द्वारा उल्लंघन की जाती है, उस में और चित्र के राजा में दया अन्तर है।

राज्य की रक्षा के लिए कुशल विदेश-नीति का निर्धारण भी परम आवश्यक

नीतिवाक्यासूत्र में राजनीति

है। इस के लिए राजा को वाङ्गुण्य नीति का पूर्ण ज्ञाता एवं साम, दाम, भेद तथा दण्ड आदि उपायों का समुचित प्रयोक्ता होना परम आवश्यक है। राजा को इस वाङ्गुण्य नीति तथा इन चार उपायों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। इस का विशद विवेचन नीतिवाक्याभूत के वाङ्गुण्य समुद्देश एवं युद्ध समुद्देश में किया गया है। राजा को अपने से शक्तिशाली शत्रु से कभी युद्ध नहीं करना चाहिए। राजनीति-शास्त्र के उपायों ने शिरियोदय युद्ध को बदल राज्य इति शक्ति, प्राप्ति की रक्षा और सुरक्षा की वृद्धि करने के लिए तथा प्रजा-वीक्षक राष्ट्र कट्टकों एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए न्याययुक्त अपनी और शत्रु की शक्ति को विचार कर तदनुकूल क्रोध करने का विधान किया है तथा अन्याय युद्ध का निषेध अपने राज्य की सुरक्षा के लिए राजा को राजमण्डल की भी स्थापना करनी चाहिए और उन राज्यों में दूत एवं चरों की भी नियुक्ति करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में भी नीतिवाक्याभूत में पर्याप्त प्रकाश ढाला गया है (सम० १३ और १४)।

**५. न्याय सम्बन्धी कर्तव्य**—राजा का वह भी एक परम कर्तव्य बताया गया है कि वह पक्षपालरहित न्याय करे (२६, ४१)। इस के लिए उसे दण्डनीति का ज्ञाता होना आवश्यक है। सोमदेव लिखते हैं कि अपराधी को अपराधानुकूल दण्ड देना ही दण्डनीति है (९, २)। आचार्य आगे लिखते हैं कि राजा के द्वारा प्रजा की रक्षा के लिए अपराधियों को दण्ड दिया जाता है, धन के लिए नहीं (९, ३)। अन्यत्र सोमदेव लिखते हैं कि यदि राजा प्रजा के साथ अन्याय करता है तो इस का अर्थ रामुद्र का वर्यावा उल्लंघन करना ही है (१७, ४९)। जब राजा न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता है तो सभी दिशाएँ प्रजा को अभिलिप्त फल देने वाली होती हैं। न्यायी राजा के प्रभाव से मेषों से यथासमय वृष्टि होती है और प्रजा के सभी उपद्रव शान्त होते हैं (१७, ४६)। जो राजा साधारण अपराध के लिए प्रजा जनों से दोषों का अन्वेषण कर भीषण दण्ड देता है वह प्रजा का शत्रु है। इस का अभिप्राय यही है कि राजा अपराधियों की उन के अपराधानुकूल हो दण्ड की व्यवस्था करे। किन्तु अपराधियों को दण्ड अवश्य मिलना चाहिए क्योंकि दण्ड के अभाव में प्रजा में मात्स्य-न्याय की उत्पत्ति हो जाती है (९, ७)।

## राजरक्षा

राजा हत्तेमहस्तपूर्ण कर्तव्य करता था इसलिए उस की प्रधानता थी। अतः उस की रक्षा के लिए प्राचीन आचार्यों ने कुछ विशिष्ट नियमों अवधार उपायों का उल्लेख किया है। राजरक्षा के विषय में आचार्य सोमदेव ने भी इसी प्रकार के नियमों का प्रतिपादन अपने मन्त्र में किया है। सोमदेव लिखते हैं कि राजा की रक्षा होने से ही समस्त राष्ट्र सुरक्षित रहता है। इसलिए उसे अपने 'कुटुम्बियों' तथा शत्रुओं से अपनी रक्षा करनी चाहिए (२४, १)। राजशास्त्र के विद्वानों का कथन है कि राजा

अपनी रक्षा से लेके व्यक्ति को नियुक्त करे जो उस के बंधा का ( माई आदि ) हा अथवा वैदाहिक सम्बन्धों से बँधा हो और जो वीतिशास्त्र का ज्ञाता हो, रक्षा से स्नेह रखने वाला हो तथा राजकीय कर्तव्यों में निपुण हो ( २४, २ ) । राजा विदेशी पुष्प को जिसे धन व मान देकर सम्मानित नहीं किया हो और पहले दण्ड पाये हुए स्वदेशवासी अविकृत को जो बाद में अधिकारी बनाया गया हो अपनी रक्षा के कार्यों में नियुक्त न करे, क्योंकि असम्मानित विदेशी तथा दण्डित स्वदेशवासी द्वेषयुक्त होकर उस से बदला लेने की कुचेष्टा करेगा ( २४, ३ ) । जिस प्रकार जीवन रक्षा में आयु मूल्य है उसी प्रकार राष्ट्र के सात अंगों में राजा की प्रधानता है । अतः राजा को सर्वप्रथम अपनी रक्षा करना चाहिए ( २०, ६ ) । राजा को सर्वप्रथम राजियों से, उस के बाद कुटुम्बियों से और तत्त्वशब्दात् पूत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए ( २४, ७ ) । राजा को वेश्या-सेवन कभी नहीं करना चाहिए । उसे स्त्रियों के घर में कभी प्रविष्ट नहीं होना चाहिए । इस का कारण यह है कि वेश्याओं के यही सभी प्रकार के व्यक्ति आते हैं, इसलिए वे शत्रुपक्ष से मिलकर राजा को मार डालती हैं ( २४, २९ ) । जिस प्रकार सर्व की बासी में प्रविष्ट हुआ मेलक नष्ट हो जाता है उसी प्रकार जो राजा लोग स्त्रियों के घर में प्रवेश करते हैं वे अपने प्राणों को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि स्त्रियों चंचल प्रकृति के बजीभूत होकर उसे मार डालती हैं अथवा किसी अन्य चयनित से उसका बध करा देती है ( २४, ३१ ) ।

राजा का यह भी कर्तव्य है कि वह स्त्रियों के घर से आयी हुई किसी भी वस्तु का भक्षण न करे ( २४, ३२ ) । उसे भोजनादि के कार्य में स्त्रियों को नियुक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों चंचलतावश अनर्थ कर सकती है ( २४, ३३ ) । राजा को स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वशीकरण, उच्चारण और स्वच्छन्दता चाहने वाली स्त्रियों सभी प्रकार का अनर्थ कर सकती है ( २४, ३४ ) । आचार्य सोमदेव ने अपने मत की पुष्टि के लिए कुछ ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किये हैं । वे लिखते हैं कि इतिहास के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यवन देश में स्वच्छन्द वृत्ति चाहने वाली मणिकुण्डला नाम की पटरासी ने अपने पुत्र के राज्यार्थ अपने पति अंगराज को विषद्वृष्टि मदिशा से मार डाला । इसी प्रकार सूरसेन की वस्त्रत्यभित नाम की स्त्री ने विष से रंगे हुए अधरों से, सुरतविलास नामक राजा को, वृकोदरी ने दद्यार्ण ( भेलपा ) में विषलिप्त करवनी से, मदनार्णव राजा को मदिराक्षी ने मगध देश में तीखे दर्पण से, मन्मथदिनोद को और पाण्ड्य देश में चण्डरसा नामक राजा ने केशपाश में छिपी हुई कटारी से पुण्डरीक नामक राजा को मार डाला ( २४, ३५-३६ ) । आचार्य के ऋथन का अमिश्र यही है कि राजा को स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और न उन में अधिक आसक्ति ही रखना चाहिए तथा उन के घर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए ।

कुटुम्बीजनों का संरक्षण भी राजा के विनाश का कारण होता है । इस विषय

में सोमदेव लिखते हैं कि जब राजा अपने निकटवर्ती कुटुम्बीजनों को उच्च पदों पर नियुक्त कर के जीवन पर्यन्त प्रचुर धन आदि देकर उन का संरक्षण करता है, तब अभिमान वसा वे राज्यलोभ से राजा के घातक बन जाते हैं (२४, ५८)। राजा द्वारा जब सजातीय कुटुम्बियों के लिए सीन्य व कौश बढ़ाने वाली जीविका प्रवास कर दी जाती है तब वे अभिमानी हो जाते हैं। जिस का परिणाम भयंकर होता है। वे शक्ति-शाली होकर व राज्यलोभ से राजा के धर्ष की सोचने लगते हैं (२४, ५९)। अतः उन्हें इस प्रकार की जीविका कदाचि नहीं देनी चाहिए।

राजा को अपने ऊपर अड़ा रखने वाले, भवित के बहाने से कभी विशद्ध न होने वाले, नम्र, विश्वसनीय एवं आशाकारी सजातीय कुटुम्बी तथा पुत्रों का संरक्षण करते हुए उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त करना चाहिए (२४, ६१-६२)।

राजा को असंशोधित भाग में कभी गमन नहीं करना चाहिए (२५, ८४)। उस को मन्त्री, वैद्य तथा ज्योतिषी के बिना कभी किसी अन्य स्थान को प्रस्थान नहीं करना चाहिए (२५, ८७)। राजा को चाहिए कि वह अपनी भोजन सामग्री को भषण करने से पूर्व अभिन में डालकर उस की परीक्षा कर ले और यह देख ले कि कहीं अभिन से नीली लपटें तो नहीं निकल रही हैं। यदि ऐसा हो तो समझ लेना चाहिए कि वह सामग्री विषयुत है (२५, ८८)। इसी द्वारा वस्त्रादि की भी परीक्षा अपने आम पुरुषों से कराते रहना चाहिए। ऐसा करने से राजा का जीवन सदैव विघ्न-बाधाओं से सुरक्षित रहता है (२५, ८९)। राजा को अपने भहलों में कोई ऐसी वस्तु प्रविष्ट नहीं होने देनी चाहिए और न वहाँ से बाहर ही जाने देनी चाहिए जिस की परीक्षा प्रमाणित पुरुषों द्वारा न कर ली गयी हो एवं परीक्षा द्वारा निर्दोष सिद्ध न कर दी गयी हो (२५, ११३)। विषिक लोभ, आलस्य और विश्वास भी राजा के लिए घातक है। आचार्य सोमदेव का कथन है कि वृहस्पति के समान शुद्धिमान् पुरुष भी अधिक लोभ, आलस्य और विश्वास करने से मृत्यु को प्राप्त होता है अथवा ठगा जाता है (२६, १)। राजा अभिमानी सेवकों को कभी नियुक्त न करे और स्वामिभक्त सेवकों का कभी परित्याग न करे (२६, ३९-४०)।

शत्रुओं से राजा को किस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाहिए इस सम्बन्ध में भी सोमदेव ने कुछ निर्देश दिये हैं। वे लिखते हैं कि बलिष्ठ शत्रु द्वारा आक्रमण किये जाने पर राजा को या तो अन्यथा अले जाना चाहिए अथवा उस से सञ्चित कर लेनी चाहिए। अन्यथा उस की रक्षा का कोई उपाय नहीं है (२६, २)। जो पुरुष शत्रुओं द्वारा की जाने वाली वैर-विरोध की परम्परा को साम, दाम, देण्ड, भेद आदि नैतिक उपायों से नष्ट नहीं करता उस की वंशवृद्धि कदाचि नहीं हो सकती (२६, १३)। जिस प्रकार बिना नीका के केवल भुजाओं से समुद्र पार करने वाला व्यक्ति शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है उसी प्रकार दुर्बल राजा बलिष्ठ के साथ युद्ध करने से शीघ्र नष्ट हो जाता है (२६, ६६)। अतः निर्बल को सबल शत्रु के साथ कभी युद्ध नहीं करना चाहिए।

आचार्य सोमदेव राजा को उसी समय युद्ध करने का परामर्श देते हैं जब अन्य सभी उपाय असफल हो गये हैं ( ३०, २५ ) ।

आचार्य कौटिल्य ने भी राजा की रक्षा के सम्बन्ध में बड़े विस्तार के साथ अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण उपायों का वर्णन किया है। उन्होंने उन सभी बातों पर प्रकाश ढाला है जिन से राजा को सचेत रहने की आवश्यकता है तथा जिन की उपेक्षा करने से उस के प्राण संकट में पढ़ सकते हैं ।

मनु ने भी राजरक्षा के शिष्य में महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं। राजा को चाहिए कि वह सम्पूर्ण भौजय पदार्थों में दिष्ट-नाशक औषधि नियोजित करे। इस के अतिरिक्त दिष्ट-नाश करने वाले रसों का भी सर्वथा धारण करे। मनु ने राजा के आत्मरक्षा के सिद्धान्त को बहुत महत्व दिया है। वे लिखते हैं कि संकटकाल के निवारणार्थ राजा को कोश की रक्षा करनी चाहिए। अपनी स्त्री की रक्षा धन की हानि सहकर भी करनी चाहिए, परन्तु अपनी रक्षा धन और स्त्री का अलिदान कर के भी करनी चाहिए। अपनी रक्षा के लिए यदि अपनी भूमि का भी त्याग करना पड़े तो वह भी करना चाहिए, जाहे वह भूमि उपजाऊ और हर प्रकार की हारदाराओं से नहीं होती ।<sup>१</sup>

इस प्रकार सभी आचार्यों ने राजा की रक्षा को बहुत महत्व प्रदान किया है क्योंकि राजा की रक्षा में ही सब की रक्षा है, जैसा कि आचार्य सोमदेव का सत है ( २४, १ ) ।

### राजा का उत्तराधिकारी

आचार्य सोमदेव ने इस बात की ओर भी संकेत किया है कि राजा का उत्तराधिकारी किम-किन गुणों से विभूषित होना चाहिए। इस सम्बन्ध में वे लिखते हैं कि जो राजपुत कुलीन होने पर भी संस्कारों, लोतिशास्त्रों का अध्येता और सदाचार आदि गुणों से रहित है उसे राजनीति के विद्वान ज्ञान पर न चढ़े हुए रत्न के समान युवराज-गुणों से रहित होने के योग्य नहीं मानते ( ५, १९ ) । इस का अभिप्राय यही है कि राजपुत को राजनीतिक ज्ञान और सदाचार रूप संस्कारों से सुसंस्कृत होना चाहिए, जिस से वह युवराजपद पर आँख़ होने के योग्य हो सके। शारीरिक मनोजाग्रति, पराक्रम, राजनीतिकज्ञान, प्रभाव (सेन्य व कोश शक्ति से युक्त) और विनम्रता राजन्कुमारों में विद्यमान थे सद्गुण उन्हें भविष्य में प्राप्त होने वाली राज्यश्रो के सूचक चिह्न हैं ( १५, ९ ) ।

सोमदेव ने राजकुमारों की शिक्षा पर विशेष चर्चा दिया है। राजकुमार को पहले सार्वजनिक सभाओं के योग्य भाषणकला में कुशल बनाये, तत्परतात् समस्त भाषाओं की शिक्षा, गणित, साहित्य, न्याय, ड्याकरण, नीतिशास्त्र, रत्नपरीक्षा, शस्त्रविद्या, हस्ती और अश्वादि वाहनविद्या में अच्छी प्रकार दक्ष बनाये ( ११, ४ ) । जिन राजकुमारों

१. कौ० अर्थ ० १. २०-२१ ।

२. मनु० ७, २५०-२० ।

को शिष्ट पुरुषों द्वारा विवाय, सदाचार आदि की शिक्षा दी गयी है उन का वेश वृद्धिगत होता है तथा राज्य दूषित नहीं होता (२४, ७३)। जिस प्रकार धूम से खायी हुई लकड़ी नहीं हो जाती है उसी प्रकार दुराचारी व उद्दण्ड व्यक्ति को राजपद पर नियुक्त करने से राज्य नहीं हो जाता है (२४, ७४)। जो राजकुमार वंशपरम्परा से चले आये जिन्होंने द्वारा विवाय व सदाचार आदि की नैतिक शिक्षा से सुशिक्षित व सुसंस्कृत किये जाकर वृद्धिगत किये गये हैं एवं जिन का ललन-भलन तुख्यूर्वक हुआ है वे कभी अपने माता-पिता से द्वेष नहीं करते (२४, ७५)। उसम माता-पिता का मिलना भी राजकुमारों के द्वेष भाग्य का द्वीतक है (२४, ७६)। अर्थात् यदि उन्होंने पूर्वजन्म में पुर्य संचय किया है तो वे माता-पिता द्वारा राज्यश्ची प्राप्त करते हैं और उन को धेष्ठ माता-पिता की उपलक्ष्णि होती है। माता-पिता का गुणों के प्रति महान् उपकार होता है, इसलिए सुखाभिलाषी गुणों को अपने माता-पिता का भन से भी तिरस्कार नहीं करता चाहिए, फिर प्रकृति रूप से तिरस्कार करना तो महा अनर्थ है (२४, ७८)। पुत्र को किसी भी कार्य में पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सोमदेव का कथन है कि वे राजपुत्र निश्चयपूर्वक सुखी माने गये हैं जिन के पिता राज्य की बागडोर सेंभाले हुए हैं, क्योंकि वे राजपुत्र राज्य के भार को सेंभालने से निश्चिन्त रहते हैं (२४, ८४)।

आचार्य सोमदेव ने उत्तराधिकार के नियमों की ओर भी कुछ संकेत किया है। वे लिखते हैं कि राजपुत्र, राजा का भाई, पटरानी के अतिरिक्त दूसरी रानी का पुत्र, राजकुमारी का पुत्र, बाहर से आकर राजा के पास रहने वाला दत्तकपुत्र आदि इन सात प्रकार के राज्याधिकारियों में से सब से पहले राजकुमार को और उस के न रहने पर भाई आदि को यथाक्रम राज्याधिकार प्राप्त होना चाहिए (२४, ८८)। शुक्र का भी उत्तराधिकार के सम्बन्ध में यही मत है<sup>१</sup>। सोमदेव का कथन है कि अपनो जाति के योग्य गर्भावान् आदि संस्कारों से हीन पुरुष को राजप्राप्ति एवं दीक्षा वारण करने का अधिकार नहीं है (२४, ७१)। आगे वे लिखते हैं कि राजा की मृत्यु हो जाने पर उस का अंगहीन पुत्र भी उस समय तक राज्याधिकार प्राप्त कर सकता है जबतक कि उस अंगहीन पुत्र की दूसरी कोई योग्य सत्तान न हो जाये (२४, ७२)।

इस प्रकार सोमदेव अंगहीन पुत्र को भी उस समय तक राज्य का अधिकार देने के पक्ष में है जबतक कि उस को कोई योग्य सम्भान राज्यभार सेंभालने के योग्य न हो जाये। यह बात आचार्य की प्रगतिशीलता एवं व्यावहारिक राजनीतिज्ञता की द्वीतक है। अन्य आचार्य शारीरिक दोष वाले राजकुमार को राज्याधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं हैं। यसु का कथन है कि यदि ज्येष्ठ पुत्र किसी शारीरिक व्यवहा मानसिक दोष

१. शुक्र—नीतिवाच, एक २४।

सुतः सोदरसाप्तनपिशुभ्या गीतिणहतया।

दौहित्रागत्युका योग्य पदे राहो यथाक्रमम्।

से ग्रसित है तो उस शो राज्याधिकार नहीं मिलता चाहिए, किन्तु उस ने लेटे भ्राता को राज्य सिंहासन पर आसीन कर देना चाहिए।<sup>१</sup> महाभारत के आदिपर्व में इस प्रकार का वर्णन काता है कि धृतराष्ट्र के अन्धा होने के कारण ही उन्हें राज्य सिंहासन प्राप्त नहीं हुआ और उन के स्थान पर उन के छोटे भाई पाण्डु को राजा बनाया गया। शुक्रनीति में इस प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता है कि यदि ज्येष्ठ राजकुमार बहरा, अरथा, गुगा तथा नपुंसक हो तो ऐसी स्थिति में वह राज्याधिकार के सर्वथा अयोध्य है और उस के कनिष्ठ भाता अथवा पुत्र को उस के स्थान पर सिंहासनासीन करना चाहिए।<sup>२</sup>

साधारणतया राजतन्त्र बंशानुगत ही था। शतपथब्राह्मण में दस पीढ़ियों के बंशानुगत राज्याधिकार का वर्णन उपलब्ध होता है।<sup>३</sup> यद्यपि उत्तराधिकार बंशपरम्परागत था किन्तु ज्येष्ठता का नियम प्रधान माना जाता था अर्थात् राजा की मृत्यु अथवा सस के हारा राज्य का त्याग करने के उपरान्त उस का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता था। ऋग्वेद में भी ज्येष्ठता के सिद्धान्त का वर्णन मिलता है।<sup>४</sup> रामायण के अयोध्याकाण्ड में विषेष राम से कहते हैं कि इक्षवाकुओं में यही परम्परा रही है कि राजा की मृत्यु के पश्चात् अथवा राज्यत्याग के उपरान्त उस का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है।<sup>५</sup> कौटिल्य तथा मनु भी ज्येष्ठता के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान करते हैं।<sup>६</sup>

ज्येष्ठ पुत्र उसी समय राज्याधिकार से वंचित किया जाता था जबकि वह किसी शारीरिक अथवा भाजसिक व्याधि से ग्रसित होता था। कभी-कभी राजा अपने कनिष्ठ पुत्र को भी उस को योग्यता से प्रभावित होकर तथा ज्येष्ठ पुत्र के द्वाराचरण से तंग जाकर राज्याधिकारी मनोनीत कर देते थे। इस बात के कई ऐतिहासिक उदाहरण उपलब्ध होते हैं जबकि राजाओं ने अपने ज्येष्ठ पुत्र की उपस्थिति में ही छोटे पुत्र को अपने जीवन-काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। समुद्रगुप्त पद्यपि चन्द्रगुप्त प्रथम का छोटा पुत्र था, किन्तु उस की योग्यताओं से प्रभावित होकर ही चन्द्रगुप्त प्रथम ने उसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।<sup>७</sup> इसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भी अपने छोटे पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय अथवा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।<sup>८</sup>

१. मनु० ६, २०३।

२. महा० वा० दिन्द० १०६, २८।

३. शुक्र० १, ३२३, ४५।

४. शतपथब्राह्मण।

५. ऋग्वेद।

६. रामायण-अयोध्याकाण्ड ७३, २३।

७. कौ० अर्थ० १, १७ तथा मनु० ५, ३८।

८. Gupta Inscriptions, P. 6, Allahabad Pillar Inscription, Verse 4.

९. Ibid.

यद्यपि इस प्रकार के कुछ उदाहरण इतिहास में मिल जाते हैं किन्तु किर भी प्राचीन भारत में ज्येष्ठता के सिद्धान्त की प्रधानता थी। राज्य का अधिकारी राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही होता था।

## राजत्व के उच्च आदर्श

प्राचीन राजशास्त्र प्रणेताओं ने राजा के आदर्शों की भी व्याख्या की है। प्राचीन काल में राजा और प्रजा का सम्बन्ध पिता और पुत्र के समान था, व्योकि प्राचीन आचार्यों ने राजत्व के इसी उच्च आदर्श का समर्थन किया था। आचार्य कीटित्य का कथन है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है तथा प्रजा के हित में ही राजा का हित है। स्वयं को प्रिय लगने वाले कार्यों का करना राजा का हित नहीं, अपितु प्रजा के प्रिय कार्यों का करना ही राजा का सब से बड़ा हित है।<sup>१</sup> इस प्रकार आचार्य कीटित्य प्रजा-हित को ही सब से अधिक महत्व प्रदान करते हैं और उसी में राजा का हित बताते हैं। महाभारत के शान्तिपर्व में चृहस्पति के खो इलोक उद्घृत किये गये हैं, जिन में से प्रथम का आशय इस प्रकार है—सम्पूर्ण कर्तव्यों को पूर्ण करके पृथ्वी का भली-भाली पालन तथा तार एवं राष्ट्र की प्रजा का संरक्षण करने से राजा परलोक में सुख प्राप्त करता है। द्वितीय इलोक का अर्थ इस प्रकार है—जिस राजा ने अपनी प्रजा का अच्छी तरह पालन किया है, उसे तपस्या से क्या लेना है? उसे यज्ञों का भी अनुष्ठान करने को क्या आवश्यकता है? वह तो स्वयं ही सम्पूर्ण धर्मों का ज्ञाता है।<sup>२</sup> इन इलोकों में भी प्रजाहित को राजा का सब से महान् एवं कल्याणकारी कर्तव्य बताया गया है। आचार्य सोमदेवसूरि भी राजत्व के प्राचीन आदर्शों में आस्था रखते हैं। उन का कथन है कि प्रजा पालन ही राजा का यज्ञ है, प्राणियों का वध करना नहीं ( २६, ६८ )। वे प्रजारंजन के पक्ष को सब से अधिक महत्व देते हैं। राजा का प्रत्येक कार्य जनहित पर आधारित होता चाहिए और वह सर्व प्रजा के सुख एवं समुद्दि के लिए प्रयत्नशील रहे ऐसा आचार्य का मत है। दुष्टनिष्ठ तथा शिष्ट पुण्यों का पालन करना ही राजा का धर्म है ( ५, २ )। अगे आचार्य लिखते हैं कि जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता वह राजा नहीं है ( ७, २१ )। राजा के लिए बानादि अन्य धर्म तो गोण हैं उस के लिए किसी व्रत की चर्या धर्म नहीं है। अन्यत्र सोमदेव लिखते हैं कि राजा बृद्ध, बालक, व्याधित और रोगों पशुओं का बाधकों के समान पोषण करे ( ८, ९ )। इस प्रकार आचार्यों की क्रृष्णा के बल मानवमात्र तक ही सीमित नहीं है, अपितु पशुओं के प्रति भी उन की सहानुभूति है। राजा प्रजाकार्यों को स्वयं ही देखे, उन्हें राजकर्मचारियों पर कभी न छोड़े ( १७, ३२ )। यदि राजकर्मचारियों पर प्रजाकार्य

१. कौ० अर्थ ० १, ११।

प्रजामुखे सुख राजः प्रजानं च हिते हितम् ।

नर्मप्रियं हितं राजः प्रजानो तु प्रियं हितम् ।

२. महा० शान्ति० ६१, ३२-३३ ।

छोड़ दिया जायेगा तो प्रजा का हित न हो जाएगा । याजा समुद्रपर्वत राजी को अपना कुटुम्ब समझे ( १७, ४९ ) । जिस प्रकार व्यक्ति अपने कुटुम्ब के सुख-दुःख, हानि-लाभ की चिन्ता में निरत रहता है, उसी प्रकार राजा को भी भूमण्डल के प्रणियों की रक्षा, पालन-पोषण अपने कुटुम्ब के समान ही करना चाहिए । आचार्य सोमदेव का यह भी कथन है कि राजा देव, गुरु एवं धर्म-कार्यों को भी स्वयं ही देखे ( २५, ६५ ) । इस प्रकार आचार्य सोमदेव प्रजा की हर प्रकार से रक्षा करने तथा उस का संबर्थन करने पर विशेष बल देते हैं और इसी को राजा का सब से बड़ा धर्म बताते हैं । वे पितृत्व के सिद्धान्त में भी विश्वास रखते हैं और राजा को आदेश देते हैं कि उसे प्रजा का पालन अपने कुटुम्ब के समान ही करता चाहिए । राजकार्य में जिन व्यक्तियों का प्राणान्त हो गया हो उन के परिवार के पालन-पोषण का भार भी सोमदेव राजा पर ही छोड़ते हैं तथा ऐसा न करने वाले राजा का वे उन भूतकों के ऋण का भाजन बतलाते हैं ( ३०, ९३ ) ।

१. महाराष्ट्राचित्र ३६, ४५।

भवितव्य राजा राजा गर्भिणीसहस्रमिण।

२. बहुती, १५. २४-३५।

३. सही, ६०, ३-५।

होता अपितु वह पृथ्वी की रक्षा में संलग्न रहने तथा अपने कर्तव्यों के पालन करने के लिए ही होता है ।

आचार्य आचार्यों ने राजा को पितृबत् शासन करने का आदेश दिया है । याज्ञवल्क्य का कथन है कि राजा को अपनी प्रजा तथा सेवकों के साथ पिता के समान आचरण करना चाहिए ।<sup>१</sup> रामायण में भी ऐसा वर्णन आता है कि राम ने अपनी प्रजा के साथ पितृबत् व्यवहार किया ।<sup>२</sup> सभाद् अशोक ने राजा के पितृत्व के आदर्श को चर्मोत्कर्ष पर पहुँचा दिया । द्वितीय कलिंग लेख से विद्यत होता है कि उस ने अपने शासन में पितृत्व के सिद्धान्त को किस सीमा तक व्यवहृत किया । वह कहता है कि सारे मनुष्य मेरी सन्तान हैं । जिस प्रकार मैं अपनी सन्तानि को चाहता हूँ कि वह सब प्रकार की समृद्धि और सुख इस लोक और परलोक में भोगे ठीक उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा के सुख एवं समृद्धि की भी कामना रखता हूँ । यह पितृत्व का उत्तराधिकार केवल राजा तक ही सीमित नहीं था, अपितु अशोक ने अपने राजकर्मचारियों की भी यह आदेश दे रखा था कि वे प्रजा की भलाई का पूर्ण व्याप्त रखें और उस से पुनर्बत् ही व्यवहार करें । चतुर्थ स्तम्भ लेख में वह कहता है, “जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने पुत्र को एक कुशल धार के हाथ में सौंपकर निश्चिन्त हो जाता है और सोचता है कि मह धार मेरे पुत्र को सुख पहुँचाने की भरसक चेष्टा करेगी, उसी प्रकार लोगों के हित तथा उन्हें सुख पहुँचाने के लिए मैं ने रज्जुक नाम के कर्मचारी विष्वकृत किये हैं ।”

इस प्रकार अपने उत्तरदायित्वों को समझने वाला राजा वास्तविक रूप में वर्तमान प्रजातन्त्र के उत्तरदायी भवनों एवं राजकर्मचारियों से कहीं अधिक उत्तरदायी है और प्रजा का वास्तविक प्रतिनिधि है । वास्तव में राजा और प्रजा वैधानिक एकता के आधारक बंग है । आचार्य सोमदेवसूरि द्वारा राज्य की परिभाषा में भी प्रजा-पालन का आदर्श निहित है । वे कहते हैं कि राजा का पृथ्वीपालनोचित कर्म राज्य है ( ५, ४ ) । इसी प्रकार वे राज्य का अन्तिम लक्ष्य भी प्रजा को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति बतलाते हैं ( प० ७ ) । इस प्रकार सोमदेव प्रजा की सर्वतोमुखी उन्नति करना राज्य का उद्देश्य बतलाते हैं । राजा को प्रजा के सम्मुख उच्च आदर्श उपस्थित करना चाहिए, जिस से प्रजा का नैतिक उत्थान हो सके । राजा के विकृत एवं अ-धार्मिक हो जाने पर प्रजा भी विकारप्रस्त तथा अधार्मिक हो जाती है ( १७, २८-२९ ) । आचार्य सोमदेव का आदेश है कि राजा को सर्वदा मर्यादा का पालन करना चाहिए

१. मार्कण्डेय १३०, ३३-३४ ।

राज्ञः दारीरप्त्वां न भोगाय महीपते ।  
क्लेशाय महते पृथ्वीस्वधर्मेष्टिपालने ॥

२. ग्रह १, ३६४

३. रामायण—२, ३, ३६

नपोंकि मर्यादा का असिक्रमण करने से कलबती भूमि भी अरण्यतुल्य हो जाती है ( १९, १९ ) । इस के विवरीत न्यायपूर्वक प्रजा का बाला करते ही प्रजा की अभिलाषित फलों की प्राप्ति होती है, मेव समय पर वर्षा करते हैं तथा सम्पूर्ण व्याधियाँ शान्त हो जाती है ( १७, ४५-४६ ) । आचार्य का यह भी कथन है कि राजा समय के परिवर्तन का कारण होता है ( १७, ५० ) । सारे लोकपाल राजा का ही समय के परिवर्तन का कारण होता है ( १७, ४५-४६ ) । लोकपाल होते हुए भी उत्तम लोकपाल अनुकरण करते हैं इसी कारण राजा महायम लोकपाल होते हुए भी उत्तम लोकपाल अहलाता है ( १७, ४७ ) । सोमदेव का कथन है कि यदि समुद्र ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने लगे और सूर्य अपना प्रकाशवर्भ त्याग कर अन्धकार का प्रसार करने लगे तथा माता भी अपने बच्चे का पालनरूप धर्म छोड़कर उस का मक्षण करने लगे, तो उन्हें कोन सकता है ( १७, ४४ ) । इसी प्रकार राजा भी यदि अपना धर्म दण्ड देने वाला कोत हो सकता है, अर्थात् कोई नहीं । अतः राजा की प्रजा के साथ कभी अन्याय नहीं करना चाहिए । यदि राजा ही दुष्टों की उहायता करने लगे तो फिर प्रजा का कल्याण किस प्रकार हो सकता है ( १७, ४८ ) ।

इस प्रकार आचार्य सोमदेव ने राजत्व के उच्च-आदर्श अपने ग्रन्थ में व्यक्त किये हैं । वे राजा को धर्म का आचरण करने, मर्यादा का पालन करने तथा प्रजा की हर प्रकार से रक्षा करने और उस का पालन-पोषण अपने कुटुम्ब के समान करने का आदेश देते हैं ।



## मन्त्रिपरिषद्

### राजशासन में मन्त्रिपरिषद् का महत्व

राज्य की प्रकृतियों में राजा के पक्षात् द्वितीय स्थान मन्त्रियों को प्रदान किया गया है। मन्त्रियों के सत्परामर्श पर ही राज्य का विकास, उन्नति एवं स्थायित्व निभर है। भारतीय मतीषियों ने मन्त्रियों को बहुत महत्व दिया है। उन की उपयोगिता के फारण ही समस्त आचार्यों ने राजा को मन्त्रियों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। साधारण कार्यों में भी एक व्यक्ति की अपेक्षा दो व्यक्तियों का उस पर विचार करना श्रेष्ठ बताया जाता है। फिर राजकार्य तो बहुत जटिल होते हैं तब उन्हें अकेला राजा किस प्रकार कर सकता है। आचार्य सोमदेव ने भी मन्त्रियों एवं अमात्यों की राज्य-शासन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है तथा उन के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है (१०, १६७)। सोमदेव के कथनानुसार जो राजा मन्त्री, पुरोहित और सेनापति द्वारा निर्धारित किये हुए धार्मिक और आर्थिक सिद्धान्तों का पालन करता है वह आहार्यबुद्धि वाला है (१०, १)। गुरु का कथन है कि जो राजा मन्त्री, पुरोहित तथा सेनापति के हितकारी वचनों को नहीं मानता वह दुर्योधन राजा की तरह नष्ट हो जाता है।<sup>१</sup> मन्त्री और पुरोहित को राजा का हितैषी होने के कारण सोमदेव ने उन्हें राज्य के भास्त्र-पिता के समान बतलाया है (११, २)। मूर्ख और असहाय राजा भी सुयोग्य मन्त्रियों के परामर्श एवं अनुकूलता से शत्रुओं द्वारा अजेय हो जाता है (१०, ३)। सोमदेव ने अपने कथन को पुष्टि में एक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने स्वयं राज्य का अधिकारी न होते हुए विष्णुगुप्त के अनुग्रह से राजपद प्राप्त कर लिया (१०, ४)। जो राजा मन्त्रियों के हितकारक वचनों की अवहेलना करता है वह निश्चय ही नष्ट हो जाता है (१०, ५८)। अन्यत्र आचार्य लिखते हैं कि जो राजा मन्त्रियों की नियुक्ति नहीं करता और स्वच्छन्द रूप से शासन करता है वह अपने राज्य की नष्ट कर देता है (१०, १४३)। सोमदेव का कथन है कि युक्तियुक्त वचन तो बालक से भी प्रह्लण

<sup>१</sup> गुरु-नीतिवा० पृ० १०६।

नो राजा मन्त्रिपूर्वाणा न अर्देति हितं वचः।

२ शीर्ष नाशमायःति अथा दुर्योधनो दृगः।

कर लेने चाहिए ( १०, १५५ ) । बहुत सहायकों वाले राजा के सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं तथा उस की अभिवृद्धि होती है ( १०, ८८ ) ।

अमात्यों का महत्व प्रदर्शित करते हुए सोमदेव लिखते हैं कि राजा अतुरंग बल से युक्त होकर भी अमात्यों के बिना राजा नहीं रह सकता ( १८, १ ) । जिस प्रकार रथ का एक चक्र दूसरे चक्र की सहायता के बिना नहीं धूम सकता उसी प्रकार अकेला राजा भी अमात्यों की सहायता के बिना राज्य रूपी रथ का संचालन नहीं कर सकता ( १८, ३ ) । आचार्य कौटिल्य ने भी ठीक इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं । आगे सोमदेव लिखते हैं कि जिस प्रकार अग्नि दैवन मुक्त होने पर भी हक्का की सहायता के बिना प्रज्वलित नहीं हो सकती उसी प्रकार बलिष्ठ व सुयोग्य राजा भी बिना सहायकों के राज्य संचालन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता ( १८, ४ ) ।

उक्त बातों का तात्पर्य यही है कि राजा को अकेले कोई भी कार्य नहीं करता चाहिए । उसे सुयोग्य मन्त्रियों एवं अमात्यों को नियुक्ति करनी चाहिए तथा प्रत्येक राज-कार्य में उन का परामर्श मानना चाहिए । स्वच्छत्वं प्रकृति से राज्य नष्ट हो जाता है ।

अन्य राज्यव्यासक्र प्रणेताओं ने भी मन्त्रियों की नियुक्ति एवं उस के परामर्श से शासन का संचालन करने पर विशेष बल दिया है । मनु का कथन है कि जो राजा समस्त कार्यों को अकेला ही करने का प्रयत्न करता है वह मूर्ख है ।<sup>१</sup> मनु का यह विधान है कि राजा को मन्त्रियों को वियुक्ति अवश्य करनी चाहिए तथा राज्य के साधारण एवं असाधारण कार्यों पर उन्होंने के साथ मिलकर विचार-विमर्श करना चाहिए ।<sup>२</sup> समस्त राज्य के कार्यों का तो कहमा हो क्या, एक साधारण कार्य भी राजा को अकेले नहीं करना चाहिए ।<sup>३</sup> आचार्य विशालाक्ष का मत है कि अकेले किसी भी भनुष्य के विचार करने से मन्त्र-सिद्धी नहीं होती, क्योंकि राज्यकार्य प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमान प्रमाण के आधार पर चलता है । तात्पर्य यह है कि राजकार्य सहाय-साध्य होता है । अज्ञात बात का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञात का निष्पत्ति करना, निश्चित बात को दृढ़ बनाना, मतभेद के समय उपस्थित सन्देह को निवृत्त करना, किसी विषय के अंश का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर शेष अंश का अनुपान करना, यह सब कार्य मन्त्रियों की सहायता से ही सिद्ध हो सकते हैं । अतः बुद्धिमान् मन्त्रियों के साथ वैठकर ही राजा को मन्त्रणा करनी चाहिए ।<sup>४</sup> युक्त का मत है कि सुयोग्य राजा भी समस्त बातें नहीं समझ सकता, पुरुष-पुरुष में बुद्धिवैभव पृथक्-पृथक् होता है, अतः राज्य की उप्रति

१. कौ० अर्थ ० ३, १५ ।

२. मनु० ७, २०-२१ ।

३. वही, ७, १४-१५ ।

४. वही, ७, १०, ३१ एवं ७, १५-१६ ।

५. कौ० अर्थ १, १५ ।

चाहने वाला राजा सुयोग्य मन्त्रियों का निर्वाचित करे अन्यथा राज्य का पतन अवश्य-भावी है।<sup>१</sup> कारणायन का तो कथन यहीं तक है कि राजा को अकेले बैठ कर किसी अभियोग का निर्णय नहीं करना चाहिए और अमात्यों एवं सम्बोधी आदि के साथ बैठ कर ही मुकदमों अथवा अभियोगों का निर्णय करना चाहिए।<sup>२</sup> आचार्य कौटिल्य का कथन है कि जब कोई कठिन समस्या उपस्थित हो जाये अथवा प्राणों तक का भय हो तो उनियों एवं उन्मित्तिपद्धति द्वारा गुण कहर यज्ञ उद्दे उद्देश्य कहे और उन का परामर्श ले। उन में से अधिक मन्त्री जिस बात को कहें, अथवा जिस उपाय का शोध ही कार्य की सिद्धि वाला बतायें, राजा को चाहिए कि उसों उपाय का अनुष्ठान करे।<sup>३</sup> मन्त्रिपरिषद् का महत्व प्रदर्शित करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि हाव्र को मन्त्रिपरिषद् में एक हजार वृहणि थे। वे ही कार्यों के दृष्टि होने के कारण हन्द्र के चक्रु के समान थे। इसलिए इस दो नेत्र वाले इन्द्र को भी सहस्राक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक राजा को अपनी मन्त्रिपरिषद् में सामध्यनिःशार अनेक मन्त्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए।<sup>४</sup> इस प्रकार राजतन्त्र का महान् समर्थक कौटिल्य भी राजा को यहीं आदेश देता है कि उस को मन्त्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए तथा प्रत्येक प्रश्न पर परिषद् से विचार-विमर्श करने के उपरान्त बहुमत के आधार पर कार्य करना चाहिए।

### मन्त्रिपरिषद् की रचना

नीतिवाक्यामृत में मन्त्रिपरिषद् के सम्बन्ध में मन्त्रो एवं अमात्य शब्दों का प्रयोग हुआ है। अन्य राज्यशास्त्र प्रणेताओं ने अमात्य का उल्लेख राज्य की प्रकृति के रूप में किया है और समांग राज्य में अमात्य को भी राज्य की एक प्रकृति माना है। परन्तु आचार्य सोमदेव ने अमात्य और मन्त्री में कुछ भेद प्रदर्शित किया है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मन्त्री एवं अमात्य दो पृष्ठक् समृद्धेशों की रचना की है। मन्त्री पुरोहित और सेनापति की कच्छी मन्त्री समुद्रेश में की है तथा अमात्य की अमात्य समुद्रेश में। सम्भवतः सोमदेव ने मन्त्री शब्द का प्रयोग प्रधानमन्त्री एवं अन्तर्रंग परिषद् के मन्त्रियों के लिए किया है तथा अमात्य शब्द का प्रयोग मन्त्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों एवं उच्च राज्याधिकारियों के लिए किया है। अमात्य की परिभाषा देते हुए आचार्य लिखते हैं कि जो राजा हारा प्रदत्त दान-सम्मान प्राप्त कर कर्त्तव्य पालन में उत्कर्ष व अपकर्ष करने से क्रमशः राजा के गुख-दुःख में भागी होते हैं उन्हें अमात्य कहते हैं (१८, १५)। अतः राजकार्यों में सहायता प्रदान करने वाले अधिकारी को सोमदेव ने अमात्य कहा है। कामन्दक तथा अग्निपूराण में भी अमात्य की परिभाषा

१. शुक्ल ३, ८६।

२. नीरमित्रोदय—पृष्ठ १४।

३. ऋैष अर्थ १, १२।

४. वही, हन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषद्-वृश्चीणा सहस्र। स उच्चवशः। तस्मादिम् द्वचक्षं गृह्णताक्षमाहुः।

यथास॑पर्यमिति कौतुक्यः। ते ह्यस्य स्वपदं परपतं च चिन्तयेतुः।

इसी प्रकार दी गयी है<sup>१</sup> सोमदेव के अनुसार आयथय, स्वामिरक्षा, तन्त्रप्रोषण तथा सेना की उचित उपचर्या करना अमात्य का अधिकार बतलाया है (१८, ६)।

आचार्य कौटिल्य ने मन्त्री एवं अमात्य का भेद अर्थशास्त्र में स्पष्ट कर दिया है। कौटिल्य अमात्य आदि के सम्बन्ध में अन्य आचार्यों के मत उद्धृत करने के उपरान्त अन्त में लिखा है कि भारद्वाज के सिद्धान्त से लगाकर अभी तक जो कुछ अमात्य के सम्बन्ध में कहा गया है वह सब ठीक है, पर्योक्ति पुरुष के सामर्थ्य की व्यवस्था, उन के कार्यों के सफल होने पर तथा उन की विद्याबुद्धि के बल पर ही की जा सकती है। इस लिए राजा सहाज्यायी आदि का भी सर्वथा परित्याग न करे, किन्तु इन सब को ही उन को कार्यक्षमता के अनुसार उन को बुद्धि आदि गुण, देश, काल तथा कार्यों का अच्छी तरह विवेचन कर के अमात्य पद पर नियुक्त करे, परन्तु इन को अपना मन्त्री करायि न बनावे।

इस वर्णन से स्पष्ट है कि अमात्य मन्त्रिपरिषद् के सदस्य होते थे, किन्तु उन को मन्त्रणा का अधिकार प्राप्त नहीं था। मन्त्रणा केवल सर्वगुणसम्पन्न, पूर्णरूपेण परीक्षित एवं विश्वसनीय मन्त्रियों से ही की जाती थी। परीक्षोपरान्त अमात्यों में से ही मन्त्री नियुक्त किये जाते थे। इस प्रकार मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या तो अधिक होती थी, किन्तु अन्तरंग परिषद् में केवल तीन या चार मन्त्री होते थे और उन्हीं के साथ राजा गृह विषयों पर मन्त्रणा करते थे। मदानीदं से भी हउ बात की पुष्टि होती है।<sup>3</sup>

## मन्त्रियों की मियुर्सि

जिस प्रकार राजा का पद वंशानुगत था उसी प्रकार मन्त्रियों की नियुक्ति भी इसी सिद्धांत के आधार पर होती थी। राजा के अन्य कर्तव्यों के साथ मन्त्रियों की नियुक्ति करना भी उस का एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य समझा जाता था। राजा अपनी हच्छानुसार मन्त्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकता था, अपितु उन की नियुक्ति करते समय घरेशास्त्रों एवं अर्थशास्त्रों में उन के सम्बन्ध में निष्पारित नियमों को ध्यान में रखना परम आवश्यक था।

**मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की योग्यता**

मन्त्रियों की योग्यता अथवा गुणों के सम्बन्ध में अन्य वाचायों की भाँति सोम-  
देव ने भी पर्याप्त प्रकाश ढाला है। प्रधानमन्त्री के गुणों का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि राजा का प्रधानमन्त्री हिंज, स्वदेशवासी, सदाचारी, कुलीन, असतों से रहित,

१. कामद्विक १३, २३-२४ तथा अविनपुराण २४१, १६-१७।

२. कौम अर्थ १, ८।

३. महाराष्ट्र शासनित ८३, ४७।

स्वामिभक्त, नीतिज्ञ, मुद्द-विद्याविद्याराद और निष्कपट होना चाहिए (१०, ५)। इन गुणों से विमूषित प्रधानमन्त्री के सहयोग से ही राज्य को श्रीशृङ्खि हो सकती है, ऐसा आचार्य का विचार था। आचार्य कौटिल्य ने भी प्रधानमन्त्री के गुणों का वर्णन इसी प्रकार किया है। कौटिल्य लिखते हैं कि प्रधानमन्त्री में निम्नलिखित गुण होने चाहिए—  
 “राजा के ही देश में उत्पन्न, उत्तमकुल में जायमान, जो अपने को तथा और को बुराई से दूर रख सके, शिल्प तथा संगीत आदि में पारंगत, अर्थशास्त्र रूपी सूक्ष्म दृष्टि से सम्पन्न, शशरद्धा वाला, नारीन वर्त्ताओं द्वी प्रभावशालित है युद्ध, शीघ्र कार्य पूर्ण करने में समर्थ, बाक्षण्टु, किसी भी विषय की भली-भाति व्यक्त करने के साहस से सम्पन्न, युक्तियों तथा तकों द्वारा अपनी बात समझाने में समर्थ, उत्साही, प्रभावशाली, कष्टसहिष्णु, पवित्र आचरण वाला, स्नेही, राजा अथवा स्वामी के प्रति भक्ति रखने वाला, शीलवान्, वलवान्, आरोग्यवान्, धैर्यवान्, गर्वरहित, चपलताशूल्य, सीम्याकृति वाला और शत्रुत्व भाव से रहित पुरुष ही प्रधान मन्त्री बनने के योग्य होता है। जिन में उपर्युक्त गुणों का एक चतुर्थांश कम हो वे महायम थेणी के और जिन में आधे गुण हों वे निम्न थेणी के मन्त्री माने जाते हैं।”<sup>१</sup> भनु, कामन्दक, शुक तथा याज्ञवल्क्य आदि ने भी मन्त्रियों को योग्यताओं के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला है।<sup>२</sup>

**१. द्विजाति का विधान—**सोमदेवसूरि ने प्राचीन आचार्यों की भाँति ही द्विजवर्ण के पुरुषों को ही मन्त्री पद पर नियुक्त करने का उल्लेख किया है (१०, ५)। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता था। किन्तु शूद्र उपर्युक्त गुणों से सम्पन्न होने पर भी इस पद का अनिषिक्षारी था। इस का कारण यह था कि द्विज वर्ण के लोगों में उच्च संस्कारों के कारण उक्त गुणों का सूजन स्वाभाविक रूप से होता है। यद्यपि सोमदेव का दृष्टिकोण बहुत विशाल था, किन्तु उन्होंने शूद्र को इस पद पर नियुक्त करने का निषेध इसी कारण किया है कि वे वैदिक वर्णश्रीम व्यवस्था में आस्थावान् थे, जिस के अनुसार शूद्र का वर्ग द्विजाति की सेवा करता ही था।

**२. कुलीनता—**उच्चकुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। उच्चकुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति से उत्तम आचरण की सम्भावना विधिक होती है। सोमदेव लिखते हैं कि नीचकुल वाला मन्त्री राजा से ब्रोह कर के भी ब्रोह के कारण किसी से भी लज्जा नहीं करता (१०, ८)। इस में वर्क यही है कि कुलीन व्यक्ति से यदि अजानतावश कोई अपराध हो भी जाता है तो वह अवश्य ही लज्जित होता है, परन्तु नीच कुल वाला व्यक्ति निर्लज्ज होता है। इसलिए

१. कौ० अर्थ० १, ६।

२. मंड० ३, ५४, कामन्दक ४, २१-२०, शुक० २, ८-६, याज० १, ३१२-३१३।

वह कभी राजा का अनुर्ध्व भी कर सकता है। तो चक्रुल वाले राजमन्त्री आदि कालान्तर में राजा पर आपत्ति आने पर पागल कुत्ते के विष की भौति विषद्ध हो जाते हैं ( १०, १६ )। कुलीन व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए सोमदेव लिखते हैं कि जिस प्रकार अमृत विष तभी हो सकता, उसी प्रकार उच्चकुल वाला मन्त्री कभी विषासधार नहीं कर सकता ( १०, १७ )। शूक्र ने भी कुलीनता के सिद्धान्त पर विशेष बल दिया है। वे लिखते हैं कि मन्त्रिपरिषद् के सदस्य उच्चकुल के होने चाहिए<sup>१</sup> रामायण तथा महाभारत में भी कुलीनता के सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है<sup>२</sup> मनु तथा याज्ञवल्क्य मन्त्री भी कुलीनता पर बल देते हैं<sup>३</sup> इस प्रकार प्राचीन भारत में उन्हीं व्यक्तियों को मन्त्री वद पर तियुक्त किया जाता था जो अन्य गुणों के साथ ही उच्चबंश से सम्बन्धित होते थे।

**३. स्वदेश वासी—**मन्त्री के लिए स्वदेशज की शर्त भी आवश्यक थी। यह सिद्धान्त आधुनिक युग में भी माना जाता है। सोमदेव का कथन है कि समस्त पक्षपात्रों सिद्धान्त आधुनिक युग में भी माना जाता है। सोमदेव का कथन है कि समस्त पक्षपात्रों में अपने देश का पक्ष महान् होता है ( १०, ५ )। इस का यही अभिप्राय है कि मन्त्री में अपने ही देश का होना चाहिए। विदेशी को मदि मन्त्री आदि उच्चपद पर तियुक्त अपने ही देश का होना चाहिए। विदेशी को मदि मन्त्री आदि उच्चपद पर तियुक्त कर दिया जायेगा तो प्रत्येक वात में दृढ़ भृत्ये ही देश का पक्ष किया जायेगा। इस प्रकृति से बहु जिस राज्य में मन्त्री पद पर आसीन है उस का अहित भी कर सकता है। अतः वह जिस राज्य में मन्त्री पद पर आसीन होने का प्रतिबन्ध सभी आचार्यों ने लगाया है। महाभारत मन्त्री के लिए स्वदेशवासी होने का प्रतिबन्ध सभी आचार्यों ने लगाया है। महाभारत में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि विदेशी चाहे विभिन्न गुणों से विभूषित हो क्यों न हो, किन्तु उसे मन्त्र सुनने का अधिकार नहीं है। आगे यह भी लिखा है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों को स्वदेशवासी होना चाहिए<sup>४</sup> आचार्य कौटिल्य भी इस सिद्धान्त में विद्वास रखते हैं।

**४. चारित्रवान्—**उपर्युक्त गुणों के साथ ही मन्त्री के लिए सदाचारी होना भी परम आवश्यक था। व्यक्तित्व का प्रभाव जनता पर पड़ता है। व्यक्तित्व का नियमण तथा उस का प्रभावशाली होना व्यक्ति के चरित्र पर ही निर्भर है। इसी हेतु नियमण तथा उस का प्रभावशाली होना भी एक आवश्यक गोप्यता मानी गयी थी। आचार्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए चारित्रवान् होना भी एक आवश्यक गोप्यता मानी गयी थी। आचार्य सोमदेव का कथन है कि राजा सदाचारी होना चाहिए, अन्यथा उस के दुराचारी होने सोमदेव का मूल ( राजतोतिक्षान ) और सैनिक संगठन आदि सद्गुणों के अभाव में राज्य की क्षमति अवश्यममादी है ( १०, ७ )।

स्मृतिकारों ने भी यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि मन्त्रिपरिषद् के सदस्य

१. शूक्र० ३, ८।

२. रामायण अवोड्या काण्ड, १००, १५। महा० शान्तिं० ५३, १६।

३. मनु० ७, ४४; याह० १, ३१२ तथा ऊ० अर्थ० ८, ८।

४. महा० शान्तिं० ८३, ८८।

सुपरीक्षित एवं जारितवान् व्यक्ति होने चाहिए।<sup>१</sup> महाभारत में भी मन्त्रियों की योग्यता के विषय में यह उल्लेख मिलता है कि सचिव ऐसे होने चाहिए जो काम, क्रोध, लोभ और भय आदि विकारों से ग्रसित होने पर भी धर्म का त्याग न करें।<sup>२</sup>

**५. निर्व्यसनता—**मन्त्री के लिए यह भी आवश्यक था कि वह सर्वथा निर्व्यसन हो। व्यसनग्रस्त मन्त्री किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। उस से राज्य का हित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह व्यसनों का दास हो जाता है। व्यसनी व्यक्ति को उचित और अनुचित का भी जान नहीं रहता। आचार्य सोमदेव का कथन है कि जिस राजा का मन्त्री द्यूतकीड़ा, मष्टपान और परकलत्र सेवन आदि व्यसनों से अनुरक्त है वह राजा पागल हाथों पर आखड़ व्यक्ति की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इस कथन का आशय यहो है कि व्यसनी मन्त्री राजा को उचित परामर्श नहीं दे सकता। तथा वह शत्रुपक्ष से भी बिल सकता है। ऐसे मन्त्री के परामर्श से राजा परामर्श होकर विनाश को प्राप्त हो जाता है। अतः मन्त्री को सब प्रकार के व्यसनों से मुक्त होना चाहिए।

**६. राजभक्ति—**राजभक्ति भी मन्त्री के लिए आवश्यक गुण माना गया है। अपने स्वामी से द्वोह करने वाले मन्त्रों एवं सेवकों की नियुक्ति करना निरर्थक है ( १०, १० )। आचार्य शुक्र का कथन है जो विपत्ति पड़ने पर स्वामी से द्वोह करता है उस मन्त्री से राजा को क्या लाभ है चाहे ऐसा व्यक्ति ( मन्त्री ) सर्वगुणसम्पन्न ही क्यों न हो।<sup>३</sup> सोमदेव का कथन है कि सुख के समय पर सभी सहायक हो जाते हैं किन्तु विपत्ति काल में कोई सहायक नहीं होता। अतः विपत्ति में सहायता करने वाला पुरुष ही राजमन्त्री पद के योग्य है अन्य नहीं ( १०, ११ )। आचार्य कौटिल्य श्री अमात्यों के लिए राजभक्ति के गुण को आवश्यक मानते हैं।<sup>४</sup>

**७. नीतिश्लक्षण—**राज्य की उन्नति एवं विकास कुशल नीति पर ही अवलम्बित है। इसी करण आचार्य सोमदेव ने मन्त्री के लिए नीतिश्लक्षण भी परम आवश्यक बतलाया है ( १०, ५ )। नीतिश्लक्षण मन्त्री ही राज्य का कल्याण कर सकता है, आचार्य का कथन है कि राजा हित साधन और अहित प्रतिकार के उपायों को नहीं जानता किन्तु केवल उस की भक्ति मात्र करता है उसे मन्त्री बनाने से राज्य की अभिवृद्धि नहीं हो सकती ( १०, १२ )। अतः राजा का यह कर्तव्य है कि वह राजनीति-विशारद एवं कर्तव्य परायण व्यक्ति को ही अपना मन्त्री बनाये।

**८. युद्धविद्या विशारद—**मन्त्री के लिए विविध अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग में निपुण, निर्भीक एवं उत्तमाहो होना भी आवश्यक है। शस्त्र विद्या का शास्त्र होने पर भी

१. मनु० ३, ५८; ६०।

२. महा० शान्ति० ८३, २६।

३. शुक्र०—नीतिश्लक्षण० १० ११०।

४. कौ० अर्थ०, १, ६।

यदि वह भीष है तो उस के शस्त्रशान का कोई लाभ नहीं। भीरु मन्त्री शस्त्रों के प्रयोग का जाता होते हुए भी आक्रमण हीने पर अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। इस विषय में सोमदेव लिखते हैं कि ब्रित का शस्त्र, लड़ग और घनुप अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है ऐसे शास्त्रविद्याविशारद व्यक्ति से राज्य का कोई भी लाभ नहीं हो सकता ( १०, १३ )। जिस प्रकार बछड़े को भारी शोक्षा होने के कार्य में लगाने से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार कायर पुष्प के गुहने लिए एवं पूर्ण ती लारदारी के लिए प्रेरित करने से कोई लाभ नहीं हो सकता ( १०, २१ )। कायर और मूर्ज पुष्प मन्त्रोपद के अधोग्य हैं। जिस बीर पुष्प का शास्त्र शत्रुओं के आक्रमण को निर्मूल नहीं बनाता उस का शस्त्र धारण करना उस की पराजय का हेतु है। इसी प्रकार जिस प्रकार चिह्नान् का शास्त्र ज्ञानवादियों के बढ़ते हुए क्षेत्र को नहीं रोकता उस का शास्त्रशान भी उस की पराजय का कारण होता है ( १०, २० )।

९. निष्कपटता—निष्कपटता भी मन्त्रों के लिए आवश्यक है। मन्त्रों को राजा से किसी भी स्थिति में कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। कपटों मन्त्री राजा का विनाश करता है।

उपर्युक्त गुण के बल प्रधान मन्त्रों के लिए ही नहीं, अपितु अन्य मन्त्रियों के लिए भी इन गुणों की परम आवश्यकता थी। जिस मन्त्रों में जैसी योग्यता होती थी उसे वैसे ही कार्य में लगाया जाता था ( १८, ६० )। लालचो व्यक्ति को मन्त्री पद पर नियुक्त करने का भी सभी आचार्यों ने निषेध किया है। सोमदेव लिखते हैं कि जिस के मन्त्री की बुद्धि धन प्रदण करने में आसक होती है उठ राजा का न तो कोई कार्य ही सिद्ध होता है और न उस के पास धन ही रहता है। इस बात की पुष्टि के लिए सोमदेव ने एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है—यदि वाली ही भोजन को स्वयं भक्षण कर जाये तो भोजन करने वाले को भोजन कही मिल सकता है। इस का अभिप्राय मही है कि यदि मन्त्री राजद्रव्य को स्वयं ही हड्डने लमे तो फिर राजकोष किस प्रकार सम्पद हो सकता है।

### मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या

मन्त्रिपरिषद् का सर्व-प्रथम कर्तव्य राजा को शासन कार्यों में परामर्श देना एवं उन को सम्पन्न करना था। राजकीय महत्व के विषयों पर उचित परामर्श के लिए एक या दो व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक व्यक्तियों का परामर्श उपयोगो माना गया है। आचार्य सोमदेव का कथन है कि जिस राजा के बहुत से सहायक होते हैं उसे समस्त अभिलिखित पदार्थों की प्राप्ति होती है। अकेला व्यक्ति ( मन्त्री ) अपने को किन-किन कार्यों में लगायेगा ( १०, ८०-८१ )। इस का अभिप्राय मही है कि राज्य के दिविन कार्य होते हैं, उन्हें अकेला मन्त्री नहीं कर सकता। अतः विभिन्न कार्यों के लिए अधिक मन्त्रियों की आवश्यकता है। इस के लिए आचार्य सोमदेव बहुत सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत

करते हैं, "व्याकेषल एक शाखा वाले दृश्य से अधिक ज्ञान हो सकती है ? नहीं हो सकती, उसी प्रकार अकेले मन्त्रों से राज्य के महान् कार्य सिद्ध नहीं हो सकते ( १०, ८२ ) ।"

एक और जहाँ मन्त्रियों की संख्या अधिक होने का विचार है तो दूसरी ओर मन्त्र को गुप्त रखने का प्रबन्ध भी महसूपूर्ण है। अधिक मन्त्रियों के होने से मन्त्र का गुप्त रखना असम्भव हो जाता है। अतः अधिक मन्त्रियों वाली परिषद् से लाभ के स्थान पर हानि भी सम्भव है। सोमदेव इस प्रकार का समाचार करते हुए लिखते हैं कि यदि मन्त्री पूर्वोक्त गुणों से युक्त हो तो एक या दो मन्त्री रखने से भी राजा की हानि नहीं हो सकती ( १०, ७७ )। मन्त्रिपरिषद् की संख्या के विषय में सोमदेव का विचार है कि राजाओं को तीन, पाँच या सात मन्त्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। वे विषम संख्या वाली मन्त्रिपरिषद् पर अधिक बल देते हैं। इस का कारण यही है कि विषम संख्या वाली मन्त्रिपरिषद् का एकमत होना कठिन होता है ( १०, ७१-७२ )। अतः वे राज्य के विश्वासोहरे पद्धयन्त्र नहीं कर सकते। सोमदेव एक या दो मन्त्रियों की नियुक्ति के विशेषी है। उन का कथन है कि राजा को केवल एक मन्त्री की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अकेला अधिकत स्वच्छन्द हो सकता है ( १०, ५६-६७ )। आचार्य आगे लिखते हैं कि दो अधिकारीयों को भी मन्त्री न बनावे, क्योंकि दोनों मन्त्री मिलकर राज्य को नष्ट कर डालते हैं ( १०, ६८-६९ )। अधिक मन्त्रियों की नियुक्ति से होने वाली हानि की ओर संकेत करते हुए वे लिखते हैं कि परस्पर ईर्ष्या करने वाले बहुत से मन्त्री राजा के समक्ष अपनी-अपनी बुद्धि का घमत्कार प्रकट कर के अपना मत पुष्ट करते हैं इस से राजकार्य में हानि होती है ( १०, ७३ )। परस्पर ईर्ष्या रखने वाले तथा स्वेच्छाचारी मन्त्रियों की नियुक्ति से राजा को सर्वदा हानि उठानी पड़ती है। अतः उसे ऐसे अधिकारीयों को मन्त्रीपद पर कभी नियुक्त नहीं करना चाहिए।

आचार्य सोमदेव शूरि ने मन्त्रिपरिषद् के लिए काई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की है। वे एक सन्तुलित एवं विषम संख्या वाली परिषद् के पथ में हैं, जिस में मन्त्रियों की संख्या तीन, पाँच अथवा सात हो। सम्भवतः वे भी आचार्य कोटिल्य की भाँति आवश्यकतानुसार मन्त्रियों की नियुक्ति के पथ में थे। किन्तु कोटिल्य ने विषम संख्या को ओर सकेत नहीं किया है। मन्त्रिपरिषद् को संख्या के विषय में प्राचीन आचार्यों में पवित्र भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। आचार्य कोटिल्य ने इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्र में विभिन्न आचार्यों के मत उछूत किये हैं जो इस प्रकार है—मानव सम्प्रदाय ( मनु आदि ) का विचार है कि मन्त्रिपरिषद् में मन्त्रियों की संख्या बारह होनी चाहिए, बाह्यस्पत्य सम्प्रदाय के अनुसार मन्त्रियों की संख्या सोलह तथा बीशवस् ( शुक्र ) सम्प्रदाय के मत से बीस होनी चाहिए। इस प्रकार विभिन्न आचार्यों के मतों का उल्लेख करने के उपरांत कोटिल्य लिखते हैं कि जितनी आवश्यकता हो उसी के

अनुसार मन्त्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए।<sup>१</sup> महाभारत में सैतोंस मन्त्रियों को परिषद् का उल्लेख मिलता है।<sup>२</sup>

कौटिल्य ने मानव सम्प्रदाय के मतानुसार बारह मन्त्रियों की नियुक्ति का उल्लेख किया है, किन्तु वर्तमान उपलब्ध मनुस्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि मन्त्रिपरिषद् में सात या आठ मन्त्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए।<sup>३</sup> मनुस्मृति में अन्यथा ऐसा भी विवरण मिलता है कि राजा अन्य मन्त्रियों की भी नियुक्ति करे।<sup>४</sup> सम्भवतः कौटिल्य ने दोनों स्थानों के वर्णन के आधार पर सामान्य रूप से मानव सम्प्रदाय के मतानुसार मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या बारह व्यक्त की है।

### मन्त्र का प्रधान प्रयोजन

परस्पर वैर-विरोध न करने वाले प्रेम और सहानुभूति रखने वाले, युक्ति व अनुभव शून्य बात न करने वाले मन्त्रियों के हारा जो मन्त्रणा की जाती है, उस से थोड़े से उपाय से महान् कार्य की विद्धि होती है और यही मन्त्र का फल या माहात्म्य है ( १०, ५० )। सारांश यह है कि थोड़े परिश्रम से महान् कार्य सिद्ध होना मन्त्रशक्ति का फल है। जिस प्रकार पृथ्वी में गक्की हृई विशाल पत्थर की चट्टाव तिरछी लकड़ी के मन्त्रविशेष से शीघ्र ही थोड़े परिश्रम से उठायी जा सकती है, ठीक उसी प्रकार मन्त्रशक्ति से महान् कार्य भी थोड़े परिश्रम से सिद्ध हो जाते हैं ( १०, ५१ )। आचार्य सोमदेव का कथन है कि किसी बात का विचार करते हो उसे शीघ्र ही कार्यरूप में परिणत कर देना चाहिए। मन्त्र में विलम्ब करने से उस के प्रकट होने का भय रहता है ( १०, ४२ )। अतः उसे शीघ्र ही कार्य रूप में परिणत करे, आचार्य शुक्र का भी यही विचार है कि जो मनूष्य विचार निश्चित कर के उसी समय उस पर आचरण नहीं करता उसे मन्त्र का फल प्राप्त नहीं होता।<sup>५</sup> जो विजिगीषु निश्चित विचार के अनुसार कार्य नहीं करता वह हानि उठाता है। विजिगीषु ( राजा ) यदि मन्त्रणा के अनुकूल कर्तव्य में प्रवृत्त नहीं होता तो उस की मन्त्रणा व्यर्थ है ( १०, ४३ )। शुक्र ने भी कहा है कि जो विजिगीषु मन्त्र का निष्चय कर के उस के अनुकूल कार्य नहीं करता वह मन्त्र आलसी विद्यार्थी के मन्त्र की भाँति व्यर्थ हो जाता है।<sup>६</sup> जिस प्रकार ओषधि के द्वारा ही जाने पर भी उस के ब्रह्मण किये दिना व्याधि नहीं नहीं होती उसी प्रकार मन्त्र के कार्य रूप में परिणत किये दिना केवल विचार मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होता ( १०, ४४ )।

१. कौ० अर्थ १, १५।

२. महारथ शान्ति० ५. ७८।

३. मनु० ७, ४४।

४. वही, ७, ४४।

५. शुक्र० भीतिवा० पृ० १२०।

६. वही, पृ० १२०।

## मन्त्र के अंग

आचार्य सौमदेव ने भी कौठिल्य की भौति मन्त्र के पाँच अंग बतलाये हैं—१. कार्य के आरम्भ करने का उपाय, २. पुरुष और द्रव्य सम्पत्ति, ३. देश और काल का विभाग, ४. विमिषात ( प्रतिकार ) और ५. कार्यसिद्धि ।<sup>१</sup>

१. कार्य प्रारम्भ करने के उपाय—जैसे, अपने राष्ट्र को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए उस में खाई, परकोट और दुर्ग आदि का निर्माण करने के साथनों पर विचार करना और दूसरे देश में शत्रुमूत राजा के यहाँ सन्धि व विप्रहृ आदि के उद्देश्य से गुस्वर व दूत भेजना आदि कार्यों के साथनों पर विचार करना मन्त्र का प्रथम अंग है ।

२. पुरुष का द्रव्य सम्पत्ति—यह पुरुष अमुक कार्य करने में निपुण है, यह जानकर उसे उस कार्य में नियुक्त करना तथा द्रव्य सम्पत्ति, इतने धन से अमुक कार्य सिद्ध होगा । यह क्रमशः पुरुषसम्पत् और द्रव्यसम्पत् नाम का दूसरा मन्त्र का अंग है । अथवा स्वरेश-परदेश की विषया से प्रत्येक के दो भेद हो जाते हैं ।

३. देश और काल—अमुक कार्य करने में अमुक देश या अमुक काल अनुकूल एवं अमुक देश और काल प्रतिकूल है इस का विचार करना मन्त्र का तीसरा अंग है । अथवा अपने देश ( दुर्ग आदि के निर्माण के लिए जनपद के बीच का देश ) और काल ( सुभित्त, दुभित्त तथा वर्षा एवं दूसरे देश में सन्धि आदि करने पर कोई उपजाऊ प्रदेश और काल ) आक्रमण करने या न करने का समय कहलाता है । इन का विभाग करना यह देश-कालविभाग नाम का तीसरा अंग कहलाता है ।

४. विनिपात-प्रतिकार—आयी हुई विपत्ति के विनाश का उपाय—विनिपात करना, जैसे अपने दुर्ग आदि पर आने वाले अथवा आये हुए विष्णों का प्रतिकार करना यह मन्त्र का विनिपात-प्रतिकार नामक चौथा अंग है ।

५. कार्यसिद्धि—उपर्युक्त और समवस्था यह तीन प्रकार की कार्यसिद्धि है । जिन सामादि उपायों से विजिगोषु राजा अपनी उपर्युक्ति, शत्रु की अवनति या दोनों की समवस्था प्राप्त हो यह कार्यसिद्धि नामक पाचवाँ अंग है ।<sup>२</sup> विजिगोषु राजा को समस्त मन्त्रियष्ठक से अथवा एक या दो मन्त्रियों से उक्त पंचांगमन्त्र का विचार कर तदनुकूल कार्य करना चाहिए ।

## मन्त्रणा के अयोग्य घटक

मन्त्रणा प्रत्येक घटक से नहीं को जा सकती । इस सम्बन्ध में आचार्य सौमदेव लिखते हैं कि जो वपक्ति धार्मिक कर्मकाण्ड का विद्वान् नहीं है उस की जिस प्रकार

१. नौ० अर्थ ३, १५ राष्ट्र नीतिशास्त्र, १०, २५ ।

२. कौ० अर्थ १, १५ ।

आदि आदि क्रिया करने का अधिकार नहीं है उसी प्रकार राजनीतिज्ञान से शून्य भूम्भ मन्त्री की भी मन्त्रणा का अधिकार नहीं है ( १०, ८९ ) । भूम्भ मन्त्री अन्ये के समान मन्त्र का निष्कर्ष नहीं कर सकता ( १०, ९० ) । जो राजा भूम्भ मन्त्री पर राज्य-मार सौप देता है वह स्वयं ही अपने विनाश के बीज थोटा है ( १०, ८७ ) । आगे आचार्य लिखते हैं कि शास्त्र संचालन करने वाले अत्रिय लोग मन्त्रणा के पात्र नहीं हैं, अत्रियों को रोकने पर भी केवल कलह करना सूझता है । अतः उन्हें मन्त्री नहीं बनाना चाहिए । शास्त्रों से जीविका अर्जन करने वाले अत्रियों को युद्ध किये बिना प्राप्त किया हुआ भी अर्जन भी नहीं पचता ( १०, १०३ ) । मन्त्रीपद की प्राप्ति, राजा की प्रसन्नता व शास्त्रों से जीविका प्राप्त करना, इनमें से प्राप्त हुई एक भी वस्तु भनुष्य की उत्तमता बना देती है, फिर उक्त तीनों परम्पराओं का उन्नदाय दी अवश्य हो उपर्युक्त गति देगा । घनस्तम्पट व्यक्ति भी मन्त्रणा के अद्योत्तम है । आचार्य सोमदेव का कथन है कि जिस राजा के मन्त्री की बुद्धि धन ग्रहण करने में वास्तव है उस राजा का न तो कोई कार्य ही सिद्ध होता है और न उस के पास धन ही रहता है ( १०, १०४ ) ।

राजा को चतुर व्यक्तियों के साथ ही परामर्श करना चाहिए । सोमदेव लिखते हैं कि जिस प्रकार नेत्र की सूक्ष्म दृष्टि उस की प्रशंसा का कारण होती है उसी प्रकार राजमन्त्री की भी यथार्थ दृष्टि ( सन्धि, विग्रह आदि कार्यसाधक मन्त्र का यथार्थ ज्ञान ) उस का राजा द्वारा गौरव प्राप्त करने में कारण होती है ( १०, १०० ) । राजा को अपराधी व अपराध करने वालों के साथ भी मन्त्रणा नहीं करनी चाहिए ( १०, १६९ ) । दण्डित व अपराधी पुरुष घर में प्रविष्ट हुए सर्व की भौति समस्त आपत्तियों के आने का कारण होता है ( १०, १०० ) । राजा ने जिन के बन्धु आदि कुटुम्बियों का वष-बन्धनादि अविष्ट किया है उन विरोधियों के साथ भी मन्त्रणा नहीं करनी चाहिए ( १०, ३१ ) । उन के साथ मन्त्रणा करने से मन्त्र के प्रकट हो जाने का भय रहता है ।

मन्त्रवेला में केवल वही व्यक्ति प्रविष्ट हों जिन्हें राजा ने आमन्त्रित किया है । जिन बुलाया हुआ व्यक्ति वहाँ न ठहरे ( १०, ३२ ) । असात्य और सेनाव्यक्त आदि राज्याधिकारियों से राजदोष ( क्रोध व हिर्दि आदि ) और स्वयं किये हुए अपराधों के कारण जिन की जीविका नष्ट कर दी गयी है वे क्रोधी, लोभी, भौत और तिरस्कृत होते हैं उन्हें कृत्या के समान महा भयंकर समझना चाहिए ( १०, १६५ ) । नारद का कथन है कि जिन का परामर्श और जिन्होंने परामर्श किया है, उन्नति के आकाशी को उन के साथ मन्त्रणा नहीं करनी चाहिए ।<sup>१</sup> शुक्र का कथन है कि जिस प्रकार घर में दिवास करने वाले सर्व से सदैव भय बना रहता है उसी प्रकार घर में आये हुए दोषियों से भी भय रहता है ।<sup>२</sup> इस के साथ ही राजा को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वह कभी बाहर से आये हुए दूत के सामने मन्त्रणा न करे । चतुर

१. नारद-नीतिवाच ।

२. शुक्र-नीतिवाच, पृ० ५५ ।

व्याकृत मन्त्रणा करने वाले के मुख के विकार और हस्तादि के संचालन से तथा प्रसि-  
ष्टनिरूप शब्द से मन में रहने वाले गुप्त अभिप्राय को जान लेते हैं। अतः राजा को  
दृढ़ के समक्ष मन्त्रणा आदि कार्य नहीं करने चाहिए (१०, २७)।

### मन्त्र के लिए उपयुक्त स्थान

यह भी एक महत्वपूर्ण जात है कि मन्त्र या मन्त्रणा किस स्थान पर की जाये।  
मन्त्रणा में स्थान का भी बहुत महत्व है। आचार्य सोमदेव ने इस विषय में भी राजा  
को सचेत किया है कि वह किन-किन स्थानों पर मन्त्रणा न करे। इस सम्बन्ध में  
आचार्य के विचार इस प्रकार है—जो स्थान जहाँ उत्तम दृश्य हो उपरा दृश्य हो ऐसे स्थान  
पर तथा पर्वत या गुफा आदि स्थानों में जहाँ पर प्रतिष्ठनि निकलती है वहाँ पर राजा  
और मन्त्री को मन्त्रणा नहीं करनी चाहिए (१०, २६)। अतः गुप्त मन्त्रणा का स्थान  
चारों ओर से दबा दूबा और प्रतिष्ठनि से रहित होना चाहिए। गुप्त विद्वान् ने भी लिखा  
है कि मन्त्र सिद्धि चाहने वाले राजा को खुले हुए स्थान में मन्त्रणा नहीं करनी चाहिए,  
अपितु जिस स्थान में मन्त्रणा का शब्द टकराकर प्रतिष्ठनि नहीं होता है ऐसे स्थान  
में बैठ कर मन्त्रणा करनी चाहिए।<sup>१</sup> आचार्य सोमदेव का मत है कि मन्त्र स्थान में  
पशु-पक्षियों को भी नहीं रहने देना चाहिए। पशुपक्षी भी राजा को गुप्त मन्त्रणा को  
प्रकाशित कर देते हैं जैसे शुक-सारिकाओं को कहानियों से जात होता है (१०, ३३)।

अपरीक्षित स्थान पर भी कभी मन्त्रणा नहीं करनी चाहिए (१०, २९)। इस के  
सम्बन्ध में आचार्य सोमदेव ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—वृद्ध पुरुषों के मुख से  
सुना जाता है कि एक समय पिलाव लोग हिरण्य गुप्त सम्बन्धी वृत्तान्त की गुप्त मन्त्रणा  
कर रहे थे। उसे राजि में बड़ बृक्ष के नीचे छिपे हुए वरचूलि नामक राजमन्त्री ने  
सुन लिया था। अतः वसु ने हिरण्यगुप्त के द्वारा कवित इलोक के प्रत्येक पाद सम्बन्धी  
एक-एक अक्षर से अवश्य चारों पदों के चारों कक्षरों से पूर्ण इलोक की रचना कर ली  
थी (१०, ३०)। अतः अपरीक्षित स्थान पर कभी मन्त्रणा न करे। बृहस्पति का विचार  
यह है कि मैदान में और जहाँ शब्द को प्रतिष्ठनि होती हो, वहाँ सिद्धि का चाहने  
वाला राजा मन्त्रणा न करे।<sup>२</sup> महाभारत में बताया गया है कि जहाँ मन्त्रणा हो तो  
वहाँ जाने, कुबड़े, अन्धे, लंगड़े, हिजड़े, तिर्यग्योनि वाले जीव न रहने पावें। यदि इन  
के समक्ष मन्त्रणा की जायेगी तो वह अवश्य ही प्रकट हो जायेगी।<sup>३</sup>

### गुप्त मन्त्रणा प्रकाशित हो जाने के कारण

मन्त्र को गुप्त रखना बहुत आकश्यक था, क्योंकि मन्त्रणा के प्रकाशित हो जाने  
से महान् अपकार होता था। इसी हेतु मन्त्रणा को गुप्त रखने के लिए बड़ी सावधानी

१. गुरु-नीतिवाच।

२. बृहस्पति-नीतिवाच, पृष्ठ ११७।

३. महाभारत-८३, ४५।

से काम लिया जाता था। मन्त्रमेद किन कारणों से हो जाता है इस विषय में भी प्राचीन राजवास्त्र प्रणेताओं ने गम्भीर दृष्टि से विचार किया है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय था। आचार्य सोमदेव के अनुसार गुप्त मन्त्र का भेद पाँच कारणों से होता है—(१) इंगित, (२) शरीर की सौम्य-रौद्र आकृति, (३) मदिरापान, (४) प्रमाद तथा (५) निद्रा। इन पाँच बातों के कारण मन्त्रणा प्रकाशित हो जाती है (१०, ३५)। इन बातों की व्याख्या भी आचार्य सोमदेव ने की है जो इस प्रकार है—जब राजा मन्त्रणा करते समय अपनी मुखादि को विजातीय (गुप्त अभिप्राय को प्रकट करने वाली) चेष्टा बनाते हैं तो इस से गुप्तचर उन के अभिप्राय को जान लेते हैं। इसी प्रकार क्रोध से उत्पन्न होने वाली भयंकर आकृति और शान्ति से होने वाली सौम्य आकृति को हेतु कर गुप्तचर यह जान लेते हैं कि राजा की भयंकर आकृति युद्ध को और सौम्य आकृति सन्धि को प्रकट कर रही है। इसी प्रकार मदिरापान आदि प्रमाद तथा निद्रा भी गुप्त रहस्य को प्रकाशित कर देते हैं। अतः राजा को इन का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए (१०, ३६-४१)। विशिष्ट ने कहा है कि राजा को मन्त्रणा के समय अपने मुख की आकृति शुभ और शरीर की सौम्य रखना चाहिए तथा निद्रा, भद्र और आलहण को त्याग देना चाहिए।

उपर्युक्त बातों के साथ ही मन्त्र को गुप्त रखने के लिए राजा को अन्य बातों को भी व्याज में रखना चाहिए। राजा मन्त्र को गुप्त रखने के लिए किस प्रकार मन्त्रणा करे इस विषय पर विभिन्न आचार्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। आचार्य कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में भारद्वाज का यह मत उद्धृत किया है कि गुह्य विषयों पर राजा अकेला स्वयं ही विचार करे क्योंकि यदि उन विषयों पर मन्त्रियों से परामर्श किया जायेगा तो मन्त्र कभी गुप्त नहीं रह सकता। मन्त्रियों के भी उपमन्त्री होते हैं तथा उन के भी अन्य परामर्शदाता होते हैं। मन्त्रियों की इस परम्परा के कारण मन्त्र गुप्त नहीं रह सकता। अतः राजा कार्य के प्रारम्भ होने अथवा उस के पूर्ण होने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को यह आभास न होने दे कि वह क्या करने जा रहा है। किन्तु विशालाक्ष ने इस मत का विरोध किया है। उस के अनुसार यदि राजा किसी विषय पर अकेला ही विचार करेगा तो उसे मन्त्र सिद्ध नहीं होगी। इस का कारण यह है कि राजा को प्रत्येक विषय का पूर्ण ज्ञान होना अत्यधिक है। मन्त्री ही उस को सब विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आचार्य पराशर का कथन है कि राजा को मन्त्रियों के साथ परामर्श करने से मन्त्र का ज्ञान तो हो सकता है, किन्तु इस पद्धति से उस को रक्षा सम्भव नहीं है। इसलिए राजा जो करना चाहता है उस से विरोध बात मन्त्रियों से पूछे। यह कार्य है, यह कार्य ऐसा था, यदि कार्य ऐसा हो तो क्या करना

१. विशिष्ट-नोतिवाच, पृ० ११६

मन्त्रनिधि। महीजेन कर्तव्यं शुभधेऽप्तिभु ।

आकारस्त्र शुभः कार्यस्त्वाङ्ग्या निद्राभद्राजसाः ।

चाहिए—इस प्रकार के प्रश्न पूछ कर मन्त्रणा बैसी मन्त्रणा दें उसी के अनुसार राजा कार्य करे । ऐसा करने से उस को मन्त्र का ज्ञान भी हो जायेगा तथा मन्त्र भी प्रकाशित न हो सकेगा । परन्तु पिशून इस बात से सहमत नहीं हैं । उन का कथन है कि जब मन्त्रियों से किसी अनिवित विषय पर परामर्श लिया जाता है तो वे उपेक्षा-पूर्ण ही उस का उत्तर देते हैं और उस से अन्य अन्तिमों के सामने प्रकाशित भी कर देते हैं । अतः जो मन्त्री जिस विषय से सम्बन्ध रखता हो उस विषय पर केवल उसी से परामर्श लिया जाये । ऐसा करने से दोनों कार्यों की सिद्धि हो जायेगी । अर्थात् मन्त्र का भी ज्ञान हो जायेगा तथा वह गुप्त भी रह सकेगा ।

इति समस्त आचार्यों के विचार उद्भूत करने के उपरान्त आचार्य कौटिल्य सब से असहमति प्रकट करते हुए लिखते हैं कि राजा तीन या चार मन्त्रियों से मन्त्रणा करे । उन का कथन है कि यदि एक ही मन्त्री से मन्त्रणा की जायेगी, तो वह मन्त्री निरंकुश हुआ स्वच्छन्दता पूर्वक आचरण गम्भीर लगेगा । हाँ ले अतिरिक्त उत्तर दें मन्त्रीर विषयों पर अकेले मन्त्री के लिए विचार करना बहुत कठिन कार्य है । आचार्य कौटिल्य दो मन्त्रियों से भी मन्त्रणा के विरोध में है, क्योंकि दोनों मन्त्रियों के मिल जाने से राजा उन के सम्मुख असहाय हो जायेगा और उन के एक-दूसरे के विरोधी होने से मन्त्र प्रकट हो जायेगा । परन्तु तीन या चार मन्त्रियों से परामर्श करने से उपर्युक्त दोषों का परिहार हो जायेगा तथा राजकार्य भी सुचारू रूप से चल सकेगा ।<sup>१</sup> आचार्य सोमदेव भी कौटिल्य के विचारों से बहुत कुछ सहमत हैं किन्तु वे विषम संस्था वाले मन्त्रिमण्डल के पक्ष में हैं । गुप्त मन्त्रणा के प्रकाशित हो जाने से राजा के सम्मुख जो संकट उत्पन्न हो जाता है वह कठिनाई से भी दूर नहीं किया जा सकता । इसलिए राजा को अपने मन्त्र की रक्षा में सदैव सावधान रहता चाहिए, क्योंकि मन्त्र-मेद का कष्ट बुनियार होता है । आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि मनुष्य को प्राणों से भी अधिक अपने गुप्त रहस्य की रक्षा करनो चाहिए ( १०, १४७ ) ।

मन्त्र के गुप्त रखने के इतने महान् महत्व के कारण ही प्राचीन आचार्यों ने मन्त्र के प्रकाशित हो जाने के कारणों तथा उस को गुप्त रखने के उपायों का विशेष विवेचन किया है । वास्तव में मह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मन्त्रसिद्धि पर राज्य की समृद्धि एवं सुरक्षा सम्बद्ध है और उस के प्रकट हो जाने पर राजा महान् विपत्तियों में फेंस जाता है ।

### मन्त्रणा के समय मन्त्रियों के कर्तव्य

मन्त्रियों को मन्त्रणा के समय परल्पर कलह कर के वाद-विवाद और स्वच्छन्द वातलाप नहीं करना चाहिए । सारोग यह है कि कलह करने से वैर-विरोध और अनुभवशून्य वातलाप से अनादर होता है । अतः मन्त्रियों को मन्त्रबेला में उक्त वाले

१. कौ० जर्द०, १, १६ ।

कहापि नहीं करनी चाहिए। गुप्त का कथन है कि जो मन्त्री मन्त्रवेला में वैर-विरोध के उत्पादक वाद-विवाद और हँसी आदि करते हैं उन का मन्त्र सिंह नहीं होता।

### मन्त्रिपरिषद् के कार्य

मन्त्रियों के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि बिना प्रारम्भ किये कार्यों को प्रारम्भ करना, प्रारम्भ किये हुए कार्यों को पूर्ण करना और जो पूर्ण हो चुके हैं उन में कुछ विशेषता उत्पन्न करना तथा अपने अधिकार को अधिक स्थान में प्रभाव दिखाना ये मन्त्रियों के प्रमुख कार्य हैं ( १०, २४ ) । आचार्य कौटिल्य ने भी लिखा है कि कार्य के प्रारम्भ करने के उपाय, मनुष्यों और धन का कार्यों के लिए विनियोग, कार्यों के करने के लिए कौन-सा प्रदेश व कौन-सा समय प्रयुक्त किया जाये, कार्यसिद्धि के मार्ग में आने वाली विपस्तियों का निवारण और कार्य की सिद्धि, ये मन्त्र ( राजकीय परामर्श ) के पौच्छ अंग होते हैं । इन्हीं कार्यों के लिए मन्त्रिपरिषद् की आवश्यकता होती है । इस प्रकार आचार्य कौटिल्य ने भी मन्त्रिपरिषद् के पौच्छ कार्य बतलाये हैं ।

राजकार्यों में राजा को सत्परामर्श देना मन्त्रियों का प्रधान कर्तव्य था । मनु ने लिखा है कि इन सचिवों के साथ राजा को राज्य की विभिन्न विकट परिस्थितियों में तथा सामान्य, सन्धि, विशेष, राष्ट्ररक्षा तथा सत्पत्रों आदि को धन देने के कार्य में नित्य परामर्श करना चाहिए ।<sup>३</sup> इस प्रकार प्रत्येक कार्य मन्त्रियों के परामर्श से करने में ही राज्य का कल्याण है । यद्यपि राजा के लिए प्रत्येक कार्य मन्त्रिपरिषद् के परामर्श से करने का विधान था, किन्तु राजा इन मन्त्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था । मन्त्रियों से परामर्श करने के उपरान्त उस को अपना अप्रितगत निर्णय देने का भी अधिकार स्मृतिकारों ने राजा को प्रदान किया है ।<sup>४</sup> किन्तु राजा इन मन्त्रियों के परामर्श का उल्लंघन उसी समय कर सकता था जब कि उन के परामर्श में एककृपता न हो और वह राष्ट्र के हित के लिए अपना निर्णय अधिक उपयोगी समझता हो ।

इस का अभिप्राय यह नहीं है कि मन्त्रिपरिषद् का राजा के समक्ष कोई अस्तित्व ही नहीं था । राजा सैद्धान्तिक दृष्टि से तो यह अधिकार रखता था कि मन्त्रिपरिषद् के परामर्श को वह माने या न माने, परन्तु मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ मन्त्रियों के होने के कारण वह उन के निर्णय को महत्व देता था और साधारणतः उस के अनुसार ही कार्य करता था । आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि राजाओं को अपने समस्त कार्यों का प्रारम्भ सुयोग्य मन्त्रियों की मन्त्रणा से ही करना चाहिए ( १०, २२ ) ।

१. गुरु०—नीतिवा० ।

२. कौ० अथ० १, १२ ।

३. मनु० ३, ५८ ।

४. कृष्ण० ३, ५७ ।

वह आगे लिखते हैं कि विजिगीषु राजा को अप्राप्त राज्य की प्राप्ति और सुरक्षा आदि के लिए अत्यन्त बुद्धिमान् और राजनीति के बुरान्धर विद्वान् तथा अनुभवी मन्त्रियों के साथ बैठ कर मन्त्र का विचार करना अत्यन्त आवश्यक है (१०, २३)। इन बातों से स्पष्ट है कि मन्त्रियों के परामर्श का बहुत महत्त्व था और व्यवहार में राजा प्रत्येक कार्य इन्हीं मन्त्रियों के परामर्श से करता था।

मन्त्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य न करने से होने वाली हानि की ओर सकेत करते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि जो राजा मन्त्रियों के परामर्श की अवहेलना करता है और उन की बात नहीं सुनता और न उन की बात पर आचरण ही करता है वह राजा नहीं रह सकता, अर्थात् उस का राज्य नष्ट हो जाता है (१०, ५८)। इस वर्णन से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में मन्त्रियों के परामर्शों को बहुत महत्त्व दिया जाता था और प्रत्येक कार्य में उन का परामर्श अत्यन्त आवश्यक था। इस से मन्त्रिपरिषद् के अधिकारों का अनुमान लगाना बहुत सरल है। धर्मशास्त्रों के प्रणेताओं का निर्देश था कि यदि मन्त्री लोग विरोध करें तो राजा को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को धन दान में दे सके। यही तक कि वह आहारों को भी इस प्रकार का दान नहीं दे सकता था। यह विधान आपस्तम्ब के समय तक प्रचलित रहा।<sup>१</sup> बौद्धकालीन भारत में भी मन्त्रिपरिषद् का महत्वपूर्ण स्थान था। मन्त्रिगण समय-समय पर सम्राट् की उस आजा का उल्लंघन करते थे जिस से राष्ट्र की हानि होने की सम्भावना होती थी। बौद्ध प्रन्थों के अबलोकन से मन्त्रियों के अधिकारों के विषय में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। सम्राट् अशोक के आज्ञा देने पर भी मन्त्रिपरिषद् और प्रधान मन्त्री राष्ट्रागुप्त ने बौद्ध शिष्यों को अधिक धन दान देने का विरोध किया था और इस से विवश होकर भारत के महान् सम्राट् अशोक को दान की अनुमति प्राप्त नहीं हुई।<sup>२</sup> अशोक के शिलालेखों से भी मन्त्रिपरिषद् के अधिकारों पर प्रकाश पड़ता है। अशोक ने अपने प्रधान शिलालेखों की छठी धारा में कहा है कि यदि मैं किसी दान अथवा घोषणा के सम्बन्ध में कोई आज्ञा हूँ और मन्त्रिपरिषद् में उस के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो तो मुझे उस की सूचना तुरन्त मिलनी चाहिए। यदि परिषद् में मेरे सम्बन्ध में, मेरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में मतभेद हो अथवा वह प्रस्ताव पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया गया हो तो उस की मुझे तुरन्त सूचना मिलनी चाहिए।<sup>३</sup> इसी प्रकार जय रुद्रदामन ने सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की आज्ञा दी तो उसे मन्त्रियों ने अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की। सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में मन्त्रिगण राजा के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। उन्होंने उस योजना के लिए धन की स्वीकृति नहीं दी और

१. आपस्तम्ब—२, १०, २६, १।

२. दिल्गमदान पृ० ४६० तथा आगे।

३. इण्डियन एस्टीक्वेरी—१९१३, पृ० २४२।

राजा को अपने निजी कोश से ही उस का सम्पूर्ण बयान बहन करना पड़ा।<sup>१</sup> अतः स्पष्ट है कि राजा को प्रत्येक कार्य करने से पूर्व मन्त्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करना परम आवश्यक था। जो राजा मन्त्रियों की हितकारी बात को न मानकर अपने हेच्छा से कार्य करता था उस का परिणाम भयंकर होता था। बैन, नहुष तथा यज्ञन-राज सुदास इस के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिन्होंने मन्त्रिपरिषद् की उपेक्षा कर के अविनयी होकर स्वेच्छाकारी शासन का प्रयत्न किया और इसी कारण उन्हें राज्य से हाथ धीना पड़ा तथा वे स्वयं भी नष्ट हो गये।<sup>२</sup>

आचार्य सोमदेव ने राजा को मन्त्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करने का आदेश दिया है, किन्तु इस के साथ ही वह मन्त्रियों का भी यह कर्तव्य बतलाते हैं कि मन्त्री राजा को सदैव सत्परामर्श ही है और उसे कभी अकार्य का उपदेश न दें। इस सम्बन्ध में उन का कथन है कि मन्त्री को राजा के लिए दुःख देना उत्तम है अर्थात् यदि वह भविष्य में हितकारक किन्तु तत्काल अश्रिय लगने वाले ऐसे कठोर वचन बोल कर राजा को दुःखी करता है तो उसम है, परन्तु अकर्तव्य का उपदेश देकर राजा का विनाश करना अच्छा नहीं (१०, ५३)। जो मनुष्य इस प्रकार का कार्य करता है वह राजा का शत्रु है। मन्त्रियों का तो यह कर्तव्य है कि यदि राजा अपने कर्तव्य से हट कर कुमार्ग का अनुसरण करे तो उसे कठोर वचन बोल कर भी सन्मार्ग पर लाना चाहिए। इस सम्बन्ध में आचार्य सोमदेव सूरि ने बड़ा ही सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है—“जिस प्रकार माता अपने शिशु को दुष्प्राप्त करने के उद्देश्य से उस को ताङ्गित करती है, उसी प्रकार कुमार्ग पर चलने वाले राजा को कठोर वचन द्वारा मन्त्री सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करें (१०, ५४)।” इस के साथ ही सोमदेव मन्त्रियों को यह भी अदेश देते हैं कि वे राजा के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ खेल आदि सम्बन्ध न रखें (१०, ५५)। राजा की सुख-सम्पत्ति ही मन्त्रियों की साथ लेने आदि सम्बन्ध न रखें (१०, ५६)। राजा की सुख-सम्पत्ति ही मन्त्रियों की सम्बन्ध न रखें (१०, ५७)। इस का अभिप्राय यही है कि मन्त्रियों को पृथक् रूप से उस पुरुष पर नियम ही और अनुग्रह ही करते हैं वह मन्त्रियों द्वारा किया हुआ ही समझना चाहिए पर नियम ही और अनुग्रह ही करते हैं वह मन्त्रियों द्वारा किया हुआ ही समझना चाहिए। आचार्य कोटिल्य भी मन्त्रियों के कार्यों का वर्णन इसी प्रकार करते हैं।<sup>३</sup>

### राजा और मन्त्रिपरिषद्

उपर्युक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट है कि राजा और मन्त्रिपरिषद् का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था। राज्य का समस्त कार्य मन्त्रियों के परामर्श से ही होता था। राज्योंमें

१. एषिप्रस्त्रिया इडिका—८, ४४ (शिलालेख की वर्णियाँ १६, १७)।

२. मनु० ७, ४१।

३. कौ० अर्थ० १, ४६।

भी राजा के पश्चात् द्वितीय स्थान अमात्य अथवा मन्त्री का ही था। राजा की अपनी प्रकृति ( मन्त्री एवं सेनापति आदि ) से कैसा अवहार करना चाहिए तथा उन के अपराधी सिद्ध होने पर क्या दण्ड देवे इस विषय में भी सोमदेव ने प्रकाश ढाला है। वे लिखते हैं कि नीतिश राजा का कर्तव्य है कि वह अपराध के कारण पृथक् किये गये अधिकारियों को नीति द्वारा वश में करे। क्रोधी और लोभी राज्याधिकारियों को सेवा से मुक्त करे, क्योंकि उन्हें पुनः नियुक्त करने से उस की तथा राज्य की अति होने की सम्भावना रहती है। ओविका के बिना भयभीत हुए कर्मचारियों को पुनः उन के पक्षों पर नियुक्त कर देना चाहिए। ऐसा करने से वे कृतज्ञता के कारण विद्रोह नहीं कर सकते। स्वाधिमानी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए ( १०, १६३ ) ।

राजा का यह कर्तव्य है कि जिन कार्यों से उस की प्रकृति, मन्त्री, सेनापति आदि कर्तव्यब्युत होते हैं, उन्हें न करे एवं लोभ के कारणों से पराड़मुख होकर उदारता से काम ले ( १०, १६५ ) । विशिष्ट ने कहा है कि राजा को अमात्य आदि प्रकृति के नष्ट और विरक्त होने के साथनां का संग्रह तथा लोभ करमा उचित नहीं है, क्योंकि प्रकृति के द्वष—नष्ट और विरक्त—होने से राज्य की वृद्धि नहीं हो सकती। शशु आदि से होने वाले समस्त क्रोधों की अपेक्षा मन्त्री व सेनापति आदि प्रकृति वर्ग का क्रोध राजा के लिए विशेष कष्टकारक होता है ( १०, १६७ ) । इस का तात्पर्य यही है कि राज्यरूपी वृक्ष का मूल अमात्य आदि प्रकृति ही होती है। इस के विरुद्ध होने से राज्य नष्ट हो जाता है। अतः राजा को उसे सन्तुष्ट रखने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। राजा का यह भी कर्तव्य है कि जिन को कौटुम्बिक सम्बन्ध आदि के कारण, कठोर दण्ड नहीं दिया जा सकता, ऐसे राजद्वारा ही अपराधियों को तालाब तथा खाइ खुदवाना, पुल बनवाना आदि कार्यों में नियुक्त कर क्लेशित करे ( १०, १६८ ) ।

### अमात्यों के दोष

आचार्य सोमदेव ने जिस प्रकार मन्त्री आदि के गुण-दोषों का विवेचन नीति-वाक्यामृत में किया है उसी प्रकार अमात्यादि के कर्तव्यों, गुणों तथा उन के दोषों पर भी पूर्ण प्रकाश ढाला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बतलाया है कि किन व्यक्तियों को राज्य के उच्च पक्षों पर नियुक्त करना चाहिए। अमात्यों के दोषों का वर्णन करते हुए सोमदेव लिखते हैं कि राजा निम्नलिखित व्यक्तियों को अमात्यपद पर कभी नियुक्त न करे—अत्यन्त क्रोधी, सुदृढ़ पक्ष वाला, बाहु एवं आम्यन्तर मलिनता से दूषित, असानी, बकुलीन, हठी, आय से अधिक व्यय करने वाला, विदेशी तथा कृपण। सोमदेव ने अमात्यपद के अयोग्य व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से व्याख्या भी की है जिस का वर्णन निम्नलिखित है—

१. विशिष्ट—नीतिवाच पृ० १५६ ।

क्षयों क्षोधी विराधी च प्रकृतीनां न रखन्ते ।

मतस्तासां प्रदेशेण राज्यवृद्धिः राजायते ।

१. अत्यन्त क्रोधी—क्रोध मनुष्य का संतुलन खो देता है और उसे उचित-अनुचित के ज्ञान से पथ अटक कर देता है। यदि क्रोधी व्यक्ति को अमात्य बना दिया जाये और किसी अपराध के कारण उसे बण्ड दिया जाये तो वह क्रोध के कारण या तो स्वयं नष्ट हो जाता है अथवा अपने स्वामी को नष्ट कर देता है ( १८, १४ ) ।

२. बलिष्ठ पक्ष वाला—ऐसा व्यक्ति भी अमात्यपद पर नियुक्त किये जाने में सर्वथा अयोग्य है जिस का पथ ( माता-पिता आदि ) बलिष्ठ होता है। वह अपने पक्ष की सहायता से राजा को नष्ट कर देता है ( १८, १५ ) ।

३. अपवित्र—उसी व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए जो श्रेष्ठ चरित्र वाला हो। ऐसे व्यक्ति का प्रभाव ही जनता पर अच्छा पड़ सकता है। अपवित्र व्यक्ति प्रभावहीन होता है। वह राजा को अपने रूपर्थ से दूषित करता है ( १८, १३ ) ।

४. व्यसनी—यदि अमात्य किसी भी व्यसन का दास है तो वह राजा को विनाश की ओर ले जायेगा। आचार्य सोमदेव के अनुसार व्यक्ति में यदि एक भी व्यसन है तो वह विनाश का कारण है ( १६, ३३ ) । व्यसनी की कर्तव्य-अकर्तव्य का कोई भी ज्ञान नहीं रहता ।

५. अकुलीन—समस्त आचार्यों ने कुलीन व्यक्तियों को ही अमात्य बनाने का निर्देश दिया है। आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि नीच कुल वाला व्यक्ति योङ्गा-सा भी वैपक प्राप्त कर के मदोन्मस्त हो जाता है और राज्य का हार्नांक रखता है ( १८, १३ ) ।

६. हठी—हठी व्यक्ति दुराघट के कारण किसी की भी बात नहीं मानता और अपनी मनमानी करता है। किसी कार्य से चाहे राज्य की कितनी भी हानि कर्यों न हो किन्तु वह अपनी ही हठ करता है ( ५, ७६ ) ।

७. विदेशी—किसी भी विदेशी को अर्ध-सचिव या उच्च सेवा का अधिकारी नहीं बनाना चाहिए। इस सम्बन्ध में आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि राजा विदेशी पुष्ट को धन के आय-आय का अधिकार एवं प्राणरक्षा का अधिकार न देवे ( १८, १८ ) । अर्थात् उन्हें अपने सचिव एवं सेना-सचिव के उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त न करे क्योंकि विदेशी उस के राज्य में कुछ समय ठहर कर के अपने देश को प्रस्थान कर जाते हैं और अवसर पाकर राजद्रोह करने लगते हैं तथा राज्य का धन भी अपने साथ ले जाते हैं। अतः अर्ध-सचिव व सेना-सचिव अपने देश का योग्य व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि अपने देशवासी से उस के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन कालान्तर में भी प्राप्त किया जा सकता है किन्तु विदेशी से वह धन नहीं मिल सकता क्योंकि वह तो उस धन को लेकर अपने देश को भाग जाता है ( १८, १९ ) ।

८. कुपण—कुपण व्यक्ति को भी कभी अमात्य नहीं बनाना चाहिए। कुपण जड़ राजकीय धन ग्रहण कर लेता है तो उस से पुनः धन बायपस मिलता पायाज से बल्कि छीलने के समान असम्भव होता है ( १८, २० ) । अतः कुपण मनुष्य को भी कभी अर्ध-सचिव नहीं बनाना चाहिए ।

## अधिकारी बनाने योग्य स्वरूप

आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि वही अधिकारी बनाने योग्य है जो अपराध करने पर राजा द्वारा सखलता पूर्वक दण्डित किये जा सकें ( १८, २१ ) । ग्राहण, क्षत्रिय एवं सम्बन्धी को कभी अर्थ-सचिव आदि पदों पर नियुक्त नहीं करसा चाहिए ( १८, २२ ) । आचार्य सोमदेव ने इन को अधिकारी न बनाने के कारणों पर भी प्रकाश डाला है । वे लिखते हैं कि ग्राहण अधिकारी होने पर अपने जातिगत स्वभाव के कारण ग्रहण किया हुआ धन बड़ी कठिनता से देता है अथवा नहीं भी देता ( १८, २३ ) । क्षत्रिय के विरोध में अपना मत प्रकट करते हुए आचार्य लिखते हैं कि क्षत्रिय अधिकारी विश्व हुआ तलबार दिखाता है ( १८, २४ ) । इस का असिप्राय यह है कि क्षत्रिय अधिकारी द्वारा ग्रहण किया हुआ धन शस्त्र प्रहार के दिन नहीं प्राप्त हो सकता ।

## कुटुम्बी और सहपाठी को अधिकारी बनाने का निषेध

अपने कुटुम्बी अथवा सहपाठी को भी राजा कभी किसी उच्चपद पर नियुक्त न करे ( १८, २५ ) । जब राजा द्वारा अपना कुटुम्बी या सहपाठी बन्धु आदि अधिकारी बना दिया जाता है तो वह—मैं राजा का बन्धु हूँ अथवा सहपाठी हूँ—इस गर्व से दूसरे अधिकारियों को तुच्छ समझ कर स्वयं समस्त राजकीय धन हड्डप लेता है । वह सब अधिकारियों को तिरस्कृत कर के स्वयं अवश्यकता घाकितशाली हो जाता है । राजा किसी ऐसे व्यक्ति को भी उच्च अधिकारी न बनावे जिसे अपराध के कारण दण्ड देने पर पश्चात्ताप करना पड़े । किसी पूज्य व्यक्ति को भी अधिकारी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं को राजा द्वारा पूज्य समझ कर निर्भीक व उच्छृंखल होता हुआ राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता है तथा राजकीय धन का अपहरण आदि मनमानी प्रवृत्ति करता है ( १८, ३२ ) । उस के इस व्यवहार से राजकीय धन की क्षति होती है । राजा किसी पुराने सेवक को भी अधिकारी न बनाये ( १८, ३३ ) । क्योंकि वह उस से परिचय के कारण चोरी आदि अपराध कर लेने पर भी निढ़र रहता है । राजा किसी उपकारी को भी अपना अधिकारी न बनाये ( १८, ३४ ) । क्योंकि उपकारी पुरुष पूर्वकृत उपकार राजा के समझ प्रकट कर के समस्त राजकीय धन हड्डप कर जाता है । किसी बाल्यकाल के मिथ को भी अधिकारी नहीं बनाना चाहिए । जिस के निषेध का कारण यह है कि वह अतिपरिचय के कारण अभिमानवश स्वयं को राजा के समान ही समझता है ( १८, ३५ ) । कूर व्यक्ति को भी राजा कभी अधिकारी न बनाये क्योंकि कूर हृदय बाला व्यक्ति अधिकारी बनकर समस्त अनर्थ उत्पन्न करता है ( १८, ३६ ) । राजदेशी कूर हृदय बाले पुरुष को अधिकारी बनाने से जो हानि होती है उस का उदाहरण शकुनि तथा शकटार से मिल सकता है, जिन्होंने मन्त्री प्राप्त कर के अपने स्वामियों से द्वेष कर के राज्य में अनेक अनर्थ उत्पन्न किये जिस के फल-

स्वस्य राज्य की महान् धति हुई। मित्र को अमात्यादि अधिकारी बनाने से राजकीय धन व मिश्रता की हानि होती है, अर्थात् मित्र अधिकारी राजा को अपना मित्र समझ कर निर्भीकतापूर्वक उच्छृङ्खल होकर उस का धन ले लेता है जिस से राजा उस का दब कर डालता है। इस प्रकार मित्र को अधिकारी बनाने से राजकीय धन व मिश्रता दोनों का ही क्षिण होता है ( १८, ३७ )। मूर्ख व्यक्ति को भी अमात्यादि बनाने का निषेध किया है। मूर्ख को अमात्यादि अधिकार देने से स्वामी को धर्म, धन तथा यश नियुक्त किया है। मूर्ख को अमात्यादि अधिकार देने से स्वामी को धर्म, धन तथा यश नियुक्त किया है। मूर्ख को अमात्यादि अधिकार देने से स्वामी का आपत्तिग्रसित हो जाना चाहा ( २ ) नरक की प्राप्ति ( १८, ४० )। मूर्ख अधिकारी ऐसे दुष्कृत्य कर जाना चाहा है जिस से प्रजा वीड़ित होती है। इन कार्यों के परिणामस्वरूप स्वामी नरकगामी होता है। आलसी व्यक्ति की नियुक्ति से भी राजा को कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि आलसी अधिकारी कोई भी राज्य-कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकता और ऐसे स्थिति में समस्त कार्य राजा को ही करने पड़ते हैं ( १०, १४४ )। किन्तु अकेला राजा समस्त कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। इसी कारण विद्वानों ने राजा को नियुक्त करने का निषेध किया है। राज्याधिकारी कर्मठ होने चाहिए जिस आलसी को नियुक्त करने का निषेध किया है। राज्याधिकारी कर्मठ होने से चल सकें। इस विषय में आचार्य सीमदेव लिखते हैं कि राजा को उन मन्त्रों आदि अधिकारियों से कोई लाभ नहीं जिन के होने पर भी उसे स्वयं कष्ट उठाकर अपनेशाप ही राज्य-कार्य करने पड़ें अथवा स्वयं कर्तव्य पूर्ण कर के सुख प्राप्त करना पड़े ( १८, ४१ )। क्षुद्र प्रकृति वाले अमात्यादि अपने-अपने अधिकारों में नियुक्त हुए सेव्य जाति के घोड़े के समान विकृत हो जाते हैं ( १८, ४३ )। इस का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सेव्य जाति के घोड़े के दमन करने पर वह उन्मत्त होकर सवार को भूमि पर मिरा देता है उसी प्रकार अधिकारीगण भी क्षुद्र प्रकृतिवश मर्यादित होकर राज्य की हानि करने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः राजा को सदैव उन की परीक्षा करते रहना चाहिए।

### अमात्यों के अन्य दोष

आचार्य सीमदेव ने अमात्यों के कुछ अन्य दोषों की ओर भी संकेत किया है। वह लिखते हैं कि जिस अमात्य में निम्नलिखित दोष पाये जायें उसे अमात्यपद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। उन के बनुसार अमात्यों के दोष इस प्रकार हैं— ( १ ) नियुक्त नहीं करना चाहिए। उन के बनुसार अमात्यों के दोष इस प्रकार हैं— ( २ ) उपेक्षण—राजकीय धन खाने वाला, ( ३ ) प्रजाहीनत्व—जिस की वृद्धि नष्ट हो गयी हो या जो राजनीतिक ज्ञान से शून्य हो, ( ४ ) अपरोक्ष्य—प्रभावहीन, ( ५ ) प्राप्तार्थी प्रदेश—जो कर आदि उपायों द्वारा

नीतिवाद्यामृत में शब्दनीति

प्राप्त हुए उन को राजकीय में जमा नहीं करता, (६) द्रव्यविनिमय—जो राजकीय वहुमूल्य द्रव्य अत्य मूल्य में निकाल लेता है अर्थात् जो वहुमूल्य मुद्राओं को स्वयं ग्रहण कर के और उन के बदले में अल्प मूल्य वाली मुद्राएँ राज्य-कीष में जमा कर देता है। सारांश यह है कि जो राजा उक्त दोषों से पुरुत व्यक्ति को अमात्य बनाता है उस का राज्य नहीं हो जाता है (१८, ४७)।

### राज्याधिकारियों के धनबान् होने का निषेध

राजा का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारियों को अधिक धनबान् न होने देवे। अमात्यादि अधिकारियों से राज-कीष को रक्षा के लिए उन का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए तथा समय-समय पर उन की परीक्षा करते रहना चाहिए (१८, ४४)। नारद ने भी कहा है कि पृथ्वी पर कुलीन पुरुष भी धनबान् होने पर गर्व करने लगते हैं। सभी अधिकारी अत्यन्त धनाद्य होने पर अविष्य में स्वामी के वशवर्ती नहीं होते अथवा कठिनाई से वश में होते हैं अथवा उस के पद की प्राप्ति के अभिलाषी हो जाते हैं (१८, ४६)।

### राज्याधिकारियों की स्थायी नियुक्ति का निषेध

राजा अपने अधिकारियों की नियुक्ति स्थायी रूप से कदाचित् न करे और न एक स्थान पर ही उन्हें अधिक समय तक रहने दें (१८, ४८)। स्थायी नियुक्ति वाले अधिकारी राजकीय की अति करने वाले हो सकते हैं। अतः राजा राज्याधिकारियों की नियुक्ति अस्थायी एवं क्रमानुसार बदलने वाली हो करे। आचार्य सौमदेव का कथन है कि राजा अमात्य आदि अधिकारियों की नियुक्ति स्वदेश या परदेश का क्विचार न कर अस्थायी रूप से करे, वयोंकि अधिकारियों की स्थायी नियुक्ति का परिणाम भयंकर होता है (१८, ५०)। अर्थात् स्थायी अधिकारी राजकीय की अति करने वाले होते हैं।



## दुर्ग

भारत का प्राचीन इतिहास अनेक युद्धों से परिपूर्ण है। सौमा विस्तार की भावना इस देश के राज्यों में अति प्राचीन काल से ही देखी गयी है। चक्रवर्ती शासन का परम्परा में इन युद्धों में कुछ कमी अवश्य आयी, किन्तु फिर भी युद्धों की समाप्ति पूर्ण रूप से नहीं हुई। भारतीय जनता एवं आचार्यों ने चक्रवर्ती शासन को मान्यता प्रदान की। राज्यों की सुदृढ़ता के लिए दुर्ग निमणि का महत्व कभी नहीं हुआ। प्राचीन काल में राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग एक महत्त्रपूर्ण राज्यांग समझा जाता था, इसी प्रारण उन्होंने शूलिनी देवता के अंगों में एक प्रमुख अंग माना। जिस राज्य में जितने अधिक दुर्ग होते थे वह उन्हाँहीं ही अधिक शक्तिशाली समझा जाता था। जन-जन की सुरक्षा की दृष्टि से तथा मूँह में सहायक होने के कारण दुर्गों का महत्व इस देश में बहुत काल तक रहा। राज्यशास्त्र प्रणेताओं ने अपने ग्रन्थों में उस की महत्ता के कारण ही उस का वर्णन किया है। शुक्राचार्य तथा आचार्य कौटिल्य ने दुर्ग-रचना की विशिष्ट विधियों एवं श्रेष्ठ दुर्ग के लक्षणों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश छाला है।<sup>१</sup> आचार्य सोमदेवसूरि ने भी दुर्ग को राज्यांगों में बहुत महत्व प्रदान किया है इसी कारण उन्होंने नीतिवाक्यामूल में दुर्ग-समुद्रेश की भी रचना की है। दुर्ग की कथाएँ करते हुए सोमदेव लिखते हैं कि जिस के समीप जाने से शत्रु दुःख प्राप्त करते हैं अथवा जहाँ दुर्गों के उद्योग द्वारा उत्पन्न होने वाली विजिगीषु की आपत्तियाँ नहीं हो जाती हैं उसे दुर्ग कहते हैं ( २०, १ )। सारांश यह है कि जब विजिगीषु अपने राज्य में शत्रु द्वारा आक्रमण होने के अद्योग्य विकट स्थान—दुर्ग, खाइं आदि बनवाता है, तब शत्रु लोग उन विकट स्थानों से दुःखी होते हैं, क्योंकि उन के आक्रमण वहाँ सफल नहीं हो पाते। शुक्राचार्य दुर्ग की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि जिस को प्राप्त करने में शत्रुओं की भीषण कष्ट सहन करने पड़ें और जो संकट काल में अपने स्वामी की रक्षा करता है, उसे दुर्ग कहते हैं।<sup>२</sup>

१. शुक्र० ४,६३ कौ० अर्थ २०३-४।

२. शुक्र० नीतिवा०, पृ० १६८।

यस्य दुर्गस्य संप्राप्तेः शत्रु दुःखमात्म्भुः।

स्वामिन् रक्षयत्येव व्यसने दुर्गमेव तत्।

## राजथानी

जहाँ राज्य-विषय से सम्बन्ध रखने वाले राजा तथा अन्य राजकर्मचारी निवास करते हैं उसे राजथानी अथवा पुर कहते हैं । यह शासन का केन्द्र होता है और यहाँ से समस्त शासन नीति का प्रसारण होता है । अन्य नगरों की अपेक्षा इस स्थान को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है और इस को विशिष्ट प्रकार के साधनों से सम्पन्न बनाया जाता है । कहीं इस स्थान की रचना दुर्गबत् होती है और कहीं नगरबत् । यदि इस की रचना नगरबत् होती है तो उस के अन्दर दुर्ग होता है और यदि दुर्गबत् होती है तो दुर्ग के अन्दर नगर होता है । इसी कारण प्राचीन आचार्यों ने पुर और दुर्ग का प्रयोग पवयिवाची शब्दों के रूपों में किया है । प्राचीन काल में अधिकस्तर नगरों की रचना दुर्गकार रूप में ही की जाती थी । व्युत्पत्ति में भी 'आयसीपुरः' अर्थात् लौहनिमित पुर का अर्णन मिलता है ।

पुर को किस प्रकार से बनाया जाये अथवा उस का निर्माण किस प्रकार किया जाये इस विषय पर नीति ग्रन्थों में विस्तार पूर्वक विचार किया गया है । जनपद की सीमाओं पर सामरिक स्थानों का निर्माण किस प्रकार किया जाये इस विषय में भी विद्वानों ने विचार किया है । आचार्य कौटिल्य ने दुर्ग विधान के प्रकरण में लिखा है कि राजा को चाहिए कि अपने देश के चारों ओर युद्धोपयोगी एवं देवनिर्मित पर्वतादि विकट स्थानों को ही दुर्ग रूप में परिषत कर दे । जल से पूर्ण किसी स्वाभाविक द्वीप अथवा भूरे खुदी हुई खाई से परिवेषित स्थान ये दो प्रकार के ओदक ( जलीय ) दुर्ग माने जाते हैं । बड़े-बड़े पत्थरों से तथा कन्दराभों से घिरा दुर्ग पर्वतदुर्ग कहलाता है । जल तथा धारा आदि से हीन और ऊसर प्रदेश में बना हुआ दुर्ग धान्वन् ( मरु-स्थलीय ) दुर्ग माना जाता है । चारों ओर दलदल से घिरा तथा कटिदार झाड़ियों से परिवेषित दुर्ग बनदुर्ग कहा जाता है । इति में से नदीदुर्ग तथा पर्वतदुर्ग अपने देश की रक्षा करते हैं । धान्वन्दुर्ग तथा बनदुर्ग जंगलों में बनाये जाते हैं । बापत्तिकाल में राजा इन दुर्गों में आत्मरक्षा करता है ।<sup>१</sup>

जनपद के मध्य में राजा शाल सौ शामों के बीच बनने वाला स्थानीय नाम का एक नगरविशेष बनाये । वह नगर राजा का समुद्रस्थान ( राजकोष में रखने योग्य धनराजि जुटाने का स्थान—तहसील ) कहा जाता है । बास्तुशास्त्र के विज्ञान किसी निर्दिष्ट स्थान, किसी नदी के संगमस्थल पर, सदा जिस में जल रहता हो ऐसे किसी सरोवर के तट पर अथवा कमलयुक्त किसी तड़ाग के बीच में इस स्थानीय नगर का निर्माण कराये । बास्तु की स्थितिचश वह नगर गोलाकार, लम्बा तथा चौकोर रखा जा सकता है । नगर के चारों ओर जलप्रवाह मुख्त खाई अवश्य होनी चाहिए । वह नगर एक प्रकार का पत्तन कहलायेगा, जिस में उस के चारों ओर उत्पन्न होने वाली

<sup>१</sup> कौ० अर्थ० २, १ ।

दस्तुओं के सघृ तथा ऋय-विक्रम या केन्द्र रहेगा और वह स्थान जलपथ तथा स्थलपथ से सम्बद्ध होगा। इस स्थानीय नगर के चारों ओर राजा चार हाथ के अन्तर पर तीव्र खाइयों खुदबाये। वे तीनों ही क्रमशः चौदह दण्ड ( ५५ हाथ ), बारह दण्ड ( ४८ हाथ ) तथा दस दण्ड ( ४० हाथ ) जीड़ी होनी चाहिए। उन की गहराई चौड़ाई से एक चतुर्थी कम अथवा आधी रहे। अथवा चौड़ाई का एक तृतीयांश उस की गहराई रखे, उन खाइयों का तलप्रदेश चौकोर और पत्थर ऐ बना होना चाहिए। उस की दीवार पश्चर मा हंडों की बनो हो और खुदाई इतनी गहरी की जाये कि घरती के भीतर से पानी निकल आये। अथवा नदी आदि के आगन्तुक जल से उन्हें भरा जा सके। उन में से जल निकलने का भी मार्ग बना होना चाहिए। उन में कमल तथा नक आदि जलजन्तु भी रहें।<sup>१</sup>

कौटिल्य ने दुर्ग विषय के प्रकरण में उपर्युक्त वर्णन के अतिरिक्त भी बड़े विस्तार के साथ जनपद की रचना के विषय में प्रकाश ढाला है।<sup>२</sup>

### दुर्गका महत्व

प्राचीन आचार्यों ने दुर्ग के महत्व पर भी पूर्ण रूप से अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस विषय में सोमदेव लिखते हैं कि जिस देश में दुर्ग नहीं है वह पराजय का स्थान है। जिस प्रकार समुद्र के भव्य नोका से पृथक् होने वाले पक्षी का कोई रक्षक नहीं होता, उसी प्रकार संकट काल में दुर्ग विहीन राजा की भी रक्षा करने वाला कोई नहीं ( २०, ४-५ )। कौटिल्य ने दुर्ग के महत्व का वर्णन करते हुए लिखा है कि यदि दुर्ग न हो तो कोष पर शशु सुगमता से अधिकार कर लेगा और युद्ध के अवसर पर शशु की पराजय के लिए दुर्ग का ही आश्रय लेना हितकर होगा। सैन्यशक्ति का प्रयोग वहीं से मली-भाँति हो सकता है। जिन राजाओं का दुर्ग सुदृढ़ होता है उन्हें परास्त करना सुगम नहीं होता है।<sup>३</sup> दुर्ग के महत्व के सम्बन्ध में मनु का कथन है कि दुर्ग में सुरक्षित एक धनुषरी सौ योद्धाओं से तथा सौ धनुषरी दस सहस्र योद्धाओं से मुद्द करने में समर्थ हो सकते हैं अतः राजा को अपनी सुरक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण करना चाहिए।<sup>४</sup> याज्ञवल्क्य का कथन है कि दुर्ग राजा, जनता तथा कोष की सुरक्षा के लिए परम आवश्यक है।<sup>५</sup>

दुर्ग के भेद—आचार्य सोमदेव ने स्वाभाविक एवं जाह्नवी दो प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है ( २०, २ )। टीकाकार ने स्वाभाविक दुर्ग के चार भेद बताए हैं—१. ओदक, २. पर्वत दुर्ग, ३. वन्वहदुर्ग तथा ४. वनदुर्ग।

१. कौ० वर्ष० २, ३।

२. वही० र. ३-४।

३. वही० ८, १।

४. मन० ७, ७४।

५. याज० १, २२१।

१. औदक—चारों ओर नदियों से वेष्टित व सम्य में टापू के समान विकट स्थान अथवा बड़े-बड़े सरोकरों से वेष्टित सम्य स्थान को औदकदुर्ग कहते हैं।

२. पर्वतदुर्ग—बड़े-बड़े प्रस्तरों अथवा विशाल चट्ठानों से वेष्टित अथवा स्वयं गुफाओं के आकार के बने हुए विकट स्थान पर्वतदुर्ग कहलाते हैं।

३. धन्वदुर्ग—जल, घास शून्य भूमि या ऊसर भूमि में बने हुए विकट स्थान को धन्वदुर्ग कहते हैं।

४. वनदुर्ग—चारों ओर धनी कीचड़ से युक्त अथवा काँडिकार झाड़ियों से वेष्टित स्थान को वनदुर्ग कहते हैं।

जलदुर्ग और पर्वतदुर्ग देश की रक्षा के लिए तथा धन्वदुर्ग एवं वनदुर्ग आठ-विकों की रक्षा के लिए होते हैं। राजा भी शत्रुकृत आक्रमणों से उत्पन्न आपत्ति के समय भागकर इन दुर्गों में आश्रय ले सकता है। मनु ने छह प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है। उन के अनुसार धन्वदुर्ग, महीदुर्ग, जलदुर्ग, वृक्षदुर्ग, मृदुर्ग तथा गिरिदुर्ग आदि दुर्गों के भेद हैं। इन दुर्गों की व्याख्या भी मनु ने की है। उन्होंने गिरिदुर्ग को विशेष महत्व दिया है।<sup>१</sup> शुक्रनीतिसार में सात प्रकार के दुर्गों का वर्णन मिलता है। शुक्र के अनुसार एरिणदुर्ग, पारिखदुर्ग, वनदुर्ग, धन्वदुर्ग, जलदुर्ग, गिरिदुर्ग तथा सैन्यदुर्ग आदि दुर्गों के भेद हैं।<sup>२</sup> उन्होंने इन सात प्रकार के दुर्गों की व्याख्या भी की है जो इस प्रकार है—जो दुर्ग ज्ञाड़ी, कोटे, पत्थर, ऊसरभूमि तथा गुप्तमार्गयुक्त हों उसे एरिणदुर्ग कहते हैं। जिस दुर्ग का परकोटा ईट, पत्थर, मिट्टी आदि की दीवार से बना हो उसे पारिखदुर्ग कहते हैं। जो विशाल घने वृक्षों और कटीं से घिरा हो उसे वनदुर्ग कहते हैं। जिस दुर्ग के चारों ओर जल का प्रवाह हो उसे धन्वदुर्ग कहते हैं और जो दुर्ग जल से पिरा हो उसे जलदुर्ग कहते हैं। जो बड़े ठंडे स्थान पर निर्जन स्थान में बनाया जाये उसे गिरिदुर्ग कहते हैं। जिस दुर्ग में सैनिक शिक्षा के विशेषज्ञ शूरवीर हों और जो अजेय हो उसे सैन्यदुर्ग कहते हैं। जिस में शूरवीरों के अनुकूल बन्धुजन रहते हों वह सहायदुर्ग कहलाता है। पारिख से एरिण, एरिण से पारिख और पारिख से वनदुर्ग श्रेष्ठ है। सहायदुर्ग और सैन्यदुर्ग सम्पूर्ण दुर्गों के साथन हैं। इनके अभाव में समस्त दुर्ग छ्याच हैं।<sup>३</sup> समस्त दुर्गों में आचार्यों ने सैन्यदुर्ग को ही महत्व दिया है।

आचार्य कौटिल्य ने भी दुर्गों के भेदों पर प्रकाश डाला है। उन के अनुसार

१. मनु० ७५, ७०-८१।

धन्वदुर्गं महीदुर्गं मृदुर्गं वृक्षदुर्गं वा कर्षनेत्र वा।  
पृगुर्गं गिरिदुर्गं वा समाख्यल उसेद्धृतम् ॥  
सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गं रामाधेश ।  
एषां हि वाहुगुणेन गिरिदुर्गं विशिष्यते ।

२. शुक्र० ४, ६।

३. वही।

औदकदुर्ग, पार्वतिनी, लालनदुर्ग तथा इन्द्रिय आदि दूर्गों के चार प्रकार हैं।<sup>१</sup> महाभारत में छह प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है—( १ ) धन्वदुर्ग, ( २ ) महीदुर्ग, ( ३ ) गिरिदुर्ग, ( ४ ) मनुष्यदुर्ग, ( ५ ) मृत्तिकादुर्ग, ( ६ ) वतदुर्ग।<sup>२</sup> पुराणों में भी दुर्गों का वर्णन मिलता है।<sup>३</sup> अृषि वाल्मीकि ने भी लंका वर्णन में लंकानगरी की अनेक प्रकार के दुर्गों से सुरक्षित बतलाया है।<sup>४</sup>

### दुर्ग के गुण

आचार्य सोमदेवसूरि ने दुर्ग की विद्योषताओं का भी उल्लेख किया है। दुर्ग की जिन विभूतियों के कारण विजिगीष शब्दुकृत उपद्रवों से अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर विजय प्राप्त कर सकता है उन का वर्णन आचार्य ने इस प्रकार किया है—दुर्ग की भूमि पर्वत आदि के कारण विषभ, ऊंची-नीची तथा विस्तीर्ण होनी चाहिए। जहाँ पर अपने रसों के लिए ही वास, इंधन और जल बहुतायत से प्राप्त हो सके, परन्तु आक्रमण करने वाले शत्रुओं को अप्राप्त हो, जहाँ गेहूँ, चादल आदि अन्न तथा नमक, तेल, धी आदि रसों का संग्रह प्रचुरमात्रा में हो, जिस के प्रथम द्वार से प्रचुर धन्य और रसों का प्रवेश ऐसे दूसरे से निष्कासन होता हो तथा जहाँ पर बीर सैनिकों का पहरा हो वे दुर्ग को सम्पत्ति है। जहाँ पर उपर्युक्त सामग्री का अभाव हो वह दुर्ग कारागार के समान अपने स्वामी के लिए घातक होता है ( २०, ३ )।<sup>५</sup>

दुर्ग की सम्पत्ति के विषय में मनु, कामन्दक तथा शुक्र ने भी प्रकाश डाला है।<sup>६</sup> मनु का कथन है कि दुर्ग शस्त्र, धन-धान्य से युक्त, वाहनों, विद्वानों, कर्लों को जानने वालों, कर्लों, जल और इंधन से युक्त होता चाहिए।<sup>७</sup>

### शत्रुदुर्ग पर अधिकार करने के उपाय

राजा किस प्रकार अपने शत्रु के दुर्ग पर अधिकार प्राप्त कर सकता है, इस विषय में भी सोमदेव ने प्रकाश डाला है। उन के अनुसार शत्रुदुर्ग पर अधिकार करने के निम्नलिखित उपाय हैं—

१. अभिगमन—सामादि उपाय द्वारा शत्रुदुर्ग पर शस्त्रादि से सुरक्षित सैन्य प्रविष्ट करना।

१. कौ० अर्थ०, २, १।

२. महा०, शा०न्ति० द१५, ५।

धन्वदुर्ग महीदुर्ग गिरिदुर्ग तथैव च।

मनुष्यदुर्ग मृहदुर्ग वतदुर्ग च तानि दृ०।

३. नाय० ८, १०८; प्रस्त्रय० २१३, ६०७; अग्नि०, २२३, ५५।

४. रामायण, शुद्धकाण्ठ—३, २०।

तद्वा पृथनिराजम्भा देवदुर्गा भयावहा।

नादेयं गार्वते चान्यं कृतिर्म च चतुर्भिर्द्युम्।

५. मनु०, ७, ७५; कामन्दक, ४, ६४; शुक्र०, १, २५३-२५४।

६. मनु०, ७, ७६।

२. उपजाप—विविध उपायों द्वारा शत्रु के अमास्य आदि अधिकारियों में भेद डालकर उन्हें शत्रु के प्रतिद्वन्दी बनाना ।

३. चिरनिवन्ध—शत्रु के दुर्ग पर सैनिकों को चिरकाल तक घेरा बालना ।

४. अवस्थकन्द—प्रचुर सम्पत्ति और मान देकर वश में करना ।

५. तीक्ष्णपुरुषप्रयोग—धातक गुपचरों को शत्रु राजा के पास भेजना ।

उपर्युक्त पाँच उपाय आचार्य सोमदेवसूरि ने शत्रुदुर्ग पर अधिकार करने में सहायक बतलाये हैं ( २०, ६ ) । शुक्र ने भी कहा है कि विजिगीषु शत्रुदुर्ग को केवल युद्ध द्वारा ही नह नहीं कर सकता । अतः उसे शत्रु के अधिकारियों में भेद और उपायों का प्रयोग करना चाहिए ।<sup>१</sup>

आचार्य सोमदेव ने दुर्गप्रबोध के सम्बन्ध में भी उपयोगी विचार व्यक्त किये हैं । उन का कथन है कि राजा ( विजिगीषु ) ऐसे व्यक्ति को अपने दुर्ग में कभी प्रविष्ट न होने दे जिस के हाथ में राजमृदा नहीं दी गयी है । तथा जिस को पूर्णरूपेण परीक्षा न कर ली गयी हो । किसी ऐसे व्यक्ति को दुर्ग से बाहर जाने की भी आज्ञा नहीं देनी चाहिए ( २०, ७ ) । इस विषय में उन्होंने कुछ ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किये हैं । उन का कथन है कि इतिहास के अव्ययन से ज्ञात होता है कि हृण देवा के नरेश ने अपने सैनिकों को विक्रय योग्य वस्तुओं का धारण करने वाले अधिकारियों के देश में दुर्ग में प्रविष्ट कराया और उन के द्वारा दुर्ग के स्वामी को मरवा कर चित्रकूट देश पर अपनों अधिकार कर लिया । आगे आचार्य लिखते हैं कि किसी शत्रु राजा ने कांची नरेश की सेवा के बहाने से भेजे हुए शिकार खेलने में प्रवीण खड्गधारण में अभ्यस्त सैनिकों को उस के देश में भेजा जिन्होंने दुर्ग में प्रविष्ट होकर भद्र नाम के राजा को मारकर अपने स्वामी को कांची देश का अधिपति बना दिया ( २०, ८-९ ) ।

उपर्युक्त समस्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में दुर्ग का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान था । इस के महत्त्व के कारण ही राजनीतिकों ने दुर्ग की इतनी महिमा बतलायी है । जिस प्रकार मनुष्य पर आक्रमण होने पर सर्वप्रथम उस के हाथ ही आक्रमण को रोकते हैं उसी प्रकार शत्रु के आक्रमण का सामना सर्वप्रथम दुर्ग ही करता है । प्रार्गतिहासिक काल से ही भारत में दुर्ग रचना का विषान रहा है । कृत्येद में आयसिपुरः ऐसा वर्णन आता है, जिस का अभिप्राय लोहनिर्मित पुर से है जिसे दुर्गवत् ही समझना चाहिए । इन्द्रप्रस्थ में पाण्डवों का दुर्ग आज भी उस काल की दुर्गप्रियता का परिचय दे रहा है । मौर्यकाल में भी दुर्गों का बहुत महत्त्व था । इसी कारण कौटिल्य ने दुर्ग-रचना एवं विविध प्रकार के दुर्गों का उल्लेख अर्धशास्त्र में किया है ।

१. शुक्र नीतिनाम, पृ० २००

न मुद्देन प्रशान्तं रमात्परदुर्गं कथंचन ।

मुख्या भेदाद् पायोऽथ तत्पात्तात् विनियोजयेत् ।

राजपूतकाल में भी दुर्गों का महत्व कभी नहीं हुआ। राजस्थान अपने पर्वतीय 'दुर्गों' के लिए प्रसिद्ध है। आगरा तथा शिल्ली के दुर्ग इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि मुगलकाल में भी दुर्गों का महत्व बना रहा। खालियर का दुर्ग आज भी उस काल के पर्वतीय 'दुर्गों' की स्मृति दिलाता है। राजस्थान में पर्वतीय दुर्गों का जाल साक्षा देखा हुआ था। किन्तु आज उन दुर्गों के व्यासावशेष ही दृष्टिगोचर होते हैं। महाराष्ट्र देश भी दुर्गों का देश रहा है। महाराजा शिवाजी इन्हीं दुर्गों पर अधिकार करने के उपरान्त अपनी 'राजनीति' में सफल हुए। सिंहगढ़, रोहिंदा, चकन, तोण, पुरत्तर, सूपा, बाराभनी, जावली, कल्याण तथा भिजांदी आदि प्रसिद्ध दक्षिण भारत के दुर्गों पर आक्रमण कर के तथा अपनी नीतिकुशलता से सब को अपने अधिकार में कर लिया। इन दुर्गों पर अधिकार हो जाने के कारण ही शिवाजी ने अपने शत्रुओं को पराजित किया और अंगरेजों के दौत खट्टे कर दिये। इस के अतिरिक्त महाराष्ट्र प्रदेश जो कि एक पहाड़ी प्रदेश है, उस की पहाड़ियों पर मराठों ने अनेक दुर्गों का निर्माण किया है जिन पर अधिकार कराया हुआ है।

भारत में अंगरेजों के आगमन से दुर्गरचना का पराभव होने लगा, क्योंकि अब इन दुर्गों का महत्व नवीन अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण के कारण उतना न रहा जितना कि धनुष, भाला, तलवार आदि शस्त्रों के युग में था। इन नवीन अस्त्र-शस्त्रों ने सीमा की सुरक्षा एवं देश-रक्षा का दायित्व बारण कर लिया और देश की सीमाओं पर इन अस्त्रों को स्वापित कर के सारे देश को ही दुर्ग के रूप में परिणत करने की नवीन प्रणाली का सूचनात् हुआ।

किन्तु आधुनिक युग में दुर्ग विषयक भावना चर्त्तमान राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क से पूर्णरूपेण बिलुप्त नहीं हुई है। समस्त राष्ट्र को दुर्ग के रूप में परिणत करने की नवीन भावना यक्ति-तत्त्व दृष्टिगोचर होती है। यह माना कि स्थल के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए दुर्गों की उत्तीर्णव्यक्तता अब नहीं रह गयी है जितनी कि प्राचीन काल में थी। किन्तु आकाश में वायुयानों द्वारा आक्रमण से रक्षा के लिए प्रमुख देखों में योजनाबद्ध भूगृह-रचना की योजना विस्तार पर है। देश-काल के अनुसार विविध और व्यवस्था में परिवर्तन अवश्य हो गया है, किन्तु फिर भी मानव के मस्तिष्क में दुर्ग की भावना अभी तक पूर्ववत् ही निहित है। दुर्ग का महत्व युद्ध-काल में ही अधिक होता है। रक्षात्मक युद्ध इन दुर्गों के द्वारा बड़ी सुगमता से संचालित किया जा सकता है क्योंकि दुर्ग की अल्पशक्ति ही महान् बाह्य-शक्ति का सामना करने में समर्थ होती है जैसा कि मनु का विचार है।



## कोष

राजशास्त्र के प्रणेताओं ने राजयोगों में कोष को बहुत महत्व दिया है। आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि कोष ही राजाओं का प्राण है (२१, ५)। संचित कोष संकट-काल में राष्ट्र की रक्षा करता है। यहीं प्रजा राष्ट्र की सुरक्षित रख सकता है जिस के पास विशाल कोष है। संचित कोष वाला राजा ही युद्ध की दीर्घकाल तक चलाने में समर्थ हो सकता है। दुर्ग में स्थित होकर प्रतिरोधात्मक युद्ध को चलाने के लिए भी युद्ध कोष को आवश्यकता होती है। इसलिए कोष को क्षीण होने से बचाने तथा संचित कोष को बृद्धि करने के लिए प्राचीन आचार्यों ने अनेक उपाय बताये हैं। राजनीति के प्रन्थों में अपने महत्व के कारण ही कोष एक स्वतन्त्र विषय रहा है। आचार्य सोमदेव ने भी अन्य आचार्यों की भौति इस विषय पर भी प्रकाश ढाला है। नीति-वाक्यामूर्ति में कोष समुद्देश कोष सम्बन्धी वाकों का दिग्दर्शन कराता है।

### कोष की परिभाषा

आचार्य सोमदेव ने कोष समुद्देश के प्रारम्भ में ही कोष की परिभाषा दी है : उन के अनुसार जो विपत्ति और सम्पत्ति के समय राजा के तन्त्र की बृद्धि करता है और उस को सुरंगठित करने के लिए उन की बृद्धि करता है वह कोष है (२१, १)। धनाढ्य पुरुष अथवा राजा को धर्म और धन की रक्षा के लिए तथा सेवकों के पालन-पोषण के लिए कोष की रक्षा करनी चाहिए। कोष की उत्पत्ति राजा के साथ ही हुई है। जैसा कि महाभारत के इस वर्णन से प्रकट होता है। प्रजा ने मनु के कोष के लिए पशु और हिरण्य का पञ्चासर्व भाग तथा धान्य का दसवाँ भाग देना स्वीकार किया।

### कोष का महत्व

समस्त आचार्यों ने कोष का महत्व स्वीकार किया है। आचार्य सोमदेव का योक्तव्य—कोष ही राजाओं का प्राण है—इस के महान् महत्व का योतक है। आचार्य सोमदेव आगे लिखते हैं कि जो राजा कीड़ी-कीड़ी कर के अपने कोष की बृद्धि नहीं करता उस का भविष्य में कल्पाण महीं होता (२१, ४)।

१. महाभारतान्तिता, द३, २३-२४।

आचार्य कौटिल्य कोष का महत्व बतलाते हुए लिखते हैं कि सब का मूल कोष ही है अतः राजा को सर्वप्रथम कोष की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।<sup>१</sup> महाभारत में भी ऐसा वर्णन आता है कि राजा को कोष की सुरक्षा का पूर्ण व्याप रखना चाहिए। क्योंकि राजा लोग कोष के ही अधीन हैं तथा राज्य की उन्नति भी कोष पर हो आवारित है।<sup>२</sup> कामन्दक ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति से यही सुना जाता है कि राजा कोष के आधित है।<sup>३</sup> कोष के इस महत्व के कारण ही मनु ने लिखा है कि सरकार तथा कोष का निरीक्षण राजा स्वयं ही करे, क्योंकि इन का सम्बन्ध दाला दे ही है।<sup>४</sup> यज्ञवल्क्य राजा को यह आदेश देते हैं कि उसे प्रतिविन राज्य की आय-व्यय का स्वयं निरीक्षण करना चाहिए तथा इस विभाग के कर्मचारियों द्वारा संगृहीत स्वर्ण एवं धनराशि को कोष में जमा करना चाहिए।<sup>५</sup>

आचार्य सोमदेव का कथन है कि राज्य की उन्नति कोष से होती है न कि राजा के शरीर से (२१, ७)। आगे वे लिखते हैं कि जिस के पास कोष है वही सुख में विजयी होता है (२१, ८)। इस प्रकार आचार्य कोष को राज्य की सर्वीण उन्नति एवं उस की सुरक्षा का अमोघ साधन मानते हैं। कोष वाले राजा को सेवक और सेन्य सब कुछ सुलभ हो सकते हैं, परन्तु कोष विहीन राजा को कोई भी वस्तु सुलभ नहीं होती। कोषहीन राजा नाममात्र का हो राजा है। कीण कोष वाला राजा अपनी प्रजा पर धन-संग्रह के लिए अनेक प्रकार के अत्याचार करता है, जिस के परिणाम-स्वरूप प्रजा दुःखी होती है और वह उस के अत्याचार से तंग आकर उस देश को छोड़कर अन्यत्र चली जाती है। इस से राजा जनशक्ति विहीन हो जाता है (२१, ६)।

### उत्तम कोष

इस बात से सभी विदान् लहसुन हैं कि राज्य की प्रतिष्ठा, रक्षा एवं विकास के लिए कोष की परम आवश्यकता है। इस के साथ ही आचार्यों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि कौन-सा कोष उत्तम है। आचार्य सोमदेव उत्तम कोष का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जिस में स्वर्ण, रजत का प्रावल्य हो और व्यावहारिक नाणकों (प्रचलित मुद्राओं) की अधिकता हो तथा जो आपत्काल में बहुत व्यय करने में समर्थ हो वह उत्तम कोष है (२१, २)।

१. कौ० अर्थ० ३, प।

कोशमूङ्गः कोशपूर्वः सन्तरम्भः। तस्मात्पूर्वं कोशमधीत ।

२. मह० शान्ति० ११६, १६।

३. कामन्दक—१३, २५।

कोशमूङ्गो हि राजेति प्रवादः सर्वजीविकः ।

४. मन० ७, ६५।

५. माज० १, १७३-२८।

आचार्य सोमदेव ने कोष के गुणों की जो व्याख्या की है वह आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। आपस्ति-काल में धन्य और पशुओं के विकल्प से पर्याप्त धन प्राप्त नहीं हो सकता। अतः जिन वस्तुओं का विक्रम तुरन्त हो सके और अल्प वस्तु अधिक मूल्य में विक सके ऐसी ही वस्तुओं का अधिक मात्रा में राजकोष में संग्रह होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सोमदेव ऐसी वस्तुओं का संग्रह करने के लिए राजा को परामर्श देते हैं। नाणक की भी कोष में बड़ी आवश्यकता रहती है, क्योंकि सेवा और धन्य राजकर्मचारियों को वेतन में धारक ( प्रचलित मुद्रा ) ही देना पड़ता है। इस मुद्रा से व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का सरलता पूर्वक क्रय कर सकता है। स्वर्ण एवं रजत की अधिक मात्रा होने से नाणक लैंगार किये जा सकते हैं। इसलिए उत्तम कोष वही है जिस में सेवा एवं रजत अधिक मात्रा में हो। इस के अतिरिक्त यदि कोई शत्रु राजा के देश पर आक्रमण कर दे और उस के पास युद्ध करने के लिए पर्याप्त सेवा न हो अथवा पराजय की आशंका हो तो राजा साम-दामादि से शत्रु को लौटा सकता है। शत्रु को तभी धन से सम्पुष्ट किया जा सकता है जब कि राजा का कोश स्वर्ण एवं रजत से परिपूर्ण हो।

### कोषविहीन राजा

आचार्य सोमदेवरूपि ने धनहीन राजा की निन्दा की है, क्योंकि उन की दृष्टि में राज्य की प्रतिष्ठा एवं सुरक्षा की आवारणिला कोश ही है। आचार्य का कथन है कि धनहीन व्यक्ति को तो उस की स्त्री भी त्याग देती है फिर अन्य पुरुषों का तो कहना ही क्या ( २१, ९ )। इस का अभिप्राय यही है कि धनहीन राजा को उस के सेवक तथा पदाधिकारी त्याग कर अन्य राजा की सेवा में चले जाते हैं। जिस से वह असहाय अवस्था को प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। आचार्य का यह भी कथन है कि धनहीन व्यक्ति ( राजा ) चाहे कितना ही कुलीन एवं सदाचारी क्यों न हो, सेवकगण उस की सेवा करने को प्रस्तुत नहीं होते, क्योंकि वहाँ से उन्हें जीविका के लिए धन प्राप्ति की कोई आशा नहीं होती ( २१, १० )। उस के विपरीत तीचकुल में उत्पन्न हुए एवं चरित्रभूष्ट व्यक्ति से धनाहय होने के कारण उसे धन का लोत समझ कर सभी लोग उस की सेवा के लिए प्रस्तुत रहते हैं। उक्त विवेचन का अभिप्राय यही है कि कुलीन और सदाचारी होने पर राजा को राजतन्त्र के नियमित तथा अमदस्युत रूप से बलाने के लिए न्यायोचित उपायों द्वारा कोष की वृद्धि करनी चाहिए।

आचार्य सोमदेव ने आगे लिखा है कि उस तालाब के विस्तीर्ण होने से क्या लाभ है जिस में पर्याप्त जल नहीं है ( २१, ११ )। परन्तु जल से परिपूर्ण छोटा तालाब भी इस से कहीं अधिक प्रशंसनाय है। सारांश यह है कि मनुष्य कुलीनता आदि से बड़ा होने पर यदि दर्शित है तो उस का बढ़ायन व्यर्थ है, क्योंकि उस से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अतः नैतिक उपायों द्वारा धन का संग्रह करना महत्त्वपूर्ण बतलाया है।

## रिक्त राजकोष की पूर्ति के उपाय

आचार्य शोमदेवसूरि ने रिक्त राजकोष की पूर्ति के उपायों पर भी प्रकाश डाला है। उन के अनुसार राजकोष की पूर्ति के निम्नलिखित उपाय हैं—

१. श्राह्यण और व्यापारियों से उन के द्वारा संचित किये हुए धन में से क्रमशः घर्मनिष्ठान, यज्ञानुष्ठान और कौटुम्बिक पालन के अतिरिक्त जो धनराशि शेष बचे उसे लेकर राजा को अपनी कोष-वृद्धि करनी चाहिए।

२. घनाढ्य पुरुष, सन्तानविहीन, घनी व्यक्ति, विषवाङ्मों का समूह और कापालिक—पाल्पण्डी लोगों के धन पर कर लगाकर उन की सम्पत्ति का कुछ अंश लेकर अपने कोष की वृद्धि करे।

३. सम्पत्तिशाली देवावासियों की प्रचुर धनराशि का विभाजन कर के उन के भलो-शौकि निवाहि योग्य धनराशि छोड़कर उन से आर्थिक पूर्वक धन ग्रहण कर के कोष की वृद्धि करनी चाहिए।

४. अचल सम्पत्तिशाली, मन्त्री, पुरोहित और अधीनस्थ सामन्तों से अनुनय और विनय कर के उन के घर जाकर उन से धन याचना करनी चाहिए। और उस धन से अपने कोष की वृद्धि करनी चाहिए ( २१, १४ )।

इस प्रकार उन्हें चार साधनों से राजा को अपने रिक्त राजकोष की वृद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए। राजा को सर्वदा इस कार्य में प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसे अपना राजकोष कभी रिक्त नहीं रहने देना चाहिए। कोष ही राज्य की प्राणशक्ति है और उस के अभाव में वह नष्ट हो जाता है।

## आय-व्यय

सम्पत्ति उत्पन्न करने वाले न्यायोचित साधन आयवा उपाय, कृषि, व्यापारादि एवं राजा द्वारा उचित कर लगाना आदि को आय कहा गया है। स्वामी की आज्ञा-नुसार धन खर्च करना व्यय है। आचार्य शोमदेव का कथन है कि राजा अपनी आय के अनुकूल ही व्यय करे, क्योंकि जो राजा आय का विचार न कर के अधिक व्यय करता है वह कुबेर के समान असंस्थ धन का स्वामी होकर भी भिस्तुक के समान आवरण करने वाला हो जाता है ( १६, १८ )। एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं कि नित्य धन के व्यय से सुरु भी क्षीण हो जाता है ( ८, ५ )। आचार्य के विचार से समान आय-व्यय वाला कार्य आनन्ददायक है। शुक का कथन है कि राजा अपनी वार्षिक आय का षट्-भाग सेना पर व्यय करे, बारहवाँ भाग दान में, भन्त्रियों पर, अन्य राज्य-कर्मचारियों पर तथा अपने व्यक्तिगत कार्यों पर व्यय करे।<sup>१</sup> इन समस्त वार्तों का अभिग्राह यही है कि राजा को अधिक व्यय नहीं करना चाहिए।

१. शुक १, ३१८-३३।

## राज-कर के सिद्धान्त

प्राचीन काल में कर के कुछ निश्चित सिद्धान्त ये जिन का उल्लेख धर्मशास्त्रों में विशेषरूप से हुआ है। राजा प्रजा पर कर लगाने में स्वतन्त्र नहीं था, अपितु वह उन्हीं करों को प्रजा पर लगा सकता था जिन का प्रतिपादन समृद्धियर्थों द्वारा किया गया है। समृद्धियों द्वारा निर्धारित कर के सिद्धान्तों का पूर्णरूप से गालत किया जाता था। धर्मशास्त्रों एवं समृद्धियों द्वारा प्रतिपादित कर के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

(१) राजकीय कर का निर्धारण स्वेच्छा से न किया जाये अपितु धर्मशास्त्रों में निर्धारित कर ही प्रजा से प्रहण किया जाये। सोमदेव का भी यही मत है। उस का कथन है कि अत्याधि से ऋणशालाका का लेना भी प्रजा को महान् कष्टदायक होता है और इस से प्रजा राजा के बिरुद्ध हो जाती है ( १६, २३ )। अन्यत्र वे लिखते हैं कि अत्याधि प्रवृत्ति विरकाल तक सम्पत्तिदायक नहीं होती ( १७, २० )। जो राजा भारी कर लगाकर प्रजा को पीड़ित करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। आचार्य सोमदेव का कथन है कि जो राजा अपनी प्रजा को समस्त प्रकार के कष्ट देता है उस का कोष नष्ट हो जाता है ( १२, १७ )। अतः कर प्रजा को कष्टदायक नहीं होना चाहिए।

(२) कर का दूसरा सिद्धान्त यह था कि राजकीय कर मूलोच्छेद करने वाला नहीं होना चाहिए। अधिक कर लगाने से कर देने वालों की जड़ का उच्छेदन हो जाता है और इस से राजा का भी मूलोच्छेद हो जाता है। आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि कर में अधिक वृद्धि करने से सम्पूर्ण राष्ट्र दरिद्र होकर नष्ट हो जाता है। अतः अत्याधि राजा को अपने प्रजा से उचित कर ही लेना चाहिए जिस से राष्ट्र की श्रोदृढ़ि होती रहे ( १६, २५ )। अन्यत्र वे लिखते हैं कि प्रजा का वैभव ही स्वामी का वैभव है इसलिए युक्ति से जनता के वैभव का उपभोग करना चाहिए ( १६, २७ )। हस का अभिप्राय यही है कि राजा को प्रजा से उत्तरा ही कर प्रहण करना चाहिए जितनी उस की सामर्थ्य हो। यदि जनता पर अधिक कर लगा दिया जायेगा तो कर के मार से दबी हुई जनता दरिद्र हो जायेगी और ऐसी स्थिति में राजा और प्रजा दोनों की हानि होंगी। दरिद्र जनता से राजा को धन प्राप्त नहीं हो सकेगा। ऐसा भी सम्भव हो सकता है कि अत्याचारों के शय से जनता राजा का देश छोड़कर अन्यत्र जा बसे। अतः राजा का यह कर्तव्य है कि उचित करों के निर्धारण से जनता को वैभवशाली बनाये, क्योंकि इसी में राजा का हित है। यदि राजा केवल अपनी आधिक स्थिति की ही सुधारता है और जनता की आधिक दशा की ओर कोई व्याप नहीं देता तो प्रजा उसे त्याग देती है। जनता के अन्यत्र चले जाने से राज्य का प्रमुख तत्त्व ( जनता ) ही नष्ट हो जाता है और इस प्रकार राज्य का अस्तित्व भी असम्भव हो जाता है।

आचार्य सोमदेव का मत है कि अधिक कर लगाकर जनता का मूलोच्छेद करना सर्वथा अनुचित है। जिस प्रकार वृक्ष के काटने से केवल एक बार ही फल प्राप्त हो सकते हैं भविष्य में नहीं ( १६, २६ )। इसी प्रकार यदि जनता पर प्रारम्भ में ही कोष

भारी कर लगा दिये जायेंगे तो राज्य को केवल एक बार ही अधिक धन प्राप्त हो सकेगा। भक्षिष्य में उसे वन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि भारी करों को एक बार अदा कर के जनता शरीब हो जायेगी और फिर वह कर देने योग्य न रहेगी। अतः राजा को कभी लोभ अथवा तुष्णा के वशीभूत होकर प्रजा पर भारी कर नहीं लगाना चाहिए।

महाभारत में बछड़े का उदाहरण देकर यह बताया गया है कि जिस प्रकार बछड़े का पोषण भली-भाँति करने से वह भारी बोझा ढोने में समर्थ होता है, उसी प्रकार जनता पर अल्प कर लगाकर उस को समृद्ध बनाने से वह भी भद्रान् कार्यों के करने में समर्थ होती है। यदि प्रारम्भ में ही उस पर अधिक कर लगा दिया जायेगा तो वह महान् कार्यों के करने में असमर्थ होगी। उस से राजा को भी वर्ष की प्राप्ति नहीं हो सकेगी।<sup>१</sup> अतः राजा को प्रजा पर अधिक कर नहीं लगाने चाहिए।

कर का लोसरा सिद्धान्त यह था कि राजकर ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को भारी मालूम न हो। मनु ओं भाग ८ है कि उच्चा इत्या दे इति-जारी अल्प मात्रा में कर प्रहण करे जिस से जनता कर को भारस्वरूप न समझे। राजा को प्रजा के साथ कर के सम्बन्ध में जलजोक, बछड़ा तथा भ्रमर का-सा व्यवहार करना चाहिए।<sup>२</sup> महाभारत में कहा गया है कि जिस प्रकार मनु-मक्खी पृष्ठों एवं पत्तियों को हाति पहुँचाये तिना पृष्ठों से मधु भ्रहण करती है उसी प्रकार राजा को प्रजा से कोई हाति पहुँचाये तिना ही कर प्राप्त करना चाहिए।<sup>३</sup> इन समस्त उदाहरणों का तात्पर्य यही है कि प्रजा पर उतना ही कर लगाना चाहिए, जिसे वह सरलता पूर्वक दे सके। आचार्य सोमदेव भी इसी सिद्धान्त में विद्यास रखते हैं।

कर के सम्बन्ध में चौथा सिद्धान्त यह था कि कर देश काल के अनुरूप ही लिया जाये। यदि इस नियम का उल्लंघन किया जायेगा तो प्रजा राजा के विरुद्ध ही जायेगी। आचार्य सोमदेव का कथन है कि राजा प्रजा से अपने देशानुकूल ही कर प्रहण करे ( २६, ४१ )। अन्यथा उत्तम फ़सल आदि न होने के कारण प्रजा राजा से विद्रोह करने को कठिबद्ध हो जाती है। अगे आचार्य लिखते हैं कि जिन व्यक्तियों को राजा ने पहले करमूक कर दिया है, उन से उसे पुनः कर भ्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा आचरण करने से उस की प्रतिष्ठा एवं कीर्ति में वृद्धि होगी ( १९, १८ )। सोमदेव का यह भी कथन है कि मर्यादा का अतिक्रमण करने से उर्वरा भूमि भी अरण्य सुल्य हो जाती है ( १९, १९ )। इसी प्रकार वे अन्यथा लिखते हैं कि अन्याय से नग-शालाका का भ्रहण करना भी प्रजा को कष्टदायक होता है ( १६, २३ )।

इस प्रकार प्राचीन काल में कर के सिद्धान्त निश्चित थे। जिन का उल्लेख

१. महाभागवत्प्राचीन ८७, ३०-३१।

२. मनु ०७, १२९।

३. महाभागवत्प्राचीन ३५, १३-१५।

धर्मशास्त्रों एवं अर्थशास्त्रों में मिलता है। यदि राजा इन नियमों की उपेक्षा करने का साहस करता था तो प्रजा उस के द्विरुद्ध हो जाती थी। इसी भव्य से सामान्यतः प्राचीन भारत में कर के उपर्युक्त सिद्धान्तों का पूर्णरूपेण पालन किया जाता था।

### राजकर साधन था न कि साध्य

आचार्य सोमदेव ने कोष-वृद्धि में केवल धार्मिक और न्यायिक साधनों का प्रयोग करने की अनुमति दी है। अधार्मिक साधनों द्वारा कोष-वृद्धि का उन्होंने सर्वत्र विरोध किया है। वे लिखते हैं कि यह नोन्हीन राजा व्याय पूर्वक प्रजा से धन ग्रहण करता है तो प्रजा उस का देश छोड़कर अव्यत्र चली जाती है और इस प्रकार राष्ट्र जनशूल्य हो जाता है ( २१, ६ )। बिना प्रजा के राज्य का अस्तित्व भी नहीं रहता। बन्यत्र आचार्य लिखते हैं कि यदि राजा प्रयोजनायियों से इष्ट प्रयोजन न कर सके तो उसे उन की भेट स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोक में उस की हँसी और निन्दा होती है ( १७, ५० )। राजा को अपराधियों के जुमानि से आये हुए, जुआ में जीते हुए, युद्ध में मारे गये, नदी, तालाब और मार्गों आदि में मनुष्यों के द्वारा भूले हुए धन का तथा चोरी के धन का, पति, पुत्रादि कुटुम्बियों से विहीन अनाथ स्त्रों का अभवा रक्षकहीन कन्या का धन एवं विप्लव आदि के कारण जनता द्वारा छोड़े हुए धन का स्वयं उपयोग कषापि नहीं करता चाहिए ( ९, ५ )। इस प्रकार के धन का उपयोग प्रजा की भलाई के कायों में न तो किया जा सकता था, किन्तु उस का उपयोग राजा के लिए निषिद्ध था।

### राजकर राजा का वेतन था

धर्म ग्रन्थों में कर को राजा का वेतन बताया गया है। महाभारत में जनता से प्राप्त धन को राजा का वेतन ही कहा गया है।<sup>१</sup> कौटिल्य ने भी धार्य के छठे भाग और पथ के दसवें भाग को राजा का भागदेय बतलाया है।<sup>२</sup> बन्य नोतियन्थों में भी राजा को स्वामी रूप में मानकर भी प्रजापालन के लिए स्वभागरूपी वृत्ति के प्राप्त करने से उसे ( राजा को ) प्रजा का दास ही बताया गया है।<sup>३</sup> प्रजापालन करने के उपलक्ष्य में ही राजा को कर के रूप में धन प्राप्त होता था। नोतिवाक्यामूल में ऐसा उल्लेख आता है कि पालन करने वाला राजा सब के धर्म के छठे वैद्य को प्राप्त करता है ( ७, २३ )। आगे यह भी कहा गया है कि उस राजा को वह छठा भाग होवे जो हमारी रक्षा करता है ( ७, २५ )। इन सूत्रों से यही ज्ञान निकलती है कि प्रजा राजा को उस की सेवाओं के उपलक्ष्य में ही धन कर स्वरूप देती थी।

१. महा० धान्ति० ३१, १०।

२. कौ० अर्थ० १, १३।

३. शुक० १, १८८।

## आय के स्रोत

प्राचीन काल में राज्य की आय के दो प्रमुख स्रोत थे—(१) भूमि कर तथा (२) अन्य वस्तुओं पर लगाने वाला कर। राजा की आय का प्रमुख साधन भूमि कर ही था जो प्रायः उपज के छठा अंश ही था। परन्तु यह नियम सर्वत्र समान नहीं था। इस का कारण यह था कि कहीं भूमि अधिक उपजाऊ थी और कहीं कम। भूमि की वर्तमान वास्तव की सिचाई आदि की अवस्था के बाधार पर ही नीतिकारों ने भूमि कर की दूर निश्चित की थी। गौतम तथा मनु का कथन है कि राजा साधारण स्थिति में प्रजा से उपज का छठा भाग भूमि कर के रूप में प्रहण करे।<sup>१</sup> किन्तु विषय स्थिति में इस से अधिक भी कर दिया जा सकता था। मनु तथा कौटिल्य विषय स्थिति में राजा को प्रजा से अधिक कर देने की बनुमति प्रदान करते हैं। उन का कथन है कि राजा आपद-कालीन स्थिति में कृषकों से उपज का तीसरा भाग वधवा चतुर्थी भूमि कर के रूप में प्रहण कर सकता है। वे यह भी लिखते हैं कि इस प्रकार का अधिक कर प्रजा से प्रार्थना पूर्वक ही प्रहण किया जाये न कि शक्ति का भय दिला कर।<sup>२</sup> आचार्य सोमदेव ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है कि भूमि कर की दूर क्षया हो। किन्तु नीतिवाक्यामृत के कुछ सूत्रों के बाधार पर यह कहा जा सकता है कि सोमदेव भी भूमि कर के सम्बन्ध में उसी प्राचीन परम्परा को मानते थे। त्रिवीसमुद्देश के चौबीसवें सूत्र से ज्ञात होता है कि नीतिवाक्यामृत में भी छठे भाग का अनुमोदन किया गया है (७, २४)।

## कृषक-वर्ग के प्रति उदारता

आचार्य सोमदेव के मतानुसार कृषकों के साथ राजा का व्यवहार उदारतापूर्वक ही होना चाहिए और अनावृष्टि आदि के कारण यदि फसल अच्छी नहीं हो तो उन को लगान में छूट देनी चाहिए या कृषकों को लगान से पूर्णरूपेण मुक्त कर देना चाहिए। कर प्रहण करने में भी उन के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो राजा लगान न देने के कारण कृषकों की गेहूँ, चावल आदि की अष्टपक्षी फसल कटवा-कर उसे हस्तगत कर लेता है वह उन्हें देश-त्याग के लिए वाप्त्य करता है। जिस के कारण राजा और प्रजा दोनों को ही आधिक संकट का सामना करना पड़ता है (१९, १५)। अतः राजा को कृषकों के साथ इस प्रकार का अन्याय करना सर्वथा अनुचित है। आगे आचार्य लिखते हैं कि जो राजा पक्षी हुई वान्य की फसल काटते समय अपने राष्ट्र के खेतों में से हाथी, घोड़े आदि की सेना को निकालता है उस का देश अकाल पीड़ित हो जाता है (१९, १६)। इस का कारण यह है कि हाथी, घोड़ों के द्वारा फसल नष्ट हो जाती है और उस से अपन का अभाव हो जाता है तथा अन्नाभाव के कारण देश में दुर्भिक्षा पड़ जाता है।

१. गोटम १०, २४ तथा मनु ७, १३०।

२. मनु १०, १८८ तथा कौ० अर्थ ५, २।

इस समस्त विवरण का तात्पर्य यहो है कि राजा को कृषकों के साथ अन्याय-पूर्ण व्यवहार करायि नहीं करना चाहिए और उन की फ़सल को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। कृषकों के साथ उदारता का व्यवहार करने तथा उन को हर प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करने से देश में कृषि-कर्म एवं कागिन्य की वृद्धि होती है, जो कि राज्य की आर्थिक समृद्धि का मूल है। आचार्य सोमदेव का यही विचार है कि वार्ता की समृद्धि में ही राजा को समस्त समृद्धियाँ निहित हैं (८, २)।

### अन्य प्रकार के कर

भूमि कर के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर लगने वाले कर भी राज्य की आय के साधन थे। शुल्क से राज्य को पर्याप्त बन प्राप्त होता था। विक्रेता और क्रेता से राजा को जो भाग प्राप्त होता है वह शुल्क कहलाता है। शुल्क प्राप्ति के स्थान हट्टमार्ग (चुंगी-स्थान) आदि हैं। इन स्थानों का सुरक्षित होना परम आवश्यक है। इस के साथ ही यह भी आवश्यक है कि वहाँ पर न्यायांचित कर ही प्रहृण किया जाये। यदि वहाँ पर किसी भी प्रकार का अन्याय होगा तो क्रान्तिरे लोग इतना नाल जाता जल कर देंगे और इस से राजकीय आय को क्षति पहुँचेंगे। आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि आय के स्थानों में व्यापारियों से थोड़ा-सा भी अन्याय का घन ग्रहण करने से राजा को महान् आर्थिक हानि होती है, क्योंकि व्यापारियों के क्रय-विक्रय के माल पर अधिक कर लगाने से वे लोग भारी कर के भय से व्यापार बन्द कर देते हैं या छल-कपट का व्यवहार करते हैं जिस के फलस्वरूप राज्य को आर्थिक हानि होती है (१४, १४)।

### आयात और निर्यात कर

नीतिवाक्यामूल में आयात और निर्यात कर का भी उल्लेख मिलता है। इस सम्बन्ध में भी आचार्य ने कुछ निर्देश दिये हैं। उन का कथन है कि जिस राज्य में अन्य देश की वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाता है तथा जहाँ के राजकर्मचारी बल-पूर्वक अल्प मूल्य देकर व्यापारियों से बहुमूल्य वस्तुएँ छीन लेते हैं उस राज्य में अन्य देशों से माल आना बन्द हो जाता है (८, ११-१२)। इस से राज्य की आय का प्रमुख खोत समाप्त हो जाता है। अतः बाहर के माल पर अधिक कर नहीं लगाना चाहिए। अल्प कर लगाने से विदेशी व्यापारियों को देश में माल लाने की प्रेरणा मिलती है और ये बहुत सा सामान लाते हैं। अधिक आयात होने से उस पर लगने वाले शुल्क से राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि होती है।

### शुल्क स्थानों की सुरक्षा

किसी देश में बाहर के व्यापारी तभी जा सकते हैं जब कि उन की सुरक्षा की उचित व्यवस्था हो। यदि शुल्क स्थानों पर अधिकारी मार्ग में उन को खोर आदि लूट लें या वहाँ के अधिकारी अल्प मूल्य देकर उन की बहुमूल्य वस्तुएँ हस्तगत कर लें अधिका-

उन से उत्कोच आदि लेने का प्रयत्न करें तो वहाँ पर विदेशी व्यापारियों का आना बन्द हो जाता है। इसी कारण आचार्य सोमदेव शुल्क स्थानों की पूर्ण सुरक्षा को अत्यन्त आवश्यक समझते हैं। उन का कथन है कि राष्ट्र के शुल्क स्थान जो कि न्याय से मुरक्कित होते हैं अथवा जहाँ अधिक कर ग्रहण न कर के न्यायोचित कर लिया जाता है तथा चोरों आदि द्वारा चुरायी गयी प्रजा की धनादि वस्तु पुनः लौटा दी जाती है वहाँ पर व्यापारियों को क्रय और विक्रय योग्य वस्तुओं की अधिक संख्या में दुकानें होने के कारण वे स्थान राजा को कामलेनु के समान अधिकारिया उपर्याप्त सहान करने वाले होते हैं ( १९, २१ ) ।

### राज्य की आय के अन्य साधन

पूर्वीक रिक्त राजकोष की पूर्ति के उपाय भी राज्य की आय के प्रमुख साधन हैं। इन में सम्पत्ति कर प्रमुख था। अकस्मात् मिला हुआ घन तथा घनाङ्ग पुरुषों की मृत्यु के उपरान्त उन के निःसन्तान होने को स्थिति में उस सम्पत्ति का अधिकारी राजा ही होता था ( २१, १४ ) । इस के अतिरिक्त अधिक लाभ लेने वाले व्यापारियों के लाभ में से भी राजा को घन को प्राप्ति होती थी ( ८, १९ ) ।

### उत्कोच लेने वाले राज्याधिकारियों से घन प्राप्त करने के उपाय

आचार्य सोमदेव ने उत्कोच लेने वाले राज्याधिकारियों की ओर निन्दा की है और उन से राजा को सावधान रहने का परामर्श दिया है। आचार्य का मत है कि राजा को उन लोगों पर कठोर नियन्त्रण रखना चाहिए तथा उन के साथ कभी वहाँ मिलता चाहिए। यदि राजा भी उन में घन के लोग से साझीदार हो जायेगा तो इस से महान् अनर्थ होगा ( ८, २० ) । उस का राष्ट्र एवं कोष सभी कुछ नष्ट हो जायेगा। इस के साथ हो सोमदेव ने उन उपायों का भी उल्लेख किया है जिन के द्वारा उन राज्याधिकारियों से उत्कोच का घन पुनः प्राप्त हो सकता है। इस का सर्वप्रमुख उपाय यही है कि राजकर्मचारियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाये, जिस से कि वे प्रजा से उत्कोच लेने का साहस ही न कर सकें। यदि नियन्त्रण रखने पर भी उन्होंने इस अनुचित रीति से घन संप्रदू कर लिया है तो उस घन को राजा निम्नलिखित उपायों से प्रहरण करे—

१. नित्य परीक्षण—राजा का यह कर्तव्य है कि वह सदैव इन अधिकारियों का निरीक्षण गुपचरों की सहायता से करता रहे। यदि इस दंग से उसे कोई अधिकारी दोषी मिले तो उसे कठोर दण्ड देना चाहिए।

२. कर्मविपर्यय—उन्हें उच्च पदों से पृथक् कर के साधारण पदों पर नियुक्त करना चाहिए जिस से कि वे भयभीत होकर उत्कोच द्वारा संचित घन को प्रकट करने के लिए विद्या हो जायें।

३. प्रतिपत्रदान—अधिकारियों के लिए छत्र, चेंबर आदि घट्टमूल्य वस्तुएँ भेटस्वरूप प्रदान करना चाहिए जिस से कि वे अपने स्वामी से प्रसन्न होकर उत्कोच द्वारा संचित किये हुए धन को राजा की सौंप दें।

इस प्रकार आचार्य सोमदेव ने उपर्युक्त तीन लपाण राज्याधिकारियों से उत्कोच आदि का धन शहण करने के सम्बन्ध में बताये हैं ( १८, ५५ ) ।

अधिकारी सोग दुष्टवण के समान बिना कठोर दण्ड दिये धर में उत्कोच द्वारा संचित किया हुआ धन आसानी से देने को प्रस्तुत नहीं होते ( १८, ५६ ) । उन्हें बार-बार चच्च पदों से साधारण पदों पर नियुक्त करके संयोगीत करना चाहिए। अपनी अवनति से घबड़ाकर वे उत्कोच का धन स्वामी को देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं ( १८, ५७ ) । जिस प्रकार वस्तु को बारम्बार प्रस्तुर पर पटकने से साझ किया जाता है उसी प्रकार अधिकारियों को उन के अपराधी सिद्ध होने पर बारम्बार दण्डित करने से वे उत्कोच का धन राजा को सौंप देते हैं ( १८, ५८ ) । अधिकारीवर्ग में आपसी फूट होने से भी राजाओं की कोष की वृद्धि होती है ( १८, ६४ ) । इस का तात्पर्य यह है कि अधिकारीवर्ग आपसी फूट के कारण एक-दूसरे का अपराध राजा के सम्मुख प्रकट कर देते हैं, जिस के कारण उत्कोच आदि से संचित किया हुआ धन अधिकारीवर्ग से राजा को सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इन समस्त साधनों से राजकोष की वृद्धि को जातो थे। आचार्य सोमदेव ने अधिकारियों को सम्पत्ति को राजाओं का द्वितीय कोष बतलाया है जो कि यथार्थ ही है ( १८, ६५ ) । आपत्तिकाल में राजा अधिकारियों से प्रार्थनापूर्वक धन प्राप्त कर सकता है ऐसा आचार्य का मत है ( २१, १४ ) । इसी कारण अधिकारियों को सम्पत्ति को राजाओं का द्वितीय कोष बतलाया गया है।

### राजस्वविभाग के अधिकारी

तीतिवाक्यामृत में राजस्वविभाग के पांच अधिकारियों का उल्लेख मिलता है ( १८, ५१ ) । इन अधिकारियों के नाम आदायक, निष्पत्तक, प्रतिवन्धक, नीतीप्राहक तथा राजाध्यक्ष हैं।

आदायक का कार्य शुल्क शहण करना तथा व्यापारियों एवं कृषकों से अन्य प्रकार के कर शहण करना था। इस अधिकारी का यह कर्तव्य था कि राजस्व तथा आन्य कर वसूल कर के राजकोष में जमा कर दें। इस प्रकार इस के दो कार्य थे, एक तो कर शहण करना तथा दूसरा, उस संग्रहीत धनराशि को राजकोष में जमा करना। निष्पत्तक आदायक का सहायक कर्मचारी था जो कि राजस्व का समस्त विवरण लिखता था। एक प्रकार से यह आदायक का सम्परीक्षक था। यह संग्रहीत राजस्वकोष का हिसाब देखता था और यह भी देखता था कि जितनी धनराशि राजस्व में प्राप्त हुई है वह राजकोष में जमा हुई है अथवा नहीं। इस प्रकार का निरीक्षण कर के यह उस की

सूचना राजा को देता था। प्रतिभ्रष्टक का कार्य आदायक हारा राजकोष में जमा किये गये राजस्व एवं बन्ध करों के विवरण पत्रों पर राजमुद्रा अंकित करना था। नीबोग्राहक राजकोष का उच्चाधिकारी होता था। यह वर्तमान कोषाधिकारी के समान था। यह राजकीय आय-व्यय का लेखा रखता था। उपर्युक्त चारों अधिकारी राजाध्यक्ष के अधीन थे और इसी की अव्यक्ति में कार्य करते थे।

### आय-व्यय-लेखा

शासन को भूचाल रूप से चलाने के लिए आदिक आय-व्यय का लेखा तैयार करना परम आवश्यक है। यदि राजा को इस बात का ही ज्ञान नहीं कि उस की वास्तिक आय क्या है तथा वर्ष में कितना व्यय होगा तो वह अपने राज्य को अधिक समय तक नहीं चला सकेगा। इस का कारण यह है कि आय से अधिक व्यय होने से राष्ट्र में आदिक संकट उत्पन्न हो जायेगा और इस के परिणामस्वरूप राज्य नष्ट हो जायेगा। आचार्य सोमदेव ने वास्तिक आय-व्यय का लेखा तैयार कराने का भी निर्देश दिया है। उन का कथन है कि राजा नीबोग्राहक ( कोषाध्यक्ष ) से राजकीय आय-व्यय की लेखा-बही को लेकर स्वर्ण उस का निरीक्षण करे तथा उस को विशुद्ध करे ( १८, ५३ )। आचार्य का विचार है कि अर्थदूषण से अनुकूल भी विधा का पात्र बन जाता है ( १६, १८ )। उन्होंने आय से अधिक व्यय को अर्थ का दूषण बतलाया है ( १६, १९ )। उन का यह भी विचार है कि जब आय-व्यय का लेखा रखने वाले अधिकारियों में कोई विवाद उपस्थित हो, राज्य की आय कम हो गयी हो तथा संकटकाल में अधिक व्यय की आवश्यकता हो तो ऐसे अवसर पर राजा का यह कर्तव्य है कि वह सदाखारी एवं कुशल राजनीतिज्ञ शिष्ट पुरुषों का एक आयोग नियुक्त कर के उस गम्भीर विषय पर विचार-विमर्श करे ( १८, ५४ )। यदि वह आयोग उस व्यय के पक्ष में हो और उस से अधिक लाभ को सम्भालना है तो उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य सोमदेव आदिक विषयों में उच्चाधिकारियों से परामर्श करना तथा उस के अनुकूल कार्य करने का निर्देश देते हैं। उन की कृष्टि में समात आय-व्यय वाला कार्य आनन्ददायक है ( १७, ११९ )। उन का कथन है कि नित्य घन के व्यय से सुमेह भी क्षीण हो जाता है ( ८, ५ )। अतः आय के अनुरूप ही व्यय करना चाहिए।

### व्यापारी धर्म पर राजकीय नियन्त्रण

राज्य का अन्तिम लक्ष्य जनता का कल्याण एवं उस की सर्वतोमुखी उन्नति करना है। व्यापारी वर्ग जन-कल्याण के मार्ग में बाधक बन सकता है। अतः उस पर कठोर नियन्त्रण रखने का आचार्य सोमदेव ने राजा को आदेश दिया है। व्यापार एवं वाणिज्य पर राजकीय नियन्त्रण न होने से व्यापारी वर्ग मनमानी करने लगता है।

पदार्थों में विश्वाण, तील में न्यूनता तथा न्यायों में मूल्य में बढ़ि फरवा बनाते वर्ग जी स्वाभाविक मनोवृत्ति होती है। विश्वासनों के नाप-तील में अनियमितता करने तथा मिथ्या व्यवहार के कारण सोमदेव ने उन्हें पश्यतो हर बतलाया है (८, १७)। पश्यतो हर शब्द स्वर्णकार के लिए रुद्र है किन्तु उक्त दूषित प्रवृत्तियों के कारण ही आचार्य सोमदेव ने विश्वासन को भी पश्यतो हर कहा है। व्यापारी-वर्ग को अधिक लाभ लेने से रोकने तथा बस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने की ओर भी उन्होंने संकेत किया है (८, १५)। व्यापारी-वर्ग मूल्य में बढ़ि करने के उद्देश्य से संचित धात्य भण्डारों का विक्रय रोक देते हैं इस से राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत गम्भीर हो जाती है और जनता को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। अतः आर्थिक व्यवस्था को ठोक रखने के लिए राजा का यह कर्तव्य है कि वह व्यापार में नाप-तील की सच्चाई की रक्षा करे। इस के साथ ही राज्य में आर्थिक सुध्यवस्था एवं उस के सम्मान की रक्षा के लिए व्यापारी-वर्ग में सत्य निष्ठा उत्पन्न करे (८, १६)।

जहाँ व्यापारी लेन-देन में झूठ का व्यवहार करते हैं, जहाँ की तुला अविश्व-सनीय है उस देश का व्यापारिक स्तर अन्य देशों की दृष्टि में हीन और अविश्वसनीय हो जाता है (८, १३)। इस के परिणामस्वरूप राज्य के व्यापार को महान् ऋति पहुँचती है। इस कारण व्यापार में सत्यता का पालन परम आवश्यक है। जहाँ पर व्यापारी लोग मनमाना मूल्य बढ़ाकर बस्तुओं को बेचते हैं और कम से कम मूल्य में खरीदते हैं वहाँ की जनता दरिद्र हो जाती है (८, १४)। अतः राजा को वहाँ की ठीक व्यवस्था करनी चाहिए। अतः वस्त्र और स्वर्ण आदि पदार्थों का मूल्य देश, काल और पदार्थों के ज्ञान की अपेक्षा से होना चाहिए (८, १५)। जो राजा यह जानता है कि मेरे राज्य में या अमुक देश में अमुक बस्तु उत्पन्न हुई है अथवा नहीं उसे देश-पेक्षा कहते हैं। इस समय अन्य देश से हमारे देश में अमुक बस्तु का प्रवेश हो सकता है अथवा नहीं इसे कालपेक्षा कहते हैं। राजा का कर्तव्य है कि वह उक्त देश-कालादि को उपेक्षा का ज्ञान कर के समस्त बस्तुओं का मूल्य निर्धारित करे जिस से व्यापारी लोग मूल्य बढ़ाकर प्रजा को निर्धन न बना सकें।

इस के साथ ही राजा को उन व्यापारियों की परीक्षा भी करते रहना चाहिए जो बहुमूल्य बस्तुओं में मिलावट करते हैं, दो प्रकार को तुला रखते हों तथा नापने, तीलने के बौद्धों आदि में कमी-बेशी करते हों (८, १६)। यदि व्यापारी लोग परस्पर की ईछ्या के कारण बस्तुओं का मूल्य बढ़ा देवे तो ऐसी स्थिति में राजा का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह बढ़ाये हुए मूल्य को व्यापारी-वर्ग से छीन ले और उन्हें केवल उचित मूल्य ही दे (८, १८)। यदि किसी व्यापारी ने किसी की बहुमूल्य बस्तु को बोखा देकर अल्प मूल्य में क्रय कर लिया है तो राजा विक्रेता की बहुमूल्य बस्तु पर अपना अधिकार कर ले एवं विक्रेता को उतना मूल्य दे, जितना कि उस ने क्रेता को दिया था (८, १९)। अच-संग्रह करने वालों को आचार्य सोमदेव ने राष्ट्र-कष्टकों की सुची में

रक्षा है और उन पर पूर्ण नियन्त्रण रखने का राजा को आदेश दिया है ( ८, २१ ) । राजा को उन की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए और उत को कठोर दण्ड देना चाहिए, पर्योकि वे लोग अप्सर संग्रह कर के मूल्यों में बढ़ि कर देते हैं जिस से जनता को अमेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है । ये लोग अश्व-संकट के उत्पन्न करने वाले हैं अतः राजा को सदैव इन से सावधान रहना चाहिए । आचार्य सोमदेव का कथन है कि जो राजा ये वस्तुओं की उपेक्षा करता है उसे वे रज्जु नहीं देता है ( ८, २७ ) । इस के अतिरिक्त आचार्य सोमदेव ने दुर्भिक्ष तथा संकट काल का सामना करने के सम्बन्ध में भी राजा को बहुत सुन्दर परामर्श दिया है । आचार्य का कथन है कि राजा की धार्य एवं लबण का संग्रह करना चाहिए, पर्योकि वही दो वस्तुएं संकटकाल में प्रजा और सेना को जीवित रखती हैं ( ८, ६६ तथा ७१ ) । उन का कथन है कि अश्व संग्रह सर्व संग्रहों में उत्तम है ( १८, ६६ ) । इस का कारण यही है कि अश्व के ढारा प्रजा और सेना की जीवन-यात्रा चलती है । इस के महत्व को आचार्य उदाहरणों से भी व्यक्त करते हैं । वे कहते हैं कि मुख में डाला हुआ स्वर्ण भी प्राण को रक्षा नहीं करता, अश्व ही प्राणों का रक्षक है ( १८, ६८ ) । धार्य-संग्रह न करने से होने वाली हानि की ओर भी सकेत किया है । इस सम्बन्ध में आचार्य ने लिखा है कि जो राजा अपने देश में धार्य-संग्रह नहीं करता और अधिक व्यय करता है तो उस के राज्य में सदैव दुर्भिक्ष रहा करता है ( ८, ६ ) । अतः राजा को शरद् और ग्रीष्म ऋतु में दोनों फ़सलों के समय धार्य-संग्रह कर लेना चाहिए । यह धार्य दुर्भिक्ष के समय प्रजा को भी उचित मूल्य पर दिया जा सकता है । इस प्रकार जनता संकटकाल का सामना आसानी से कर लेती है ।

इस प्रकार नीतिवाक्यामृत में राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने, कोष-बढ़ि करने, व्यापार एवं वाणिज्य पर नियन्त्रण रखने एवं वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में बहुत उपयोगी विवार व्यक्त किये गये हैं । सोमदेव ने कृषि, व्यापार एवं पशुधन को राज्य की आर्थिक समृद्धि की आधारशिला बतलाया है । आचार्य के उपर्युक्त आर्थिक सिद्धान्त आधुनिक युग के लिए भी महीयप्रयोगी है ।



## सेना अथवा बल

सेना अथवा बल का प्रयोजन परराष्ट्र एवं शत्रु से अनुकूल व्यवहार करने के लिए होता है। उभी आचार्यों ने बल अथवा दण्ड को सप्तांग राज्य की प्रकृतियों में प्रमुख स्थान प्रदान किया है। दण्ड का तात्पर्य सैन्यबल से है। सैन्यबल पर विचार प्रकट करते हुए आचार्य कौटिल्य ने लिखा मत इस प्रकार अधिक किया है—राजा पर बाह्य एवं आन्तरिक दो प्रकार के कोष आते हैं। अमात्यादि का कोष आन्तरिक कोष कहलाता है तथा बाह्य कोष शत्रु के आक्रमण से उत्पन्न कोष होता है। इन दोनों कोषों में आन्तरिक कोष अधिक कष्टदायक होता है। इन दोनों कोषों से अपनी रक्षा करने के हेतु राजा को दण्ड एवं कोष को अपने अधोन रखना चाहिए।<sup>१</sup> इस वर्णन से स्पष्ट है कि सेना अथवा बल की आवश्यकता देश में व्यवस्था बनाये रखने एवं उस को बाह्य शत्रुओं के आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए बहुत अधिक है। आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि जिस प्रकार जड़ सहित वृक्ष शाखा, पुष्प और फलादि से वृद्धि की प्राप्त होता है उसी प्रकार राज्य भी सदाचार तथा पराक्रम से वृद्धिगत होता है (५, २७)। बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना राज्य का पालन कर्तव्य माना गया है। सोमदेव लिखते हैं कि जो मनुष्य (राजा) शत्रुओं में पराक्रम नहीं करता—उन का निश्चय नहीं करता—इह जीवित ही मृतक के समान है (६, ४१)। राजा शत्रुओं का दमन तभी कर सकता है जब उस के पास एक शक्तिशाली एवं सुरक्षित सेना हो।

सैनिक संगठन का उद्देश्य प्रजा का दमन करना नहीं है, अपितु देश-रक्षा तथा राष्ट्र-कष्टकों का विनाश करना है। इस सम्बन्ध में सोमदेव लिखते हैं कि राजा की सैनिक-शक्ति का संगठन प्रजा में अपराधों का अन्वेषण करने के अनिश्चय से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रजा उस से असन्तुष्ट होकर शत्रुता करने लगती है और इस के परिणामस्वरूप उस का राज्य नष्ट हो जाता है (९, ४)।

बल की व्याख्या नीतिवाक्यामूल में इस प्रकार की गयी है—जो शत्रुओं का निवारण कर के घन, दान व मधुर भाषणों द्वारा अपने स्वामी के समस्त प्रयोजन सिद्ध कर के उस का कल्याण करता है उसे बल कहते हैं (२२, १)। समस्त आचार्यों ने बल के चार अंग माने हैं और उसे चतुर्मुख बल के नाम से सम्बोधित किया है। हाथी,

१. छौं अर्थ ५, ३।

चोड़े, रथ और पैदल ये बल के चार भंग बताये गये हैं। चतुरंगबल में हस्तिसेना की प्रमुखता भी गयी है (२२, २)। इन विषय में आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि राजाओं की विजय के प्रधान कारण हाथी ही होते हैं, क्योंकि युद्ध-भूमि में वे शत्रुघ्नत सहस्रों प्रहारों से लाभित किये जाने पर भी व्यक्ति न होकर अकेला ही सहस्रों सैनिकों से युद्ध करता रहता है (२८, ३)।

**हाथियों के गुण**—किस प्रकार के हाथी युद्धोपयोगी होते हैं इस विषय में भी नीतिवाचनामृत में व्यक्ति उत्तर हाला दया है। हाथी जाति, कुल, वर एवं प्रचार के कारण ही प्रधान नहीं माने जाते अपितु वे चार गुणों से प्रमुख माने गये हैं—(१) उन का शरीर हृष्ट-पृष्ठ व शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि यदि वे बलिष्ठ नहीं हैं और उन में अन्य मन्द व मूग आदि जाति, ऐरावत आदि कुल, प्राप्त्य आदि वन, पर्वत व नदी आदि प्रचार के पाये जाने पर भी वे युद्ध-भूमि में विजयी नहीं हो सकते, (२) शौर्य—पराक्रम हाथियों का विशिष्ट गुण है क्योंकि इस के अभाव में बालसी हाथी अपने ऊपर आरुण महावत के साथ-साथ युद्ध-भूमि में शत्रुओं द्वारा मार डाले जाते हैं, (३) उन में युद्धोपयोगी शिक्षा का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि प्रशिक्षित हाथी युद्ध में विजयी होते हैं इस के विपरीत अशिक्षित हाथी अपने साथ-साथ भहावत को भी नष्ट कर देता है और बिगड़ जाने पर उलटकर अपने स्वामी की सेना को भी कुचल डालता है, (४) हाथियों में युद्धोपयोगी कर्तव्यशोलता आदि (कठिन स्थानों में गमन करना, शत्रु-सेवा का उन्मूलन करना आदि) का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इस के अभाव में वे विजय प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं (२२, ४)।

**अशिक्षित हाथी**—युद्धोपयोगी शिक्षा शून्य हाथी केवल अपने स्वामी का धन व महावत आदि के प्राण नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उन के द्वारा विजय-लाभ रूप प्रयोजन सिद्ध नहीं होते। इस उ वे निरर्थक धास व अम आदि भक्षण द्वारा अपने स्वामी की आर्थिक स्थिति कर के अपने ऊपर आरुण महावत को भी नष्ट कर देते हैं एवं बिगड़ जाने पर उलटकर अपने स्वामी को सेवा को भी रोद डालते हैं (२२, ५)।

**हाथियों के कार्य**—आचार्य सीमदेवसूरि ने हाथियों के कार्यों पर भी प्रकाश डाला है। वे लिखते हैं कि हाथियों के निम्नलिखित कार्य हैं—(१) कठिन मार्ग को सरलतापूर्वक पार कर जाना, (२) शत्रुघ्नत प्रहारों से अपनी तथा महावत की रक्षा करना, (३) शत्रुनगर का कोट व प्रवेश द्वारा भंग कर उस में प्रविष्ट होकर उसे नष्ट-प्रहृष्ट करना, (४) शत्रु के सैन्य-समूह को कुचल कर नष्ट करना, (५) नदी के जल में एक साथ कलारवद्ध खड़े होकर पुल बैधना तथा (६) केवल बन्धवालाभ के अतिरिक्त अपने स्वामों के लिए सभी प्रकार के आनन्द उत्पन्न करना आदि (२२, ६)। आचार्य कौटिल्य ने भी हाथियों के कार्यों को महत्व प्रदान किया है और हस्तिसेना को

राजा की विजय का कारण बतलाया है।<sup>१</sup> अपशास्त्र में हस्तिपालन, हाथियों के भेद तथा उन के कार्य, हस्तिविभाग के कर्मचारियों एवं उन के कार्यों पर पूर्ण प्रकाश आला गया है। इस विभाग के अधिकारी को कोटिल्य ने हस्तयध्यक्ष कहा है।<sup>२</sup> हस्तियुद्ध का वर्णन करते हुए कोटिल्य लिखते हैं कि हाथियों का कार्य सेना के आगे चलना, पहले से न बने हुए वास्तुरथान, मार्ग, नदी आदि के घाट बनाना, अपनी सेना के पास खड़े होकर शत्रु सेना को हटाना, नदी की गहराई जानने के लिए उस में प्रवेश करना, शत्रुसेना का आक्रमण होने पर पंक्तिबद्ध खड़े हो जाना और प्रस्तान करना, मैंचे स्थान से नीचे उतरना, घने जंगल और शत्रुसेना पर पिल पड़ना, शत्रु के पड़ाव में आग लगाना और अपने पड़ाव में लगी हुई आग को बुझाना, रण जीतना, बिजली सेना को एकत्रित करना, शत्रु की एकमात्र सेना को तितरन्त्रितर करना, संकट में रक्षा करना, शत्रु-सेना को भयभीत करना और कुचल डालना, मद आदि की अवस्था द्वारा शत्रु के हाथियों को विचलित करना, अपनी सेना का महत्त्व प्रकट करना, शत्रु के सैनिकों को पकड़ना और शत्रु द्वारा बन्दी बनाये गये अपने सैनिकों की मुक्त करना, शत्रु के पर-कोटे, सिहद्वार और अद्वालिकों को गिराना तथा शत्रु के कोष, बाहन आदि को भगा ले जाना, युद्ध में प्रकोण करना, सब चालों के एक साथ प्रयोग को छोड़ सेना के बिखरे हुए चारों ओरों का हृतन करना, पक्ष, कक्षा तथा उत्तरस्य में खड़ी सेना का मर्दन करना, कहीं से शत्रु पक्ष को निर्बल देख उस पर प्रहार करना और साते हुए शत्रु को मार डालना आदि हाथियों के प्रमुख कार्य अथवा हस्तियुद्ध हैं।

हाथियों के इतने उपयोगी कार्यों के कारण ही प्राचीन राजनीतिज्ञों ने हस्त-सेना को प्रधानता दी है। उस की प्रधानता उस के कार्यों के कारण ही है। यह सेना का प्रधान अंग गाढ़ा जाता था और अन्य तीन अंग इस के सामने गौण स्थान रखते थे।

हस्तसेना के पहचात् द्वितीय स्थान अश्वसेना का था। अश्वों की उपयोगिता भी युद्ध में हाथियों से किसी प्रकार कम नहीं थी। अश्वसेना के सम्बन्ध में सोमदेव ने लिखा है कि अश्वसेना चतुरंग सेना का चलता-फिरता भेद है, वर्योकि अश्व अत्यन्त चपलता एवं बेग से गमन करने वाले होते हैं ( २२, ७ )। अश्वसेना की प्रशंसा करते हुए वे लिखते हैं कि जिस राजा के पास अश्वसेना की प्रधानता है उस पर युद्धरूपी गेंद से क्रीड़ा करने वाली लक्ष्मी विजयश्री प्रसन्न होती है, जिस के फलस्वरूप उसे प्रचुर सम्पत्ति मिलती है। दूरकर्ती शत्रु लोग भी निकटवर्ती हो जाते हैं। इस के द्वारा विजिगीषु आपत्तिकाल में अभिलेखित पक्षार्थ प्राप्त करता है। शत्रुओं के सामने जाना और अवसर पाकर वहाँ से भाग जाना, छल से उन पर आक्रमण करना व शत्रुसेना को छिप-

१. की० अर्ध० ३, २।

२. वही। ३, ३।

हस्तयध्यसे हस्तावनसौ दम्यकर्मक्षान्ताना हस्तहस्तनीजलभृता……।

३. वही।

भिन्न कर देना ये कार्य अश्वसेना द्वारा ही सिद्ध होते हैं, रथादि से नहीं ( २२, ८ ) । आचार्य शुक्र ने भी अश्वसेना की मुक्तकण से प्रशंसा की है । उन का कथन है कि राजा लोग अश्वसेना द्वारा देखने वालों के समक्ष शत्रुओं पर आक्रमण करने, प्रस्थान कर दूरवर्ती शत्रुओं को मार डालते हैं ।<sup>१</sup>

नीतिवाक्यामृत में अश्वों की जातियों पर भी प्रकाश डाला गया है तथा जात्य जाति के अश्व को प्रधानता दी गयी है । इस की प्रशंसा करते हुए सोमदेव लिखते हैं कि जो विजिगीषु जात्य अश्व पर आरुङ् होकर शत्रु पर आक्रमण करता है तो उस की विजय निश्चित होती है तथा शत्रु विजिगीषु पर प्रहार नहीं कर सकता ( २२, ९ ) ।

**अश्वों की जातियाँ—**आचार्य कौटिल्य जात्य अश्व के ९ भेद अथवा उत्पत्ति स्थान बताये हैं जो इस प्रकार हैं—( १ ) ताजिका, ( २ ) स्वस्यलाण, ( ३ ) उक्त-रोखण, ( ४ ) गाजिगाणा, ( ५ ) कंकाण, ( ६ ) पुष्टाहारा, ( ७ ) गाह्वारा, ( ८ ) सादुयारा, ( ९ ) सिन्धुपारा । आचार्य कौटिल्य ने भी उत्तम, मध्यम एवं साधारण प्रकार के अश्वों का वर्णन किया है ।<sup>२</sup>

जिस कार्य को हस्तिसेना एवं रथसेना नहीं कर सकती थी उसे अश्वसेना करने में समर्थ थी । जब आधुनिक युग के आवागमन के साधनों का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस प्राचीनकाल में एवं मध्यकाल में अश्व अपनी द्रुतगति एवं भारवहन की समर्ता के कारण आवागमन का एक प्रमुख साधन माना जाता था । मौर्यकाल तक अश्वों की महान् उपर्योगिता मानी गयी । अश्व की फोड़ एवं बैठकर उन्नुधः एवं इन से दूसरे स्थान पर शोधता एवं सुविधा से पहुँच सकता था । अश्व को गाड़ियों ओर रथादि वाहनों में भी प्रयुक्त किया जाता था । युद्ध में उस का विशेष उपयोग किया जाता था । चतुरंगिणी सेना का एक प्रमुख अंग अश्वारोही सेना होती थी और इस को सहायता से राजागण शत्रु से अपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ होते थे एवं अन्य राज्यों पर विजयशी प्राप्त करते थे । अश्व की इतनी महान् उपर्योगिता के कारण ही अश्वपालन विभाग की स्थापना मौर्य सम्राटों ने की थी । कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रकट होता है कि अश्वपालन को विशेष महत्व दिया जाता था तथा अश्वों की खाद्य-सामग्री एवं उन की चिकित्सा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था । कौटिल्य ने अश्वपालन विभाग के प्रमुख अधिकारी को अश्वाध्यक्ष के नाम से सम्बोधित किया है ।<sup>३</sup>

इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्ध में हाथियों की अपेक्षा अश्वसेना ने महान् कार्य सम्पन्न किये हैं तथा राजपूतों की मुसलमानों के विरुद्ध पराजय के कारणों

१. शुक्र० नीतिवा० पृ० २१० ।

प्रेक्षतामपि शत्रूणां यतो यदन्ति तुर्गमैः ।

शुपाला येन गिर्वन्ति शत्रुं द्वैरेऽपि संस्थितद् ॥

२. कौ० अर्थ० ३, ३० ।

३. नहीं, २, ३० ।

अश्वाध्यक्षः पर्यागारिक्ष……।

में उत की हस्तिसेना भी एक प्रभुत्व कारण था । मुख्यलमान अपनो अद्वितीय सेना के कारण ही विजयी हुए और इस देश के स्वामी बन गये । जयपाल के पुत्र आनन्दपाल ने सिन्धुनदी के तट पर महमूद गज्जनको की सेना से भोचा लिया था । राजपूतों की विजय होने ही लाली थी कि आनन्दपाल के हाथी के सहसा आगने से राजपूत सेना व्याकुल हो गयी और इस के परिणामस्वरूप महमूद विजयी हआ । पुरुष की पराजय भी उस के हाथी के अवगड़ जाने के कारण हो द्युई ।

**रथसेना**—यह चतुरंगिणी सेना का तृतीय उपयोगी अंग था । रथ समतल भूमि में ही अधिक उपयोगी थे, जिन में धनुषरी योद्धा आरुद्ध होकर शत्रु को पराजित करने में समर्थ होते थे । रथसेना में सारथों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि सारथों की कुशलता पर ही युद्ध में बहुत कुछ अंश में विजय आश्रित थो । महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ का संचालन भगवान् कृष्ण कर रहे थे । इसी कारण इस युद्ध में अर्जुन की विजय प्राप्त हुई । रथ-सेन्य के महत्व का वर्णन करते हुए सोमदेव लिखते हैं कि जब धनुविद्या में प्रवीण धनुषरी योद्धा रथारुद्ध होकर समतल युद्ध-भूमि में शत्रुओं पर प्रहार करते हैं तब विजिगीषु राजाओं को कोई भी वस्तु असाध्य नहीं होती ( २२, ११ ) । सारांश यह है कि समतल भूमि एवं प्रवीण योद्धाओं के कारण ही रथारुद्ध योद्धाओं के हाथ युद्ध में विजिगीषु को विजय प्राप्त होती है । इस के विपरीत करड़-खाबड़ भूमि अकुशल योद्धाओं के कारण रथ-संचालन व युद्धादि मली-भाँति न होने से युद्ध में निश्चित ही पराजय होती है ।

आचार्य सोमदेव का कथन है कि युद्ध में सर्वप्रथम सारभूत सेना को हो आगे रहना चाहिए । इसी से विजय सम्भव होती है । वे लिखते हैं कि विजिगीषु के रथों द्वारा नष्ट-भ्रष्ट हुई शत्रु सेना आसानी से जीती जाती है, परन्तु उसे मौक ( वंश परम्परा से चली आती हुई प्रामाणिक विश्वासपात्र एवं युद्ध-विद्या विशारद पैदल सेना ), अधिकारी सेना, सामान्य सेवक श्रेणी सेना, मिश्र सेना, आठविंक सेना इस लह प्रकार की सेनाओं में से सर्वप्रथम सारभूत सेना को युद्ध में सुरक्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि फलगुर्सीन्य ( दुर्बल, अविद्वसनीय एवं युद्ध-विद्या में अकुशल सारहीन सेना ) द्वारा पराजय निश्चित होती है ( २२, १२ ) ।

आचार्य कौटिल्य का कथन है कि वंश परम्परा से चली आने वाली नित्य वश में रहने वाली, प्रामाणिक व विश्वासपात्र पैदल सेना को सारबल कहते हैं और गुण-निष्पत्त हाथियों व घोड़ों की सेना भी सारभूत संम्म है अर्थात् कुल, जाति, घोला, कांय करने योग्य आयु, शारीरिक शर्कर, आवश्यक ऊँचाई, चौड़ाई आदि, वेग, पराक्रम, युद्धोपयोगी शिक्षा, स्थिरता, सक्ष क्षमता, मूँह उठाकर रहना, सवार की आज्ञा में रहना व अन्य शुभ लक्षण और शुभ चेष्टा इत्यादि गुण युक्त हाथी व घोड़ों का रौन्य भी सारबल है । अब विजिगीषु दक्ष सारभूत संम्म द्वारा शत्रुओं को सुख पूर्वक परास्त कर सेना अथवा बल

सकता है।<sup>१</sup>

नारद ने भी सारभूत सेना को युद्ध में विजय प्राप्त करने का कारण बताया है।<sup>२</sup> उक्त छह प्रकार की सेना के अतिरिक्त सातवीं प्रकार की सेवा भी होती थी जिसे उत्साही सेना कहते थे। जब विजिगीषु शत्रु को जीतने के लिए उस पर चतुरग सेना द्वारा प्रबल आक्रमण करता है तब वह राष्ट्र की उड़ाउट करने तथा धन लूटने के लिए इस की सेवा में मिल जाती है। इस में आदि तेज युक्त शस्त्र-विद्या प्रबोध व इस में अनुराग युक्त अश्रिय और पुरुष सैनिक होते थे (२२, १३)।

### सेनाध्यक्ष

नीतिवाक्यामृत में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि राजा को किस व्यक्ति को सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए। प्राचीन युग में वही व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किया जाता था जो विशिष्ट सैन्य गुणों से विभूषित होता था। यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण था। अतः इस पद के लिए प्रत्येक व्यक्ति उपर्युक्त नहीं समझा जाता था अपितु विशिष्ट गुण वाला पुरुष ही सेनाध्यक्ष बनाया जाता था, क्योंकि उसी पर राज्य की विजय और पराजय निर्भर होती थी। आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि राजा उसी व्यक्ति को सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करे जिस में निम्नलिखित गुण हों।

कुलीन, आचार-व्यवहार सम्पन्न, राजविद्या प्रबोध (विद्वान्), स्वामी व सेवकों से अनुरक्त, पवित्र हृदय वाला, वहु परिवारयुक्त, समस्त नीतिक उपाय (साम, दामादि) के प्रयोग में निपुण, अप्ति व जल स्वस्थन प्रभृति में कुशल, जिस में समस्त हाथी, घोड़े वादि वाहन खङ्गादि शस्त्र-संचालन, युद्ध और मित्र देशवर्ती साधाओं का जान प्राप्त किया हो, आत्मज्ञानी, समस्त सेना व आसत्य प्रभृति प्रधान राजसेवकों का प्रेमपात्र, जिस का शरीर योद्धाओं से तोश लेने की शक्ति सम्पन्न और मतोज (युद्ध करने में उत्साही) हो, स्वामी की आज्ञा पालने में रत रहने वाला, युद्ध में विजय प्राप्ति व राष्ट्र के लिए चिन्तन में विकल्प रहित, जिसे स्वामी ने अपने सुमान समझ कर सम्मानित व उन देकर प्रतिष्ठित किया हो, छत्र-चामरादि राज्य विहीन से युक्त और समस्त प्रकार के कष्ट व दुःखों को सहन करने में समर्थ (१२, १)। उक्त गुणों से विभूषित और पुरुष को सेनाध्यक्ष के पद पर आसीन करने से ही विजिगीषु की विजयलक्ष्मी प्राप्त होती है। यदि इन गुणों से शून्य व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया जायेगा तो राजा की अवश्य ही पराजय होगी।

नीतिवाक्यामृत में सेनाध्यक्ष के दोषों पर भी प्रकाश डाला गया है। सोमदेव के अनुसार सेनाध्यक्ष के दोष इस प्रकार हैं—“जिस की प्रकृति आत्मीयजनों तथा

१. छौ० अर्ध० १०, ६।

२. नारद० नीतिवा० ष० २११।

अन्य वान्युओं से पराजित हो सके, सेजशून्य, अजितेन्द्रिय, अभिमानी, व्यसमासक, मर्यादा से अधिक घन व्यय करने वाला, चिरकाल पर्वत परदेशवासी, दरिद्र, संन्यापराजि, सब के साथ वैर-विरोध करने वाला, अनुचित बात को जानने वाला, अपनी आद को अकेला छोड़ने वाला, स्वच्छन्द प्रकृति वाला, स्वामी के कार्य व आपत्तियों का उपेक्षक, युद्ध सहाय थोड़ाओं का कार्य विधातक और राजहित चिन्ताओं से इधरालू (१२, २) (" इन दोषों से युक्त पुरुष को राजा सेनाध्यक्ष के पद पर कदाचि नियुक्त न करे । ऐसा करने से राज्य की महान् अति होती है ।

### औत्साहिक सैन्य के प्रति राजा का कर्तव्य

सेना तथा अन्य राजकर्मचारियों के प्रति राजा का व्यवहार अच्छा होना चाहिए अन्यथा वे व्यक्ति उस का हृदय से साथ नहीं देते । राजा अपने मौलसैन्य का अपमान न कर के उसे धन-मानादि द्वारा अनुरक्त कर के प्रसन्न रखे । उस के साथ ही उत्साही सैन्य शत्रु पर आक्रमणार्थ अपनी ओर प्रविष्ट हुई अन्य राजकीय सेना को भी घन व मान देकर प्रसन्न रखे (२२, १४) ।

मौल सेना की महत्ता के कारण ही उस के साथ राजा के लिए बेच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया गया है । आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि विजिगीषु का मौल सैन्य आपत्ति काल में भी उस का साथ देता है और दण्डित किये जाने पर भी द्वैह नहीं करता एवं वान्युओं द्वारा अपने पक्ष में नहीं मिलाया जा सकता । अतः विजिगीषु उसे धन-मानादि देकर सदा सन्तुष्ट रखे (२२, १५) ।

सैनिक लोग घन की अपेक्षा सम्मान को अधिक श्रेष्ठ समझते हैं । यदि राजा अपनी सेना का मान करता है तथा उस के श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा करता है तो वह उत्साह के साथ देश की रक्षा करने को तत्पर रहती है । यह सम्मान उन में राजभक्ति तथा देशभक्ति की भावना को जन्म देता है । सोमदेव का कथन है कि जिस प्रकार राजा द्वारा दिया गया सम्मान सैनिकों की युद्ध के लिए प्रेरित करता है उस प्रकार दिया गया घन प्रेरित नहीं करता (२२, १६) । अर्थात् सैनिकों के लिए घन देने की अपेक्षा सम्मान देना कहीं अधिक श्रेष्ठकर है ।

### सेना के राजा के विरुद्ध होने के कारण

सेना ही राजा का बल है और उसों को सहायता से वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ होता है । उस के लिए सेना की अनुकूलता बहुत आवश्यक है । कभी-कभी राजा की असावधानी तथा उस की भूलों के कारण सेना राजा के विरुद्ध भी हो जाती है । ऐसी स्थिति में राजा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है । अतः बुद्धिमान् राजा कभी ऐसी स्थिति को आने नहीं दे । सोमदेव ने इस बात पर भी प्रकाश ढाला है कि किन कारणों से सेना राजा के विरुद्ध हो जाती है । इस में वे

लिखते हैं कि स्वर्य अपनी सेना का निरीक्षण न करना, उन के देने योग्य वेतन में से कुछ भाग हड्डप लेना, आजीविका के योग्य वेतन को यथा समय न देकर बिलम्ब से देना, उन्हें विपत्ति ग्रस्त देखकर मी सहायता न देना और विशेष अवसरों (पुत्रोत्पत्ति, विवाह च त्यौहार आदि खुशी के अवसरों) पर उन्हें वनादि से सम्मानित न करना आदि सेना के राजा के विरुद्ध होने के कारण है (२२, १७)। राजा को समस्त प्रथलों से अपनी सेना को सन्तुष्ट रखना चाहिए। जो राजा आलस्य वश स्वर्य अपनी सेना की देख-रेख न कर के इस कार्य को अन्य व्यक्तियों से करता है वह निःसन्देह घन और सैन्य से रहित हो जाता है (२२, १८)।

नीतिक व्यक्ति को कौन-कौन से कार्य स्वर्य करने चाहिए इस बात पर भी सीमदेव ने प्रकाश ढाला है। वे लिखते हैं कि नीतिक व्यक्ति को निश्चय पूर्वक सेवकों का पालन-पोषण, स्वामी की सेवा, धार्मिक कार्यों का अनुस्थान और पुत्रोत्पत्ति ये चार कार्य अन्य पुरुष से न करा कर स्वर्य ही करने चाहिए (२२, १९)।

### सेवकों का वेतन तथा उन के कर्तव्य

स्वामी को अपने आधित सेवकों को इतना घन अवश्य देना चाहिए जिस से वे सन्तुष्ट रह सकें (२२, २०)। यदि राजा सेवकों को आधिक कष्ट पहुँचाता है तो निश्चय रूप से उस की हानि होती है। राजा के इस कर्तव्य के साथ ही आचार्य ने सेवकों के कर्तव्य की ओर भी संकेत किया है। वे लिखते हैं कि यदि उन को अपने स्वामी से पर्याप्त घन प्राप्त न मी हो तो भी उन्हें स्वामी से कभी दोहर नहीं करना चाहिए (२२, २१)।

### कृपण राजा की हानि

जो राजा कृपण होता है तथा उचित-अनुचित का विचार नहीं करता उस को हमेशा कष्ट मोगना पड़ता है। जो स्वामी आवश्यकता पड़ने पर अपने सेवकों को सहायता नहीं करता तथा जो सेवकों के गुण-दोषों को भली-भांति परह नहीं करता और सब के साथ एक सा ही अवहार करता है, ऐसे कृपण एवं विवेकहीन राजा के लिए कोई भी सैनिक अथवा सेवक युद्धभूमि में अपने प्राणों की बलि देने को तैयार नहीं हो सकता (२२, २४-२५)। अब: राजा को संकट काल में उदारतापूर्वक अपने सेवकों की सहायता घनादि देकर करनी चाहिए। इस के साथ ही अपने सेवकों के गुण-दोषों को भी बुद्धिमत्तापूर्वक परखना चाहिए। जो गुणी है तथा राजा के शुभचिन्तक है उनको सम्मान प्रदान कर के उत्साहित करता चाहिए तथा जो दोषी है और उस के शुभ-चिन्तक नहीं है, उन्हें दण्डित करना चाहिए। ऐसा करने से स्वामिभक्त सेवकों का निमण होगा जो कि संकट काल में अपना सर्वस्व अर्पण कर के भी राजा की रक्षा में दत्तमर रहेंगे।



## राष्ट्र

प्राचीन राजधानी प्रणेताओं ने राज्यांगों में राष्ट्र को भी एक महत्वपूर्ण वर्ग माना है। लुक्कनीलिसार में राज्यांगों की तुलसा मानव शरीर के अवयवों से करते हुए राष्ट्र को उपमा पैरों से दी है।<sup>१</sup> इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मानव शरीर पैरों पर ही आश्रित रहता है उसी प्रकार राज्यरूपी शरीर की आधारजिला राष्ट्र ही है। वैदिक साहित्य में राष्ट्र शब्द का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है और उस का प्रयोग राज्य के अर्थ में किया गया है। ऋग्वेद में इस शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। उस में एक स्थान पर ऐसा वर्णन आता है कि राजा ही राष्ट्रों का विकास करने के हेतु राष्ट्रों को रूप देने वाला कहा जाता है। अतः उस के पास श्रेष्ठ धारतेज होना आवश्यक है। इस के अभाव में वह सम्पर्ण राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ होगा।<sup>२</sup> राज्याभिषेक के समय भी उस को यह स्मरण कराया जाता था कि राजन्, तुम्हें राष्ट्रपति बनाया गया है। अब तुम इस देश के प्रभु हो। अटल, अविचल और स्थिर रहो। प्रजा तुम्हें स्नेह करे। तुम्हारा राष्ट्र नष्ट न होने पावे।<sup>३</sup> वायों की यही कामना थी कि यस्तु राष्ट्र को अविचल करें, बृहस्पति राष्ट्र को स्थिर करें, इन्द्र राष्ट्र को सुदृढ़ करें और अग्निदेव राष्ट्र को निश्चल रूप से धारण करें।<sup>४</sup> आर्य यह भी अभिलाषा करते थे कि हमारे राष्ट्र में आश्रय और, घनुर्धर, लक्ष्यवेदी और महारथी हों।

इस प्रकार राष्ट्र के प्रति वायों की महान् अहा एवं ममत्व था। वे राष्ट्र रक्षा को राजा का सर्वप्रमुख कर्तव्य समझते थे। उन में राष्ट्र प्रेम की उत्कृष्ट भावना थी। पाचवात्त्वं विद्वानों की यह धारणा कि प्राचीन भारत में राष्ट्रीयता की भावना का

१. लुक्कनीलिसार १०, ६२।

द्विष्यारथ्या सुहृद्वोत्रं सुखं कोशो अलं मतः।

हृत्ती पादो हुर्गं राष्ट्री राज्यारात्ति रमृतानि हि।

२. ऋग्वेद ७, ३५, ११।

राजा राष्ट्रानी तेऽग्नो न दीनामगुच्छस्मै क्षत्रं विश्वामः।

३. वर्णो।

४. ऋग्वेद १०, १७३, ५।

भूत्वा ते राजा वरुणो भूत्वं वेत्रो बृहस्पतिः।

भूत्वं ते इन्द्रश्चार्गिनभ राष्ट्रं धारयत्ता धूतम्॥

सर्वथा अभाव था, अत्यन्त सम्पूर्ण है। वेदिक साहित्य के अध्ययन से यह बात स्पष्ट है कि भारतीयों में प्राचीन काल से ही राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान थी। वेदिक ग्रन्थों में 'राष्ट्र' शब्द के अनेक बार उल्लेख से आयों के राष्ट्र प्रेम में कोई सन्देह नहीं रह जाता। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की संहिताओं के अधलोकन से यह स्पष्ट है कि भारतीयों में राष्ट्रीयता का भाव पूर्णरूपेण निहित था। यजुर्वेद में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है—अपने राष्ट्र में नेता बनकर हम जागरणशील रहें।<sup>१</sup> अथर्ववेद के मन्त्रों में भी राष्ट्रीयता की भावना प्रतिलिपित होती है। उस में इस प्रकार का वर्णन मिलता है—“मैं अपना मातृभूमि के लिए और उस के कुरुक्ष विनीति<sup>२</sup> के लिए सब प्रकार के कष्ट सहन करने को प्रस्तुत हूँ। वे कष्ट जिस ओर से आयें, वाहे जिस समय आयें, मुझे चिन्ता नहीं।”<sup>३</sup> दूसरे मन्त्र में इस प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता है—“अपनी मातृभूमि के सम्बन्ध में जो चाहता हूँ, वह उस की सहायता के लिए है। मैं ज्योतिष्पूर्ण, वर्चरवशाली और बुद्धिमान् होकर मातृभूमि का दोहन करने वाले शत्रुओं का विनाश करता हूँ।”<sup>४</sup> अथर्ववेद की ही एक सूक्ति का भाव इस प्रकार है—“मेरी माता भूमि है और मैं उस का पुत्र हूँ।”<sup>५</sup>

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारत में प्राचीन काल से ही राष्ट्रीयता की प्रबल भावना विद्यमान थी। पाश्चात्य विद्वान् तथा उन का अनुकरण करने वाले भारतीय विद्वानों के इस कथन में कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना कभी रही ही नहीं, आधिक सत्यता भी नहीं है। भारतीय देश को रक्षा के लिए अपनी बलि चढ़ाने के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहते थे तथा मातृभूमि की रक्षा करना अपना पुनीत कर्तव्य समझते थे। वेदिक साहित्य में वर्णित देशसेवा के पावन विचार क्या विश्व के अन्य किसी देश के साहित्य में उपलब्ध हो सकते हैं? “पुर्वी मेरी माता है और मैं उस का पुत्र हूँ”, देशप्रेम तथा मातृभूमि के लिए बलिदान का इहनो अनन्य भक्ति एवं कर्तव्य भावना अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होती। यही देशप्रेम की उत्कट भावना राष्ट्रीयता की जननी है। इसी पुनीत भावना से किसी देश के नागरिकों में सच्ची राष्ट्रीयता का ग्राहुभाव होता है। हमारे देश में राष्ट्रीयता के समस्त तत्व परिलक्षित होते हैं। किन्तु यह बात निश्चित है कि भारत में राष्ट्रीयता का स्वरूप अन्य देशों से भिन्न रहा है।

१. ऋचेद ६, २३।

वये राष्ट्रे जागृगाम पूरोहितः।

२. अथर्ववेद १२, १, ५४।

अहमस्मि सहमान उत्तरी नाम भूम्याम्।

अमोघास्मि चिरत्राषाडाशामाशि विद्यमहि॥

३. अथर्ववेद १२, ८, ५८।

राष्ट्र वदागि मधुमधु तद वदामि यदोक्ते तद तनन्ति मा।

तिव्यीनाभाद्विम दूतिमनवान्याव हन्म दोहतः॥

४. अथर्ववेद १२, १, १२।

माता भूत्विः पुत्रो अहं पुरिव्याः।

इस का मूल कारण यह है कि भारतीयों ने समस्त भूमंडल को एक कुटुम्ब के रूप में माना है। हमारी संस्कृति में देव प्रधान अभिमान या अन्ध राष्ट्रीयता की प्रधानता नहीं रही है। इस का कारण यह है कि इस भावना के कारण अन्य आदर्शों को दबाना पड़ता है। इतना हो नहीं, उस से अनेक जातियों के इष्टिहास, दुराप्रह और दुराचरण राज्य को नष्ट कर देते हैं। अतः मारत को राष्ट्रीयता संकुचित अथवा अन्ध राष्ट्रीयता न होकर मानवतावादी राष्ट्रीयता है। वैदिक वृग्वि जनता के सच्चे कल्याण का ही ध्येय अपने सम्मुख रखते थे। अथर्ववेद में लिखा है कि समस्त जनता का कल्याण करने की इच्छा रखने वाले आत्मज्ञानी ऋषियों ने प्रारम्भ में दीक्षा लेकर तुप किया। इस से राष्ट्र, बल और ओज का निर्माण हुआ। अतः सब चिह्न इस राष्ट्र की भक्ति करें।<sup>१</sup>

ऋग्वियों की तपस्या से राष्ट्रभाव को उत्पत्ति हुई है, राष्ट्र भावना से राष्ट्रीय-बल बढ़ता है और बृहत् दक्षित प्राप्त होती है। राष्ट्रीयता, बल, ओज इन तीनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिन का राष्ट्र है, उन में बल और ओज होंगे, जो शतांशिष्यों परतन्त्र रहे होंगे उन में राष्ट्रीय भावना नहीं होगी, सांधिक बल भी नहीं होगा और ओज भी नहीं रहेगा।

राष्ट्र राज्य का मूलाधार है, क्योंकि राज्योंमें सर्वप्रथम राष्ट्र की ही उत्पत्ति हुई। इस के पश्चात् बल और किर ओज की सृष्टि हुई।<sup>२</sup> वैदिक साहित्य से ले कर सूति, रामायण, महाभारत, पुराण एवं नीतिशास्त्रों में राष्ट्र के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मनु का कथन है कि जिस प्रकार प्राणघारियों के आहार को बद्द कर देने से शरीर शोपण के कारण प्राण क्षीण होत है, उसी प्रकार राजाओं के भी राष्ट्र पीड़न से प्राण नष्ट हो जाते हैं।<sup>३</sup> अतः अपने शरीर के समान राजा को राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। कामन्दक का कथन है कि राज्य के सम्पूर्ण अंगों की उत्पत्ति राष्ट्र से ही हुई है। इस लिए राजा सभी प्रथलों से राष्ट्र का उत्थान करे।<sup>४</sup> अग्निपुराण में भी इस प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता है कि राज्योंमें राष्ट्र का सर्वाधिक महत्व है।<sup>५</sup>

जिस प्रकार राष्ट्र राज्य का मूलाधार है उसी प्रकार जनता राष्ट्र की आधार-शिला है। यदि यह कहें कि जनता ही राष्ट्र है तो इस में कोई अनौचित्य नहीं।

१. अथर्ववेद १६, ४१, १।

शद्ग्रीविव्यन्त वहयः स्वविव्यतापं दीप्तादुपसेद्वर्ये ।

तत् राष्ट्रं बलमाजश्च जातं तदल्पै देवा उपसं नमन्तु ।

२. वृही, १६, ४१, १।

३. मनुष ७, १०८।

शरीरक्षयगत्ताणाः स्त्रीयन्ते प्राणिनौ यथा ।

लया राहामपि गणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ।

४. कामन्दक ६, ३।

५. अग्निप २३६, २।

ऐसरेय शाहूण में कहा गया है कि प्रजाएँ ही राष्ट्र का निमणि करने वाली हैं।<sup>१</sup> इस प्रकार प्रजा को वैदिक साहित्य में जनतन्त्र की भाँति बहुत महत्त्व प्रदान किया गया है। यथापि वैदिक काल में राजतन्त्र की ही प्रधानता थी, किन्तु उस राजतन्त्र में जनतन्त्र की आत्मा निहित थी। वेदमन्त्रों में जनतन्त्र की भावना और जनता के पक्ष का समर्थन यत्न-तत्त्व मिलता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्भर है।<sup>२</sup> अथर्ववेद में ऐसा उल्लेख मिलता है—हे राजन्, प्रजाओं द्वारा तुम राज्य के लिए निवाचित किये जाओ।<sup>३</sup> उसी में अन्यत्र यह भी कहा गया है कि ‘हे राजन्, तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि समूर्ण प्रजा तुम्हें चाहे।’<sup>४</sup>

इस प्रकार वैदिक साहित्य में प्रजा को बहुत महत्त्व प्रदान किया गया है और उसी के द्वारा राजा के नियन्त्रण का उल्लेख है। इस के साथ ही वेदमन्त्रों में सभी अंगों की प्रगति और मंगलकामना का उल्लेख मिलता है। सब अंगों के समुचित विकास और सुख-समृद्धि पर ही राष्ट्र की समृद्धि एवं उल्लति निर्भर है।

‘राष्ट्र’ शब्द का उल्लेख हृष्ण महाभारत में भी मिलता है। इस में राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि के उपायों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए भीष्म कहते हैं कि ‘हे राजन्, अब मैं बड़े हृष्ट के साथ राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि का रहस्य बता रहा हूँ। तुम एकाय वित्त हो कर सुनो।’<sup>५</sup> महाभारत के द्वितीय अध्याय में राष्ट्र की रक्षा और उन्नति के लिए राजा की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। राष्ट्र का सर्वप्रमुख कर्तव्य है कि वह किसी योग्य राजा का अभिषेक करे, अर्थोंकि जिन राजा का राष्ट्र दुर्बल होता है। उसे हाकू और लुटेरे लूटते तथा सलाते हैं।<sup>६</sup> भीष्म का यह भी कथन है कि जिन देशों में कोई राजा नहीं होता वहाँ धर्म की स्थिति नहीं रहती, अतः वहाँ के अर्थात् एक दूसरे को प्रसन्ने लगते हैं। जहाँ अराजकता हो उस देश की सर्वथा धिक्कार है।<sup>७</sup>

मनु तथा शूक्र ने राष्ट्र को राज्य का प्रमुख अंग माना है।<sup>८</sup> कौटिल्य ने राज्य की प्रकृतियों में राष्ट्र के स्थान पर जनपद शब्द का प्रयोग किया है।<sup>९</sup> महाभारत

१. ऐत० आ० ८, २६।

राष्ट्राणि वै किञ्च।

२. यजुर्वेद २०, ८।

३. अथर्ववेद १, ४, ३।

४. वही, ४, ८, ४।

विद्वास्त्वा सर्वं वीक्ष्यतु।

५. मनु० २२, २८।

६. महा० शान्ति० ८७, ३।

७. वही, ८७, २।

८. वही, ८७, ३।

९. मनु० ६, २४४ तथा शूक्र १, १६।

१०. कौ० अर्थ० ६, १।

में भी जनपद शब्द का ही प्रयोग राष्ट्र के स्थान पर किया गया है।<sup>१</sup> आचार्य सीमदेव सूरि ने भी जनपद शब्द का इस अंग मानता है। इसी कानून उन्होंने अपने अन्य नीतिवाक्यामृत में जनपदसमुद्देश की रचना एक पुस्तक समुद्देश के रूप में की है। यद्यपि आचार्य सीमदेव ने राष्ट्र को परिभाषा दी है किन्तु उस का वर्णन राज्य के अंग के रूप में नहीं किया है। आचार्य सीमदेव ने जनपदसमुद्देश में देश के विभिन्न उपविभागों के लिए व्यवहार में आने वाले विभिन्न संज्ञा शब्दों की व्याकरण सम्मत घुटपति द्वारा व्याख्या की है। उन्होंने राष्ट्र, देश, विषय, मंडल, जनपद, दारक, निर्गम आदि शब्दों की सार्थक व्याख्या की है। इस व्याख्या में देश की सीमाओं को निर्वाचित करने वाला कोई क्रम विवक्षित नहीं रहा है। इस समुद्देश में केवल इन शब्दों की परिभाषा करना ही आचार्य का प्रधान लक्ष्य दृष्टिगोचर होता है। सर्वप्रथम उन्होंने राष्ट्र की परिभाषा की है। पशु, धान्य, हिरण्य (स्वर्ण) सम्बन्धियाँ वही सुशोभित होती हैं वह राष्ट्र कहलाता है (१९, १)। स्वामी को दण्ड और कोष की बुद्धि में सहायता देने वाला देश होता है (१९, १)। विविध वस्तुओं को प्रदान कर स्वामी के घर में (राजधानी में) हाथी और छोड़ों को जो प्राप्त कराता है वह विषय है (१९, ३)। समस्त कार्यों के दोहन करने से स्वामी के हृदय को जो भूषित करता है वह मंडल है (१९, ४)। वर्णाश्रम से धुक्त-स्थान अथवा घन के उल्तति स्थान को जनपद कहते हैं (१९, ५)। अपने स्वामी की उत्कर्षजनक स्थिति होने से शत्रु के हृदय को भेदत करने वाला दारक है (१९, ६)। अपनी समृद्धि से स्वामी को जो समस्त व्यसनों से धुक्त करे वह निर्गम है (१९, ७)।

इस प्रकार आचार्य सीमदेवसूरि ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यवहार में आने वाले विभिन्न शब्दों को सार्थक व्याख्या की है। अमरकोश के अनुसार देश, राष्ट्र, विषय और जनपद आदि पर्यावाची शब्द हैं अर्थात् इन का प्रयोग देश के अर्थ में ही होता है। किन्तु अभिलेखों तथा दानपत्रों में इन शब्दों का प्रयोग देश अथवा राज्य के उपविभागों के रूप में ही प्राप्त होता है। इन विभागों के नामों में भी सर्वश्रद्धाम्य दृष्टिगोचर नहीं होता। एक ही शब्द विभिन्न राजाओं के राज्यकाल में भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। राष्ट्र का भारतीय साहित्य में साधारणतः राज्य के अर्थ में प्रयोग हुआ है किन्तु इसी शब्द का प्रयोग राष्ट्रकूटों के शासन काल में कमिशनरी के अर्थ में प्राप्त होता है।<sup>२</sup> दक्षिण के अन्य राज्यों में इस का अर्थ तहसील या इस से बड़े विभाग जिले के अर्थ में पाया जाता है।<sup>३</sup> अतः इन प्रशासकीय क्षेत्रों के नामों से कोई निश्चित अर्थ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक ही शब्द का विभिन्न राज्य कालों में अथवा

१. गहां शान्ति० ६६, ६४।

२. राष्ट्रकूटों का इतिहास, पृ० १४६।

३. एपि० इलि० ११ पृ० २७३, १६ पृ० २७१, इण्ड० रेटि० ५ पृ० १७५।

एक ही राजा के शासन काल में भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। किन्तु साधारणतः राष्ट्र से अभिप्राय राज्य का ही था। राष्ट्र के उपरान्त देश का उल्लेख नीति-वाक्यामृत में हुआ है। देश से अभिप्राय आधुनिक प्रदेश से था। विषय आधुनिक जिले के समान था। कहीं विषय को देश का उपविभाग बताया गया है।<sup>१</sup> कहीं विषय का उल्लेख राष्ट्र से विशाल क्षेत्र वाले उपविभाग के लिए हुआ है। मण्डल विषय से छोटा विभाग था। कहीं मण्डल को देश का उपविभाग बताया गया है।<sup>२</sup>

### भारतीय साहित्य में जनपद शब्द का प्रयोग

प्राचीन भारतीय साहित्य में जनपद शब्द का भी प्रयोग अधिक हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन-समुदाय के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया जाता था। बौद्ध साहित्य में सोलह महाजनपदों का उल्लेख मिलता है।<sup>३</sup> इसके अतिरिक्त भारत में अन्य जनपद भी थे। ये जनपद छोटेन्होटे राज्य थे। जिस प्रकार प्राचीन यूनान में नगर राज्यों की स्थापना हुई थी उसी प्रकार भारत में भी इन जनपदों की स्थापना हुई। पाणिनी की अष्टाघ्यायी में भी जनपद शब्द का प्रयोग किया गया है। काशिका में जनपद का लक्षण बताते हुए लिखा है कि जनपद ग्रामों के समूह को कहते हैं। इस के उदाहरण भी वहाँ प्रस्तुत किये हैं यथा, जहाँ पांचालों का निवास हो वह पांचाल जनपद है, इसी प्रकार कुरु, मत्स्य, अंग, वंग, मगध, पुण्ड्र आदि जनपद इन ग्रामों के जनों के निवास के कारण ही इन ग्रामों से सम्बोधित किये जाते हैं।<sup>४</sup>

कोटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जनपद का प्रयोग प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र में जनपद के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। जनपद का निर्माण अथवा उस की स्थापना किस प्रकार की जाय इस विषय में कोटिल्य ने बहुत उपयोगी विचार व्यक्त किये हैं। आचार्य कोटिल्य लिखते हैं कि पूर्व से स्थित एवं नवीन बस्ती बसाते समय राजा परदेश से जन-समुदाय लाकर अथवा अपने ही देश के जिस भूभाग में अधिक जनसंख्या हो, उस के कुछ भेंश को यहाँ से हटा कर ले बाये। राजा नवीन ग्रामों को इस ढंग से बसाये कि उस में अधिकांश शूद्र जाति के किसान ही बसें। जिस में कम से कम सौ और अधिक से अधिक पाँच सौ परिवार रहें, उन ग्रामों की सीमा एक या दो कोस के अनन्तर रहें। क्योंकि ऐसा रहने से आवश्यकता पड़ने पर अन्यान्य ग्राम पर-

१. इण्टो इण्टो ८, पृ० २०।

२. एचि० इण्टो ८ पृ० १।

३. वही ७, पृ० २६।

४. अंगुच्चरनिकाल १, २१३; ४, २५२, २६६, २६७।

५. कार्णिका ४, २, ८९।

“जनादे तु य्” ग्रामसमुदायों जनपदः। पञ्चालानां निवासो जनपदः। पञ्चालः, कुरुवः, मत्स्याः, अंगाः, वंगाः, मगधाः, पुण्ड्राः।

स्पर एक-दूसरे की रक्षा कर सकेंगे । आगे आचार्य कीटिल्य लिखते हैं कि नदी, पर्वत, घन, गुण्ठि (ओषधिवृक्ष), दरी (कन्दरा), जलाधय, सेमावृक्ष, शम्भोवृक्ष तथा कीरवृक्ष (बटवृक्ष) लगाकर उन्हीं के द्वारा ग्राम को सोमा का निर्वारण करे । उपर्युक्त शीति से बसे हुए आठ सौ ग्रामों के मध्य में स्थानीय नामक (आगे चलकर निगम नाम से सम्बोधित किया जाने वाला स्थान) नगर अथवा महाप्राम बसाये । चार सौ ग्रामों के मध्य द्वौषिणमुख नामक उपनगर निवेश, वो सौ ग्रामों के बीच खार्वटिक नगर विशेष एवं दस ग्रामों को मिलाकर संग्रहण नाम का जनपद के सौमान्त एवं जनपद में प्रविष्ट होने और बाहर निकलने के द्वारा स्वरूप अन्तपाल का दुर्ग स्थापित करे । उन अन्तपाल दुर्गों का एक अध्यक्ष रहेगा जिस का नाम होगा अन्तपाल ।

जनपद की रक्षा के सम्बन्ध में भी कीटिल्य ने उपयोगी विचार प्रस्तुत किये हैं । उन के अनुसार प्रत्येक ग्राम को अपनी रक्षा करने में समर्थ तथा साथ ही अन्य ग्रामों की रक्षा में सहायक होना चाहिए । जनपद की सीमाओं पर अन्तपाल दुर्ग स्थापित करने चाहिए । विविध दुर्गों के मध्य के सीमा प्रदेशों में बागुरिक (बढ़े-लिये), बाबर, (भील), पुलिन्द (म्लेञ्च), चण्डाल तथा अन्यान्य चनचर जाति के लोग उन अन्तपाल-दुर्ग समूहों की भैय्यतिनी भूमि की रक्षा करें । तात्पर्य यह है कि राजा और उस का प्रतिनिधि अन्तपाल में दोनों उस प्रदेश की निवासिनी उपर्युक्त जाति के लोगों द्वारा ही उस प्रदेश की रक्षा करें । जनपद बसाते समय राजा ऋत्विक्, आचार्य, पुरोहित और ओविय (वेदपाठी) आहुणों को सब प्रकार के करों से मुक्त कर के उन के पुत्र, पीत्रादि उत्तराधिकारी तक की उस सुविभाका अधिकारी बनाकर अहूदेव नामक भूदान करे । अन्तपाल दुर्ग के अध्यक्ष, संरूपायक (गणताकार्य तथा हिसाब-किताब रखने वाले), दशायामी आदि के अधिकारी योग, जनपद तथा नगर के चतुर्थीय के अधिकारी स्थानिक, हालियों को शिक्षा देने में निपुण पुरुष, अदोकस्थ, चिकित्सक, घोड़ों को प्रशिक्षण देने वाले और जंघालक (पैदल दौड़कर दूर देश में सन्देश पहुँचाने वाले) इन सभी लोगों को दण्ड तथा कर से मुक्त कर के भासी भूमि दी जाये । किन्तु यह भूदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति उस भूमि को न बेच सकेंगे और म बन्धक रख सकेंगे । ये केवल उस का उपयोग करने के अधिकारी होंगे । जो लोग भूमि का राज कर देते हों, उन्हें राजाकृत क्षेत्र माने । अर्थात् जिस क्षेत्र को झसल उत्पादन के योग्य बनाया जा चुका है, उसे केवल एक पीढ़ी के लिए पट्टे पर दे । किन्तु जो क्षेत्र अकृत है, उसे किसान अपने पौरुष से उत्पादक बनायेगा । उस को राजा

१. की० अर्थ०, २, १।

युत्पूर्वमभृतपूर्व वा जनपदं परदेशाधिवाहनेन स्वदेशाभिष्मदवमनेन या निवेशयेत् ।

शुद्धकर्षकप्रत्ये कुरुक्षतामर्त्यं पञ्चशत्रुकुलपदं ग्राम कीशद्विश्वोऽसीमनमन्योन्यारभ्यं निवेशयेत् ।

२. वही, २, १।

बेदाल न करेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर किसान का हो अधिकार रहेगा।<sup>१</sup>

इस प्रकार आचार्य कौटिल्य ने जनपद की स्थापना तथा उस की रक्षा के मम्बन्ध में बहुत सुखम् सृष्टि से प्रकाश डाला है। उपर्युक्त वर्णन के अतिरिक्त इस विषय पर आचार्य ने और भी बहुत कुछ लिखा है जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

महाभारत में भी राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि के उपायों के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए भीष्म ने जनपद के बातुर्गत ग्रामों के विविध समूहों तथा उन की व्यवस्था पर पूर्ण प्रकाश डाला है। भीष्म का कथन है कि एक ग्राम का, दस ग्रामों का, बीस ग्रामों का, सौ ग्रामों का तथा हजार ग्रामों का पृथक्-पृथक् एक-एक अधिपति बनाना चाहिए। ग्राम के स्वामी का यह कर्तव्य है कि वह ग्रामवासियों के विधियों का तथा ग्राम में जो-जो अपराध होते हों, उन सब का वहाँ रहकर पता लगावे और उन का पूर्ण विवरण दस ग्रामों के अधिपति के पास भेजे। इसी प्रकार दस ग्रामों वाला बीस ग्रामों वाले के पास और बीस ग्रामों वाला अधिपति अपने अधीनस्थ जनपद के लोगों का सम्पूर्ण विवरण दो। ग्रामों के अधिकारी दो भेजें। फिर सौ ग्रामों का अधिकारी हजार ग्रामों के अधिपति को अपने अधिकृत श्रेष्ठों की सूचना भेजे। इस के पश्चात् हजार ग्रामों का अधिपति स्वयं राजा के पास आकर अपने यहाँ आये हुए सभी विधियों को उस के सम्मुख प्रस्तुत करे।<sup>२</sup>

ग्रामों में जो आय अथवा उपज हो वह सब ग्राम का अधिपति अपने पास ही रखे तथा उस में से नियत अंश का वेतन के रूप में उपयोग करे। उसों में से नियत वेतन देकर उसे दस ग्रामों के अधिपति का भी भरण-पोषण करना चाहिए। इसी प्रकार दस ग्रामों के अधिपति को भी बीस ग्रामों के अधिकारी का भरण-पोषण करना चाहिए। जो सत्कार ग्राम व्यक्ति सौ ग्रामों का अध्यक्ष हो, वह एक ग्राम की आय को उपयोग में ला सकता है। भरतशेष वह ग्राम बहुत विशाल बस्ती वाला, मनुष्यों से परिपूर्ण और घनधान्य से सम्पन्न हो। उस का प्रबन्ध राजा के अधीनस्थ अनेक अधिपतियों के अधिकार में रहना चाहिए। हजार ग्राम का श्रेष्ठ अधिपति एक शालानगर (कस्बे) की आय पाने का अधिकारी है। उस कर्तव्य में जो अन्न और सुवर्ण की आय हो, उस के द्वारा वह दृच्छानुसार उपयोग कर सकता है। उसे राष्ट्रवासियों के साथ मिलकर रहना चाहिए।<sup>३</sup>

१. कौ० अर्थ० २, ६।

तेषामन्तराग्नि वागुरिकशमरपुनिन्दधार्णाग्निर्यवरा रहेदुः। चलिगाजार्यपुरोहितशोधिष्ठेभ्यो भृष्ट-देयान्यदण्डकारण्याभिरूपकानि व्यवस्थेत्। अध्यक्षरस्यापकादिभ्यो गोपस्थानीकानीकरणचिकित्स-काश्यदमकज्ज्वलकेन्यश्च विक्रमाधानवर्जन्म् कर्तृभ्यः कुलसेवार्थीकपुरुषिकाइण प्रयच्छेत्। अकृतानि कर्तुभ्यो नावेगान।

२. महाभास्त्रान्तर० ८०, ३-५।

३. वही, ८०, ६-८।

इन अधिपतियों के अधिकार में जो युद्ध-सम्बन्धी उपा ग्रामों के प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य सौंपे गये हैं, उन की देखभाल कोई आलस्यरहित वर्भवत्व मन्त्री करे। अथवा प्रत्येक नगर में एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो सभी कार्यों का वित्तन और नियोजन कर सके। जैसे कोई भव्यकर प्रह आकाश में नश्वरों के ऊपर स्थित होकर परिभ्रमण करता है, उसी प्रकार वह अधिकारी उच्चतम स्थान पर एतिहित होकर उन सभी सभासद आदि के निकट परिभ्रमण करे और उन के कार्यों को परोक्षा करे। उस नियोजक का कोई गुप्ताधर राष्ट्र में घूमता रहे और सभासद आदि के कार्य एवं मनो-भाव को जानकर उन के पास समस्त समाचार पहुँचाता रहे। रक्षा के कार्य में नियुक्त हुए अधिकारी लोग प्रायः हिसक स्वभाव के हो जाते हैं। दूसरों की बुराई चाहने लगते हैं और शठतापूर्वक परामे घन का अपहरण कर लेते हैं। ऐसे लोगों से वह सर्वीषितक अधिकारी इस सम्पूर्ण प्रजा की रक्षा करे।<sup>1</sup>

इस प्रकार भारत में बहुत सुसंगठित शासन-प्रणाली एवं राष्ट्र की रक्षा के उपायों पर बहुत सुन्दर रूप से प्रकाश ढाला गया है। इस रोति से कोई भी सरकारी कर्मचारी स्वच्छत्व आचरण न कर सकेगा तथा वह अन-कल्याण में निरत रहेगा। राजा भी इस अधिकारी वर्ग पर पूर्ण नियन्त्रण रख सकेगा और राष्ट्र-रक्षा के अपने पुनीत कर्तव्य का पालन करने में सर्वथा सफल होगा।

मनु ने भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश ढाला है। वे लिखते हैं कि राजा राज्य की रक्षा के लिए दो-दो, तीन-चार या पाँच-पाँच ग्रामों के समूह का एक-एक रक्षक नियुक्त करे। राजा एक-एक, दस-दस, सौ-सौ तथा हजार-हजार ग्रामों का एक-एक रक्षक नियुक्त करे।

उपर्युक्त वो, तीन या पाँच ग्रामों के रक्षक को नियुक्ति वर्तमान धाने का, सौ ग्रामों के प्रधान रक्षक वो नियुक्ति तहसील या जिला का स्वरूप है और हजार ग्रामों के रक्षक को नियुक्ति कमिशनरी का धोतक है।

मनु ने इस विषय पर भी प्रकाश ढाला है कि राजा अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाये। इस सम्बन्ध में वे लिखते हैं कि राजा जांगल (जहाँ अधिक पानी न बरसता हो और बाढ़ अस्ति न आती हों, खुली सूखा हो, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त रहता हो तथा धान्य आदि अधिक मात्रा में उत्पन्न होता हो), धान्य और अधिक धर्मात्माओं से युक्त, आकुलतारहित, फल-फूलता वृक्षादि से रमणीय, जहाँ आस-पास के निवासी नहीं हों ऐसे, अपनी आजीविका सुलभव्यापार, कृषि आदि वाले देश में निवास करे।<sup>2</sup>

१. महारो शान्तिः ८७, ६-१३।

२. मनु० ३, ११८-१२६।

३. नहीं, ५, ६६।

आङ्गलं सह्यसूपननमायप्रायमनाशिस्य ।

रम्यमानदुरामभूतं स्माजीर्यं देशमावसेत ॥

उक्त गुणों से युक्त देश में यदि राजा निवास करेगा तो उसे समस्त विमूलिया प्राप्त होंगे और वह निष्कण्ठक रहेगा। यदि उस पर कोई बाह्य या आन्तरिक संकट आता है तो वह उस का सामना करने में सर्वशा रामर्थ होगा।

कामन्दक ने भी इस विषय में कुछ प्रकाश ढाला है। उन का कथन है कि राष्ट्र की समृद्धि उस की भूमि के गुणों पर आधारित है। राष्ट्र की समृद्धि में ही राजा की समृद्धि निहित है, अतः राजा को अपनी समृद्धि के लिए उत्तम गुणों से युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। वह भूमि विविध फ़सलों एवं खनिज पदार्थों से विभूषित होनी चाहिए। जहाँ व्यापारिक वस्तुओं की बहुतता हो, जानें हों, द्रव्य हो, जो स्थान चरागाहों के लिए उपयुक्त हों, जहाँ पानी की अधिकता हो, जहाँ आदर्श-चरित्र वाले व्यक्ति निवास करते हों, जो स्थान आकर्षक हों, जहाँ मुन्दर बन हों, हाथी हों, जल-युक्त के व्यावागमन के साधनों की सुविधा हो और जो वर्षी के जल पर निर्भर न हो।

जो भूमि कंकरोली एवं पश्चीमी हो, जंगलों से युक्त तथा चोरों से भरपूर हो, जहाँ जल का अभाव हो, जो स्थान कठिनार जाड़ियों तथा सर्पों से युक्त हो वह स्थान राष्ट्र के लिए उपयुक्त नहीं है।

## जनपद के गुण

आचार्य सोमदेवसूरि ने जनपद के गुणों का विस्तृत विवेचन किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं कि वही जनपद उत्तम है जो परस्पर रक्षा करने वाला हो अथवा जहाँ राजा देश की तथा देश राजा की रक्षा करता हो। जो स्वर्ण, रजत, ताङ्र, लौह आदि धातुओं एवं गन्धक, नमक आदि खनिज द्रव्यों को जानों से तथा जो द्रव्य एवं हाथियों से युक्त हो, जिस के ग्रामों की जनसंख्या न बढ़त अधिक हो और न बहुत कम, जहाँ पर बहुत से उत्तम पदार्थ, विविध भौति के अन्न, स्वर्ण और व्यापारियों के क्रम-सिक्किय योग्य वस्तुएँ प्राप्त होती हों, जो भेदजल की अपेक्षा से रहित हो तथा जो मनुष्य एवं पशुओं को सुख देनेवाला हो (१९, ८)।

जिस जनपद में व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं की पूरि आसानी से हो सके, जहाँ लोगों का जीवन और सम्पत्ति हर प्रकार से सुरक्षित हो वही जनता निवास करती है। किन्तु जिस जनपद में उपर्युक्त सुण नहीं होते वह राजा और प्रजा दोनों के लिए कष्टदायक होता है। जिस देश में जनता के जोवकोपार्जन के सरल साधन उपलब्ध नहीं होते उस देश को त्यागकर जनता अन्यत्र चली जाती है। आचार्य सोमदेव का कथन है कि वह देश निन्द्य है जहाँ पर मनुष्य के लिए जोवन-निवाहि के साधन (कृषि तथा व्यापार आदि) नहीं हैं, अतः विवेकी पूरुष की जोविका योग्य देश में निवास करना चाहिए (२७, ८)।

१. कामन्दक ४, ४३-४५।

सोमदेव द्वारा वर्णित गुणों से विभूषित जनपद ही प्रगति कर सकता है और वहीं पर जनता को समस्त सुखों को उपलब्धि हो सकती है।

आचार्य कौटिल्य ने भी उत्तम जनपद के गुणों का विशद विवेचन अर्थशास्त्र में किया है। वे लिखते हैं कि जनपद के मध्य में अथवा किनारे पर दुर्ग हो और स्वदेश-वासियों तथा विदेश से आये हुए लोगों के स्थान-पान के लिए जहाँ अन्नादि का भरपूर भण्डार हो। जनपद ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ कोई विपत्ति आने पर पर्वत, बन या दुर्ग में जाकर बचा जा सके। जहाँ थोड़े हो परिश्रम से अन्न आदि उत्पन्न होने के कारण जोविका सुलभ हो। जहाँ अपने राजा के शत्रुओं के हेष को बचाने के लिए योग्य पुरुष रहते हों। जहाँ सामन्तों का दमन करने के साथ सुपलब्ध हो जहाँ पंक (दलदल), पाषाण, ऊसर, विषम स्थान, और आदि कष्टक, राजा के विरोधियों का समुदाय, व्याघ्र आदि हिस्क जन्मतु एवं बन्यप्रदेश न हों। जहाँ नदी, तड़ाग आदि के कारण भरपूर सौन्दर्य हो, जहाँ गाय, भैंस आदि पशुओं के चरने की सुविधा हो। जो मानव जाति के लिए हितकर स्थान हो। जहाँ और ढाकुओं को अपना काम करने की सुविधा न हो। जहाँ गायों-भैंसों आदि की अधिकता हो। जहाँ अन्तोत्पादन के लिए केवल वर्षा का सहारा न होकर नदी, बांध आदि का प्रबन्ध हो। जहाँ जल-पथ और स्थल-पथ दोनों की सुविधा हो। जहाँ बहुत प्रकार के मूल्यवान् और विविध व्यापारिक सामान मिलते हों। यो स्थान राष्ट्रपथ (उमति) तथा राजकर राज्य का सकता हो। जहाँ के कृषक कर्मठ हों, जहाँ के स्वामी मूर्ख न हों। जहाँ निम्न वर्ग के लोग अधिक संख्या में निवास करते हों।<sup>१</sup> कौटिल्य ने जनपद के इन गुणों को जनपद सम्पदा के नाम से सम्बोधित किया है।

### देश के दोष

आचार्य सोमदेव ने जनपद के गुणों के साथ ही देश के दोषों का भी वर्णन किया है। उन के अनुसार देश के दोष इस प्रकार है—जिस के घास-जल रोगजनक होने से विष के समान हानिकारक हों, जहाँ की भूमि ऊसर हो, जहाँ की भूमि विशेष पथरीली, अधिक कंटकाकीर्ण तथा बहुत पर्वत, गर्त एवं गुफाओं से युक्त हों, जहाँ पर अधिक जलबुधि पर जनता का जीवन आवारित हो, जहाँ पर बहुलता से सर्प, भील और म्लेच्छों का निवास हो, जिस में थोड़ी सी धान्य उत्पन्न होती हो, जहाँ के लोग धान्य की उपज कम होने के कारण वृक्षों के फल खा कर अपना जीवन निर्वाह करते हों (१३, ९)। जिस देश में मेघों के जल द्वारा धान्य उत्पन्न होता है और कुछ कर्षण-क्षिया के बिना होती है अर्थात् जहाँ कछवारी की पथरीली भूमि में बिना हल चलाये ही बीज बिखेर दिये जाते हैं वहाँ सर्वत्र अकाल रहता है क्योंकि मेघों द्वारा जल-बृष्टि का यथासमय व उचित परिमाण में होना अनिश्चित हो रहता है (१३, १७)।

१. कौ० अर्थ० द०, १।

कर्षणक्रिया की व्यवेक्षा शून्य पथरीली भूमि भी उत्तर भूमि के समान उपज-शून्य अथवा बहुत कम उपजाऊ होती है। अतः ऐसे देश में सर्वदा दुष्कृति निदिच्छत रूप से रहता है।

### देश की जनसंख्या के विषय में विचार

देश की जनसंख्या के विषय में विद्वानों में मतभेद है। मतभेद वर्णों के सम्बन्ध में है। मतु का कथन है कि राजधानी में अधिकांश जनसंख्या आद्यों की होनी चाहिए<sup>१</sup>। अन्य स्थान पर मतु लिखते हैं कि जिस राज्य में शूद्रों एवं नास्तिकों की संख्या अधिक होगी तथा ग्राहणों की कम। वह राष्ट्र पुर्मित एवं व्यापकों से परिचित होकर गृह्ण हो जायेगा।<sup>२</sup> इस के विपरीत विष्णुधर्मसूत्र में लिखा है कि राष्ट्र में अधिक जनसंख्या वैश्य एवं शूद्रों की होनी चाहिए।<sup>३</sup> आचार्य कौटल्य में जनपद के संगठन के विषय में विचार अक्षत करते हुए लिखा है कि राजा ने ये ग्रामों को इस ढंग से बताये कि उन में अधिकांश जनसंख्या शूद्रों की ही हो।<sup>४</sup>

### जनपद का संगठन

जनपद के बसाने के विषय में भी आचार्य सोमदेव ने अपने प्रमिद्ध स्त्रीति-वाक्यामृत में कुछ उल्लेख किया है। आचार्य लिखते हैं कि राजा का यह कर्तव्य है कि परदेश में चले जाने वाले अपने देशवासियों को, जिन से कर बहाना किया हो उन्हें दान-सम्मान द्वारा वश में कर के और उन्हें अपने देश के प्रति अनुयायी बनाकर उन्हें वहाँ से बुलाकर अपने देश में बसाये (१९, ३)। सारांश यह है कि अपने देशवासी शिष्य व उद्योगशील व्यक्तियों को परदेश से लाकर अपने देश में बसाने से राष्ट्र की जनसंख्या में बढ़ि होती है तथा व्यापारिक उन्नति, राजकोश को बढ़ा होती है। एवं युप रहस्य संरक्षण आदि अनेक लाभ होते हैं। जिस के परिणामस्वरूप राष्ट्र की अविवृद्धि होती है।

### ग्राम संगठन

प्रत्येक राष्ट्र में ग्राम ही शासन की सब से छोटी हकाई होता है। अतः ग्रामों के बसाने में भी बड़ी कुशलता से समस्त जातियों के अनुपात को दृष्टि में रखकर आवास व्यवस्था करनी चाहिए। जो राष्ट्र इस सन्तुलन को खो देते हैं तथा एक जाति की प्रधानता वाले ग्रामों को बसाते हैं, वहाँ सर्वदा आपसी मतभेद बना रहता है और उपद्रव होते रहते हैं। यह बात अनुभवसिद्ध है कि जिस ग्राम में अविष्य शुरवीर अधिक संख्या में निवास करते हैं वहाँ वे लोग थोड़े से कठोरों (आपसी तिरस्कार आदि से होने वाले कठोरों) के होने पर आपस में ही लड़ मरते हैं (१९, ११)।

१. मनु० ७, ६६।

२. वही० ८, २२।

३. विं० धर्मसूत्र ६, ५।

४. कौ० अर्थ० २, १।

राष्ट्र की सभी जातियों से धन का आदान करना होता है। धन को देसे के विषय में सभी जातियों में कुछ स्वभावगत विभेद होता है। ब्राह्मण जाति के स्वभाव की विशेषता का परिचय देते हुए सोमदेव ने लिखा है कि ब्राह्मण लोग अधिक कृपण होने के कारण राजा के लिए देने योग्य कर आदि का धन प्राण जाने पर भी बिना दण्ड के शान्ति से नहीं देते (१९, १२)।

आचार्य सोमदेव का यह भी कथन है कि राजा को ऐसे ग्राम किसी को भी नहीं देने चाहिए जिस में धन्य की उपज बहुत होती हो। ऐसे ग्राम राजा की चतुर-गिणी सेना का पोषण करते हैं (१४, २२)। यदि राजा धन की उपज बाले ग्राम किसी को दान आदि में दे देगा तो उस की सेना को रसद न मिल सकेगा और रसद के अभाव में राजा एक विगल स्थायी सेना न रख सकेगा। सेना के अभाव में वह अपने राष्ट्र को रक्षा करने में सक्षम असमर्थ होगा। राज्य की अर्थिक-समृद्धि की आधार-शिला के सम्बन्ध में भी सोमदेव ने प्रकाश डाला है। उन का कथन है कि बहुत सारे मण्डल, स्वर्ण और शुल्क एवं भूमिकर आदि राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता की आधार-शिला है (१९, ३)।

आचार्य सोमदेव का यह भी कथन है कि राजा को ब्राह्मणों एवं विद्वानों का अधिक भूमि दान में नहीं देनो चाहिए। योड़ो भूमि दान में देने से बाता तथा भूदान प्राप्त करने वाला बोनों हो सुखो रहते हैं (१९, २४)। इस का कारण यह है कि योड़ो भूमि दान में दें से दाता सी दर्जन भूमि हुने पाते हैं, दान लेने वाले को भी यह भय नहीं रहता है कि कोई सरकारी कर्मचारी मेरो भूमि पर अधिकार कर लेगा। इस के अतिरिक्त योड़ो भूमि में अधिक परिश्रम भी नहीं करता पड़ता।



## अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

भारत में ऐसा समय कम ही रहा है जब कि सम्पूर्ण देश का शासन एक ही राजा के अधीन दीर्घकाल तक रहा हो। यद्यपि अशोक, कनिष्ठक तथा समुद्रगुप्त जैसे महान् पराक्रमी शासक हुए, परन्तु उन का साम्राज्य स्थायी रूप धारण नहीं कर सका। इस का कारण प्रधानतः मातायात की असुविधाएँ ही थीं। उन असुविधाओं के कारण सुदूर प्रान्तों पर वे यथोचित नियन्त्रण नहीं रख सकते थे। उनके नदी और नदियों का हुगस होता था, वे सुदूरकर्ती प्रान्त केन्द्रीय नियन्त्रण से स्वतन्त्र हो जाते थे और एक स्वतन्त्र राज्य का रूप धारण कर लेते थे। केन्द्रीय सत्ता की विधिलता का दूसरा कारण विजेताओं की परम्परागत नीति भी थी।

आचीन काल से ही शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी राजाओं का आदर्श चक्रवर्ती राजा बनने का रहा है। चक्रवर्ती अथवा सार्वभौम शासक वह होता है जो समस्त देश पर शासन करता है। आचाय कौटिल्य ने चक्रवर्ती राजा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि चक्रवर्ती वह है जिस को सौमा का विस्तार उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर समुद्र पर्यन्त हो।<sup>१</sup> इस आदर्श का परिणाम यह होता था कि देश में निरन्तर मुद्दे होता रहता था, क्योंकि प्रत्येक शासक इस आदर्श ( चक्रवर्ती बनने ) तक पहुँचने का प्रयास करता रहता था।

सोमदेव ने तीन प्रकार के विजेताओं का वर्णन किया है—१ वर्म विजयी २ लोभ विजयी, ३ असुर विजयी। उन के अनुसार वर्म विजयी शासक वह है जो किसी राजा पर विजय प्राप्त कर के उस के अस्तित्व को नष्ट नहीं करता है। अपितु अपने आधिपत्य में उस की स्वायत सत्ता स्थापित रहने देता है। और उस पर नियत किये हुए करों से ही सन्तुष्ट रहता है ( ३०, ७० )। लोभ विजयी वह होता है जिस को अन और भूमि का लोभ होता है। उस को प्राप्त करने के उपरान्त वह उस को पराधीन नहीं बनाता अपितु उसे अपने आन्तरिक विषयों में पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करता है ( ३०, ७१ )। असुर विजयी शासक वह होता है जो केवल धन और पृथ्वी से ही सन्तुष्ट नहीं होता, अपितु वह विजित शासक का दृष्ट कर देता है और उस की स्त्री तथा शिशुओं का भी अपहरण कर लेता है ( ३०, ७२ )। प्रथम दो प्रकार की विजयों

<sup>१</sup>, कौ० अर्थ० ६, १।

में विजित राज्य की संस्थाएँ एवं शासन जर्यों का तर्यों बना रहता है किन्तु तृतीय प्रकार की विजय में उन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और विजयी शासक के राज्य के बे अंग बन जाते हैं। भारतीय परम्परा के अनुसार अन्तिम प्रकार की विजय निकृष्ट समझी जाती थी और प्रथम प्रकार की सर्वोत्तम। अतः जिन राजाओं को पराजित कर के उन के द्वारा पराषीनता स्वीकार कर लेने पर उन्हें स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता था बहुधा वे केन्द्रीय शक्ति के विच्छिन्न होते ही अवसर पाकर स्वतन्त्र हो जाते थे और इव्यं अपने राज्य का विस्तार करने लगते थे।

विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार विनियमित होते थे इस सम्बन्ध में भारतीय विचारकों ने विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। नीतिवाक्यामूल में भी हम को इस विषय पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का विषय दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

१. शामित्र-काल में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ।

२. युद्ध-काल में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ।

सर्व-प्रथम हम शामित्र-काल में स्वतन्त्र राज्यों के मध्य सम्बन्धों पर विचार करेंगे।

स्वतन्त्र राज्यों के बीच सम्बन्धों के संचालन में राजनय महत्वपूर्ण साधन था। परन्तु वर्तमान काल में राजनय का जो हम अर्थ समझते हैं वह प्राचीन काल में नहीं था। राज्यों में स्थायी रूप से राजनीतिक प्रतिनिधियों अथवा राजदूतों की नियुक्ति करने की पद्धति अत्यन्त आधुनिक है। मध्य युग में युरेप में भी राजदूतों की स्थायी रूप से राजधानियों में नियुक्त करने की प्रणाली नहीं थी। इसी प्रकार भारत में भी दूत स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किये जाते थे। दूत शब्द का संस्कृत में अर्थ समुद्रेश वाहक है। इस से यह स्पष्ट है कि किसी विशेष कार्य के सम्पादन के लिए ही दूत भेजे जाते थे। परन्तु उन के कार्य वही थे जो आधुनिक काल के राजदूतों के होते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अधिकरण १, अध्याय १६ से स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों के मध्य दूतों का नियमित रूप से आवागमन था। नीतिवाक्यामूल के दूत समुद्रेश में हमें सभी दूतों का उल्लेख मिलता है जिन का वर्णन अर्थशास्त्र में हुआ है ( दूत समुद्रेश, पृ० १७०-१७१ ) ।

## दूत की परिभाषा

आचार्य लोमदेव ने दूत की परिभाषा इस प्रकार की है, “जो अधिकारी दूर-वर्ती राजकीय कार्यों—सन्धि-विप्रह आदि का साधक होता है उसे दूत कहते हैं ( १३, १ ) ।

## दूत के गुण

आचार्य सोमदेवसूरि ने दूत के गुणों पर भी उल्लेख किया है जो इस प्रकार है— स्वामी भक्त, धूतकीटा, मद्यपात्र आदि व्यसनों से अनासन, चतुर, पक्षित, निलोभी, विद्वान्, उदार, बुद्धिमान्, सहिष्णु, शत्रु का जाता तथा कुलीन होना चाहिए (१३, २)।

जो राजा इन गुणों से युक्त दूतों को अन्य राज्यों में नियुक्त करते थे उन के समस्त कार्य सिद्ध होते थे।

## दूतों के भेद

आचार्य सोमदेवसूरि ने तीन प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है— १. निःसृष्टार्थ दूत, २. परिमितार्थ दूत, ३. शासनहर दूत (१३, ३)।

१. निःसृष्टार्थ दूत—वह दूत या जिस के द्वारा निश्चित किये हुए सन्धि-विधह को उस का स्वामी प्रमाण मानता था जिस को अपने राज्य के कार्य-सिद्धि के हित में बातचीत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था (१३, ४)।

२. परिमितार्थ दूत—राजा द्वारा विर्द्धारित सीमा के भीतर दूसरे राजा से वार्तालाप करने का इसे अधिकार होता था। इस दूत को राजा द्वारा भेजे हुए सन्देश को ही शत्रु राजा के सामने कहने का अधिकार था।

३. शासनहर दूत—यह दूत अपने राजा के शासन (लेख) को दूसरे राजा के पास ले जाने का अधिकार रखता था। इस के अधिकार इस कार्य तक ही सीमित थे।

## दूत के कार्य

आचार्य सोमदेव ने दूत के कार्यों पर भी प्रकाश डाला है। उन के अनुसार दूत के निम्नलिखित कार्य हैं—

१. नैतिक उपाय द्वारा शत्रु के सैनिक संगठन को नष्ट करना।

२. राजनीतिक उपायोंद्वारा शत्रु को दुर्बल बनाना तथा शत्रु विरोधी पुरुषों को साम-दामादि उपायोंद्वारा वश में करना।

३. शत्रु के पुत्र, कुटुम्बी व कारागार में बन्दी मनुष्यों में द्रव्य-दान द्वारा भेद उत्पन्न करना।

४. शत्रु द्वारा अपने देश में भेजे हुए गुप्त पुरुषों का ज्ञान प्राप्त करना।

५. सीमाधिपति, आठविक, कोश, देश, सीन्य और मित्रों की परीक्षा करना।

६. शत्रु राजा के यही विद्यमान कन्या रत्न तथा हाथी, घोड़े आदि वाहनों को अपने स्वामी को प्राप्त करना।

७. शत्रु के मन्त्री तथा सेनापति आदि में गुप्तचरों के प्रयोग द्वारा शोभ उत्पन्न करना ये दूत के कार्य हैं (१३, ८)।

इस के अतिरिक्त दूत का यह भी कर्तव्य था कि वह शशु के सन्नी, पुरोहित और सेनापति के समीपवर्ती पुरुषों को घन आदि देकर अपने पक्ष में कर के उन से शशु हृदय की गुस्स बात ( पुद्धादि ) एवं उस के कोश, सैन्य के प्रभाग का निवचय कर के उस की सूचना अपने स्वामी को दे ( १३, ९ ) ।

वर्तमान काल की भाँति प्राचीन काल में भी दूतों का वध करना वजिल था । सोमदेव ने लिखा है कि दूत द्वारा महान् अपराध किये जाने पर भी उस का वध नहीं करना चाहिए ( १३, १५ ) ।<sup>१</sup> यदि लाण्डाल भी दूत नहकर आया है तो भी राजा को अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उस का वध नहीं करना चाहिए ( १३, २०—२१ ) । दूत सत्य, असत्य, प्रिय, अप्रिय सभी प्रकार के वचन बोलता है । अतः राजा को उस के कठोर वचन सुनने चाहिए । कोई भी बुद्धिमान् राजा दूत के वचनों से कोरित अथवा उत्तेजित नहीं होता अपितु उस का कर्तव्य है कि वह ईर्ष्या का त्याग कर के उस के द्वारा कहे हुए प्रिय अथवा अप्रिय सभी प्रकार के वचनों को सुने । जब दूत शशु के मुख से अपने स्वामी की निन्दा सुने तो उसे शान्त नहीं रहना चाहिए अपितु उस का यथायोग्य प्रतिकार करना चाहिए ( १३, ११ ) ।

सैनिकों द्वारा इसका संचालित किये जाने पर भी दूत को अपना कार्य सम्पादित करना चाहिए और शशु राजा को अपना सम्बेदन सुना देना चाहिए । आचार्य सोमदेव का कथन है कि सभी राजा अपने दूत के मुख से बोलते हैं ( १३, १८ ) । अतः उसे भयंकर युद्ध के समय भी दूत का वध नहीं करना चाहिए ( १३, १९ ) । वर्णोंकि उन के द्वारा ही वे अपनी कार्य-सिद्धि ( सञ्चित-विद्यहादि ) सम्पन्न कराते हैं ।

## चर

पहोसी राज्यों में समय-समय पर दूसों का आदान-प्रदान होने पर भी चर धर्देव कार्य करते रहते थे और उपर्युक्त सूचना को प्राप्त कर के राजा के पास भेजते रहते थे । नीतिवाक्यामूर्त में एक पृथक् समुद्रेश ( चार समुद्रेश ) चरों के सम्बन्ध में है । इस में चरों के प्रकार तथा कर्तव्यों का उल्लेख है ।

## चरों की नियुक्ति

किसी भी राजा के लिए चरों को नियुक्ति तथा प्रयोग आवश्यक था । सोमदेव ने कहा कि जिस राजा के यहीं गुप्तचर नहीं होते उस पर आन्तरिक तथा बाह्य शशुओं द्वारा आक्रमण किया जाता है ( १४, ६ ) । इसलिए विनियोगु का अपने देश में तथा पहोसी देशों में गुप्तचर भेजने चाहिए । वास्तव में गुप्तचर अपने देश व परदेश के सम्बन्ध में ज्ञान कराने के लिए राजाओं के नेत्र होते हैं ( १४, १ ) । अपने देश और

१. महाराजभाष्य, १६ ।

२. नीतिवाक्यामूर्त १३, १९ ।

पड़ोसी राज्यों की गति-विधियों का ज्ञान गुप्तचरों द्वारा ही होता है। अतः राजाओं की सुरक्षा तथा कल्याण के लिए उन का उपयोग आवश्यक माना जाता था। गुप्तचरों के गुणों के सम्बन्ध में आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि सन्तोष, आलस्य का न होना, उत्साह, निरोगता, सत्यभाषण और विज्ञारशक्ति का होना ये गुप्तचरों के गुण हैं ( १४, ८ )। दिविजय प्रकार के गुप्तचरों के पृष्ठान्त में विभिन्न प्रकार का कार्य लिया जाता था।

### चरों के भेद

आचार्य सोमदेव ने निम्न प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया है—काण्डिक, उदासित, गृहपति, वैदेहिक, तापस, किरात, यमपट्टिक, अहिनुष्ठिक, शौणिक, पाटचर, चिट, चिटूषक, फीठमर्दक, खिपग, ऐन्द्रजालिक, वैभित्तिक, सूद, आरालिक, जशाहक, तीक्ष्ण, क्रूर, रसद, जद, मूक, चधिर, अन्ध ( १४, ८ )। इस प्रकार राज्य में विभिन्न प्रकार के चरों का जाल-सा बिछा रहता था। इन चरों में कुछ ऐसे होते थे जो शत्रु राजा के निकट से निकट पहुँचने का प्रयास करते थे। वहाँ पर किसी प्रकार की नीकरी पर नियुक्त हो जाते थे जिस से कि शासन के आन्तरिक सेवा में जो कुछ भी हो रहा हो उस की सूचना वे अपने राजा के पास भेज सकें।

### सामन्त शासकों के साथ सम्बन्ध

प्राचीन काल में भारत में अनेक सामन्त राजा थे। दिविजय की नीति के कारण एक विजेता विजित राजा के राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाता था, अपितु उस के द्वारा अधीनता स्थीकार कर लेने पर उसे उस के राज्य में आन्तरिक स्वतन्त्रता प्रदान कर देता था। वह पूर्ववत् दिविजयी शासक के अन्तर्गत अपने प्रदेश पर शासन करता रहता था। इस प्रकार उस काल में अनेक सामन्त शासक थे। इन सामन्त शासकों के अवधीन भी अन्य सामन्त शासक होते थे। सार्वभौम शासक को अपने सामन्त शासकों के साथ सम्बन्ध उन की शक्ति तथा स्थिति के अनुसार भिन्न प्रकार का होता था। परन्तु सम्भवतः सम्भाट के अदेशों का पालन करना, वायिक कर देना, युद्ध काल में सेन्य सहायता प्रदान करना, राज दरबार में औपचारिक अवसरों पर ही नहीं, अपितु समय-क्षमय पर उपस्थित होना उन के लिए आवश्यक समझा जाता था। अपने द्वान्-पत्रों और शासनों में सम्भाट का नाम सर्वप्र रखता उन के लिए आवश्यक था। सामन्तों के दरबार में सम्भाट के हितों की रक्षा के लिए तथा सामन्तों के निमन्त्रण के लिए सम्भाट की ओर से प्रतिनिधि भी रहा करते थे। ये प्रतिनिधि गुप्तचरों के द्वारा सम्भाट को उन की गतिविधियों के सम्बन्धों में सूचना देते रहते थे। नीति-वाच्याभूत में सामन्तों के विषय में कोई विस्तृत वर्णन तो नहीं मिलता किन्तु सामन्तों के होने का प्रमाण अत्रश्य मिलता है। उस में दिजिगोषु राजा का वर्णन आया है

(२९, २०)। विजिगोपु वही होता था जिस की अधीनता में अनेक माण्डलिक अथवा सामन्त राजा होते थे।

## युद्धकाल में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

सभी भारतीय विचारक इस बात पर सहमत हैं कि अन्य उपाय विकल हो जाने पर ही किसी राजा से युद्ध प्रारम्भ करना चाहिए। अन्य उपाय हैं—साम, दाम और भेद। इन उपायों के प्रयोग द्वारा यदि कोई उसम परिणाम नहीं मिलता है तो राजा को दण्ड का प्रयोग करना चाहिए। मनु ने कहा है कि प्रथम तीन उपायों द्वारा यदि शत्रु नहीं रोका जा सकता है तो फिर उसे दण्ड द्वारा ही परास्त करना चाहिए। लगभग सभी विचारकों ने महत्वाकांक्षी राजाओं को यथासम्भव युद्ध से दूर रहने और शान्तिमय उपायों ( सामादि से ) से ही अभीष्ट सिद्ध करने के प्रयत्न का उपदेश दिया है। सोमदेव ने भी इस बात को पुष्ट की है। उन्होंने कहा है कि जब विजिगीषु बुद्धियुद्ध ( साम आदि उपायों ) के प्रयोग द्वारा शत्रु पर विजयशी प्राप्त करने में असमर्थ हो जायें तभी उसे शत्रु-युद्ध करना चाहिए ( ३०, ४ )। अन्यथा उन्होंने कहा है कि बुद्धिमान् सचिव का यह कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी को पहले सन्धि के लिए प्रेरित नहीं। उस में अतः ही पर ही वह युद्ध के लिए डिप्रेरित करे। उन का कथन है कि वह भन्ती एवं मित्र दोनों निष्ठा शत्रु के समान है जो शत्रु द्वारा आक्रमण किये जाने पर अपने स्वामी को भविष्य में कल्याणकारक अन्य सन्धि आदि उपाय न बताकर पहले ही युद्ध करने में प्रयत्नशील होने का या भूमि परित्याग कर दूसरे स्थान पर जाने का परामर्श देनेर उस को भद्वा अनर्थमें छाल देने हैं ( ३०, १ )। युद्ध के परिणामों को व्याप में रखकर इस उपाय का प्रयोग अन्तिम रूप से ही करने का आदेश था।

परन्तु भारतीय विचारक यह भी जानते थे कि सदैव के लिए युद्ध को नहीं रोका जा सकता है। अतः उस की सम्भावना को यथासम्भव कम करने के लिए उन्होंने विकिध राज्यों के मण्डल बनाकर उन में शक्ति-सञ्चुलन बनाये रखने की व्यवस्था की थी। विकिध राज्यों को बनने आरों और स्थित राज्यों से इस प्रकार मित्रता तथा सन्धि कर के शक्ति-सञ्चुलन स्थापित करना चाहिए कि उन को शान्ति और सुरक्षा बनी रहे और किसी भी शक्तिशाश्री राज्य को उस पर आक्रमण करने का साहस न हो सके।

प्राचीन भारतीय राजनीतिक साहित्य में मण्डल विद्वान् पर अध्यन्त बल दिया गया है। लगभग सभी राजनीतिकवान् ग्रन्थों में इस विषय को विस्तृत व्याख्या की गयी है। मनु, कामदक, तथा कौटिल्य आदि विचारकों से इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण माना है और राजा के लिए यह निर्देश दिया है कि उस को ग्रन्ती नीति का

संचालन इस प्रकार करता चाहिए कि राजमण्डल में, जिस से वह विराहुआ है, शक्ति-  
संनुलन बना रहे।

### मण्डल सिद्धान्त

आचार्य सोमदेव ने भी नीतिवाक्यामृत के बाह्यगुण समुद्रेश में इस सिद्धान्त की  
विवाद विवेचना की है। इस सिद्धान्त का उल्लेख विजिगीषु राजा के सम्बन्ध में किया  
गया है। इस मण्डल में सामान्यतः १२ राजा होते थे। प्रथम विजिगीषु होता है जिस  
का साम्पर्य है एक महत्वाकांक्षी तथा विजेता शासक हमारे सभी ग्रन्थ राजा के समक्ष  
दिविजय तथा साम्राज्य विस्तार का आदर्श उपस्थित करते हैं। अतः उन राजाओं को  
अपनी शासन-नीति मण्डल सिद्धान्त के अनुसार संचालित करनी चाहिए।

कौटिल्य के वर्धशास्त्र तथा सोमदेवसूरि के नीतिवाक्यामृत में मण्डल के  
राजाओं की गणना में कुछ अन्तर है। परन्तु सिद्धान्त मूलतः एक ही है। सोमदेवसूरि  
ने मण्डल का निर्माण निम्नलिखित तत्वों (राज्यों) से बताया है—

१. उदासीन—आचार्य सोमदेव ने उदासीन राज्य को व्याख्या इस प्रकार  
की है। जो राजा विजिगीषु, उस के शत्रु तथा मध्यम के आगे-पीछे या पार्व भाग में  
स्थित हो और जो युद्ध करने वालों को विग्रह करने में और उन्हें युद्ध से रोकने में  
सामर्थ्यान् होते पर भी किसी कारण से बुसरे विजिगीषु राजा के विषय में जो उपेक्षा  
करता है, उस से युद्ध नहीं करता, उसे उदासीन कहते हैं (२९, २१)। आचार्य कौटिल्य  
ने भी उदासीन राजा का उल्लेख अपने वर्धशास्त्र में किया है और उस की परिभाषा  
इस प्रकार दी है—विजयाभिलाषी और मध्यम राजाओं से परे अपनी बलिष्ठ सम्प्र  
प्रकृतियों से सम्पन्न बलवान् राजा शत्रु, विजयाभिलाषी और मध्यम राजाओं को  
पृथक्-पृथक् अथवा सब को एक साथ सहायता देने अथवा उन का विग्रह करने में समर्थ  
हो ऐसा राजा उदासीन राजा कहलाता है।

२. मध्यस्थ—जो प्रबल सीन्य से शक्तिशाली होने पर भी किसी कारणवश  
विजय कामना करने वाले दोनों राजाओं के विषय में मध्यस्थ बना रहता है। उन से  
युद्ध नहीं करता वह मध्यस्थ कहा गया है (२९, २२)। इस मध्यस्थ राजा की एक  
विशेषता यह भी होती है कि विजयाभिलाषी राज्य और उस के शत्रु राज्य दोनों के  
राज्यों की सीमा पर यह विषय होता है (२९, २३)।

३. विजिगीषु—जो राज्याभिषेक से अभिषिक्त हो चुका हो और भाग्यशाली,  
कौश, अमात्य आदि प्रकृति युक्त हो एवं राजनीति में निपुण शूरबीर हो उसे विजिगीषु  
कहते हैं। आचार्य कौटिल्य ने भी विजिगीषु की परिभाषा दी है जो इस प्रकार है—  
(आत्मगुण सम्पन्न व्याधादि पंचद्रव्य प्रकृति गुणसम्पन्न एवं सन्धि-विग्रह आदि के  
मली-भाँति प्रयोग जनित नय के आधय में रहने वाले राजा को विजिगीषु कहते हैं।<sup>१</sup>

१. मनु० ७, १५४-१६; कामन्त्रक सर्ग ६; कौटिल्य ६, २।

२. यही, ६, २।

इस का अभिप्राय यही है कि ऐसा होने पर ही राजा वास्तविक रीति से साम, दाम आदि चारों नीतियों का प्रयोग कर के शत्रु को पराजित करने के लिए सम्बन्ध इच्छुक होने के योग्य होता है।

४. शत्रु—जो अपने निकट सम्बन्धियों का अपराध करता हुआ कभी भी दुष्टता करने से बाज नहीं आता उसे शत्रु अथवा अरि कहते हैं (२९, २४)। शत्रु राजा का लक्षण बताते हुए आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि दूरवर्ती (सीमाधिपति आदि) शत्रु व निकटवर्ती मित्र होता है<sup>१</sup> यह शत्रु-मित्र का सर्वया लक्षण नहीं भाना जा सकता क्योंकि शत्रुता और मित्रता के अन्य ही कारण हुआ करते हैं। दूरवर्ती अथवा निकटवर्ती नहीं, क्योंकि दूरवर्ती सीमाधिपति भी कायदा निकटवर्ती के समान शत्रु व मित्र हो सकता है (२९, ३५)।

सोमदेव ने तीन प्रकार के शत्रु राजाओं का उल्लेख किया है—१ सहज शत्रु, २ कृत्रिम शत्रु तथा ३ अन्तर शत्रु (सीमा पर स्थित राज्य का स्वामी)। आचार्य ने इन शत्रु राजाओं को व्याख्या भी की है। वे लिखते हैं कि अपने ही कुल का व्यक्ति राजा सहज शत्रु होता है (२९, ३३)। क्योंकि वह ईश्वरिया उस की समृद्धि सहन नहीं करता और सर्वदा उस के विनाश का चिन्तन करता है। जिस के साथ पूर्व में विजिगीषु द्वारा दैर-विरोध उत्पन्न किया गया है तथा जो स्वयं आकर उस से दैर-विरोध करता है, वे दोनों उस के कृत्रिम शत्रु हैं (२९, ३४)। जो राजा विजिगीषु की सीमा पर वासन करता है वह अन्तर शत्रु है (२९, ३५)। आचार्य कौटिल्य ने भी तीन प्रकार के शत्रु राजाओं का उल्लेख किया है। वे सीमावर्ती राज्य को प्रकृति, अरिराज्य तथा उस के राजा को प्रकृति शत्रु कहते हैं<sup>२</sup>।

५. मित्र—आचार्य सोमदेव ने मित्र का लक्षण बताते हुए लिखा है कि जो पुरुष सम्पत्तिकाल की तरह विपत्ति में भी स्नेह करता है, उसे मित्र कहते हैं (२३, १)। शत्रु राज्य की दूसरी ओर उस की सीमा से सम्बद्ध सीमा वाले राज्य को मनु एवं कौटिल्य मित्र राज्य कहते हैं<sup>३</sup>। आचार्य सोमदेव ने मित्र के भी तीन भेद बताये हैं जो निम्नलिखित हैं—

(१) नित्य मित्र—वे दोनों व्यक्ति नित्य मित्र हो सकते हैं जो शत्रुकृत पीड़ा आदि आपत्तिकाल में परस्पर एक-दूसरे के द्वारा बचाये जाते हैं (२३, २)।

(२) सहजमित्र—वंश परम्परा के सम्बन्ध से युक्त भाई आदि सहज मित्र होते हैं (२३, ३)।

(३) कृत्रिम मित्र—जो व्यक्ति अपना उदार पूर्ति और प्राण रक्षा के लिए अपने स्वामी से वेतनादि लेकर स्नेह करता है वह कृत्रिम मित्र है (२३, ४)। आचार्य

१. कौटि अर्थ ० दृ. २।

२. मनु०४, १५८; कौटिल्य २, ६७।

कौटिल्य ने भी मित्र के यही भेद बताये हैं ।<sup>१</sup>

६. पार्थिणग्राह—विजिगीषु के शत्रु के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करने पर बाद में जो न्युङ होकर उस के देश को नष्ट-भ्रष्ट कर द्वालता है उसे सोमदेव ने पार्थिणग्राह कहा है (२५, २६) ।

७. आक्रमन्द—जो पार्थिणग्राह से बिल्कुल विपरीत आचरण करता है अथवा विजिगीषु की विजय यात्रा में जो हर प्रकार से सहायता पहुँचाता है उसे आक्रमन्द कहते हैं (२५, २७) ।

८. आसार—जो पार्थिणग्राह का विरोधी और आक्रमन्द से मित्रता रखता है वह आसार है (२५, २८) । कौटिल्य ने इसे आक्रमन्दासार कहा है ।<sup>२</sup>

९. अन्तर्धि—शत्रु राजा तथा विजिगीषु राजा इन दोनों के देश में जिस की जीविका है तथा जो पर्वत एवं बाटबी में रहता है उसे सोमदेव ने अन्तर्धि बताया है (२३, २९) । शत्रु राज्य, मध्यम राज्य एवं उदासीन राज्य को राज्य मण्डल का घटक कहा जाता है ।

१०. विवरण से बताया है कि अःनार्ये सोमदेव में ९ राज्यों का मण्डल बताया है । कौटिल्य के मण्डल में १२ राज्यों का उल्लेख मिलता है—१ विजिगीषु, २ अरि, ३ मित्र, ४ अरिमित्र, ५ मित्र-मित्र, ६ अरिमित्र-मित्र, ७ पार्थिणग्राह, ८ आक्रमन्द, ९ पार्थिणग्राह सार, १० आक्रमन्दासार, ११ मध्यम तथा १२ उदासीन । मनु के अनुसार विजिगीषु शत्रु, मध्यम, अरि, उदासीन, ये मण्डल सिद्धान्त के मूल व्यवहार आधार हैं ।<sup>३</sup>

यथापि सोमदेव ने मण्डल के ९ राज्यों के नामों का ही उल्लेख किया है जो कि कौटिल्य के द्वारा वर्णित मण्डल के राज्यों से साम्य रखते हैं । किन्तु जिस प्रकार कौटिल्य ने अरिमित्र, मित्र-मित्र, एवं अरि मित्र-मित्र को इस राज्य मण्डल में सम्मिलित कर दिया है । उसी प्रकार सोमदेव द्वारा प्रतिपादित मण्डल के ९ राज्यों में इस तीन राज्यों को सम्मिलित कर लेने पर उन के राज्य मण्डल में भी १२ राज्य हो जाते हैं । आचार्य सोमदेव इन वा पृथक् नामोल्लेख करना उचित नहीं समझा । इसी कारण उन्होंने राज्य मण्डल में प्रदूस्त ९ राज्यों का ही वर्णन किया है ।

कुछ विद्वानों ने मण्डल के तत्त्वों के साथ राज्य की प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का भी उल्लेख किया है । जिस के आधार पर मण्डल में १२, २६, ५४, ७२, १०८ प्रकृतियों का उल्लेख मिलता है । इस सम्बन्ध में कामन्दक का व्यवहार सर्वान्वय उचित ही है कि मण्डल के तत्त्वों के सम्बन्ध में विभिन्न मत है किन्तु १२ राज्यों का मण्डल

१. कौ० अर्थ० २, २७-२८ ।

२. वही, ६, २ ।

३. वही ।

४. मनु० ७, ११५-१६ ।

स्पष्ट एवं सर्वाधित है।<sup>१</sup> मण्डल का मुख्य उद्देश्य यही है कि विजिगीपु उन मित्र तथा शत्रु राज्यों के बीच जिन से कि वह परिवेहित है, शक्ति-सन्तुलन बनाये रखे। उसे अपनी नीति तथा साधनों में इस प्रकार व्यवस्था करनो चाहिए जिस से उदासीन तथा शत्रु राजा उस को हानि न पहुँचा सके। और न उस से अधिक शक्तिशाली हो सके।<sup>२</sup>

### तीन शक्तियों का सिद्धान्त

इतिहासिक राजा फौजपत्रों प्रजा पर नियन्त्रण रखने के लिए, देश की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए तथा अपने राज्य के प्रसार के लिए तीन शक्तियों से युक्त होना आवश्यक है। ये शक्तियाँ हैं—उत्साहशक्ति, प्रभुशक्ति एवं मन्त्रशक्ति। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इन तीन शक्तियों का उल्लेख मिलता है।<sup>३</sup> कामन्दक ने भी इन शक्तियों का वर्णन नीतिसार में किया है।<sup>४</sup> नीतिवाक्यामूल में भी यह वर्णन मिलता है कि विजिगीपु मन्त्रशक्ति, प्रभुशक्ति एवं उत्साहशक्ति से सम्पन्न होकर शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है, उन के अभाव में नहीं। सोमदेव ने इन शक्तियों की व्याख्या भी की है। जिस विजिगीपु के पास विशाल कोश एवं चतुरंगिणी सेना है वह उस की प्रभुशक्ति है (२९, ३८)। विजिगीपु के पराक्रम तथा रण-कौशल को उत्साह व्यक्त कहते हैं (२९, ४०)। उस के ज्ञान बल को मन्त्रशक्ति कहते हैं (२९, ३६)। कौटिल्य ने भी इन शक्तियों की व्याख्या इसी प्रकार की है।<sup>५</sup> उन का कथन है कि— उत्साहशक्ति से प्रभुशक्ति थेठ है, और प्रभुशक्ति से मन्त्रशक्ति।<sup>६</sup> आचार्य सोमदेव का भी यही विचार है। सोमदेव का कथन है कि जो राजा शत्रु की अपेक्षा वक्त तीन प्रकार की शक्तियों से युक्त होता है उस की विजय होती है और जो इन शक्तियों से शून्य है, जघन्य है (२९, ४१)।

### चार उपाय

उपर्युक्त शक्तियों से सुसम्भित राजा को सर्वप्रथम युद्ध का आश्रय नहीं लेना चाहिए, जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए युद्ध तो अन्तिम साधन बताया गया है। राजशास्त्र प्रणेताओं ने इस सम्बन्ध में अन्य तीन उपायों का वर्णन किया है, जिन का प्रयोग मुद्द से पहले अवश्य करना चाहिए। नीतिवाक्यामूल में भी चार उपायों का वर्णन मिलता है (२९, ७०)।

१. कामन्दक-८, २०-२१।

२. वही, १६, २२।

३. कौ० अ० ०६, २।

४. कामन्दक—१६, ५२।

५. कौ० अ० ०६, २।

६. वही, ८, २।

शत्रु राजा व प्रतिकूल व्यक्ति को बश में करने के चार उपाय साम, दाम, भेद व दण्ड हैं। इन के प्रयोग से शत्रु व प्रतिकूल व्यक्ति को बश में किया जा सकता है। आचार्य सोमदेव ने इन चार उपायों की अव्याख्या भी की है जो इस प्रकार है—

### सामनीति

यह प्रथम उपाय बताया गया है। यदि किसी राज्य में कोई भयानक शत्रुता न होकर किसी साधारण बात पर आपस में वैमनस्य उत्पन्न हो गया हो तो उसे समझा-बुझाकर आपसी वैमनस्य दूर कर लेना चाहिए। यह नहीं कि उस पर सीधा आक्रमण हो कर दिया जाये। आचार्य सोमदेव ने सामनीति के पाँच भेद बतलाये हैं—

१. गुण संकीर्तन—प्रतिकूल व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए उस के गुणों की उस के सामने प्रशंसा करना।

२. सम्बन्धोपारूप्यान—जिस उपाय से प्रतिकूल व्यक्ति की मिश्रता दृढ़ होती है उसे उस के प्रति कहना।

३. परोपकार दर्शन—विद्ध व्यक्ति को भलाई करना।

४. आयति प्रदर्शन—हम लोगों की मेंत्री का परिणाम भविष्य के जीवन को सुखी बनाना है, इस प्रकार की बात को प्रतिकूल व्यक्ति से प्रकट करना।

५. आत्मोपसन्धान—मेरा घन आप अपने कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे को अपने अनुकूल बनाने के लिए व्यक्त करना (२९, ७०)। आस का कथन है कि जिस प्रकार वचनों द्वारा सज्जनों के चित्त विकृत नहीं होते उसी प्रकार सामनीति से प्रयोजनार्थी का कार्य विकृत न होकर सिद्ध ही होता है और जिस प्रकार शक्ति द्वारा शान्त होने वाले पित्त में पटोल ( औषधि-विशेष ) का प्रयोग व्यर्थ है उसी प्रकार सामनीति में सिद्ध होने वाले कार्य में दण्डनीति का प्रयोग भी व्यर्थ है।

### दामनीति

जहाँ पर विजिगीषु शत्रु से अपनी प्रचुर सम्पत्ति के संरक्षणार्थ उसे थोड़ा-सा धन देकर प्रसन्न कर लेता है उसे दामनीति कहते हैं ( २९, ७३ )। शुक ने भी शत्रु से प्रचुर धन के रक्षार्थ उसे थोड़ा धन देकर प्रसन्न करने को उपप्रदान ( दाम ) कहा है। इस नीति का प्रयोग ऐसी परिस्थिति में करना चाहिए, जब प्रथम नीति से काम न बने और यह तिद्वय हो कि युद्ध से दोनों राज्यों की ही हानि होगी तथा दूसरा राज्य अपने से अधिक शक्तिशाली है जिस को आक्रमण कर के नहीं दबाया जा सकता। ऐसी स्थिति में शत्रु राज्य को थोड़ा धन आदि भैंट स्वरूप देकर उसे अपने पक्ष कर लेना ही हितकारक है।

१. व्यास—नीतिवाच ३० ३३२।

## भेदनीति

तीसरा उपाय भेद है। सोमदेव ने इस की परिभाषा करते हुए, किंवा है कि विजिगीषु अपने सेनानायक, सौक्षण व अन्य गुप्तचर तथा दोनों और से बेतन पाने वाले गुप्तचरों द्वारा शत्रु की सेना में परहपर एक-दूसरे के प्रति सन्देह वा तिरस्कार उत्पन्न करना के भेद ढालने को भेदनीति कहते हैं ( २९, ७४ ) ।

## बण्डनीति

शत्रु का बध करना, उसे पीड़ित करना, उस के घन का अपहरण करना आदि इष्टनीति के अन्तर्गत आता है ( २९, ३५ ) । विजिगीषु को अपने सन्नीति को सिद्धि के लिए अन्य चारों उपायों का प्रयोग यथा-अचसर करना चाहिए। जिस समय जैसी नीति की आवश्यकता हो वैसी ही नीति का प्रयोग करना चाहिए। इन नीतियों के उचित प्रयोग से विजय निश्चित हो जाती है।

किस शत्रु से युद्ध किया जाये इस सम्बन्ध में भी आचार्य सोमदेव ने उपयोगी विचार व्यष्ट किये हैं—जो प्रकार है—“जो जार से उत्पन्न हो अथवा जिस को देश का कोई भी ज्ञान ही न हो, लोभी, दुष्ट-हृदय, भुक्त, जिस से प्रजा को गयो हो, अन्यायी, कुमार्गामी, द्वूत एवं मदिरापान आदि व्यसनों में फैदा हुआ मित्र, अमात्य, सामन्त व सेनापति आदि राजकीय कर्मचारी जिस के विरुद्ध हो” इस प्रकार के शत्रु-भूत राजा पर विजिगीषु को आक्रमण करना चाहिए ( २९, ३० ) ।

विजिगीषु को आथयहीन व दुर्बल आश्रय वाले शत्रु से युद्ध कर के उसे नष्ट कर देना चाहिए। यदि कारणवश शत्रु से सञ्चित हो जाये तो भी विजिगीषु भविष्य के लिए अपना मार्ग निष्कण्टक बनाने के लिए उस का समस्त घन छीन ले या उसे इस प्रकार दलित व दुर्बल बना दे जिस से वह भविष्य में उस का विरोध करने का साहस हो न कर सके ( २९, ३१-३२ ) ; जिस के साथ पहले धनी विजिगीषु द्वारा वैर-विरोध उत्पन्न किया गया है सथा जो स्वयं आकर विजिगीषु से वैर-विरोध करता है। ये दोनों उस के कृत्रिम शत्रु हैं। यदि वे शक्तिहीन हैं तो इन के साथ विजिगीषु को युद्ध करना चाहिए अन्यथा शक्तशाली होने की स्थिति में उन्हें सामनीति से ही अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए ( २९, ३४ ) ।

## षाढ़गुण्य सन्त्र

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को विनियमित करने वाला यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। मण्डल के अन्तर्गत विजिगीषु को अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार इन छह गुणों अथवा नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। इन के प्रयोग से राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध निश्चित होते हैं। सोमदेव के अनुसार ये छह गुण इस प्रकार हैं—१. सन्धि, २. विश्रह, ३. यान, ४. आसन, ५. संशय तथा ६. हैषीभाव ( २९, ४३ ) ; कौटिल्य

तथा अन्य प्राचीन आचार्यों ने भी षाढ़गुण्ड मन्त्र के यही छह गुण बतलाये हैं।<sup>१</sup> सोमदेव ने इन छह गुणों का विस्तृत विवेचन नीतिवाक्यामूल में किया है। आचार्य ने इस के लिए एक पृथक् समुद्देश ( षाढ़गुण्ड समुद्देश ) को रचना की है। सोमदेव के अनुसार इन छह गुणों का विवेचन निम्नलिखित है—

**२. सन्धि—**जब विजिगीषु अपनी दुर्बलता के कारण शक्तिशाली राज्य से धनादि देकर उस से मैत्री करता है, उसे सन्धि कहते हैं ( २९, ४४ )। आचार्य कौटिल्य ने सन्धि को परिभाषा करते हुए लिखा है कि दो राजाओं के बीच भूमि, शोश तथा दण्ड ( सेना आदि ) प्रदान करने की शर्त पर किये गये प्रणवन्धन को सन्धि कहते हैं।

आचार्य सोमदेव ने उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है जिन में सन्धि गुण का आधम लेना चाहिए। जब विजिगीषु शक्तिशाली हो तो उसे शत्रु राजा से आविक दण्ड देकर सन्धि कर लेनी चाहिए ( २९, ५१ )। यदि विजिगीषु शत्रु द्वारा भविष्य में अपनी कुशलता का निश्चय करे कि न वह विजिगीषु को नष्ट करेगा और न विजिगीषु शत्रु को, तब उस के साथ विग्रह न कर बिनवा ही करनी चाहिए ( २९, ५३ )। जब कीई सीमाधिपति शक्तिशाली हो और वह विजिगीषु की भूमि पर अधिकार करना चाहता हो तो उसे भूमि से उत्पन्न होने वाली धार्य देकर सन्धि कर लेनी चाहिए। उसे भूमि लाने नहीं देनी चाहिए ( २९, ६८ )। यह यह जानना चाह दूँ है कि भूमि से उत्पन्न होने वाली धार्य विनश्वर होने के कारण शत्रु के पुनर्पीत्रादि द्वारा भोगी नहीं जा सकती, किन्तु भूमि एक बार हाथ से तिकल जाने पर पुनः प्राप्त नहीं होती ( २९, ६६ )। इस के अतिरिक्त विजिगीषु द्वारा दी गयी भूमि को प्राप्त करने वाला सीमाधिपति शक्तिशाली होकर फिर उसे नहीं छोड़ता। शक्तिशाली सीमाधिपति का दुर्बल राजा पहले ही घन आदि देकर अपना मित्र बना ले, अन्त्यथा उस के द्वारा विजिगीषु का सम्पूर्ण घन नष्ट कर दिया जाता है और उस के राष्ट्र का विनाश हो जाता है। जब विजिगीषु स्वयं दुर्बल हो और शत्रु विशेष पराक्रमो एवं महान् शक्तिशाली हो तो उस से सन्धि कर लेनी चाहिए। प्रबल सैनिकों वाले शत्रु के साथ युद्ध न कर सन्धि ही करना उचित है। समान शक्ति वाले राज्यों को भी आपस में कभी युद्ध नहीं करना चाहिए। यदि दो समान शक्ति वाले राज्यों में युद्ध हित जाता है तो वे दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हीन शक्ति वाला विजिगीषु भी प्रबल शक्ति वाले शत्रु से युद्ध कर के विनाश को प्राप्त होता है ( ३०, ६८-६९ )। कौटिल्य का भी यही विचार है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में सन्धि के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं।<sup>२</sup> कौटिल्य ने अनेक प्रकार की सन्धियों का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया है।<sup>३</sup>

१. कौ० अर्थ० ७, १।

२. वही, ७, १।

३. विवाक्यामूल में राजनीति

४. वही, ७, १।

५. वही, ७, ३।

**२. विग्रह—**युद्ध करने को विग्रह कहते हैं। शोटिल्य के अनुसार शशु के प्रति किये गये द्वौह तथा अपकार को विग्रह कहा जाता है।<sup>१</sup> उस के अनुसार इस गुण का प्रयोग तभी करना चाहिए जब विजिगीषु शक्तिशाली हो।<sup>२</sup> सोमदेव ने उन परिस्थितियों का भी वर्णन किया है जिन में विघ्नगण विजिगीषु के लिए हितकारक हो सकता है। यदि उन परिस्थितियों के विरुद्ध इस गुण का प्रयोग किया जाता है तो विजिगीषु का विनाश निष्ठय रूप से होता है। इन परिस्थितियों का वर्णन सोमदेव ने इस प्रकार किया है—यदि विजिगीषु शशु राजा से सैनिक व कोश शक्ति में अधिक है और उस की सेना में खोभ नहीं है तब उसे शशु राजा से युद्ध छेड़ देना चाहिए (२९,५२)। विजिगीषु यदि सर्वगुण सम्पन्न (प्रचुर सैन्य व कोश पुक्त) है और उस का राज्य निष्कर्षक है, तो उसे शशु के साथ युद्ध करना चाहिए (२९,५४)। इस का अभिप्राय यही कि विजिगीषु को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध करने से उस के राज्य में तो किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। शक्तिशाली को हीन शक्ति वाले के साथ युद्ध करना चाहिए। सोमदेव का यह भी कथन है कि एक बार जिस शशु को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया जाये उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा पीड़ित किया गया शशु अपने विनाश की शंका से पुनः पराक्रम शक्ति का प्रयोग करता है (३०,६६)। शशु के भवुर बचनों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह कपटपूर्ण व्यवहार द्वारा विजिगीषु से मुक्ति प्राप्त करके फिर अवसर पाकर उसे नष्ट कर देता है (१०, १४१)।

**३. यान—**सोमदेव के अनुसार विजिगीषु द्वारा शशु पर आक्रमण किये जाने को यान कहते हैं। अथवा शशु को अपने से अधिक शक्तिशाली समझकर अन्यत्र प्रस्थान को भी यान कहते हैं (२९, ४६)। जब विजयाभिलाषी राजा ऐसा समझ लेता है कि शशु के कायों का विष्वंश उस पर आक्रमण कर के हो सम्भव है और उस ने स्वयं अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध कर लिया है तो ऐसी परिस्थिति में उस राजा को यानगुण का आश्रय लेना होगा। सोमदेव ने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि विजिगीषु को शशु देश पर अभियान तभी करना चाहिए जब कि अपना देश पूर्णलेण सुरक्षित हो। यदि अपने देश में सुरक्षा एवं व्यवस्था का अभाव है तो उसे शशु पर कदाचि आक्रमण करने के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। अन्यथा उस के गमन करते ही उस के देश में अव्यवस्था फैल जायेगी, अथवा उस के राज्य पर अन्य कोई शशु आक्रमण कर देगा। जिस का सामना करना बहुत कठिन हो जायेगा।

**४. आसन—**सोमदेव ने आसन गुण का वर्ण इस प्रकार किया है—“सष्ठल शशु को आक्रमण करने के लिए तत्पर देखकर उस की उपेक्षा करना (उस स्थान

१. कौ० अर्थ ७, १।

अपकारी विग्रहः ।

२. वही, ७, ३।

को छोड़कर अन्यथा चले जाना ) आसन है ।<sup>१</sup> कौटिल्य के अनुसार सन्धि आदि गुणों की उपेक्षा का नाम आसन है ।<sup>२</sup>

५. संशय—बलिष्ठ शत्रु द्वारा आक्रमण किये जाने पर किसी दूसरे शक्तिशाली राजा के यही आश्रय प्राप्त करने को संशय कहते हैं (२९, ४८) । कौटिल्य के अनुसार किसी अन्य शक्तिशाली राजा के पास स्वयं को, अपनी स्वीकृत तथा पृथ्र एवं घन-आन्य आदि के समर्पण कर देने को संशय कहते हैं ।<sup>३</sup> शूक्र ने इस को आश्रय कहा है ।<sup>४</sup> इस का अभिप्राय यह है कि जब राजा अपनी हीन दशा देखे और शत्रु शक्तिशाली हो तो वह पराजय की अवधि सम्भावना हो तो उस स्थिति में राजा को अन्य शक्तिशाली राजा का आश्रय प्राप्त कर अपनी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए । शूक्र के अनुसार जिन राजाओं का आश्रय प्राप्त कर के दुर्बल राजा भी शक्तिशाली बन जायें, उन का प्रथम प्राप्त करना आश्रय कहलाता है ।

निर्बल राजा को कौन से राजा का आश्रय प्राप्त करना चाहिए इस सम्बन्ध में आश्रय सौमदेव लिखते हैं कि जनितहीन विजिगीषु शक्तिशाली का ही आश्रय प्राप्त करे । दुर्बल का नहीं, क्योंकि जो विजिगीषु शक्तिशाली शत्रु के आक्रमण के भय से हीन राजा का आश्रय प्राप्त करता है उस की हानि उसी प्रकार होती है जिस प्रकार कि हाथी द्वारा होने वाले उपद्रव के भय से अरण्ड पर चढ़ने वाले अ्यक्ति को तस्काल होनि होती है (२९, ५७) ।

६. द्वैषीभाव—सौमदेव के अनुसार बलिष्ठ राजा के साथ सन्धि तथा दुर्बल के साथ युद्ध को द्वैषीभाव कहते हैं (२९, ४९) । जब विजिगीषु को यह जात हो जाये कि आकान्ता शत्रु उस के साथ युद्ध करने को तत्पर है तो उस द्वैषीभाव का आश्रय लेता चाहिए । सौमदेव ने बृद्धि-आश्रित द्वैषीभाव का भी उल्लेख किया है जो इस प्रकार है—जब विजिगीषु अपने से बलिष्ठ शत्रु के साथ पहले मैत्री कर लेता है और फिर कुछ समय उपरान्त शत्रु का परामर्श हो जाने पर उसी से युद्ध छेड़ देता है तो उसे बृद्धि-आश्रित द्वैषीभाव कहते हैं (२९, ५०) । क्योंकि इस से विजिगीषु की विजय निश्चित होती है ।

कुछ ग्रन्थों में द्वैषीभाव का अर्थ अन्य प्रकार से ही व्यक्त किया गया है । विष्णुपुराण में सेना को दो भागों में विभाजित करने को द्वैषीभाव कहा गया है ।<sup>५</sup> शूक्र के अनुसार अपनी सेना को पृथक्-पृथक् गुलमों में विभाजित करना द्वैषीभाव है ।<sup>६</sup>

१. कौ० अथ० ७, १ ।

उपेक्षगमासनम् ।

२. वही० ७, १ ।

३. शूक्र० ४, १०६६ ।

४. विष्ण० २, १६०; ३-५ ।

५. शूक्र० ४, १०७० ।

द्वैषीभावः स्वसैन्यातो स्थापय गुलमगुलमः ।

इस प्रकार साम-दामादि चार उपाय एवं सन्धि-विग्रहादि वाद्यगुण्य राजशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं। इन के समुचित प्रयोग से राज्य की स्थिति सुदृढ़ बनी रह सकती है। जिस प्रकार प्रजा में सन्तोष के लिए एवं राज्य में सुख और समृद्धि के लिए सुशासन आवश्यक है, उसी प्रकार वैदिक समाजों ने अनुदृश इताने के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए इन वीतियों का प्रयोग बहुत आवश्यक समझा गया है। इस में भूल होने का परिणाम राज्य के लिए घातक होता है। अतः इस सम्बन्ध में पूर्णरूपेण सतर्क रहने का आदेश धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र दोनों में ही दिया गया है।

## युद्ध

आचार्य सोमदेवसूरि का मत है कि जहाँतक सम्भव हो बुद्धि से शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा राजा को अपने पारस्परिक झगड़ों का निवारण करना चाहिए (३०, २)। बुद्धिवल सर्वश्रेष्ठ होता है। जो कार्य शस्त्रवल से सिद्ध नहीं होते वे बुद्धिवल से सिद्ध हो जाते हैं (३०, ५-६)। साम, दाम, भेद आदि उपायों में बुद्धि का ही प्रयोग होता है। अतः जहाँ तक सम्भव हो इन उपायों द्वारा राजा को अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। परन्तु जब वह इन उपायों द्वारा असफल हो जाये तभी शस्त्र-युद्ध करने का विचार करना चाहिए (३०, ४)।

कभी-कभी युद्ध अनिवार्य भी हो जाता है। अतः ऐसे अवसर पर पूर्ण तैयारी के साथ युद्ध करना तथा दुष्टों का दलन करना राजा का परम धर्म है। उस के लिए रणक्षेत्र में मूल्य प्राप्त करना प्राचीन आचार्यों की दृष्टि में परम आदर्श है। मनु का निर्देश है कि प्रजा की रक्षा करते हुए राजा को युद्ध-क्षेत्र से भागना नहीं चाहिए और जो इस पुनीत कार्य को करते हुए मूल्य को प्राप्त होते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है।<sup>१</sup> महाभारत में भीष्म कहते हैं कि अविय के लिए घर में मूल्य प्राप्त करना पाप है। उस के लिए तो प्राचीन परम्परा यही है कि युद्ध करते-करते युद्ध क्षेत्र में उस की मृत्यु होनी चाहिए।<sup>२</sup> आचार्य सोमदेव ने भी इन्हीं भाषों को तोतिवाक्यामृत में व्यक्त किया है। उन का कथन है कि शत्रु के आक्रमण से भयभीत होकर अपनी मातृभूमि को छोड़कर विजिगीषु को कहीं भागना नहीं चाहिए, अपितु राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए (३०, १२)।

## युद्ध के सम्बन्ध में विजिगीषु के लिए कुछ निर्देश

आचार्य सोमदेव का कथन है कि युद्ध का मिण्य बहुत सोच-विचार कर करना चाहिए। क्रोध के आवेदा में नहीं। कभी-कभी वह क्रोध के आवेदा में आकर बलिष्ठ

१. मनु० ७, ८३-८६।

२. महा० भीम० १७, ११।

शत्रु से भी युद्ध को वत्पर हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस का विनाश अवश्यम्भावी हो जाता है ( ३०, ११ )। अपने विनाश के निश्चित हो जाने पर भी राजा को युद्धक्षेत्र से बाहर नहीं चाहिए, अपितु युद्ध में उन्हें रहना। यहाँ पर्याप्त : क्योंकि भागने वाले की मृत्यु निश्चित ही रहती है ( ३०, १२ )। परन्तु युद्ध में यह बात निश्चय पूर्वक नहीं कही जा सकती कि युद्ध करने वाले की अवश्य ही मृत्यु हो जायेगी। यदि वह दीर्घ आयु है तो उस की सफलता अवश्य ही होती है। विजय और पराजय तथा जीवन और मृत्यु विधि के अधीन है ( ३०, १५ )। सौमदेव का मत है कि यदि शत्रु अपने से अधिक शक्तिशाली हो तो उस से युद्ध कभी महीं करना चाहिए, अपितु सन्ति ही कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार पदाति सैनिक हस्ति बालू, सैनिक से युद्ध करने पर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार हीन शक्ति वाला राजा भी अपने से अधिक शक्तिशाली राजा के साथ युद्ध करने से नष्ट हो जाता है ( ३०, ६९ )। युद्ध के समग्र विषय से आये हुए किसी भी अपरीक्षित व्यक्ति को अपने पक्ष में नहीं मिलाना चाहिए। यदि उसे अपने पक्ष में मिलाना आवश्यक हो तो भली-भांति परीक्षा करने के उपरान्त हो उसे अपने पक्ष में मिलाना चाहिए। उसे वहाँ छहरने नहीं देना चाहिए ( ३०, ५० )। शत्रु के कुटुम्बी, जो कि उस से अप्रसन्न होकर वहाँ से जले आये हों उन्हें परीक्षो-परान्त अपने पक्ष में मिलाना चाहिए, क्योंकि शत्रु सेना को नष्ट करने का प्रमुख मन्त्र यही है ( ३०, ५० तथा ५१ )।

इस के साथ ही विजिगीषु जिस शत्रु पर आक्रमण करे उस के कुटुम्बियों को साम, वाम आदि उपायों द्वारा अपने पक्ष में मिलाकर उन्हें शत्रु से युद्ध करने के लिए प्रेरित करना चाहिए ( ३०, ५४-५६ )। विजिगीषु का कर्तव्य है कि शत्रु ने उस की जितनी हानि की है उस की उस से अधिक हानि कर के उस के साथ सन्धि कर लेनी चाहिए। दोनों शत्रु कुपित होने पर ही सन्धि के सूत्र में बैंध सकते हैं, उस से पूर्व महीं ( ३०, ५७ )। समान शक्ति वालों का परस्पर युद्ध होने से दोनों का मरण निश्चित होता है और विजय प्राप्ति सन्दिध रहती है। जिस प्रकार कच्चे घड़े परस्पर एक दूसरे से ताड़ित किये जायें तो दोनों नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार समान शक्ति वाले शत्रुओं का युद्ध होने से दोनों ही नष्ट हो जाते हैं ( ३०, ६८ )।

## संस्थ-संगठन

किसी भी राजा की विजय सुशिक्षित सेना पर ही निर्भर है। अतः राजा का यह कर्तव्य है कि वह एक सुशिक्षित तथा शक्तिशाली सेना का संगठन करे। आचार्य सौमदेव का कथन है कि शक्तिहीन तथा कर्तव्य विमुख अधिक सेना की अपेक्षा शक्ति-शाली एवं कर्तव्यपरायण अत्य सेना उत्तम है ( ३०, १६ )। जब शत्रु द्वारा उपद्रव किये जाने पर विजिगीषु की सारहीन सेना नष्ट हो जाती है, तो उस की शक्तिशाली सेना भी अघीर हो जाती है ( ३०, १७ )। अतः विजिगीषु को दुर्बल सेना कभी

नहीं रखनी चाहिए। सैन्य-शक्ति ही विजिगीषु का बल है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह उस को सक्षम तथा सशक्त बनाये रखे। इस की शक्ति को धीण न होने दे। सेना की शक्ति धीण होने से राजा की शक्ति भी धीण हो जाती है। सोमदेव ने ऐसे राजा की उपमा जंगल से निकले हुए उस शेर से दी है जो गोदड़ के समान शक्तिहीन हो जाता है ( ३०, ३६ ) ।

## युद्ध के भेद

प्रायः सभी आचार्यों ने युद्ध के दो भेद बताये हैं—( १ ) धर्मयुद्ध तथा ( २ ) कूटयुद्ध। आचार्य कौटिल्य ने तीन प्रकार के युद्धों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है—( १ ) प्रकाशयुद्ध, कूटयुद्ध और ( ३ ) तृष्णीयुद्ध।<sup>१</sup> आचार्य सोमदेव-सूरि ने केवल दो प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है ( ३०, ९१ ) । उन्होंने कूटयुद्ध की व्याख्या करते हुए लिखा है कि एक शत्रु पर आक्रमण प्रकट कर के वहाँ से अपनी सेना लौटाकर युद्ध द्वारा जो अन्य शत्रु का घात किया जाता है उसे कूटयुद्ध कहते हैं ( ३०, ९० ) । तृष्णीयुद्ध वह युद्ध है जिस में विष बेने वाला घावक पुरुषों को भेजा जाता है अथवा एकान्त में चुपचाप स्वयं शत्रु के पास आकर एवं भेदतोति के उपायों द्वारा शत्रु का घात किया जाता है ( ३०, ९१ ) ।

## धर्मयुद्ध

प्राचीन काल में धर्मयुद्ध को बहुत महत्व दिया जाता था। इस युद्ध के निष्परित नियम थे और इन्हों के अनुसार युद्ध किया जाता था। धर्मयुद्ध के नियम मानवों-चित दयादि गुण से युक्त होते थे। इस का उद्देश्य शत्रु का विनाश नहीं होता, अपितु उस को पराजित कर के अपनी अधीनता स्वीकार कराना ही इस का उद्देश्य था। इस में विवेके बारों आदि का प्रयोग तथा अग्निबारों का प्रयोग वर्जित था। इस के साथ ही यह युद्ध समान शक्ति वालों के साथ होता था, जिस में पैदल सेना पैदल से तथा हस्ति सेना हस्ति सेना से और रथारुढ़ रथारुढ़ों से युद्ध करते थे। यदि युद्ध में किसी का रथ टूट जाता था अथवा कोई घायल हो जाता था तो उस पर आक्रमण करना धर्मयुद्ध के नियमों के विरुद्ध माना जाता था। धर्मयुद्ध का उद्देश्य तो धर्म की स्वापना करना एवं अधर्म का नाश करना था। परन्तु सार्वभौम बनने की चल्काह अभिलाधा के कारण अद्वयेधादि यज्ञों द्वारा पराक्रम प्रकट करने के लिए भी युद्ध किया जाता था। अब शत्रु पर धर्मयुद्ध द्वारा विजय प्राप्त करना असम्भव दिखाई देता था तो ऐसी स्थिति में कूटयुद्ध का भी प्रथम लिया जाता था।

१. खौ० अ१० ७, ६।

विक्रमस्य पक्षाशकुद्धं कूटयुद्धं तृष्णीयुद्धमिति सञ्चितिकमौ ।

## युद्ध के लिए प्रस्थान

जब विजिगीषु शत्रुयुद्ध करने के लिए प्रस्थान करे तो उस के सेनाभ्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह आधी सेना को शस्त्रादि से सुसज्जित कर के रक्षित रखे, तदुपरास्त विजिगीषु को शत्रु पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जब वह शत्रु सेन्य की ओर प्रस्थान करने में प्रयत्नशील हो, तब उस के समीप चारों ओर सेना का पहरा रहना चाहिए तथा उस के पीछे शिविर में भी सेना विद्यमान रहनी चाहिए (३०, ९६)। इस का कारण यह है कि विजिगीषु कितना ही क्षक्तिशाली नहीं न हो, परन्तु वह यान के समय अद्याकुल हो जाता है और शूरवीर लोग उस पर प्रहार कर देते हैं। जब विजिगीषु दूरवर्ती हो और शत्रु की सेना उस की ओर आ रही हो तो ऐसे अवसर पर उन में रहने वाले उस के मुक्तचरों को जाहिए कि वे धुर्जी करने, आग जलाने, धूल उड़ाने अथवा भैसे का सींग फूँकने का बहद करने का बहाना कर के उसे शत्रु की सेना के आने का समाचार दें, ताकि उन का स्वामी सावधान हो जाये (३०, ९६)। विजिगीषु शत्रु के देश में पहुँचकर अपनी सेना का पहाड़ ऐसे स्थान पर स्थापित करे जो मनुष्य की कँचाई के बराबर कँचा हो, जिस में थोड़े अन्तिमों का प्रवेश, भ्रमण तथा निकास हो, जिस के आगे विजाल सभा मण्डल के लिए पर्यामि स्थान हो, उस के मध्य में स्वयं ठहर कर उस में अपनी सेना को ठहरावे। सर्व-नाधारण के आने-जाने योग्य स्थान में सैन्य का पहाड़ डालने एवं स्वयं ठहरने से विजिगीषु अपनी प्राण रक्षा नहीं कर सकता है (३०, ९८-९९)। विजिगीषु पैदल, पालकी अथवा थोड़े पर चढ़ा हुआ शत्रु भूमि में प्रविष्ट न होवे, क्योंकि ऐसा करने से अचानक शत्रु द्वारा उपद्रव किये जाने पर वह उन से अपनी रक्षा नहीं कर सकेगा (३०, १००)। अब विजिगीषु हाथों अथवा बाह्य-विशेष पर आँढ़ हुआ शत्रु-भूमि में प्रविष्ट होता है तो उसे शत्रु के उपद्रवों का भय नहीं रहता (३०, १०१)।

नगर का घेरा किस अवसर पर डालना उचित होगा, इस सम्बन्ध में आचार्य सोमदेव लिखते हैं कि जब शत्रु मद्दपान आदि व्यसनों व जालस्य में ग्रसित हो तथा विजिगीषु को उत्तम सैन्य उस के नगर में भेजकर शत्रु-नगर का घेरा डालना चाहिए (३०, ८९)।

## व्यूह और उस का महत्व

युद्धक्षेत्र में संग्राम करने के लिए सेना की जो व्यवस्था की जाती है उसे व्यूह कहते हैं। व्यूह-रचना भी युद्ध को दृष्टि से भवान् कीशल है। कभी-कभी इसी व्यूह-रचना-कीशल के कारण अत्यसंख्यक सेना अहुसंख्यक सेना पर विजय प्राप्त कर लेती है। कुरुक्षेत्र में पाण्डवों की व्यूह-रचना इस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पाण्डव नित्य नये दंग का व्यूह बनाया करते थे, इसी कारण उन को अपेक्षाकृत अल्प सेना कोरवों की विशाल सेना पर विजयी हुई। व्यूह-रचना दो प्रकार से की जाती है, एक तो वह

जिस समय सेना युद्ध में प्रविष्ट होती है और दूसरी वह जब प्रमुख सेना शत्रु की दृष्टि से परे रखी जाती है और छोटी-सी सेना सजाकर उस के समक्ष उपस्थित कर दी जाती है।

कौक्र तथा कौटिल्य ने व्यूह-रचना के सम्बन्ध में बड़े विस्तार के साथ विवेचन किया है<sup>१</sup>। कौटिल्य के अनुसार मकर व्यूह, शकटव्यूह, वज्रव्यूह, मशव्यूह, शूचि-व्यूह, दण्डव्यूह, भोगव्यूह, मण्डलव्यूह, संहतव्यूह आदि व्यूहों के प्रकार हैं<sup>२</sup>। आचार्य सोमदेव का कथन है कि अच्छी प्रकार से रचा हुआ सैन्य-व्यूह उस समय तक ठीक विस्थित रहता है, जबतक कि उस के द्वारा शत्रु सैन्य दृष्टिगोचर नहीं होता (३०, ८७)। इस का अभिप्राय यह है कि शत्रु सेना दिखाई पड़ने पर विजिगीषु के बीर सैनिकों अपना व्यूह छोड़कर शत्रु सैन्य में प्रविष्ट होकर उस से भयंकर युद्ध करने लगते हैं। इस प्रकार रक्षा हुआ व्यूह अस्थिर हो जाता है। आचार्य सोमदेव का यह भी निर्देश है कि विजिगीषु के बीर सैनिकों को युद्धकला की शिक्षानुसार युद्ध करना चाहिए, अपितु उन्हें शत्रु हारा किये जाने वाले महारों जो ज्ञान में खलफ़ ही युद्ध करना चाहिए (३०, ८८)।

### युद्ध के नियम

प्राचीन काल में युद्ध के भी कठिपय नियम थे। इन्हीं नियमों के अनुसार युद्ध किया जाता था और उन का अतिक्रमण करना बहुत शुरा समझा जाता था। युद्धनीति की भौति नीतिवाक्याभूत में इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन नहीं हुआ है किन्तु फिर भी उस में कठिपय नियमों का उल्लेख मिलता है। सम्भवतः सोमदेव भी युद्ध के परम्परागत नियमों को ही मानते थे। इसी कारण उन्होंने इस विषय का विशद विवेचन अपने ग्रन्थ में नहीं किया है। वे लिखते हैं कि संग्राम-भूमि में पैरों पर पड़े हुए भग्नभीत, शस्त्रहीन दाढ़ु की हत्या करने में लक्ष्यहत्या का पाप लगता है (३०, ७५)। युद्ध में जो शत्रु बन्दी बना लिये गये हो उन्हें वस्त्रादि देकर मुक्त कर देना चाहिए (३०, ७६)।

### विजय के उपरान्त विजिगीषु का कर्तव्य

विजेता का विजित देश के शत्रु के प्रति क्या कर्तव्य होता चाहिए, आचार्य सोमदेव ने इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं ढाला है। परन्तु रामायण, महाभारत, अग्निपुराण, कौटिलीय-अर्थशास्त्र आदि ग्रन्थों में इस विषय की चर्चा की गयी है। सम्भवतः सोमदेव भी इस से सहमत थे। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि विजेता का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश की भौति ही विजित प्रदेश को भी रक्षा करे और वहाँ की प्रथाओं, परम्पराओं एवं पद्धतियों को मान्यता प्रदान करे।<sup>३</sup> इसी प्रकार

१. शुक्र० ४, ११०४ तथा कौ० अर्थ० १०, ४।

२. कौ० अर्थ० १०, २।

३. याज्ञ० १, ३५३-४२।

कोटिल्य ने भी कहा है कि विजेता को विजित राजा की मूर्ति, धन, पुत्र तथा पत्नी आदि पर अधिकार नहीं करना चाहिए। अन्यथा उस से मण्डल के राजा अप्रसन्न हो जायेंगे और मृतक राजा के पुत्र या उस के बंशज को राजसिंहासन पर आसीन कर देंगे।<sup>१</sup> राजनीतिप्रकाश का कथन है कि विजित राजा भले ही दोषी हो किन्तु विजेता को उस के दोष के कारण उस के देश को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्षेत्रोंकि उस ने कभी जनता से परामर्श लेकर तो दोषपूर्ण व्यवहार प्रारम्भ नहीं किया था।<sup>२</sup> शुक के मत में इस सम्बन्ध में योङ्गा अन्तर है। वे किखते हैं कि शत्रुओं को जीतकर राजा को उत्त से कर ग्रहण करना चाहिए अथवा राज्य का अंश अथवा समस्त राज्य को हस्तगत कर लेना चाहिए और प्रजा को आनन्दित करना चाहिए। मृतराजा के योग्य पुत्र अथवा बंशज को उस के राजसिंहासन पर आसीन कर देना चाहिए तथा उस के विजित प्रदेश का बत्तीसवाँ भाग उस के निवाहि के लिए देने की व्यवस्था कर देनी चाहिए।<sup>३</sup>

भारतीय इतिहास के अबलोकन से विदित होता है कि प्राचीन सआट् तथा विजेता प्रायः इन नियमों के अनुसार ही व्यवहार करते थे।

### युद्ध में मारे गये सैनिकों की सन्तति के प्रति राजा का कर्तव्य

आचार्य सोमदेव ने युद्ध में मारे गये सैनिकों की सन्तति का पालन-पोषण करना राजा का पुनीत कर्तव्य बताया है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह सदैव उन का क्षणी रहता है। आचार्य ने इसे अनथि कहा है और इस का परिणाम राजा के लिए हानिकारक बतलाया है (२०, ९३)। बास्तव में युद्धस्थल में मृत्यु को प्राप्त हुए सैनिकों की सन्तति का उचित ढंग से पालन-पोषण करने का उत्तरदायित्व विजिगीपु का होमा सर्वथा उचित ही है।



१. कौ० अर्य० ५, १६।

अर्मणि मृतस्थ पुत्रं राज्ये स्थापयेत् । एवमल्य दण्डोपनताः पुत्रपौत्राननुवर्त्तन्ते ।

पहुङ्गतान्वया वध्या न। त्रिविष्वपुवदारातभिमन्येत् तस्योद्दित्वं मण्डलभभाज्योपतिष्ठते ।

२. राजनीतिप्रकाश-पृष्ठ २१।

३. शुक० ४, १११-११८ तथा १२१३-१२१८।

## न्याय-व्यवस्था

निष्पक्ष न्याय करना तथा दुष्टों का दमन करना राजा का प्रमुख कर्तव्य था। वह न्याय का स्रोत था।<sup>१</sup> मनु का कथन है कि जो राजा अद्वितीय को दण्ड देता है और दण्डनीय को दण्ड नहीं देता वह नरकगामी होता है।<sup>२</sup> आचार्य शुक्र ने राजा के आठ कर्तव्यों में दुष्टनियह को भी प्रधान कर्तव्य माना है।<sup>३</sup> महाभारत के अनुसार न्याय व्यवस्था का महिलाचित प्रबन्ध न हो तो राजा को स्वर्ग तथा यश की प्राप्ति नहीं हो सकती।<sup>४</sup> याजवल्क्य का कथन है कि न्याय के निष्पक्ष प्रशासन से राजा को वहाँ फल प्राप्त होता है जो यज्ञ आदि के करने से प्राप्त होता है।<sup>५</sup> अतः निष्पक्ष न्याय राजा को यश एवं स्वर्ग को प्रदान करने वाला तथा प्रजा को सुख एवं शान्ति प्रदान करने वाला होता है। आचार्य सोमदेव भी इसी प्राचीन परम्परा के अनुयायी थे। उन का कथन है कि जब राजा यम के समान कठोर होकर अपराधियों को दण्ड देता है तो प्रजा अपनी भयदी में स्थिर रहती है तथा राजा को धर्म, अर्थ और काम आदि पुरुषाधीं की प्राप्ति होती है (५, ६०)। अन्यथा आचार्य ने लिखा है कि जब राजा न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता है तब सम्पूर्ण दिशाएँ प्रजा को अभिलिखित फल प्रदान करने वाली होती हैं (१७, ४५)।

प्रशासन में न्याय के महत्व का वर्णन करने के साथ ही आचार्य सोमदेव का यह भी कथन है कि जो राजा न्यायपूर्वक शासन नहीं करता वह प्रजापीड़न तथा असत्तोष का दोषी होता है और इस के परिणामस्वरूप वह नष्ट हो जाता है (८, २०)। अतः न्याय-व्यवस्था शासन के स्थापित्य का मूलाधार है।

### न्यायालय

राज्य में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना के लिए न्याय-व्यवस्था आवश्यक है। निष्पक्ष न्यायालय नागरिकों में राजभक्ति एवं विश्वास उत्पन्न करते हैं और उन-

१. शुक्र ० १, १४ तथा १ नारद ० प्रकीर्णक २३।

२. कौ० ऋथ १, ११।

३. मनु ० ८, १३८।

४. शुक्र ० १, १२३।

दुष्टनियहर्न दार्तं प्रजाधाः परिपत्तनम्।

यजनं राजपूथादेः कोशान्तो न्यायतोऽर्जनम्॥

५. महा० शान्ति ० ६६, ३२।

६. याह० १, ३५४-५५।

के अधिकारों की रक्षा करते हैं। यद्यपि सोमदेव ने निष्पक्ष न्याय की आवश्यकता एवं महत्व पर बहुत बल दिया है, किन्तु न्यायालयों के संगठन एवं न्यायाधीशों की योग्यता भादि के सम्बन्ध में नीतिवाक्यामूल में अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती। इस के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायालयों की उचित व्यवस्था थी (२८, २२)। प्रत्येक न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते थे तथा उन का व्यवस्था थी (२८, २३)। प्रत्येक न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते थे तथा उन का व्यवस्था थी (२८, २४)। नीतिवाक्यामूल में इनके बारे में किसी वर्णन नहीं मिलता। अर्थात् व्यायामूल में इनकी व्यायामूल के न्यायालयों का स्पष्ट उल्लेख है।<sup>१</sup> किन्तु नीतिवाक्यामूल में ऐसा कोई उल्लेख नहीं।

व्याप-प्रणाली के शिखर पर राजा का न्यायालय था जो राजधानी में स्थापित था (२८, २७)। इस न्यायालय को सोमदेव ने सभा तथा इस के सदस्यों को सम्म कहा है (२८, ३ तथा ७)। इस सभा का सभापति स्वयं राजा होता था जो इन सदस्यों को सहायता से न्याय करता था (२८, ५)। सभा में कितने सभासद होते थे इस विषय में आचार्य ने कुछ नहीं लिखा है। प्राचीन नीतिवाक्य के अन्यों में भी न्यायालय के लिए सभा तथा उस के सदस्यों के लिए सभ्य शब्द का प्रयोग किया गया है।<sup>२</sup> और सोमदेव ने भी इन्हीं शब्दों को अपनाया है। इस प्रकार आचार्य सोमदेव प्राचीन न्याय-व्यवस्था के ही समर्थक प्रतीक होते हैं।

नीतिवाक्यामूल के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उपर्युक्त न्यायालय के दो प्रकार के क्षेत्राधिकार थे। प्रथम, तो राजधानी की सीमा में होने वाले समस्त विवादों का निर्णय करने का भौतिक अधिकार इसे प्राप्त था और हितीय, अन्य नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले निर्णयों की अपील सुनने का अधिकार भी इसे प्राप्त था (२८, २२)। विनाशकर के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने की उचित व्यवस्था थी। यह अपील राजा के न्यायालय में की जाती थी। राजा का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय था और उस के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती थी। इस का निर्णय अन्तिम था। सोमदेव लिखते हैं कि राजा द्वारा दिया गया निर्णय मिदोय होता है। अतः जो बादी अथवा प्रतिवादी राजकीय आज्ञा अथवा निर्दाश का उल्लंघन करे उसे मृत्यु दण्ड दिया जाये (२८, २३)। आचार्य ने राजकीय आज्ञा को बहुत महत्व दिया है। उन का कथन है कि राजकीय आज्ञा किसी के द्वारा भी उल्लंघन नहीं की जा सकती (१७, २५)। आगे वे लिखते हैं कि जिस की आज्ञा प्रजाजनों द्वारा उल्लंघन की जाती है, उस में और चिन्ह के राजा में क्या अन्तर है (१७, २४)।

१. कौ० अ० ३, १ तथा ३, ६ एवं ४, १।

२. म॒०, ८, १९।

धर्मी विद्वस्वधर्मेण सभां भशेषतिष्ठते।

शश्यं चार्हय न कृतभित विद्वास्तु द सभासिदः।

## सम्भवों की धोरणता एवं नियुक्ति

नीतिवाक्यामूल में सभा के सदस्यों ( सम्भवों ) की धोरणता के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश ढाला गया है। सभा के सदस्य सूर्य के समान प्रकाश करने वाली प्रतिभा से युक्त होने चाहिए ( २८, ३ )। जिस प्रकार सूर्य अन्धकार को दूर कर के प्रकाश का संचार करता है, उसी प्रकार सम्भवों को निष्पक्ष भाव से अपराधी के दोषों पर विचार कर के उपरे राजा के समक्ष प्रकाशित करना चाहिए। इस के अतिरिक्त सम्भवों को धर्मज्ञ (कानून का ज्ञाता), शास्त्रज्ञ, व्यवहार का ज्ञाता तथा अपने उत्तरदायित्वों का पालन करने वाला होना चाहिए। आचार्य सोमदेव ने लिखा है कि जिन सम्भवों ने स्मृति प्रतिपादित व्यवहार का न तो अध्ययन द्वारा ज्ञान हो प्राप्त किया है और न धर्मज्ञ ( कानून के ज्ञाता ) पुरुषों के सत्संग से उन व्यवहारों का अवगत हो किया है और जो राजा से ईद्यि एवं धाद-विवाद करते हैं वे राजा के शत्रु हैं, सभ्य नहीं ( २८, ४ )। आगे आचार्य यह भी लिखते हैं कि जिस राजा की सभा में लोभ और पक्षपात के कारण अयथार्थ शहरों लाते सभाकार ( अम्भ ) हों, वे विवद हो जाता रहति ( राजा ) की तत्काल मान व अर्थ को हानि करेंगे ( २८, ५ )। अतः सम्भवों को कानून का पूर्ण ज्ञाता, निष्पक्ष एवं निर्लोभ होना चाहिए। आचार्य का कथन है कि ऐसी सभा में विवाद को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जहाँ स्वयं सभापति प्रतिवादी हो। सभ्य और सभापति के असामंजस्य से विजय नहीं हो सकती। जिस प्रकार बलिष्ठ कुत्ता भी अनेक बकरों द्वारा परास्त कर दिया जाता है उसी प्रकार प्रभावशाली वादी विरोधी राजादि द्वारा परास्त कर दिया जाता है ( २८, ६ )।

न्यायकार्य अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। अतः राजा इस कार्य को तथा अन्य प्रजा कार्यों को स्वयं ही देखे, उन्हें किसी मन्त्री अथवा अमात्य पर न छोड़े।

प्रजाकार्ये स्वमेव पश्येत् ।

—नीतिवाच० १७, ३६

इस के अतिरिक्त आचार्य का यह भी कथन है कि राजा को अपनी प्रजा के साथ निष्पक्ष रूप से तथा समदृष्टि से व्यवहार करना चाहिए। उस के गुण-दोषों का निर्णय तुला की भाँति तौलकर ही करना चाहिए ( २८, १ )।

## अपराध को परीक्षा किये बिना दण्ड देने का निषेध

न्यायालय द्वारा उचित परीक्षा के बिना किसी भी व्यक्ति को दण्ड नहीं देना चाहिए। न्याय के हित में यह आवश्यक है कि पहले अभियुक्त का अपराध सिद्ध हो, तब उसे दण्डित किया जाये। अपने क्रोध को शान्त करने अथवा बदला लेने की भावना से किसी भी व्यक्ति को दण्ड देना राजा के लिए सर्वथा अनुचित है ( १, ४ )।

**कार्य-विधि**—कौटिल्य अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा अन्य नीतिशास्त्र के ग्रन्थों में कानून के चार प्रभुत्व आधार बताए गये हैं—१. धर्म, २. व्यवहार, ३. चरित्र तथा ४. राजशासन।<sup>१</sup> इन्हीं आधारों के अनुसार न्याय किया जाता था। राजसंस्था के और अधिक विकसित हो जाने पर न्याय (न्यायालीओं के विचार) और भीसांसा (कानूनों की व्याख्या) को भी कानून वा आधार माना जाने लगा। इसी लिए याज्ञवल्क्य ने श्रुति, स्मृति, शिष्टाचरण, व्यवहार, न्याय, भीसांसा और राजकीय आज्ञाओं को कानून का आधार माना है।<sup>२</sup> याज्ञवल्क्य स्मृति भारतीय राज्य संस्थाओं के उस स्वरूप को प्रकट करती है जबकि कानून का रूप भल्ली-भाँति विकसित हो चुका था। शूक्र ने देश, जाति, जनपद, कुल यथेणी के कानूनों के अनुसार न्याय करने का आदेश दिया है।<sup>३</sup> इस के विरुद्ध आचरण करने से प्रजा में शोषण उत्पन्न हो जाता है। भनु तथा अन्य धर्मशास्त्रों के रचयिताओं ने इस सिद्धान्त को आवश्यक बतलाया है कि विद्वाओं का निर्णय जनपद, जाति, श्रेणी तथा कुल के परम्परागत घरों के अनुसार होना चाहिए।<sup>४</sup> सोमदेव ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है। सम्भवतः वे प्राचीन परम्परा को ही मानते थे, इसी कारण उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना आवश्यक नहीं समझा। इसी भारत न्यायालयों की कार्यविधि के सम्बन्ध में भी उस के ग्रन्थ में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता। इस का कारण यही है कि न्यायालयों की कार्य-प्रणाली इतनी सरल व सुनिश्चित थी कि प्रत्येक व्यक्ति इस से भल्ली-भाँति परिचित था। अतः उन साधारण बातों का वर्णन करना सोमदेव ने आवश्यक नहीं समझा।

न्यायालय में बादों (मुकदमों) पर विचार खुले रूप से किया जाता था। कोई भी व्यक्ति वहाँ की कार्यवाही को देख-मुन सकता था। भारत में गुप्त रूप से न्याय करने की प्रणाली को दोषयुक्त समझा जाता था। यद्यपि नीतिवाक्यामूर्ति में न्यायालयों की कार्यविधि के सम्बन्ध में कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता, किन्तु फिर भी उस में जो न्याय-व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रकाश ढाला गया है उस के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारत में उस समय भी वही प्रणाली प्रचलित थी जिस का उल्लेख धर्मशास्त्रों तथा नीतिशास्त्रों में हुआ है।

**बाद के चरण**—किसी भी बाद के बारे चरण होते थे। १. प्रसिज्जा, २. उत्तर, ३. क्रिया और ४. निर्णय।

१. कौ० अर्ध० ३, ६।

२. याज्ञ० ३, २।

३. शूक्र० ४, ६५२।

४. मनु० ८, ४९।

ज्ञातिशास्त्रमदान्धर्मान्ध्रेणीधर्मक्षेत्र धर्मविद्।

समीक्ष्य कुलधर्मान्ध्रं अध्यमेत्।

**प्रतिज्ञा**—न्याय प्रक्रिया में प्रथम महत्वपूर्ण चरण प्रतिज्ञा होती है। इस में अभियुक्त अथवा वादी अपने अभियोग को न्यायालय के समझ या तो स्वयं अथवा किसी अन्य के हारा प्रस्तुत करता था। तत्पश्चात् प्रतिवादी को न्यायालय के समझ बुलाया जाता था। प्रतिवादी का यह कर्तव्य था कि न्यायालय हारा बुलाये जाने पर वह उपस्थित हो और वादी की प्रतिज्ञा का उत्तर दे। तत्पश्चात् वादी को एक बार और प्रतिवादी के उत्तर का प्रत्युत्तर देने का अवसर मिलता था। यदि अभियोग चरण होता था तो उसी समय उस का निर्णय सुना दिया जाता था और यदि उस में तथ्य अथवा कानून की कोई जटिलता होती थी तो दोनों को अपने-अपने वादों में तैयारी करने का समय दे दिया जाता था। यदि प्रतिकादी ने वादी के बावें अथवा उस पर लगाये गये अभियोग को अस्वीकार कर दिया तो वादी को उस बावें अथवा अपराध पर दिल्लु फरजा पड़ता था।<sup>१</sup>

**प्रमाण**—सोमदेव ने लिखा है कि आचार्य अनुभव, सच्चे साक्षियों एवं सच्चे लेख इन प्रमाणों से विवाद में सत्य का निर्णय होता है (२८, ९)। किसी भी वाद (मुकदमे) की सत्यता का निर्णय करने के लिए प्रमाणों की आधारकता होती है। साक्षी अथवा साक्ष्य वचनों और लेख में सोमदेव लेख को ही अधिक प्रामाणिकता प्रदान करते हैं (२७, ६३)। सोमदेव के अनुसार प्रत्येक लिखित प्रमाण को उस समय तक स्वीकार करना उचित नहीं है जबतक कि वह साक्ष्य अथवा अन्य प्रकार से सत्य प्रमाणित न हो जायें। लेख पर भी विश्वास उसी समय किया जाता था जब अन्य प्रमाणों से भी वह सच्चा सिद्ध हो जाता था। आचार्य ने अप्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण को अधिक महत्व दिया है। वे साक्षी के उस साक्ष्य (गवाहो) को प्रमाण नहीं मानते जो राजकीय राक्षित के प्रभाव से साक्ष्य देने के लिए बुलाये गये हों (२७, ६४)। इसी के साथ वे विश्वासी एवं जुआरियों की साक्ष्य को तभी ठीक मानते हैं जब कि वह अनुभव व अन्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित हो गयी हो (२८, १२)।

आचार्य सोमदेव यह भी अनुभव करते थे कि कभी-कभी वादी झूठे दावे दायर कर देते हैं, अतः उन्होंने सम्बोधों को ऐसे व्यक्तियों तथा उन के प्रमाणों से सतर्क रहने का आदेश दिया है और विचारपूर्वक निर्णय देने का निर्देश दिया है (२८, २०)।

**शपथ**—साक्षियों को न्यायालय के समझ सत्य बोलने की शपथ भी लेनी पड़ती थी। यदि वे असत्य बोलते थे तो उन को दण्डित किया जाता था। सोमदेव ने सत्य का पता लगाने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य उपायों की ओर भी संकेत किया है। इस के लिए उन्होंने शपथ और दिव्य का उल्लेख किया है (२८, १४ तथा १६)। आचार्य का विचार है कि साक्ष्य द्वारा विवाद सम्बन्धी सत्यता का निर्णय ही जाने के उपरान्त शपथ क्रिया निरर्थक हो जाती है अर्थात् उस के पश्चात् शपथ क्रिया की आवश्यकता नहीं रहती है।

१. वृहत्सति सूति-अधिनारकाण्ड ३, १४।

विभिन्न वर्णों से भिन्न-भिन्न प्रकार की शपथ का विधान—र्म-  
दास्त्री एवं अर्थशास्त्रों में सभी वर्णों के व्यक्तियों से एक-सा व्यवहार, समान दण्ड  
तथा समान शपथ क्रिया का नियेष किया है। आचार्य सोमदेव भी विभिन्न वर्णों के  
व्यक्तियों से पृथक्-पृथक् शपथ लेने का विवेन भिजित करते हैं। उन का कथन है कि  
विवाद के निर्णयार्थ ज्ञाहुणों से स्वर्ण व मज्जोपचीत स्पर्श करने की; शत्रियों से शस्त्र,  
रत्न, पृथ्वी, हाथों, घोड़े आदि बाहन और पालकी का स्पर्श करने की; बैश्वर्णी से कण,  
शिशु, कौड़ी, रुपया तथा स्वर्ण स्पर्श करने की; शूद्रों से दूध, बोज, सर्प को घमई स्पर्श  
करने की तथा घोबो एवं चर्मकार आदि से उन के जीवनीपयोगी उपकरणों के स्पर्श  
फरने की शपथ करानी चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मों एवं अन्य पुरुषों को शुद्धि उन के  
इष्ट देवता के चरणस्पर्श से तथा प्रदक्षिणा करने से होती है। व्याप्र से चनुप लविने  
की तथा चर्मकार व चाण्डाल आदि से गोले चमड़े पर चलने की शपथ लेनी चाहिए  
( २८, ३०-३७ ) ।

जीविकोपयोगी उपकरणों की शपथ को प्रतिया आचार्य सोमदेव की दुष्प्रसन्ना  
एवं मनोवैज्ञानिकसा का प्रमाण है ( २८, ३४ ) । यह स्पष्ट है कि जीविकोपयोगी  
उपकरणों की शपथ सामान्यतः झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों को अपनी जीविका  
से बहुत रुक्ष होता है। कुछ व्यक्तियों के सम्बन्ध में सोमदेव ने शपथ क्रिया को अवृथ  
बतलाया है। उन का कथन है कि संन्यासी के बेष में रहने वाले नास्तिक, चरित्रप्रष्ट  
तथा जाति से वहिष्कृत व्यक्ति शपथ के अयोग्य हैं ( २८, १८ ) ।

सत्य का पता लगाने के लिए सोमदेव ने दूसरा उपाय दिव्य बतलाया है।  
दिव्य का अर्थ उन साधनों से है जिन के द्वारा विवाद का निर्णय शोष्ट्र हो जाता है और  
जो निर्णय अन्य मानवी साधनों द्वारा सम्भव नहीं है। अग्नि, जल, विष, कोश आदि  
को कठिन परीक्षाओं को दिव्य कहते हैं। आचार्य सोमदेव का कथन है कि यदि साक्षी  
का अमाव हो और शपथ क्रिया निरर्थक हो गयी हो तो दिव्य क्रिया का प्रयोग करना  
चाहिए ( २८, १६ ) ।

क्रिया—वाद का तीसरा पाद वादी-प्रतिवादी द्वारा तर्क उपस्थित करना था।  
यदि वादी अथवा प्रतिवादी अपनी बात प्रस्तुत करने में असमर्थ होते थे तो वे अन्य कानून  
के ज्ञाताओं के द्वारा अपने पक्ष का समर्थन करा सकते थे। अब न्यायाधीश दोनों पक्षों  
द्वारा उपस्थित तर्कों को सुन रहा हो तो यथार्थ निर्णय पर पहुँचने के लिए पर्याप्त हेतु  
बतलाये गये हैं—(१) दृष्टवोप, जिस के अन्तराध को देख लिया गया है। ऐसी स्थिति  
में न्यायाधीश के लिए जस व्यक्ति को अपराधी मिठ करना कठिन नहीं होगा।  
(२) स्वयं वाद, जो व्यक्ति स्वयं अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। ऐसी दशा  
में भी न्यायाधीश के लिए किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर देना कठिन नहीं होता।

(३) सरलतापूर्वक न्यायोचित तर्क अस्तित्व करना, (४) कारणों का उत्तरित करना तथा (५) शपथ ।

उपर्युक्त पाँच हेतु अपराधी के अपराध का निर्णय करने के लिए आवश्यक सावन बहलाये गये हैं। यदि हन पाँच हेतुओं द्वारा निर्णय सम्भव न हो तो सके तो गुपचरों का प्रयोग करना चाहिए और उन की सहायता में अपराधी के अपराध का पता लगाना चाहिए ।<sup>१</sup>

**निर्णय**—बहुस अथवा क्रिया के पश्चात् निर्णय दिया जाता था। निर्णय निष्पक्ष तथा अभियोग से सम्बन्धित समस्त परिस्थितियों पर विचार कर के दिया जाता था। न्यायालय द्वारा परीक्षण किये दिना किसी को भी दण्ड देना अनुचित समझा जाता था। आचार्य सोमदेव भी इसी विषय परोषक है। स्मृति प्रत्यों के अनुसार निर्णय लिखित रूप में दिया जाता था। जिस लेख में यह निर्णय लिखा जाता था उसे जयपत्र कहते थे। उस की एक प्रति विजेता पक्ष को दी जाती थी।<sup>२</sup> नीतिवाक्यामृत में इस का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

**दण्ड विधान**—न्यायालय द्वारा दण्ड की क्या अपवस्था थी इस सम्बन्ध में नीतिवाक्यामृत में अल्प सामग्री ही उपलब्ध होती है। परन्तु उस के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि दण्ड अपराधानुकूल ही दिया जाता था। अन्यायपूर्ण दण्ड से प्रजा में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है।

सम्पत्ति विषयक बादों में अर्थदण्ड की अपवस्था थी, और सम्पत्ति उस के उचित अधिकारी को ही प्राप्त होती थी। अनुकूलों को रद्द करने का अधिकार न्यायालयों को था अथवा नहीं, इस का कोई उल्लेख नीतिवाक्यामृत में नहीं मिलता। ही, कोजदारी के मुकदमों में अर्थदण्ड, कारावास का दण्ड तथा मृत्युदण्ड का विषय उम में अवश्य है (१६, ३२; २८, १७)। उस में क्लेशदण्ड एवं निष्कासनदण्ड का वर्णन नहीं मिलता। अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा उसी अपराध के लिए आधा दण्ड दिया जाता था।<sup>३</sup> सोमदेव ने इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिया है। उन का सामान्य सिद्धान्त यह था कि अपराध के अनुकूल ही दण्ड देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने जैसा अपराध किया है उस को उसी के अनुकूल दण्ड देना दण्डनीति है—

यथादोषं दण्डप्रणयतं दण्डनीतिः

—नीतिवा० ९, २

१. कौ० अर्थ० ३, १।

२. इहस्पत्ति स्मृति-व्यवहारकाण्ड ६, २६-२८।

३. कौ० अर्थ० ४, ८।

स्त्रियास्त्रधर्मकर्म जात्यनुग्रहो वा।

आचार्य ने यही तक लिखा है कि यदि राजपुत ने भी अपराव किया हो तो उसे भी अपराधानुकूल दण्ड मिलना चाहिए—

अपराधानुरूपोऽदण्डः पुन्रेऽपि प्रणेत्रयः ।

—नीतिशास्त्र २६, ४१

## दण्ड का प्रयोजन

स्मृतियों में दण्ड के चार उद्देश्यों अथवा सिद्धान्तों का वर्णन मिलता है। दण्ड का प्रथम सिद्धान्त अथवा उद्देश्य प्रतिशोधात्मक भावना से दण्ड देना था। जिस व्यक्ति को हानि पहुँचती है उस के मन में स्वभावतः बदले की भावना जागृत होती है। वह भी अपराधी को उसी प्रकार की हानि अथवा चोट पहुँचाने की चेष्टा करता है। जिस प्रकार की हानि उसे पहुँचायी गयी है उसी प्रकार की हानि वह भी उसे पहुँचाने का प्रयत्न करता है। किन्तु सभ्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति को इस अकार का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इस से समाज की शान्ति भंग होने को आशंका होती है। अतः राजा का यह पुनर्नीत कर्तव्य है कि वह अपराधी को उचित दण्ड देकर जिस की हानि हुई है, उस की प्रतिशोध की भावना को शान्त करे।

भय अथवा आतंक स्थापित करने का सिद्धान्त—दण्ड का द्वितीय उद्देश्य अपराधी के हृदय में भय उत्पन्न करना है। अपराधी को ऐसा दण्ड दिया जाये जो दूसरों के लिए उदाहरणस्वरूप हो, जिस से कि वह अपराधी तथा समाज के अन्य व्यक्ति किर अपराध करने का साहस न कर सकें। कठोर दण्ड के भय से व्यक्ति अपराध करने का साहस नहीं कर सकते। क्लेश दण्ड, अंग-भंग का दण्ड, मृत्यु दण्ड आदि का उद्देश्य यही होता है। इस प्रकार इस सिद्धान्त का प्रयोजन समाज को दुष्टों से सुरक्षित रखना और उस को सुख एवं समृद्ध बनाना हो है।

निरोधक सिद्धान्त—दण्ड का तृतीय सिद्धान्त अथवा उद्देश्य अपराधी को अपराध करने से रोकना है। उदाहरणार्थ यदि अपराधी को किसी अपराध के कारण कारावार में बन्द कर दिया जाये तो उस को कुछ समय के लिए अपराध करने से रोक दिया जाता है अथवा उस अपराध की पुनरावृत्ति को समाप्त कर दिया जाता है। यदि वह निष्कायित कर दिया जाता है या उस को मृत्यु दण्ड दे दिया जाता है तो वह सदैव के लिए अपराध करने से रोक दिया जाता है।

सुधारबादी सिद्धान्त—दण्ड का चतुर्थ सिद्धान्त अपराधी में सुधार करना है। दण्ड एक प्रकार का प्रायदिवत्त समझा जाता है जो कि अभियुक्त को विशुद्ध कर के उस के चरित्र में सुधार करता है। इस प्रकार सुधार हो जाने पर वह फिर कभी अपराध करने की ओर अग्रसर नहीं होता।

नीतिशास्त्रमूल में उपर्युक्त सिद्धान्तों का कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता, किन्तु उस की विकीर्ण सामग्री के आधार पर यह बात निविचत रूप से कही जा सकता।

है कि सोमदेव दण्ड के उपर्युक्त सिद्धान्तों में विश्वास रखते थे। इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर उन्होंने नीतिवाक्याभूत में दण्ड का विवाह किया है। वे लिखते हैं कि अपराधी दुष्टों को वश में करने के लिए दण्डनीति के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय है ही नहीं, जिस प्रकार टेढ़ा बौस अग्नि पर सेकने से ही सीधा होता है उसी प्रकार दुष्ट लोग दण्ड से ही सीधे होते हैं—

न हि दण्डादन्यास्ति विनियोगापायो संयोग यव चक्रं काष्ठं सरलयति ।

—नीतिवा० २८, २५

इस प्रकार सोमदेव दण्ड के प्रथम सिद्धान्त के समर्थक प्रतीत होते हैं। अन्यत्र वे लिखते हैं कि राजा के द्वारा प्रजा की रक्षा करने के लिए अपराधियों को दण्ड दिया जाता है, ऐसा प्राप्ति के लिए नहीं (९, ३)। इस का अभिप्राय यही है कि राजा अन प्राप्ति के लोभ से व्यक्तियों को दण्ड न दे, अपितु अपराधी का उन्मूलन करने की भावना से दण्ड का प्रयोग करे। दण्ड की उचित व्यवस्था से ही राष्ट्र सुरक्षित रहता है। यही दण्ड का निरोधक सिद्धान्त है जिस का उद्देश्य अपराधी को अपराध करने से रोकना है। सोमदेव ने राजाज्ञा का उल्लंघन भीषण अपराध बताया है। इस सम्बन्ध में वे लिखते हैं कि राजा आशा भंग करने वाले पुत्र को भी दामा न करे—

आज्ञाभंगकारिणं सुतमपि न सहेत ।—नीतिवा० १७, २३

राजाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के लिए उन्होंने गृह्ण दण्ड का विवाह किया है (२८, २३)। ऐसे कठोर दण्ड का विवाह आचार्य ने इस कारण किया है जिस से कि व्यक्ति राजाज्ञा का उल्लंघन न कर सके। प्रजा दण्ड के भय से ही अपने-अपने कर्तव्यों में प्रवृत्त रहती है तथा अकृत्यों को नहीं करती (२८, २५)। इस प्रकार आचार्य ने भयावह सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

आचार्य सोमदेव दण्ड के सुधारवादी सिद्धान्त में भी विश्वास रखते हैं। दण्ड का प्रधान हेतु बतलाते हुए उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार चिकित्सा से व्यक्ति रोग-मुक्त ही जाता है उसी प्रकार अपराधियों को दण्ड देने से उन के समस्त अपराध विशुद्ध हो जाते हैं।

चिकित्सागम इव दोषविशुद्धिहेतु दण्डः ।—नीतिवा० ९, १

यहीं पर आचार्य स्पष्ट रूप से दण्ड के बदला लेने तथा सुधारवादी धृष्टिकोण में भेद बतलाते हैं। प्रायशिच्छत तथा दण्ड दोनों ही अपराधी को विशुद्ध करने के उपाय बताये गये हैं। अतः अपराधी को विशुद्ध करने के उद्देश्य से दण्ड दिया जाता है। ऐसा करने से अपराधी का नैतिक स्तर उच्च होता है तथा वह अपराध से विमुच्य हो जाता है।

**उचित दण्ड पर बल**

आचार्य सोमदेव ने जहाँ राजाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के लिए मूल्य दण्ड की व्यवस्था की है, वही उन्होंने राजा के न्याय कर्तव्य पर भी विशेष बल दिया

है। पुलशक्ति के द्वारा की उपेक्षा कर के अनेक स्थलों पर उन्होंने राजा को अनुचित दण्ड देने से सामर्थ्यान किया है। दण्ड देने से जो हानि होती है उस की ओर भी आचार्य ने सकेत किया है। ये लिखते हैं कि जो राजा अज्ञानता के कारण स्था क्षेत्र के बशी-मूर्त होकर दण्डनीति की मर्यादा का उल्लंघन कर के अनुचित दण्ड से दण्ड देता है उस से समस्त प्रजा के लोग द्वेष करने लगते हैं—

दुष्प्रणीतो हि दण्डः कामक्षोधाभ्यामज्ञानादा सर्वविद्वेषं करोति ।

—नीतिशास्त्र, ६

इस लिए विवेकी राजा को काम, क्षेत्र और अज्ञान के बशीभूत होकर कभी दण्ड नहीं देता चाहिए। राजा के लिए दण्ड का त्याग भी उचित नहीं है। यदि अपराधियों को दण्ड न दिया जायेगा तो समाज में अव्यवस्था फैल जायेगी। अतः न्यायों राजा को अपराध के अनुकूल दण्ड देकर प्रजा की शोदृष्टि करनी चाहिए। गुरु का कथन है कि जो राजा पापयुक्त दण्ड देता है, परन्तु दण्डनीय दुष्टों को दण्ड नहीं देता उस के राज्य की प्रजा में मात्स्यन्याय का प्रचार हो जाता है। इस से सर्वत्र अराजकता का सूजन होता है।<sup>१</sup> अतः इस अराजकता को रोकने तथा समाज में शान्ति एवं क्षेत्रवस्था को स्थापना के लिए राजा के लिए उचित दण्ड का प्रयोग परम आवश्यक है।

### पुनर्विचार स्था पुनरावेदन

धर्मशास्त्रों में पुनर्विचार का भी उल्लेख मिलता है। यदि बादी को किसी न्यायालय के निर्णय से सत्तोष नहीं होता था अथवा वह यह समझता था कि उस का निर्णय उचित रूप से नहीं हुआ है अथवा उचित अधिकारियों द्वारा नहीं दिया गया है तो वह अर्थ दण्ड देकर न्यायालय द्वारा उस निर्णय पर पुनर्विचार कराने का अधिकारी था। नीतिवाक्यामूर्त में इस प्रकार की व्यवस्था का कोई उल्लेख महीं मिलता। किन्तु उस में यह वर्णन अवश्य प्राप्त होता है कि ग्राम अथवा नगर के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध राजा के न्यायालय में अपील हो सकती थी ( २८, २२ )। इस प्रकार नीतिवाक्यामूर्त में पुनरावेदन अथवा अपील की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इस के साथ ही उस में यह बात भी स्पष्ट रूप से लिखी है कि राजा का निर्णय अनितम होता था और उस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती थी, व्योक्ति राजा का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय था। उस निर्णय के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का असत्तोष प्रकट करता था अथवा उस की अवज्ञा करने का साहस करता था तो उसके लिए मृत्युदण्ड का विवान था ( २८, २३ )।

<sup>१</sup>. गुरु० नीतिवा०, पृ० १०१।

दण्ड्यं दण्डनीति नो यः पापदण्डसमन्वितः ।

तस्य राज्ञै न संवेद्यो मात्स्यो न्यायः प्रकीर्तिः ॥

## निष्कर्ष

आचार्य सोमदेवसूरि का प्रादुर्भाव ऐसे काल में हुआ जब हिन्दू राज्य का सूर्य अस्तोन्मुख था। हर्षवर्धन के अनन्तर कोई भी ऐसा हिन्दू राजा नहीं हुआ जो समस्त देश अथवा उस के अधिकांश भाग को एक केन्द्रीय सत्ता के अन्तर्गत कर सके। इसी कारण हर्ष का भारत का अन्तिम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। उस के पश्चात् भारत के राजनीतिक गगन मण्डल पर एक बार पुनः अव्वकार आ गया। हर्ष के बाद हिन्दू राज्य की सत्ता तो रही, किन्तु सुदृढ़ केन्द्रीय शक्ति का नियन्त्रण अभाव ही गया। देश सैकड़ों छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। वे भारतीय नरेश सीमाविस्तार के लिए अपनी दक्षिण का दुरुपयोग करने लगे। इस राजनीतिक अव्यवस्था से लाभ उठाकर यवनों ने भारत की पावन भूमि पर अधिकार कर लिया।

इसी राजनीतिक अव्यवस्था के युग में सोमदेवसूरि का आविर्भाव हुआ। उस काल में भारतीय नरेशों का पश्चप्रदर्शन करने वाला कोई राजनीति का उद्भव विद्यान् नहीं था। इस अभाव को पूर्ति आचार्य सोमदेव ने की। उन्होंने विद्यान् भारतीय नरेशों के पश्चप्रदर्शनार्थ राजशास्त्र के अमर मन्त्र नीतिवाक्यामूल की रचना की। आचार्य कीटिल्य द्वारा प्रवाहित राजदर्शन की पुनीत धारा कामदक के पश्चात् अवश्य ही गयी थी। आचार्य सोमदेव ने राजदर्शन की इस अवश्य धारा को पुनः प्रवाहित किया। उन्होंने समस्त नीतिशास्त्रों एवं अर्थशास्त्रों का गहन अध्ययन कर के अपनी विलक्षण प्रतिभा से उस नीतिसागर का संधन कर अनर्थ तत्त्व रत्नों के सहित नीतिवचनामूल को उपलब्ध किया। यह अमूल की पावन धारा नीतिवाक्यामूल के रूप में प्रवाहित हुई। इस धारा में अवगाहन कर तत्कालीन राजाओं ने अपने कर्तव्यों एवं आदर्शों का ज्ञान प्राप्त किया तथा राष्ट्रोत्थान का पुनीत संकल्प गहण किया।

आचार्य सोमदेव ने प्राचीन शास्त्रोक्त राजनीतिक सिद्धान्तों को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने राजनीति के अनावृत्तिक पश्च पर अधिक बल विद्या तथा राज्य और समाज दोनों की उन्नति में सहायक सिद्धान्तों का निरूपण किया। आचार्य ने क्रम और विक्रम को राज्य का मूल बताया है तथा इन में भी विक्रम पर अधिक बल दिया है ( ५, २७ )। उन का कथन है कि क्रमागत राज्य भी विक्रम ( शीर्ष ) के अभाव में नष्ट हो जाता है। अतः राजा को पराक्रमो होना चाहिए। उन की स्पष्ट वीणा है कि भूमि पर कुलागत अधिकार किसी का नहीं है, किन्तु

बसुन्धरा वीरों की है ( २६, ६८ ) अर्थात् पृथ्वी पर और पुरुषों का ही अधिकार होता है । वीरता के साथ राजा को विविध शास्त्रों तथा राजदर्शन का ज्ञाता होना भी परम आवश्यक है ( ५, ३१ ) । इस प्रकार सोमदेव ने राजनीति के व्यावहारिक सिद्धान्तों पर विशेष बल दिया है ।

राजतन्त्र के प्रबल प्रोत्पक होते हुए भी बाचार्य ने राजा को निरकुश नहीं बनाया है । उन के राजतन्त्र में प्रजातन्त्र की आत्मा पूर्णरूपेण परिलक्षित होती है । उन का आदेश है कि राजा प्रत्येक कार्य मन्त्रियों के परामर्श से ही करे और कभी दुराप्रहन करे ( १०, ५८ ) । वे राजा को सुयोग्य मन्त्रियों, सेनापति, पुरोहित एवं अन्य राजकर्मचारियों को नियुक्त करने का परामर्श देते हैं । शाचार्य सोमदेव स्वदेशवासियों को ही उच्चपदों पर नियुक्त करने के पक्ष में है ( १०, ६ ) । मन्त्रियों के परामर्श से राजकार्य करने से लाभ तथा उन की अवहेलना करने से होने वाली हानियों की ओर भी उन्होंने संकेत किया है । उन का विचार है कि सुयोग्य मन्त्रियों के सम्पर्क से युणरहित राजा भी सफलता प्राप्त कर सकता है ( १०, २०३ ) । बाचार्य ने मन्त्री और पुरोहित को राजा के माता-पिता के समान बतलाया है ( ११, २ ) । जिस प्रकार माता-पिता अपने पुत्र के हितचिन्तन में सर्वदा प्रयत्नशील रहते हैं, उसी प्रकार मन्त्री और पुरोहित भी राजा का सर्वदा हितचिन्तन करने में तत्पर रहते हैं । इसी कारण सोमदेव ने उन्हें राजा के माता-पिता के समान बतलाया है । इस प्रकार सोमदेव वैघानिक राजतन्त्र के समर्थक हैं ।

बाचार्य ने लोकहितकारी राज्य के सिद्धान्त का पूर्णरूप से समर्थन किया है । उन्होंने राज्य को धर्म, धर्म, काम रूप त्रिवर्ग फल का दाता बतलाया है ( पृ० ७ ) । बाचार्य की दृष्टि में प्रजा का सर्वाङ्गीण विकास करना राजा का परम कर्तव्य है । इस के साथ ही वे राजा को मर्यादा का पालन करने का भी आदेश देते हैं । मर्यादा का अतिक्रमण करने से फलदायक भूमि भी अरथ के समान हो जाती है ( १९, १९ ) तथा मर्यादा का पालन करने से प्रजा को अभिलिप्त फलों की प्राप्ति होती है ( १७, ४५ ) । वे कहते हैं कि राजा को प्रजा के समक्ष उच्च आदर्श उपस्थित करने चाहिए, क्योंकि प्रजा राजा का अनुकरण करती है । राजा के अधारिक हो जाने पर प्रजा भी अधारिक हो जाती है ( १७, २९ ) ।

राजा को अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत् करना चाहिए । त्याथ के पक्ष का अनुसरण करने का भी बाचार्य ने आदेश दिया है । उन का कथन है कि राजा को प्रजा के साथ कभी अन्यथा नहीं करना चाहिए और उस के अपराधामुकूल ही दण्ड देना चाहिए ( ९, २ ) । अपराध के अमुकूल दण्ड वपने पुत्र को भी देना चाहिए ऐसा बाचार्य का विचार है ( २६, ४१ ) । वे राजा के देवत्व के सिद्धान्त में भी विश्वास रखते हैं ( २९, १६-१९ ) । इस के साथ ही सोमदेव प्रजा की रक्षा न करने वाले राजा को निकृष्ट बतलाते हैं तथा उसे नरक का अधिकारी समझते हैं ( ७, २१ तथा

६, ४२)। पाणियों का निवारण करने में राजा पाप का भागी नहीं होता, अपितु उसे राष्ट्र संकटों के विनाश से महान् धर्म की प्राप्ति होती है ( ६, ४१ )। आचार्य ने राजधर्म की दिशा में राजा के लिए बहुत आदर्श निर्वाचित किये हैं। राजधर्म में धर्मपव से सोमदेवसूरि का यह स्पष्ट अभिप्राय है कि राजा के जिस आचरण से अभ्युदय और मोक्ष की सिद्धि होती है वह धर्म है ( १, १ )। आचार्य के सामने मोक्ष साधना का सर्वाधिक महत्व है। उन्होंने इस धर्म साधना के लिए शक्ति के अनुसार तप और त्याग के आचरण को धर्म के अधिगमन का उपाय घोषित किया है ( १, ३ )। सोमदेव ने समस्त प्राणियों में यमता ( निवैरता ) के आचरण को परम आचरण घोषित किया है ( १, ४ )। वे भूतद्रोह को सर्वोपरि दोष मानते हैं ( १, ५ )। आचार्य के मत में प्रतिदिन कुछ न कुछ तप और दान का आचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि दान और तप करने वाले पुरुष को उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है ( १, २७ )।

इस प्रकार आचार्य सोमदेव ने जीवन में धर्म का त्याग कर धर्म की साधना से शुभगति प्राप्त कर लेना राजधर्म में राजा के लिए निर्वाचित किया है। परन्तु वे राजा को एकांगो मुमुक्षु भी नहीं बना देते। जिस वर्भसाधना में काम और वर्ध का परित्याग हो ऐसी सन्धारन प्रधान धर्मसाधना को वे त्यज्य मानते हैं ( ३, ४ )। इस प्रकार उन्होंने राज धर्म को मोक्ष का भी अमोक्ष साधन बना दिया है। जिस प्रकार गीता का कर्मयोग केवल कर्म न रहकर लोक साधक योग बन जाता है, वही धर्मिय का युद्धाचरण भी जिस प्रकार निश्चेष साधक है, उसी प्रकार आचार्य सोमदेव ने भी राजधर्म को मोक्ष साधक मान कर उस का निरूपण किया है।

आचार्य सोमदेव द्वारा वर्णित राज्य की परिभाषा में भी उच्च आदर्शों का समावेश है। राजा के पृथ्वी पालनोक्ति कर्म को वे राज्य कहते हैं ( ५, ४ )। वह पृथ्वी वर्णश्रिम से युक्त तथा धार्य, स्वर्णादि से विभूषित होने चाहिए तभी वह राज्य कही जा सकती है ( ५, ५ )। यदि उस में यह विशेषताएँ नहीं हैं तो वह राज्य का अंग नहीं बन सकती। इस प्रकार राज्य की यह परिभाषा राजशासन के क्षेत्र में अद्वितीय है। इस में प्राचीन एवं आधुनिक विद्वानों द्वारा बताये गये राज्य के तत्त्वों का पूर्ण समावेश है। सोमदेव से पूर्व किसी भी राजशासन प्रणेता ने राज्य को इस प्रकार वैज्ञानिक रूप से परिभाषित नहीं किया। अतः यह परिभाषा राज्य शासन के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान रखती है और इसे आचार्य सोमदेव की महान् देन कही जा सकती है।

आचार्य सोमदेव ने धर्म और राजनीति का अपूर्व समन्वय किया है। सम्पूर्ण नीतिवाक्यामूल में धर्म साधना एवं नीतिक तत्त्वों को प्रमुखता देकर राजनीति को धर्मनीति से पृथक् नहीं किया है। नीतिवाक्यामूल राजनीति का आदर्श प्रत्य है। आचार्य सोमदेव प्रत्येक क्षेत्र में आध्यात्मिक दृष्टिकोण आवश्यक समझते हैं। राजा के लिए भी अध्यात्म विद्या के ज्ञान का आदेश देते हैं ( ६, २ )। राजनीति जैसे ऐहिक

कलुषित विषय को सौम्य एवं सात्त्विक रूप देकर आचार्य सोमदेव ने राजदर्शन के क्षेत्र में अपूर्व योगदान दिया है।

सोमदेव ने युद्ध क्षेत्र में भी धार्मिक नियमों की उपेक्षा नहीं की है। वे कूट-युद्ध को अपेक्षा धर्मयुद्ध को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं और धर्मविजयो राजा की प्रशंसा करते हैं (३०, ७०)। उन्होंने वादगुण्य नीति तथा साम, दाम, दण्ड, भेद आदि उपायों का भी सारणभित्र वर्णन किया है (वादगुण्य समू०)। वे युद्ध को तभी आवश्यक समझते हैं जब अन्य उपायों से कोई परिणाम न निकले (३०, ४ तथा २५)। आचार्य शक्तिशाली राष्ट्र से युद्ध न कर सक्षिय करने का ही आदेश देते हैं और दुर्बल का शक्ति-शाली के साथ युद्ध करना मनुष्य का पर्वत से टकराने के समान बतलाते हैं (३०, २४)। युद्ध में मारे गये सैनिकों के परिवार का हर प्रकार मे पालन-पोषण करना राजा का धर्म बतलाते हैं (३०, ९३)। युद्ध एवं अत्तरार्द्धोय सम्बन्धों के विषय में आचार्य सोमदेव के विचार बहुत ही उपयोगी एवं राजनीतिक दृष्टि से बड़े महत्त्वपूर्ण हैं।

आचार्य सोमदेव ने एक समृद्ध राष्ट्र की कल्पना को अपनी दृष्टि का आदर्श बनाया है। 'राष्ट्र' शब्द की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं कि जो पश्च, धान्य, हिरण्य सम्पत्ति से सुशोभित हो वह राष्ट्र है (१९, १)। राष्ट्र की सम्पन्नता के विविध उपायों एवं साधनों पर उन्होंने पूर्ण प्रकाश डाला है। वार्ता की उपलब्धि में ही राजा की समस्त उपलब्धि निहित है ऐसा उन का विचार है (८, २)। वार्ता के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन एवं व्यापार तथा वाणिज्य आते हैं। इन क्षेत्रों में किस प्रकार विकास हो सकता है इस विषय पर उन्होंने उपयोगी विचार व्यक्त किये हैं (८, ११-१५, १७, २०)। जैवाचार्य होते हुए भी उन्होंने अर्थ के महत्त्व को अपनी दृष्टि से धोखल नहीं होने दिया है। उन्होंने धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषायों का ही समरूप से सेवन करने का आदेश दिया है (३, ३)। आचार्य तीनों पुरुषायों में अर्थ को सब से अधिक महत्त्व देते हैं, क्योंकि यही अन्य पुरुषायों का आधार है (३, १६)। उन्होंने काम पुरुषार्थ को भी धर्म से कम महत्त्व नहीं दिया है। इस प्रकार के विचार व्यक्त कर के सोमदेव ने महान् दूरदर्शिता एवं व्यावहारिक राजनीतिशास्त्र का परिचय दिया है। उन के द्वारा वर्णित अर्थ की परिभाषा वही महत्त्वपूर्ण एवं सारणभित्र है। वे लिखते हैं कि जिस से सब प्रयोजनों की सिद्धि हो सके वह अर्थ है (२, १)। वास्तव में उन का कथन सत्य हो है, क्योंकि विश्व में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो घन से पूर्ण न हो सके। अर्थ व्यक्ति की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। सोमदेव का कथन है कि बुद्धिमान् व्यक्ति एवं राजा का यह कर्तव्य है कि वह अप्राप्त घन की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा तथा रक्षित की बुद्धि करे (२, ३)। उस को अपनी आय के अनुकूल ही व्यय करना चाहिए (२६, ४४)। जो इस नियम का पालन नहीं करता वह घन कुबेर भी दरिद्र हो जाता है (१६, १८)। आचार्य कोश को ही राज्य का प्राण कहते हैं (२१, ७)। जैसा कि पूर्वाचार्यों ने भी कहा है।

आचार्य ने कोश वृद्धि के विविध उपायों का भी वर्णन किया है और श्रेष्ठ कोश के गुणों की भी व्याख्या की है (कोश समू०)।

यद्यपि सोमदेव कोश को बहुत महत्त्व देते हैं, किन्तु उस की वृद्धि में वे न्यायोचित साधनों का ही प्रयोग करने का आदेश देते हैं। उन का स्पष्ट विचार है कि जो राजा अथवा वैद्य अर्थ के लोभ से प्रजावर्ग में दोष खोजता है वह कुत्सित है (९, ४)। अन्यथा वे लिखते हैं कि अन्याय से अणधिकार का ग्रहण करना भी प्रजा को भेदित करता है (१६, २५)। प्रजा की पीड़ा से कोश पीड़ित होता है, ज्योंकि पीड़ित प्रजा राजा के देश का त्याग कर के अन्यत्र बस जाती है। इस के परिणाम-स्वरूप राजकोश में अर्थ का प्रबेश नहीं होता (१९, १७)। अतः राजा को देश और काल के अनुरूप ही प्रजा से कर ग्रहण करना चाहिए (२६, ४२)। आचार्य सोमदेव ने अर्थशुचिता पर विशेष बल दिया है।

सोमदेव ने राजनीति और लोकनीति का भी समन्वय किया है। वे समाज की उभार्ति में ही राष्ट्र को उभार्ति मानते हैं जो कि वास्तव में सत्य है। मानव-जीवन को सफल एवं समुच्छ बनाने के लिए जिन बातों की अपेक्षा होती है वे सभी इस लघु ग्रन्थ में उपलब्ध होती हैं। यह ग्रन्थ केवल राजनीति की दृष्टि से ही उपयोगी नहीं है, अपिन्तु लोक-व्यवहार की दृष्टि से भी इस का विशेष महत्त्व है। इस राजनीति प्रचान ग्रन्थ में सोमदेव ने समाजव्यवस्था के अंगों पर भी प्रकाश ढाला है। आचार्य कौटिल्य की माँति वे भी वर्णाश्रम व्यवस्था में पूर्ण आस्था रखते हैं, किन्तु इस सूत्र में प्राचीन आधारों की अपेक्षा वे उदार एवं प्रगतिशील हैं। उन्होंने इस व्यवस्था के उपयोगी अंगों को ही स्वोकार किया है और रुद्धिवादिता का सर्वश्र खण्डन किया है। सोमदेव शूद्र को भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं तथा ज्ञान का मार्ग सूर्य-दर्शन के समान सब के लिए खुला रखने का आदेश देते हैं (७, १४)।

नीतिवाक्यामृत में लोकोपयोगी व्यवहार पक्ष पर भी प्रकाश ढाला गया है। संसार के लौकिक व्यवहार में आन्त, आर्त प्राणियों के लिए इस ग्रन्थ में सत्परामर्श प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ के लोकोपयोगी सूत्र भानव के लिए उत्तम पथ-प्रदर्शन करने वाले हैं। आचार्य सोमदेव ने लोकजीवन में सहायक होने वाले महोपयोगी सूत्रों की रचना की है। उन के कुछ सूत्र उदाहरणस्वरूप यहाँ उद्धृत किये जा रहे हैं—

१. सर्वदा याचना करने वाले से कौन नहीं घबराता (१, १९)।
२. समय से संचय किया गया परमाणु भी सुमेरु बन जाता है (१, २८)।
३. उद्यमहीन के मनोरथ स्वरूप में प्राप्त हुए राज्य के समान होते हैं (१, ३२)।
४. अग्नि के समान दुर्जन अपने आश्रय को ही नष्ट कर देता है (१, ४०)।
५. जिस की स्त्रियों में अधिक आसक्ति है उस को धन, धर्म और शरीर कुछ भी नहीं (३, १२)।
६. जिस ने शास्त्र न पढ़े वह व्यक्ति मेंतों के होते हुए भी अन्धा है (५, ३५)।

१. वे उत्तम हुए धर्म की पवित्र करता है वह पुत्र है (५, ११)।
२. अपराधियों के प्रति समाधारण करना साथुओं का भूषण है, राजाओं का का नहीं (६, ३७)।
३. सुगन्धिरहित भी वाग्य क्या सुननों के संयोग से देवता के शीश पर नहीं चढ़ता (१०, २)।
४. महापुरुषों से प्रतिष्ठित पत्तर भी देवता बन जाता है, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या (१०, ३)।
५. विष भक्षण के समान दुराचरण समस्त गुणों को नष्ट कर देता है (१०, ७)।
६. वह महान् है जो विपत्ति में धैर्य धारण करता है (१०, १३३)।
७. किसी भी अपने अनुकूल को प्रतिकूल न बनाये (१०, १४६)।
८. वाणी की कटुता शस्त्रपात्र से भी बढ़ कर है (१६, २७)।
९. विद्या विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए (१५, १)।
१०. कोन घनहीन लधु नहीं हो जाता (१७, ५५)।
११. शत्रु के भी घर आने पर आदर करना चाहिए, महापुरुष के आने पर तो कहना ही क्या (२७, २६)।
१२. वही तीर्थ है जिन में अधर्म का आचरण नहीं होता है (२७, ५२)।
१३. उस पुरुष को उपकार है जिस में बात्मशक्ति के अनुसार कोप और प्रसन्नता नहीं (६, ३८)।
१४. खल की मौत्री अन्त में विपत्तिदायक होती है (६, ४४)।
१५. अप्रिय औषधि भी पी ली जाती है (८, २५)।
१६. सर्प से काढ़ी हुई अपनी अंगुली भी काट दी जावी है (८, २६)।
१७. वह पुत्र वधा कुलीन है जो माता-पिता पर शूरता प्रकट करता है (११, २१)।
१८. पिता के समान गुरु की सेवा करनी चाहिए (११, २४)।
१९. मनुष्यों का वैभव वह है जो हृषिरों का उपभोग्य होता है (११, ५२)।
२०. उपकार कर के प्रकट करना वेर करने के समान है (११, ४७)।
२१. वह मनुष्य विचारज है जो प्रत्यक्ष से उपलब्ध को भी अच्छी सरह परीक्षा कर के अनुष्ठान करता है (१५, ६)।
२२. कुशल दुदिवाले पुरुषों को श्रार्थों के कठगत आ जाने पर भी अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए (१८, ३७)।
२३. माता-पिता का मन से भी अपमान करने से अभिमुख लक्ष्मी भी विमुख हो जाती है (२४, ७६)।
२४. खल के अतिक्रम से व्यायाम किस आपत्ति को उत्पन्न नहीं करता (२५, १८)।

३१. अव्याप्तमशीलों में जगिदीपद, उत्साह और शरीर वज़ान नहीं से भा सकता है (२५, १९)।
३२. बिना भूख के खाया हुआ अमृत भी विष हो जाता है (२५, ३०)।
३३. आतं सभी वर्म बुद्धि वाले हो जाते हैं (२६, ५)।
३४. वह मनुष्य नीरोग है जो स्वयं वर्म के लिए चेष्टा करता है (२६, ६)।
३५. भय स्थानों पर विषाद करना उचित नहीं अपितु पैर्व का अवलम्बन अपेक्षित है (२६, १०)।
३६. उस की लक्षणी अभिमुखी नहीं होती जो प्राप्त हुए वन से सन्तुष्ट हो जाता है (२६, १५)।
३७. वह सर्वदा दुःखी रहता है जो मूलधन की वृद्धि न कर के व्यय करता है (२६, २०)।
३८. सर्वत्र सन्देह करने वाले को कार्य सिद्धि नहीं होती (२६, ५१)।
३९. वह जाति से अन्धा है जो परलोक की चिन्ता नहीं करता (२६, ५६)।
४०. स्वयं गुणरहित वस्तु पक्षापात से गुण बालों नहीं हो जाती (२८, ४७)।
४१. नायकहीन अथवा बहुत नायकों वाली सभा में कभी प्रबोधन करे (२९, ९०)।
४२. विश्वासघात से बढ़कर कोई पाप नहीं है (३०, ८३)।
४३. गृहणी को घर कहते हैं, दीवार और चटाइयों के समूह को नहीं (३१, ३१)।
४४. तृण से भी व्यक्ति का प्रयोजन सिद्ध होता है, फिर मनुष्य का भी कहना ही क्या (३२, २८)।
४५. अतिपरिचय किसी की अवज्ञा नहीं करता (३२, ४३)।
४६. अप्राप्त अर्थ में सभी त्यागी हो जाते हैं (३२, ७१)।
४७. पुण्यशोल पुरुष को कहीं भी आपत्ति नहीं (३२, ३८)।
४८. देव के अनुकूल होने पर भी उद्यमरहित व्यक्ति का भ्रंड नहीं (२९, ९)।
४९. वही तीर्थयात्रा है जिस में बहुत्य से निवृत्ति हो (२७, ५३)।
५०. वरिद्रता से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई अन्य लांछन नहीं है जिस के साथ समस्त गुण निष्कल हो जाते हैं (२७, ४५)।
५१. वह बुरा देश है जहाँ अपेक्षी वृत्ति नहीं (२७, ८)।
५२. वह कुत्सित बन्धु है जो संकट में सहायता नहीं करता (२७, ९)।
५३. तीन पाप तत्काल फल देते हैं—स्वामी द्रोह, स्त्रोवव और बालबद (२७, ६५)।
५४. अपात्रों में घन का व्यय राख में हवन के समान है (१, ११)।

५५. नित्य धन के व्यव से सुमेह भी कीण हो जाता है (८, ५)।
५६. अविवेक से बढ़कर प्राणियों का अन्य शत्रु नहीं (१०, ४५)।
५७. वह विद्या विद्वानों के लिए कामधेनु के समान है जिस से सम्पूर्ण जगत् की स्थिति का ज्ञान होता है (१७, ५९)।
५८. धातुओं का सम रहना विष को भी पथ्य बना देता है (२५, ५१)।
५९. बात्म-रक्षा में कभी भी प्रसाद न करे (२५, ७२)।
६०. आशा किस पुरुष को क्लेश में नहीं डालती (२६, ६१)।

इस प्रकार के अनेक उपयोगी सूत्रों से नीतिवाक्यामृत का प्रत्येक समुद्देश परिपूर्ण है। उस के ये उपयोगी सूत्र मानव जीवन को सफल एवं समृद्धि बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं।

नीतिवाक्यामृत में केवल राजनीति का ही वर्णन नहीं मिलता, अपितु, समाज-शासन, अर्थशासन, धर्मशासन, मनोविज्ञान एवं दर्शनशासन का भी उपयोगी वर्णन इस में उपलब्ध होता है। एक ही ग्रन्थ में विविध शास्त्रों के उपयोगी अंकों की व्याख्या आचार्य सोमदेव की महान् विद्वत्ता एवं व्यावहारिक राजनीतिज्ञता की द्योतक है। आज के युग में राष्ट्रीय चरित्र के उत्थान में भी इस ग्रन्थ से बड़ी सहायता मिल सकती है; संसार में वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर भौतिक जड़बाद की प्रश्नान्तरा है। अतः अर्थ-लोलुप भौगोलिक समाज की रचना इस वैज्ञानिक युग का विनियोग है। उपराज को इस भौतिक जड़बाद से मुक्ति दिलाने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण को विकसित करना आज के युग की प्रमुख आवश्यकता है। सोमदेव का नीतिवाक्यामृत वर्तमान युग की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपूर्व ग्रन्थ है। व्यक्ति और समाज में आध्यात्मिक दृष्टिकोण का उन्मेष कर के ही देश में स्थायी सान्ति स्थापित की जा सकती है। हमारे राष्ट्र के प्रयत्न हमारी भौतिक समृद्धि के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि पर रहें, किन्तु हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य विलुप्त नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिकता ही भारतीय संस्कृति का प्राण है। समाज के आध्यात्मिक पक्ष को श्रहण कर लोक साधना प्रतिपादक ग्रन्थ अमर साहित्य में समावृत होते हैं। नीतिवाक्यामृत भी राजनीति के क्षेत्र में आध्यात्मिक लक्ष्य की जागृति के कारण भारतीय राजनीति प्रधान साहित्य की अमर कृति है।

## आचार्यं सोमदेवं सूरिं कृतं नीतिवाक्यामृतं का मूल सूत्र-पाठ

१. षष्ठसमुद्देशः

मंगलाचरणम्

सोमं सोमसमाकारं सोमाभं सोमसंभवम् ।  
सोमदेवं मुर्नि नत्वा नीतिवाक्यामृतं न्नुवे ॥१॥  
धर्माधिगमफलाय राज्याय नमः ।

यतोऽन्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स वर्णः ॥१॥  
अधर्मः पुनरेतद्विपरीतफलः ॥२॥  
आत्मवत् परत्र कुशलवृत्तिचिन्तनं शक्तिस्थागतपसी च धर्माधिगमोपायाः ॥३॥  
सर्वं सत्त्वेषु हि समता सर्वाचरणानां परमं चरणम् ॥४॥  
न खलु भूतद्रुहां कापि क्रिया प्रसूते श्रेयांसि ॥५॥  
परत्राजिषां सुमनसां व्रतरिक्तमपि वित्तं स्वर्गीयं जायते ॥६॥  
स खलु त्यागो देशत्यागाय यस्मिन् कृते भवत्यात्मनो दोःस्थित्यम् ॥७॥  
स खल्यर्थी परिपन्थी यः परस्य दोःस्थित्यं जानलनप्यभिलष्ट्यर्थं स् ॥८॥  
तद्वत्तमाचरितव्यं यत्र न संशयतुलामारोहतः शरीरमनसी ॥९॥  
ऐहिकामुश्रिकफलार्थं मर्याद्यस्त्यगः ॥१०॥  
भस्मनि हृतमिवापाश्रेष्ठवर्थव्ययः ॥११॥  
पात्रं च त्रिविधं धर्मपात्रं कार्यपात्रं कामपात्रं चेति ॥१२॥  
एवं कोतिपात्रमपोति केचित् ॥१३॥  
किं तथा कीर्त्या या आश्रितान्नं बिभक्ति प्रतिशृणद्वि वाधर्म भागीरथी-श्री-  
पवंतवद्वावानामन्यदेव प्रसिद्धेः कारणं न पुनस्त्यागः यतो न खलु गृहीतारो  
व्यापिनः सनातनाश्च ॥१४॥

स खलु कस्यापि माभूदर्थो यत्रासंविभागः शरणागतानाम् ॥१५॥  
 अर्थिषु संविभागः स्वयमुपभोगश्चार्थस्य हि द्वे कले, नास्त्यौचित्यमेकान्त-  
 लुब्धस्य ॥१६॥  
 दानप्रियवक्त्रनाभ्यामन्यस्य हि संतोषोत्पादनमौचित्यम् ॥१७॥  
 स खलु लुब्धो यः सत्सु विनियोगादात्मना सह जन्मान्तरेषु नयत्यर्थम् ॥१८॥  
 अदातुः प्रियालापोऽन्यस्य लाभस्यान्तरायः ॥१९॥  
 सदैव दुःस्थितानां को नाम बन्धुः ॥२०॥  
 नित्यमर्थयमानात् को नाम तीर्त्तुजते ॥२१॥  
 इन्द्रियमनसो नियमानुष्ठानं तपः ॥२२॥  
 विहिताचरणं निविद्यपरिवर्जनं च नियमः ॥२३॥  
 विविनिवेधावैतिह्यायती ॥२४॥  
 तत्खलु सद्ग्रिः श्रद्धेयमैतिह्यं यत्र न प्रमाणवादा पूर्वापरविरोधो वा ॥२५॥  
 हस्तिस्नानमिव सर्वमनुष्ठानमनियमितेन्द्रियमनोदृत्तीनाम् ॥२६॥  
 दुर्भागाभरणमिव देहखेदावहमेव ज्ञानं स्वयमनाचरतः ॥२७॥  
 सुलभः खलु कथक इव परस्य धर्मोपदेशे लोकः ॥२८॥  
 प्रत्यहं किमपि नियमेन प्रयच्छतस्तपस्यतो वा भवन्त्यवश्यं महीयांसः  
 परे लोकाः ॥२९॥  
 कालेन संचीयमानः परमाणुरपि जायते मेहः ॥३०॥  
 धर्मशुतधनानां प्रतिदिनं लब्धोऽपि संगृह्यमाणे भवति समुद्रादप्यधिकः ॥३१॥  
 धर्माय नित्यमनाश्रयमाणानामात्मवद्भनं भवति ॥३२॥  
 कस्य नामैकदैव संपद्यते पुण्यराशिः ॥३३॥  
 अनाचरतो मनोरथः स्वप्नराज्यसमाः ॥३४॥  
 धर्मफलमनुभवतोऽप्यधर्मनिष्ठानमनात्मजास्य ॥३५॥  
 कः सुधी भेषजमिवात्महितं धर्मं परोपरोधादनुतिष्ठति ॥३६॥  
 धर्मानुष्ठाने भवत्यप्रार्थितमपि प्रातिलोम्यं लोकस्य ॥३७॥  
 अधर्मकर्मणि को नाम नोपाध्यायः पुरुश्चारी वा ॥३८॥  
 कण्ठगतैरपि प्राणैनश्चाभं कर्म समाचरणीयं कुशलमतिभिः ॥३९॥  
 स्वव्यसनलपेणाय धूतींदुरीहितवृत्तयः क्रियन्ते श्रीमन्तः ॥४०॥  
 खलसंगेन कि नाम न भवत्यनिष्टम् ॥४१॥  
 अग्निरिव स्वाथयमेव दहन्ति दुर्जनाः ॥४२॥  
 वनगज इव तदात्मसुखलुब्धः को नाम न भवत्यास्पदभाषदाभ् ॥४३॥  
 धर्मातिक्रमाद्भनं परेऽनुभवन्ति स्वयं तु परं पापस्य भाजनं सिंह इव  
 सिन्धुरुद्धात् ॥४४॥  
 बीजभोजिनः कुटुम्बिन इव नास्त्यधार्मिकस्यायत्यां किमपि शुभम् ॥४५॥

यः कामार्थाविपूलत्य घर्मेकोपास्ते स पक्वक्षेत्रं परित्यज्यारम्भं कुषति ॥४६॥  
 स खलु सुधीर्योऽमुत्र सुखाविरोधेन सुखमनुभवति ॥४७॥  
 इदमिह परमाश्चर्यं यदन्यायसुखलवादिहामुत्र चानवधिर्दुखानुबन्धः ॥४८॥  
 सुखदुःखादिभिः प्राणिनामुत्कर्षीपिकर्षी घर्मस्थिर्योलिङ्गम् ॥४९॥  
 किमपि हि तद्वस्तु नास्ति यत्र नंश्वर्यमदृष्टाविष्टातुः ॥५०॥

## २. अर्थसमुद्देशः

यतः सर्वप्रयोजनसिद्धिः सोऽर्थः ॥१॥  
 सोऽर्थस्य भाजने योऽर्थानुबन्धेनार्थमनुभवति ॥२॥  
 अलब्धलाभो लब्धपरिरक्षणं रक्षितपरिवर्द्धने चार्थानुबन्धः ॥३॥  
 तीर्थमर्थेनासंभावयन् मधुच्छ्रमिव सर्वात्मना विनश्यति ॥४॥  
 धर्मसमवायिनः कार्यसमवायिनश्च पुरुषास्तीर्थम् ॥५॥  
 तादात्मिक-गूलहर-कदर्येषु तासुलभः प्रत्यवायः ॥६॥  
 यः किमप्यसंचिन्त्योत्पन्नमर्थं व्ययति स तादात्मिकः ॥७॥  
 यः पितृपैतामहमर्थमन्यायेन भक्षयति स मूलहरः ॥८॥  
 यो भूत्यात्मपीडाभ्यामर्थं संचिन्तोति स कदर्यः ॥९॥  
 तादात्मिकमूलहरयोरायत्यां नास्ति कल्याणम् ॥१०॥  
 - कदर्यस्यार्थेसंग्रहो राजदायादत्तस्कराणमन्यतमस्य निधिः ॥११॥

## ३. कामसमुद्देशः

आविमानिकरसानुविदा यतः सर्वेन्द्रियप्रोतिः स कामः ॥१॥  
 वर्मर्थीविरोधेन कामं सेवेत ततः सुखी स्यात् ॥२॥  
 समं वा त्रिवर्गं सेवेत ॥३॥  
 एको ह्यत्यासेवितो वर्मर्थकामानामात्मात्मितरी च षोडयति ॥४॥  
 परार्थभारवाहिन इवात्मसुखं निरुचानस्य वनोपार्जनम् ॥५॥  
 इन्द्रियमनःप्रसादनफला हि विभूतयः ॥६॥  
 नाजितेन्द्रियाणां कापि कार्यसिद्धिरस्ति ॥७॥  
 इष्टेऽर्थेऽनासक्तिविश्वद्वे चाप्रवृत्तिरिन्द्रियजयः ॥८॥  
 अर्थवास्त्राध्ययनं वा ॥९॥  
 कारणे कार्योपचारात् ॥१०॥  
 योऽनज्ञेनापि जोयते स कर्थं पुष्टाङ्गानरातीन् जयेत ॥११॥  
 कामासक्तस्य नास्ति चिकित्सतम् ॥१२॥

न तस्य धनं धर्मः शरीरं वा यस्यास्ति स्त्रीष्वत्यासक्तिः ॥१३॥  
 विरुद्धकामवृत्तिः समृद्धोऽपि न चिरं नन्दति ॥१४॥  
 धर्मथिंकामानां पुगपत् समवाये पूर्वैः पूर्वौ गरीयान् ॥१५॥  
 कालासहृत्वे पुनरर्थं एव ॥१६॥  
 धर्मकामयोरर्थमूलत्वात् ॥१७॥

#### ४. अथ अरिष्टाद्वयर्ग-समुद्देशः

अयुक्तिः प्रणीताः काम-क्रोध-लोभ-मद-मान-हृषीः शितीशानामस्तरज्ञोऽ-  
 रिष्टाद्वयर्गः ॥१॥  
 परपरिगृहीतास्वनूढासु च स्त्रीषु दुरभिसन्धिः कामः ॥२॥  
 अविचार्यं परस्यात्मनो वापायहेतुः क्रोधः ॥३॥  
 दानाहेषु स्वघनाप्रदानं परखनग्रहणं वा लोभः ॥४॥  
 दुरभिनिवेशामोक्षो यथोक्ताग्रहणं वा मानः ॥५॥  
 कुलबलैश्वर्यरूपविद्यादिभिरात्माहंकारकरणं परश्चर्कर्षनिवन्धनं वा मदः ॥६॥  
 निनिमित्तमन्धस्य दुःखोत्पादनेन स्वस्यार्थसंचयेन वा मनःप्रतिरञ्जनो  
 हृषीः ॥७॥

#### ५. अथ विद्यावृद्धसमुद्देशः

योऽनुकूलप्रतिकूलयोरिन्द्रियमस्थानं स राजा ॥१॥  
 राजो हि दुष्टनिग्रहः शिष्टपरिपालनं च धर्मः ॥२॥  
 न पुनः शिरोमुण्डने जटाधारणादिकम् ॥३॥  
 राजः पृथ्वीपालनोचितं कर्म राज्यम् ॥४॥  
 वर्णथिमवती धान्यहिरण्यपशुकृप्यवृष्टिप्रदानफला च पृथ्वी ॥५॥  
 ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राद्वच वर्णाः ॥६॥  
 ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो यतिरित्याथमाः ॥७॥  
 स उपकुवणिको ब्रह्मचारी यो वेदमधीत्य स्नायात् ॥८॥  
 स्नानं विवाहदीक्षाभिषेकः ॥९॥  
 स नैष्ठिको ब्रह्मचारी यस्य प्राणान्तिकमदारकर्म ॥१०॥  
 य उत्पन्नः पुनीते वंशं स पुत्रः ॥११॥  
 कृतोद्धारः ऋतुप्रदाता कृतुपदः ॥१२॥  
 अपुत्रः ब्रह्मचारी पितृणामृणभाजनम् ॥१३॥  
 अनध्ययनो ब्रह्मणः ॥१४॥

अथजनो देवानाम् ॥१५॥  
 अहन्तकरो मनुष्याणाम् ॥१६॥  
 आत्मा वै पुत्रो नैषिकस्य ॥१७॥  
 अयमात्मानमात्मनि संदधानः परां पूत्रां संपद्यते ॥१८॥  
 नित्यनैषित्वा नुहु नवद्वे गृहस्थः ॥१९॥  
 ब्रह्मदेवपित्रितिथिभूतयज्ञा हि नित्यमनुष्टानम् ॥२०॥  
 दशंपीर्णमास्याद्याश्रयं नेमित्तिकम् ॥२१॥  
 वैवाहिकः शालीनो जायावरोऽवोरो गृहस्थः ॥२२॥  
 यः खलु धर्माविधि जानपदमाहारं संसारव्यवहारं च परित्यज्य  
 सकलत्रोऽकलत्रो वा वने प्रत्येष्टते स वानप्रस्थः ॥२३॥  
 बालस्थिल्य-ओदम्बरी-वैश्वानराः सद्यः प्रक्षल्यकश्चेति वानप्रस्थाः ॥२४॥  
 यो देहमात्रारामः सम्यग्विद्यानीलाभेन तृष्णासरित्तरणाथ योगाय यतते  
 यतिः ॥२५॥  
 कुटीचरवह्नोदकहृसपरमहंसा यतयः ॥२६॥  
 राज्यस्य मूलं क्रमो विक्रमश्च ॥२७॥  
 आचारसंपत्तिः क्रमसंपत्तिं करोति ॥२८॥  
 अनुत्सेकः खलु विक्रमस्थालंकारः ॥२९॥  
 क्रमविक्रमयोरन्त्यतरपरिग्रहेण राज्यस्य दुष्करः परिणामः ॥३०॥  
 क्रमविक्रमयोरविष्टानं बुद्धिमानाहार्यबुद्धिर्वा ॥३१॥  
 यो विद्याविनीतमतिः स बुद्धिमान् ॥३२॥  
 सिहस्र्येव केवलं पौरुषावलम्बिनो न चिरं कुशलम् ॥३३॥  
 अवास्त्रः शूर इवाशास्त्रः प्रजातामपि भवति विद्विषां वशः ॥३४॥  
 अलोचनमोचरे हृष्टे शास्त्रं तृतीयं लोचनं पुरुषाणाम् ॥३५॥  
 अनवीतशास्त्रशब्दशुभ्रानपि पुमानन्व एव ॥३६॥  
 न ह्यज्ञानादपरः पशुरस्त ॥३७॥  
 वरमराजकं भुवनं न तु मूर्खो राजा ॥३८॥  
 असंस्कारं रत्नमिव सुजातमपि राजपुत्रं न नायकपदायामनन्ति साधवः ॥३९॥  
 न दुर्विनोतादाजः प्रजानां विनाशादपरोऽस्त्युत्पातः ॥४०॥  
 यो युक्तायुक्तयोरविवेकी विषयस्तमतिर्बा स दुर्विनोतः ॥४१॥  
 यत्र सद्गुरावीयमाना गुणा संक्रमन्ति तदद्व्यम् ॥४२॥  
 यतो द्रव्याद्रव्यप्रकृतिरपि कश्चित् पुरुषः संकीर्णगजवत् ॥४३॥  
 द्रव्यं हि क्रियां विनयति नाद्रव्यम् ॥४४॥  
 शुश्रूषा-थ्रवण-ग्रहण-धारणाविज्ञानोहापोह-तत्त्वाभिनिवेशा-बुद्धिगुणाः ॥४५॥  
 श्रीतुमिच्छा शुश्रूषा ॥४६॥

श्वरणमाकर्णतम् ॥४७॥  
 ग्रहणं शास्त्रार्थोपादानं ॥४८॥  
 धारणमविस्मरणम् ॥४९॥  
 मोहसंदेहविषयसिव्युदासेन ज्ञानं विज्ञानम् ॥५०॥  
 विज्ञातमर्थमवलम्ब्यान्येषु व्याप्त्या तथाविधवित्कर्णमूहः ॥५१॥  
 उक्तियुक्तिभ्यां विरुद्धादर्थत् प्रत्यवाधसंभावनया व्यावर्तनमपोहः ॥५२॥  
 अथवा ज्ञानसामान्यमूहो ज्ञानविशेषोऽपोहः ॥५३॥  
 विज्ञानोहापोहानुगमविशुद्धमिदमित्यमेवेति निश्चयस्तस्याभिनिवेशः ॥५४॥  
 याः समविगम्यात्मनो हृतमवेत्यहितं चापोहति ता विद्याः ॥५५॥  
 आनन्दीक्षिकी ऋयो वार्ता दण्डनीतिरिति चतुर्मो राजविद्याः ॥५६॥  
 अधीश्वानो ह्यानन्दीक्षिकों कायकार्यणां बलाबलं हेतुभिर्विचारयति व्यसनेषु न  
 विषोदति नाभ्युदयेन विकार्यंते समविगच्छति प्रज्ञावाक्यवैशारद्यम् ॥५७॥  
 ऋयों पठन् वर्णार्थमाचारेष्वतोव प्रगल्भते जानाति च समस्तामपि  
 घमधिर्मस्थितिम् ॥५८॥  
 युक्तिः प्रवर्तयन् वार्ता सर्वमपि जीवलोकमभिनन्दयति लभते च स्वयं  
 सर्वानपि कामान् ॥५९॥  
 यम इवापराधिषु दण्डप्रणयनेन विद्यमाने राज्ञि न प्रजाः स्वमर्यादामति-  
 क्रामन्ति प्रसीदन्ति च त्रिवर्गफलाः विभूतयः ॥६०॥  
 साख्यं धोगो लोकायतिकं चानन्दीक्षिकी बौद्धाहंतोः श्रुतेः प्रतिपक्षत्वात्  
 ( नानन्दीक्षिकीत्वम् ) इति नेत्यानि मतानि ॥६१॥  
 प्रकृतिमुख्यज्ञो हि राजा सत्त्वमवलम्बते रजःफलं चापलं च परिहृति  
 तमोभिन्नाभिभूयते ॥६२॥  
 आनन्दीक्षिकयध्यात्मविषये, ऋयो वेदयशादिषु, वार्ता कृषिकर्मादिका,  
 दण्डनीतिः शिष्टपालनदुष्टनिग्रहः ॥६३॥  
 चेतथते च विद्यावृद्धसेवायाम् ॥६४॥  
 अजातविद्यावृद्धसंयोगो हि राजा निरच्छुशो गज इव सद्यो विनश्यति ॥६५॥  
 अनधीयानोऽपि विशिष्टजनसंसर्गात् परां व्युत्पत्तिमवाप्नोति ॥६६॥  
 अन्येव काचित् खलु छायोपजलतरुणाम् ॥६७॥  
 दंशवृत्तविद्याभिजनविशुद्धा हि राजामुपाध्यायाः ॥६८॥  
 शिष्टानां नोचैराचरन्वरपतिरिह् लोके स्वर्गं च महोयते ॥६९॥  
 राजा हि परमं देवतं नासी कस्मैचित् प्रणमत्यन्यत्र गुरुजनेभ्यः ॥७०॥  
 वरमज्ञानं नाशिष्टजनसेवया विद्या ॥७१॥  
 अलं तेनामृतेन यशस्ति विषसंसर्गः ॥७२॥  
 गुरुजनशोलमनुसरन्ति प्राप्नेण शिष्याः ॥७३॥

नवेषु मृद्गाजनेषु लभः संस्कारी ब्रह्मणाप्यन्वया कर्तुं न शक्यते ॥७४॥  
 अन्वय इव वरं परप्रणेयो राजा न ज्ञानलब्धुर्बिदग्धः ॥७५॥  
 नीलीरक्ते वस्त्र इव को नाम दुर्विदाखे राजि रागान्तरमाधले ॥७६॥  
 यथार्थवादो विदुषां श्रेयस्त्वरो यदि न राजा गुणप्रदेषो ॥७७॥  
 वरमात्मनो मरणं नाहितोपदेशः स्वामिषु ॥७८॥

#### ६. अथ आन्वोधिकीसमुद्देशः

आत्ममनोमरुत्सत्त्वसमतायोगलक्षणो हृष्यात्मयोगः ॥१॥  
 अध्यात्मज्ञो हि राजा सहजशारीरमानसागन्तुभिर्दोषेन वाध्यते ॥२॥  
 इन्द्रियाणि मनोविषयज्ञानं भोगायतनमित्यात्मारामः ॥३॥  
 यशाहमित्यनुपवरितप्रत्ययः स आत्मा ॥४॥  
 असत्यात्मनः प्रेत्यभावे विदुषां विफले खलु सर्वमनुष्टानम् ॥५॥  
 यतः स्मृतिः प्रत्यवसर्वणमूहापोहनं शिक्षालापाक्रियाप्रहृणं च  
 भवति तन्मनः ॥६॥  
 आत्मनो विषयानुभवनद्वाराणीन्द्रियाणि ॥७॥  
 शब्दस्वर्णरसल्पगत्वा हि विषयाः ॥८॥  
 समाधीन्द्रियद्वारेण विप्रकृष्टसंनिकृष्टावबोधो ज्ञानम् ॥९॥  
 सुखं प्रीतिः ॥१०॥  
 तत्सुखमप्यसुखं यत्र नास्ति मनोनिवृत्तिः ॥११॥  
 अभ्यासाभिमानसंप्रत्ययविषयाः सुखस्य कारणानि ॥१२॥  
 क्रियातिशयविषयाकहेतुरभ्यासः ॥१३॥  
 प्रश्रयसत्कारादिलाभेनात्मनो यदुत्कृष्टत्वसंभावनमभिमानः ॥१४॥  
 अतदगुणे वस्तुनि तदगुणत्वेनाभिनिवेशः संप्रत्ययः ॥१५॥  
 इन्द्रियमनस्तपेणो भावो विषयः ॥१६॥  
 दुःखमप्रीतिः ॥१७॥  
 तददुःखमपि न दुःखं यत्र न संकिळश्यते मनः ॥१८॥  
 दुःखं चतुर्विधं सहजं दोषजमागन्तुकमन्तरङ्गं चेति ॥१९॥  
 सहजं क्षुत्तृष्णामनोभूभवं चेति ॥२०॥  
 दोषजं वातपित्तकफवैषम्यसंभूतम् ॥२१॥  
 आगन्तुकं वषतिपादिजनितम् ॥२२॥  
 यच्चिचन्त्यते दरिद्रैन्यवकारजम् ॥२३॥  
 न्यवकारावशेच्छा विवातादिसमुत्थमन्तरङ्गजम् ॥२४॥  
 न सस्यैहिकमामुष्मकं च फलभस्ति यः कलशायसाभ्यां भवति

विष्णवप्रकृतिः ॥२५॥

स किपुरुषो यस्य महाभियंगे सुर्वशब्दनुष इव नाविकं जायते बलम् ॥२६॥  
आगामिक्रियाहेतुरभिलाषो वेच्छा ॥२७॥

आत्मनः प्रत्यवायेभ्यः प्रत्यवर्तनहेतुद्विषोजभिलाषो वा ॥२८॥  
हिताहितप्राप्तिपरिहारहेतुरुत्साहः ॥२९॥

प्रथत्वः परनिमित्तको भावः ॥३०॥

सातिशयलाभः संस्कारः ॥३१॥

अनेककर्मभ्यासवासनवशात् सद्गोजातादीनां स्तन्यपियासादिकं  
येन क्रियत इति संस्कारः ॥३२॥

भोगायतनं शरीरम् ॥३३॥

ऐहिकव्यवहारप्रसाधनपरं लोकायतिकम् ॥३४॥

लोकायतहो द्वि राता राज्ञकामकानुन्देदगति ॥३५॥

न खल्वेकान्ततो धत्तीनामप्यनवद्यास्ति क्रिया ॥३६॥

एकान्तेन काहण्थपरः करतलगतमप्यर्थं रक्षितुं न क्षमः ॥३७॥  
प्रशमैकनित्तं को नाम न परिभवन्ति ॥३८॥

अपराधकारिषु प्रशमो यतीनां भूषणं न महीपतीनाम् ॥३९॥

धिक् तं पुरुषं यस्यात्मशक्त्या न स्तः कोपप्रसादी ॥४०॥

स जोवन्नपि मूल एव यो न विक्रामति प्रतिकूलेषु ॥४१॥

भस्मनीव निस्तेजसि को नाम निःशङ्कः पदं न कुर्यात् ॥४२॥

तत् पापमपि न पापं यत्र महान् धर्मानुबन्धः ॥४३॥

अन्यथा पुनर्नरकाय राज्यम् ॥४४॥

बन्धनान्तो नियोगः ॥४५॥

विपद्न्ता खलमैत्री ॥४६॥

मरणान्तः स्त्रीषु विश्वासः ॥४७॥

## ७. ऋयोसमुद्देशः

चत्वारो वेदाः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो उयोतिरिति षडङ्घानोति-  
हासपुराणमीमांसान्यायधर्मशास्त्रमिति चतुर्दशविद्यास्थानानि त्रयो ॥१॥

त्रयीतः खलु वर्णश्रिमाणां धर्मविमर्शवस्था ॥२॥

स्वपक्षानुरागप्रवृत्त्या सर्वे समवायिनो लोकव्यवहारेष्वधिक्रियन्ते ॥३॥

धर्मशास्त्राणि स्मृतयो वेदार्थसंग्रहाद्वेदा एव ॥४॥

अध्ययनं यजनं दानं च विप्रक्षत्रियवेश्यानां समानो धर्मः ॥५॥

त्रयो वर्णाः द्विजातयः ॥६॥

अध्यापने याजनं प्रतिग्रहो ब्राह्मणानामेव ॥७॥  
 भूतसंरक्षणं शस्त्राजीवनं सत्युल्लोपकारो दीनोद्धरणं रणेऽपलायनं  
 चेति क्षत्रियाणाम् ॥८॥  
 वार्ता जीवनमावेशिकपूजनं सत्रप्रपापुण्यारामदयादानादिनिर्मापिणं  
 च विशाम् ॥९॥  
 त्रिवर्णोपजीवनं कारुकुशीलवकर्म पुण्यपुटबाहनं च शूद्राणाम् ॥१०॥  
 सकृत् परिणयनव्यवहाराः सच्छूद्राः ॥११॥  
 आचाराननवद्यत्वं शुचिस्त्रस्करः शारीरी च विशुद्धिः करोति  
 शूद्रमपि देवद्विजतपस्त्रिकर्मसु योग्यम् ॥१२॥  
 आनृश्यममृषाभाषित्वं परस्वनिवृत्तिरिच्छानियमः प्रतिलोमाविवाहो-  
 निषिद्धासु च स्त्रीषु ब्रह्मचर्यमिति सर्वेषां समानो धर्मः ॥१३॥  
 आदित्यावलोकनवत् धर्मः खलु सर्वसाधारणो विशेषानुष्ठाने तु नियमः ॥१४॥  
 निजागमोक्तमनुष्ठानं यतीनां स्वो धर्मः ॥१५॥  
 स्वधर्मव्यतिक्रमेण यतीनां स्वागमोक्तं प्रायशिच्चत्तम् ॥१६॥  
 यो यस्य देवस्य भवेच्छूद्रावान् स तं देवं प्रतिष्ठापयेत् ॥१७॥  
 अभक्त्या पूजोपचारः सद्यः शापाय ॥१८॥  
 वर्णश्रिमाणां स्वाचारप्रचयवने त्रयीतो विशुद्धिः ॥१९॥  
 स्वधर्मसंकरः प्रजानां राजानं त्रिवर्णोपसंधते ॥२०॥  
 स किराजा यो न रक्षति प्रजाः ॥२१॥  
 स्वधर्मसंतिक्रामतां सर्वेषां पार्थिवो गुरुः ॥२२॥  
 परिपालको हि राजा सर्वेषां धर्मषष्ठांशमवाप्नोति ॥२३॥  
 उच्छृष्टभागप्रदानेन वनस्था अपि तपस्त्रिवनो राजानं संभावयन्ति ॥२४॥  
 तस्यैव तदभूयात् यस्तान् गोपायति इति ॥२५॥  
 तदमङ्गलमपि नामङ्गलं यशास्थात्मनो भक्तिः ॥२६॥  
 संन्यस्तारिनपरिग्रहानुपासीत् ॥२७॥  
 स्नात्वा प्रारदेवोशसनान्तं कंचन स्पृशेत् ॥२८॥  
 देवागारे गतः सर्वान् यतीनात्मसंबन्धिनोजंरतीः पश्येत् ॥२९॥  
 देवाकारोपेतः पाषाणोऽपि नावमन्येत तत्क पुनर्मुख्यः राजशासनस्य मृत्ति-  
 कायामिव लिङ्गिषु को नाम विचारो यतः स्वर्यं मलिनो खलः प्रवर्धयत्यैव  
 क्षीरं धेनूनां न खलु परेषामाचारः स्वस्य पुण्यमारभते कि तु मनो-  
 विशुद्धिः ॥३०॥  
 दानादिप्रकृतिः प्रार्थेण ब्राह्मणानाम् ॥३१॥  
 बलात्कारस्वभावः क्षत्रियाणाम् ॥३२॥  
 निसर्गतः शाठ्यं किरातानाम् ॥३३॥

अद्युतक्रशीलता सहजा कृषीबलानाम् ॥३४॥  
 दानावसानः कोपो ब्राह्मणानाम् ॥३५॥  
 प्रणामावसानः कोपो गुरुणाम् ॥३६॥  
 प्राणावसानः कोपः क्षत्रियाणाम् ॥३७॥  
 प्रियवचनावसानः कोपो वर्णिगजनानाम् ॥३८॥  
 वैश्यानां समुद्धारकप्रदानेन कोपोपशमः ॥३९॥  
 निश्चलैः परिचितैश्च सह व्यवहारो वर्णिजां निधिः ॥४०॥  
 दण्डमयोपविभिर्वीकरणं नीचजात्यानाम् ॥४१॥

#### ८. वात्सिमुद्देशः

कृषिः पशुगालनं वर्णिज्या च वार्षी वैश्यानाम् ॥१॥  
 वात्सिमुद्दौ सर्वाः समुद्धयो राज्ञः ॥२॥  
 तस्य खलु संसारसुखं यस्य कृषिर्धेनवः शाकबाटः सचन्युदपानं च ॥३॥  
 विसाध्यराज्ञस्तन्त्रपोषणे नियोगिनामुत्सवो महान् कोशक्षयः ॥४॥  
 नित्यं हिरण्यवयेन मेरुरपि क्षीयने ॥५॥  
 तत्र सदैव दुभिक्षं यत्र राजा विसाध्यति ॥६॥  
 समुद्रस्य पिपासायां कुतो जगति जलानि ॥७॥  
 स्वयं जीवधनमपद्यतो महतो हानिर्मनस्तापश्च क्षुत्पिपासाप्रतिकारात्  
 पापं च ॥८॥  
 बुद्धबाल-व्याधितर्थीणान् पशून् बान्धवानिव पोषयेत् ॥९॥  
 अतिभारो महान् मार्गेश्च पशूनामकाले मरणकारणम् ॥१०॥  
 शुल्कवृद्धिर्वलात् पण्यग्रहणं च देशान्तरभाण्डानामप्रवेशे हेतुः ॥११॥  
 काष्ठपात्र्यामेकदैव पदार्थो रक्ष्यते ॥१२॥  
 तुलामानयोरव्यवस्था व्यवहारं दूषयति ॥१३॥  
 वर्णिगजनकृतोऽर्थः स्थितानागन्तुकाश्च पोडयति ॥१४॥  
 देशरूपभाण्डापेक्षया वा सर्वार्थो भवेत् ॥१५॥  
 पण्यतुलामानवृद्धौ राजा स्वयं जागृयात् ॥१६॥  
 न वर्णिगम्यः सन्ति परे पश्यतोहराः ॥१७॥  
 स्पर्द्या मूलवृद्धिभण्डेषु राज्ञो यथोचितं मूल्यं विक्रेतुः ॥१८॥  
 बल्पद्रवयेण महाभाण्डं गृह्णतो मूल्याविनाशेन तद्वाण्डं राज्ञः ॥१९॥  
 अन्यायोपेक्षा सर्वं विनाशयति ॥२०॥  
 चौरचरटमन्तपघमनराजबल्लभाटविकतलाराक्षशालिकनियोगिग्राम-  
 कूटवाद्वृषिका हि राष्ट्रस्य कण्टकाः ॥२१॥

प्रतापवति राज्ञि निष्ठुरे सति न भवन्ति राष्ट्रकष्टकाः ॥२२॥  
 अन्यायवृद्धितो वाद्युषिकास्तन्त्रं देशं च नाशयन्ति ॥२३॥  
 कायकीर्णयोनर्स्ति दक्षिण्ये वाद्युषिकानाम् ॥२४॥  
 अप्रियमप्यौषधं पीयते ॥२५॥  
 अहिदष्टा स्वाहगुलिरपि छिद्यते ॥२६॥

#### ९. दण्डनीतिसमुद्देशः

चिकित्सागम इव दोषविशुद्धिहेतुदण्डः ॥१॥  
 यथादोषं दण्डप्रणयन् दण्डनीतिः ॥२॥  
 प्रजापालनाय राजा दण्डः प्रणीयते न धनार्थम् ॥३॥  
 स कि राजा वैदो वा यः स्वजीवनाय प्रजासु दोषमन्वेषयति ॥४॥  
 दण्ड वृत्त मृत विस्मृत चौर पारदारिक प्रजाविष्ळवजानि द्रव्याणि न राजा  
 स्वयम्पुष्पुक्षोत ॥५॥  
 दुष्प्रणोतो हि दण्डः कामकोधाभ्यामज्ञानाद्वा सर्वविद्वेषं करोति ॥६॥  
 अप्रणीतो हि दण्डो मात्स्यन्यायमुत्पादयति, वलायामवलं प्रसति इति  
 मात्स्यन्यायः ॥७॥

#### १०. मन्त्रिसमुद्देशः

मन्त्रिपुरोहितसेनापतीनां यो युक्तमुक्तं करोति स आहार्यवृद्धिः ॥१॥  
 असुगत्यमपि सूत्रं कुसुमसंयोगात् किञ्चारोहति देवशिरसि ॥२॥  
 महाद्विः पुरुषैः प्रतिष्ठितोऽश्मापि भवति देवः कि पुनर्भनुष्यः ॥३॥  
 तथा चानुश्रूयते विष्णुगृहानुग्रहादनधिकृतोऽपि किल चन्द्रगुप्तः साम्राज्य-  
 पदमवापेति ॥४॥  
 ब्राह्मणक्षत्रियविशामेकतम् स्वदेशज्ञाचाराभिजनविशुद्धमव्यसनिनमव्यभि-  
 चारिणमघीताखिलव्यवहारतन्त्रमस्त्रज्ञमशेषोपाधिविशुद्धं च मन्त्रिण  
 कुर्वीत ॥५॥  
 समस्तपक्षपातेषु स्वदेशपक्षपातो महान् ॥६॥  
 विषनिषेक इव दुराचारः सर्वन् गुणान् दूषयति ॥७॥  
 दुष्प्रिजनो योहेन कुतोऽप्यपकृत्य न जुगुप्सते ॥८॥  
 सव्यसनसन्विदो राजारूढव्यालगञ्ज इव नासुलभोऽपायः ॥९॥  
 कि तेन केनापि यो विषदि नोपतिष्ठते ॥१०॥

भोजयेऽसंमतोऽपि हि सुलभो लोकः ॥११॥  
 किं तस्य भक्त्या यो न वेति स्वामिनो हितोपायमहितप्रतीकारं वा ॥१२॥  
 किं तेन सहायेनास्त्रज्ञेन मन्त्रिणा यस्यात्मरक्षणेऽप्यस्त्रं न प्रभवति ॥१३॥  
 धर्मर्थिं कामभयेषु व्याजेन परचित्परीक्षणमुपधा ॥१४॥  
 अकुलीनेषु नास्त्रयपवादाङ्गव्ययम् ॥१५॥  
 अलर्कविषवत् कालं प्राप्य विकुर्वते विजातयः ॥१६॥  
 तद्भूतस्य विषवत् यः कुलीनेषु दोषसंभवः ॥१७॥  
 घटप्रदीपवत्तज्ञानं मस्त्रिणो यत्र न परप्रतिबोधः ॥१८॥  
 तेषां शस्त्रमिव शास्त्रमपि निष्कलं येषां प्रतिपक्षदद्यनादभयमन्वयन्ति  
 चेतांसि ॥१९॥  
 तच्छस्त्रं शास्त्रं वात्मपरिभवाय यज्ञ हृन्ति परेषां प्रसरम् ॥२०॥  
 न हि गली बलीबद्वै भारकमैणि केनापि वुज्यते ॥२१॥  
 मन्त्रपूर्वैः सर्वोऽप्यारम्भः क्षितिपत्तीनाम् ॥२२॥  
 अनुग्रहावस्य जानयुपर्वत्यव्यय निश्चिन्तय बलाधानमर्थस्य  
 द्वैवस्य संशयच्छेदनमेकदेशलब्धस्याशेषोपलब्धिरिति मन्त्रसाध्यमेतत् ॥२३॥  
 अकृतारम्भमारब्धस्याप्यनुष्ठानमनुष्ठितविशेषं विनियोगसंपदं च ये कुर्युस्ते  
 मन्त्रिणः ॥२४॥  
 कर्मणामारम्भोपायः पुरुषद्रव्यसंपदेशकालविभागो विनिपासप्रतीकारः  
 कार्यसिद्धिश्चेति पञ्चाङ्गो मन्त्रः ॥२५॥  
 आकाशे प्रतिशब्दवति चाश्रये मन्त्रं न कुर्यात् ॥२६॥  
 मुखविकारकराभिन्याम्यां प्रतिष्ठानेन वा मनःस्थमप्यर्थमन्यूह्यन्ति  
 विचक्षणाः ॥२७॥  
 आ कार्यसिद्धे रक्षितव्यो मन्त्रः ॥२८॥  
 दिवा नक्तं वापरीक्ष्य मन्त्रयमाणस्याभिमतः प्रच्छन्नो वा भिनत्ति  
 मन्त्रम् ॥२९॥  
 श्रूयते किल रजन्यां वटवृक्षे प्रच्छन्नो वरहचि-र-प्र-शि-खेति पिशाचेभ्यो  
 कृत्तान्तमुपश्रुत्य चतुरक्षराद्यः पादैः इलोकमेकं चकारेति ॥३०॥  
 न तैः सह मन्त्रं कुर्यात् येषां पक्षीयेष्वपकुर्यात् ॥३१॥  
 अनायुक्ते मन्त्रकाले न तिष्ठेत् ॥३२॥  
 तथा च श्रूयते शुक्लारिकाभ्यामन्यैश्च सिर्यंभिर्मन्त्रभेदः कृतः ॥३३॥  
 मन्त्रभेदादुत्पन्नं व्यसनं दुष्प्रतिदिवेयं स्यात् ॥३४॥  
 इज्जितमाकारो मदः प्रमादो निद्रा च मन्त्रभेदकारणानि ॥३५॥  
 इज्जितमन्यथावृत्तिः ॥३६॥  
 कोपप्रसादजनिता शारीरी विकृतिराकारः ॥३७॥

पानस्त्रीसंगादिजनितो हर्षो मदः ॥३८॥  
 प्रमादो गोत्रस्तलनादिहेतुः ॥३९॥  
 अन्यथा चिकीर्षतोऽन्यथावृत्तिर्वा प्रमादः ॥४०॥  
 निद्रान्तरितो [ निद्रितः ] ॥४१॥  
 उदधृतमन्त्रो न दीर्घसूत्रः स्थात् ॥४२॥  
 अननुष्ठाने छात्रवत् किं मन्त्रेण ॥४३॥  
 न ह्योषधिपरिज्ञानादेव व्याधिप्रशमः ॥४४॥  
 नास्त्यविवेकात् परः प्राणिनां शशुः ॥४५॥  
 अत्मसाध्यमन्येन कारयन्नीषधमूल्यादिव व्याधि चिकित्सति ॥४६॥  
 यो यत्प्रतिबद्धः स तेन सहोदयव्ययी ॥४७॥  
 स्वामिनाधिष्ठितो मेषोऽपि सिंहायते ॥४८॥  
 मन्त्रकाले विगृह्य विवादः स्वैरालापश्च न कर्तव्यः ॥४९॥  
 अविरुद्धेरस्वैरविहितो मन्त्रो लघुनोपायेन महतः कार्यस्य सिद्धिर्मन्त्र-  
 फलम् ॥५०॥  
 न खलु तथा हस्तेनोत्थाप्यते यावा यथा दारणा ॥५१॥  
 स मन्त्री शशुर्यो नृपेच्छ्याकार्यमपि कार्यस्तपतयानुशासित ॥५२॥  
 वर्त स्वामिनो दुःखं न पुनरकार्योपदेशेन तद्विनाशः ॥५३॥  
 पीयूषमपिबतो बालस्य किं न क्रियते कपोलहननम् ॥५४॥  
 मन्त्रिणो राजद्वितीयद्वयत्वात् केनचित् सह संसर्गं कुर्युः ॥५५॥  
 राजोऽनुग्रहविग्रहावेव मन्त्रिणामनुग्रहविग्रही ॥५६॥  
 स देवस्यापराधो न मन्त्रिणां यत् सुघटितमपि कार्यं न घटते ॥५७॥  
 स खलु नो राजा यो मन्त्रिणोऽतिक्रम्य वर्तते ॥५८॥  
 सुविवेचितान्मन्त्राद्वयत्वेव कार्यसिद्धिर्यदि स्वामितो न दुराग्रहः  
 स्थात् ॥५९॥  
 अविक्रमतो राज्यं वणिकखड्गयष्टिरिव ॥६०॥  
 नीतिर्यावस्थितमर्थमुपलभ्यति ॥६१॥  
 हिताहितप्राप्तिपरिहारी पुरुषकारायती ॥६२॥  
 अकालसहं कार्यमयस्वीनं न कुर्यात् ॥६३॥  
 कालातिक्रमान्वयच्छेद्यमपि कार्यं भवति कुठारच्छेदम् ॥६४॥  
 को नाम सचेतनः सुखसाध्यं कार्यं कुच्छुसाध्यमसाध्यं वा कुर्यात् ॥६५॥  
 एको मन्त्री न कर्तव्यः ॥६६॥  
 एको हि मन्त्री निरवश्वरति मुहूर्ति च कार्येषु कुच्छेषु ॥६७॥  
 द्वावपि मन्त्रिणो न कार्यौ ॥६८॥  
 द्वी मन्त्रिणी संहृती राज्यं विनाशयतः ॥६९॥

निगृहीतीं सों सं किंगमधुरः ॥७०॥  
 त्रयः पञ्च सप्त वा मन्त्रिणहतैः कार्याः ॥७१॥  
 विषमुरुषसमूहे दुर्लभमैकमत्यम् ॥७२॥  
 बहवो मन्त्रिणः परस्परं स्वमतीरुकर्णयन्ति ॥७३॥  
 स्वच्छन्दाहनं न विजृम्भन्ते ॥७४॥  
 यद् बहुगुणमनपायबहुलं भवति लक्तार्यमनुष्ठेयम् ॥७५॥  
 तदेव भुज्यते यदेव परिणमति ॥७६॥  
 यथोक्तगुणसमवायिन्येकस्मिन् युगले वा मन्त्रिणि न कोऽपि दोषः ॥७७॥  
 न हि महानप्यन्धसमुदायो रूपमुपलभेत् ॥७८॥  
 अवायंवीर्ये धूर्ये किञ्च महति भारे नियुज्येते ॥७९॥  
 बहुसहाये राज्ञ प्रसीदन्ति सर्वं एव मनोरथाः ॥८०॥  
 एको हि पुरुषः केषु नाम कार्येष्वात्मानं विभजते ॥८१॥  
 किमेकशाखस्य शाखिनो महती भवति छाया ॥८२॥  
 कार्यकाले दुर्लभः पुरुषसमुदायः ॥८३॥  
 दीप्ते गृहे कीदूर्या कूपखननम् ॥८४॥  
 न वर्तं पुरुषसंग्रहाद् बहु मन्त्रव्यम् ॥८५॥  
 सत्क्षेत्रे बीजमिव पुष्टेषु पूर्वं कार्यं शतशः फलति ॥८६॥  
 बुद्धावर्थे युद्धे च य सहायास्ते कार्यपुरुषाः ॥८७॥  
 खादनवारायां को नाम न सहायः ॥८८॥  
 श्राद्ध इवाथोत्रियस्य न मन्त्रे मूर्खस्याधिकारोऽस्ति ॥८९॥  
 किं नामान्धः पश्येत् ॥९०॥  
 किमन्धेनाकृष्यमाणोऽन्धः समं पन्थानं प्रतिपद्यते ॥९१॥  
 तदन्धवर्तकीर्यं काकतालीयं वा यन्मूर्खमन्धात् कार्यसिद्धिः ॥९२॥  
 स घुणाक्षरस्यायो यन्मूर्खेषु मन्त्रपरिज्ञानम् ॥९३॥  
 अनालोकं लोचनमिद्राशास्त्रं मनः कियत् पश्येत् ॥९४॥  
 स्वामिप्रसादः संग्रहं जनयति पुनराभिजात्यं पाणिडत्यं वा ॥९५॥  
 हरकण्ठलानोऽपि कालकूटः काल एव ॥९६॥  
 स्ववधाय कृत्योत्थापनमिव मूर्खेषु राज्यभारारोपणम् ॥९७॥  
 अकार्यवेदिनः किं बहुना शास्त्रेण ॥९८॥  
 मुण्होनं धनुः पिङ्गजनादपि कष्टम् ॥९९॥  
 चक्षुष इव मन्त्रिणोऽपि यथार्थदर्शनमेवात्मगीरचहेतुः ॥१००॥  
 शस्त्राधिकारिणो न मन्त्राधिकारिणः स्युः ॥१०१॥  
 क्षत्रियस्य परिहरतोऽप्यायात्युपरि भण्डनम् ॥१०२॥  
 शस्त्रोपजीविनां कलहमन्तरेण भक्तमपि भुक्तं न जीयति ॥१०३॥

मन्त्राधिकारः स्वामिप्रसादः शस्त्रोपजीवतं चेत्येकैकमणि पुरुषमुत्सेकयति  
कि पुनर्न सप्तदायः ॥१०५॥

नालभ्यटोऽधिकारो ॥१०५॥

मन्त्रिणोऽर्थं ग्रहणलालसायां मतो न राज्ञः कार्यमयो वा ॥१०६॥  
बरणार्थं प्रेषित इव यदि कन्यां परिणयति तदा बरघितुस्तप एव  
शरणम् ॥१०७॥

स्वालयेव भक्तं चेत् स्वयमशनाति कुतो भोक्तुर्भुक्तिः ॥१०८॥

तावत् सर्वोऽपि शुचिनिः स्पृहो यावन्न परवरस्त्रीदर्शनमथगिमो वा ॥१०९॥

अदुष्टस्य हि दूषणं सुप्रव्यालप्रबोधनमिव ॥११०॥

येन सह चित्तविनाशोऽभूत्, स सञ्चिहतो न कर्तव्यः ॥१११॥

सकृदिधितिं चेतः स्फटिकवलयमिव कः संधातुमीदवरः ॥११२॥

न महताप्युपकारेण चित्तस्य तथानुरागो यथा विरागो भवत्यलयेनाप्य-  
कारेण ॥११३॥

सूचीभुखसंवशानपकृत्य विरमन्त्यपराद्वाः ॥११४॥

अतिवृद्धः कामस्तत्त्वास्ति यज्ञं करोति ॥११५॥

श्रूपते हि किल कामपरवशः प्रजापतिरात्मदुहितरि हरिगोपिदधूषु, हरः  
शान्तनुकलत्रेषु, सुरपतिगौतमभाययां, चन्द्रश्च वृहस्पतिपत्न्यां मनश्च-  
कारेति ॥११६॥

अर्थेषुपभोगर्हतास्तरवोऽपि साभिलाषाः कि पुनर्मनुरुद्याः ॥११७॥

कस्य न वनकाभाल्लोभः प्रवर्तते ॥११८॥

स खलु प्रत्यथां दिवं यस्य परस्त्रेष्विव परस्त्रोषु निःस्पृहं चेतः ॥११९॥

समाधिभ्यः कार्यारम्भो रामसिकानाम् ॥१२०॥

बहुकलेशोनाल्पफलः कार्यारम्भो महामूर्खणाम् ॥१२१॥

दोषभयान्न कार्यारम्भः कापुरुषाणाम् ॥१२२॥

मृगः सन्तीति कि कृषिनं क्रियते ॥१२३॥

अजोणेभयात् कि भोजनं परित्यज्यते ॥१२४॥

स खलु काऽपोहाभूदस्ति भविष्यति वा यस्य कार्यारम्भेषु प्रत्यक्षाया च  
भवन्ति ॥१२५॥

आत्मसंशयेन कार्यारम्भो व्यालहृदयानाम् ॥१२६॥

दुर्भीखत्वमासशशूरत्वं रिषी प्रति महापुरुषाणाम् ॥१२७॥

जलवन्मादं वोपेतः पृथूनपि भूभूतो गिनति ॥१२८॥

प्रियं वदः शिखीव सदर्पनपि द्विषत्सप्तनुत्सादयति ॥१२९॥

ताविज्ञाय परेषामर्थमनर्थं वा स्वहृदयं प्रकाशयन्ति महानुभावाः ॥१३०॥

क्षीरवृक्षवत् फलसंपादनमेव महतामालापः ॥१३१॥

दुरारोहपादप इव दण्डाभियोगेन फलप्रदो भवति नोचप्रकृतिः १३२॥  
 स महान् यो विपत्सु धीर्यमवलम्बते ॥१३३॥  
 उत्तापकत्वं हि सर्वकार्यषु सिद्धानां प्रथमोऽन्तरायः ॥१३४॥  
 शरदधना इव न खलु वृथालापा गलगजितं कुर्वन्ति सत्कुलजाताः ॥१३५॥  
 न स्वभावेन किमपि वस्तु सुन्दरमसुन्दरं वा किन्तु यदेव यस्य प्रकृतितो  
 भाति तदेव तस्य सुन्दरम् ॥१३६॥  
 न तथा कर्मुररेणुना प्रीतिः केतकीनां वायथामेधयेन ॥१३७॥  
 अतिक्रोधनस्य प्रभुत्वमग्नी पतितं लवणमिव शतधा विशोर्यते ॥१३८॥  
 सर्वान् गुणान् निहन्त्यनुचितज्ञः ॥१३९॥  
 परस्परं मर्मकथनयात्मविक्रम एव ॥१४०॥  
 तदजाकृपाणीयं यः परेषु विश्वासः ॥१४१॥  
 अणिकचित्तः किंचिदपि न सावयति ॥१४२॥  
 स्वतन्त्रः सहसाकारित्वात् सर्वं विनाशयति ॥१४३॥  
 अलसः सर्वकर्मणामनविकारी ॥१४४॥  
 प्रमादवान् भवत्यवश्यं विद्विषां वशः ॥१४५॥  
 कमप्यात्मनोऽनुकूलं प्रतिकूलं न कुयति ॥१४६॥  
 प्राणादपि प्रत्यवायो रक्षितव्यः ॥१४७॥  
 आत्मशक्तिमजानतो विग्रहः क्षयकाले कीटिकानां पक्षोत्थानमिव ॥१४८॥  
 कालमलभमानोऽपकर्तरि साधु वर्तेत ॥१४९॥  
 किन्तु खलु लोको न वहति मूर्खा दग्धुमिन्धनम् ॥१५०॥  
 नदीरथस्तरुणामंहीन् क्षालयस्पष्ट्यन्मूलयति ॥१५१॥  
 उत्सेको हस्तगतमपि कार्यं विनाशयति ॥१५२॥  
 नाथं महद्वापक्षेषोपायज्ञस्य ॥१५३॥  
 नदीपूरः सममेवोन्मूलयति [ तीरजतृणांहिमान् ] ॥१५४॥  
 युक्तमुक्तं वचो बालादपि गृह्णीयात् ॥१५५॥  
 रवेरविषये किं न दीपः प्रकाशयति ॥१५६॥  
 अल्पमपि वाताधनविवरं बहूनुपलभयति ॥१५७॥  
 परिवरा इव परायाः खलु वाचस्ताश्च निरर्थकं प्रकाशयमानाः  
 शपथन्त्यवश्यं जनयितारम् ॥१५८॥  
 तत्र युक्तमप्युक्तसम्यो न विशेषज्ञः ॥१५९॥  
 स खलु पिशाचको वातकी वा यः परेऽनर्थिनि वाचमुद्दीरयति ॥१६०॥  
 विध्यायतः प्रदीपस्येव नयहीनस्य वृद्धिः ॥१६१॥  
 जीवोत्सर्गः स्वामिषदमभिलषतामेव ॥१६२॥  
 बहुदोषेषु क्षणदुःखप्रदोऽपायोऽनुग्रह एव ॥१६३॥

स्वामिदोषस्वदोषाभ्यामुपहतवृत्तयः क्रुद्ध-लुभ्य-भीतावमानिताः  
 कृत्याः ॥१६४॥  
 अनुदृतिरभयं त्यागः सल्लुतिश्च कृत्यानां वशोपायाः ॥१६५॥  
 क्षयलोभविरागकारणानि प्रकृतीनां न कुर्यात् ॥१६६॥  
 सर्वकोपेभ्यः प्रकृतिकोपो गरीयात् ॥१६७॥  
 अचिकित्स्यदोषदुष्टान् स्वनिदुर्गसेतुबन्धाकरकमन्तरेषु बलेशयेत् ॥१६८॥  
 अपराध्येरपराधकेश्च सह गोष्ठीं न कुर्यात् ॥१६९॥  
 ते हि गृहप्रविष्टसर्पवत् सर्वव्यसनानामागमनद्वारम् ॥१७०॥  
 न कस्यापि क्रुद्धस्य पुरतस्तिष्ठेत् ॥१७१॥  
 कुद्धो हि सर्वे इव यमेवाग्ने पश्यति तत्रैव रोषविषमुत्सृजति ॥१७२॥  
 अप्रतिविवातुरागमनाद्वरमनागगनम् ॥१७३॥

## ११. पुरोहितसमुद्देशः

पुरोहितसुदितोदितकुलशीलं षडङ्गवेदे देवे निमित्ते दण्डनीत्यामभिविनी-  
 तमापदां देवीनां मानुषीणां च प्रतिकर्त्तरं कुर्वति ॥१॥  
 राजो हि मन्त्रिपुरोहितो मातापितरो, अतस्ती न केषुचिद्वाक्षितेषु  
 विसूरयेद् दुःखयेद् दुर्विनयेद्वा ॥२॥  
 अमानुषोऽग्निरवर्षं मरको दुभिक्षं सस्योपधातो जन्तूत्सर्गं व्याधिः,  
 भूतपिशाच-शाकिनी-सर्प-व्याल-मूषक-कोभद्रेत्यापदः ॥३॥  
 शिक्षालापक्रियाक्षमो राजपुत्रः सर्वसु लिपिषु प्रसंस्थाने पदप्रमाण-  
 प्रयोगकर्मणि नोत्यागमेषु रत्नपरीक्षायां संभागप्रहरणोपवाह्यविद्यासु  
 च साधु विनेतव्यः ॥४॥  
 अस्वातन्त्र्यमुक्तकारित्वं नियमो विनोतता च गुरुणासनकारणानि ॥५॥  
 व्रतविद्यावद्योऽधिकेषु नीचैराचरणं विनयः ॥६॥  
 पुण्यावासिः शास्त्ररहस्यपरिज्ञानं सत्यरूपाधिगम्यत्वे च विनयफलम् ॥७॥  
 अभ्यासः कर्मसु कौशलमुत्पादयत्येव यद्यस्ति तज्ज्ञेभ्यः संप्रदायः ॥८॥  
 गुरुवचनमनुलैघनीयमन्यथाधर्मानुचिताचारात्मप्रत्यवायेभ्यः ॥९॥  
 युक्तमयुक्तं वा गुरुरेव जानाति यदि न शिष्यः प्रत्यर्थवादी ॥१०॥  
 गुरुजनरोषेऽनुत्तरदानमभ्युपपत्तिशब्दवस् ॥११॥  
 शत्रूणामभिमुखः पूरुषः श्लाघ्यो न पुनर्गुरुणाम् ॥१२॥  
 आराध्यं न प्रकोपयेद्यद्यसावाश्रितेषु कल्याणशंसो ॥१३॥  
 गुरुभिरुक्तं नातिक्रमितव्यं यदि नेहिकामुत्रिकफलविलोपः ॥१४॥  
 सन्दिहानो गुरुमकोपयशापृच्छेत् ॥१५॥

गुरुणां पुरतो न यथैष्टमासितव्यम् ॥१६॥  
 नानभिवादोपाव्यायाद्विद्यामाददीत् ॥१७॥  
 अध्ययनकाले व्यासज्ञं पारिप्लवमन्यमनस्कतां च न भजेत् ॥१८॥  
 सहाध्यायिषु बुद्ध्यतिशयेन नाभिभूयेत् ॥१९॥  
 प्रज्ञयातिशयातो न गुरुप्रवज्ञायेत् ॥२०॥  
 स किमभिजातो भातरि यः गुरुषः शूरो वा पितरि ॥२१॥  
 अननुज्ञातो न ववचिद् द्रजेत् ॥२२॥  
 मार्गमचलं जलाशयं च नेकोऽवगाहयेत् ॥२३॥  
 पितरमिव मुरुमुपचरेत् ॥२४॥  
 गुरुपत्लीं जननीमिव पश्येत् ॥२५॥  
 गुरुमिव गुरुपत्रं पश्येत् ॥२६॥  
 सत्रह्याचारिण व्रान्धव इत्र स्तिह्येत् ॥२७॥  
 ब्रह्मचर्यगाणोऽप्तदुर्षित्तां देवान्तर्विनां या ददर्श चारण ॥२८॥  
 समविद्यैः सहाधीतं सर्वदाभ्यस्वेत् ॥२९॥  
 गृहदीः स्थितयमागन्तुकानां पुरतो न प्रकाशयेत् ॥३०॥  
 परगृहे सर्वोऽपि विक्रमादित्यायते ॥३१॥  
 स खलु महान् यः स्वकार्येष्विव परकार्येषूत्सहते ॥३२॥  
 परकार्येषु को नाम न शीतलः ॥३३॥  
 राजासन्नः को नाम न साधुः ॥३४॥  
 अर्थपरेष्वनुनयः केवलं देन्याय ॥३५॥  
 को नामार्थीं प्रणामेन तुष्यति ॥३६॥  
 आश्रितेषु कार्यतो विशेषकारणोऽपि दर्शनप्रियालापनाभ्यां शर्वं त्र  
 समवृत्तिस्तन्त्रे वर्धयति अनुरञ्जयति च ॥३७॥  
 तनुधनादर्थं प्रहृणं मृतमारणमिव ॥३८॥  
 अप्रतिविवातरि कार्ये निकेदनमरण्यहृदितमिव ॥३९॥  
 दुराग्रहस्य हितोपदेशो बधिरस्यायतो गानमिव ॥४०॥  
 अकार्यज्ञस्य शिक्षणमन्धस्य पुरतो नर्तनमिव ॥४१॥  
 अविचारकस्य युक्तिकथनं लुषकण्डनमिव ॥४२॥  
 नीचेषु पृष्ठकृतमुदके विशीर्णं लवणमिव ॥४३॥  
 अविशेषज्ञे प्रयासः शुष्कमदीतरणमिव ॥४४॥  
 परोक्षे किलोपकृतं सुस भंवाहनमिव ॥४५॥  
 अकाले विज्ञसमूपरे कृष्टमिव ॥४६॥  
 उपकृत्योदयाटनं वैरकरणमिव ॥४७॥  
 अफलवतः प्रसादः काशकुमुमस्येव ॥४८॥

गुणदोषावनिश्चत्यानुग्रहनियहविधानं ग्रहाभिनिवेश इव ॥४९॥  
 उपकारापकारासमर्थस्य तोषरोषकरणमात्मविडम्बनमिव ॥५०॥  
 ग्राम्यस्त्रीविद्रावणकारि गलगजितं ग्रामशूरणाम् ॥५१॥  
 य विद्वने गतुङ्गाणर्थं यो भृतोषगतेष्वै त तु ४ः स्वस्येवोपभोग्यो  
 व्याधिरिव ॥५२॥  
 स कि गुरुः पिता सुहुद्वा योऽभ्यसूययाऽमी बहुदोषं बहुषु दा दोषं प्रकाशयति  
 न शिक्षयति च ॥५३॥  
 स कि प्रभुर्येहिवरसेवकेष्वैकमप्यपराधं त सहसे ॥५४॥

### १२. सेनापतिसमुद्देशः

अभिजनाचारप्राज्ञानुरागशोचशोर्यसंपन्नः प्रभाववान् बहुवान्धवपरिवारो  
 निखिलनयोपायप्रयोगनिपुणः समभ्यस्तसमस्तवाहनायुधयुद्धलिपिभाषात्मप-  
 रिज्जानस्थितिः सकलतत्त्वसामन्ताभिमतः सांगाभिकाभिरामिकाकारशरीरो  
 भर्तुरादेशाभ्युदयहितवृत्तिषु लिविकल्पः स्वामिनात्मवन्भानथंप्रतिपत्तिः  
 राजचिह्नः संभावितः सर्वक्लेशायाससह इति सेनापतिगुणाः ॥१॥  
 स्वैः परैश्च प्रभृष्यप्रकृतिरप्रभाववान् स्त्रीजितत्वमौद्धर्यं व्यसनिताक्षय-  
 व्ययप्रवासोपहतत्वं तन्त्राप्रतीकारः सर्वैः सह विरोधः परपरीवादः पर्ष-  
 भाषित्वमनुचितज्ञतासंविभागित्वं स्वातन्त्र्यात्मसंभावनोपहतत्वं स्वामिकार्य-  
 व्यसनोपेक्षः सहकारिकृतकार्यविनाशो राजहितवृत्तिषु चैष्वल्लुत्वमिति  
 सेनापतिदोषाः ॥२॥  
 स चिरंजीवति राजपुरुषो यो नगरनायित इवानुवृत्तिपरः सर्वासु प्रकृतिषु ॥३॥

### १३. दूतसमुद्देशः

अनासशेषवर्थेषु दूतो मन्त्री ॥१॥  
 स्वामिभक्तिरब्यसनिता दाक्ष्यं शुचित्वममूर्षता प्रागलभ्यं प्रतिभानवत्वं  
 क्षान्तिः परमर्मवेदित्वं जातिश्च प्रथमे दूतगुणाः ॥२॥  
 स त्रिविधो निसृष्टार्थः परिमितार्थः शासनहरश्चेति ॥३॥  
 यत्कृती स्वामितः सञ्चिद्विग्रहो प्रमाणं स निसृष्टार्थः यथा कृष्णः वाण-  
 वानाम् ॥४॥  
 अविज्ञातो दूतः परस्थानं त प्रविशेत्विगच्छेद्वा ॥५॥  
 मत्स्वामिनासंधातुकामो रिपुमाँ विलम्बयितुमिच्छतीत्यननुज्ञासोऽपि

दूतोऽप्सरेद् गृद्धपुरुषान्वावसपंयेत् ॥६॥  
 परेणाशु प्रेषितो दूतः कारणं विमृशेत् ॥७॥  
 कृत्योपग्रहोऽकृत्योत्थापनं सुतदायादावरुद्धोपजापः स्वभण्डलप्रविष्टगृद्धपुरुष-  
 परिज्ञानमन्तपालाटविककोशदेशतन्मित्रावबोधः कन्यारत्नवाहनविनि-  
 शावणं स्वाभीष्टपुरुषप्रयोगात् प्रकृतिक्षेभकरणं दूतकम् ॥८॥  
 मन्त्रिपूरोहितसेनापतिप्रतिकद्धपुजनोपचारविस्तम्भाभ्यां शत्रोरिति कर्तव्यता-  
 मन्त्रःसारतां च विद्यात् ॥९॥  
 स्वयमशक्तः परेणोक्तमनिष्टं सहेत् ॥१०॥  
 गुरुषु स्वामिषु वा परिवादे नास्ति क्षान्तिः ॥११॥  
 स्थित्वापि यियासतोऽवस्थानं केवलमुपक्षयहेतुः ॥१२॥  
 वीरपुरुषपरितारितः शूरपुरुषान्तरितात् दूताम् पश्येत् ॥१३॥  
 शूयते हि किल चाणक्यस्तीक्ष्णदूतप्रयोगेणकं तन्दं जघान ॥१४॥  
 शत्रुप्रहितं शासनमुपायनं च स्वैरपरीक्षितं नोपाददीत ॥१५॥  
 शूयते हि किल स्पर्शविषवासिताद्भुतवस्त्रोपायनेन करहाटपतिः कैटभो  
 द्वारुलागातं राजाम् राजान् ॥१६॥  
 आशीविषविषवरोपेतरत्नकरण्डकप्राभूतेन च करवालः करालं जघानेति ॥१७॥  
 महत्यपरायेऽपि न दूतमुपहन्यात् ॥१८॥  
 उद्घृतेष्वपि शस्त्रेषु दूतमुखा वे राजानः ॥१९॥  
 तेषामन्तावसायिनोऽप्यवध्याः ॥२०॥  
 कि पुनर्ब्रह्मणः ॥२१॥  
 अवध्यभावो दूतः सर्वमेव जल्पति ॥२२॥  
 कः सुधीद्वृतवचनात् परोत्कर्षं स्वापकर्षं च मन्येत् ॥२३॥  
 स्वयं रहस्यज्ञानार्थं परदूतो नयादैः स्त्रीभिरुभयवेतनैस्तदगुणाचारशोलानु-  
 वृतिभिर्वा वंचनीयः ॥२४॥  
 चत्कारि वेष्टनानि खण्डमुद्रा च प्रतिपक्षलेखानाम् ॥२५॥

#### १४. चारसमुद्देशः

स्वपरमण्डलकार्यकार्यविलोकने चाराः खलु चक्षूद्विंशितिपतीनाम् ॥१॥  
 अलील्यममान्यममृषाभाषित्वमन्यूहकत्वं चारगुणाः ॥२॥  
 तुष्टिदानमेव चाराणां वेतनस् ॥३॥  
 ते हि तल्लोभात् स्वामिकार्येषु त्वरन्ते ॥४॥  
 असति संकेते न्रयाणामेकवाक्ये संप्रत्ययः ॥५॥  
 अनवसर्पो हि राजा स्वैः परेद्वचातिसंघीयते ॥६॥

किमस्त्ययामिकस्य निशि कुशलम् ॥७॥  
 छात्रकापटिकोदास्थितगृहपतिवैदेहिकसापसकिरातथमपट्टिकाहितुण्डिकशी-  
 ण्डिकशीभिकपाटच्चरविटविदूषकपीठमद्दनतंकगायनवादकवाग्जीवनगणक-  
 शाकुनिकभिषगैन्द्रजालिकनैमित्तिकसूदारालिकसंवादकतीक्ष्णरसदकूरजडमूढ-  
 बधिरात्मधुष्मावस्थायियाधिमेदेनावसर्ववर्गः ॥८॥  
 परममंजः प्रगल्भश्छान्तः ॥९॥  
 यं कमपि समथमास्थाय प्रतिपन्नश्छान्तवेषकः कापटिकः ॥१०॥  
 प्रभूतान्तेवासी प्रश्नातिशययुक्तो राजा परिकल्पितवृत्तिरुदास्थितः ॥११॥  
 गृहपतिवैदेहिकौ घामकूटश्रेष्ठिनौ ॥१२॥  
 ब्रह्मव्रतविद्याभ्यां लोकदम्भहेतुस्तापसः ॥१३॥  
 अल्पाखिलशरीरादयवः किरातः ॥१४॥  
 यमपट्टिको गलत्रोटिकः प्रतिगृहं चित्रपटदर्शी वा ॥१५॥  
 अहितुण्डिकः सर्वक्रीडाप्रसरः ॥१६॥  
 शौण्डिकः कल्पपालः ॥१७॥  
 शौभिकः क्षपायां पटावरणेन रूपदर्शी ॥१८॥  
 पटच्चरश्चीरो बन्दीकारो वा ॥१९॥  
 व्यसनिनां प्रेषणानुजीवो विटः ॥२०॥  
 सर्वेषां प्रहसनपात्रं विदूषकः ॥२१॥  
 कामशास्त्राचार्यः पीठमद्दः ॥२२॥  
 गीताङ्गपटप्रावरणेन नृत्यबृत्याजीवी नतंको नाटकाभिनयरङ्गमतंको  
 वा ॥२३॥  
 रूपाजीवावृत्युपदेष्टा गायकः ॥२४॥  
 गीतप्रबन्धगतिविशेषवादकचतुर्विधातोद्यप्रचारकुशलो वादकः ॥२५॥  
 धारजीवी वैतालिकः सूतो वा ॥२६॥  
 गणकः संख्याविद्वैवज्ञो वा ॥२७॥  
 शाकुनिकः शकुनवक्ता ॥२८॥  
 भिषगायुर्वेदविद्वेद्यः शस्त्रकर्मविच्च ॥२९॥  
 ऐन्द्रजालिकतन्त्रयुक्त्या मनोविस्मयकरी भायावी वा ॥३०॥  
 नैमित्तिको लक्ष्यवेशो दैवज्ञो वा ॥३१॥  
 महानसिकः सूदः ॥३२॥  
 विचित्रभक्ष्यप्रणेसा आरालिकः ॥३३॥  
 अङ्गमद्दनकलाकुशलो भारवाहको वा संवाहकः ॥३४॥  
 द्रव्यहेतोः कृच्छ्रेण कर्मणा यो जीवितविक्रयी स तीक्ष्णोऽसहनो वा ॥३५॥  
 बन्धुस्नेहरहिताः क्रूराः ॥३६॥

अलसाश्च रसदाः ॥३७॥  
जडमूकबघिरान्वाः प्रसिद्धाः ॥३८॥

### १९. विचारसमुद्देशः

नाविचार्यं कार्यं किमपि कुर्यात् ॥१॥  
प्रत्यक्षानुमानागमेर्यथावस्थितवस्तुव्यवस्थापनहेतुविचारः ॥२॥  
स्वयं दृष्टुं प्रत्यक्षम् ॥३॥  
न ज्ञानमात्रत्वात् प्रेक्षावतां प्रवृत्तिनिवृत्तिर्वा ॥४॥  
स्वयं दृष्टेऽपि मतिविमुह्यति संशेते विष्यस्यति वा कि पुनर्न परोपदिष्टे  
वस्तुनि ॥५॥  
स खलु विचारज्ञो यः प्रत्यक्षेणोपलङ्घमपि साधु परोऽस्यानुतिष्ठति ॥६॥  
अतिरभसात् कृतानि कार्याणि कि नामानर्थं न जनयन्ति ॥७॥  
अविचार्यं कृते कर्मणि यत् पश्चात् प्रतिविवात् गतोदके सेतुबन्धनमिव ॥८॥  
आकारः शीर्यमायतिविनयश्च राजपुत्राणां भाविनो राज्यस्य लिङ्गानि ॥९॥  
कर्मसु कृतेनाकृतादेक्षणमनुमानम् ॥१०॥  
संभावितैकदेशो नियुक्तं विद्यात् ॥११॥  
प्रकृतेविकृतिदर्शनं हि प्राणिनां भविष्यतः शुभाशुभस्य चापि लिङ्गम् ॥१२॥  
य एकस्मिन् कर्मणि दृष्टवृद्धिः पुरुषकारः स कर्थं कर्मान्तरेषु न समर्थः ॥१३॥  
आसपुरुषोपदेश आगमः ॥१४॥  
यथानुभूतानुमितश्रुतार्थीविसंवादिवचनः पुमानासः ॥१५॥  
सा वागुकाप्यनुकसमा, यत्र नास्ति सद्युक्तिः ॥१६॥  
वक्तुर्गुणगौरवाद् वचनगौरवम् ॥१७॥  
कि मितंपचेषु धरेन चाण्डालसरसि वा जलेन यत्र सतामनुपभोगः ॥१८॥  
लोको गतानुगतिको यतः सदुपदेशिनीमपि कुट्टिनीं तथा न प्रमाणयति यथा  
गोद्धनमपि ब्राह्मणम् ॥१९॥

### २०. व्यसनसमुद्देशः

व्यस्यति पुरुषं श्रेयसः इति व्यसनम् ॥१॥  
व्यसनं द्विविधं सहजमाहार्यं च ॥२॥  
सहजं व्यसनं धर्माभ्युदयहेतुभिरवर्मजनितमहाप्रत्यवायप्रतिपादनेरुपाख्याने-  
योगपुरुषैश्च प्रशमं नयेत् ॥३॥  
परिचितानुकूल्येन तदभिलिपितेपूपायेन विरक्तिननहेतुबो योगपुरुषाः ॥४॥

शिष्टजनसंसगं दुर्जनासंसगभिरां पुरातनमहापुरुषचरितोत्थिताभिः कथाभि-  
 राहायं व्यसनं प्रतिबन्धीयात् ॥५॥  
 स्त्रियमतिशयेन भजमानो भवत्यवश्यं तृतीया प्रकृतिः ॥६॥  
 सौम्यधातुक्षयेण सर्वधातुक्षयः ॥७॥  
 पानशीण्डिक्षत्तविभ्रमात् मातरमपि गच्छति ॥८॥  
 मृगयासक्तिः स्तेनव्यालद्विषद्यायादानामामिषं पुरुषं करोति ॥९॥  
 द्यूतासक्तस्य किमप्यकृत्यं नास्ति ॥१०॥  
 मातर्यपि हि मृतायां दीव्यत्येव हि कितवः ॥११॥  
 पिशुनः सर्वेषामविश्वासं जनयति ॥१२॥  
 दिवास्वापः गुप्तव्याधिव्यालानामुत्थापनदण्डः सकलकार्यान्तरायश्च ॥१३॥  
 व परपरीवादात् परं सर्वविद्वेषणभेषजमस्ति ॥१४॥  
 तीयंत्रयासक्तिः प्राणार्थमानेविद्योजयति ॥१५॥  
 वृथाटथा नाविधाय कमप्यनर्थं विरमति ॥१६॥  
 अतीवेष्यलिं स्त्रियो धनन्ति त्यजन्ति वा पुरुषम् ॥१७॥  
 परपरिप्रहार्भिर्गमः कन्यादूषणं वा साहस्रम् ॥१८॥  
 यत् साहसं दशमुखदण्डिकादिनाशहेतुः सुप्रसिद्धमेव ॥१९॥  
 यत्र नाहमस्मीत्यध्यवसायस्तत् साहस्रम् ॥२०॥  
 अर्थदूषकः कुबेरोऽपि भवति भिक्षाभाजनम् ॥२१॥  
 अतिव्ययोऽपात्रव्ययश्चार्थदूषणम् ॥२२॥  
 हृषीमिषभ्यामकारणं तृणाङ्गकुरमपि नोपहन्थार्तिकपुनर्मत्यम् ॥२३॥  
 श्रूयते किञ्च निष्कारणभूतावमानिनो वातापिरिल्वलश्च द्वावसुरावगस्त्या-  
 शनाद्विनेशातुरिति ॥२४॥  
 यथादोषं कोटिरपि गृहीता न दुःखायते । अन्यायेन पुनस्तृणशलाकापि  
 गृहीता प्रजाः खेदयति ॥२५॥  
 तस्म्भेदेन फलोपभोगः सकृदेव ॥२६॥  
 प्रजाविभवो हि स्वामिनोऽद्वितीयो भाण्डागारोऽतो युक्तिस्तमुपभुङ्गीत ॥२७॥  
 राजपरिगृहीतं तृणमपि काव्यनीभवति [ जायते पूर्वसंचितस्याप्यर्थस्या-  
 पहाराय ] ॥२८॥  
 वाक्पात्रस्य शस्त्रपातादपि विशिष्यते ॥२९॥  
 जातिवयोवृत्तविद्यादोषाणामनुचितं वचो वाक्पात्रस्य ॥३०॥  
 स्त्रियमपत्यं भूत्यं च तथोक्त्या विनयं ग्राहयेद्यथा हृदयप्रविष्टाच्छल्यादिव  
 न ते दुर्मनायन्ते ॥३१॥

१. येन हृदयसंतत्त्वो जायते तद्वचनं वाक्पात्रस्य । हृदयपि गातः ।

थधः परिक्लेशोऽर्थं हरणमक्रमेण दण्डपारुष्यम् ॥३२॥

एकेनापि व्यसनेनोपहतश्चतुरज्ञोऽपि राजा विनश्यति किं पुनर्जीवाद-  
शमिः ॥३३॥

## १७. स्वामिसमुद्देशः

घार्मिकः कुलाचाराभिजनविशुद्धः प्रताणवान्नयानुगतवृत्तिश्च स्वामी ॥१॥  
कोपप्रसादयोः स्वतन्त्रः ॥२॥

आत्मातिशयं वनं वा यस्यास्ति स स्वामी ॥३॥

स्वामिमूला: सर्वाः प्रकृतयोऽभिप्रेतार्थयोजनाय भवन्ति नास्वामिकाः मृषा।  
उच्चिष्ठमूलेषु तरुषु किं कुर्यात् पुरुषप्रयत्नः ॥५॥

असत्यवादिनो नश्यन्ति सर्वे गुणाः ॥६॥

वक्ष्यकेषु न परिजनो नापि चिरायुः ॥७॥

स प्रियो लोकानां योऽर्थं ददाति ॥८॥

स दाता महान् यस्य नास्ति प्रत्याशोपहतं चेतः ॥९॥

प्रत्युपकर्तुरुपकारः सवृद्धिकोऽर्थन्यास इव तज्जन्मान्तरेषु च न केषामृण  
येषामप्रत्युपकारमनुभवनम् ॥१०॥

किं तया गवा वा न क्षरति औरं न गमिणो वा ॥११॥

किं तेन स्वामिप्रसादेन यो न पूरयत्याशाम् ॥१२॥

क्षुद्रपरिष्टकः सप्तिथय इव न कस्यापि सेव्यः ॥१३॥

अकृतज्ञस्य व्यसनेषु न सहन्ते सहायाः ॥१४॥

अविशेषज्ञो विशिष्टैर्नश्रीयते ॥१५॥

आत्मभरिः परित्यज्यते कलब्रेणापि ॥१६॥

वनुत्साहः सर्वव्यसनानामागमनद्वारम् ॥१७॥

शीर्यमर्थः शीघ्रकारिता सत्कर्मप्रबोधत्वमुत्साहगुणाः ॥१८॥

अन्यायप्रवृत्तस्य न चिरं संपदो भवन्ति ॥१९॥

यस्त्विक्वनकारी स्वैः परेवभिहन्यते ॥२०॥

आशाफलभेदवर्यम् ॥२१॥

राजाज्ञा हि सर्वेषामलङ्घयः प्राकारः ॥२२॥

आशाभज्ञकारिणं पुश्यमपि न सहेत् ॥२३॥

कस्तस्य चित्रगतस्य च विशेषो यस्याज्ञा नास्ति ॥२४॥

राजाज्ञावरुद्धस्य तदाज्ञां न भजेत् ॥२५॥

परमकार्यमश्रद्धेयं च न भाषेत् ॥२६॥

वेषमाचारं वानभिज्ञातं न भजेत् ॥२७॥

विकारिण प्रभी को नाम न विरज्यते ॥२८॥  
 अधर्मपरे राजि को नाम नाधर्मपरः ॥२९॥  
 राजावज्ञातो यः स सर्वेषवज्ञायते ॥३०॥  
 पूजितं पूजयन्ति लोकाः ॥३१॥  
 प्रजाकार्यं स्वयमेव पश्येत् ॥३२॥  
 शशाखसरससङ्कुटारं कामयेत् ॥३३॥  
 दुर्दर्शो हि राजा कार्यकार्यं विपर्यसमासनैः कार्यते द्विषताभितिसंबानीयश्च  
 भवति ॥३४॥  
 वैद्येषु श्रीमतां व्याधिवर्धनादिव नियोगिषु भर्तृव्यसनादपरो नास्ति  
 जीवनोपायः ॥३५॥  
 कार्यार्थिनः पुरुषान् लञ्चलुञ्चचानिशाचराणां भूतवलीष्म कुर्यात् ॥३६॥  
 लञ्चलुञ्चचा हि सर्वपातकानामागमनद्वारम् ॥३७॥  
 मातुः स्तनमपि लुञ्चन्ति लञ्चोपजीवितः ॥३८॥  
 लञ्चेन कार्यकारिभिरुद्धः स्वामी विक्रीयते ॥३९॥  
 प्रासादव्यवसनेन लोहकीलकलाभं इव लञ्चेन राजोऽर्थलाभः ॥४०॥  
 राजो लञ्चेन कार्यकरणे कस्य नाम कल्याणम् ॥४१॥  
 देवतापि यदि चौरेषु मिलति कुतः प्रजानां कुशलम् ॥४२॥  
 लुञ्चेनार्थोपाश्रयं दक्षयन् देशं कोशं मिश्रं तम्भ्रं च भक्षयति ॥४३॥  
 राजान्व्यायकरणं समुद्रस्य मर्थादिलञ्चनमादित्यस्य तमः पोषणमिव मातु-  
 श्चापत्यभक्षणमिव कलिकालविजूम्भितानि ॥४४॥  
 न्यायतः परिपालके राजि प्रजानां कामदुष्टा भवन्ति सर्वा दिशः ॥४५॥  
 काले वर्षति मघवान्, सविश्चेतयः प्रशाम्यन्ति, राजानमनुवर्त्तन्ते सर्वेऽपि  
 लोकपालाः ॥४६॥  
 सेन मध्यममप्युत्तमं लोकपालं राजात्माहुः ॥४७॥  
 अव्यसनेन छोणधनान् मूलधनप्रदानेन संभावयेत् ॥४८॥  
 राजो हि समुद्रावधिर्महो कुटुम्बं, कलक्राणि च वंशवर्थेनक्षेत्राणि ॥४९॥  
 अथिनामुपायनमप्रतिकुवणिं न गृह्णीयात् ॥५०॥  
 आगम्तुकेरसहनैरच सह नमं न कुर्यात् ॥५१॥  
 पूजयैः सह नाधिकै वदेत् ॥५२॥  
 भर्तृमशक्यप्रयोजनं च जनं नाशया परिक्लेशयेत् ॥५३॥  
 पुरुषस्य पुरुषो न दासः किंतु धनस्य ॥५४॥  
 को नाम घनहीनो न भवेल्लघुः ॥५५॥  
 सर्वेषु विद्येषु धनं प्रधानमहायत्वात् सहानुयायित्वाच्च ॥५६॥  
 सरित्समुद्रमिव तीचोपगतापि विद्या दुर्दर्शमपि राजानं संगमयति ॥५७॥

परंतु भाग्यानां व्यापारः ॥५८॥

सा खलु विद्या विदुषां कामधेनुर्यतो भवति समस्तजगत्स्थितिज्ञानम् ॥५९॥  
लोकव्यवहारज्ञो हि सर्वज्ञोऽन्यस्तु प्राज्ञोऽप्यवज्ञायक एव ॥६०॥  
ते खलु प्रज्ञापारमिताः पुरुषा ये कुर्वन्ति परेषां प्रतिबोधनम् ॥६१॥  
अनुपयोगिना महतापि किं जलधिजलेन ॥६२॥

#### १८. अमात्यसमुद्देशः

चतुरज्ञेऽस्ति द्यूते नानमात्योऽपि राजा किं पुनरत्यः ॥१॥  
नैकस्थ कायंसिद्धिरस्ति ॥२॥  
नह्येकं चक्रं परिश्रमति ॥३॥  
किमवातः सेत्वनोऽपि वह्निज्वर्लति ॥४॥  
स्वकर्मोत्कर्षीपिकर्षोदानमानाभ्यां सहोत्पत्तिविषये येषां तेऽमात्याः ॥५॥  
आयो व्ययः स्वामिरक्षा तन्त्रपोषणं चामात्यानामधिकारः ॥६॥  
आथव्ययमुख्योमुनिकमण्डलुनिदर्शनम् ॥७॥  
आयो द्रव्यस्योत्पत्तिमुखम् ॥८॥  
यथास्वामिशासनमर्थस्थ विनियोगो व्ययः ॥९॥  
आयमनालोच्य व्ययमानो वैश्वरणोऽप्यवश्यं श्रमणायते ॥१०॥  
राजः शरीरं वर्मः कलशं अपत्यानि च स्वामिशब्दार्थः ॥११॥  
तन्त्रं चतुरज्ञबलम् ॥१२॥  
तीक्ष्णं बलवत्पक्षमशुचि व्यसनिनमशुद्धाभिजनमशक्यप्रत्यावर्तनमतिव्यय-  
शीलमन्यदेशायातमतिचिक्कणं चामात्यं न कुर्वति ॥१३॥  
तीक्ष्णोऽभियुक्तो श्रियते मारयति वा स्वामिनम् ॥१४॥  
बलवत्पक्षो नियोगाभियुक्तः कल्लोल इव समूलं नृपाङ्ग्निपमुन्मूलयति ॥१५॥  
अल्पायतिर्महाव्ययो भक्षयति राजार्थम् ॥१६॥  
अल्पायमुखो जनपदपरिग्रहो पीडयति ॥१७॥  
नागन्तुकेष्वर्थाधिकारः प्राणाऽधिकारो वास्ति यतस्ते स्थित्वापि गन्तारो-  
प्यकर्तारो वा ॥१८॥  
स्वदेशजेष्वर्थः कूपपतित इव कालान्तरादपि लब्ध्वं शक्यते ॥१९॥  
चिक्कणादर्थलाभः पाषाणाद्वलकलोत्पाटनमिव ॥२०॥  
सोऽधिकारो यः स्वामिना सति दोषे सुखेन निशृहीतुं शक्यते ॥२१॥  
आह्वाण-क्षत्रिय-संबन्धिनो न कुर्यादधिकारिणः ॥२२॥  
आह्वाणो जातिवशात्सिद्धमप्यर्थं कृच्छ्रेण प्रयच्छति, न प्रयच्छति वा ॥२३॥  
क्षत्रियोऽभियुक्तः खड्गं दशंयति ॥२४॥

संबन्धी जातिभावेनाक्रम्य सामवाधिकान् सर्वमप्यथै ग्रसते ॥२५॥

संबन्धस्त्रिविषः श्रीतो मौख्यो योनश्च ॥२६॥

सहदीक्षितः सहाव्याधी वा श्रौतः ॥२७॥

मुखेन परिज्ञातो मौख्यः ॥२८॥

योनेजातो योनः ॥२९॥

वाचिकसंबन्धे नास्ति संबन्धान्तरानुदृतिः ॥३०॥

न तं कमप्यधिकुर्यात् सत्यपराथे यमुपहत्यानुशयोत ॥३१॥

मात्योऽधिकारी राजाज्ञामवज्ञाय निरवग्रहश्चराति ॥३२॥

चिरसेवको नियोगी नापरावेष्वाशङ्कुते ॥३३॥

उपरक्ताविकारस्य उपकारमेव अवनीकृत्य सर्वमवलुम्पति ॥३४॥

सहपाण्युक्तीडितोऽमात्योऽतिपरिचयात् स्वयमेव राजायते ॥३५॥

अन्तर्दुष्टो नियुक्तः सर्वसनर्थमुत्पादयति ॥३६॥

शकुनि-शकटालावत्र दृष्ट्यान्तर्गते ॥३७॥

सुहृदि नियोगिन्यवश्यं भवति वनमित्रताशः ॥३८॥

मूखस्य नियोगे भर्तुर्धर्मार्थैयशसां संदेहो निश्चितो चानर्थनरकपातो ॥३९॥

सोऽधिकारी चिरं नन्दति स्वामिप्रसादो नोत्सेकयति ॥४०॥

किं तेन परिच्छदेन यत्रात्मकलेशेन कार्यं सुखं वा स्वामिनः ॥४१॥

का नाम निर्वृतिः स्वयमूढतृणभोजिनो गजस्य ॥४२॥

अश्वसवमाणः पुरुषाः कर्मसु नियुक्ता विकुर्वते तस्मादहन्यहनि तान् परीक्षेत् ॥४३॥

माजरिषु दुर्घरक्षणमिव नियोगिषु विश्वासकरणम् ॥४४॥

शृङ्खिच्चित्तविकारिणी नियोगिनाभिति सिद्धानामादेशः ॥४५॥

सर्वोऽप्यतिसमृद्धोऽधिकारी भवत्यायत्यामसाध्यकृच्छ्रसाध्यः स्वामिपदाभिलाषी वा ॥४६॥

भक्षणमुपेताणं प्रजाहीनत्वमुपरोधः प्राप्तार्थप्रिवेशो द्रव्यविनिमयश्चेत्यमारयदोषाः ॥४७॥

बहुमूख्यमनिर्थं च करणं स्थापयेत् ॥४८॥

स्त्रीज्वर्येषु च मेनागप्यविकारे न जातिसंबन्धः ॥४९॥

स्वपरदेशजावनपेक्ष्यानित्यश्चाधिकारः ॥५०॥

आदायकनिबन्धकप्रतिबन्धकनीवीग्राहकराजाड्यक्षाः करणानि ॥५१॥

आयव्ययविशुद्धं द्रव्यं नीवी ॥५२॥

नीवीनिबन्धकपुस्तकग्रहणपूर्वकमायव्ययो विशेषयेत् ॥५३॥

आयव्ययविप्रतिपत्तौ कुशलकरणकार्यपुरुषेभ्यस्तद्विनिश्चयः ॥५४॥

नित्यपरीक्षणं कर्मविपर्ययः प्रतिपत्तिदानं नियोगिष्वर्थोपायाः ॥५५॥

नाणीडिता नियोगिनो दुष्ट्रणा इवान्तःसारमुद्गमन्ति ॥५६॥  
 पुनः पुनरभियोगे नियोगिषु भूपतीनां वसुधाराः ॥५७॥  
 सङ्क्लिष्टीडितं हि स्नानवस्त्रं कि जहृति स्तनग्वताम् ॥५८॥  
 देशमपीडयन् बुद्धिपुरुषकाराभ्यां पूर्वनिबन्धमधिकं कुर्वन्नर्थमानो  
 लभते ॥५९॥  
 यो यत्र कर्मणि कुशलस्तं तत्र विनियोजयेत् ॥६०॥  
 न खलु स्वामिप्रसादः सेवकेषु कार्यसिद्धिनिवन्धनं कि तु बुद्धिपुरुषकारा-  
 वेव ॥६१॥  
 शास्त्रविद्यदृष्टुकर्मि कर्मसु विषादं गच्छेत् ॥६२॥  
 अनिवेद्यभर्तुर्न किञ्चिदारम्भं कुर्यादित्यत्रापत्प्रतीकारेभ्यः ॥६३॥  
 सहसोपचितार्थो मूलधनमात्रेणावशेषयितव्यः ॥६४॥  
 मूलधनाद् द्विगुणाधिको लाभो भाष्टोत्थो यो भवति स राजः ॥६५॥  
 परस्परकलहो नियोगिषु भूमुजां निधिः ॥६६॥  
 नियोगिषु लक्ष्मीः क्षितीश्वरार्णा द्वितीयः कोशः ॥६७॥  
 सर्वसंग्रहेषु धान्यसंग्रहो महान्, यतस्तन्निवन्धनं जीवितं सकलप्रथा-  
 सर्वच ॥६८॥  
 न खलु मुखे प्रथिष्ठः खरोऽपि द्रम्भः प्राणत्राणाय यथा धान्यम् ॥६९॥  
 सर्वधान्येषु चिरजीविनः कोद्रवाः ॥७०॥  
 अनदं नवेन वद्धैयितव्यं व्ययितव्यं च ॥७१॥  
 लवणसंग्रहः सर्वरसानामुत्तमः ॥७२॥  
 सर्वरसामयमप्यन्नमलवणं गोमयायते ॥७३॥

## १९. जनपदसमुद्देशः

पशुधान्यहिरण्यसंपदा राजते इति राष्ट्रम् ॥१॥  
 भर्तुर्दण्डकोशवृद्धि दिशातीति देशः ॥२॥  
 विविधवस्तुप्रदानेन स्वामिनः सद्गनि गजान् वाजिनश्च विष्णोति वचना-  
 तीति विषयः ॥३॥  
 सर्वकामधुक्त्वेन नरपतिहृदयं मण्डयति भूषयतोति मण्डलम् ॥४॥  
 जनस्य वणश्चिमलक्षणस्य द्रव्योत्पत्तेवा पदं स्थानमिति जनपदः ॥५॥  
 निजपतेष्टकर्षजनकत्वेन शत्रुहृदयानि दारयति भिसतीति दारकम् ॥६॥  
 आत्मसमृद्ध्या स्वामिनं सर्वव्यसनेभ्यो निर्गमयतीति निर्गमः ॥७॥

अन्योऽन्यरक्षकः खन्याकरद्रव्यनाथनवात् नातिवृद्धनातिहीनग्रामो बहुसारविचित्रधान्यहिरण्यपण्योत्पत्तिरदेवमातृकः पशुमनुष्यहितः श्रेणिशूद्रकर्षकप्राय इति ऊर्गदस्य ग्रामाः ॥८॥

विषतृणोदकोषरपाणकण्टकगिरिगत्तंगत्त्वरप्रायभूमिभूरिवर्षा जीवनो  
व्याललुब्धकम्लेच्छबहुलः स्वल्पसस्योत्पत्तिस्तरफलाधार इति देशदोषाः ॥९॥

तत्र सदा दुर्भिक्षमेव, यत्र जलदजलेन सस्योत्पत्तिरकृष्टभूमिहचारम्भः ॥१०॥  
क्षत्रियप्राया हि ग्रामाः स्वल्पास्वपि बाधासु प्रतियुद्ध्यन्ते ॥११॥

ग्रियमाणोऽपि द्विजलोको न खलु सान्त्वेन सिद्धमप्यर्थं प्रयच्छति ॥१२॥  
स्वभूमिकं भुक्तपूर्वमभुक्तं वा जनपदं स्वदेशाभिमुखं दानमानाभ्यां परदेशादावहेत् वासयेच्च ॥१३॥

स्वल्पोऽप्यादायेषु प्रजोपद्रवो महान्तमर्थं नाशयति ॥१४॥

क्षीरिषु कणिशेषु सिद्धादायो जनपदमुद्भासयति ॥१५॥

लवनकाले सेनाप्रचारो दुर्भिक्षमावहति ॥१६॥

सर्वबाधा प्रजानां काशं पीडयति ॥१७॥

दक्षपरिहारमनुगृह्णीयात् ॥१८॥

मयदातिकमेण फलवत्यपि भूमिभूवत्यरण्यानी ॥१९॥

क्षीणजनसंभावनं तृणशलाकाया अपि स्वयमग्रहः कदाचित्किंचिदुपजीवनमिति परमः प्रजानां वर्धनोपायः ॥२०॥

त्वायेन रक्षिता पण्यपुटभेदिनो पिण्डा राजां कामधेनुः ॥२१॥

राजां चतुरङ्गबलाभिवृद्धये भूयासो भक्तग्रामाः ॥२२॥

सुमहच्च गोमण्डलं हिरण्याय युक्तं शुलकं कोशवृद्धिहेतुः ॥२३॥

देवद्विजप्रदेया गोहतप्रमाणा भूमिदृतुरादातुश्च सुखनिर्वाहा ॥२४॥

क्षेत्रवप्रखण्डधर्मायितनानामुत्तरः पूर्वं बाधते न पुनरुत्तरं पूर्वः ॥२५॥

## २०. दुर्गसमुद्देशः

यस्याभियोगात्परे दुर्गं गच्छन्ति दुर्जनोद्योगविषया वा स्वस्यापदो गमयतीति  
दुर्गम् ॥१॥

सद्द्विविधं स्वाभाविकमाहार्यं च ॥२॥

वैषम्यं पद्मसिंहकाशो यवसेन्वनोदकभूयस्त्वं स्वस्य परेषामभावो बहुधान्य-  
रससंग्रहः प्रवेशापसारी वीरपुरुषा इति दुर्गसंपत् अन्यद्वन्दशालावत् ॥३॥

अदुर्गो देशः कस्य नाम न परिभवास्पदम् ॥४॥

अदुर्गस्य राजः पर्योधिमध्ये पोतच्युतपक्षिवदापदि नास्त्याश्रयः ॥५॥

उपायतोऽविगमनमुपजापश्चिवरानुबन्धोऽवस्कन्दतीक्ष्णपुरुषोपयोगहचेति पर-  
दुर्गलभ्मोपायाः ॥६॥

नामुद्रहस्तोऽशोधितो वा दुर्गमध्ये कश्चित् प्रविशेन्निर्गच्छेद्वा ॥७॥

श्रूयते किल हृणाविपतिः पण्यपुटवाहिभिः सुभट्टैः चिकूटं जग्राह ॥८॥

खेटखड्गधरैः सेवार्थं शत्रुणां भद्राखर्यं काञ्चीपतिभिति ॥९॥

## २१. कोशसमुद्देशः

यो विपदि संपदि च स्वामिनस्तन्त्राभ्युदयं कोशयतीति कोशः ॥१॥

सातिशयहिरण्यरजतप्रायो व्यावहारिकनाणकवहुलो महापदि व्ययसहस्रचेति  
कोशगुणाः ॥२॥

कोशं वर्धयन्नुत्पव्वमर्थमुपयुक्तीत ॥३॥

कुतस्तस्याघत्यां श्रेयांसि यः प्रत्यहं काकिरायापि कोशं न वर्धयति ॥४॥

कोशो हि भूपतीनां जीवनं न प्राणाः ॥५॥

क्षोणकोशो हि राजा पौरजनपदानन्यायेन ग्रसते ततो राष्ट्रशून्यता स्पृत् ॥६॥

कोशो राजेत्युच्यते न भूपतीनां शरीरम् ॥७॥

यस्य हस्ते द्रव्यं स जयति ॥८॥

धनहीनः कलत्रेणापि परित्यज्यते किं पुनर्निध्यः ॥९॥

न खलु कुलाचाराभ्यां पुरुषः सर्वोऽपि सेव्यतामेति किन्तु वित्तेनैव ॥१०॥

स खलु महान् कुलोनह्य यस्यास्ति धनमनुनय ॥११॥

किं तया कुलोनतया महत्तया वा या न संतर्पयति परान् ॥१२॥

तस्य किं सरसो महत्वेन यत्र न जलानि ॥१३॥

देवद्विजविणिंजां घर्माद्विरपरिजनानुपयोगिद्रव्यभागैराद्यविद्वानियोगिग्राम-  
कूटगणिकासंघपाखणिडविभवप्रत्यादानेः समूद्रपौरजानपदद्विणसंविभाग-  
प्रार्थनेरनुपक्षयश्चोकामन्त्रिपुरोहितसमन्त्वभूपालानुनयग्रहागमनाभ्यां क्षीण-  
कोशाः कौशं कुर्यात् ॥१४॥

## २२. बलसमुद्देशः

द्रविणदानप्रियभाषणाभ्यामरातिनिवारणेन यद्वि हितं स्वामिनं सर्वावस्थामु-  
बलते संकृणोतीति बलम् ॥१॥

बलेषु हस्तिनः प्रधानमङ्ग्ने स्वैरवयवैरण्यायुधा हस्तिनो भवति ॥२॥

हस्तिप्रधानो विजयो राजां यदेकोऽपि हस्तो सहस्रं योधयति न सीदति  
प्रहारसहस्रेणापि ॥३॥

जातिः कुलं वर्णं प्रचारश्च वनहस्तिनां प्रधानं कि तु शरीरं बलं शौर्यं शिक्षा  
 च तदुचिता च सामग्री संपत्तिः ॥४॥  
 अशिक्षिता हस्तिनः केवलमर्याणहराः ॥५॥  
 सुखेन यानमात्मरक्षा परस्पुरावमदनभरिव्याहविवातो जलेषु सेनुबन्धो वचना-  
 दन्यन् सर्वविनोदहेतवश्चेति हस्तिगुणाः ॥६॥  
 अश्वबलं सैव्यस्य जंगमं प्रकारः ॥७॥  
 अश्वबलप्रधानस्य हि राज्ञः कदनकन्तुकक्रीडाः प्रसोदन्ति श्रियः, भवन्ति  
 दूरस्था अपि शत्रवः करस्थाः । आपत्तु सर्वमनोरथसिद्धिस्तुरंगे एव,  
 सरणमपसरणमवस्कन्दः परानोकभेदनं च तुरङ्गमसाध्यमेतत् ॥८॥  
 जात्याख्लादो विजिगीषुः शेषोभवति तत्स्य गमनं नारातिर्ददाति ॥९॥  
 तजिका, ( स्व ) स्थलाणा करोखरा गाजिगाणा केकाणा पुष्टाहारा गव्हारा  
 सादुयारा सिंघुपारा जात्याख्लानां नवोत्पत्तिस्थानानि ॥१०॥  
 समा भूमिधनुर्वैदविदो रथाख्लादः प्रहतारो यदा तदा किमसाध्यं नाम  
 नृपाणाम् ॥११॥  
 रथैरखमदितं परबलं सुखेन जीयते मौलं भूत्यकभूत्यशेषोमिष्ठाविकेषु  
 पूर्वं पूर्वं बलं यतेत् ॥१२॥  
 अथान्यत्सममीत्साहिकं बलं यद्विजिगीषोविजययात्राकाले परराष्ट्रविलो-  
 हनाध्यमेव मिलति क्षत्रसारत्वं शस्त्रज्ञत्वं शौर्यसारत्वमनुरक्तत्वं चेत्योत्साहि-  
 कस्य गुणाः ॥१३॥  
 मौलबलाविरोधेनान्यद्वलमर्थमानाभ्यामनुगृह्णीयात् ॥१४॥  
 मौलाख्यमापद्यनुगच्छति दण्डतमपि न द्रुह्यति भवति चापरेषाम-  
 मेद्यम् ॥१५॥  
 न तथार्थः पुरुषान् योधयति यथा स्वामिसमानः ॥१६॥  
 स्वयमनवेक्षणं देयाशेहरणं कालयापना व्यसनाप्रतोकारो विशेषविवाव-  
 संभावनं च तत्त्वस्य विरक्तिकारणानि ॥१७॥  
 स्वयमवेक्षणीयसैन्यं परेरवेक्षयन्नर्थतन्त्राभ्यां परिहीयते ॥१८॥  
 आश्रितभरणे स्वामिसेवापां धर्मानुष्ठाने पुत्रोत्पादने च खलु न सन्ति  
 प्रतिहस्ताः ॥१९॥  
 तावद्देवं यावदाश्रिताः संपूर्णतामाप्नुवन्ति ॥२०॥  
 न हि स्वं द्रव्यमश्ययमानो राजा दण्डनोयः ॥२१॥  
 को नाम सचेताः स्वगुडं चीर्यात्मादेत् ॥२२॥  
 कि तेन जलदेन यः काले न वर्षति ॥२३॥  
 स कि स्वामो य आश्रितेषु व्यसने न प्रविष्टते ॥२४॥  
 अविशेषज्ञे राज्ञि को नाम तस्यार्थं प्राणज्यये नोत्सहेत ॥२५॥

## २३. मित्रसमुद्देशः

यः संपदीव विपद्यपि मेद्यति तत्मित्रम् ॥१॥  
 यः कारणमन्तरेण रक्ष्यो रक्षको वा भवति तत्त्वित्यं मित्रम् ॥२॥  
 तत्सहजं मित्रं यत्कुर्वेतुरुपपरम्परायातः संबन्धः ॥३॥  
 यद्वृत्तिजीवितहेतोराश्रितं तत्कृत्रिमं मित्रम् ॥४॥  
 व्यतनेषुपस्थानमर्थं ब्रह्मिकल्पः स्त्रीषु परमं शोचं कोपप्रसादविषये वाप्रति-  
 पक्षत्वमिति मित्रगुणाः ॥५॥  
 दानेन प्रणयः स्वार्थं परत्वं विपद्युपेक्षणमहितसंप्रयोगो विश्रलमभनगर्भप्रश्रय-  
 इच्छेति मित्रदोषाः ॥६॥  
 स्त्रीसंगतिविवादोऽभीक्षणयाचनमप्रदानमर्थं संबन्धः परोक्षदोषग्रहणं पैदुल्या-  
 कर्णनं च मंत्रोभेदकारणानि ॥७॥  
 न श्रीरात् परं महदस्ति यत्संगतिमात्रेण करोति नीरमात्मसमैष ॥८॥  
 न नीरात्परं महदस्ति यन्मिलितमेव संवर्धयति रक्षति च स्वक्षयेण  
 श्रीरम् ॥९॥  
 येन वेच्चाप्युपकारेण तिर्थञ्चोऽपि प्रत्युपकारिणोऽव्यभिचारिणश्च न पुनः  
 प्रायेण मनुष्याः ॥१०॥  
 तथा चोषाख्यानकं—अटव्यां किलान्धकूरे पतितेषु कपिसर्वसिहाक्षशालिक-  
 सीवणिकेषु कृतोपकारः कंकायननामा कष्ठित्यान्धो विशालायां पुरि तस्मा-  
 दक्षशालिकाद्वयापदनमवाप नाडीजंघश्च गोतमादिति ॥११॥

## २४. राजरक्षासमुद्देशः

रक्षि रक्षिते सर्वं रक्षितं भवत्यतः स्वेभ्यः परेभ्यदत्र नित्यं राजा रक्षि-  
 तव्यः ॥१॥  
 अत एवोक्तं भयविद्धिः—गितुपैतामहं महासंबन्धानुबद्धं शिक्षितमनुरक्तं  
 कृतकर्मणां च जनम् आसन्नं कुर्वीत ॥२॥  
 अन्यदेशीयमकृतार्थमानं स्वदेशोर्यं चापकृत्योपगृहीतमासन्नं न कुर्वीत ॥३॥  
 चित्तविकृतेनास्त्वयविषयः किञ्च भवति मातापि राक्षसो ॥४॥  
 अस्वामिकाः प्रकृतयः समृद्धा अपि निस्तरीतुं न शक्नुवन्ति ॥५॥  
 देहिनि गतायुषि सकलाङ्गे किं करोति वन्वन्तरिरपि वैद्यः ॥६॥  
 राजस्तावदासन्ना स्त्रिय आसन्नतरा दायादा आसन्नतमाश्च पुत्रास्ततो राजः  
 प्रथमं स्त्रीभ्यो रक्षणं ततो दायादेभ्यस्ततः पुत्रेभ्यः ॥७॥  
 आवण्टादाचक्रवर्तिनः सर्वोऽपि स्त्रीसुखाय किलर्घ्यति ॥८॥  
 निवृत्तस्त्रीसंगस्थ धनपरिग्रहो मृतमण्डनमिव ॥९॥

सर्वाः स्त्रियः क्षीरोदवेला इव विषामृतस्थानम् ॥१०॥  
 मकरदंष्ट्रा इव स्त्रियः स्वभावादेव वक्रशीलाः ॥११॥  
 स्त्रीणां वशोपायो देवानामपि दुर्लभः ॥१२॥  
 कलशं रूपवत्सुभगमनवद्याचारमपर्यन्तिः महतः पुण्डरप्रस्त्रलद्ध ॥१३॥  
 कामदेवोत्संगस्थापि स्त्रो पुरुषान्तरमभिलब्धति च ॥१४॥  
 त मोहो लज्जा भयं स्त्रीणां रक्षणं किन्तु परपुरुषादर्शनं संभोगः सर्वसाधा-  
 रणता च ॥१५॥  
 दानदर्शनाभ्यां समवृत्तौ हि पुंसि नापराध्यन्ते स्त्रियः ॥१६॥  
 परिगृहीतासु स्त्रीषु प्रियाप्रियत्वं न भवेत ॥१७॥  
 कारणवशान्निम्बोऽप्यनुभूयते एव ॥१८॥  
 चतुर्थदिवसस्नाता स्त्री तीर्थम्, तीर्थोपराधो महानघर्मानुवन्धः ॥१९॥  
 अहसावपि स्त्रियमुपेक्षमाणाः पितॄणामृणभाजनम् ॥२०॥  
 अवरुद्धाः स्त्रियः स्वयं नश्यन्ति स्वामिनं वा नाशयन्ति ॥२१॥  
 न स्त्रीणामकर्तव्ये मर्यादास्ति वरमविद्याहो नोडोपेक्षणम् ॥२२॥  
 अकृतरक्षस्य किं कलञ्चेणाकृष्टतः किं क्षेत्रेण ॥२३॥  
 सपल्लीविधानं पत्युरसमञ्जसं च विमाननमपत्याभावश्च चिरविरहश्च  
 स्त्रीणां विरक्तकारणानि ॥२४॥  
 न स्त्रीणां सहजो गुणो दोषो वास्ति किं तु नदः समुद्रमिव यादृशं पतिभाण्डन-  
 वन्ति तादृश्यो भवन्ति स्त्रियः ॥२५॥  
 स्त्रीणां दौत्यं स्त्रिय एव कुर्यास्तेरवचोऽपि पुंयोगः स्त्रियं दूपयति किं  
 पुनर्मानुष्यः ॥२६॥  
 वंशविशुद्ध्यर्थमनर्थंपरिहारार्थं स्त्रियो रक्ष्यन्ते न भोगार्थम् ॥२७॥  
 भोजनवसर्वसमानाः पण्याङ्गनाः कस्तासु हर्षमिवंयोरवसरः ॥२८॥  
 यथाकामं कामिनीनां संग्रहः परमनीष्यविनकल्याणावहः प्रकमोऽदोवारिके  
 द्वारि को नाम न प्रविशति ॥२९॥  
 मानूष्यङ्गजनविशुद्धा राजवसत्युपरिस्थायिन्यः स्त्रियः संभक्तव्याः ॥३०॥  
 ददुरस्य सर्पंगृहप्रवेश इव स्त्रीगृहप्रवेशो राजः ॥३१॥  
 व हि स्त्रो गृहादायातं किञ्चित्स्वयमनुभवनीयम् ॥३२॥  
 नापि स्वयमनुभवनीयेषु स्त्रियो निधोक्तव्याः ॥३३॥  
 संवननं स्वातन्त्र्यं चाभिलषन्त्यः स्त्रियः किं नाम न कुर्वन्ति ॥३४॥  
 श्रूयते हि किल आत्मनः स्वच्छन्दवृत्तिमिळद्वन्ती विषविनूपितगण्डूषेण मणि-  
 कुण्डला महादेवी यवनेषु निजतनुजराज्यार्थं जघान राजानमङ्गराजम् ॥३५॥  
 विषालककदिग्धेनाधरेण वसन्तमतिः शूरसेनेषु सुरतविलासं, विषोपलिप्तेन  
 मेखलामणिना वृकोदरी दशार्णेषु मदनार्णवम्, निशितनेमिना मुकुरेण

मदिराक्षी मगदेषु मन्मथविनोदं, कवरीनिगूडेनासिपत्रेण चन्द्रसा पाण्डवेषु  
 पुण्डरीकभिति ॥३६॥  
 अमृतरसवाप्य इव श्रीजसुखोपकरणं स्वियः ॥३७॥  
 कस्तासां कार्यकार्यविलोकनेऽधिकारः ॥३८॥  
 अपत्यपोषणे गृहकर्मणि शरीरसंस्कारे शयनावसरे स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं  
 नान्यत्र ॥३९॥  
 अतिप्रसवतेः स्त्रीषु स्वातन्त्र्यं करपत्रमिव पत्युर्नाविदायं हृदयं विश्रा-  
 म्यति ॥४०॥  
 ऋषिवशपुरुषो नदीप्रवाहपतितपादप इव न चिरं जन्मदति ॥४१॥  
 पुरुषमुष्टिस्था स्त्री खडगयष्टिरिव कमुत्सवं न जनयति ॥४२॥  
 नालीव स्त्रियो व्युत्पादनोयाः स्वभावसुभगोऽपि शास्त्रोपदेशः स्त्रीषु, शास्त्रीषु  
 पयोलव इव विषमतां प्रतिपद्यते ॥४३॥  
 अद्युवेणाधिकंनाप्यथेन वेश्यामनुभवत्युरुषो न चिरमनुभवति सुखम् ॥४४॥  
 विसर्जनाकारणाभ्यां तदनुभवे महाननर्थः ॥४५॥  
 वेश्यासक्तिः प्राणार्थहर्तिं कस्य न करोति ॥४६॥  
 वनमनुभवन्ति वेश्या न पुरुषम् ॥४७॥  
 धनहीने कामदेवेऽपि न प्रीति बधनन्ति वेश्याः ॥४८॥  
 स पुमान् न भवति सुखी, यस्यातिशयं वेश्यासु दानम् ॥४९॥  
 स पशोरपि पशुः यः स्वधनेन परेषामर्थवन्तीं करोति वेश्याम् ॥५०॥  
 आचित्तविश्रान्ते वेश्यापरिह्रः श्रीयान् ॥५१॥  
 सुरक्षितापि वेश्या न स्वां प्रकृतिं परपुरुषसेवनलक्षणां त्यजति ॥५२॥  
 वा यस्य प्रकृतिः सा तस्य दैवेनापि नापनेतुं शक्येत् ॥५३॥  
 मुभोजितोऽपि इवा किमशुचोन्यस्थोनि परिहरति ॥५४॥  
 न खलु कपिः शिक्षाशतेनापि चापल्यं परिहरति ॥५५॥  
 इक्षुरसेनापि सिक्को निम्बः कटुरेव ॥५६॥  
 क्षीराभितश्चकरापानभोजितश्चाहिनं कदाचित् परित्यजति विषम् ॥५७॥  
 सन्मानदिवसादायुः कुल्यानामप्यहेतुः ॥५८॥  
 तन्त्रकोशवधिनो वृत्तिदयादान् विकारयति ॥५९॥  
 तारुण्यमविकृत्य संस्कारसाराहितोपयोगाच्च शरीरस्य रमणीयत्वं न पुनः  
 स्वभावः ॥६०॥  
 भक्तिविश्रामभादव्यभिचारिणं कुल्यं पुत्रं वा संवर्धयेत् ॥६१॥  
 विनियुद्भीत उचितेषु कर्मसु ॥६२॥  
 भर्तुरादेशं न विकल्पयेत् ॥६३॥  
 अन्यथ प्राणबाधाब्रह्मजनविरोधपातकेभ्यः ॥६४॥

बलवत्पक्षपरिग्रहेषु दायिष्वासपुरुषपुरःसरो विश्वासो वशीकरणं गूढपुरुष-  
 निशेषः प्रणिधिर्वा ॥६५॥  
 दुर्बोधे सुते दायादे वा सम्यग्युक्तिमिदुरभिनिवेशमवतारयेत् ॥६६॥  
 सावृषूपचर्यमाणेषु विकृतिभजनं स्वहस्ताङ्गाराकर्षणमिव ॥६७॥  
 क्षेत्रबोजयोर्वैकृत्यमपत्यानि विकारयति ॥६८॥  
 कुलविशुद्धिरुभयतः प्रोतिमनः प्रसादोऽनुपहतकालसमयश्च श्रीसरस्वत्या-  
 वा हनुमन्त्रपूतपरमान्नोपथोगश्च गर्भाधिने पुरुषोत्तममवतारयति ॥६९॥  
 गर्भशर्मजन्मकमपित्येषु देहलाभात्मलाभयोः कारणं परमम् ॥७०॥  
 स्वजातियोग्यसंस्कारहीनानां राज्ये प्रव्रज्याथां च नास्त्यधिकारः ॥७१॥  
 असति योग्येऽन्यस्मिन्नज्ञविहीनोऽपि पितृपदमहंत्यापुत्रोत्यतेः ॥७२॥  
 सावृषंपादितो हि राजपुत्राणां विनयोऽन्त्रथमभ्युदयं न च दूषयति ॥७३॥  
 घुणजग्धं काञ्छमिवाविनीतं राजपुत्रं राजकुलभियुक्तमात्रं भज्येत् ॥७४॥  
 आसविद्यावृद्धोपरुद्धाः सुखोपरुद्धाश्च राजपुत्राः पितरं नाभिदुह्यन्ति ॥७५॥  
 मातृपितरौ राजपुत्राणां परमं देवम् ॥७६॥  
 यत्प्रसादादात्मलाभो राज्यछामश्च ॥७७॥  
 मातृपितृभ्यां मनसाप्यपमानेऽवभिमुखा अपि श्रियो विमुखा भवन्ति ॥७८॥  
 किं तेन राज्येन यत्र दुरपकादोपहर्तं जन्म ॥७९॥  
 क्वचिदपि कर्मणि पितुराजां नो लङ्घयेत् ॥८०॥  
 किन्तु खलु रामः क्रमेण विक्रमेण वा हीनो यः पितुराजया  
 वनमाविवेश ॥८१॥  
 यः खलु पुत्रो मनसितपरम्परया लभ्यते स कथमपकर्त्तव्यः ॥८२॥  
 कर्त्तव्यमेवाशुभं कर्म यदि हन्यमानस्य विपद्विधानमात्मनो न भवेत् ॥८३॥  
 ते खलु राजपुत्राः सुखिनो येषां पितरि राजभारः ॥८४॥  
 अलं तथा श्रिया या किमपि सुखं जनयन्ती व्यासञ्जपरम्पराभिः शतशो  
 दुःखमनुभावयति ॥८५॥  
 निष्ठकलो ह्यारम्भः कस्य नाभोदकेण सुखावहः ॥८६॥  
 परक्षेत्रं स्वर्थं कृष्टतः कषणियतो वा फलं पुनस्तस्येव यस्य तत्क्षेत्रम् ॥८७॥  
 सुतसोदरसप्तनपितृव्यकुल्यदौहित्रागन्तुकेषु पूर्वपुर्वाभावे भवत्युत्तरस्य  
 राज्यपदावासिः ॥८८॥  
 शुष्कश्यामभुक्ता वाक्स्तम्भः स्वेदो विजृम्भणमतिमात्रं वेपथुः प्रस्तुलन-  
 मास्यप्रेताणभावेगः कर्मणि भूमो वानवस्थानमिति दुष्कृतं कृतः करिष्यतो  
 वा लिङ्गानि ॥८९॥

## २५. दिवसानुष्ठानसंकुट्टेकः

आहो मुहूर्ते उत्थायेति कर्तव्यताथां समाविमुपेयात् ॥१॥  
 मुखनिद्राप्रसन्ने हि मनसि प्रतिफलन्ति यथार्थग्राहिकाबुद्धयः ॥२॥  
 उदयास्तमनशायिषु घर्मकालातिकमः ॥३॥  
 आत्मवक्त्रमाज्ये दर्पणो वा निरीक्षेत् ॥४॥  
 न प्रातर्चर्षधरं विकलाङ्गं वा पश्येत् ॥५॥  
 सन्ध्यासु वौतमुखं जप्त्वा देवोऽनुगृह्णति ॥६॥  
 नित्यमदन्तधावनस्य नास्ति मुखशुद्धिः ॥७॥  
 न कार्यव्यासज्ज्ञेन शारीरं कर्मोपहन्यात् ॥८॥  
 न खलु युगेरपि तरङ्गविगमात् सागरे स्नानम् ॥९॥  
 वेगव्यायामस्वापस्तानभोजनस्वच्छन्दवृत्तिं कालान्तोपस्थ्यात् ॥१०॥  
 शुक्रमलमूलमरुद्देगसंरोधोऽश्मरीभगन्दरगुलमार्दसां हेतुः ॥११॥  
 गन्धलेपावसानं शौचमाचरेत् ॥१२॥  
 बहिरागतो नानाचाम्य गृहं प्रविशेत् ॥१३॥  
 गोसर्गे व्यायामो रसायनमन्यत्र क्षीणाजीर्णवृद्धवातकिरुक्षभोजिभ्यः ॥१४॥  
 शरीरायासञ्जननी क्रिया व्यायामः ॥१५॥  
 शस्त्रवाहनाभ्यासेन व्यायामं सफलयेत् ॥१६॥  
 थादेहस्वेदं व्यायामकालमुशान्त्याचार्यः ॥१७॥  
 बलातिक्रमेण व्यायामः कां नाम नापदं जनयति ॥१८॥  
 अव्यायामशोलेषु कुतोऽग्निदीपनमुत्साहो देहदाढ्यं च ॥१९॥  
 इन्द्रियात्ममनोमरुतां सूक्ष्मावस्था स्वापः ॥२०॥  
 यथास्वात्म्यं स्वपादभुजान्नपाको भवति प्रसीदन्ति चेन्द्रियाणि ॥२१॥  
 सुघटितमपि हितं च भाजने साधयत्यन्नानि ॥२२॥  
 नित्यस्नानं द्वितीयमुत्सादनं तृतीयकमायुष्यं चतुर्थकं प्रत्यायुष्यमित्यहीनं सेवेत् ॥२३॥  
 धर्मर्थकामशुद्धिदुर्जनस्पश्चाः स्नानस्य कारणानि ॥२४॥  
 श्रमस्वेदालस्यविगमः स्नानस्य फलम् ॥२५॥  
 जलचरस्येव तत्स्नानं यत्र न सन्ति देवगुरुषमर्पिणसनानि ॥२६॥  
 श्रादुर्भवत्सुत्पिपासोऽभ्यज्ञस्नानं कुर्यात् ॥२७॥  
 आतपसंतस्य जलादाहो दूरमान्द्यं शिरोव्यथां च करोति ॥२८॥  
 बुभुक्षाकालो भोजनकालः ॥२९॥  
 अक्षुवितेनामृतमप्युपभुक्तं च भवति विषम् ॥३०॥  
 जठराग्निं वज्ञाग्निं कुवंशाहारादो सदैव वज्ञकं बलयेत् ॥३१॥  
 निरन्तरस्य सर्वं द्रवद्रव्यमग्निं नाशयति ॥३२॥

अतिश्रमपिपासोपशान्ती पेयायाः परं कारणमस्ति ॥३३॥  
 घृताधरोत्तरभुञ्जानोऽग्निं दृष्टिं च लभते ॥३४॥  
 सकृदभूरितीरोपयोगो बन्धुमवसादयति ॥३५॥  
 क्षुत्कालातिक्रमादन्त्रदेषो देहसादश्च भवति ॥३६॥  
 विष्वार्थं वन्धो विं भान्तल्पवं युर्याति ॥३७॥  
 यो मितं भुद्भक्ते स बहु भुद्भक्ते ॥३८॥  
 अप्रमितसुखं विश्वद्वपरीक्षितमसाधुपाकमतीतरसमकालं चान्नं नानु-  
 भवेत् ॥३९॥  
 फलुभुजमननुकूलं क्षुधितमतिकूर्णं च न भुक्तिसमये सन्निधापयेत् ॥४०॥  
 गृहीतप्रासेषु सहभौजिष्वात्मनः परिवेषयेत् ॥४१॥  
 तथा भुञ्जीत यथासायमन्येद्युश्च न विष्वाते वन्धः ॥४२॥  
 न भुक्तिपरिमाणे सिद्धान्तोऽस्ति ॥४३॥  
 वन्ध्यभिलाषायत्तं हि भोजनम् ॥४४॥  
 अतिमात्रभोजी देहमग्निं च विधुरयति ॥४५॥  
 दोषो वन्धुर्लघुभोजनादबलं अपयति ॥४६॥  
 अत्यशितुर्दुःखेनान्नपरिणामः ॥४७॥  
 श्रमार्तस्य पानं भोजनं च ज्वराय छर्दये वा ॥४८॥  
 न जिहत्सुरं प्रस्त्रोतुभिच्छुनसिमज्जसमनाश्च नानपनीय पिपासोद्रेकमश्नो-  
 यात् ॥४९॥  
 भुक्त्वा व्याघ्राभव्यवायो सद्यो व्यापत्तिकारणम् ॥५०॥  
 आजन्मसात्म्यं विषमपि पद्धम् ॥५१॥  
 असात्म्यमपि पद्ध्यं सेवेत न पुनः सात्म्यमप्यपद्ध्यम् ॥५२॥  
 सर्वं बलवतः पद्ध्यमिति न कालकूटं सेवेत् ॥५३॥  
 सुशिक्षितोऽपि विषतन्त्रजो ग्रियत एव कदाचिद्विषात् ॥५४॥  
 संविभज्यातिथिष्वात्रितेषु च स्वयमाहरेत् ॥५५॥  
 देवान् गुरुन् धर्मं चोपचरन्न व्याकुलमतिः स्यात् ॥५६॥  
 व्याक्षेपभूमनोनिरोधो मन्दयति सर्वाण्यपीन्द्रियाणि ॥५७॥  
 स्वच्छन्दवृत्तिः पुरुषाणां परमं रसायनम् ॥५८॥  
 यथाकामसमीहनाः किल काननेषु करिणो न भवत्यास्पदं व्याघ्रीनाम् ॥५९॥  
 सततं सेष्यमाने द्वे एव वस्तुनो सुखाय, सरसः स्वेराळापः ताम्बूलभक्षणं  
 चेति ॥६०॥  
 चिरायोर्ध्वजानुजंडयति रसवाहिनीर्नसाः ॥६१॥  
 सततमूपविष्टो जठरमाधमापयति प्रतिपद्यते च तुन्दिलतां वाचि मनसि  
 शरीरे च ॥६२॥

अतिमात्रं खेदः पुरुषमकालेऽपि जरया योजयति ॥६३॥  
 नादेवं देहप्राप्तादें कुयति ॥६४॥  
 देवगुरुघर्मरहिते पुंसि नास्ति संप्रत्ययः ॥६५॥  
 कलेशकर्मविषयाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेषो देवः ॥६६॥  
 तस्यैवेतानि खलु विशेषनामान्यहंशजोऽनन्तः शम्भुर्बुद्धस्तमोऽन्तक  
 इति ॥६७॥  
 आत्मसुखानवरोधेन कायथि नक्तमहश्च विभजेत् ॥६८॥  
 कालानियमेन कायनिष्ठानं हि परणसमग्र ॥६९॥  
 आत्यन्तिके कार्ये नास्त्यवसरः ॥७०॥  
 अब्रुणं कर्त्तव्ये कालं न रापद्येत् ॥७१॥  
 आत्मरक्षायां कदाचिदपि न प्रमाद्येत् ॥७२॥  
 सवत्सां वेनुं प्रदक्षिणीकृत्य धर्मसिनं यायात् ॥७३॥  
 अनधिकृतोऽनभिमतश्च न राजसभा प्रविशेत् ॥७४॥  
 आराध्यमुत्थायाभिवादयेत् ॥७५॥  
 देवगुरुघर्मकायाणि स्वयं पश्येत् ॥७६॥  
 कुहकाभिचारकर्मकरिभिः सह न संगच्छेत् ॥७७॥  
 प्राण्युपघातेन कामकीडां न प्रवर्तयेत् ॥७८॥  
 जनन्यापि परस्त्रया सह रहसि न तिष्ठेत् ॥७९॥  
 नातिकुद्दोऽपि भान्यमतिक्रामेदवभन्येत् वा ॥८०॥  
 नासाशैधितपरस्थानमुपेयात् ॥८१॥  
 नासजन्तेरनारुद्धं वाहनमध्यासीत् ॥८२॥  
 न स्वैरपरोक्षितं तीर्थं सार्थं तपस्त्वनं वाभिगच्छेत् ॥८३॥  
 न याष्टिकेरविविक्तं मार्गं भजेत् ॥८४॥  
 न विषापहारोषविमणीन् क्षणमप्युपासीत् ॥८५॥  
 सदैव जाङ्गलिकीं विद्यां कण्ठेन धारयेत् ॥८६॥  
 मन्त्रिभिषगमैमित्तिकरहितः कदाचिदपि न प्रतिष्ठेत् ॥८७॥  
 वल्लावन्यचक्षुषि च भोज्यमुपभोग्यं च परीक्षेत् ॥८८॥  
 अमृते महति प्रविशति सर्वदा चेष्टेत् ॥८९॥  
 मक्षिसुरतसमरार्थी दक्षिणे महति स्थात् ॥९०॥  
 परमात्मना समीकुर्वन् न कस्यापि भवति द्वेष्यः ॥९१॥  
 मनः परिजनशकुनपवनानुलोम्यं भविष्यतः कार्यस्य सिद्धेलिङ्गम् ॥९२॥  
 नेकोनवतं दिवं वा हिष्टेत् ॥९३॥  
 नियमितमनोवाक्कायः प्रतिष्ठेत् ॥९४॥  
 अहनि संघ्यामुपासीतानक्षप्रदर्शनात् ॥९५॥

चतुः पयोधिपयोधरा धर्मवत्सवतीमुत्साहबालधि वर्णथिमखुरा कायार्थश्रवणां  
 तयप्रतापविषाणां सत्यशौचचक्षुषे न्यायभुखीमिमां गां गोपयामि, अतस्तमहं  
 मनसापि न सहे योऽपराध्येतस्यै, इतीर्थं मन्त्रं समाविस्थो जपेत् ॥१६॥  
 कोकवद्विवाकामो निशि स्तिर्थं भञ्जीत ॥१७॥  
 यक्षो रवन्नक्तंकामो दिवा च ॥१८॥  
 पारावतकामो वृष्यान्नयोगान् चरेत् ॥१९॥  
 वज्जयणीनां सुरभीणां पयःसिद्धं माषदलपरमान्नं परो योगः स्मरस-  
 वद्दने ॥२०॥  
 नावृष्टस्यन्तों स्त्रीमभियायात् ॥२१॥  
 उत्तरः प्रवर्षवान् देशः परमरहस्यमनुरागे प्रथम-प्रकृतोनाम् ॥२२॥  
 द्वितीयप्रकृतिः सशाद्वलमृदूपवनप्रदेशः ॥२३॥  
 तृतीयप्रकृतिः सुरतोत्सवाय स्यात् ॥२४॥  
 धर्मथिंस्याने लिङ्गोत्सर्वं लभते ॥२५॥  
 स्त्रोपुंसयोर्न समसमायोगात्परं ब्रह्मिकरणमस्ति ॥२६॥  
 प्रकृतिरुपदेशः स्वाभाविकं च प्रयोगवैद्यध्यमिति समसमायोगकार-  
 णानि ॥२७॥  
 क्षुत्तर्षपुरीषाभिष्यन्दातंस्याभिगमो नापत्यमनवदां करोति ॥२८॥  
 न सन्ध्यासु न दिवा नाप्सु न देवायतने मैथुनं कुर्वते ॥२९॥  
 पर्वणि पर्वणि संघौ उपहते बाह्लि कुलस्त्रियं न गच्छेत् ॥२१०॥  
 न तदगृहाभिगमने कामपि स्त्रियमधिशयीत ॥२११॥  
 वंशवयोवृत्तविद्याविभवानुरूपो वेषः समाचारो वा कं न विडम्बयति ॥२१२॥  
 अपरीक्षितमशोधितं च राजकुले न किञ्चित्प्रवेशयेन्निष्कासयेद्वा ॥२१३॥  
 श्रूयते हि स्त्रीवेषधारी कुन्तलनरेन्द्रप्रयुक्तो गृहपुरुषः कर्णनिहितेनासिपत्रेण  
 पलहवनरेन्द्रं हयपतिश्च मेषविषाणनिहितेन विषेण कुशस्थलेश्वरं जघा-  
 नेति ॥२१४॥  
 सर्वत्राविश्वासे नास्ति काचित्किया ॥२१५॥

## २६. सदाचारसमुद्रेशः

लोभप्रमादविश्वासैर्वृहस्पतिरपि पुरुषो वध्यते वञ्चयते वा ॥१॥  
 बलवत्ताविष्ठितस्य गमनं तदनुप्रवेशो वा श्रेयानन्यथा नास्ति क्षेमोपायः ॥२॥  
 विदेशवासोपहतस्य पुरुषकारः विदेशको नाम येनाविज्ञातस्वरूपः पुमान् स  
 तस्य महानपि लघुरेव ॥३॥

अलब्धप्रतिष्ठस्य निजान्वयेनाहङ्कारः कस्य न लाभवं करोति ॥४॥  
 आत्मः सर्वोऽपि भवति वर्मनुद्धिः ॥५॥  
 स नीरोगो यः स्वर्यं धर्माय समोहते ॥६॥  
 व्याधिग्रस्तस्य कृते द्यैर्यन्ति परमोष्वस्तिस्ति ॥७॥  
 स महाभागो यस्य न दुरपवादोपहते जन्म ॥८॥  
 पराधीनेष्वर्थेषु स्वोत्कर्षसंभावनं मन्दमतीनाम् ॥९॥  
 न भयेषु विषादः प्रतीकारः किंतु द्यैयविलम्बनम् ॥१०॥  
 स कि धन्वी तपस्वी वा यो रणे मरणे शरसन्धाने मनःसमाधाने च  
 मुह्यति ॥११॥  
 कृते प्रतिकृतमकुर्वतो नैहिकफलस्ति नामुत्रिकं च ॥१२॥  
 शत्रुणापि सूक्ष्मुक्तं न दूषयितव्यम् ॥१३॥  
 कलहजननमप्रोत्युत्पादनं च दुर्जनानां धर्मः न सज्जनानाम् ॥१४॥  
 श्रीनं तस्याभिमुखो यो लब्धाथेमात्रेण संतुष्टः ॥१५॥  
 तस्य कुतो वंशवृद्धियो न प्रशमयति वैरानुबन्धम् ॥१६॥  
 भीतेष्वभयदानात्परं न दानमस्ति ॥१७॥  
 स्वस्यासंपत्तो न चिन्ता किञ्चित्कर्मक्षितमर्थं [प्रसूते] दुर्घे किञ्चुत्साहः ॥१८॥  
 स खलु स्वस्येवापुष्पोदयोऽपराधो वा सर्वेषु कल्पफलप्रदोऽपि स्वामो भव-  
 त्यात्मनि बन्ध्यः ॥१९॥  
 स सदैव दुःखितो यो मूलधनसंवर्धनमनुभवति ॥२०॥  
 मूर्खदुर्जनचाण्डालपतितैः सह संगति न कुर्यात् ॥२१॥  
 किं तेन तुष्टेन यस्य हरिद्वाराग इव चिन्तानुरागः ॥२२॥  
 स्वात्मानमविज्ञाय पराक्रमः कस्य न परिभवं करोति ॥२३॥  
 नाक्रान्तिः पराभियोगस्थोत्तरं किंतु युक्तेरुपन्यासः ॥२४॥  
 राज्ञोऽस्थाने कुपितस्य कुतः परिजनः ॥२५॥  
 न मृतेषु रोदितव्यमश्रुपात्तसमा हि किल पतन्ति तेषां हृदयेष्वङ्गाराः ॥२६॥  
 अतीते च वस्तुनि शोकः श्रेयानेव यद्यस्ति तत्समागमः ॥२७॥  
 शोकमात्मनि चिरमनुवासयस्त्रिवर्गमनुशोषयति ॥२८॥  
 स कि पुरुषो योऽकिञ्चनः सन् करोति विषयाभिलाष्यम् ॥२९॥  
 ० अपूर्वेषु प्रियगुर्वं संभाषणं स्वगच्छ्युतानां लिङ्गम् ॥३०॥  
 ० न ते मृता येषामिहास्ति शाश्वती कीर्तिः ॥३१॥  
 स केवलं भूमाराय जातो येन न यशोभिर्द्वयलितानि भुवनानि ॥३२॥  
 परोपकारो योगिनां महान् भवति श्रेयोद्वन्द्व इति ॥३३॥  
 का नाम शरणामतानां परीक्षा ॥३४॥  
 अभिभवनमन्त्रेण परोपकारो महापातकिनां न महासत्त्वानाम् ॥३५॥

तस्य भूपतेः कुतोऽभ्युदयो जयो वा यस्य द्विषत्सभासु नास्ति गुणग्रहणा-  
 प्रागलभ्यम् ॥३६॥  
 तस्य मृहे कुटुम्बं धरणीयं यत्र न भवति परेषामिषम् ॥३७॥  
 परस्त्रीद्रव्यरक्षणेन नात्मनः किमपि फलं विष्वेन महात्मनर्थसंबन्धः ॥३८॥  
 आत्मानुरक्षणं कथमपि न स्थजेत् यद्यस्ति तदन्ते तस्य संतोषः ॥३९॥  
 आत्मसंभावितः परेषां भूत्यानामसहमानश्च भूत्यो हि बहुपरिजनमपि करो-  
 त्वेकः ॥४०॥ रविगितम् ॥४०॥  
 अपराधानुरूपो दण्डः पुञ्जेऽपि प्रणेतव्यः ॥४१॥  
 देशानुरूपः करो ग्राह्यः ॥४२॥  
 प्रतिपाद्यानुरूपं वचनमुदाहर्तव्यम् ॥४३॥  
 आद्यानुरूपो व्ययः कार्यः ॥४४॥  
 ऐश्वर्यनिरूपो विलासो विवातव्यः ॥४५॥  
 वनश्चद्वानुरूपस्त्यागोऽनुसर्तव्यः ॥४६॥  
 सहायानुरूपं कर्म आरब्धव्यम् ॥४७॥  
 ० स पुमान् सुखी यस्यास्ति संतोषः ॥४८॥  
 रजस्वलाभिगामी चाण्डालादप्यधमः ॥४९॥  
 सलज्जं निलंज्जं न कुर्यात् ॥५०॥  
 सपुमान् पटावतोऽपि नरन् एव यस्य नास्ति सच्चारित्रमावरणम् ॥५१॥  
 स नग्नोऽग्न्यनग्न एव यो भूषितः सच्चरित्रेण ॥५२॥  
 सर्वत्र संशयानेषु नास्ति कार्यसिद्धिः ॥५३॥  
 न क्षीरघृताभ्यामन्यत् परं रसायनमस्ति ॥५४॥  
 परोपघातेन वृत्तिनिर्भाग्यानाम् ॥५५॥  
 वरमुपवासो, न पुनः पराधीनं भोजनम् ॥५६॥  
 स देशोऽनुसर्तव्यो यत्र नास्ति वर्णसंकरः ॥५७॥  
 स जात्यन्धो यः परलोकं न पश्यति ॥५८॥  
 व्रतं विद्या सत्यमानृशंस्यमलौल्यता च ग्राह्याण्यं न पुनर्जातिमात्रम् ॥५९॥  
 निःस्पृहानां का नाम परापेक्षा ॥६०॥  
 कं पुरुषमाशा न क्लेशापति ॥६१॥  
 संयमी गृह्णश्रमी वा यस्याविद्यातुष्णाभ्यामनुपहतं चेतः ॥६२॥  
 शीलमलक्खारः पुरुषाणां न देहस्तोत्रावहो बहिराकल्पः ॥६३॥  
 कस्य नाम नृपतिमित्रं ॥६४॥  
 अप्रियकर्तुर्नु अप्रियकरणात्परममाचरणम् ॥६५॥  
 अप्रयच्छश्रितिनो न परमं ब्रूयात् ॥६६॥  
 स स्वामी मरुभूमियंत्रार्थिनो न भवन्तोषकामाश्च ॥६७॥

प्रजापालनं हि राजो यज्ञो न पुनर्भूतानामालम्भः ॥६८॥  
प्रभूतमपि नानपराधसत्वव्यापत्तये नृपाणां बलं धनुर्वा किंतु शरणागत-  
रक्षणाय ॥६९॥

## २७. व्यवहारसमुद्देशः

कलत्रं नाम नराणामनिगडमपि दृष्टे इष्टनमातुः ॥७०॥  
श्रीपृथिवश्यं भर्तव्यानि माता कलघमप्राप्तव्यवहाराणि चापत्यानि ॥७१॥  
दानं तपः प्राप्तोपवेशनं तीर्थोपासनफलम् ॥७२॥  
तीर्थोपवासिषु देवस्वापरिहरणं क्रव्यादेषु कारण्यमिव, स्वाचारच्युतेषु  
पापभीरुत्वमिव प्राहुरधार्मिकत्वमतिनिष्ठुरत्वं वञ्चकत्वं प्रायेण तीर्थवासिनां  
प्रकृतिः ॥७३॥  
स कि प्रभुर्यः कार्यकाले एव न संभावयति भूत्यान् ॥७४॥  
स कि भूत्यः सखा वा यः कार्यमुद्दिश्यार्थं याचते ॥७५॥  
यार्थेन प्रणयिनी करोति चाङ्गाङ्गुष्ठि सा कि भार्या ॥७६॥  
स कि देशो यत्र नास्त्यात्मनो वृत्तिः ॥७७॥  
स कि बन्धुर्यो व्यसनेषु नोपतिष्ठते ॥७८॥  
तत्कि मित्रं यत्र नास्ति विश्वासः ॥७९॥  
स कि गृहस्थो यस्य नास्ति सरकलज्ञसंपत्तिः ॥८०॥  
तत्कि दानं यत्र नास्ति सत्कारः ॥८१॥  
तत्कि भुक्तं यत्र नास्त्यतिथिसंविभागः ॥८२॥  
तत्कि प्रेम यत्र कार्यवशात् प्रत्यावृत्तिः ॥८३॥  
तत्किमाचरणं यत्र वाच्यता मायाव्यवहारो वा ॥८४॥  
तत्किमपत्थं यत्र नाध्ययनं विनयो वा ॥८५॥  
तत्कि ज्ञानं यत्र मदेतान्धता चित्तस्य ॥८६॥  
तत्कि सौजन्यं यत्र परोक्षे पिशुनभावः ॥८७॥  
सा कि श्रीर्यया न संतोषः सत्युरुषाणाम् ॥८८॥  
तत्कि कृत्यं यत्रोक्तिरुपकृतस्य ॥८९॥  
तयोः को नाम निर्बहो यो द्वावपि प्रभूतमानिनौ पण्डितौ लुब्धौ यूर्खौ  
चासहनौ वा ॥९०॥  
स्ववान्त इव स्वदत्ते नाभिलापं कुर्यात् ॥९१॥  
उपकृत्य मूकभावोऽभिजातीनाम् ॥९२॥  
परदोषश्रवणे चधिरभावः सत्युरुषाणाम् ॥९३॥  
परकलशदशंनेऽन्यभावो महाभाग्यनाम् ॥९४॥

शत्रावपि गृहायाते संभ्रमः कर्तव्यः कि पुनर्न् महति ॥२६॥  
 अन्तःसारधनमिव स्वधर्मो न प्रकाशनीयः ॥२७॥  
 मदप्रमादजेदर्थिंगुरुस्यु निवेदनमनुशयः प्रायशिचतं प्रतीकारः ॥२८॥  
 श्रीमतोऽथजिने कायकलेशो धन्यो यो देवद्विजात् प्रोणाति ॥२९॥  
 चणका इव नीचा उदरस्थापिता अपि नाविकुर्वाणास्तिष्ठन्ति ॥३०॥  
 स पुमान् बन्द्यवरितो यः प्रत्युपकारमनपेश्य परोपकारं करोति ॥३१॥  
 अज्ञानस्य वैराग्यं भिक्षोविट्टवमधनस्य विलासो वेश्यारतस्य शीचमविदित-  
 वेदितव्यस्य तत्त्वाग्रह इति पञ्च न कस्य मस्तकशूलानि ॥३२॥  
 स हि पञ्चमहापातकी योऽशस्त्रमशास्त्रं वा पुरुषमभियुज्जीत ॥३३॥  
 उपाश्रुति श्रोतुमिव कार्यवशास्त्रोचभपि स्वयमुपसर्पेत् ॥३४॥  
 अर्थो दोषं न पश्यति ॥३५॥  
 गृहदास्यभिगमो गृहं गृहिणी गृहपति च प्रत्यवसादयति ॥३६॥  
 वेश्यासंग्रहो देवद्विजगृहिणीबन्धुनामुच्चाटनमन्त्रः ॥३७॥  
 अहो लोकस्य पापं, यज्ञिजा स्त्री रतिरपि भवति निम्बसमा, परगृहीता  
 शुन्यपि भवति रम्भासमा ॥३८॥  
 स सुखी यस्य एक एव दारपरिप्रहः ॥३९॥  
 व्यसनिनो यथा सुखमभिसारिकासु न तथार्थवतीषु ॥४०॥  
 महान् घनव्ययस्तदिच्छानुवत्तनं देव्यं चार्थवतीषु ॥४१॥  
 अस्तरणं कम्बलो जोवधनं गर्दभः परिग्रहो वोढा सर्वकर्मणिश्च भृत्या इति  
 कस्य नाम न सुखावहानि ॥४२॥  
 लोभवति भवन्ति विफलाः सर्वे गुणाः ॥४३॥  
 प्रार्थना कं नाम न लघयति ॥४४॥  
 न दारिद्र्यात्परं पुरुषस्य लाङ्छनमस्ति यत्संगेन सर्वे गुणा निष्कलतां  
 यान्ति ॥४५॥  
 अलब्धार्थोऽपि लोको धनिनो भाण्डो भवति ॥४६॥  
 धनिनो यतथोऽपि चाटुकाराः ॥४७॥  
 न रत्नहिरण्यपूताज्जलात्परं पावनमस्ति ॥४८॥  
 स्वयं मेध्या आपो वह्नितसा विशेषतः ॥४९॥  
 स एवोत्सवो यत्र वन्दिमोक्षो दीनोद्धरणं च ॥५०॥  
 तानि पर्वीणि येष्वतिथिपरिज्जनयोः प्रकारं संतर्पणम् ॥५१॥  
 तास्तिथयो यासु नाष्माचिरणम् ॥५२॥  
 सा तीर्थयात्रा वस्यामकृत्यनिवृतिः ॥५३॥  
 तत्पाण्डित्यं यत्र वयोविद्योचितमनुष्ठानम् ॥५४॥  
 तच्चातुर्यं यत्परप्रीत्या स्वकार्यं साधनम् ॥५५॥

तस्लोकोचितत्वं यत्सर्वजनादेयत्वम् ॥५६॥  
 तत्सौजन्यं यत्र नास्ति परोद्गेगः ॥५७॥  
 तदधीरत्वं यत्र यौवनेनानपवादः ॥५८॥  
 तत्सौभाग्यं यशादानेन वशीकरणम् ॥५९॥  
 सा सभारथ्यानी यस्यां न सन्ति विद्वांसः ॥६०॥  
 कि तेनात्मनः प्रियेण यस्य न भवति स्वयं प्रियः ॥६१॥  
 स कि प्रभुर्यो न सहते परिजनसंबाधम् ॥६२॥  
 न लेखाद्वचनं प्रमाणम् ॥६३॥  
 अनभिज्ञाते लेखेऽपि नास्ति संप्रत्ययः ॥६४॥  
 श्रीणि पातकानि सद्यः फलन्ति स्वामिद्वैहः स्त्रीवधो बालवधश्चेति ॥६५॥  
 अप्लवस्य समुद्रावगाहनमिवाबलस्य बलवत्ता सह विग्रहाय टिरिटिल्ल-  
 तम् ॥६६॥  
 बलवन्त्तमाश्रित्य विकृतिभञ्जनं सद्यो मरणकारणम् ॥६७॥  
 प्रवासः चक्रवर्तिनमपि संतापयति कि पुनर्नन्यम् ॥६८॥  
 बहूपार्थेयं मनोनुकूलः परिजनः सुविहितश्चोपस्करः प्रवासे दुःखोत्तरण-  
 तरण्डको वर्णः ॥६९॥

## २८. विवादसमुद्देशः

गुणदोषयोस्तुलादण्डसमो राजा स्वगुणदोषाभ्यां जन्मतुषु गौरवलाघवे ॥१॥  
 राजा त्वपराधालिङ्गितानां समवर्तीं तत्कलमनुभावयति ॥२॥  
 आदित्यब्रह्मादस्थितार्थं प्रकाशनप्रतिभाः सभ्याः ॥३॥  
 अदृष्टाश्रुतव्यवहाराः परिपत्तिनः सामिषां न सभ्याः ॥४॥  
 लोभपक्षपाताभ्यामयथार्थवादिनः सभ्याः सभापतेः सद्योमानार्थहार्नि  
 लमेरन् ॥५॥  
 तश्चालं विवादेन यत्र स्वयमेव सभापतिः प्रत्यर्थी सभ्यसभापत्योरसामञ्ज-  
 स्येन कुतो जयः कि बहुभिश्छलगलेः श्वा न क्रियते ॥६॥  
 विवादमास्थाय यः सभ्यां नोपतिष्ठेत, समाहृतोऽप्सरति, पूर्वोक्तमुक्त-  
 रोक्तेन बाधते, निरुत्तरः पूर्वोक्तेषु युक्तेषु युक्तमुक्तं न प्रतिपद्यते, स्वदोष-  
 मनुवृत्य परदोषमुपालभते, शथार्थवादेऽपि द्वेष्टि सभामिति पराजित-  
 लिङ्गानि ॥७॥  
 छलेनाप्रतिभासेन वचनाकौशलेन चार्थहार्निः ॥८॥  
 भुक्तिः सुक्षी शासनं प्रमाणम् ॥९॥

भुक्तिः सापवादा, साक्रोशा: साक्षिणः शासनं च कूटलिखित मिति न विवादं  
 समाप्यन्ति ॥१०॥  
 बलोत्कृतमन्यायकृतं राजोपयिकृतं च न प्रमाणम् ॥११॥  
 वेश्याकितवयोरुक्तं प्रहृणानुसारितमा प्रमाणयितव्यम् ॥१२॥  
 गसत्यच्छारे व्यवहारे नास्ति विवादः ॥१३॥  
 नीवीविनाशेषु विवादः पुरुषप्रामाण्यात् सत्यापयितव्यो दिव्यक्रिया  
 वा ॥१४॥  
 यादृशे तादृशे वा साक्षिणि नास्ति देवो क्रिया कि पुनरुभयसंसर्ते मनुष्ये  
 नीचेऽपि ॥१५॥  
 यः परद्वयमभियुञ्जोताभिलुम्पते वा तस्य शपथः क्रोशो दिव्यं वा ॥१६॥  
 अभिचारयोर्मैविशुद्धस्थाभियुक्तार्थसंभावनायां प्राणादशेषोऽर्थपिहारः ॥१७॥  
 लिङ्गनास्तिकस्वाचारञ्च्युतपतितानां देवो क्रिया नास्ति ॥१८॥  
 तेषां युक्तिसोऽर्थसिद्धिरसिद्धिर्वा ॥१९॥  
 संदिग्धे पत्रे साक्षे वा विचार्यं परिच्छन्नात् ॥२०॥  
 परस्परविवादे न युगेरपि विवादपरिसमाप्तिरानन्त्यादिपरीतप्रत्यक्षीनां ॥२१॥  
 ग्रामे पुरे वा वृतो व्यवहारस्तस्य विवादे तथा राजानमुपेयात् ॥२२॥  
 राजा दृष्टे व्यवहारे नास्त्यनुबन्धः ॥२३॥  
 राजाज्ञां मर्यादां वातिक्रामन् सद्यः फलेन दण्डेनोपहन्तव्यः ॥२४॥  
 न हि दुर्बृत्तानां दण्डादन्योऽस्ति विनयोपाथोऽग्निसंयोग एव वक्रं काष्ठं  
 सरलयति ॥२५॥  
 ऋजुं सर्वेऽपि परिभवन्ति न हि तथा वक्रतश्चिछ्वारे यथा सरलः ॥२६॥  
 स्वोपलम्भपरिहारेण परमुपालभेत स्वामिनमुत्कर्षयन् गोष्ठीमवतारयेत् ॥२७॥  
 न हि भर्तुरभियोगात् परं सत्यमसत्यं वा वदन्तमवगृह्णीयात् ॥२८॥  
 अर्थसंबन्धः सहवासश्च नाकलहः संभवति ॥२९॥  
 निविराकस्मिको वार्थलाभः प्राणैः सह संचितमप्यर्थमपहारयति ॥३०॥  
 ब्राह्मणानां हिरण्ययज्ञोपवीतस्पर्शनं च शपथः ॥३१॥  
 शस्त्ररत्नभूमिवाहनपल्याणानां तु क्षत्रियाणाम् ॥३२॥  
 श्रवणपोतस्पर्शनात् काकिणीहिरण्ययोर्वा वैश्यानाम् ॥३३॥  
 शूद्राणां क्षीरबीजयोर्वर्तमौकस्य वा ॥३४॥  
 कारुणां यो येन कर्मणा जीवति तस्य तत्कर्मोपकारणानाम् ॥३५॥  
 व्रतिनामन्येषां चेष्टदेवतापादस्पर्शनात् प्रदक्षिणादिव्यकोशात्तनुलतुलारोह-  
 णेविशुद्धिः ॥३६॥  
 व्याधानां तु धनुर्लङ्घनम् ॥३७॥  
 अन्त्यवणीविसायिनामाद्वचमविरोहणम् ॥३८॥

वेश्यामहिला, भूत्यो भण्डः, क्रीणनियोगो, नियोगिर्मित्रं, चत्वार्यशाश्व-  
 तानि ॥४६॥  
 क्रीतेष्वाहारेष्विव पण्ठस्त्रीषु क आस्वादः ॥४७॥  
 यस्य यावानेव परिग्रहस्तस्य तावानेव संतापः ॥४८॥  
 गजे गदमे च राजरजकयोः सम एव चिन्ताभारः ॥४९॥  
 मूर्खस्याग्रहो नापायमनवाप्य निवर्तते ॥५०॥  
 कपर्सानेरिव मूर्खस्य शान्तावुपेक्षणमौषधम् ॥५१॥  
 मूर्खस्याभ्युपपत्तिकरणमुद्दीपनपिण्डः ॥५२॥  
 कोपाग्निप्रज्वलितेषु मूर्खेषु तत्काणप्रशमनं वृताहुतिनिक्षेप इव ॥५३॥  
 अनन्तितोऽनन्तत्वात्तिव विषयः तो लूर्खः परमात्मति ॥५४॥  
 स्वयमगुणं वस्तु न खलु पक्षपातादगुणवद्वति न गोपालस्मीहादुक्षा क्षरति  
 क्षीरम् ॥५५॥

## २०. बाहूगुणसमुद्देशः

शमव्याधामो योगक्षेमयोर्योनिः ॥१॥  
 कर्मफलोपमोगानां क्षेमसाधनः शमः कर्मणां योगराधनो व्यायामः ॥२॥  
 देवं धर्मविर्मै ॥३॥  
 मानुषं नयानयौ ॥४॥  
 देवं मानुषं च कर्म लोकं यापयति ॥५॥  
 तच्चित्त्यमचित्त्यं वा देवम् ॥६॥  
 अचिन्तितोपस्थितोऽर्थसंबन्धो दैवायतः ॥७॥  
 बुद्धिगूर्वहिताहितप्राप्तिपरिहारसंबन्धो मानुषायतः ॥८॥  
 सत्यपि देवेन्द्रुकूले न निष्कर्मणो भद्रमस्ति ॥९॥  
 न खलु दैवमोहमानस्य कृतमप्यन्तं मुखे स्वयं प्रविशति ॥१०॥  
 त हि दैवमवलम्बमानस्य वनुः स्वयमेव शरान् संवत्ते ॥११॥  
 पौरुषमवलम्बमानस्यार्थनिर्दयोः सदेहः ॥१२॥  
 निश्चित एवानर्थो दैवपरस्य ॥१३॥  
 आयुरोषधयोरिव दैवपुरुषकारयोः परस्परसंयोगः सभीहितमर्थं साध-  
 यति ॥१४॥  
 अनुष्ठीयमानः स्वफलमनुभावयन्न कश्चिद्द्विषोऽवर्भमनुबन्धनाति ॥१५॥  
 त्रिगुणमूलतत्वाश्च भूभूजः प्रत्यक्षं दैवमस्ति ॥१६॥  
 प्रतिपन्नप्रथमाश्रमः परे ब्रह्मणि निष्णातमतिरूपासितगुरुकुलः सम्यग्विद्या-  
 यामधीती कौमारवयाऽलंकुर्वन् क्षत्रपुत्रो भवति ब्रह्मा ॥१७॥

संजातराज्यकुलदमीदीक्षाभिषेकं स्वगुणः प्रजास्वनुरागं जनयन्ते राजानं  
नारायणमाहुः ॥१८॥

प्रवृद्धप्रतापतृतीयलोचनानलः परमैश्वर्यमातिष्ठमानो रघुकण्ठकान् द्विषहा-  
नवान् क्षेत्रं पतते विजिगीषुभूपतिर्भवति पिनाकपाणिः ॥१९॥

उदासीनमध्यमविजिगीषु-अमित्रमित्रपाणिग्राहाकन्दासारान्तदधर्ष्यो यथा-  
संभवगुणगणविभवतारतस्यान्मण्डलानामविष्टातारः ।२०।

अग्रतः पृष्ठतः कोणे वा सनिकृष्टे वा मण्डले स्थितो मध्यमादीनां विग्रहीतानां  
निघ्रहे संहितानामनुग्रहे ममर्थोऽपि केनन्तिकागोदान्दिग्रिस्तु भूपलो लिङ्गि-  
गीषुमाणो य उदासते स उदासीनः ॥२१॥

उदासीनवदनियतमण्डलोऽपरभूपापेक्षया समविकबलोऽपि कुतश्चित् कारणा-  
दत्यस्मिन् नृपतौ विजिगीषुमाणे यो मध्यस्थभावमवलम्बते स मध्यस्थः ॥२२॥  
राजात्मदेवद्रव्यप्रकृतिसंरचो तयविक्रमयोरविष्टानं विजिगीषुः ॥२३॥

य एक स्वस्याहितानुष्टानेन प्रतिकूल्यमियर्ति स एवारिः ॥२४॥

मित्रलक्षणमुक्तमेव पुरस्तात् ॥२५॥

यो विजिगीषी प्रस्थितेऽपि प्रतिष्ठमाने वा पश्चात् कोणं जनयति स पाणिं-  
ग्राहः ॥२६॥

पाणिग्राहाद्यः पश्चिमः स आकन्दः ॥२७॥

पाणिग्राहामित्रमासार आकान्दमित्रं च ॥२८॥

अरिविजिगीषोमण्डलान्तविहितवृत्तिरुभयवेतनः पर्वताटवी कृताश्रयश्चा-  
न्तदिधः ॥२९॥

अराजबीजो लुब्धः क्षुद्रो विरक्तप्रकृतिरस्यायपरो व्यसनी विप्रतिपत्तमित्रा-  
मात्यसामन्तसेनापतिः शत्रुरभियोक्तव्यः ॥३०॥

अनाश्रयो दुर्बलाश्रयो वा शत्रुरुच्छेदनीयः ॥३१॥

विपर्ययो निष्पोडनीयः कर्षयेद्वा ॥३२॥

समाभिजनः सहजशत्रुः ॥३३॥

विरोधो विरोधयिता वा कृत्रिमः शत्रुः ॥३४॥

अनन्तरः शत्रुरेकान्तरं मित्रमिति नेषः एकान्तः कार्यं हि मित्रत्वामित्रत्वयोः  
कारणं न पुनर्विप्रकर्षसंनिकर्षी ॥३५॥

ज्ञानबलं मन्त्रशक्तिः ॥३६॥

दुद्धिशक्तिरात्मशक्तेऽपि गरीयसी ॥३७॥

शशकेनेव सिहव्यापादनमत्र दृष्टान्तः ॥३८॥

कोशदण्डबलं प्रभुशक्तिः ॥३९॥

शूद्रकशक्तिकुमारी दृष्टान्ती ॥४०॥

विक्रमो बलं चोत्साहशक्तिस्तत्र शमो दृष्टान्तः ॥४१॥

शक्तिव्योपचितो ज्यायान् शक्तिव्यापचितो हीनः समानशक्तिव्यः  
 समः ॥४२॥  
 संधिविग्रहयानासनसंशयद्वैधीभावाः षाङ्गुण्यम् ॥४३॥  
 पण्वन्वः संधिः ॥४४॥  
 अपराधो विग्रहः ॥४५॥  
 अभ्युदयो यानम् ॥४६॥  
 उपेक्षणमासनम् ॥४७॥  
 परस्यात्मार्पणं संशयः ॥४८॥  
 एकेन सह संधायान्येन सह विग्रहकरणमेकत्र वा शब्दौ संधानपूर्वे विग्रहो  
 द्वैधीभावः ॥४९॥  
 प्रथमपक्षे संवीयमानो विगृह्यमाणो विजिगोषुरिति द्वैधीभावो चुद्या-  
 शयः ॥५०॥  
 हीयमानः पण्वन्वेन संधिमुपेयात् यदि नास्ति परेषां विषणितेऽर्थे मर्यादो-  
 ल्लङ्घनम् ॥५१॥  
 अभ्युच्छीयमानः परं विगृह्याद्यदि नास्त्यात्मबलेषु क्षोभः ॥५२॥  
 न मां परो हन्तुं नाहं परं हन्तुं शक्त इत्यासीत् यद्यायत्यामस्ति  
 कुशलम् ॥५३॥  
 गुणातिशययुक्तो याधाद्यदि न सन्ति राष्ट्रकण्ठका मव्ये न भवति पश्चा-  
 ल्कोषः ॥५४॥  
 स्वमण्डलमपरिपालयतः परदेशाभियोगो विवसनस्य शिरोवेष्टनमिव ॥५५॥  
 रज्जुवलनमिव शक्तिहीनः संशयं कुर्याद्यदि न भवति परेषामामिषम् ॥५६॥  
 बलवद्भयादबलवदाश्रयणं हस्तिभयादेरण्डाश्रयणमिव ॥५७॥  
 स्वधमस्थिरेणास्थिराश्रयणं नद्यां वहमानेन वहमानस्याश्रयणमिव ॥५८॥  
 वरं मानिना मरणं न परेच्छानुवर्तनादात्मविक्रियः ॥५९॥  
 आयतिकस्याणे सति कस्मिदिवत्संबन्धे परसंशयः श्रेयान् ॥६०॥  
 निवानादिव च राजकायेषु कालनियमोऽस्ति ॥६१॥  
 मेघददुत्थानं राजकायणामन्यत्र च शश्रोः संधिविग्रहाभ्याम् ॥६२॥  
 द्वैधीभावं गच्छेद यदन्योऽवश्यमात्मना सहोत्सहते ॥६३॥  
 बलद्वयमध्यस्थितः शत्रुरुभ्यसिंहमध्यस्थितः करीव भवति सुखसाध्यः ॥६४॥  
 भूम्यस्थितं भूफलप्रदानेन संदध्यात् ॥६५॥  
 भूफलदानमनित्यं परेषु भूमिगंता गतेव ॥६६॥  
 अद्यत्यापि भूमावारोपितस्तरुर्भवति बद्धतलः ॥६७॥  
 उपायोपव्यविकमोऽनुरक्तप्रकृतिरल्पदेशोऽपि भूपतिर्भवति सार्वभीमः ॥६८॥  
 न हि कुलागता कस्यापि भूमिः किन्तु वीरभोग्या वसुन्धरा ॥६९॥

सामोपप्रदानभेददण्डा उपायाः ॥७०॥  
 तत्र पञ्चविधं साम्, गुणसंकीर्तनं संबन्धोपाल्यानं परोपकारदर्शनमाथतिप्रद-  
 शंनमात्रोपसंधानमिति ॥७१॥  
 यत्सम द्रव्यं तद्वृत्ता स्वकृत्येषु प्रयुज्यतामित्यात्मोपसंधानम् ॥७२॥  
 बहुर्धंसंख्यायाल्पार्थंप्रदानेन परप्रसादनमुपप्रदानम् ॥७३॥  
 योगतोषणगृह्णुरुषोभयवेतनः परबलस्य परस्परशंकाजननं निर्भत्संनं वा  
 भेदः ॥७४॥  
 वधः परिक्लेशोऽर्थंहरणं च दण्डः ॥७५॥  
 शत्रोरागतं साधु परोक्ष्य कल्याणबुद्धिमनुगृह्णीयात् ॥७६॥  
 किमरण्यज्ञमोजवं न भवति क्षेमाय ॥७७॥  
 गृहप्रविष्टकपोत इव स्वल्पोऽपि शत्रुसंबन्धो लोकस्तत्रमुद्गासयति ॥७८॥  
 मित्रहिरण्यभूमिलाभानामुत्तरोत्तरलाभः श्रेयात् ॥७९॥  
 हिरण्यं भूमिलाभादभवति मित्रं च हिरण्यलाभादिति ॥८०॥  
 शत्रोमित्रत्वकारणं विमृश्य तथाचरेद्यथा न वच्यते ॥८१॥  
 गृहोपायेन सिद्धकार्यस्यासंवित्तिकरणं सर्वां शंकां दुरपवादं च करोति ॥८२॥  
 गृहीतगुप्रदारानुभवतेतन्नान् कुर्याति ॥८३॥  
 शत्रुमपकृत्य भूदानेन तद्वायादानात्मनः सफलयेत् क्लेशयेद्वा ॥८४॥  
 परविश्वासजनने सत्यं शपथः प्रतिभूः प्रवानपुरुषपरिग्रहो वा हेतुः ॥८५॥  
 सहस्रैकोयः पुरस्ताललाभः शतैकोयः पश्चात्कोप इति न यायात् ॥८६॥  
 सूचीमुखा ह्यनर्था भवत्यल्पेनापि सूचीमुखेन महात् दोरकः प्रविशति ॥८७॥  
 न पुण्यपुरुषापचयः क्षयो हिरण्यस्य धान्यापचयो व्ययः शरीरस्यात्मनो  
 लाभविच्छेदेन सामिषक्रव्याद् इव न परेरवरुद्यते ॥८८॥  
 शक्तस्यापराधिषु या क्षमा सा तस्यात्मनस्तिरस्कारः ॥८९॥  
 अतिक्रम्यवर्तिषु निम्रहं कर्तुः सर्पादिव दृष्टप्रत्यवायः सर्वोऽपि विभेति  
 जनः ॥९०॥  
 अनायकां बहुतायकां वा सभां न प्रविशेत् ॥९१॥  
 गणपूरववारिणः सिद्धे कार्यं स्वस्य न किञ्चिद्वृत्यसिद्धे पुनः ध्रुवमप-  
 वादः ॥९२॥  
 सा गोष्ठी न प्रस्तोतव्या यत्र परेषामपायः ॥९३॥  
 गृहागतमर्थं केनापि कारणेन नावधीरयेद्वैवार्थागमस्तदैव सर्वातिथिनसत्र-  
 ग्रहबलम् ॥९४॥  
 गजेन गजबन्धनमिवार्थंनाथोपार्जनम् ॥९५॥  
 न केवलाभ्यां बुद्धिपोरुषाभ्यां महतो जनस्य संभूयोस्थाने संघातविघातेन  
 दण्डं प्रणयेच्छत्तमवध्यं सहस्रमदण्डब्यम् ॥९६॥

सा राजन्वती भूमियेस्यां नामुरवृत्ती राजा ॥१७॥  
 परप्रणेया राजापरीक्षिताधंसानप्राणहरोऽसुरवृत्तिः ॥१८॥  
 परकोपप्रसादानुवृत्तिः परप्रणेयः ॥१९॥  
 तत्स्वामिच्छुद्दोऽनुवत्तेन श्रेयो यन्त भवत्यायत्यामहिताय ॥२०॥  
 निरनुबन्धमर्थनिबन्धं चार्थमनुगृह्णीयात् ॥२१॥  
 नामावर्थो धनाव यत्कायत्यां महानर्थनिबन्धः ॥२२॥  
 लाभस्त्रिविधो नवो भूतपूर्वः पैत्र्यश्च ॥२३॥

#### २०. युद्धसमुद्देशः

स कि मन्त्री मित्रं वा यः प्रथमसेव युद्धोदीर्घं भूमित्यागं चोपदिशति  
 स्वामिनः संपादयति च महन्तमनर्थसंशयम् ॥१॥  
 संश्रामे को नामात्मवानाददेव स्वामिनं प्राणसदेहतुलायामारोपयति ॥२॥  
 भूम्यर्थं नूपाणां नयो विक्रमश्च न भूमित्यागाय ॥३॥  
 बुद्धियुद्धेन वरं जैतुमशकः शस्त्रयुद्धमुपक्रमेत् ॥४॥  
 न तथेषवः प्रभवन्ति यथा प्रज्ञावतां प्रज्ञाः ॥५॥  
 दृष्टेऽप्यर्थं संभवन्त्यपराद्वेषवो धनुषमतोऽदृष्टमर्थं सावृ साधयति प्रज्ञा-  
 वान् ॥६॥  
 श्रूयते हि किल द्वूरस्थोऽपि माधवपिता कामन्दकीयप्रयोगेण माधवाय मालतीं  
 साधयामास ॥७॥  
 प्रज्ञा ह्रमोर्धं शस्त्रं कुशलबुद्धीनाम् ॥८॥  
 प्रज्ञाहृताः कुलिशहता इव न प्रादुर्भवन्ति भूमिभृतः ॥९॥  
 परैः स्वस्याभियोगमपश्यतो भयं नदीमपश्यत उपानत्परित्यजनमिव ॥१०॥  
 अतितीक्षणो बलवानपि शरभ इव न चिरं नन्दति ॥११॥  
 प्रहरतोऽप्यसरतो वा समे विनाशो वरं प्रहारो यत्र नैकान्तिको विनाशः ॥१२॥  
 कुटिला हि गतिदेवस्य मुमूर्षुमणि जीवयति जिजीविषु मारयति ॥१३॥  
 दीपशिखायां पतंगवर्दकान्तिके विनाशोऽविचारमपसरेत् ॥१४॥  
 जीवितसंभवे दैवो देयात्कालबलम् ॥१५॥  
 वरमल्पमणि सारं बलं न भूयसी मुण्डमण्डली ॥१६॥  
 असारबलभङ्गः सारबलभङ्गं करोति ॥१७॥  
 नाप्रतिग्रहो युद्धभूपेयात् ॥१८॥  
 राजव्यञ्जनं पुरस्कृत्य पश्चात्स्वाम्यधिष्ठितस्य सारबलस्य निवेशनं  
 प्रतिग्रहः ॥१९॥  
 सप्रतिग्रहं बलं सावृयुद्धायोत्सहते ॥२०॥

पृष्ठतः सदुर्गजला भूमिर्वलस्य महानाश्रयः ॥२१॥  
 नद्या नीयमनिस्य तटस्थपुरुषदर्शनमपि जीवितहेतुः ॥२२॥  
 निरन्नमपि सप्राणमेव वलं यदि जलं लभेत ॥२३॥  
 आत्मशक्तिमविज्ञायोत्साहः शिरसा पर्वतमेदनमिव ॥२४॥  
 सामसाध्यं युद्धसाध्यं न कुयात् ॥२५॥  
 गुडादभिप्रेतसिद्धौ को नाम विषं भुञ्जीत ॥२६॥  
 अल्पव्ययभयात् सर्वनाशं करोति मूर्खः ॥२७॥  
 का नाम कृतधीः शुल्कभयाद्वार्ण्ड परित्यजति ॥२८॥  
 स कि व्ययो यो महान्तस्मर्थं रक्षति ॥२९॥  
 पूर्णसरः-सलिलस्य हि न परीवाहादपरोऽस्ति रक्षणोपायः ॥३०॥  
 अप्रयच्छतो बलवान् प्राणेः सहार्थं गृह्णति ॥३१॥  
 बलवति सोमाविषेऽर्थं प्रयच्छन् विवाहोत्सवगृहगमनादिमिषेण प्रय-  
 च्छेत् ॥३२॥  
 आमिषमर्थं प्रयच्छतोऽनवधिः स्यान्निबन्धः शासनम् ॥३३॥  
 कृतसंघातविवातोऽरिभिर्विशीर्णयूषो गज इव कस्य न भवति साध्यः ॥३४॥  
 विनिःस्नावितजले सरसि विषमोऽपि ग्राहो जलव्यालवत् ॥३५॥  
 वनविनिर्गतः सिहोऽपि शृगालायते ॥३६॥  
 नास्ति संघातस्य निःसारता कि न सखलयति मत्तमपि वारणं कुर्विततृण-  
 संघातः ॥३७॥  
 संहृतैर्विसतन्तुभिदिग्जोऽपि नियम्यते ॥३८॥  
 दण्डसाध्ये रिपाकुपायात्तरमग्नावाहुतिप्रदानमिव ॥३९॥  
 यन्त्रवास्त्राग्निक्षारप्रतीकारे व्याधी कि नामान्धीषधं कुयति ॥४०॥  
 उत्पाटितदंज्डौ भुजङ्गो रज्जुरिव ॥४१॥  
 प्रतिहतप्रतापोऽज्ञारः संपत्तितोऽपि कि कुर्यात् ॥४२॥  
 विद्विषां चाटुकारं न बहुमन्येत ॥४३॥  
 जिह्वापा लिहन् खड्गो मारयत्येव ॥४४॥  
 तन्त्रावापी नीतिशास्त्रम् ॥४५॥  
 स्वसण्डलपालनाभियोगस्तन्त्रम् ॥४६॥  
 परमण्डलावाप्त्यभियोगोऽवापः ॥४७॥  
 बहूनेको न गृह्णीयात् सदर्पोऽपि सर्पो व्यापाद्यत एव पिपीलिकाभिः ॥४८॥  
 अशोधितायां परभूमी न प्रविशेन्निर्भर्च्छेद्वा ॥४९॥  
 विग्रहकाले परस्मादागतं कमपि न संगृहीयात् गृहीत्वा न संवासयेदन्यत्र  
 तद्यादेभ्यः, श्रूयते हि निजस्वामिना कूटकलहं विधायावासविश्वासः  
 कुकलासो नामानोकपतिरात्मविषक्षं विरूपाक्षं जघानेति ॥५०॥

बलमपीडयन् परानभिषेणयेत् ॥५१॥  
 दीर्घप्रयाणोपहतं बलं न कुर्यात् स तथाविषमनायासेन भवति परेषां  
 साध्यम् ॥५२॥  
 न दायादादपरः परबलस्याकर्षणमन्त्रोऽस्ति ॥५३॥  
 यस्याभिमुखं गच्छेत्स्यादश्यं दायादानुत्थापयेत् ॥५४॥  
 कण्टकेन कण्टकमिव परेण परमुद्धरत् ॥५५॥  
 विलवेन हि विलवं हन्यमानमुभयथाप्यात्मनो लाभाय ॥५६॥  
 यावत्परेणापकृतं तावतोऽधिकमपकृत्य सर्वि कुर्यात् ॥५७॥  
 नातप्तं लोहं लोहेन संघर्ते ॥५८॥  
 तेजो हि सन्धाकारणं नापराधस्य क्षान्तिरूपेक्षा च ॥५९॥  
 उपचौयमानघटेनेवाश्मा हीनेन विग्रहं कुर्यात् ॥६०॥  
 देवानुलोभ्यं पुण्यपुरुषोपचयोऽप्रतिपक्षता च विजितोऽहम् ॥६१॥  
 पराक्रमकक्षः प्रवीरानोकश्चेदधीनः सन्धाय साधूपचरितव्यः ॥६२॥  
 दुःखामर्पेजं तेजो विक्रमयति ॥६३॥  
 स्वजीविते हि निराशस्याचार्यो भवसि वीर्येवः ॥६४॥  
 लघुरपि सिंहशावो हन्तयेव दन्तिनम् ॥६५॥  
 न चातिभग्नं पीडयेत् ॥६६॥  
 शौर्येकधनस्योपचारो मनसि तच्छागस्येव पूजा ॥६७॥  
 समस्य समेन सह विग्रहे निश्चितं मरणं जये च सन्देहः, आम हि पात्र-  
 मामेनाभिहृतमुभयतः क्षयं करोति ॥६८॥  
 ज्यायसा सह विग्रहो हस्तिना पदातिशुद्धमिव ॥६९॥  
 स धर्मविजयो राजा यो विद्येयमात्रेणैव संतुष्टः प्राणार्थमानेषु न व्यभि-  
 चरति ॥७०॥  
 स लोभविजयो राजा यो द्रव्येण कृतश्रोतिः प्राणाभिमानेषु न व्यभि-  
 चरति ॥७१॥  
 सोऽसुरविजयो यः प्राणार्थमानोपधातेन महीममिलषति ॥७२॥  
 असुरविजयिनः संश्रयः सूनागारे मृगप्रवेश इव ॥७३॥  
 यादृशस्तादृशो वा यायिनः स्थायो बछवान् यदि साधुचरः संचारः ॥७४॥  
 चरणेषु पतितं भीतमशस्त्रं च हिसन् ब्रह्महा भवति ॥७५॥  
 संग्रामशृतेषु यायिषु सत्कृत्य विसर्गः ॥७६॥  
 स्थायिषु संसर्गः सेनापत्यायतः ॥७७॥  
 मतिनदोयं ताम सर्वेषां प्राणिनामुभयतो वहति पापाय वर्मयि च, तद्वार्य  
 लोकोऽत्रोव सुलभं दुर्लभं तद् द्वितीयमिति ॥७८॥  
 सत्येनापि शास्त्र्यं महतामभयप्रदानवचनमेव शपथः ॥७९॥

सत्तामसतां च वचनायत्ताः खलु सर्वे व्यवहाराः स एव सर्वलोकमहृतीयो  
 यस्य वचनमन्यमनस्कतयाप्यायातं भवति शासनम् ॥८०॥  
 नयोदिता वाग्वदति सरथा ह्येषा सरस्वती ॥८१॥  
 व्यभिचारिवचनेषु नैहिको पारलोकिको वा क्रियास्ति ॥८२॥  
 न विश्वासघातत् परं पातकमस्ति ॥८३॥  
 विश्वासघातकः सर्वेषामविश्वासं करोति ॥८४॥  
 असत्यसंधिषु कोशपानं जातान् हन्ति ॥८५॥  
 बलं बुद्धिभूमिग्रंहानुलोक्यं परोद्योगद्वच प्रत्येकं बहुविकल्पं दण्डयण्डलाभोगा  
 संहतव्यूहरचनाया हेतवः ॥८६॥  
 साधुरचितोऽपि व्यूहस्तावत्तिष्ठति यावन्न परबलदर्शनम् ॥८७॥  
 न हि शास्त्राणिकाकर्मण योद्वयं किञ्चु इत्यज्ञात्यग्निहात्येग ग्रन्थाः  
 व्यसनेषु प्रमादेषु वा परपुरे सैन्यप्रेष्य(ष)णमवस्कन्दः ॥८८॥  
 अन्याभिमुखप्रयाणकमुपकम्यान्योपधातकरणं कूटयुद्धम् ॥९०॥  
 विषविषमपुरुषोपनिषदवाग्योगोपजापेः परोपधातानुषानं तूज्ञीदण्डः ॥९१॥  
 एकं बलस्याभिष्ठुतं न कुर्यात्, भेदापरावेनैकः समर्थो जनयति महान्त-  
 मनस्थम् ॥९२॥  
 राजा राजकार्येषु मृतानां संततिमपोषयन्त्युण माणो स्यात् साधु लोपवर्यते  
 तन्त्रेण ॥९३॥  
 स्वामिनः पुरुसरणं युद्धेऽश्वमेष्वसमम् ॥९४॥  
 युधि स्वामिनं परित्यजतो नास्तीहामुत्र च कुशलम् ॥९५॥  
 विश्वहायोक्त्वलितस्याद्दं बलं सर्वदा संत्वमासीत्, सेनापतिः प्रयाणमवासं  
 च कुर्वीत चतुर्दिशमनोकान्यद्वरेण संचरेयुस्तिष्ठेयुश्च ॥९६॥  
 धूमगिरजोविषाणव्यनिव्याजेनाटविकाः प्रणवयः परबलान्यागच्छन्ति  
 निवेदयेयुः ॥९७॥  
 पुरुषप्रमाणोत्सेधमबहुजनविनिवेशनाचरणापसरणयुक्तमग्रतो महामण्डपाव-  
 काशं च तदस्त्रमध्यास्य सर्वदा स्थानं दद्यात् ॥९८॥  
 सर्वसाधारणभूमिकं तिष्ठतो नास्ति शारीररक्षा ॥९९॥  
 भूत्तरो दोलाचरस्तुरज्जचरो वा न कदाचित् परभूमी प्रविशेत् ॥१००॥  
 करिणं जंपाणं वाप्यध्यासीने न प्रमवन्ति शुद्धोपद्रवाः ॥१०१॥

### ३१. विवाहसमुद्देशः

छादशब्दर्था स्त्री धोडशब्दर्थः पुमान् प्राप्यव्यवहारी भवतः ॥१॥  
 विवाहपूर्वो व्यवहारश्चातुरण्यं कुलीनयति ॥२॥

पुक्तिं वरणविधानमनिदेवद्विजसाक्षिकं च पाणिग्रहणं विवाहः ॥३॥

स ब्राह्मणो विवाहो यत्र वरायालंकृत्य कन्या प्रदीपते ॥४॥

स देवो यत्र यज्ञार्थमृत्यिजः कन्याप्रदानमेव दक्षिणा ॥५॥

गोमिथुनपुरुः सरं कन्यादानादार्षः ॥६॥

‘त्वं भवास्य महाभागस्य सहधर्मचारिणोति’ विनियोगेन कन्याप्रदानात्

प्राजापत्यः ॥७॥

एते चत्वारो धर्मा विवाहाः ॥८॥

मातुः पितुर्बन्धूनां चाप्रापाण्यात् परस्परानुरागेन मिथः समंवायाद्-  
गान्धर्वः ॥९॥

पणबन्धेन कन्याप्रदानादासुरः ॥१०॥

सुसप्रमत्तकन्यादानात्पेशाचः ॥११॥

कन्यायाः प्रसह्यादानाद्राक्षसः ॥१२॥

एते चत्वारोऽधमा अपि नाधर्म्या यद्यस्ति वधूवरयोरनपवादं परस्परस्य

भाव्यत्वम् ॥१३॥

उष्ट्रतत्वं कनोनिकयोः, लोमशतत्वं जच्छयोरमांसलत्वमूर्वोरचारुत्वं कटिनाभि-  
जठरकुचयुगलेषु, शिरालुत्वमशुभसंस्थानत्वं च बाह्योः, कृष्णतत्वं तालुजिह्वा-  
धरहरीतकीषु, विरलविषमभावो दशनेषु, कूपत्वं कपोलयोः, पिंगलत्वमण्डो-  
लंगतत्वं चिलिलकयोः, स्थपुटत्वं ललाटे, दुःसंनिवेशत्वं श्रवणयोः, स्थूल-  
कपिलपर्षप्रभावः केशेषु, अतिदीर्घातिलघुन्यूनाधिकता समकटकुञ्जवामन-  
किराताङ्गत्वं जन्मदेहाभ्यां समानताधिकत्वं चेति कन्यादोषाः सहसा तदगृहे  
स्वयं इतस्य चापतस्याप्ये अभ्यक्ता व्याधिमती रुदती पतिष्ठती सुप्ता स्तोका-  
युष्का बहिर्गता कुलटाप्रसक्षा दुःखिता कलहोद्यता परिजनोद्वासिन्यप्रिय-  
दशाना दुर्भगेति नेतां वृणीत कन्याम् ॥१४॥

शिथिले पाणिग्रहणे वरः कन्याया परिभूयते ॥१५॥

मुखपपश्यसो वरस्यानमोलितलोचना कन्या भवति प्रचण्डा ॥१६॥

सह शयने तूष्णो भवन् पशुवन्मन्येत ॥१७॥

बलादाक्रान्ता जन्मविद्वेष्यो भवति ॥१८॥

धीर्यचानुर्यायित्तं हि कन्याविलक्ष्मणम् ॥१९॥

समविभवाभिजनयोरसमगोत्रयोदत्त विवाहसंबन्धः ॥२०॥

महतः पितुरेवयदिल्पमवगणयति ॥२१॥

अल्पस्य कन्या, पितुर्दीर्घल्यान् महतावजायते ॥२२॥

अल्पस्य महता सह संव्यवहारे महान् व्ययोऽल्पशत्तायः ॥२३॥

वरं वेश्यायाः परिग्रहो नाविशुद्धकन्याया परिग्रहः ॥२४॥

वरं जन्मनाशः कन्यायाः नाकुलीनेष्ववक्षेपः ॥२५॥

सम्यग्वृता कन्या तावत्सन्देहास्पर्द यावद्ध पाणिग्रहः ॥२६॥  
 विकृतप्रत्यूद्घापि पुनविवाहमहंतीति समृतिकाराः ॥२७॥  
 आनुलोम्येन चतुस्त्रिद्विवर्णः कन्याभाजनाः ब्राह्मणक्षत्रियविशः ॥२८॥  
 देशापेक्षो मातुलर्पबन्धः ॥२९॥  
 वर्मसंततिरनुपहता रतिर्गृहवार्तासुविहितत्वमाभिजात्याचारविशुद्धिर्देवद्विजा-  
 तिधिवान्धवसत्कारानवद्यत्वं च दारकमंजः फलम् ॥३०॥  
 गृहिणी गृहमुच्यते न पुनः कुड्डकटसंधातः ॥३१॥  
 गृहकर्मविनियोगः परिमितार्थत्वमस्वात्मन्त्यं सदाचारः मातृव्यञ्जनस्त्रीजना-  
 वरोध इति कुलवधूनां रक्षणोपायः ॥३२॥  
 रजकशिला कुरुरसर्परसमा हि वेश्याः कस्तास्वभिजातोऽभिरज्येत ॥३३॥  
 दानैदैभीर्ण्यं सत्कृती परोपभोग्यत्वं आसक्ती परिभवी मरणं वा महोषकारे-  
 अयनात्मोघत्वं बहुकालसंबन्धेऽपि त्यक्तानां तदेव पुरुषान्तरगामित्वमिति  
 वेश्यानां कुलागतो धर्मः ॥३४॥

## ३२. प्रकीर्णकसमुद्देशः

समुद्र इव प्रकीर्णकसूक्तरत्नविन्यासनिबन्धनं प्रकीर्णकम् ॥१॥  
 वर्णपदवाक्यप्रमाणप्रयोगनिष्ठात्मतिः सुमुखः सुव्यक्तो मधुरगम्भीरध्वनिः  
 प्रगल्भः प्रतिभावान् सम्यग्गृहापोहावधारणगमकशक्तिसंपन्नः संप्रज्ञात-  
 समस्तलिपिभाषावर्णश्चिमसमयस्वपरव्यवहारस्थितिराशुलेखनवाचनसमर्थ-  
 इति सान्धिविग्रहिकगुणाः ॥२॥  
 कथाव्यवच्छेदो व्याकुलत्वं मुखे वैरस्यमनवेक्षणं स्थानत्यागः साध्वाचरितेऽपि  
 दोषोऽद्भुतवत्तिविज्ञाने च मौनमक्षमाकालयापनमदर्शनं वृथाभ्युपगमद्वचेति  
 विरक्तलिङ्गानि ॥३॥  
 दूरादेवेक्षणं, मुखप्रसादः संप्रश्नेष्वादरः प्रियेषु वस्तुषु स्मरणं, परोक्षे गुण-  
 ग्रहणं तत्परिवारस्य सदानुवृत्तिरित्यनुरक्तलिङ्गानि ॥४॥  
 श्रुतिमुखत्वमपूर्वाविरुद्धार्थातिशययुक्तवस्त्रभयालंकारसंपन्नत्वमन्यनाभिक-  
 वचनत्वमतिव्यक्तान्वयत्वमिति काव्यस्य गुणाः ॥५॥  
 अतिपरव्यवचनविन्यासत्वमनन्वितगतार्थत्वं दुर्बोधानुपपन्नपदोपन्यासमयथा-  
 र्थयतिविन्यासत्वमन्वितगतान्विषेयशून्यत्वमिति काव्यस्य दोषाः ॥६॥  
 वचनकविरर्थकविरुद्धभयकविश्वक्रिवर्णकविर्दुष्करकविररोक्तीसतुषाभ्यव-  
 हारी चेत्यष्टो कवयः ॥७॥  
 मनःप्रसादः कलासु कोशलं मुखेन चतुर्वर्गविषयव्युत्पत्तिरासंसारं च यथा  
 इति कविसंग्रहस्य फलम् ॥८॥

आलमिशुद्धिमाधुर्विवादः पूयोगसोन्दर्यमतीवमसृणतास्थानकमित्कुहरि-  
तादिभावो रागान्तरसंकान्तिः परिगृहीतरागनिर्वहिते हृदयप्राहिता चेति  
गीत्तस्य गृणाः ॥१३॥

समत्वं तालानुयायित्वं गेयाभिनेयानुगतत्वं इलक्षणत्वं प्रब्धक्षयतिप्रयोगत्वं  
धूलिसुखावहत्वं चेति वाच्यगुणाः ॥१०॥

दृष्टिहस्तपादक्रियासु समसमायोगः संगीतकानुगतत्वं सुशिलष्टलचित्ताभिन-  
याज्ञहारप्रयोगभावो रसभाववृत्तिलावध्यभाव इति नृत्यगुणाः ॥११॥

स महस्त्र यः स्वस्वतर्तोऽपि न दुर्बेचनं ब्रूते ॥१२॥

स किं गृहाश्रमी यत्रागत्याधिनो न भवन्ति कृतार्थाः ॥१३॥

अजग्रहमेष्ट अर्थः पुरुषं देवा दग्धिलग्नं तादात्मिकानां नायतिहितवृत्ती-  
नाम् ॥१४॥

स्वस्य विद्यमानमधिभ्यो देयं नायिद्यमानम् ॥१५॥

शृणदातुरासनं फलं परोपास्तिः कलहः परिष्ववः प्रस्तावेऽर्थालाभश्च ॥१६॥

अदातुस्तावत्सनेहः सौजन्यं प्रियभाषणं वा साधुता च यावन्नार्थावासिः ॥१७॥

तदसत्यमपि नासत्यं यत्र न संभाष्यार्थहानिः ॥१८॥

प्राणवधे तास्ति कश्चिदसत्यवादः ॥१९॥

अर्थार्थ मात्सरमपि लोको हिनस्ति कि पुनरसत्यं न भाषते ॥२०॥

सत्कलमसत्योपासनं हि विवाहकर्म, देवायतस्तु बधूबरयोनिवाहः ॥२१॥

रहिकाले यन्नास्ति कामातो यन्न ब्रूते पुमान् न चेतत्प्रमाणम् ॥२२॥

ताक्षस्त्रोपुष्पयोः परस्परं प्रीतिर्यादिनं प्रातिलोम्यं कलहो रतिकैतवं  
च ॥२३॥

तादात्मिकब्लस्य कुतो रणो जयः प्राणार्थः स्त्रोषु कलधाणं वा ॥२४॥

तत्त्वसर्वः सर्वं स्थानुनूलिपरो यावन्न भवति कृतार्थः ॥२५॥

अशुभस्य कालहरणमेव प्रतीक्यारः ॥२६॥

यक्षान्नादिव स्त्रोजनाहोपशान्तिरेव प्रयोजनं कि तत्र रागविरागा-  
स्याम् ॥२७॥

तृष्णेमापि प्रयोजनमस्ति कि पुनर्न पाणिपादवता मनुष्येण ॥२८॥

न कस्यापि लेखमवमन्येत, लेखप्रव्राना हि राजानस्तन्मूलरवत् संधिविग्र-  
हयोः सकलस्य ऊगद्व्याप्तरस्य च ॥२९॥

पुष्पयुद्धमपि तीतिवेदिनो तेजस्तिः कि पुनः शस्त्रयुद्धम् ॥३०॥

स प्रभुर्यो बहून् विभ्रति किमर्जुनतरोः फलसंपदा या न भवति परेषामुप-  
भोग्या ॥३१॥

मार्गवादप इव स त्थागो यः सहस्रे सर्वेषां संबाधाम् ॥३२॥

पर्वता इव राजानी दूरतः सुन्दरालोकाः ॥३३॥

वार्तारमणीयः सर्वोऽपि देशः ॥३४॥

अधनस्याबान्वयवस्य च जनस्य मनुष्यवत्यपि भूमिर्भवति महाटवी ॥३५॥

श्रीमतो ह्यरथान्वयपि राजधानी ॥३६॥

सर्वस्याप्यासनविनाशास्य भवति प्रायेण मतिर्विषयस्ता ॥३७॥

पुष्पवतः पुरुषस्य न वचिदप्यस्ति द्वौःस्थपस् ॥३८॥

दैवानुकूलः काँ संपदं न करोति विषट्यति वा विषदम् ॥३९॥

असूयकः पिशुनः कृतध्नो दीर्घरोष इति कर्मचाण्डालाः ॥४०॥

औरसः क्षेत्रजो दत्तः कृत्रिमो गूढोत्पन्नोऽपविंदु एते षट्पुत्रा दायादाः पिण्डदाश्च ॥४१॥

देशकालकुलापत्यस्त्रीसमापेक्षो दायादविभागोऽन्यत्र यतिराजकुलाभ्याम् ॥४२॥

अतिपरिच्यः कस्याकर्जा न जनयति ॥४३॥

भूत्यापराधे स्वामिनो दण्डो यदि भूत्यं न मुञ्चति ॥४४॥

अलं महत्तया समुद्रस्य यः लघुं शिरसा दहत्यधस्ताच्च नयति गुरुम् ॥४५॥

रतिमन्नाहारकालेषु न कमप्युपसेवेत् ॥४६॥

सुष्टुपरिचितेष्वपि तिर्थकु त्रिवासं न गच्छेत् ॥४७॥

मंत्रारणारोहिणो जीवितव्ये संदेहो निश्चितश्चापायः ॥४८॥

अत्यर्थं हयविनोदोऽङ्गभङ्गमनापाद्य न तिष्ठति ॥४९॥

श्रृणुभवदानो दासकर्मणा निर्हरेत् ॥५०॥

अत्यवत्र यस्त्राह्याणक्षियेभ्यः ॥५१॥

तस्यात्मदेह एव वैरो यस्य यथालभमशनं शयनं च न सहते ॥५२॥

तस्य किमसाध्यं नाम यो महाभुनिरिव सर्वान्नीनः सर्वक्लेशसहः सर्वत्र सुखशायी च ॥५३॥

स्त्रीप्रीतिरिव कस्य नामेय स्थिरा लक्ष्मीः ॥५४॥

परपैशुन्योपायेन राजा वल्लभो लोकः ॥५५॥

नीचो महस्यग्रात्मनो मन्यते परस्य कृतेनापवादेन ॥५६॥

न खलु परमाणोरल्पत्वेन महान् मेष्टः किंतु स्वगुणेन ॥५७॥

न खलु निनिमित्तं महान्तो भवन्ति कलुषितमनोषाः ॥५८॥

स वह्नेः प्रभावो यत्प्रकृत्या शीललभपि जलं भवत्युष्णम् ॥५९॥

सुचिरस्थायिनं कार्यार्थी वा साधूपचरेत् ॥६०॥

स्थितैः सहार्थोपचारेण व्यवहारं न कुर्थति ॥६१॥

सत्पुरुषपुरश्चारितया शुभमशुभं वा कुवंसो नास्त्यपवादः प्राणव्यापादो वा ॥६२॥

सपदि संपदमनुबन्नाति विषच्च विषदम् ॥६३॥

गोरिव दुर्बार्थी को नाम कार्यार्थी परस्परं विचारयति ॥६४॥

शास्त्रविदः स्त्रियश्चानुभूतगुणाः परमात्मानं रञ्जयन्ति ॥६५॥

चित्रगतमयि राजानं नावमन्येत क्षावं हि तेजो महतीसत्पुरुषदेवतास्वरूपेण  
तिष्ठति ॥६६॥

कार्यमारभ्य पर्यालोचः शिरो मुण्डयित्वा नक्षत्रप्रश्न इव ॥६७॥

ऋणशेषाद्रिपूशेषरदिकावश्यं भवत्यायत्वां भयम् ॥६८॥

नवसेवकः को नाम न भवति विनीतः ॥६९॥

यथाप्रतिज्ञां को नामात्र निवाहिः ॥७०॥

अप्राप्तेऽर्थं भवति सर्वोऽपि त्यागी ॥७१॥

अथर्वीं नोचैराचरणान्तोद्विजेत्, किन्ताधो ब्रजति कूपे जलार्थी ॥७२॥

स्वामिनोपहतस्य तदाराघनमेव निर्वृत्तिहेतु जनन्या कृतविप्रियस्य हि वालस्य  
जनन्येव भवति जीवितव्याकरणम् ॥७३॥

### ग्रन्थकारको प्रशस्ति

इति राक्षसाद्विषयक्रमूडामणि त्रुमिदरादरप्रस्य, एतच्छत्त्वाशनमहावाहि-  
विजयोपाजितकीर्तिमन्दाकिनीपविवितत्रिभुवनस्य, परमतपश्चरणरत्नो-  
दन्वतः श्रोमन्नेमिदेवभगवतः प्रियशिष्येण वादीन्द्रकालात्मलश्रोमन्महेन्द्र-  
देवभट्टारकानुजेन, स्थाह्वादाचलसिंहतार्किकचक्रवर्ति-वादीभपञ्चाननवा-  
ककल्लोल-पयोनिधि-कविकुलराजप्रभृतिप्रशस्तिप्रशस्तालंकारेण, पणवति-  
प्रकरणयुक्तिचिन्तामणिस्तव-महेन्द्रमातलिसंजल्य-यशोधरमहाराजचरितंमहा-  
शास्त्रवेदसा श्रीसोमदेवसूरिणा विरचितं ( नीतिवाक्यामृतं ) समाप्तिः ।

थल्पेऽनुग्रहधीः समे सजनता मान्ये महानादरः,

सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्रचरिते श्रीसोमदेवे मयि ।

यः स्पर्धेत तथापि दर्पदृढताप्रोद्धिप्रगाढाप्रह-

स्तस्याखवितगवंपवंतपविमंद्वाक्कृतान्तायते ॥१॥

सकलसमयतके नाकलङ्गोऽसि वादी,

न भवसि समयोक्तो हंससिद्धान्तदेवः ।

न च वचनविलासे पूज्यपादोऽसि तत्त्वं,

वदसि कथमिदानों सोमदेवेन सार्वम् ॥२॥

[दुर्जनाद्विषयकठोरकुठार] स्तर्ककर्शविचारणसारः ।

सोमदेव इव राजनि सूर्तिर्वादिमतोरथभूरिः ॥३॥

दपञ्चबोधबुधसिन्धुरसिंहनादे

कादिद्विषोद्दलनदुर्धरवाम्बिवादे ।

श्रीसोमदेवमुनिपे वचनारसाले

वामीश्वरोऽपि पुरतोऽस्ति न वादकाले ॥४॥